

केवल भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में प्रयोग हेतु

For use in Indian Audit and Accounts Department only

राजस्व लेखापरीक्षा नियमपुस्तक **REVENUE AUDIT MANUAL**

अप्रत्यक्ष कर
INDIRECT TAXES

(सीमाशुल्क)
(CUSTOMS)

(पांचवा संस्करण-2014)
(Fifth Edition-2014)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
NEW DELHI

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	iv
संकेताक्षर एवं संक्षेपण	vi
परिभाषाएं	x

भाग – I सीमाशुल्क विधि, प्रशासन, प्रक्रिया और सीआरएडी द्वारा लेखापरीक्षा		
अध्याय सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1
2	सीमा शुल्क विभाग का संगठनात्मक ढांचा	12
3	आयात	20
4	वेयरहाउसिंग	43
5	इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)	47
6	निर्यात	49
7	शुल्क फिरती योजना	58
8	विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन योजनाएं	63
9	विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) योजना, मुक्त व्यापार और भांडागारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजैड)	88
10	जहाजों की फाइलें	91
11	अन्य प्राप्ति	97
12	प्रतिदाय	99
13	छूट और कटौती	101
14	कम वसूली	102
15	लावारिस/निकासी न किये गये माल का निपटान	104
16	अपराध और दंड प्रावधान	106

TABLE OF CONTENTS

Subject	Page No.
Preface	iv
Glossary of terms and abbreviations	vi
Definitions	x

Section – I Customs Law, Administration, Procedure and Audit by CRAD		
Chapter No.	Subject	Page No.
1	Introduction	1
2	Organisational set up of Customs Department	12
3	Imports	20
4	Warehousing	43
5	Inland Container Depot (ICD) and Container Freight Station(CFS)	47
6	Exports	49
7	Duty Drawback Scheme	58
8	Export Promotion Schemes under Foreign Trade Policy	63
9	Special Economic Zone(SEZ) Scheme, Free Trade and Warehousing Zone(FTWZ)	88
10	Ships' Files	91
11	Other Receipts	97
12	Refunds	99
13	Remission and Abatement	101
14	Short realisation	102
15	Disposal of Unclaimed/Uncleared Cargo	104
16	Offences and Penal Provisions	106

17	अपील, समीक्षा और मामलों का निपटान	109
18	भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली	111

भाग II सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा		
19	प्रस्तावना	118
20	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की महत्वपूर्ण धाराएं	119
21	अधिदेश	156
22	लेखापरीक्षा पर विनियम	157
23	प्राप्तियों की लेखापरीक्षा पर स्थायी आदेश	164
24	सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग का संगठनात्मक ढाँचा	169
25	लेखापरीक्षा योजना	175
26	लेखापरीक्षा कार्यान्वयन	179
27	लेखापरीक्षा नियंत्रण	184
28	लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग-प्रक्रिया	189
29	विविध	195

17	Appeals, Review and Settlement of Cases	109
18	The Indian Customs EDI System	111
Section - II Customs Receipt Audit		
19	Introduction	118
20	Important Sections of Customs Act, 1962	119
21	Mandate	156
22	Regulations on Audit	157
23	Standing Orders on Audit of Receipts	164
24	Organisational Set-Up of Customs Receipt Audit Wing	169
25	Audit Planning	175
26	Audit Execution	179
27	Audit Checks	184
28	Audit Reporting- Procedure	189
29	Miscellaneous	195

अनुबंध

अनुबंध संख्या	पृष्ठ संख्या
1	197
2	199
3	201
4	204
5	210
6	214
7	222
8	225
9	230
10	232
11	235
12	238
13	240
14	241
15	245
16	246
17	248
18	249
19	251
20	252
21	253
22	256
23	257
24	267
25	268

Appendices

Annexure No.	Page No.
1	197
2	199
3	201
4	204
5	210
6	214
7	222
8	225
9	230
10	232
11	235
12	238
13	240
14	241
15	245
16	246
17	248
18	249
19	251
20	252
21	253
22	256
23	257
24	267
25	268

प्राक्कथन

वर्ष 1990 में इस कार्यालय द्वारा जारी सीमाशुल्क राजस्व लेखापरीक्षा नियम-पुस्तक (चौथा संस्करण) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथासंशोधित), सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 1988 के प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, संगत वर्गीकरण प्रणाली और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के दिशानिर्देशों पर आधारित था।

उपरोक्त नियम पुस्तक जारी होने के बाद सीमाशुल्क अधिनियम के विभिन्न प्रावधान परिशोधित, संशोधित या समय के साथ निरस्त किए गए हैं। कई तात्कालिक निर्यात संवर्धन और कर निराकरण योजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले दशक के दौरान, लेन-देन लागत में कमी, कर प्रशासन में मुख्य परिवर्तन और सीमाशुल्क डाटा बेस प्रबन्धन के लिए प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग पर जोर देने के साथ कर सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं और प्रथाएं परिवर्तन के साथ चलें, यह आवश्यक हो गया है कि सीमाशुल्क राजस्व लेखापरीक्षा नियमपुस्तक को संशोधित कर नया संस्करण निकाला जाए।

वर्तमान नियम पुस्तक में दो भाग हैं, भाग-I में सीमाशुल्क विधि, प्रशासन और प्रक्रिया और लेखापरीक्षा जांच पर 18 अध्याय हैं और भाग-II में सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा से संबंधित 11 अध्याय (अध्याय 19 से 29) हैं।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3.3 के संदर्भ में, संहिताओं और नियमावलियों का हिन्दी में अनुवाद होना चाहिए। तदुसार मौजूदा नियमपुस्तक का भी अनुवाद हिन्दी में किया गया है।

इस संस्करण का मसौदा 'आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षण' सहित नवीनतम परिवर्तनों के संदर्भ में तैयार किया गया है। हालांकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, अनुदेश इत्यादि समाविष्ट कर 'नियमपुस्तक' को व्यापक बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है, 'नियम पुस्तक' में दिए गए प्रावधानों को उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के समर्थन में प्राधिकार के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सुसंगत प्रावधानों या उनके अंतर्गत बनाए गए नियम ही आपत्तियों के समर्थन में मूल सांविधिक प्राधिकार होंगे।

PREFACE

The Customs Revenue Audit Manual (Fourth Edition) issued by this office in the year 1990 was based on the provisions of the Customs Act, 1962, Customs Tariff Act, 1975 (as amended), Customs Valuation Rules, 1988, the Rules and Regulations framed there under, the Harmonized Classification system and the guidelines of World Trade Organization(WTO).

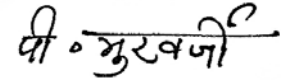
After issue of the said manual, various provisions of the Customs Act have been revised, amended or rescinded over the period of time. Several improvised export promotion and tax neutralization schemes have been introduced. During the last decade there has been a focus on tax reforms with emphasis on reduction in transaction cost, major changes in tax administration and extensive use of technology for Customs data base management. In order to ensure that audit procedures and practices keep pace with the changes, it has become necessary to revise and bring out a new edition of Customs Revenue Audit Manual.

The present Manual consists of two Sections, Section I, comprising 18 Chapters on Customs Law, Administration and Procedure and Audit Checks and Section II comprising 11 Chapters (Chapter 19 to 29), related to Customs Receipt Audit.

In terms of Section 3.3 of Official Languages Act, 1963, for facilitating progressive use of Hindi, Codes and Manuals should have to be translated into Hindi. Accordingly the present Manual has also been translated into Hindi.

This edition has been drafted with reference to the latest changes including ‘Auditing in the IT Environment’. Though every effort has been made to make the “Manual” comprehensive incorporating the notifications, circulars, instructions etc. issued by the Central Board of Excise and Customs, the provisions in the “Manual” should not be quoted as authority in support of audit objections raised. The relevant provisions of the Customs Act, 1962 and Customs Tariff Act, 1975 or Rules made thereunder shall be the basic statutory authority in support of the objections.

नियमपुस्तक में उचित लेखापरीक्षा जांच के लिए दिशानिर्देशों का प्रावधान किया गया है। इस पांचवे संस्करण में सीमाशुल्क राजस्व लेखापरीक्षा क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का एवं हमारी तैयारी का प्रमाण सम्मिलित है।

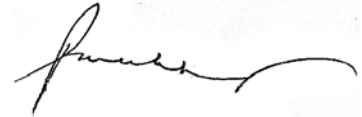


(डॉ. प्रसनजीत मुखर्जी)

भारत के उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली :

The Manual provides guidelines to ensure conduct of audit through proper audit checks. This Fifth edition bears testimony to the changes happening in the Customs revenue audit domain and our earnestness to preempt, prepare and respond to it.



(Dr. Prasenjit Mukherjee)

Deputy Comptroller & Auditor General of India

New Delhi:

Dated:20-01-2014

शब्दों एवं संक्षेपण की शब्दावली

संक्षिप्त रूप	विस्तारित रूप
एजी	महालेखाकार
एजीसीआर	केन्द्रीय राजस्व महालेखाकार
एआईआर	आल इंडस्ट्री रेट
एओ	लेखापरीक्षा अधिकारी
बीसीडी	मूल सीमाशुल्क
बीई	प्रविष्टि का बिल
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड
बीआईएन	व्यापार पहचान संख्या
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार बोर्ड
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
सी एण्ड एजी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
सीईएसटीएटी	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण
सीएफएस	कन्टेनर फ्रेट स्टेशन
सीएचए	सीमाशुल्क हाऊस एजेंट
सीआईएफ	लागत, बीमा एवं माल ढुलाई
सीओओ	उत्पत्ति प्रमाण पत्र
सीआरए	सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीआरएडी	सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा विभाग
सीटीएच	सीमाशुल्क टैरिफ हैडिंग
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीसी	विकास आयुक्त
डीडी	उप निदेशक

Glossary of terms and abbreviations

Abbreviated form	Expanded form
AG	Accountant General
AGCR	Accountant General, Central Revenue
AIR	All Industry Rate
AO	Audit Officer
BCD	Basic Customs, Duty
BE	Bill of Entry
BG	Bank Guarantee
BIFR	Board of Industrial and Financial Reconstruction
BIN	Business Identification Number
BoA	Board of Approval
BoT	Board of Trade
BRC	Bank Realisation Certificate
BTP	Bio Technology Park
C&AG	Comptroller & Auditor General of India
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CESTAT	Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal
CFS	Container Freight Station
CHA	Customs House Agent
CIF	Cost, Insurance & Freight
CoO	Certificate of Origin
CRA	Customs Receipt Audit
CRAD	Customs Receipt Audit Department
CTH	Customs Tariff Heading
CVD	Countervailing Duty
DC	Development Commissioner
DD	Deputy Director

संक्षिप्त रूप	विस्तारित रूप
डीईपीबीपी	शुल्क हकदारी पास बुक योजना
डीएफसीईसी	शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र
डीएफआरसी	शुल्क मुक्त संपूर्ति प्रमाण पत्र
डीजी	महानिदेशक
डीजीएफटी	महानिदेशक विदेश व्यापार
डीओबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओई	इलैक्ट्रानिक्स विभाग
डीओआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीपीसी अधिनियम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईडीआई	इलैक्ट्रानिकी डाटा इंटरचेज
ईजीएम	सामान्य निर्यात सूची
ईएचटीपी	इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाई
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफआईआरसी	विदेशी मुद्रा आवक प्रेषण प्रमाण पत्र
एफएमएस	फोकस बाजार योजना
एफओबी	पोत पर्यन्त निःशुल्क
एफपीएस	फोकस उत्पाद योजना
एफटी(डी एवं आर) अधिनियम	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं.22)
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति (2009-14)

Abbreviated form	Expanded form
DEPB	Duty Entitlement Pass Book Scheme
DFCEC	Duty Free Credit Entitlement Certificate
DFIA	Duty Free Import Authorisation
DFRC	Duty Free Replenishment Certificate
DG	Director General
DGFT	Director General of Foreign Trade
DoBT	Department of Bio Technology
DoC	Department of Commerce
DoE	Department of Electronics
DoIT	Department of Information Technology
DoR	Department of Revenue
DPC Act	The Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971
DTA	Domestic Tariff Area
EDI	Electronic Data Interchange
EGM	Export General Manifest
EHTP	Electronic Hardware Technology Park
EO	Export Obligation
EOU	Export Oriented Unit
EPCG	Export Promotion Capital Goods Scheme
FDI	Foreign Direct Investment
FIRC	Foreign Exchange Inward Remittance Certificate
FMS	Focus Market Scheme
FOB	Free on Board
FPS	Focus Product Scheme
FT (D&R) Act	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992)
FTP	Foreign Trade Policy (2009-14))

संक्षिप्त रूप	विस्तारित रूप
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार
गोव	सरकार
एचबीपी	प्रक्रियाओं की पुस्तिका
एचएसएन	नामावली की सुसंगत प्रणाली
आईएडी	आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग
आईसीडी	इन्लैंड कन्टेनर डिपो
आईसीईएस	भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली
आईईसी	इम्पोर्टर एक्पोर्टर कोड
आईजीएम	आयात सामान्य मालसूची
इन्टोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
आईटीसी (एचएस)	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड प्रणाली) आयात एवं निर्यात मर्दों का वर्गीकरण, 2004-09
एलओसी	लेटर आफ क्रेडिट (साख पत्र)
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	अनुमति पत्र
एलयूटी	विधिक वचनपत्र
एमएआई	मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव
एमसीडी	मेनिफेस्ट क्लीयरेंस विभाग
एनसीसीडी	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क
एनएफई	निवल विदेशी विनिमय
पीएजी	प्रधान महालेखाकार
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीसीए	पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा
पीडीए	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकरण
आरईएस	रिमोट ईडीआई प्रणाली
आरएलए	क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण
आरएमएस	जोखिम प्रबन्धन प्रणाली

Abbreviated form	Expanded form
GATS	General Agreement on Trade in Services
Govt.	Government
HBP	HandBook of Procedures
HSN	Harmonized System of Nomenclature
IAD	Internal Audit Department
ICD	Inland Container Depot
ICES	Indian Customs EDI System
IEC	Importer Exporter Code
IGM	Import General Manifest
INTOSAI	International Organisation of Supreme Audit Institutions
ITC (HS)	Indian Trade Classification (Harmonised System) Classification for Export & Import Items, 2004-2009
LoC	Letter of Credit
LoI	Letter of Intent
LoP	Letter of Permission
LUT	Legal Undertaking
MAI	Market Access Initiative
MCD	Manifest Clearance Department
NCCD	National Calamity Contingent Duty
NFE	Net Foreign Exchange
PAG	Principal Accountant General
PAN	Permanent Account Number
PCA	Post Clearance Audit
PDA	Principal Director of Audit
RA	Regional Authority
RES	Remote EDI System
RLA	Regional Licensing Authorities
RMS	Risk Management System

संक्षिप्त रूप	विस्तारित रूप
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
एसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान
एसबी	शिपिंग बिल
सेक्शन	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसआईओएन	मानक इनपुट आउटपुट प्रतिमान
व.ले.प.	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
एसएसआई	लघु उद्योग
एसटीएच	स्टार ट्रेडिंग हाऊस
एसटीपी	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
टीआरए	टेलिग्राफिक रिलीज एडवाइस
वीए	मूल्य संवर्धन
वीएटी	मूल्य संवर्धन कर
वीकेजीयूवाई	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना

Abbreviated form	Expanded form
SAD	Special Additional Duty
SAI	Supreme Audit ,Institution
SB	Shipping Bill
Section	Section. of the Customs Act, 1962
SEZ	Special Economic Zone
SION	Standard Input Output Norms
Sr.AO	Senior Audit Officer
SSI	Small Scale Industry
STH	Star Trading House
STP	Software Technology Park
TRA	Telegraphic Release Advice
VA	Value Addition
VAT	Value Added Tax
VKGUY	Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana

परिभाषाएं

1. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार:-

"एडजुडिकेटिंग अथारिटी" का अर्थ है कोई भी प्राधिकारी जो इस अधिनियम के तहत आदेश या निर्णय पारित करने में सक्षम हो, किन्तु उसमें बोर्ड, आयुक्त (अपील) या अपीलीय अधिकरण शामिल नहीं है;

"एयरक्राफ्ट" का अर्थ वही है जो एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 (1934 का 22) में है;

"एपिलेट ट्रीब्यूनल" का अर्थ है सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की धारा 129 के अंतर्गत गठित अपीलीय अधिकरण;

"एसेसमेंट" में अनंतिम मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और कोई अन्य मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकित शुल्क शून्य हो सम्मिलित है;

"बैगेज" में असंगी सामान सम्मिलित है किन्तु इसमें मोटर वाहन शामिल नहीं है;

"बिल आफ एंट्री" का अर्थ है धारा 46 में संदर्भित बिल ऑफ एंट्री;

"बिल आफ एक्पोर्ट" का अर्थ है धारा 50 में संदर्भित निर्यात बिल;

"बोर्ड" का अर्थ है केन्द्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड, 1963 (1963 का 54) के तहत गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड;

"कोस्टल गुड्स" का अर्थ है आयातित माल के अलावा माल जिसे भारत में जहाज में एक पत्तन से दूसरे में परिवहित किया गया हो;

'कमिशनर (अपील)' का अर्थ है धारा 4 की उप धारा (1) के अंतर्गत सीमाशुल्क कमिशनर (अपील) के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति;

"कमिशनर आफ कस्टम", में अध्याय XV, के उद्देश्यों के अलावा अपर आयुक्त सीमाशुल्क सम्मिलित है;

"कन्वेयन्स" में एक जहाज, एक वायुयान और एक वाहन शामिल है;

"कस्टमस एयरपोर्ट" का अर्थ है धारा 7 के खण्ड (ए) के अंतर्गत नियुक्त कोई भी हवाई अड्डा सीमाशुल्क हवाई अड्डा हो सकता है;

Definitions

1. As per the Customs Act, 1962:-

"adjudicating authority" means any authority competent to pass any order or decision under this Act, but does not include the Board, Commissioner (Appeals) or Appellate Tribunal;

"aircraft" has the same meaning as in the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);

"Appellate Tribunal" means the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal constituted under Section 129;

"assessment" includes provisional assessment, reassessment and any order of assessment in which the duty assessed is nil;

"baggage" includes unaccompanied baggage but does not include motor vehicles;

"bill of entry" means a bill of entry referred to in Section 46;

"bill of export" means a bill of export referred to in Section 50;

"Board" means the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963);

"coastal goods" means goods, other than imported goods, transported in a vessel from one port in India to another;”

Commissioner (Appeals)" means a person appointed to be a Commissioner of Customs (Appeals) under sub-Section (1) of Section 4;

"Commissioner of Customs", except for the purposes of Chapter XV, includes an Additional Commissioner of Customs;

"conveyance" includes a vessel, an aircraft and a vehicle;

"customs airport" means any airport appointed under clause (a) of Section 7 to be a customs airport;

"कस्टम्स एरिया" का अर्थ है एक सीमाशुल्क स्टेशन के क्षेत्र और इसमें कोई भी क्षेत्र शामिल है जहाँ सामान्यतया आयातित माल या निर्यात माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा मंजूरी से पहले रखा जाता है;

"कस्टम्स पोर्ट" का अर्थ है धारा 7 के खण्ड (ए) के अंतर्गत नियुक्त कोई पोर्ट सीमाशुल्क पोर्ट हो सकता है और इसमें उस धारा के खण्ड (एए) के अंतर्गत नियुक्त एक क्षेत्र सम्मिलित है जो इनलैंड कन्टेनर डिपो होता है;

"कस्टम्स स्टेशन" का अर्थ है कोई भी सीमाशुल्क पोर्ट, सीमाशुल्क हवाई अड्डा या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन;

"ड्यूटीएबल गुड्स" का अर्थ है कोई भी माल जिन पर शुल्क प्रभारित है और जिन पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है;

"ड्यूटी" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्राह्य सीमाशुल्क;

"एन्ट्री" माल के संबंध में इसका अर्थ है एक प्रविष्टि बिल, शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में की गई प्रविष्टि और इसमें डाक द्वारा आयातित माल या निर्यात माल के मामले शामिल हैं जिसमें प्रविष्टि धारा 82 में संदर्भित या प्रविष्टि धारा 84 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत की जाती है;

"निरीक्षण", किसी माल के संबंध में, उसका माप और भार सम्मिलित है;

"निर्यात", इसकी व्याकरणिक भिन्नता और समान अभिव्यक्ति के साथ, इसका अर्थ है भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना;

"निर्यात माल" का अर्थ है कोई भी माल जिसे भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जाना;

"निर्यातक", का संबंध कोई माल निर्यात के लिए उनके प्रवेश और जब वह निर्यात किए जाने के किसी समय के बीच से है, इसमें कोई भी मालिक या कोई व्यक्ति जो निर्यातक हो सम्मिलित है;

"विदेश जा रहे पोत या विमान"—का अर्थ है कोई पोत या विमान जोकि भारत में किसी पोत या विमान पत्तन से भारत से बाहर किसी पोत या विमान पत्तन के

"customs area" means the area of a customs station and includes any area in which imported goods or export goods are ordinarily kept before clearance by Customs Authorities;

"customs port" means any port appointed under clause (a) of Section 7 to be a customs port and includes a place appointed under clause (aa) of that Section to be an inland container depot;

"customs station" means any customs port, customs airport or land customs station;

"dutiable goods" means any goods which are chargeable to duty and on which duty has not been paid;

"duty" means a duty of customs leviable under this Act;

"entry" in relation to goods means an entry made in a bill of entry, shipping bill or bill of export and includes in the case of goods imported or to be exported by post, the entry referred to in Section 82 or the entry made under the regulations made under Section 84;

"examination", in relation to any goods, includes measurement and weighment thereof;

"export", with its grammatical variations and cognate expressions, means taking out of India to a place outside India;

"export goods" means any goods which are to be taken out of India to a place outside India;

"exporter", in relation to any goods at any time between their entry for export and the time when they are exported, includes any owner or any person holding himself out to be the exporter;

"foreign-going vessel or aircraft" means any vessel or aircraft for the time being engaged in the carriage of goods or passengers between any port or airport in India

बीच उस समय के लिए माल या यात्रियों की दुलाई में लगा हो, चाहे वह भारत में किसी मध्यवर्ती पोत या विमान पत्तन से होकर जाए या नहीं इसमें शामिल है;

1. किसी भी नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाली विदेश सरकार का कोई भी नौसैनिक पोत;

2. भारत के जल क्षेत्र के बाहर मछली पकड़ने या किसी अन्य कार्य में लगे कोई भी पोत;

3. किसी भी प्रयोजन के लिए भारत के बाहर किसी जगह पर जा रहा कोई पोत या विमान;

"निधि" का अर्थ है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12सी के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष;

"माल" में सम्मिलित है:-

(क) पोत, विमान और वाहन;

(ख) भण्डार;

(ग) सामान;

(घ) मुद्रा और परक्राम्य लिखित प्रपत्र; और

(ङ) किसी भी अन्य प्रकार की चल सम्पत्ति;

"आयात", इसकी व्याकरणीय भिन्नता और समान अभिव्यक्ति के साथ, भारत के बाहर किसी जगह से सामान भारत लाना;

"आयात मालसूची" या "आयात रिपोर्ट" का अर्थ है धारा 30 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से दी जाने वाली मालसूची या रिपोर्ट;

"आयातित माल " का अर्थ है भारत के बाहर किसी जगह से भारत में माल लाना किन्तु इसमें वह माल सम्मिलित नहीं है जिसे घरेलू उपभोग के लिए क्लीयर किया गया हो;

"आयातक", कोई भी सामान उसके आयात और घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी के बीच के किसी भी समय के संबंध में है इसमें मालिक या अन्य कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो अपने को आयातक मानता है;

and any port or airport outside India, whether touching any intermediate port or airport in India or not, and includes –

1. any naval vessel of a foreign Government taking part in any naval exercises;
2. any vessel engaged in fishing or any other operations outside the territorial waters of India;
3. any vessel or aircraft proceeding to a place outside India for any purpose whatsoever;

"Fund" means the Consumer Welfare Fund established under Section 12C of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944);

"goods" includes -

- (a) vessels, aircrafts and vehicles;
- (b) stores;
- (c) baggage;
- (d) currency and negotiable instruments; and
- (e) any other kind of movable property;

"import", with its grammatical variations and cognate expressions, means bringing into India from a place outside India;

"import manifest" or "import report" means the manifest or report required to be delivered under Section 30;

"imported goods" means any goods brought into India from a place outside India but does not include goods which have been cleared for home consumption;

"importer", in relation to any goods at any time between their importation and the time when they are cleared for home consumption, includes any owner or any person holding himself out to be the importer;

"भारत" में भारत का जल क्षेत्र सम्मिलित है;

"भारतीय समुद्री सीमाशुल्क" समुद्र का अर्थ है प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शैल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य जहाज रानी जोन अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 5 के अंतर्गत भारत की निकटवर्ती सीमा के समुद्र तक और इसमें कोई खाड़ी, गल्फ, बंदरगाह, क्रीक या ज्वारीय नदी शामिल है;

"भूमि सीमाशुल्क स्टेशन" का अर्थ है धारा 7 के खण्ड (बी) के अंतर्गत भूमि सीमाशुल्क स्टेशन के रूप में निर्धारित कोई जगह;

"बाजार मूल्य", किसी माल के संबंध में इसका अर्थ है भारत में व्यापार के सामान्य रूप में माल का थोक मूल्य;

"राष्ट्रीय कर अधिकरण" का अर्थ है राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 49) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय कर अधिकरण;

"प्रभारी व्यक्ति" का अर्थ है -

- (i) एक पोत के संबंध में, पोत का मालिक;
- (ii) एक विमान के संबंध में, विमान का कमांडर या प्रभारी पायलट;
- (iii) एक रेल गाड़ी के संबंध में, कंडक्टर, गार्ड या अन्य व्यक्ति, जो रेलगाड़ी का मुख्य निर्देशक हो;
- (iv) किसी अन्य वाहन के संबंध में, वाहन का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति;

"निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित;

"निषिद्ध माल" का अर्थ है इस अधिनियम या उस समय लागू अन्य किसी कानून के अंतर्गत किसी माल के आयात या निर्यात के लिए निषेध किन्तु इसमें ऐसा माल शामिल नहीं है जिसके संबंध में शर्तों जिनके अधीन माल आयात या निर्यात के लिए अनुमत है, का पालन किया गया हो;

"उचित अधिकारी", इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में, सीमाशुल्क का अधिकारी जिसे बोर्ड या आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा इन कार्यों को करना सौंपा गया हो;

"India" includes the territorial waters of India;

"Indian customs waters" means the waters extending into the sea up to the limit of contiguous zone of India under Section 5 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976) and includes any bay, gulf, harbour, creek or tidal river;

"land customs station" means any place appointed under clause (b) of Section 7 to be a land customs station;

"market price", in relation to any goods, means the wholesale price of the goods in the ordinary course of trade in India;

"national tax tribunal" means National Tax Tribunal established under Section 3 of the National Tax Tribunal Act, 2005 (49 of 2005);

"person-in-charge" means, -

- (i) in relation to a vessel, the master of the vessel;
- (ii) in relation to an aircraft, the commander or pilot-in-charge of the aircraft;
- (iii) in relation to a railway train, the conductor, guard or other person having the chief direction of the train;
- (iv) in relation to any other conveyance, the driver or other person-in-charge of the conveyance;

"prescribed" means prescribed by regulations made under this Act;

"prohibited goods" means any goods the import or export of which is subject to any prohibition under this Act or any other law for the time being in force but does not include any such goods in respect of which the conditions subject to which the goods are permitted to be imported or exported have been complied with;

"proper officer", in relation to any functions to be performed under this Act means the officer of customs who is assigned those functions by the Board or the Commissioner of Customs;

"विनियमों" का अर्थ है इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम;

"नियमों" का अर्थ है इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम;

"शिपिंग बिल" का अर्थ है धारा 50 में संदर्भित शिपिंग बिल;

"भण्डार" का अर्थ है पोत या विमान में प्रयोग होने वाला माल जिसमें ईंधन और अतिरिक्त पुर्ज और उपकरण के अन्य सामान शामिल हैं, चाहे वह तुरन्त फिटिंग के लिए हों या नहीं;

"तस्करी", किसी भी माल के संबंध में, इसका अर्थ है धारा 111 या धारा 113 के तहत ऐसे माल की जब्ती के लिए उत्तरदायी कोई कार्य या चूक;

"टैरिफ मूल्य", किसी माल के संबंध में इसका अर्थ है धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत उसका तय टैरिफ मूल्य;

"मूल्य", किसी माल के संबंध में इसका अर्थ है धारा 14 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुरूप उसका निर्धारित मूल्य;

"वाहन" का अर्थ है भूमि पर उपयोग किया जाने वाला किसी भी तरह का वाहन इसमें एक रेल शामिल है;

"वेयरहाउस" का अर्थ है धारा 57 के तहत निर्धारित एक सार्वजनिक गोदाम या धारा 58 के तहत एक निजी लाइसेंसी गोदाम;

"गोदाम माल" का अर्थ है गोदाम में जमा माल;

"गोदाम स्टेशन" का अर्थ है धारा 9 के तहत एक गोदाम स्टेशन के रूप में घोषित जगह।

2. विदेश व्यापार नीति 2009-14 के अनुसार

“सहायक” या “संलग्नक एटेचमेन्ट” का अर्थ है एक भाग, उप-संयोजन या संयोजन जोकि अपने मूल कार्य को बदले बिना एक उपकरण के पुर्ज की दक्षता या प्रभावशीलता में योगदान देता है।

"regulations" means the regulations made by the Board under any provision of this Act;

"rules" means the rules made by the Central Government under any provision of this Act;

"shipping bill" means a shipping bill referred to in Section 50;

"stores" means goods for use in a vessel or aircraft and includes fuel and spare parts and other articles of equipment, whether or not for immediate fitting;

"smuggling", in relation to any goods, means any act or omission which will render such goods liable to confiscation under Section 111 or Section 113;

"tariff value", in relation to any goods, means the tariff value fixed in respect thereof under sub-Section (2) of Section 14;

"value", in relation to any goods, means the value thereof determined in accordance with the provisions of sub-Section (1) or sub-Section (2) of Section 14;

"vehicle" means conveyance of any kind used on land and includes a railway vehicle;

"warehouse" means a public warehouse appointed under Section 57 or a private warehouse licensed under Section 58;

"warehoused goods" means goods deposited in a warehouse;

"warehousing station" means a place declared as a warehousing station under Section 9.

2. As per the Foreign Trade Policy 2009-14

“Accessory” or “Attachment” means a part, sub-assembly or assembly that contributes to efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.

“अधिनियम” का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) [एफटी (डी एवं आर) अधिनियम]।

“वास्तविक उपयोगकर्ता” का अर्थ है एक वास्तविक उपयोगकर्ता जो या तो औद्योगिक या गैर-औद्योगिक हो सकता है।

“वास्तविक उपयोगकर्ता (औद्योगिक)” का अर्थ है एक व्यक्ति जो अपने स्वयं के औद्योगिक यूनिट में निर्माण हेतु आयातित माल का उपयोग करता है या एक फुटकर यूनिट सहित अन्य यूनिट में अपने स्वयं के उपयोग के लिए निर्माण करता है।

“वास्तविक उपयोगकर्ता(गैर-औद्योगिक)” का अर्थ है एक व्यक्ति जो अपने स्वयं के उपयोग हेतु आयातित माल का उपयोग निम्न में करता है

(i) कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा करता है; या

(ii) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास(आर एवं डी) संस्थान;

(iii) कोई सेवा उद्योग।

“प्राधिकार” का अर्थ है एफटीपी के प्रावधानों के अनुसार एफटी (डी एवं आर) अधिनियम की धारा 2 (जी) में आयात या निर्यात की अनुमति।

“बीओए” का अर्थ है बोर्ड का अनुमोदन जैसाकि डीओसी द्वारा अधिसूचित हो।

“घटक” का अर्थ है एक उप संयोजन या संयोजन का एक भाग जिससे एक उत्पाद का निर्माण किया जाता है और जिसमें वह लगाया जा सकता है। एक घटक में किसी अन्य घटक का अतिरिक्त पुर्जा या संलग्नक शामिल है।

“उपभोज्य” का अर्थ है कोई भी मद जो किसी निर्माण प्रक्रिया का भाग या के लिए आवश्यक होती है किन्तु यह जरूरी नहीं कि वह अन्तिम उत्पाद का भाग हो। वह मदें जो निर्माण प्रक्रिया के दौरान काफी हद तक या पूर्ण रूप से उपभोग हो जाती हैं, उपभोज्य मानी जाती हैं।

“विकासक” का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसे अन्य निजी या सरकारी उपक्रम जो पूरी अवसंरचना या उसके भाग और

“Act” means Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) [FT(D&R) Act].

“Actual User” means an actual user who may be either industrial or non-industrial.

“Actual User (Industrial)” means a person who utilizes imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit.

“Actual User (Non-Industrial)” means a person who utilizes the imported goods for his own use in

(i) any commercial establishment carrying on any business, trade or profession;

or

(ii) any laboratory, Scientific or Research and Development(R&D) institution, university or other educational institution or hospital; or

(iii) any service industry.

“Authorisation” means a permission as included in Section 2 (g) of FT(D&R) Act to import or export as per provisions of FTP.

“BoA” means the Board of Approval as notified by DoC.

“Component” means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment to another component.

“Consumables” means any item, which participates in or is required for a manufacturing process, but does not necessarily form part of end-product. Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process, will be deemed to be consumables.

“Developer” means a person or body of persons, company, firm and such other private or Government undertaking, who develops, builds, designs, organises, promotes, finances, operates, maintains or manages a part or whole of

केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एसइजेड में अन्य सुविधाओं का विकास, निर्माण, डिजाइन, संगठन , बढावा, वित्त, संचालन, अनुरक्षण या प्रबन्धन करते हैं और इसमें सह विकासक भी शामिल हैं।

“घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए)” का अर्थ है भारत के भीतर का वह क्षेत्र जो कि एसइजेड और ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी से बाहर हो।

“निर्यातक” का अर्थ है एक व्यक्ति जो निर्यात करता है या निर्यात करना चाहता है और आईईसी संख्या रखता है अन्यथा विशेष रूप से छूट प्राप्त हो।

“निर्यात दायित्व” का अर्थ है मात्रा, मूल्य या दोनों के संदर्भ में प्राधिकार या अनुमति द्वारा कवर उत्पाद या उत्पादों के निर्यात का दायित्व जैसाकि क्षेत्रीय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित या निर्दिष्ट हो।

“अवसंरचना सुविधाएं” का अर्थ है औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामाजिक अवसंरचना या एसइजेड के विकास के लिए अन्य कोई सुविधा जैसा भी अधिसूचित हो।

“जाबिंग” का अर्थ है कार्य करने वाले को आपूर्ति किया गया कच्चा माल या अर्ध निर्मित माल का संसाधन या उस पर कार्य करना जिससे प्रक्रिया के एक भाग को पूरा किया जा सके जिसके परिणामस्वरूप एक वस्तु या किसी प्रचालन को पूरा किया जा सके जोकि उपरोक्त प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है।

“लाइसेंसिंग वर्ष” का अर्थ है एक वर्ष की 01ली अप्रैल को प्रारंभ अवधि और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्ति।

“विनिर्माण” का अर्थ है हाथ या मशीन द्वारा एक नया उत्पाद जिसका एक विशिष्ट नाम, गुण या उपयोग हो, को बनाना, उत्पादन करना, गढ़ना, संयोजन करना, प्रक्रिया या अस्तित्व में लाना और इसमें प्रशीतन, पुनः पैकिंग ,पालिशिंग, लेबलिंग, पुनः कंडिशनिंग मरम्मत, नवीकरण, निरीक्षण, अंशशोधन, पुनः इंजीनियरिंग जैसी सब प्रक्रियाएं शामिल हैं।

“विनिर्माण” एफटीपी के प्रयोजन के लिए कृषि, मत्सय पालन, पशु पालन, फूलों की खेती, बागवानी, मत्सय संवर्द्धन, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन, अंगूर की खेती और खनन भी शामिल होने चाहिए।

“निर्यातक उत्पादक” का अर्थ है एक व्यक्ति जो उसके द्वारा निर्मित माल का

infrastructure and other facilities in SEZ as approved by Central Government and also includes a co-developer.

“Domestic Tariff Area (DTA)” means area within India which is outside SEZs and EOU/ EHTP/ STP/BTP.

“Exporter” means a person who exports or intends to export and holds an IEC number, unless otherwise specifically exempted.

“Export Obligation” means obligation to export product or products covered by Authorisation or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by Regional or competent authority.

“Infrastructure facilities” means industrial, commercial and social infrastructure or any other facility for development of SEZ as notified.

“Jobbing” means processing or working upon of raw materials or semi-finished goods supplied to job worker, so as to complete a part of process resulting in manufacture or

finishing of an article or any operation which is essential for aforesaid process.

“Licensing Year” means period beginning on the 1st April of a year and ending on 31st March of following year.

“Manufacture” means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes such as refrigeration, re-packing, polishing, labelling, re-conditioning repair, remaking, refurbishing, testing, calibration, re-engineering.

“Manufacture” for the purpose of FTP, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, viticulture and mining.

“Manufacturer Exporter” means a person who exports goods manufactured by him or intends to export such goods.

“Merchant Exporter” means a person engaged in trading activity and exporting

निर्यात करता है या ऐसे माल के निर्यात का इरादा रखता है।

“निर्यातक व्यापारी” का अर्थ है एक व्यक्ति जो व्यापारिक कार्यों में लगा है और निर्यात करता है या माल को निर्यात करने का इरादा रखता है।

“व्यक्ति ” में एक व्यक्ति फर्म, सोसाइटी, कम्पनी, निगम या डीजीएफटी अधिकारियों सहित अन्य कोई विधिक व्यक्ति शामिल है।

“निर्धारित” का अर्थ है अधिनियम या उसके या एफटीपी के अंतर्गत बनाए गए नियम या आदेश।

“सार्वजनिक नोटिस” का अर्थ है एक नोटिस जोकि एफटीपी के पैराग्राफ 2.4 के प्रावधानों के तहत प्रकाशित किया गया हो।

“क्षेत्रीय प्राधिकरण” का अर्थ है अधिनियम/आदेश के तहत सक्षम प्राधिकारी जो प्राधिकार प्रदान कर सकता हो।

“नियम” का अर्थ है केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 19 के तहत बनाए गए नियम।

“सेवाएं” में व्यापार पर सामान्य समझौते के तहत कवर व्यापार योग्य सेवाएं और मुक्त विदेशी विनिमय अर्जन शामिल है।

“एसआईओएन” का अर्थ है एचबीपी खण्ड II में डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक इनपुट आउटपुट मानदंड।

“निर्दिष्ट” का अर्थ है इस नीति के प्रावधानों के अंतर्गत या अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से द्वारा निर्दिष्ट।

“प्रास्थिति धारक” का अर्थ है डीजीएफटी/विकास आयुक्त द्वारा एक्सपोर्ट हाऊस/ट्रेडिंग हाऊस के रूप में मान्यता प्राप्त एक निर्यातक।

3. लेखापरीक्षा और लेखा विनियमावली 2007 और अन्य संबंधित लेखापरीक्षा शब्दावलियों के अनुसार

महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का अर्थ है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा कार्यालय के विभाग का प्रमुख जिसे किसी भी पदनाम से सम्बोधित किया जा सकता है;

or intending to export goods.

“Person” includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person including the DGFT officials.

“Prescribed” means prescribed under the Act or the Rules or Orders made thereunder or under FTP.

“Public Notice” means a notice published under provisions of paragraph 2.4 of FTP.

“Regional Authority” means authority competent to grant an Authorisation under the Act / Order.

“Rules” means Rules made by Central Government under Section 19 of the Act.

“Services” include all tradable services covered under General Agreement on Trade in Services and earning free foreign exchange.

“SION” means Standard Input Output Norms notified by DGFT in HBP, Vol.II / approved by Board of Approval.

“Specified” means specified by or under the provisions of this Policy through Notification / Public Notice.

“Status holder” means an exporter recognized as Export House/Trading House etc. by DGFT/Development Commissioner.

3. As per the Audit and Accounts Regulations 2007 and other Audit Related Terminologies

Director General /Principal Director of Audit means the head of the department of an **audit** office of the Comptroller and Auditor General of India by whatever designation called;

लेखापरीक्षा का अर्थ भारत के संविधान और अधिनियम में यथा निर्धारित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों, के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग में **लेखों**, लेन-देन और अभिलेखों की जांच और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित निष्पादन **लेखापरीक्षा** या अन्य किसी प्रकार की **लेखापरीक्षा** शामिल है। जब एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे पूर्व रूप से **लेखापरीक्षा** विभाग या उसके किसी भाग के रूप में संदर्भित किया जाता है;

लेखापरीक्षा विभाग या **लेखापरीक्षा संस्थान** का अर्थ है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अंतर्गत भारतीय **लेखापरीक्षा** और **लेखा विभाग** के कार्यालय जो भारत के संविधान और सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के अंतर्गत **लेखापरीक्षा** के लिए जिम्मेदार है;

लेखापरीक्षा योग्य सत्त्व का अर्थ है एक कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय, कम्पनी, निगम या कोई अन्य इकाई जिसकी **लेखापरीक्षा** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है;

लेखापरीक्षा अधिदेश का अर्थ है भारत के संविधान और अधिनियम के अंतर्गत **लेखापरीक्षा** के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकार और इसमें सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के तहत सरकार द्वारा सौंपी गई **लेखापरीक्षा** शामिल है;

लेखापरीक्षा ज्ञापन का अर्थ है **लेखापरीक्षा** के दौरान जानकारी प्राप्त करने, तथ्यों की पुष्टि या अन्य कोई मामला जिसे **लेखापरीक्षा** अधिकारी द्वारा **लेखापरीक्षा** करने में आवश्यक समझा जाए, के लिए ज्ञापन या पत्र जारी करना;

लेखापरीक्षा टिप्पणी का अर्थ है **लेखापरीक्षा** कार्यालय द्वारा जारी टिप्पणी जिसमें एक **लेखापरीक्षा** या **लेखा** कार्यालय में उपलब्ध डाटा, सूचना या दस्तावेजों के संदर्भ में की गई **लेखापरीक्षा** के परिणाम शामिल हों;

लेखापरीक्षा कार्यालय का अर्थ है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय जो **लेखापरीक्षा** के लिए उत्तरदायी है;

लेखापरीक्षा अधिकारी या **लेखापरीक्षक** का अर्थ है एक अधिकारी, जिसे किसी भी पदनाम से सम्बोधित किया जाए, जो **लेखापरीक्षा** करने के लिए सामान्य या एक

Audit means examination of **accounts**, transactions and records in performance of duties and exercise of powers of the Comptroller and Auditor General as prescribed in the Constitution of India and the Act and includes performance **audit** or any other type of **audit** determined by the Comptroller and Auditor General of India. When used as a noun, it refers to **Audit** Department as a whole or any part thereof as per context;

Audit department or Audit institution means the offices of the Indian **Audit** and **Accounts** Department under the Comptroller and Auditor General of India responsible for **audit** under the Constitution of India and the CAG's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act; 1971;

Auditable entity means an office, authority, body, company, corporation or any other entity subject to **audit** by the Comptroller and Auditor General of India;

Audit mandate means the authority of the Comptroller and Auditor General of India for **audit** under the Constitution of India and the Act and includes **audit** entrusted by the Government under the CAG's (DPC) Act; 1971;

Audit memorandum means a memorandum or letter issued during the course of **audit** for eliciting information, confirmation of facts or any other matter considered necessary by the **audit** officer in conduct of **audit**;

Audit note means a note issued by an **audit** office containing the results of **audit** conducted with reference to data, information or documents available in an **audit** or **accounts** office;

Audit office means an office of the Comptroller and Auditor General of India responsible for **audit**;

विशेष आदेश द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत या सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत या संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 49 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन;

लेखापरीक्षण मानक का अर्थ है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानक जब तक प्रकरण में अन्यथा आवश्यकता हो;

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या सी एवं एजी का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियुक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक;

'सरकार' का अर्थ है संघ सरकार, राज्य सरकार और/या संघ शासित प्रदेश की सरकार जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो;

मानी गई सरकारी कम्पनी का अर्थ है कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619बी के अंतर्गत कवर एक कम्पनी;

दिशानिर्देश अधिदेश पूरा करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देश हैं। सामान्यतया **लेखापरीक्षा** या **लेखों** के विशेष रूप से उभरते और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पेशेवर मामलों पर होते हैं। यह दिशानिर्देश लेखापरीक्षा और लेखा विनियम 2007 के अनुरूप होने चाहिए और जिनका अनुसरण **लेखापरीक्षा** कार्यालयों और **लेखा** कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

निरीक्षण अधिकारी का अर्थ है **लेखापरीक्षा** के लिए नियुक्त **लेखापरीक्षा** दल का प्रभारी अधिकारी

निरीक्षण रिपोर्ट का अर्थ है **लेखापरीक्षा** के परिणामों से युक्त **लेखापरीक्षा** कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट;

प्रमुख अनियमितता का अर्थ है (क) **लेखापरीक्षा** के नोटिस में आया संदिग्ध सामग्री धोखाघड़ी या भ्रष्टाचार का मामला; या (ख) गंभीर प्रकृति की अनियमितता जिसमें जनता की निधि लगी हो, विशेषरूप से कुप्रबन्धन, हानि,

Audit officer or auditor means an officer, by whatever designation called, authorised by the Comptroller and Auditor General of India by a general or a special order to conduct **audit**;

Audit report of the Comptroller and Auditor General means a report of the Comptroller and Auditor General of India under Article 151 of the Constitution of India or under Section 19A of the CAG's (DPC) Act., 1971 or under Section 49 of the Union Territories Act, 1963;

Auditing Standards means the auditing standards issued by the Comptroller and Auditor General of India unless the context otherwise requires;

Comptroller and Auditor General or the C&AG means the Comptroller and Auditor General of India appointed under Article 148 of the Constitution of India;

Government means the Union Government, the Government of a State and/or Government of the Union Territory as the context may require;

Deemed Government Company means a company covered under Section 619B of the Companies Act, 1956;

Guidelines are the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General for carrying out the mandate. These are generally on professional matters especially on emerging and important areas of **audit** or **accounts**. The guidelines are to be consistent with the Audit and Accounts Regulation 2007 and are to be followed by the **audit** officers and the **accounts** officers;

Inspecting officer means an officer in charge of an **audit** team deputed for **audit**;

Inspection report means a report issued by an **audit** office containing the results of an **audit**;

Major irregularity means (a) an instance of suspected material fraud or corruption coming to the notice in **audit**, or (b) an irregularity of serious nature involving public funds, particularly that relating to mismanagement, loss, waste, nugatory

व्यर्थ, निरर्थक व्यय या राजस्व की हानि से संबंधित जिसकी मौद्रिक सीमा इस संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित की गई हो।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के **अधिदेश** का अर्थ है भारत के संविधान के अंतर्गत सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 और **लेखापरीक्षा** और **लेखा** विनियमावली 2007 में **लेखा** और **लेखापरीक्षा** के संबंध में उसे दिया गया अधिकार।

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अर्थ है एक **लेखापरीक्षा** रिपोर्ट जिसमें एक प्राधिकार, निकाय या निगम के **लेखों** पर **लेखापरीक्षा** आपत्तियां हों, जिसे विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो यह नहीं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के **स्थायी आदेश** वह आदेश हैं जिनमें प्रशासनिक मामलों पर आदेश शामिल होते हैं जो स्थायी प्रकृति के अधिदेश पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। यह लेखापरीक्षा और लेखा विनियमावली 2007 के अनुरूप होते हैं और इनका पालन लेखा अधिकारियों और लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है;

डीपीसी अधिनियम का अर्थ है नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्या 56)।

expenditure or loss of revenue, exceeding the monetary limit prescribed by the Comptroller and Auditor General in this regard.

Mandate of the Comptroller and Auditor General means the authority vested in him in regard to **accounts** and **audit** under the Constitution of India, the CAG's (DPC) Act, 1971 and the Audit and Accounts Regulations 2007;

Separate audit report means an **audit** report containing **audit** observations on the **accounts** of an authority, body or corporation whether or not required to be laid before the legislature;

Standing orders of the Comptroller and Auditor General are the orders, including orders on administrative matters, of permanent nature issued in fulfillment of the mandate. These are to be consistent with the Audit and Accounts Regulations 2007 and are to be followed by the accounts officers and the audit officers;

DPC Act means the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Act No. 56 of 1971);

भाग - I

अध्याय 1

प्रस्तावना

यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा रही है कि एक देश से समुद्र, वायु, भूमि या रेल रूट द्वारा अन्दर आने वाले या बाहर जाने वाले माल, वाहक, यात्रियों, की जांच सीमाशुल्क द्वारा की जाती है। एक देश का कानून माल या यात्रियों के आगमन या प्रस्थान को विनियमित करता है। भारत में, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 मूल कानून है जो ऐसी गतिविधियों को शासित और विनियमित करता है।

देश में आने वाले या से जाने वाले (अर्थात आयात या निर्यात) माल पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क या कर सीमाशुल्क है। यह आयातक या निर्यातक से एकत्र किया जाता है किन्तु इस कर का भार वास्तव में माल के उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। भारत में, सीमाशुल्क, केन्द्र सरकार के राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। अन्य मुख्य अंशदाता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर, आयकर और निगम कर हैं। जैसे घरेलू उत्पाद प्रवाह उत्पाद शुल्क को आधार प्रदान करता है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह सीमाशुल्क के लिए आधार बनाता है।

भारत में सीमाशुल्क शायद कराधान के सबसे पुराने तरीकों में से एक है, उतना पुराना जितना स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है। सीमाशुल्क की उत्पत्ति प्राचीन काल की 'प्रथागत उगाही' से है। समय के साथ, आधुनिक राज्य ने इस प्रथा को सीमा शुल्क बना दिया जोकि एक राज्य, माल के आयात या निर्यात पर एकत्र करता है। मुख्य रूप से राजस्व अर्जन हेतु सीमाशुल्क विदेशी माल के आयात और घरेलू माल के निर्यात को विनियमित करता है। यह विदेशी मुद्रा रिजर्व के प्रवाह और बहिर्वाह को भी नियंत्रित करता है और घरेलू बाजार में विदेशी माल की आपूर्ति को विनियमित करता है जिससे यह घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से और माल और सेवा के आयात का प्रतिबंधित करते हुए सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत में माल पर सीमाशुल्क, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूचियों में निर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। आयात या निर्यात पर कर लगाया जाता है। वर्तमान में निर्यात शुल्क माल की कुछ मदों पर लगाया जाता है जबकि आयात शुल्क इसमें से अधिकांश को कवर करता है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों की समग्र गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बोर्ड के अंतर्गत, मुख्य आयुक्त देश में फैले विभिन्न जों के नियंत्रित करते हैं और जों के अंतर्गत सीमाशुल्क हाऊसिस के प्रमुख सीमाशुल्क आयुक्त सीमाशुल्क के कार्यों का निष्पादन करते हैं।

SECTION I

Chapter 1 Introduction

It has been the international practice that goods, carriers, passengers coming into or going out of a country by sea, air, land or rail routes are checked by Customs. The law of a country regulates entry or exit of goods and passengers. In India, the Customs Act, 1962 is the basic statute, which governs and regulates such activity.

A duty or tax levied by Government on goods entering or leaving the country (i.e. import or export) is Customs duty. It is collected from the importer or exporter but its incidence is actually borne by the consumer of the goods. In India, Customs duty is one of the significant sources of revenue to the Central Government. The other major contributors are Central Excise duty, Service Tax, Income Tax and Corporate Tax. Just as domestic production flow provides the base for Excise duty, the international trade flow forms the basis for customs duties.

Customs duties are probably one of the oldest forms of taxation in India, as old as international trade itself. The origin of customs duty dates back to the 'customary levies' of ancient times. With the passage of time, the modern State formalised this 'custom' into customs duty which the State collects on import or export of goods. The customs duty is levied primarily to regulate imports of foreign goods and export of domestic goods to earn revenue. It also controls inflow and outflow of foreign exchange reserves and regulates supply of imported goods into domestic market, thereby providing protection to the domestic industry from foreign competition as also by restricting import of goods and service.

In India, customs duties are levied on the goods at the rates specified in the Schedules to the Customs Tariff Act, 1975. The taxable event is on import or export. Export duties, at present, are levied on very few items of goods whereas import duty covers the most of it.

The Central Board of Excise & Customs (CBEC) under the Ministry of Finance, Government of India governs overall functions of the Customs & Central Excise Departments. Under the Board, the Chief Commissioners control various Zones spread over the country, and the Custom Houses under the zones headed by the Commissioner of Customs execute the functions of Customs.

सीमाशुल्क विभाग का प्राथमिक कार्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत राजस्व का प्रशासन है। सीमाशुल्क प्राधिकारी मुख्य रूप से माल के आयात या निर्यात पर लगने वाले सीमाशुल्क, अनुपूरक शुल्क और अन्य करों और प्रभारों का निर्धारण और संग्रहण करता है। इसके समानान्तर कार्यों में तस्करी रोकना और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करना है।

भारत में सीमाशुल्क प्रणाली का प्रारंभ ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। संहिताबद्ध कराधान का आधुनिक रूप विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क प्रथाओं और प्रक्रियाओं सुसंगत वर्गीकरण प्रणाली और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के दिशानिर्देश को अपनाने के माध्यम से विकसित हुआ था। भारत में, सीमाशुल्क विभाग ने नियंत्रणों के युग से शुल्क संरचना के युक्तिकरण, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आवधिक परिवर्तन अपनाकर उदारीकरण युग के लिए स्वयं को रूपांतरित किया है।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की विशेषताएं

कर, केन्द्र, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत हैं। कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। एक प्रत्यक्ष कर वह है जो करदाता सरकार को सीधे भुगतान करता है। यह कर दूसरों को स्थानांतरित नहीं किए जा सकते हैं। आयकर और धनकर, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं।

अप्रत्यक्ष कर देश में माल और सेवाओं पर लगाया जाता है और माल के आयात पर भी। इन करों का करदाताओं के अर्जन के साथ कोई संबंध नहीं है। उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क, सेवाकर, बिक्री कर और मूल्य संवर्धन कर (वैट) इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के मामले में, एक व्यक्ति या संगठन इसका भुगतान करता है किन्तु वह इसे अन्य व्यक्ति से वसूल कर लेता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो एक व्यक्ति या संगठन के बजाए माल या सेवाओं पर लगाया जाता है और सरकार को अप्रत्यक्ष रूप में भुगतान किया जाता है।

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर केन्द्र सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है, जबकि बिक्री कर राज्य सरकारों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है।

इन करों को आकर्षित करने वाली मुख्य गतिविधियां हैं:

- माल का आयात और निर्यात (सीमा शुल्क)
- भारत में माल का विनिर्माण (उत्पाद शुल्क)
- भारत में सेवाओं का प्रतिपादन (सेवाकर)
- भारत में माल की खरीद/बिक्री (बिक्री कर)

The primary function of the Customs Department is the administration of revenue under the Customs Act, 1962. The customs authority is responsible mainly for assessment and collection of customs duties, supplementary duty and other taxes and charges leviable on import or export of goods. Its collateral functions include prevention of smuggling and implementation of various provisions of Customs Act, 1962.

The Customs system in India came into being during the British period. The modern form of codified taxation evolved through adoption of various international customs conventions and procedures, the Harmonised Classification system and the guidelines of World Trade Organisation (WTO). In India, the Customs Department has adapted itself to periodic changes from the era of controls to the liberalized era through rationalization of duty structure, simplification of procedures and computerization.

1.2 Features of Indirect Taxes

Taxes are the main sources of revenue for central, regional and local Government. Taxes can be either direct or indirect. A direct tax is one that the taxpayer pays directly to Government. These taxes cannot be shifted to others. Income Tax and Wealth Tax are examples of direct tax.

Indirect taxes are levied on goods and services within the country as also on import of goods. These taxes have no correlation with the earnings of the taxpayers. Excise Duty, Customs Duty, Service Tax, Sales Tax and Value Added Tax (VAT) are some of the taxes falling under this category. In the case of indirect tax, a person or organization pays it but he recovers the same from another person. Indirect tax, therefore, is a tax levied on goods or services rather than on person or organization and paid to the Government indirectly.

While Customs, Excise and Service Tax constitute major sources of revenue for the Central Government, Sales Tax forms the principal source of revenue for the State Governments.

Activities, which attract these taxes, are mainly:

- Imports and Exports of Goods (Customs Duties)
- Manufacture of Goods in India (Excise Duties)
- Rendering of Services in India (Service Tax)
- Purchase/Sale of Goods in India (Sales Tax)

कोई भी संगठन जो माल के विनिर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री और खरीद में लगा हो और वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान कर रहा हो, अप्रत्यक्ष कर के दायरे में कवर होता है। प्रत्येक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को विशिष्ट कानून, नियम और प्रक्रियाएं तय करती हैं।

1.3 कर उद्ग्रहण –संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

संसद या राज्य विधान मण्डल द्वारा कानून बनाने के बाद कर लगाए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 265 में यह उल्लिखित है कि कोई भी कर कानून प्राधिकारी को छोड़कर उद्ग्रहित या संग्रहीत नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कर कार्यकारी आदेश द्वारा नहीं लगाया जा सकता किन्तु केवल कानून के माध्यम से।

अनुच्छेद 245 संघ और राज्यों के बीच कानूनी शक्तियों का वितरण करता है जबकि अनुच्छेद 246 कानून का विषय निर्धारित करता है। अनुच्छेद 246 की अनुसूची VII निम्न तीन सूचियों के तहत विषयों को वितरित करती है:

- (क) संघ सूची (उन मदों पर जिनमें केन्द्र सरकार के पास विधायी शक्ति है।)
- (ख) राज्य सूची (उन मदों पर जिनमें राज्य सरकार के पास विधायी शक्ति है।)
- (ग) समवर्ती सूची (उन मदों पर जिनमें दोनों केन्द्र और राज्य सरकारें कानून पास कर सकती हैं)।

अनुच्छेद 246(1) संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची या सूची I में निर्दिष्ट किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 246(3) के तहत राज्य विधान मण्डल संघ की उपरोक्त अनुसूची की सूची II की मदों पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 271, शुल्कों और करों पर अधिभार लगाने का प्रावधान करता है।

तीन स्तरीय कर ढांचे के तहत, संविधान संघ सरकार को आयकर, पूंजीगत लेन-देन (संपत्ति कर, विरासत कर), बिक्री कर (सीएसटी), सेवाकर, सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार देता है। राज्य सरकारें अन्तर्राज्य माल की बिक्री, मनोरंजन और व्यवसायों पर कर, शराब के निर्माण पर उत्पाद शुल्क, सम्पत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क और भू राजस्व (स्वामित्व वाली भूमि पर उद्ग्रहण) एकत्र करने के लिए संविधान से शक्ति प्राप्त करती हैं। राज्य के अधीन स्थानीय सरकारें सम्पत्ति कर, चुंगी लगा सकती हैं और जल आपूर्ति, सीवरेज इत्यादि जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रभारित भी कर सकती हैं।

Any organization engaged in manufacture, import, export, sale and purchase of goods and rendering commercial services, therefore, gets covered under Indirect Tax net. Specific Statutes, Rules and Procedures govern each type of indirect tax.

1.3 Levy of Tax -Constitutional & Legal provisions

Taxes can be levied after due legislation by the Parliament or the State Legislature. Article 265 of the Constitution lays down that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. In other words, Taxes cannot be imposed by executive order, but only through legislation.

Article 245 distributes the legislative power between the Union and the States while Article 246 prescribes the subject of legislation. Schedule VII of Article 246 distributes the subjects under three lists as under:

- (a) Union List (of items on which Central Government has power of legislation)
- (b) State List (of items on which State Government has power of legislation)
- (c) Concurrent List (of items on which both Central and State Government can pass legislation).

Article 246(1) empowers the Parliament to make laws on any subject specified in Union list or List I of the Seventh Schedule to the Constitution. Under Article 246(3), State Legislature can make laws on items of List II of the said Schedule to the Constitution. Article 271 provides for levy of surcharge on duties and taxes.

Under the three-tier tax structure, the Constitution empowers the Union Government to levy income tax, tax on capital transactions (wealth tax, inheritance tax), sales tax (CST), service tax, customs and Excise duties. The State Governments derive power from the Constitution to levy sales tax on inter-state sale of goods, tax on entertainment and professions, Excise duties on manufacture of alcohol, stamp duties on transfer of property and to collect land revenue (levy on land owned). The local Governments under the State can levy property tax, octroi and also charge the users for public utilities like water supply, sewerage etc.

संघ सूची " (सूची I) से कुछ प्रविष्टियां नीचे दी गई हैं,

प्रविष्टि सं.	विषय
82	कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर
83	निर्यात शुल्कों सहित सीमाशुल्क।
84	भारत में निर्मित या उत्पादन किया गया मानव उपभोग के लिए शराब के अलावा अफीम, नशीली औषधियां, किन्तु औषधीय और प्रसाधन हेतु तैयार माल जिसमें शराब, अफीम या नशीले पदार्थ सहित भारत में निर्मित या उत्पादन किए गए तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क
85	निगम कर।
92ए	समाचार पत्रों के अलावा बिक्री या माल की खरीद पर कर जहाँ ऐसी बिक्री या खरीद अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।
92बी	माल के परेषण पर कर जहाँ ऐसा परेषण अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हो
92सी	सेवाओं पर कर
97	कोई कर जिसका उल्लेख सूची II या सूची III में न हो सहित कोई अन्य मामला जो राज्य सूची (सूची II), समवर्ती सूची (सूची III) में शामिल न हो। यह अनुच्छेद 248 के तहत कानून की बकाया शक्तियां हैं।

1.4 सीमा शुल्क कानून का अवलोकन

सीमाशुल्क कानून में विभिन्न अधिनियम, नियम, विनियम और अधिसूचनाएं सम्मिलित हैं जो सीमाशुल्क के कार्यों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हैं। भारत में दो मुख्य अधिनियम सीमाशुल्क कानून को नियंत्रित करते हैं नामतः सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975। इनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है:

(i) अधिनियम :

(क) **सीमाशुल्क अधिनियम, 1962:** यह एक मूल अधिनियम है जो भारत में सीमाशुल्क लगाने और संग्रहण को प्राधिकृत करता है। इस अधिनियम में भारत में आयात, निर्यात और आने वाले व्यक्तियों के सामान से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं। इसमें आयात/निर्यात प्रक्रियाएं, माल के आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध, दंड, अपराध इत्यादि भी सम्मिलित हैं। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का मुख्य उद्देश्य माल के गैर कानूनी तरीके से आयात और निर्यात को रोकना है। अधिनियम पूरे भारत में लागू है। भारत में, भारत का क्षेत्रीय जल,

A few entries from "Union List" (List I), are as given below:

Entry No.	Subject
82	Tax on income other than agricultural income.
83	Duties of customs including export duties.
84	Duties of Excise on tobacco and other goods manufactured or produced in India except alcoholic liquors for human consumption, opium, narcotic drugs, but including medicinal and toilet preparations containing alcoholic liquor, opium or narcotics.
85	Corporation Tax.
92A	Taxes on the Sale or purchase of goods other than newspapers, where such sale or purchase takes place in the course of Interstate trade or commerce.
92B	Taxes on consignment of goods where such consignment takes place during Interstate trade or commerce.
92C	Tax on services
97	Any other matter not included in State list (List II), Concurrent list (List III) including any tax not mentioned in list II or list III. These are the Residuary Powers of legislation under Article 248

1.4 Overview of Customs Law

Customs Law comprises various Acts, rules, regulations and notifications, related directly or indirectly with the functions of Customs. Two principal Acts govern Customs Law in India, namely, the Customs Act, 1962 and the Customs Tariff Act, 1975. These are discussed briefly in the following paragraphs:

(i) Acts:

(a) The Customs Act, 1962: It is the basic Act that authorizes levy and collection of customs duty in India. The Act contains various provisions relating to imports, exports and baggage of persons arriving in India. It also includes import/export procedures, prohibitions on import and export of goods, penalties, offences etc. One of the main purposes of Customs Act, 1962 is the prevention of illegal import and export of goods. The Act extends over the whole of India. India includes the territorial water of India, continental shelf, Exclusive Economic Zone

महाद्वीपीय शेल्फ, विशिष्ट आर्थिक जोन क्षेत्र जो समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 द्वारा कवर किया जाता है, कोई खाड़ी, बंदरगाह, क्रीक और ज्वारीय नदी शामिल हैं।

(ख) **सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975:** सीमाशुल्क भारत में आयातित या से निर्यातित माल पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में निर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। अधिनियम में दो अनुसूचियाँ हैं – अनुसूची 1 वर्गीकरण और आयात के लिए शुल्क की दर प्रदान करती है, और अनुसूची 2 निर्यात के लिए उपरोक्त प्रदान करती है। टैरिफ अधिनियम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क (सामान्य रूप से प्रतिकारी शुल्क /सीवीडी) जैसे अधिमान शुल्क, एंटी डम्पिंग शुल्क, सुरक्षात्मक शुल्क, संरक्षण शुल्क इत्यादि शुल्क लगाने का प्रावधान करता है।

प्रथम अनुसूची में 21 भागों में वर्गीकृत 98 अध्याय हैं। अनुसूचियाँ नामावली (एचएसएन) जोकि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सुसंगत वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली की सुसंगत प्रणाली पर आधारित है।

(ग) **सम्बद्ध अधिनियम:** सीमाशुल्क विभाग को सीमाशुल्क अधिनियम और अन्य सम्बद्ध अध्यादेशों के तहत आयात और निर्यात पर विभिन्न एजेंसी कार्यों के निर्वहन और विभिन्न प्रतिबन्धों और निषेधाज्ञाएं लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

(ii) नियम और विनियम

नियम और विनियम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत बनाए गए हैं। जबकि केन्द्र सरकार नियम बनाती है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीवीईसी) विनियम बनाते हैं। इन अधिनियमों के तहत बनाए गए सभी नियम और विनियम लागू करने और संस्वीकृति के लिए अनिवार्य रूप से संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

सीमाशुल्क अधिनियम और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत नियम - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 156 केन्द्र सरकार को सामान्य रूप से अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। ऐसे नियमों की एक सूची **अनुलग्नक I** में दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं: उद्ग्राह्य सीमाशुल्क की गणना के लिए आयातित माल के मूल्यांकन के लिए सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम 2007; निर्यातों पर शुल्क फिरती की दरों की गणना के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर फिरती नियम, 1995(यथा संशोधित), भारतीयों और पर्यटकों द्वारा विदेश से बैगेज लाने के लिए संबंधित भत्ते – बैगेज नियम 1998, अन्तिम प्रयोग की शर्तों के साथ किए गए आयात के लिए अनुसरण की गई प्रक्रिया से संबंधित सीमाशुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य माल के निर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 1996।

areas covered by Maritime Zone Act, 1976, any bay, gulf, harbour, creek and tidal river.

(b) The Customs Tariff Act, 1975: Customs duty is levied on goods imported into or exported from India at the rates specified in the Customs Tariff Act, 1975. The Act contains two schedules - Schedule 1 gives classification and rate of duty for imports, and Schedule 2 gives the same for exports. The Tariff Act provides for levy of duties like additional duty (commonly called countervailing duty/ CVD) equal to Central Excise duty levied under the Central Excise Tariff Act, 1985, preferential duty, anti-dumping duty, protective duties, safeguard duty etc.

The First Schedule contains 98 Chapters grouped in 21 Sections. The Schedules are based on Harmonised System of Nomenclature (HSN), the internationally accepted Harmonised Commodity Description and Coding System.

(c) Allied Acts: The Customs Department has been entrusted with the responsibility to discharge various agency functions and enforcing various prohibitions and restrictions on import and export under the Customs Act and other allied enactments.

(ii) Rules and regulations

Rules and regulations are framed under the Customs Act, 1962 and the Customs Tariff Act, 1975. While the Central Government makes the Rules, the Central Board of Excise & Customs (CBEC) makes the Regulations. All the Rules and regulations made under these Acts are placed compulsorily before the Parliament for sanction to have force of law.

Rules Under Customs Act and Customs Tariff Act, 1975 - Section 156 of Customs Act, 1962 empowers the Central Government to make rules, in general, consistent with provisions of the Act, to carry out the purposes of the Act. A list of such rules is given in **Annexure 1**. Some of the important rules are: Customs Valuation (Determination of value of Imported Goods) Rules, 2007 for valuation of imported goods for computing customs duty leviable; Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 (as amended) for calculating rates of duty drawback on exports; Baggage Rules, 1998 concerning allowances for bringing in baggage from abroad by Indians and tourists; Customs (Import of goods at concessional rate of duty for manufacture of excisable goods) Rules, 1996 relating to procedure to be followed for imports made with conditions of end use.

सीमाशुल्क अधिनियम के तहत विनियम – सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 157 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामान्य रूप से अधिनियम और नियम, के प्रावधानों के अनुरूप विनियम बनाने का अधिकार देती है। इन शक्तियों के तहत बनाए गए विभिन्न विनियमों को **अनुलग्नक 2** में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से प्रमुख हैं: परियोजना आयात के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए परियोजना आयात विनियम, 1986, एक जगह से दूसरी जगह माल के पोतांतरण के लिए संचालित शर्तें प्रदान करने के लिए वेयरहाउस माल (स्थानांतरण) विनियम, 1963, अनंतिम निर्धारण अनुमत करने के लिए शर्तें प्रदान करने के लिए सीमाशुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियम 2011, सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए लगाये जाने वाले शुल्क की व्यवस्था के लिए सीमाशुल्क (सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए शुल्क) विनियम 1998।

(iii) अधिसूचनाएं

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की विभिन्न धाराएं केन्द्र सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देती हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

- (क) धारा 7: सीमाशुल्क पत्तन, हवाई अड्डों, मार्गों की नियुक्ति;
- (ख) धारा 9: वेयरहाउसिंग स्टेशन के स्थानों की घोषणा;
- (ग) धारा 11: पूर्ण रूप से या सशर्त आयात एवं निर्यात माल पर प्रतिबन्ध;
- (घ) धारा 11-I: अवैध रूप से निर्यात किए जाने वाले संभावित माल की विशिष्टता;
- (ङ) धारा 14: माल का मूल्यांकन.
- (च) धारा 25: सीमाशुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान करना।

अधिसूचनाएं जो शुल्क लगाने या टैरिफ से संबंधित मामलों से संबंधित हैं को टैरिफ अधिसूचना कहा जाता है। अन्य अधिसूचनाएं गैर टैरिफ, सुरक्षा, एंटी डम्पिंग और अन्य हैं। ऐसी सभी अधिसूचनाएं जो कि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के तहत निर्दिष्ट हैं को संसद के समक्ष वैधानिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

(iv) बोर्ड परिपत्र – सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 151ए सीबीईसी (बोर्ड) को सीमाशुल्क अधिकारियों को माल के वर्गीकरण में एकरूपता के लिए सामान्य आदेश, निर्देशों और निदेश जारी करने का अधिकार देती है। तदनुसार, बोर्ड स्पष्टीकरण, निर्देशों या विभिन्न प्रक्रियाओं इत्यादि को निर्धारित इत्यादि कर परिपत्रों के संख्यांकन की प्रणाली के मानकीकरण का अनुसरण करते हुए परिपत्र जारी करता है।

(v) सीमाशुल्क नियमावली - सीमाशुल्क नियमावली 2011, सीबीईसी द्वारा जनवरी 2011 में जारी की गई थी। नियमावली सीमाशुल्क कानून और प्रक्रियाओं का एक संक्षिप्त विवरण देती है। सीमाशुल्क नियमावली किसी सीमाशुल्क अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के तहत जारी

Regulations Under Customs Act –Section 157 of Customs Act, 1962 authorizes the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to make regulations consistent with the provisions of the Act and the rule, generally, to carry out the purposes of the Act. Various regulations framed under these powers are listed in **Annexure 2**. Principal among these are: Project Import Regulations, 1986, providing procedures for project imports; Warehoused Goods (Removal) Regulations, 1963 providing governing conditions for transshipment of goods from one place to another, Customs (Provisional Duty Assessment) Regulations, 2011 providing conditions for allowing provisional assessment, Customs (Fees For Rendering Services By Customs Officers) Regulations, 1998 prescribing fees to be levied for services rendered by customs officers.

(iii) Notifications

Various Sections of the Customs Act, 1962 empower the Central Government to issue notifications, some of which are given below:

- (a) Section 7: Appointment of Customs Port, Airports, routes etc;
- (b) Section 9: Declaration of places to be warehousing stations.
- (c) Section 11: Prohibition of import & export of goods absolutely or conditionally;
- (d) Section 11-I: Specification of goods likely to be illegally exported;
- (e) Section 14: Valuation of Goods.
- (f) Section 25: Grant of full or partial exemption from payment of customs duty.

Notifications that deal with levy of duty or matters related to tariff are called as Tariff Notification. Other notifications are Non-Tariff, Safeguard, Anti-Dumping and Others. All such notifications, which are specified under Section 159 of the Customs Act, 1962, are placed before parliament for legislative approval.

(iv) Board Circulars – Section 151A of Customs Act empowers the CBEC (Board) to issue general orders, instructions and directions to officers of Customs for uniformity in classification of goods or levy of duty on it. Accordingly, the board issues circulars giving clarifications, instructions or prescribing various procedures etc. following a standardized system of numbering circulars.

(v) Customs Manual - Customs Manual, 2011 was released by CBEC in January, 2011. The Manual gives an overview of Customs Law and Procedures. The Customs Manual is not issued under any provision of Customs Act or Rules. Although the statutory authority for the Customs Manual is not expressly specified,

नहीं की गई है। यद्यपि, सीमाशुल्क नियमावली का वैधानिक प्राधिकार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है, यह वांछनीय है कि सीमाशुल्क विभाग इन निर्देशों और प्रक्रियाओं का अनुसरण करे।

(vi) **सार्वजनिक नोटिस या व्यापार सुविधा नोटिस** – बिना सम्पादन, व्याख्या या सारांशीकरण के उन्हें बोर्ड के परिपत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सामान्य प्रक्रियाओं के वांछित अनुपालन के मामले, नई नीति के प्रारंभ करने के सार्वजनिक नोटिस आयुक्तों द्वारा जारी किए जाते हैं। आयुक्त अक्सर स्थानीय मुद्दों पर व्यापार की सूचना देने के लिए व्यापार नोटिस/व्यापार सुविधा नोटिस जारी करते हैं।

(vii) **फार्म**: अधिनियम के तहत बनाई गई अधिसूचनाओं के साथ नियम और विनियम विभिन्न प्रपत्र नियत करते हैं जिससे मानक प्रारूप में सूचना प्रदान करने के लिए एकरूपता बनाए रखी जा सके। कुछ महत्वपूर्ण फार्म हैं- घरेलू उपभोग के लिए आयातित माल के लिए बिल ऑफ एंट्री, गोदामों में आयातित माल रखने के लिए वेयरहाउसिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री, बैगेज घोषणा के लिए फार्म, एक्स बांड के अलावा माल के निर्यात के लिए शिपिंग बिल इत्यादि। ऐसे प्रपत्रों की एक सूची अनुबंध 3 में दी गई है।

(viii) **न्यायालय आदेश/अधिकरण के निर्णय** – अर्ध न्यायिक प्राधिकरण जैसे अपीलीय अधिकरण के निर्णय आयुक्त (अपील) और निचले अधिकारियों पर बाध्य होते हैं। कुछ मामलों को छोड़कर अधिकरण के आदेश के प्रति उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अधिकरण और निचले अधिकारियों पर बाध्य होता है।

उपयोगी जानकारी

सीमाशुल्क की लेखापरीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं, सार्वजनिक नोटिस और परिपत्रों के माध्यम से किए गए उनके नवीनतम संशोधनों और स्पष्टीकरणों के साथ सीमाशुल्क अधिनियम, नियम निर्देशों और प्रक्रियाओं की जानकारी अपेक्षित है। निर्यात प्रोत्साहन योजना/शुल्क छूट योजना की नियमित लेखापरीक्षा और प्रणाली मूल्यांकन/समीक्षा के लिए सीमाशुल्क विनियमों के अलावा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रावधानों की समझ की आवश्यकता है।

क) संदर्भ के लिए वेबसाइट: उपयोगी वेबसाइटों के कुछ पते, जहाँ सीमाशुल्क की लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित अद्यतन सूचना उपलब्ध है, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	उपलब्ध सूचना	वेबसाइट जिन पर सूचना उपलब्ध है
1	सीमाशुल्क अधिनियम, नियम एवं विनियम, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, सम्बद्ध अधिनियम और नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र और	cbec.gov.in; eximkey.com; ieport.com exim.indiamart.com

it is desirable that the Customs department should follow the instructions and procedure.

(vi) Public Notices or Trade Facility Notice –Public Notices are issued by the Commissioners in the matter of general procedures required to be observed, introduction of new policy etc., for bringing to focus the Board’s Circular without editing, paraphrasing or summarizing them. Commissioner often issues Trade Notice/Trade Facility Notice to inform the trade on local issues.

(vii) Forms - Notifications as also Rules and regulations framed under the Acts prescribe various Forms for providing information in a standard format to maintain uniformity. Some important forms are – Bill of Entry for Home Consumption for importing goods, Bill of Entry for Warehousing for keeping imported goods in warehouses, Form for Baggage Declaration, Shipping Bill for Export of goods other than Ex-Bond etc. A list of such Forms is given in **Annexure 3**.

(viii) Court Orders/Decisions of Tribunal - Decisions of quasi-judicial authority like Appellate Tribunal are binding on Commissioner (Appeals) and on lower authorities. Appeal can be made to High court against an order of Tribunal except in certain cases. Similarly, order of High court and Supreme Court are binding on Tribunal as also on lower authorities.

Useful Information

Audit of Customs requires knowledge of Custom Act, rules, instructions and procedures with their latest amendments and clarifications made through issue of Notifications, Public Notices and Circulars issued by the Ministry of Finance. Routine audit and system appraisal/review of export incentive scheme/duty exemption scheme requires understanding of different provisions formulated by the Ministry of Commerce besides customs regulations.

a) Websites for reference: Addresses of some of the useful websites, where updated information as required in audit of Customs is available, are as under:

Sl No.	Information available	Websites on which the information is available
1	Customs Act, Rules & Regulations, Customs & Central Excise Tariff Act, allied Acts and Rules, Notifications, Circulars and relevant information; similar information in respect of Central Excise	cbec.gov.in; eximkey.com; ieport.com exim.indiamart.com

	सुसंगत सूचना, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में समान सूचना	
2	सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमपुस्तक, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अनुसूची	cbec.gov.in;
3	सीमाशुल्क के विभिन्न आयुक्तालयों द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस	संबंधित क्षेत्राधिकारी आयुक्तालयों की साइटों पर उपलब्ध
4	विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, नीति अधिसूचना, नीति परिपत्र, डीजीएफटी सार्वजनिक नोटिस, सम्बद्ध अधिसूचनाएं एवं नियम, फार्म	dgft. gov.in ; eximkey.com; eport.com; exim.indiamart.com
5	आयात/निर्यात की प्रतिबंधित मर्दे; नीति परिवर्तनों पर वार्षिक अनुपूरक; एक्जिम बुलेटिन; व्यापार सूचनाएं; प्रतिमान इनपुट आउटपुट मानदंड, आईटीसी (एचएस), आवेदन फार्म (परिशिष्ट), विभिन्न समितियों जैसे मानक समिति, डीईपीबी समिति, ईपीसीजी समिति, नीति रियायत समिति इत्यादि द्वारा किए गए मामलों के सार	dgft.gov.in
6	फिरती दरें एवं डीईपीबी अनुसूची	eximkey.com; ieport.com; exim.indiamart.com
7	आरबीआई मामले:- विदेशी विनिमय नियमावली, फेमा, आरबीआई अधिसूचनाएं और निर्यात और आयात से संबंधित मामलों सहित परिपत्र	rbi.org.in ; eximkey.com; ieport.com;
8	संघ बजट	finmin.gov.in
9	निगम कर और कराधान पर अद्यतन; शंकाओं के निःशुल्क उत्तर, सीमाशुल्क पुस्तक – सीमाशुल्क अधिनियम और शुल्क रियायत योजनाओं के कुछ प्रावधानों पर टिप्पणियां	dateyvs.com;
10	सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नए सत्तारूढ प्राधिकारी, निपटान आयुक्त और आयकर एवं सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकरण के नवीनतम निर्णय	judis.nic.in taxindiaonline.com (paid site)
11	निर्णयों सहित सेसटैट पर सूचना	cestat.gov.in
12	संघ सरकार के विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों द्वारा जारी टिप्पणी, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और प्रशासनिक आदेश	taxindiaonline.com (paid site)

2	Customs & Central Excise Manuals; Customs & Central Excise Tariff Schedules	cbec.gov.in;
3	Public notices issued by various Commissionerates of Customs	Available on respective jurisdictional Commissionerates' sites
4	Foreign Trade Policy, Handbook of procedure, Policy Notification, policy circulars, DGFT Public notices; allied Acts & Rules, forms	dgft.gov.in ; eximkey.com; eport.com; exim.indiamart.com
5	Restricted Items of import/ export, Annual Supplement on Policy changes, EXIM Bulletin, Trade Notices; Standard Input Output Norms, ITC(HS), Application Forms(Appendices), Briefs of cases undertaken by various Committees like Norms Committee, DEPB Committee, EPCG Committee, Policy relaxation Committee etc.	dgft.gov.in
6	Drawback Rates & DEPB Schedule	eximkey.com; ieport.com; exim.indiamart.com
7	RBI matters:- Foreign Exchange Manual, FEMA, RBI Notifications and circulars including issues relating to exports and imports	rbi.org.in ; eximkey.com; ieport.com;
8	Union Budget	finmin.gov.in
9	Updates on Corporate laws and taxation; free reply to queries; Customs Law Primer- commentaries on certain provisions of Customs Act and duty exemption schemes	dateyvs.com;
10	Latest judgments of Supreme Court, High Courts, Advance Ruling Authorities, Settlement Commission and Tribunals of Income Tax & Customs and Central Excise	judis.nic.in taxindiaonline.com (paid site)
11	Information on CESTAT including judgments	cestat.gov.in
12	Latest policy changes with commentary, notifications, circulars and administrative orders issued by the various economic ministries of the Union Government, case laws (judgments) and their impact analysis	taxindiaonline.com (paid site)

	सहित आधुनिक नीति परिवर्तन कानूनी मामले (निर्णय) और उनके प्रभाव का विश्लेषण	
13	डीपीसी अधिनियम, संगठन के बारे में और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की सूचना भी। इस साइट पर 2000 से सीमाशुल्क पर सीएजी की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध हैं।	cag.nic.in / cag.gov.in
14	भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े:- भारत के व्यापारिक आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और प्रसार और वाणिज्यिक सूचना; निर्यात और आयात व्यापार डाटा देश-वार, आर्थिक क्षेत्रवार, उत्पादवार उपलब्ध है; राजस्व डाटा:- निवल राजस्व संग्रहण के साथ विभिन्न व्यापार शीर्षवार और आयुक्तालय-वार संग्रहण और प्रतिदाय डाटा; निर्यातक/आयातक निर्देशिका, भारतीय व्यापार जरनल, भारतीय व्यापार वर्गीकरण (संगत प्रणाली) जिसमें 8 अंक वस्तु वर्गीकरण हो; वाणिज्यिक आसूचना पर सूचना इत्यादि।	महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी(डीजीसीआई और एस) कोलकाता, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार (dgft.gov.in में उपलब्ध लिंक)
15	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा अनुरक्षित भारतीय सीमाशुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएल) पर सूचना	e-comm portal ices.nic.in icegate.gov.in

ख) एक्सकस – उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क, सेवाकर और सम्बद्ध कानूनों के लिए मै; सेन्टैक्स पब्लिकेशन्स प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा मासिक आधार पर जारी इलेक्ट्रानिक लाइब्रेरी है। इसके खण्ड छपे हुए के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट में उपलब्ध हैं।

- (1) मार्च 2013 तक, इसमें 81150 कानूनी मामले, 4000 परिपत्र, 13500 अधिसूचनाएं और 500 संविधियां शामिल हैं।
- 1977 से ईएलटी और एसटीआर में दर्ज कानूनी मामले।
 - 1986 से सीबीईसी परिपत्र।
 - 1986 से उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवाकर इत्यादि पर अधिसूचनाएं।
 - संविधियों में :-
 - (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, नियम और प्रपत्र
 - (ii) सीमाशुल्क अधिनियम, नियम एवं विनियम और प्रपत्र
 - (iii) सेवाकर प्रावधान, नियम और दरें

13	DPC Act, information on the organization as also audit by the Comptroller and Auditor General of India. CAG's annual Audit Reports on Customs from 2000 onwards available on the site.	cag.nic.in / cag.gov.in
14	Statistics of the Foreign Trade of India:- Collection, compilation and dissemination of India's trade statistics and commercial information; export and import trade data are available country-wise, economic region-wise, merchandise-wise etc.; Revenue data:- various broad-head-wise and Commissionerate-wise revenue collection and refunds data along with net revenue collection ; Exporter's/ importer's Directory, Indian Trade journal, Indian Trade Classification (Harmonized System) comprising 8 Digit Commodity Classification; Information on Commercial intelligence etc	Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata, Ministry of Commerce, Government of India (link available at dgft. gov.in)
15	Information on Indian Customs EDI System (ICES) maintained by National Informatics Centre (NIC)	e-comm portal ices.nic.in icegate.gov.in

b) **Excus** – is an electronic library for Excise, Customs, Service Tax and allied Laws issued by M/s Centax Publications Pvt. Ltd., New Delhi on a monthly basis. The volumes are available in print as well as electronic format.

- (1) As of March 2013, It contains 81150 Case Law, 4000 Circulars, 13500 Notifications and 500 statutes.
- case Laws reported in E.L.T. and in S.T.R. from 1977.
 - CBEC Circulars from 1986.
 - Notifications on Excise, Customs and Service Tax etc. from 1986.
 - Statutes containing : -
- (i) Central Excise Act, Rules and Forms
 - (ii) Customs Act, Rules & Regulations and Forms
 - (iii) Service Tax Provisions, Rules and Rates

- (iv) 1986 से 2012 तक वित्त मंत्री के भाषणों और बजट परिवर्तनों की विशेषताओं के साथ उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर बजट शामिल हैं।
- (2) एक्सकस सीडी में सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर से संबंधित सामग्री अधिसूचनाओं, परिपत्रों और कानूनी मामलों के रूप में है जो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट सामग्री को अंतिम रूप देने और विभिन्न अन्य सीमाशुल्क विंग मामलों के लिए उपयोगी है।
- (3) एक्सकस में: -
 - (i) सारांश
 - (ii) सुझाव पेट्री
 - (iii) न्यायालय सूची/न्यायाधीश सूची और पार्टी सूची
 - (iv) इतिहास और परीक्षण इतिहास
 - (v) बुकमार्क सुविधा
 - (vi) माइक्रोसाफ्ट उत्पादों के अनुरूप
 - (vii) शीर्ष नोट, कोर्टरूप विशेषताएं

1.5 ऐसी नियमपुस्तिका जो एक ही स्थान पर सीमाशुल्क कार्यों के सभी पहलुओं को कवर कर सके मुश्किल है। इस भाग में, सीमाशुल्क के कार्य क्षेत्रों के बारे में लेखापरीक्षा से संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए संक्षिप्त रूप से विचार देने का प्रयास किया गया है। सीमाशुल्क के प्रत्येक क्षेत्र के लिए रूचीकर लेखापरीक्षा आपत्तियों, जहां भी उपलब्ध हो के साथ, क्षेत्र के लिए आवश्यक विशिष्ट लेखापरीक्षा जांच को सुविधा हेतु सम्मिलित किया गया है। सीमाशुल्क के कार्य क्षेत्र से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जहां भी, उपलब्ध हैं, भी सम्मिलित किया गया है। महत्व को देखते हुए विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं को भी कवर किया गया है।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए स्थल पर पश्च मंजूरी लेखापरीक्षा

2005 में, सीमाशुल्क आयात लेन-देन में जोखिम प्रबन्धन प्रणाली (आरएमएस) की शुरुआत के साथ विभाग ने सीमाशुल्क हाऊस में पश्च मंजूरी लेखापरीक्षा आधारित लेन-देन की शुरुआत की। इस इनहाउस लेखापरीक्षा के अनुभव के साथ आरएमएस सुविधा में और वृद्धि की आवश्यकता है ताकि जिससे समुदाय की खोज के कारण के समय और लेन देन लागत कम हो और लेखापरीक्षा करने पर पुनः विचार हो। इसके परिणामस्वरूप, वित्त अधिनियम 2011 में उपयुक्त विधायी परिवर्तन हुए ताकि आयातक/निर्यातक के परिसर में रिकार्ड आधारित लेखापरीक्षा को समर्थन मिले जैसाकि वर्तमान में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के मामले में किया गया है। इस नई लेखापरीक्षा को स्थल पर पश्च मंजूरी लेखापरीक्षा या

- (iv) Excise, Customs and Service Tax Budgets from 1986 to 2012 with Finance Minister's Speeches and Highlights of Budget Changes.
- (2) ExCus CD having material related to Customs, Excise & Service Tax in the form of notifications, circulars and case laws which are helpful in finalizing the Audit Report material and various other Customs wing issues.
- (3) ExCus contains: -
 - (i) Summary
 - (ii) Suggestion Box
 - (iii) Court List/Judges List and Party List
 - (iv) History and Search History
 - (v) Bookmark Facility
 - (vi) Compatible with Microsoft products
 - (vii) Head notes, Courtroom Highlights

1.5 It is difficult to have a manual which can cover all aspects of the Customs functions in one place. In this Section, an attempt has been made to give an idea of the areas of work of Customs briefly with focus on the areas which are related to audit. For each area of Customs, specific audit checks required for the area are included for convenience, along with interesting audit objections, wherever available. Relevant Supreme Court decisions related to the area of work of Customs, whenever available, are also included. Considering the importance, various export promotion schemes are also covered.

On –Site Post Clearance Audit by the Customs Department for Internal Audit

In 2005, with the introduction of Risk Management System (RMS) in Customs import transactions, the department introduced a transaction based Post Clearance Audit in Customs Houses. The experience of this in-house audit as well as the need to further increase RMS facilitation to reduce the dwell time and transaction costs for tracking community led to a re-thinking on the conduct of audit. This resulted in suitable legislative changes in Finance Act, 2011 to support a record based audit at the premises of the importer/exporter, as is presently done in case of Central Excise and Service Tax. This new audit is referred to as On-Site Post Clearance Audit or OSPCA. For this purpose the Board has issued the ‘On-

ओएसपीसीए के रूप में जाना जाता है। इस उद्देश्य हेतु बोर्ड ने "आयातकों और निर्यातकों के परिसर पर स्थल पर पश्च मंजूरी लेखापरीक्षा विनियम, 2011" जारी किया है।

ओएसपीसीए के लिए प्राधिकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 17(6) से आया है और इसके स्पष्टीकरण की शर्तों में यह वित्त बिल 2011 अर्थात् 08.04.2011 के लागू होने के बाद निकाले गए माल पर लागू होगा। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के लिए लेन देन की उचित मात्रा का फायदा उठाते हुए, यह निर्णय लिया गया कि ओएसपीसीए 1 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ होगा।

ओएसपीसीए के लिए प्रभावी आरएमएस की आवश्यकता है जो अब तक निर्यातकों के लिए लागू नहीं है। इस प्रकार, यह परिकल्पित है कि ओएसपीसीए केवल मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) के तहत आयातकों के लिए केवल चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। ओएसपीसीए की अन्य आयातकों/निर्यातकों के लिए विस्तारण की बोर्ड द्वारा समय-समय पर घोषणा की जाएगी।

ओएसपीसीए नियमावली में परिकल्पित है कि ओएसपीसीए एक 'लेखापरीक्षक' सीमाशुल्क के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया हो उस जगह पर जहां आयातक या निर्यातक द्वारा उसके आयातक/निर्यातक कोड (आईईसी) में दिए गए पंजीकृत कार्यालय/परिसरों सहित आयातक या निर्यातक द्वारा आयातक या निर्यातक माल और लेखों से संबंधित बहियाँ, लेन-देन के अभिलेख और अन्य दस्तावेज सामान्यतया रखे जाते हों।

नियमपुस्तिका में ओएसपीसीए के कार्यक्षेत्र में प्रविष्टि के बिल, शिपिंग बिल, बीजक, पैकिंग सूची, आयात लाइसेंस, बही खाते और लेन-देन के आयात और निर्यात माल से संबंधित अन्य रिकार्ड की जांच सम्मिलित करने की परिकल्पना की गई है जिससे उस पर शुल्क के निर्धारण की स्टीकता और शुद्धता की जांच की जा सके और इसमें परिसर यदि उपलब्ध हो तो माल का निरीक्षण सम्मिलित हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए लेजर, दैनिक बहियों, रोकड बहियों, खाता बहियों और अन्य लेखे चाहे वह लिखित या प्रिंट रूप में रखे हों और डाटा फ्लापी, डिस्क, टेप, कंप्यूटर, पेन ड्राइव या अन्य किसी तरीके से इलैक्ट्रो-मेगनेटिक स्टोरेज डिवाइस से रखा हो, सुसंगत होगा।

(स्रोत: विभागीय सीमाशुल्क आनसाइट पोस्ट क्लीयरेंस आडिट, 2011 के लिए नियमपुस्तिका)।

Site Post Clearance Audit at the Premises of Importers and Exporters Regulations, 2011’.

The authority for OSPCA flows from Section 17 (6) of the Customs Act, 1962 and in terms of its Explanation this shall apply to goods that are cleared after enactment of the Finance Bill, 2011 i.e. 08-04-2011. Thus, taking into account the advantage of having a reasonable quantum of transactions for audit, it has been decided that OSPCA shall begin from 1st **October, 2011**.

OSPCA requires the support of an effective RMS, which is so far not implemented for exporters. Therefore, it is envisaged that OSPCA shall begin in a phased manner only for imports under the Accredited Client Programme (ACP). The expansion of OSPCA to other importers/exporters shall be announced by the Board from time to time.

It is envisaged in the OSPCA manual that OSPCA shall be conducted by an ‘Auditor’, an Officer of Customs who is assigned the function of audit by the Commissioner of Customs at the place where imported or export goods and connected books of account, records of transaction and other documents are ordinarily kept by an importer or exporter including his registered office/premises indicated in his Importer/Exporter Code (IEC).

The manual states the scope of OSPCA to encompass examination of bills of entry, shipping bills, invoices, packing lists, import licences, books of account, and other records of transaction relating to imported and export goods, so as to check the accuracy and correctness of assessment of duty thereof and may include inspection of goods at the premises, if available. For this purpose, ledgers, day-books, cash books, account-books and other accounts whether kept in the written or printed form and data stored on a floppy, disc, tape, computer, pen drive or any other form in electro-magnetic data storage device will be relevant.

(Source: Departmental ‘Manual for Customs On-Site Post Clearance Audit 2011’).

अध्याय 2

सीमा शुल्क विभाग का संगठनात्मक ढांचा

2.1 राजस्व विभाग

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निम्नलिखित तीन विभागों में से सीमा शुल्क विभाग, राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है:

- (1) आर्थिक मामला विभाग
- (2) राजस्व विभाग
- (3) व्यय विभाग

राजस्व विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें से राजस्व संग्रहण सबसे महत्वपूर्ण है:

1. प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित सभी मामले।
2. अप्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित सभी मामले।
3. आर्थिक अपराधों की जांच पड़ताल और आर्थिक कानूनों को लागू करना।
4. अफीम इत्यादि की खेती, निर्यात और मूल्य निर्धारण के लिए नीति का निरूपण करना।
5. मादक द्रव्यों, नशीले पदार्थों और उनके अवैध रूप से लाने ले जाने के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रतिरोध।
6. फेमा लागू करने और कोफेपोसा अधिनियम के तहत कारावास की सिफारिश करना।
7. तस्करी और विदेशी विनियम छलसाधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 और नशीली औषधियों और मादक द्रव्य अधिनियम, 1985 के तहत सम्पत्ति के जब्त करने से संबंधित कार्य।
8. स्वर्ण नियंत्रण का अवशिष्ट कार्य
9. सीस्टेट से संबंधित मामले।

राजस्व विभाग के विभिन्न डिविजन/संगठन उपरोक्त कार्य करते हैं। सीमा शुल्क कार्य से संबंधित मुख्य संगठन और उनके कार्य निम्नानुसार हैं:

- **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड:** बोर्ड सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर और उपकर सहित अप्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित सभी मामलों को डील करता है।

Chapter 2

Organisational set-up of Customs Department

2.1. Department of Revenue

Of the following three departments of Ministry of Finance, Government of India, the Customs department functions under the Department of Revenue:

- (1) Department of Economic Affairs
- (2) Department of Revenue
- (3) Department of Expenditure

The Department of Revenue is entrusted with the following functions, of which collection of revenue is most important:

1. All matters relating to levy and collection of Direct Taxes.
2. All matters relating to levy and collection of Indirect Taxes.
3. Investigation into economic offences and enforcement of economic laws.
4. Formulating of policy for cultivation, export and fixation of price of Opium etc.
5. Prevention and combating abuse of Narcotic drugs, psychotropic substances and illicit traffic therein.
6. Enforcement of FEMA and recommendation of detention under COFEPOSA Act.
7. Work relating to forfeiture of property under Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
8. Residual work of Gold Control.
9. Matters relating to CESTAT.

Various Divisions/Organisations in the Department of Revenue perform the above functions. The principal Organisations dealing with Customs work and their functions are as under:

- **Central Board of Excise and Customs:** The Board deals with all matters relating to levy and collection of indirect taxes including Customs, Central Excise, Service Tax and Cess.

- **सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण:** अधिकरण कार्यकारी कमिशनर और कमीशनर (अपील) के आदेशों के प्रति अपीलों की सुनवाई करता है।
- **केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:** ब्यूरो का मुख्य कार्य आसूचना एकत्रण कार्य, जांच प्रयासों और संबंधित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन करवाई के साथ आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जांच का समन्वय और सुदृढ़ करना है।
- **निपटान आयोग (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद):** आयोग सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत निर्धारितियों द्वारा फाइल किए गए निपटान के आवेदनों को डील करता है।
- **परिशोधन आवेदन यूनिट:** यूनिट सीमा शुल्क कमिशनर (अपील) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमीशनर (अपील) और सीबीईसी के विरुद्ध 11.10.1982 से पहले फाइल किए गए मामलों के आदेशों के प्रति फाइल किए गए संशोधन आवेदनों से संबंधित कार्यों को डील करता है।
- **नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो:** ब्यूरो का मुख्य कार्य मादक औषधियों और नशीले पदार्थों और ऐसे पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकना और प्रतिरोध करना है।

2.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) भारत सरकार वित्त, मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक भाग है। यह सीबीईसी के दायरे के तहत सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के उद्ग्रहण और संग्रहण, तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक से संबंधित मामलों के प्रशासन से संबंधित नीति तैयार करता है। बोर्ड सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरियों और केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने सहायक संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी है।

सीबीईसी की प्रमुखता अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसमें निम्नलिखित पद/सदस्य होते हैं:-

- (i) सदस्य (सीमाशुल्क) और सदस्य (क्रांमिक एवं सर्तकता) का अतिरिक्त प्रभार
- (ii) सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कम्प्यूटरीकरण)
- (iii) सदस्य (सेवा कर)
- (iv) सदस्य (बजट) और – सदस्य (विधिक और न्यायिक) का अतिरिक्त प्रभार

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्य का आबंटन अनुबंध 4 में दर्शाया गया है।

- **Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal:** The Tribunal hears appeals against the orders of executive Commissioners and Commissioners (Appeals).
- **Central Economic Intelligence Bureau:** The main function of the Bureau is to coordinate and strengthen the intelligence gathering activities, the investigative efforts and enforcement action by various agencies concerned with investigation into economic offences and enforcement of economic laws.
- **Settlement Commission (Customs and Central Excise):** The Commission deals with the settlement applications filed by the assesseees under the Customs Act 1962 and the Central Excise Act 1944.
- **Revision Application Unit:** The unit deals with work relating to revision applications filed against the orders of Commissioners of Customs (Appeals) and Commissioners of Central Excise (Appeals) and the cases filed before 11.10.1982 against CBEC.
- **Narcotics Control Bureau:** The main function of the Bureau is to prevent and combat abuse of narcotic drugs and psychotropic substances and illicit traffic in such substances.

2.2 Central Board of Excise and Customs: Central Board of Excise and Customs (CBEC) is a part of the Department of Revenue under the Ministry of Finance, Government of India. It deals with the formulation of policy concerning levy and collection of Customs and Central Excise duties and Service Tax, prevention of smuggling and administration of matters relating to Customs, Central Excise and Narcotics to the extent under CBEC's purview. The Board is the administrative authority for its subordinate organizations, including Customs and Central Excise Commissionerates and the Central Revenues Control Laboratory.

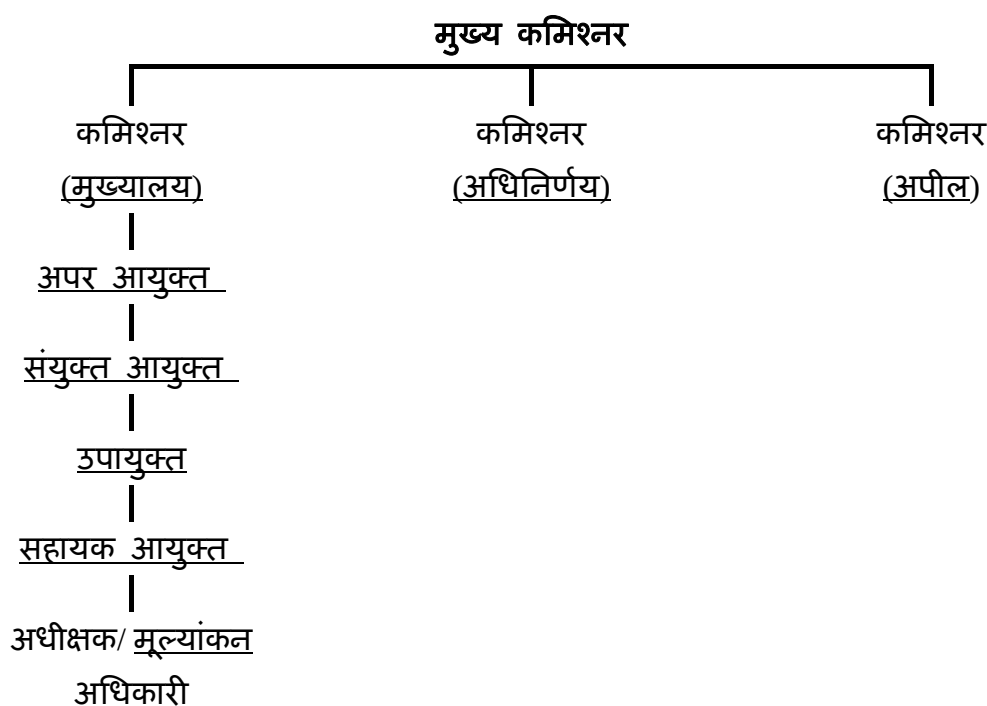
The CBEC is headed by the Chairperson and consists of the following posts/members:-

- (i) Member (Customs) and additional charge of Member (Personnel & Vigilance)
- (ii) Member (Central Excise and Computerisation)
- (iii) Member (Service Tax)
- (iv) Member (Budget) and additional charge of Member (Legal and Judicial)

Allotment of work amongst the Chairman and Members of Central Board of Excise and Customs is shown in **Annexure 4**.

2.3. सीबीईसी के तहत सीमा शुल्क विभाग की क्षेत्रीय संरचना: मुख्य आयुक्त और महानिदेशक सीबीईसी सीमा शुल्क मामलों में उसके प्रशासनिक और कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सीबीईसी की सहायता करते हैं। मुख्य आयुक्त का अपने जोन के कमिशनरों और कमिशनर (अपील) पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। मुख्य कमिशनरों के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के तहत, सीमा शुल्क कमिशनर की अध्यक्षता में सीमा शुल्क कमिशनरियां अपने कार्यकारी कार्यों का निर्वहन करती हैं।

सीमा शुल्क विभाग का क्षेत्रीय संगठन निम्नवत् होता है:

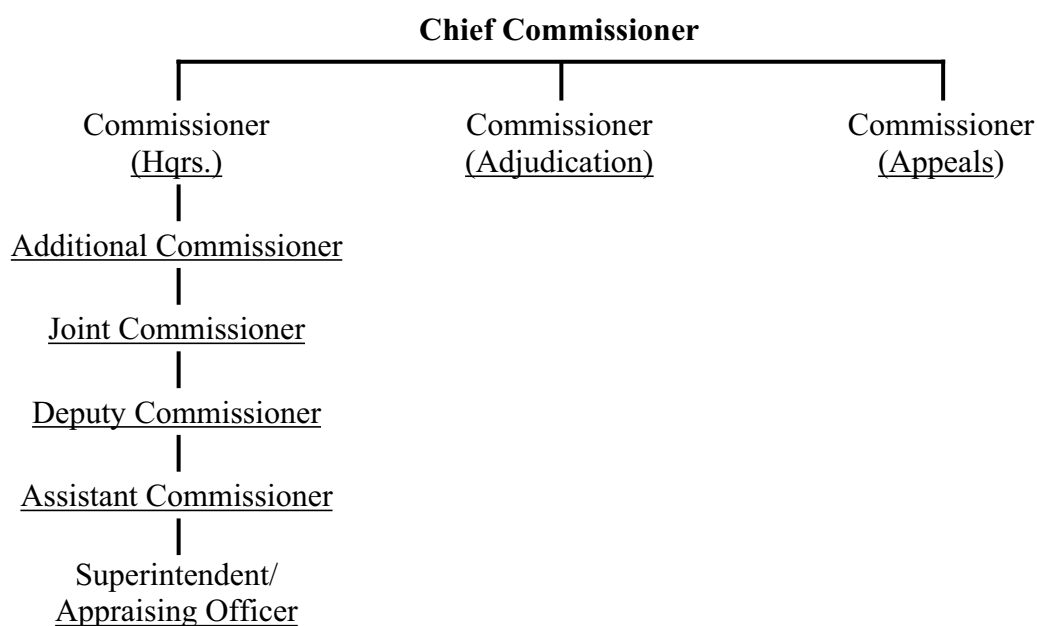


सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरियां जो पूरे देश में फैली हैं बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्यकारी कार्यों का निष्पादन करती हैं। चार मुख्य सीमाशुल्क हाऊसस (मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता और कोचीन में) हैं। 86 कमिशनरियां मुख्य रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 96 सीमा शुल्क कमिशनरियाँ समुद्री बंदरगाहों, अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों और अन्य जगहों पर मुख्य रूप से सीमाशुल्क कार्य प्रबंधन करने वाली हैं।

मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त के पद 1988 से सृजित किए गए हैं। तथापि उसकी शक्तियाँ मुख्य रूप से पर्यवेक्षी प्रकृति की हैं। विभाग के नियमित कार्य के लिए मुख्य प्रशासनिक शक्तियाँ अधिनियमों और नियमों के तहत आयुक्तों को सौंपी गई हैं। आयुक्त इन शक्तियों में से कुछ अपने सहायक अधिकारियों, जैसे अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त सहायक/उपायुक्त और पर्यवेक्षक और कुछ हद तक इन्सपेक्टर को सौंप सकता है। आयुक्त,

2.3. Field formation of Customs Department under CBEC: The Chief Commissioners and the Director Generals assist the CBEC in the performance of its administrative and executive functions in customs matters. Chief Commissioner has administrative control over Commissioners and Commissioner (Appeals) within his zone. Under the overall supervision of Chief Commissioners, the customs commissionerates, headed by a Commissioner of Customs, discharge executive functions.

The Customs department has the field formation as under:



The Commissionerates of Customs and Central Excise which are spread over the country perform the executive functions entrusted by the Board. There are four major Customs Houses (at Mumbai, Chennai, Calcutta and Cochin). There are 86 commissionerates concerned mainly with Central Excise and 96 Customs commissionerates at sea ports, international airports and other places mainly handling Customs work.

Posts of Chief Commissioner of Customs have been created since 1988. However, his powers are mainly supervisory in nature. Main administrative powers for routine working of department are delegated to 'Commissioner' under the Acts and Rules. Commissioner can further delegate some of these powers to his subordinate officers like Additional Commissioner, Jt. Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant/Deputy Commissioner and Superintendent and to some extent to Inspector. The Commissioner, Additional Commissioner, Dy.

अपर आयुक्त, उपायुक्त और सहायक आयुक्त के पास विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने और उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनिर्णय की शक्तियां भी हैं।

सीमाशुल्क अधिकारियों का नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड है। सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र अधिसूचना सं. 14/2002 सी.शु. (एनटी) दिनांक 7.3.2002, यथासंशोधित (अनुबंध 5) के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे।, सीमा शुल्क के आयुक्तों के संबंध में क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार अधिसूचना सं. 15/2002-सी.शु. (एनटी) दिनांक 7.3.2002, यथा संशोधित (अनुबंध 6) के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अधिनिर्णय प्राधिकारी के रूप में मुम्बई, दिल्ली और कोलकाता में सीमाशुल्क आयुक्त (अधिनिर्णय) की नियुक्ति विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क हाऊसस में की थी। इनमें से प्रत्येक आयुक्त का क्षेत्राधिकार बोर्ड द्वारा उन्हें दिए गए अधिनिर्णय मामलों के उद्देश्य से, पूरे भारत में है। इसी प्रकार, कुछ विनिर्दिष्ट स्थानों पर सीमा शुल्क आयुक्त से छोटे पद पर सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा पारित निर्णयों या आदेशों के संबंध में विवाद सुलझाने के लिए सीमाशुल्क आयुक्त (अपील) की नियुक्ति मुख्य आयुक्त के अन्तर्गत की जाती है। महानगरीय शहरों में और अन्य औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर 11 अपीलीय आयुक्तालय हैं। ऐसे आयुक्तों की नियुक्ति, उनके क्षेत्राधिकार सहित (दिनांक 7.3.2002 की अधिसूचना 16/2002 (एनटी) यथा संशोधित) अनुबंध 7 में दी गई है।

आयुक्तालयों के अलावा, महानिदेशक/निदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता वाले निम्न सहायक कार्यालय विभिन्न सहायक गतिविधियाँ प्रदान करने के लिए बोर्ड के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

- राष्ट्रीय सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स अकादमी
- महानिदेशक निरीक्षण
- महानिदेशक राजस्व गुप्तचर विभाग
- महानिदेशक अपवचन रोधी
- महानिदेशक सतर्कता
- महानिदेशक सेवा कर
- केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला
- संगठन और प्रबंधन निदेशालय
- सांख्यिकीय और आसूचना निदेशालय
- निवारक संक्रिया निदेशालय
- प्रचार और जन संपर्क निदेशालय
- मूल्यांकन निदेशालय

Commissioner and Assistant Commissioner also have adjudicating powers of deciding various matters and passing suitable orders.

The Board is the appointing authority of the officers of Customs. The areas of jurisdiction of the Chief Commissioners of Customs were notified through Notification No. 14/2002-Cus (NT) dated 7.3.2002, as amended (**Annexure 5**). The areas of jurisdiction in respect of Commissioners of Customs were notified through Notification No. 15/2002-Cus (NT) dated 7.3.2002, as amended (**Annexure 6**).

In addition, board appointed Commissioner of Customs (Adjudication) at Mumbai, Chennai, Delhi and Kolkata as adjudicating authority at specified Customs Houses. Each of these Commissioners has the jurisdiction over the whole of India, for the purpose of adjudicating the cases as assigned to them by the Board. Similarly, at certain specified places, Commissioners of Customs (Appeals) are appointed under the Chief Commissioner to resolve disputes in respect of decisions or orders passed by an officer of Customs lower in rank than a Commissioner of Customs. There are 11 Appellate Commissionerates situated in the metropolitan cities and other industrially important places. Appointment of such Commissioners, with their jurisdiction [Notification 16/2002 (NT) dated 7.3.2002 as amended] is given in **Annexure 7**

Besides the Commissionerates, the following subordinate offices headed by Director General/ Director/Commissioner function under the Board in providing different ancillary activities:

- National Academy of Customs, Excise & Narcotics
- Directorate General of Inspection
- Directorate General of Revenue Intelligence
- Directorate General of Anti – Evasion
- Directorate General of Vigilance
- Directorate General of Service Tax
- Central Revenues Control Laboratory
- Directorate of Organization and Management
- Directorate of Statistics and Intelligence
- Directorate of Preventive Operations
- Directorate of Publicity and Public Relations
- Directorate of Valuation

- प्रणाली निदेशालय
- महानिदेशक लेखापरीक्षा

संक्षेप में इनके कार्य अनुबंध 8 में दिये गये हैं।

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रावधानों के निष्पादन में, सीमा शुल्क विभाग के अलावा कुछ अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 151 की शर्तों में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करने में भी सशक्त हैं। प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नौसेना, पुलिस और केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के अधिकारी जैसा कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना में निर्दिष्ट है, कर्तव्य के निष्पादन में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करने में सशक्त हैं।

2.4 सीमाशुल्क विभाग के कार्य

सीमा शुल्क के कार्य व्यापार एवं उद्योग और सामान्य जनता को प्रभावित करते हुए काफी बड़ा क्षेत्र कवर करते हैं। सीमा शुल्क अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों और सामान्य जनता, आयातक और निर्यातक, व्यापारी और निर्माता, संवाहक, पोत और हवाईअड्डा प्राधिकारी, डाक अधिकारी और विभिन्न अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी एजेंसियों, बैंकों इत्यादि के संपर्क में आते हैं।

भारत के संविधान ने केन्द्र सरकार को आयात और निर्यात पर नियम बनाने और शुल्क संग्रहण का अधिकार दिया है। सीमा शुल्क पोत, हवाईअड्डा और निवारण आयुक्तालय पूरे देश में फैले हैं, और इन्हें सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के कार्य निर्दिष्ट किए हैं जिनमें सीमा शुल्क उद्ग्रहण और संग्रहण अपने क्षेत्राधिकार में प्रवर्तन कार्य सम्मिलित हैं। सीमा शुल्क के कार्य मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किए जा सकते हैं:-

- (i) मूल सीमाशुल्क कानूनों (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975); के अनुसार आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण,
- (ii) कार्गो को आयात और निर्यात, डाक संबंधी सामान और जहाजों, हवाई जहाजों का आगमन और प्रस्थान इत्यादि को शासित करने वाले सीमा शुल्क अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का प्रवर्तन;
- (iii) विभिन्न एजेंसी कार्यों का निर्वहन और सीमा शुल्क अधिनियम और अन्य सहायक अधिनियमों के तहत आयात और निर्यात पर विभिन्न प्रतिबंध और रोक लागू करना;
- (iv) नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर रोक सहित और तस्करी रोकना; और
- (v) अन्तर्राष्ट्रीय यात्री प्रोसेसिंग।

- Directorate of Systems
- Directorate General of Audit

Their functions in brief are given in **Annexure 8**.

In execution of provisions under the Customs Act, certain Officers, other than those in the Customs department, are also empowered to assist Customs officers in terms of Section 151 of Customs Act. As per the provision, officers of Central Excise, Navy, Police and officers of Central or State Governments or local authority as specified in notifications of Central Government, are empowered to assist the officers of Customs in execution of duty.

2.4 Functions of Customs Department

Activities of Customs cover substantial areas affecting trade & industry and general public. Customs officials come in contact with international passengers and general public, importers and exporters, traders and manufacturers, the carriers, the port and airport authorities, postal authorities and various other Government/semi-Government agencies, Banks etc.

The Constitution of India has given the Central Government the right to legislate and collect duties on imports and exports. The Commissionerates of Customs Ports, Airports and Preventive spread all over the country, are assigned the functions of implementation of the provisions of Customs Act, 1962 and the allied Acts which include levy and collection of customs duties and enforcement functions in their jurisdictions. Functions of Customs can be broadly classified as under:

- (i) levy and collection of customs duties on imports and exports as per basic Customs laws (Customs Act, 1962 and Customs Tariff Act, 1975);
- (ii) enforcement of the various provisions of the Customs Act governing imports and exports of cargo, baggage, postal articles and arrival & departure of vessels, aircraft, etc,
- (iii) discharge of various agency functions and enforcing various prohibitions and restrictions on imports and exports under Customs Act and other allied enactments;
- (iv) prevention of smuggling including interdiction of narcotics drug trafficking; and
- (v) international passenger processing.

सीमा शुल्क प्राधिकरण को अन्तर्राष्ट्रीय यातायात को उचित और प्रभावी तरीके से संभालने की आवश्यकता है जिससे प्रशासनिक रूप से यह संभव हो सके कि समुद्र, वायु या रेल द्वारा भारत में आने वाले और सड़क से देश के बाहर जाने वाले आयातित या निर्यातित कार्गो/माल और यात्री भारत में प्रवेश/प्रस्थान से पूर्व संबंधित सभी कानूनों का अनुपालन कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और सुसंगत कानून संवाहक/यात्री इत्यादि के प्रवेश/प्रस्थान को विनियमित करते हैं। अधिनियम देश में या बाहर जहाजों/हवाईजहाजों/माल/यात्री इत्यादि विभिन्न वर्गों का प्रवेश/प्रस्थान को शासित/विनियमित करता है। आयात और निर्यात के संबंध में कार्यों के निर्वहन के लिए सीमा शुल्क अधिकारी जहाजों/हवाईजहाजों इत्यादि से लदान/उतराई, कन्टेनरों को भरने या खाली करने, सीमा शुल्क निकासी से पहले माल के निरीक्षण और जांच का पर्यवेक्षण करते हैं।

सीमा शुल्क आयुक्त (आपील) सीमा शुल्क से संबंधित मामलों पर ध्यान देते समय आयुक्त से छोटे पद के अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अधिनिर्णय, के प्रति अपील का निपटान करता पड़ता है।

2.5 सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सामान्य विशेषताएँ और संबंध

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग दोनों वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क (सीबीईसी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत हैं। दोनों में शुल्क लगाने की शक्तियां संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (प्रविष्टि 82 और 83) से ली गई हैं।

मुख्य आयुक्त से सहायक आयुक्त स्तर से वही अधिकारी समान प्रकार के संगठनात्मक ढांचे के साथ दोनों विभागों में कार्य करते हैं। उत्पाद शुल्क से सीमा शुल्क संगठन में स्थानांतरण सामान्य हैं। कई स्थानों पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दोनों के लिए मुख्य आयुक्त एक ही रहता है। उत्पाद शुल्क के अधिकारी दूरस्थ स्थानों में सीमा शुल्क के निवारक कार्य करते हैं। पुनः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संरचनाएं सीमा शुल्क के कार्यों की मॉनिटरिंग करती हैं जहां सीमा शुल्क कार्यालय नहीं हैं और जहां बोर्ड ऐसी गतिविधि प्राधिकृत करता है। सीमा शुल्क बांडिड यूनिटें जैसे 100% इओयूएसईजेड और एसटीपी के मामले में उत्पाद शुल्क के साथ साथ सीमा शुल्क संरचनाएं सीबीईसी द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार के अनुसार मॉनिटरिंग कार्यवाही करती हैं।

आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के तहत उद्ग्राह्य सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सामान्य रूप से प्रतिकारी शुल्क के नाम से जाना जाता है) भारत में निर्मित माल पर उद्ग्राह्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समान होता है। माल का वर्गीकरण और सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम दोनों में वर्गीकरण के सिद्धान्त एचएसएन पर आधारित हैं। एमआरपी आधारित निर्धारण या टैरिफ मूल्य (सरकार

Customs authority is required to handle international traffic properly and effectively and to make it administratively possible that all the cargo/goods imported or exported and passengers coming into India / going out of the country by sea, air, land or rail routes are complying with all the related laws before entry/ exit into/ from India. In tune with international practice, the Customs Act, 1962 and the relevant laws regulate the entry/ exit of carriers/ passengers etc. The Act also governs/ regulates entry/ exit of different categories of vessels/ crafts/ goods/ passengers etc, into or outside the country. To discharge functions in relation to imports and exports, Customs officers supervise loading /unloading from vessels/ crafts etc, stuffing or de-stuffing of containers, inspect and examine the goods before customs clearance.

Commissioner of Customs (Appeals) has to deal with appeals against adjudication orders passed by the officers lower in rank than Commissioners in course of attending to matters relating to Customs.

2.5 Customs and Central Excise- Common features and links

Both Customs and Central Excise departments are under the administrative control of Central Board of Excise and Customs (CBEC) of the Ministry of Finance. The powers to levy duties in both are derived from Union List of the Seventh Schedule to Constitution (Entry 82 and 83).

The same executives, from Chief Commissioner to Assistant Commissioner level, serve both the departments with organizational set up much the same. Transfers from Excise to customs formation are common. Chief Commissioner remains the same for both Excise and customs in many places. The officers of central Excise perform preventive function of Customs in remote areas. Again, Central Excise formations exercise monitoring function of Customs in places with no customs office and also where the Board authorises such activity. In the case of Customs bonded units like 100% EOU, SEZ and STP, Central Excise as well as Customs formations exercise monitoring activity as per jurisdiction fixed by the CBEC.

The additional duty of customs (commonly called countervailing duty) leviable under Section 3(1) of Customs Tariff Act, 1975 on imported articles is the same as the central Excise duty levied on goods manufactured in India. Classification of goods as also the principles of classification in both Customs and Central Excise Tariff Acts are based on HSN. 'Assessable Value' of goods, other than MRP based assessment or tariff value (fixed by the Government), is

द्वारा निर्धारित) के अलावा माल का 'निर्धारण योग्य मूल्य' का निर्धारण समान सिद्धान्तों पर किया जाता है, क्योंकि दोनों मुख्य रूप से लेन देन मूल्य पर आधारित हैं। सीमा शुल्क अधिकारी या विकास आयुक्त, जैसा भी मामला हो, उत्पाद शुल्क के बराबर शुल्क घिरती या पहले दत्त टर्मिनल उत्पाद शुल्क का भुगतान करता है।

100% डेओयू में निर्मित माल, जब डीटीए में बेचा जाता है, तो वह सीमाशुल्क के बराबर उत्पाद शुल्क का दायी होता है। पुनः एक निर्माता द्वारा अधिप्राप्त आयातित माल, आयात के समय दत्त अतिरिक्त शुल्क की राशि के सेनवेट क्रेडिट के लिए हकदार होता है। जब माल का निर्यात किया जाता है, सीमाशुल्क अधिकारी या विकास आयुक्त, जैसा भी मामला हो, उत्पाद शुल्क के बराबर शुल्क फिरती या पहले दत्त टर्मिनल उत्पाद शुल्क का भुगतान करता है।

कम उगाही या उगाही न करने या गलती से प्रतिदाय की वसूली के लिए मांग दावे के प्रावधान समान हैं। शुल्क के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज की उगाही के संबंध में प्रावधान भी समान हैं।

सीस्टेट सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों के मामले में अपीलीय प्राधिकार है। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों मामलों के निपटान हेतु निपटान आयोग और एडवांस रूलिंग प्राधिकारी के संबंध में प्रावधान भी समान हैं।

2.6 सीमा शुल्क संगठन में कम्प्यूटरीकरण

आयात/निर्यात परेषणों की जल्द मंजूरी और केन्द्रीकृत/संरचित प्रारूपों में इलैक्ट्रानिक रूप से सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने, पूरे भारत में सीमा शुल्क हाउसस में मे सटीकता प्रदान करने और निर्धारण में एकरूपता लाने और सीमा शुल्क को अन्य एजेंसियों से मिलाने के लिए भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को विकसित और परिचालित किया गया था।

आईसीईएस जिसे सामान्य रूप से ईडीआई (इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज) के नाम से जाना जाता है, का लक्ष्य कम्प्यूटर के माध्यम से आयात और निर्यात परेषणों के लिए दस्तावेजों की कागज रहित प्रोसेसिंग है। इस प्रणाली के तहत, दस्तावेज एक अधिकारी से दूसरे के पास इलैक्ट्रानिक रूप से कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से भेजे जाते हैं और इस प्रकार कागजी कार्य को हटाना, उत्पादकता में सुधार और सीमा शुल्क विभाग में दक्षता आती है। यह दस्तावेजों की जल्दी प्रोसेसिंग से व्यापार को सुविधाजनक बनाता है और इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को सरल बनाता है और कम समय लेता है। आईसीईएस साफ्टवेयर पैकेज आयातकों, निर्यातकों और सीमा शुल्क हाउस एजेंटों से सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रोसेसिंग हेतु इलैक्ट्रानिक रूप से सीमा शुल्क दस्तावेज स्वीकार करता है। सिस्टम प्रभावी आयात और निर्यात पर निरन्तर और टिकाऊ डाटाबेस और विभिन्न सीमा शुल्क हाउसस द्वारा अपनाई जाने

determined following similar principles, as both are based mainly on 'transaction value'.

Goods manufactured in a 100% EOU, when sold in DTA, are liable to Excise duty equal to customs duty. Again, a manufacturer procures imported goods is entitled to CENVAT credit of an amount of additional duty paid at the time of importation. When goods are exported, Customs authority or the Development Commissioner, as the case may be, pays the duty drawback equal to Excise duty or the terminal Excise duty paid earlier.

Provisions for raising demand for short levy or non-levy or recovery of erroneous refund is similar. Provisions in respect of levy of interest for delayed payment of duty are also similar.

CESTAT is the appellate authority in respect of both customs and central Excise matters. Provisions in respect of Settlement Commission and Authority for Advance Ruling for deciding both customs and central Excise matters are also same.

2.6 Computerisation in Customs Organisation

To facilitate faster clearance of import/ export consignments and exchange of information electronically in centralized/ structured formats, provide accuracy as also uniformity of assessment in Customs Houses all over India and integrating Customs with other agencies, Indian Customs EDI System (ICES) was developed and made operational.

The ICES, commonly known as EDI (Electronic Data Interchange), is aimed at paperless processing of documents for import and export consignments through computer. Under this system, the documents move from one officer to another electronically through the Computer System and thus, eliminate paperwork, improve productivity and efficiency of Customs Department. It also facilitates the trade in processing the documents faster thereby simplifying the whole procedure and consuming less time. The ICES software package accepts Customs documents electronically from the Importers, Exporters and Custom House Agents for processing by the Customs Officers. The system maintains a continuing and durable database on imports and exports effected and also provide information on classification and valuation practices adopted at different Custom Houses. It envisages elimination of divergent practices in the application of Customs law and

वाली वर्गीकरण मूल्यांकन प्रथाओं पर सूचना भी प्रदान करता है। यह सीमा शुल्क कानून और प्रक्रियाओं को लागू करने में विभिन्न प्रथाओं को रोकने, माल की प्रत्यक्ष जांच न्यूनतम करने और कुछ भुगतानों जैसे शुल्क फिरती के वितरण को सीधे बैंक के माध्यम से करने का ध्यान रखता है। सिस्टम राजस्व प्राप्ति की बारिकी से मानीटरिंग और दास्तावेजों और माल की निकासी की प्रगति में भी समर्थ हैं। ईडीआई प्रणाली ने बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिलों की प्रोसेसिंग की मैनुअल प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से बदल दिया है।

सीबीईसी के अन्तर्गत महानिदेशक सिस्टम्स एंव डाटा मैनेजमेंट नई दिल्ली 1997 से कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का समग्र नियोजन और कार्यान्वयन कार्य देख रहा है। यह संगठन, सदस्य (सीमा शुल्क) के पर्यवेक्षण के तहत नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की सहायता से सिस्टम के कार्यान्वयन, मानीटरिंग और विकास के लिए केन्द्रक प्राधिकारी है। सिस्टम का अनुरक्षण एनआईसी करती है। प्रारंभ में, जनवरी 1994 में कस्टम हाऊस नई दिल्ली में आईसीईएस के माध्यम से आयात और निर्यात के लिए आनलाइन निर्धारण परिचालित किया गया जिसे बाद में अन्य कस्टम हाऊस में विस्तारित किया गया।

निदेशालय ने देश के अन्य सीमा शुल्क स्थानों बंदरगाहों, हवाईअड्डों और आईसीडीज़ पर सिस्टम के विस्तारण और अन्य विकास गतिविधियों का कार्य किया। कानून, नीतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन को देखते हुए सिस्टम विस्तारण को लगातार संशोधित किया गया जिससे बाकी गतिविधियों और नई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। निदेशालय ने सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए आयात और निर्यात प्रबन्धन हेतु भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई सिस्टम पर एक नियमपुस्तक भी बनाई है।

‘जोखिम प्रबन्धन सिस्टम’ (आरएमएस) आईसीईएस सुविधा के साथ मुख्य सीमाशुल्क स्थानों पर 2005 में प्रारंभ किया गया था जिसको प्राथमिक उद्देश्य अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं और प्रवर्तन के बीच संतुलन बनाना था। सिस्टम का अभिप्राय अननुपालन करने वालों के प्रति कड़े प्रवर्तन नियम प्रदान करते हुए अननुपालन करने वाले आयातकों के लिए समय और लेन देन लागत में कमी करना है।

अन्य उद्देश्य दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाते हुए विभाग के संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के बराबर लाना है।

तदनुसार नियमित निर्धारण समवर्ती लेखापरीक्षा और लगभग सभी प्रविष्टि के बिलों की जांच की वर्तमान प्रथा को समाप्त कर दिया गया है इस प्रकार, सम्पूर्ण ध्यान गुणवत्ता निर्धारण सिस्टम द्वारा चयनित प्रविष्टियों के बिलों की जांच और पश्च मंजूरी पर चला गया है।

procedures, minimises physical examination of goods and disbursement of certain payments like duty drawback, directly through Bank. The system enables close monitoring of revenue realization as also progress in clearance of documents and goods. The EDI system replaced the manual procedures of processing of bills of Entry and Shipping Bills in a phased manner.

The Directorate General of Systems & Data Management, New Delhi under the CBEC, has been looking after the overall planning and implementation of the computerization programme since 1997. The organization, under the supervision of Member (Customs), is the nodal authority for implementation, monitoring and development of the system with the support of National Informatics Centre (NIC). The system is maintained by the NIC. The on-line assessment for import and export clearance through ICES was initially made operational at Custom House, New Delhi in Jan. 1994 and subsequently extended over other Customs Houses.

The Directorate took up further development activities and expansion of Systems to other Customs locations of the country at Ports, Airports and ICDs. The system was modified continuously to bring in remaining activities and new requirements, keeping in view change in law, policies and procedure. The Directorate brought out a Hand Book on Indian Customs EDI System for Customs officers for handling Imports and Exports.

The 'Risk Management System' (RMS) was introduced in 2005 in major Customs locations with ICES facility with the primary objective of striking optimal balance between facilitation and enforcement to promote a culture of compliance. The system intends to reduce the dwell time and transaction costs significantly for compliant importers, while providing stringent enforcement against non-compliant ones.

Another objective is to improve the management of the resources of the department by enhancing efficiency and effectiveness and to bring the Customs processes at par with the best international practices.

Accordingly, the present practice of routine assessment, concurrent audit and examination of almost all Bills of Entry has been discontinued thus shifting focus on quality assessment, examination and Post Clearance Audit of Bills of Entry selected by the System.

अध्याय 3

आयात

3.1 प्रस्तावना

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(23) में 'आयात' को भारत के बाहर किसी जगह से भारत में लाए गए के रूप में परिभाषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त धारा 2(25) के अनुसार 'आयातित माल' का अर्थ है भारत के बाहर की जगह से भारत में लाया गया कोई सामान किन्तु इसमें वह सामान शामिल नहीं है जिसकी धरेलू खपत हेतु निकासी की गई हो।

आयात केवल महानिदेशक विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा जारी आयतक-निर्यातक कोड (आईसी) संख्या वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

3.2 सामान्य आयात मालसूची (आईजीएम) और आवक प्रविष्टि

आयात पर उचित और प्रभावी नियंत्रण पाने और विनियमित करने के लिए, सीमा शुल्क अधिनियम कुछ औपचारिकताएं लगाता है। आयातित कार्गो की उत्तराई हेतु देश के केवल अधिसूचित बंदरगाहों/हवाईअड्डों/भू-सीमा शुल्क स्टेशनों पर ही लाना होता है। (आईजीएम) को जहाज या हवाईजहाज के आगमन से पूर्व भरना अपेक्षित है (धारा 30)। मालसूची की विषय वस्तु आयात मालसूची (जहाज) विनियम, 1971 और आयात मालसूची (हवाईजहाज) विनियम, 1976 में निर्दिष्ट है। भू-सीमा शुल्क स्टेशनों के मामले में वाहन के प्रभारी व्यक्ति को सीमाशुल्क स्टेशन पर उसके आगमन के 12 घंटे के अंदर आयात रिपोर्ट देनी होती है। यदि सब कुछ ठीक पाया जाए और जहाज में रखने की जगह उपलब्ध हो तो सीमा शुल्क अधिकारी आवक प्रविष्टि देता है।

“जहां ईडीआई प्रणाली आरंभ की गई है, शिपिंग लाइन/स्टीमर एजेंट को सेवा केन्द्र में आईजीएम का इलेक्ट्रॉनिक्स रूप प्रस्तुत करना होता है। एयरलाइन भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आई.जी.एम. दाखिल कर सकती है।

मालसूची में शामिल होना चाहिए

- (i) एक सामान्य घोषणा पत्र,
- (ii) एक कार्गो घोषणा पत्र,
- (iii) जहाज की भंडार सूची, और
- (iv) मालिक, अधिकारियों तथा कर्मचारियों और यात्रियों के पास सम्पत्ति (निजी) की सूची।

Chapter 3

Imports

3.1 Introduction

‘Import’ is defined in Section 2(23) of the Customs Act, 1962, as bringing into India from a place outside India.

Further, as per Section 2(25), ‘imported goods’ means any goods brought into India from a place outside India but does not include goods which have been cleared for home consumption.

Import can only be made by any person with an Importer-Exporter Code (IEC) number issued by Director General of Foreign Trade (DGFT).

3.2 Import General Manifest (IGM) and Entry Inward

To regulate and have a proper and effective control on imports, the Customs Act imposes certain formalities. The imported cargo has to be brought into the country for unloading only at notified ports/airports/land customs stations. The Import General Manifest (IGM) is required to be filed prior to arrival of the vessel or aircraft (Section 30). The contents of the Manifest are specified in the Import Manifest (Vessels) Regulations, 1971 and Import Manifest (Aircraft) Regulations, 1976. In the case of Land Customs Stations, the person in charge of vehicle has to give ‘Import Report’, within 12 hours after its arrival at the Customs station. If everything is found to be in order and berthing accommodation is available to the ship, the Customs Officer grants Entry Inwards.

Where EDI system has been introduced, the Shipping line/Steamer Agent needs to submit the electronic version of I.G.M. at the service centre. The Airlines may also file I.G.M. through electronic mode.

The manifest should consist of

- (i) a general declaration,
- (ii) a cargo declaration,
- (iii) the vessel’s store list, and
- (iv) a list of property (private) in the possession of Master, Officers and crew and passengers.

कार्गो घोषणापत्र में अलग से शामिल होना चाहिए

- (i) उतारा जाने वाला कार्गो,
- (ii) अकेला सामान,
- (iii) ट्रांस शिप करने वाला सामान, और
- (iv) कुछ निचला या अवरोधित कार्गो

एक सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाईजहाज या भू सीमा शुल्क स्टेशन में उतारा गया सामान आयुक्त द्वारा अनुमोदित व्यक्ति के पास तब तक रहेगा जब तक -

- (i) शुल्क के भुगतान पर निकासी; या
- (ii) भंडारित; या
- (iii) ट्रांसशिप या अन्य भंडार गृह स्टेशन या सीमा शुल्क बंदरगाह पर ले जाया जाए; और
- (iv) इनलैंड कन्टेनर डिपो या कन्टेनर फ्रेट स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाए।

3.3 निर्धारण

निर्धारण आयात से संबंधित माल और अन्य दस्तावेजों की जाँच और माल के मूल्यांकन, माल के वर्गीकरण उनकी दर की प्रक्रिया है (धारा 17)। वित्त अधिनियम 2011 द्वारा, स्व निर्धारण आरंभ किया गया है। धारा 2(2), 17, 18, 46, 50, का संशोधन किया गया था।

घरेलू खपत और भंडारण हेतु सीमा शुल्क पोर्ट इत्यादि से माल की निकासी के लिए आयतक को आईजीएम या आयात रिपोर्ट की सुपुर्दगी के बाद किसी भी समय निर्धारित प्रारूप में प्रविष्टि का बिल (बीई) प्रस्तुत करना होता है। बीई को आईजीएम की सुपुर्दगी से पूर्व भी प्रस्तुत किया जा सकता है यदि जहाज या हवाई जहाज का ऐसे प्रस्तुतीकरण की तिथि से 30 दिन के अन्दर आगमन प्रत्याशित है (धारा 46)।

प्रविष्टि के बिलों को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (क) घरेलू खपत बीई
- (ख) इन्टो बांड या भंडारण बीई
- (ग) एक्स बांड बीई (घरेलू उपयोग के लिए भंडारण किए गए माल की निकासी हेतु)
- (घ) पूर्व-प्रविष्टि बीई (जहाज, हवाईजहाज की वास्तविक इनवार्डस प्रविष्टि से पूर्व फाइल किया गया बीई)

विभिन्न विभागों में औपचारिकताओं के बाद बीईज को सीमा शुल्क हाऊस में संबंधित निर्धारण ग्रुप को संबंधित माल की निकासी के लिए संवीक्षा और निर्धारण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। संवीक्षा में, निर्धारणकर्ता को यह पता लगाना होता है कि घोषणापत्र सही है, विवरण,

The cargo declaration should include separately

- (i) cargo to be landed,
- (ii) unaccompanied baggage,
- (iii) goods to be transhipped, and
- (iv) some bottom or retention cargo

Goods landed at a Customs Port, Airport or Land Customs station shall remain in the custody of a person approved by the Commissioner till -

- (i) cleared on payment of duty; or
- (ii) warehoused; or
- (iii) transhipped or moved to another warehousing station or customs port; or
- (iv) transferred to Inland Container Depot or Container Freight Station.

3.3 Assessment

Assessment is a procedure covering examination of goods and other documents connected with the import and valuation of the goods, classification of goods, deciding their rates and amounts of duty. (Section 17). By the Finance Act 2011, Self assessment has been introduced. Section 2(2), 17, 18, 46, 50 were amended.

For clearance of goods from Customs Port etc., for Home Consumption and Warehousing, the importer has to submit Bill of Entry (BE) in the prescribed form at any time after the delivery of the I.G.M. or import report. The BE may also be presented before the delivery of I.G.M. if the vessel or aircraft is expected to arrive within 30 days from the date of such presentation (Section 46).

Bills of Entry can be broadly categorized as under:

- (a) Home Consumption BE
- (b) Into-Bond or Warehousing BE
- (c) Ex-Bond BE (for clearance of warehoused goods for home consumption)
- (d) Prior-Entry BE (BE filed before actual Entry Inwards of vessel, aircraft).

After formalities in different departments, the BEs are presented to the concerned Appraising Group in the Customs House for scrutiny and assessment dealing with the commodity sought to be cleared. In scrutiny, the appraiser has to ascertain that the declarations are in order, the description, quantity, value and country of origin are correctly stated as in the invoices and also that the import license is produced. The appraiser also checks whether there are any restrictions or

मात्रा, मूल्य और मूल देश सही तरीके से बताए गए हैं जैसा कि बीजक में बताया गया है, आयात लाइसेंस भी प्रस्तुत किया गया है। निर्धारणकर्ता यह भी जांच करता है कि आयातित माल पर कोई प्रतिबंध या निषिद्धताएं हैं और क्या उन्हें किसी अनुमति/लाइसेंस/अनुज्ञापत्र इत्यादि की आवश्यकता है। कुछ मामलों में, जहां निर्धारणकर्ता प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से माल के विवरण के बारे में स्पष्ट नहीं है, माल की सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा डाक/एयर कार्गो काम्पलैक्स इत्यादि में जाँच की जाती है। इसे पहला निर्धारण कहा जाता है। निर्धारण उस रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।

ईडीआई सिस्टम के तहत संचालित सीमा शुल्क स्टेशन/बंदरगाह पर आयातक/सीएचए द्वारा प्रविष्टि के बिल सेवा केन्द्र के माध्यम से दर्ज किया जाना होता है, जिसे बीजक और पैकिंग सूची की प्रति के साथ हस्ताक्षरित धोषणा को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होता है। दस्तावेज रिमोट ईडीआई सिस्टम (आरईएस) के माध्यम से भी दर्ज किए जा सकते हैं।

सेवा केन्द्र पर डाटा प्रविष्टि के बाद एक “चैक लिस्ट” बनाई जाती है जिसे आयातक/सीएचए द्वारा सत्यापित किया जाना होता है और किसी त्रुटि का पता लगने पर उसे सुधारा जाता है और हस्ताक्षरित “चैक लिस्ट” को सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया जाना होता है। आरईएस के मामले में यदि त्रुटियाँ पाई जाती हैं तो सिस्टम डाटा को प्रमाणित करता है, और एक सूचना पार्टी को वापिस भेज दी जाती है। यदि डाटा जांच को पार कर लेता है, सिस्टम डाटा को स्वीकार कर लेता है और एक पावती आयातक/सीएचए को भेज दी जाती है।

उसके बाद प्रविष्टि के बिल संबंधित ग्रुप निर्धारणकर्ता की स्क्रीन पर दिखाई देता है। उसके बाद ग्रुप निर्धारणकर्ता मैन्युअल प्रक्रिया में दिए गए मानदण्डों के संबंध में सिस्टम पर प्रविष्टि के बिल का निर्धारण करता है। तथापि, सभी गणना सिस्टम द्वारा स्वयं की जाती हैं। इसके बाद बीई को लेखापरीक्षा निर्धारणकर्ता को प्रेषित किया जाता है। लेखापरीक्षा पूर्ण होने के बाद, बीई संबंधित ग्रुप सहायक आयुक्त की स्क्रीन पर दिखाई देती है। सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारण के आनुमोदन के बाद शुल्क के भुगतान के लिए सेवा केन्द्र पर टीआर-6 प्रिंट किया जाता है। टी आर-6 चलान के साथ जाँच आदेश भी प्रिंट किया जाता है।

यदि निर्धारणकर्ता टैरिफ वर्गीकरण/अधिसूचना/घोषित मूल्य इत्यादि के संबंध में आयातक से सहमत नहीं होता, तो वह इस संबंध में प्रश्न कर सकता है। आयातक/सीएचए को सेवा केन्द्र पर पूछताछ करनी चाहिए कि क्या उनके बीई के संबंध में कोई प्रश्न है और इसका उत्तर सेवा केन्द्र के माध्यम से देना चाहिए।

शुल्क का भुगतान नामित बैंक द्वारा किया जाता है।

शुल्क की राशि निकालने के लिए शामिल मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:-

prohibitions on the goods imported and whether they require any permission/license/permit etc. In some cases, where the appraiser is not very clear about the description of goods from the submitted documents, the goods are got examined by Customs Officer in the Dock/Air Cargo complexes etc. This is called First Appraisalment. Assessment is made on the basis of that report.

At Customs stations/ports operating under the EDI system, the Bill of Entry is to be filed through the Service Center by the Importer/CHA, who has to submit the signed declaration in a prescribed format along with copy of Invoice and Packing List. The document can also be filed through the Remote EDI System (RES).

After the data entry at the service center, a "Check List" is generated which is to be verified by the Importer/CHA and corrected in case any error is detected and the signed "Check List" is to be submitted in the Service Center. In case of RES, the system validates the data and if errors are found, a message is sent back to the party. If the data passes the check, the system accepts the data and an acknowledgment is sent to the Importer/CHA.

The Bill of Entry then appears on the screen of the respective Group Appraiser. The Group Appraiser then assesses the Bill of Entry on the system with regard to the parameters as given in the manual process. However, all the calculations are done by the system itself. The BE is then forwarded to the Audit Appraiser. After the Audit is complete, the BE appears on the screen of the concerned Group Assistant Commissioner. After the assessment is approved by the Assistant Commissioner concerned, TR-6 is printed at the Service Center for payment of duty. The Examination Order is also printed along with the TR-6 Challan.

If the Appraiser does not agree with the importer regarding tariff classification / notification / declared value etc., he can raise a query in this regard. The Importer/CHA has to enquire at the Service Center whether there is any query in respect of their BE and should reply to the same through the Service Center.

The duty is to be paid through the designated bank.

In arriving at the amount of duty, the major factors involved are as under:-

3.4 वर्गीकरण

3.4.1 वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि शुल्क की दर इस पर निर्भर है। वर्गीकरण बीजक में माल के विवरण, प्रत्यक्ष जांच, रसायनिक जांच इत्यादि के संदर्भ में किया जाता है।

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची आयातित माल को उसमें सूचीबद्ध विभिन्न शीर्षों/उपशीर्षों के तहत वर्गीकृत करती है। अनुसूची सभी आयातित मालों को कवर करती है। पहली अनुसूची XXI धाराओं में विभाजित है। जिसमें 98 अध्याय सम्मिलित हैं। नामकरण की संगत प्रणाली (एचएसएन) 2007 को पहले 97 अध्यायों के लिए उसके सामान्य व्याख्यात्मक नियम, धारा टिप्पणियों, अध्याय टिप्पणियों और उपशीर्ष टिप्पणियों के साथ अपनाया गया है।

आठ अंक कोड “टैरिफ मद” के नाम के तहत 8 अंक स्तर पर एचएसएन दर्शाता है। कोड के पहले दो अंक अध्याय संख्या, अगले दो अंक सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) ग्रुपिंग प्रदान करते हैं। कोड में दो अंकों का तीसरा सेट सीमा शुल्क टैरिफ उपशीर्ष दर्शाता है। छः अंक कोड विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा अपनाए जाने वाले एचएसएन के साथ संरेखित है। अन्तिम दो अंक प्रविष्टि को सीमा शुल्क टैरिफ उप-उप-शीर्ष प्रदान करते हैं। जहां एक शीर्ष के तहत एक वस्तु या वस्तुओं के समूह के विवरण से पूर्व “—” आता है, तो वह वस्तु या वस्तुओं का समूह इस शीर्ष द्वारा कवर की गई वस्तु या वस्तुओं के समूह को उप-वर्गीकरण में ले जाना चाहिए। तथापि, जहां, एक वस्तु या वस्तुओं के समूह के विवरण से पूर्व “----” आता है तो उस वस्तु या वस्तुओं के समूह को उस वस्तु और वस्तुओं के समूह जिसमें “----” आता है के उप-वर्गीकरण में ले जाना चाहिए। जहां एक वस्तु या वस्तुओं के समूह के विवरण से पूर्व “ --- ” या “ --- ” आता है तो उस वस्तु या वस्तुओं के समूह को उस वस्तु या वस्तुओं के समूह के विवरण से पूर्व जिनमें “----”या” ----” आता है के उपवर्गीकरण हेतु लेना चाहिए। अध्याय 98 को विशेष आवश्यकता जैसे डाक और वायु, जहाज भंडार इत्यादि द्वारा परियोजना आयात, यात्री सामान, व्यक्तिगत आयात के लिए प्रयोग किया गया है।

पहली अनुसूची में प्रदत्त शुल्क की दर दो प्रकार की है नामतः

- (i) **मानक दर-** सभी आयातों पर लागू
- (ii) **अधिमान्य दर-** केन्द्र सरकार द्वारा किसी देश या क्षेत्र को अधिमान्य क्षेत्र के रूप में घोषित, के उत्पाद या निर्माण पर लागू।

इसके अतिरिक्त दो प्रकार की सीमा शुल्क उद्ग्राह्य हैं जैसा नीचे दिया गया है:-

- (क) **विशिष्ट** – वजन, मात्रा, संख्या, क्षेत्र या अन्य किसी मानदण्ड के संदर्भ में निर्धारित।
- (ख) **यथा मूल्य** – आयातित माल के मूल्य की प्रतिशतता।

3.4 Classification

3.4.1 Classification is an important aspect as the rate of duty depends on it. Classification is done with reference to the description of goods in the invoice, physical examination, chemical examination, etc.

The First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 classifies the imported goods under various Headings/ Subheadings listed therein. The schedule covers all the items imported. The First Schedule is divided into XXI Sections which include 98 chapters. The Harmonized System of Nomenclature (HSN), 2007 has been adopted for the first 97 chapters with its general interpretative rules, Section notes, chapter notes and sub heading notes.

The eight digit code shows the HSN at 8 digit level under the name “Tariff item”. The first two digits of the code provide chapter number, the next two digits give the Customs Tariff Head (CTH) grouping. The third set of two digits in the code gives the Customs Tariff Sub-heading. This six digit code is aligned with HSN adopted by World Customs Organisation. The last two digits provide Customs Tariff Sub-sub-head to the entry. Where the description of an article or group of articles under a heading is preceded by “__”, the said article or group of articles shall be taken to be a sub-classification of the article or group of articles covered by the said heading. Where, however, the description of an article or group of articles is preceded by “__”, the said article or group of articles shall be taken to be a sub-classification of the immediately preceding description of the article or group of articles which has “_.” Where the description of an article or group of articles preceded by “___” or “____” the said article or group of articles shall be taken to be a sub-classification of immediately preceding description of the article or group of articles which has “_” or “__”. Chapter 98 has been made use of for special needs like project imports, passenger’s baggage, and personal import by Post and Air, Ship Stores etc.

The rate of duty as provided in the First Schedule is of two types namely:

- (i) **Standard Rate-** applicable to all imports
- (ii) **Preferential Rate-** applicable to the produce or manufacture of any country or territory declared as a preferential area by the Central Government.

Further, there are two types of duties of Customs leviable as under:-

- (a) **Specific** – Fixed with reference to unit of weight, volume, number, area or any other parameter.
- (b) **Ad valorem** - percentage of the value of imported goods.

3.4.2 व्याख्या हेतु सामान्य सिद्धान्त

वर्गीकरण निम्नलिखित व्याख्यात्मक नियमों द्वारा शासित होंगे:

I. धाराओं, अध्यायों और उप-अध्यायों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा हेतु प्रदान किए गए हैं। कानूनी उद्देश्यों के लिए, वर्गीकरण शीर्षों की शर्तों और किसी संबंधित धारा या अध्याय टिप्पणियों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए बशर्ते ऐसे शीर्ष या टिप्पणियां, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, अन्यथा अपेक्षित न हों:

II (क) एक वस्तु के शीर्ष में किसी संदर्भ को उस अधूरी या अपूर्ण वस्तु के संदर्भ में शामिल किया जाएगा बशर्ते उस अधूरे या अपूर्ण वस्तु की प्रस्तुती पर, उस वस्तु में पूर्ण या तैयार वस्तु के अनिवार्य गुण हों। उस अधूरी या अपूर्ण वस्तु को शामिल करने के संदर्भ में भी लिया जाएगा (इस नियम के प्रभाव द्वारा पूर्ण या तैयार के रूप में वर्गीकृत होने में विफल होने की अवस्था में) जो अपूर्ण या अधूरे रूप में प्रस्तुत की गई हो।

(ख) किसी सामग्री या पदार्थ के शीर्ष में किसी संदर्भ को उस सामग्री या पदार्थ के अन्य सामग्री या पदार्थ के किसी संदर्भ को ऐसी सामग्री या पदार्थ के पूर्णतः या आंशिक रूप वाले माल के संदर्भ में शामिल माना जाएगा। एक पदार्थ या सामग्री से अधिक वाले माल का वर्गीकरण नियम (3) के सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

III जब नियम 2(ख) लागू करने या अन्य किसी कारण से माल, प्रथम दृष्टया दो या अधिक शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जाता है, तो वर्गीकरण को निम्न के रूप में प्रभावी किया जाएगा:

(क) वह शीर्ष जो सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करेगा को एक सामान्य विवरण के शीर्ष से अधिक वरियता दी जाएगी। तथापि, जब दो या अधिक शीर्ष प्रत्येक मिश्रित या संयोजित पदार्थ या सामग्री के केवल एक भाग या केवल खुदरा बिक्री के लिए बनाए गए भाग के मर्दों के संदर्भ में उन शीर्षों को उस माल के संबंध में समान रूप से विशिष्ट माना जाएगा, भले ही उनमें से एक माल का अधिक पूर्ण या सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत करता है।

(ख) विभिन्न सामग्रियों से बने मिश्रण, संयोजित माल या विभिन्न मिश्रणों से बने और खुदरा बिक्री हेतु माल, जो के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते (क), को जहां तक यह कसौटी लागू है सामग्री या संयोजन जो उनको अनिवार्य स्वरूप देते हैं के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

3.4.2 General Principles for interpretation

Classification shall be governed by the following interpretative Rules:

I. The titles of Sections, Chapters and sub-Chapters are provided for ease of reference only. For legal purposes, classification shall be determined according to the terms of the headings and any relative Section or Chapter Notes and, provided such headings or Notes do not otherwise require, according to the following provisions:

II (a) Any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has the essential character of the complete or finished article. It shall also be taken to include a reference to that article complete or finished (or failing to be classified as complete or finished by virtue of this rule), presented unassembled or disassembled.

(b) Any reference in a heading to a material or substance shall be taken to include a reference to mixtures or combinations of that material or substance with other materials or substances. Any reference to goods of a given material or substance shall be taken to include a reference to goods consisting wholly or partly of such material or substance. The classification of goods consisting of more than one material or substance shall be according to the principles of rule (3).

III. When by application of rule 2(b) or for any other reason, goods are, *prima facie*, classifiable under two or more headings, classification shall be effected as follows:

(a) The heading which provides the most specific description shall be preferred to headings providing a more general description. However, when two or more headings each refer to part only of the materials or substances contained in mixed or composite goods or to part only of the items in a set put up for retail sale, those headings are to be regarded as equally specific in relation to those goods, even if one of them gives a more complete or precise description of the goods.

(b) Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to (a), shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, in so far as this criterion is applicable.

(ग) जब माल के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता (ख) या (क), तो उन्हें समान योग्यता वालों के बीच संख्यात्मक क्रम में सबसे अन्त में आने वाले में वर्गीकृत किया जाएगा।

IV. माल जो उपरोक्त नियमों के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया जा सकता को सबसे सदृश माल के उचित शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

V. पूर्वगामी प्रावधानों के अतिरिक्त, उनमें संदर्भित माल के संबंध में निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(क) कैमरा केस, संगीत वाद्य केस, गन केस, ड्राईंग औजार केस, नेकलेस केस, और समान कंटेनर, विशिष्ट वस्तु या वस्तुओं को रखने हेतु विशिष्ट रूप से तैयार या फिट किया गया का सेट, दीर्घावधि उपयोग के लिए उचित और वस्तुओं के साथ प्रस्तुत जिनके लिए वे बनी हो, को उन वस्तुओं के साथ वर्गीकृत किया जाएगा जिनके साथ वह सामान्य रूप से बेचे जाते हैं। तथापि, नियम उन कंटेनरों के लिए लागू नहीं है जो उसे उसको पूरा स्वरूप देते हैं;

(ख) उपरोक्त (क) के प्रावधानों की दशा में माल के साथ प्रस्तुत पैकिंग सामग्री, और पैकिंग पात्र को माल के साथ वर्गीकृत किया जाएगा यदि वे समान हैं और सामान्यतया ऐसे माल की पैकिंग में प्रयोग होते हैं। तथापि, यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब ऐसी पैकिंग सामग्री या पैकिंग पात्र स्पष्ट रूप से बार-बार प्रयोग के लिए उपयुक्त हों।

3.5 मूल्यांकन

3.5.1 सीमाशुल्क के अधिकतर शुल्क मूल्य पर निर्भर हैं। इस लिए, मूल्य निर्धारण काफी महत्वपूर्ण है।

धारा 14 बताती है कि आयातित माल के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए। इसके अनुसार, मूल्य ऐसे माल अर्थात् वास्तव में दत्त या देय मूल्य, का लेन-देन मूल्य होता है जब वह आयात की जगह और सुपुर्दगी के समय भारत में निर्यात के लिए बेचा जाता है, जहाँ क्रेता और विक्रेता संबंधित नहीं है और मूल्य बिक्री या बिक्री के प्रस्ताव के लिए एक मात्र आधार है। मूल्य की गणना धारा 46 के तहत प्रविष्टि बिल की प्रस्तुती तिथि को लागू विनिमय दर के संदर्भ में की जाती है। उप धारा (i), के प्रावधानों के अधीन, आयातित माल के संबंध में उप धारा में संदर्भित मूल्य को इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 14(2) केन्द्र सरकार को आयात की किसी भी श्रेणी के लिए टैरिफ मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देती है। जहाँ ऐसे टैरिफ मूल्य निश्चित हैं शुल्क केवल ऐसे टैरिफ मूल्य के संदर्भ में प्रभावी है।

- (c) When goods cannot be classified by reference to (a) or (b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.
- IV. Goods which cannot be classified in accordance with the above rules shall be classified under the heading appropriate to the goods to which they are most akin.
- V. In addition to the foregoing provisions, the following rules shall apply in respect of the goods referred to therein:
 - (a) Camera cases, musical instrument cases, gun cases, drawing instrument cases, necklace cases and similar containers, specially shaped or fitted to contain a specific article or set of articles, suitable for long-term use and presented with the articles for which they are intended, shall be classified with such articles when of a kind normally sold therewith. The rule does not, however, apply to containers which give the whole its essential character;
 - (b) Subject to the provisions of (a) above, packing materials and packing containers presented with the goods therein shall be classified with the goods if they are of a kind normally used for packing such goods. However, this provision does not apply when such packing materials or packing containers are clearly suitable for repetitive use.

3.5 Valuation

3.5.1 Most of the duties of Customs are dependent on value. Therefore, determination of value is very important.

Section 14 lays down as to how the value of the imported goods should be determined. According to this, the value shall be the transaction value of such goods i.e. price actually paid or payable when sold for export to India for delivery at the time and place of importation, where the buyer and seller are not related and the price is the sole consideration for the sale or offer for sale. The price should be calculated with reference to the rate of exchange in force on the date on which a bill of entry is presented under Section 46. Subject to provisions of Sub section (i), the price referred to in that sub section in respect of imported goods shall be determined in accordance with the rules made in this behalf. Further, Section 14(2) empowers the Central Government to fix tariff value for any class of import. Where such tariff values are fixed, duty is chargeable with reference to such tariff values only.

3.5.2 लेन देन मूल्य

सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 में लेन देन मूल्य को मूल्य के निर्धारण के लिए प्रमुख मानदण्ड परिकल्पित किया गया है और जहां लेन देन मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता वैकल्पिक तरीके भी प्रदान किए गए हैं।

नियम 3 के अनुसार, आयातित माल का लेन देन मूल्य वास्तव में दत्त कीमत जमा नियम 10 के अनुरूप उस कीमत में जोड़े गए मूल्य भी हैं, अर्थात् निम्नलिखित:

(1) (क) क्रेता द्वारा किए गए निम्नलिखित प्रकार की लागत और सेवाओं पर व्यय, किन्तु वास्तव में आयातित माल के लिए दत्त या देय कीमत में शामिल नहीं है:

- (i) कमीशन और दलाली (खरीद कमशन को छोड़कर)।
- (ii) कन्टेनरों की लागत।
- (iii) मजदूरी और सामग्री के लिए पैकिंग की लागत।

(ख) निम्नलिखित माल और सेवाओं का मूल्य जो क्रेता द्वारा प्रत्यक्ष था परोक्ष रूप से निःशुल्क या कम कीमत पर आपूर्ति किया गया था। उस सीमा तक जहां तक ऐसे मूल्य को कीमत में शामिल नहीं किया गया, को जोड़ा जाना चाहिए।

- (i) सामग्री, घटक, भाग इत्यादि।
- (ii) यंत्र, डाइज़, मोल्ड इत्यादि।
- (iii) आयातित माल के उत्पादन में उपयोग की गई सामग्री।

(iv) भारत के अलावा कहीं और किया गया अभियांत्रिकी विकास, कला कार्य, डिज़ाइन कार्य और प्लान और रेखाचित्र जो आयातित माल के उत्पादन के लिए आवश्यक हो।

(ग) आयातित माल से संबंधित रायल्टियां और लाइसेंस शुल्क जिसका क्रेता को खरीद की शर्तों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

(घ) अनुगामी पुनः बिक्री, निपटान/या आयातित माल के प्रयोग से प्राप्त प्राप्ति जो विक्रेता को उपार्जित हो, के मूल्य का कोई भाग।

(ङ) क्रेता द्वारा विक्रेता को या क्रेता द्वारा तीसरी पार्टी को विक्रेता की देयताओं की संतुष्टि के लिए किए गए अन्य भुगतान।

(2) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रभार लेन देन मूल्य में जोड़ने होते हैं:

- (क) आयातित स्थान तक आयातित माल के परिवहन की लागत,
- (ख) आयातित स्थान पर लदान, उतराई और प्रबंधन प्रभारों पर व्यय,
- (ग) बीमा की लागत।

3.5.2 Transaction value

The Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 2007 envisage transaction value to be the principal yardstick for determination of value and also provide alternate methods to be followed where the transaction value cannot be determined.

As per Rule 3, the transaction value of imported goods is the price actually paid, plus the additions to be made to the said price in accordance with Rule 10, viz., the following:

- (1)
 - (a) The cost and services of the following nature incurred by the buyer, but not included in the price actually paid or payable for the imported goods:
 - (i) Commissions and brokerage (except buying Commission).
 - (ii) the cost of containers.
 - (iii) the cost of packing for labour and materials.
 - (b) The value of the following goods and services, supplied directly or indirectly by the buyer free of charge or at reduced cost. The extent to which such value has not been included in the price should be added.
 - (i) materials, components, parts etc.
 - (ii) tools, dies, moulds, etc.
 - (iii) materials consumed in the production of imported goods.
 - (iv) engineering development, art work, design work and plans and sketches undertaken elsewhere than in India, and necessary for the production of the imported goods.
 - (c) Royalties and license fees related to the imported goods, that the buyer is required to pay as a condition of sale.
 - (d) the value of any part of the proceeds of any subsequent resale, disposal/or use of the imported goods that accrues to the seller.
 - (e) all other payments made by the buyer to the seller or by the buyer to a third party to satisfy the obligation of the seller.
- (2) Further, the following charges are to be added to the transaction value.
 - (a) the cost of transport of the imported goods to the place of importation,
 - (b) loading, unloading and handling charges incurred at the place of importation,
 - (c) the cost of insurance.

बशर्ते कि:

- क. (i) जहाँ खण्ड (क) में संदर्भित परिवहन लागत का पता नहीं चल सकता, ऐसी लागत, माल के एफओबी मूल्य का बीस प्रतिशत होगी;
- (ii) खंड (ख) में संदर्भित प्रभार माल के एफओबी मूल्य का एक प्रतिशत जमा खंड (क) में संदर्भित परिवहन लागत जमा खंड (ग) में संदर्भित बीमा की लागत होगी;
- (iii) जहां खंड (ग) में संदर्भित लागत का पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसी लागत माल के एफओबी मूल्य का 1.125% होगा ;
- ख. वायु द्वारा आयतित माल के मामले में खंड (क) में संदर्भित लागत का पता लगाया जा सकता है, ऐसी लागत माल के फ्री आन बोर्ड के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और
- ग. जहां माल के एफओबी मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता, खंड (क) में संदर्भित लागत माल के एफओबी मूल्य का बीस प्रतिशत जमा उपरोक्त खंड (i) के लिए बीमा की लागत और खंड (ग) में संदर्भित लागत माल के एफओबी मूल्य का 1.125% तथा उपरोक्त खंड (iii) के लिए परिवहन लागत होगी।
- घ. जहां आयातित माल समुद्र द्वारा एक कन्टेनर में इनलैंड कन्टेनर डिपो (आईसीडी) या कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) पर निकासी हेतु जाता है, प्रवेश के बंदरगाह से आईसीडी या सीएफएस तक कन्टेनर के परिचालन पर किए गए भाड़ा व्यय की लागत ऊपर खंड 2(क) में संदर्भित परिवहन की लागत में शामिल नहीं की जाएगी।

लेन देन मूल्य जब क्रेता और विक्रेता संबंधित हों

लेन देन मूल्य स्वीकार किया जा सकता है जब क्रेता और विक्रेता संबंधित हों, जब (i) बिक्री की परिस्थितियां दर्शाती हैं कि संबंध कीमत को प्रभावित नहीं करते हैं; और (ii) आयातक दर्शाता है कि ऐसा लेन देन मूल्य भारत में असंबंधित क्रेता को बेचे गए माल के अनुमानित मूल्य या नियम 3(3) के द्वारा समान या एक जैसे माल के परिकल्पित मूल्य के लगभग है।

3.5.3 जब लेन देन मूल्य उपरोक्त नियम 3(i) के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता, मूल्य नियम 4 से नियम 9 के माध्यम से क्रमानुसार निर्धारित किया जाना होता है।

एक जैसा माल – जब भारत को निर्यात हेतु बेचे गए माल के लिए दत्त कीमत उपलब्ध न हो, आयातित माल का मूल्य भारत को निर्यात के लिए बेचे गए एक जैसे माल के लेन देन मूल्य और लगभग समान समय में आयात किया गया हो जिस माल का मूल्य किया जा रहा हो के समान होगा।

(नियम 4)

समान माल – जब एक जैसे माल पर आधारित लेन देन मूल्य उपलब्ध न हो, लगभग उसी समय आयातित समान माल का मूल्य लिया जाना होता है।

(नियम 5)

provided that :

- A.** (i) where the cost of transport referred to in clause (a) is not ascertainable, such cost shall be twenty per cent of the FOB value of the goods;
(ii) the charges referred to in clause (b) shall be one per cent of the FOB value of the goods plus the cost of transport referred to in clause (a) plus the cost of insurance referred to in clause (c);
(iii) where the cost referred to in clause (c) is not ascertainable, such cost shall be 1.125% of FOB value of the goods;
- B.** in the case of goods imported by air, where the cost referred to in clause (a) is ascertainable, such cost shall not exceed twenty per cent of free on board value of the goods; and
- C.** where the FOB value of the goods is not ascertainable, the costs referred to in clause (a) shall be twenty per cent of the FOB value of the goods plus cost of insurance for clause (i) above and the cost referred to in clause (c) shall be 1.125% of the FOB value of the goods plus cost of transport for clause (iii) above.
- D.** where goods are imported by Sea stuffed in a container for clearance at an Inland Container Depot (ICD) or Container Freight Station (CFS), the cost of freight incurred in the movement of container from the port of entry to the ICD or CFS shall not be included in the cost of transport referred to in clause 2(a) above.

Transaction value when buyer and seller are related

The transaction value can be accepted when the buyer and seller are related, when (i) the circumstances of the sale indicate that the relationship does not influence the price; and (ii) the importer demonstrates that the such transaction value closely approximates, the transaction value of goods sold to unrelated buyer in India or the deductive value or the computed value of identical or similar goods vide Rule 3 (3).

3.5.3 When the transaction value cannot be determined under Rule 3(i) above, the value has to be determined sequentially through Rule 4 to Rule 9.

Identical Goods - When the price paid for the goods sold for export to India is not available, the value of the imported goods shall be the same as the transaction value of identical goods sold for export to India, and imported at about the same time as the goods which is being valued.

(Rule 4)

Similar Goods - When the transaction value based on identical goods is also not available, value of similar goods imported at about the same time is to be taken.

(Rule 5)

निगनात्मक मूल्य – वह माल जिनका मूल्य किया जाना, या भारत में बेचे जाने वाले समान या एक जैसे माल को आयातित स्थिति या उसी समय जिस पर मूल्य के निर्धारण के लिए घोषणा प्रस्तुत की जाती है, तो आयातित माल की मूल्य, आयातित माल या समान या उसी प्रकार के आयातित माल की यूनिट कीमत पर आधारित होगा जो भारत में विक्रेता से असंबंधित व्यक्ति को सबसे अधिक कुल मात्रा में निम्नलिखित कटौतियों के अधीन बेचा जाता है:

- (i) भारत में आयातित माल की बिक्री से संबंधित कमीशन या लाभ और सामान्य व्यय हेतु जोड़ी गई राशि,
- (ii) भारत में व्यय की गई परिवहन की लागत, बीमा और संबंधित लागत,
- (iii) भारत में आयात/माल की बिक्री के लिए देय सीमाशुल्क/अन्य कर।

(नियम 7)

परिकलित मूल्य – आयातित माल का मूल्य परिकलित मूल्य पर आधारित होगा, जिसमें निम्न का योग शामिल होगा:-

- (क) आयातित माल के उत्पादन में लगी सामग्री मूल्य और निर्माण या अन्य संसाधन लागत,
- (ख) उसके बराबर की लाभ और सामान्य व्ययों की राशि सामान्यतया उसी प्रकार या तरह के माल की बिक्री में दिखाई देती है जैसे माल का मूल्य भारत में निर्यात हेतु निर्यातक देश में उत्पादकों द्वारा बनाया जाता है।
- (ग) उपरोक्त पैरा 3.5.2 (2) में बताए गए सभी अन्य व्ययों की लागत या मूल्य।

(नियम 8)

अवशिष्ट विधि – जहां उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार आयातित माल के मूल्य का निर्धारण संभव नहीं है, नियमों में प्रावधान किया गया है कि मूल्य का निर्धारण उचित तरीके और सीमाशुल्क की धारा 14 (i) के सामान्य प्रावधानों और सिद्धांतों के समनुरूप और उपलब्ध डाटा के आधार पर किया जाना होता है।

(नियम 9)

हाई सी सेल के मामले में, हाई सी सेल कीमत (भेजने वाली एजेंसी के सेवा प्रभारों सहित) मूल्य होगा।

3.6 शुल्क और उपकरणों के प्रकार

3.6.1 मूल सीमा शुल्क

आयातित माल पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विभिन्न शीर्षों और उप-शीर्षों के तहत निर्दिष्ट दरों पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (धारा 12) के तहत वसूली योग्य है।

Deductive Value - The goods being valued, or identical or similar goods are sold in India in the condition as imported or at about the same time at which the declaration for determination of value is presented, then the value of imported goods, shall be based on the unit price at which the imported goods or identical or similar imported goods, are sold in the greatest aggregate quantity to persons not related to the seller in India, subject to the following deductions:

- (i) The commission or addition for profit and general expenses paid in connection with the sale of imported goods in India,
- (ii) the cost of transport, insurance and associated costs incurred in India,
- (iii) customs duty /other taxes payable in India on account of importation/sale of goods in India.

(Rule 7)

Computed Value – The value of the imported goods shall be based on a computed value, which shall consist of the sum of :-

- (a) the cost of value of materials and fabrication or other processing employed in producing the imported goods,
- (b) an amount for profit and general expenses equal to that usually reflected in sales of goods of the same class or kind as the goods being valued which are made by producers in the country of exportation for export to India,
- (c) cost or value of all other expenses stated in Para 3.5.2.(2) above.

(Rule 8)

Residual method - Where it is not possible to determine the value of the imported goods in accordance with the above provisions, the Rules provide that the value is to be determined, using reasonable means, and consistent with the general provisions and principles of Section 14(i) of the Customs Act, and on the basis of available data.

(Rule 9)

In the case of high sea sale, the high sea sale price (inclusive of canalising agency's service charge) would be the value.

3.6 Types of duties and Cesses

3.6.1 Basic Customs Duty

Basic Customs Duty (BCD) is leviable on imported goods under the Customs Act, 1962 (Section 12) at the rates specified under various heading or sub-heading in the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975.

मूल सीमाशुल्क की गणना सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियम, 2007 के अनुसार निर्धारित निर्धारण योग्य मूल्य पर की जाती है जिसमें कई अन्य प्रभार जैसे विलम्ब शुल्क, मालवाहक शुल्क, बार्ज शुल्क, हाई सी सेल सेवा प्रभार इत्यादि शामिल हो सकते हैं। तथापि, टैरिफ मूल्य पर मूल सीमाशुल्क की गणना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14(2) के मामले में, केवल टैरिफ मूल्य पर विचार किया जाना होता है।

3.6.2 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत शुल्क

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 सीमाशुल्क के विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त शुल्कों की प्रभारित धारा है। इस धारा के तहत विभिन्न उपधारा के अन्तर्गत उद्ग्राह्य शुल्क निम्नानुसार हैं:-

3.6.2.1 उप धारा 3(1) के तहत अतिरिक्त शुल्क

कोई भी वस्तु जो भारत में आयात की जाती है उस पर भारत में निर्मित उसी प्रकार की वस्तु पर उद्ग्राह्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क देय होगा। यदि वैसा उत्पाद भारत में निर्मित या उत्पादित नहीं किया जाता, तो उत्पाद शुल्क जो भारत में निर्मित या उत्पादित उत्पाद पर उद्ग्राह्य होगा वही शुल्क देय है। यदि शुल्क विभिन्न दरों पर उद्ग्राह्य है, तो उनमें से उच्चतम दरों में से दर लागू होगा।

सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क की गणना आयातित माल के निर्धारित मूल्य/टैरिफ मूल्य जमा मूल सीमा शुल्क के योग पर की जाती है। उस मामले में जहां माल के मानक भार और माप अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा अपेक्षित है या उसके तहत बनाए गए नियम या किसी अन्य कानून के तहत, सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क की गणना छूट की राशि कम कर, यदि कोई हो तो, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4ए के तहत अधिसूचित उसी प्रकार की वस्तु के संबंध में अनुमत हो, आयातित वस्तु के पैकेज पर घोषित खुदरा बिक्री कीमत (अधिकतम खुदरा कीमत भी कहा जाता है) पर की जाती है।

3.6.2.2 उप धारा 3(3) के तहत अतिरिक्त शुल्क

आयातित माल पर ऐसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल, घटकों और अन्य समान इनपुटों पर देय उत्पाद शुल्क को सन्तुलित करने के लिए और अतिरिक्त शुल्क दायी है।

वर्तमान में उप धारा 3(3) के तहत अतिरिक्त शुल्क (i) घरेलू प्रयोग हेतु निर्मित स्टील के माल (ii) ट्रांसफारमर तेल (दिनांक 02.08.1976 की अधिसूचना सं. 356-सी.शु. और दिनांक 22-9-1978 की अधिसूचना सं. 190-सी.शु. क्रमशः) पर उद्ग्राह्य है।

Basic Customs duty is calculated on the assessable value determined as per Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007 that may include some other charges like demurrage, lighterage, barge charges, high sea sales service charges etc. However, in the case of calculation of basic customs duty on tariff value {Section 14(2) of the Customs Act, 1962}, only tariff value is to be taken into consideration.

3.6.2 Duties under Customs Tariff Act, 1975

Section 3 of the Custom Tariff Act, 1975 is the charging Section of various types of additional duties of customs. The duties leviable under different sub section under this Section are as under:

3.6.2.1 Additional duty under sub Section 3(1)

Any article which is imported into India shall be liable to an additional duty equal to the Central Excise duty leviable on a like article produced in India. If a like product is not manufactured or produced in India, the Excise duty that would be leviable on that product if manufactured or produced in India, is the duty payable. If the duty is leviable at different rates, the highest among those rates is the rate applicable.

Additional duty of customs is calculated on aggregate of assessable value/tariff value of imported goods plus basic customs duty. In the case of goods where it is required to declare the retail sale price as per the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 or rules made there under of any other law, the additional duty of customs is calculated on the basis of retail sale price (also called Maximum Retail Price) declared on the package of the imported article less amount of abatement, if any, allowed in respect of like article as notified under Section 4A of the Central Excise Act, 1944.

3.6.2.2 Additional duty under sub section 3(3)

Imported goods are liable to further additional duty to counterbalance Excise duty leviable on raw materials, components and other similar inputs used in production of such article.

At present, additional duty under sub section 3(3) is leviable on (i) stainless steel goods manufactured for household use and (ii) transformer oil (Notification No. 356-Cus., dated 02-08-1976 and Notification no. 190-Cus. Dated 22-09-1978, respectively).

3.6.2.3 उप धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त शुल्क

4 प्रतिशत सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क, कुछ अपवादों को छोड़कर, घरेलू उगाहियों की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए सभी आयातित माल पर उद्ग्राह्य है। यह शुल्क 2005-06 में विभिन्न आन्तरिक करों (जैसे बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर और अन्य कर) जिन्हें देशज माल को वहन करना पड़ता है, को प्रतिसंतुलित करने के लिए लगाया गया था।

धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त शुल्क की गणना, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अनुसार मूल्य के कुल पर की जाती है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत सुरक्षा शुल्क (धारा 8 बी एवं 8 सी), प्रतिकारी शुल्क (धारा 9), एंटी डम्पिंग शुल्क (धारा 9ए) को छोड़कर और सभी शुल्क उद्ग्राह्य हैं।

3.6.2.4 संरक्षण शुल्क

भारत में आयातित किसी माल पर 'संरक्षण शुल्क' सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 6 के तहत, घरेलू उद्योग के हित की सुरक्षा के लिए सीमाशुल्क के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा उद्ग्राह्य किया जा सकता है। टैरिफ कमीशन अधिनियम, 1951 के तहत स्थापित टैरिफ कमीशन इस शुल्क को लगाने के लिए सिफारिश करता है। किसी माल पर संरक्षण शुल्क उक्त टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट माना जाएगा और इस संबंध में जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि तक वैध रहेगा। अधिसूचना छः माह में संसद द्वारा अनुमोदन के अधीन है या अन्यथा यह छः माह की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएगी। तथापि, इस संबंध में पहले से की गई कार्रवाई वैध रहेगी।

3.6.2.5 सुरक्षा शुल्क

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 बी और 8 सी उस माल के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाने से संबंधित है जो अत्यधिक आयात के कारण घरेलू उद्योग को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा शुल्क लगाना डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत अनुमत है। सुरक्षा शुल्क एक सीमित अवधि के लिए घरेलू उद्योग की आवश्यकता आधारित सुरक्षा प्रदान करने में मुक्त और सही प्रतिस्पर्धा बहाल करने के अन्तिम उद्देश्य के साथ एक कदम है।

क. धारा 8 बी के तहत सुरक्षा शुल्क

केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8बी के तहत किसी आयातित माल पर 'सुरक्षाशुल्क' लगाने में सशक्त है, यदि वह संतुष्ट है कि माल भारी मात्रा में आयात किया गया है और उन परिस्थितियों में कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचा रही है या पहुंचाने की आशंका है।

3.6.2.3 Additional duty under sub section 3(5)

Additional duty of Customs at 4 percent is leviable on all imported goods, with few exceptions, to partially compensate the domestic levies. The duty was imposed in 2005-06 to offset various internal taxes (like Sales Tax, VAT, local tax and other taxes) which the indigenous goods have to bear.

Additional duty under Section 3(5) is to be computed on the aggregate of value as per Section 14 of the Customs Act, 1962 and all the duties levied except safeguard duty (Section 8B & 8C), the countervailing duty (Section 9), anti dumping duty (Section 9A) under the Customs Tariff Act, 1975.

3.6.2.4 Protective Duties

‘Protective duty’ on any goods imported into India may be levied by the Central Government as duty of customs for protection of interest of domestic industry, under Section 6 of the Customs Tariff Act, 1975. The Tariff Commission established under Tariff Commission Act, 1951 makes recommendation for levy of this duty. Protective duty on any goods shall be deemed to have been specified in the First Schedule to the said Tariff Act and shall remain valid till the date specified in the notification issued in this regard. The notification is subject to approval by the Parliament within six months or otherwise it will cease to have effect on expiry of six months. However, the action already taken in this regard shall remain valid.

3.6.2.5 Safeguard Duty

Sections 8B and 8C of Customs Tariff Act deal with imposition of ‘safeguard duty’ on import of goods which may cause serious injury to domestic industries due to excessive imports. Imposition of such duty is permissible under WTO agreement. Safeguard duty is a step in providing a need-based protection to domestic industry for a limited period, with ultimate objective of restoring free and fair competition.

a. Safeguard duty under Section 8B

Central Government is empowered to impose ‘safeguard duty’ on any imported goods, under Section 8B of the Customs Tariff Act, if it is satisfied that the goods are being imported in large quantities and under such conditions that they are causing or threatening to cause serious injury to domestic industry.

ख. चीन से आयात पर उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क

धारा 8 बी के तहत सुरक्षा शुल्क के संबंध में सामान्य प्रावधानों के अलावा, 11-5-2002 से चीन गणराज्य से आयातित किसी वस्तु पर 'उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क' लगाने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में 8सी समाविष्ट करने के विशेष प्रावधान किए गए हैं, यदि उक्त देश से आयात की मात्रा घरेलू उद्योग के बाजार को विघटित करती है {धारा 8सी (1)}।

सीमाशुल्क टैरिफ (अन्तरवर्ती उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क) नियम, 2002 सुरक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए प्रक्रिया प्रदान करती हैं।

3.6.2.6 आर्थिक सहायता प्राप्त माल पर प्रतिकारी शुल्क

यदि कोई देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्यातकों को भारत में माल के निर्यात के लिए आर्थिक सहायता देता है, केन्द्र सरकार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के तहत एक अधिसूचना जारी कर ऐसी आर्थिक सहायता की राशि के समान प्रतिकारी शुल्क लगा सकती है। यदि आर्थिक सहायता की राशि का पता तुरन्त नहीं लगाया जा सकता, तो शुल्क अन्तिम रूप से संग्रहित किया जा सकता है और अन्तर राशि को अनन्तिम रूप देने के बाद वापिस किया जा सकता है।

सीमाशुल्क टैरिफ (आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण और क्षति के निर्धारण हेतु) नियम, 1995 आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं के मामले में क्षति निर्धारण के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है।

3.6.2.7 एंटी डम्पिंग शुल्क

एंटी डम्पिंग शुल्क धारा 9ए के तहत, बाहरी देशों द्वारा उनके देश में सामान्य कीमत से कम पर ऐसे माल के अत्यधिक भंडारण द्वारा पहुंचाई गई गलत क्षति से घरेलू उद्योग को बचाने की दृष्टि से लगाया जा सकता है।

सीमाशुल्क टैरिफ (डम्पड वस्तुओं पर एंटी डम्पिंग शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण और क्षति के निर्धारण हेतु) नियम, 1995 एंटी डम्पिंग शुल्क के निर्धारण के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

3.6.3 वित्त अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क

वित्त अधिनियम, 1998 और वित्त अधिनियम, 1999 क्रमशः 'मोटर स्पिरिट (पेट्रोल)' और 'हाई स्पीड डीजल तेल (एचएसडी)' पर अतिरिक्त शुल्क लगाते हैं। वित्त अधिनियमों के तहत यह शुल्क उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के रूप में पृथक धाराओं के तहत लगाए थे।

b. Product specific safeguard duty on imports from China

Besides general provisions in respect of Safeguard Duty under Section 8B, special provisions have been made by inserting Section 8C to Customs Tariff Act with effect from 11-5-2002 for levy of 'product specific safeguard duty' on any article imported from Peoples Republic of China, if the quantity of import from the said country causes market disruption to domestic industry. {Section 8C(1)}

Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 provides the procedure for determining the safeguard duty.

3.6.2.6 Countervailing duty on subsidized goods

If a country pays any subsidy, directly or indirectly, to its exporters for exporting goods to India, Central Government can impose countervailing duty upto the amount of such subsidy by issue of a notification under Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975. If the amount of subsidy cannot be ascertained immediately, duty may be collected provisionally and differential amount may be refunded after finalization.

Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 prescribes the detailed procedure for determining the injury in case of subsidized article.

3.6.2.7 Anti dumping Duty

Anti-dumping duties can be imposed under Section 9A with a view to protecting domestic industries from unfair injury caused by foreign countries by dumping of excess stock of such goods at below the normal price in their countries.

Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for determination of Injury) Rules, 1995 prescribe the detailed procedure for determining the anti-dumping duty.

3.6.3 Additional Duty under Finance Acts

The Finance Act, 1998 and the Finance Act, 1999 imposed additional duty on 'Motor Spirit (Petrol)' and 'High Speed Diesel Oil (HSD)' respectively. These duties under the Finance Acts were imposed under separate sections as duty of Excise and also as duty of Customs.

3.6.3.1 मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त शुल्क

मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) पर 1 रू.प्रति लीटर से वित्त अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची की धारा 103 के तहत 2 जून 1998 से सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। शुल्क की दर वित्त अधिनियम 2005 की धारा 119 के तहत 1 मार्च 2005 से 2 रू. प्रति लीटर संशोधित की गई थी। इसी प्रकार, उपरोक्त वित्त अधिनियम 1998 की धारा 111 ने उसी तिथि से उस पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क लगाया। तथापि, उत्पाद शुल्क के इस अतिरिक्त शुल्क को दिनांक 1.8.1998 की अधिसूचना 57/98-सी.शु. के तहत छूट दे दी गई है।

3.6.3.2 हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त शुल्क

वित्त अधिनियम 1999 की धारा 116 के तहत 1 मार्च 1999 से उच्च स्पीड डीजल(एचएसडी) पर रू. 1 के सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। वित्त अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची की धारा 120 के तहत शुल्क की दर को संशोधित कर रू. 2 प्रति लीटर कर दिया गया था। इसी प्रकार, उपरोक्त वित्त अधिनियम 1999 की धारा 133 ने उसी तिथि से उस पर उत्पाद शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क लगाया। तथापि, उत्पाद शुल्क के इस अतिरिक्त शुल्क को दिनांक 11.05.1999 की अधिसूचना 59/99-सी.शु. के तहत छूट दे दी गई है।

3.6.3.3 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी)

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) वित्त अधिनियम 2001 की सातवीं अनुसूची की धारा 136 के तहत 1 मार्च 2001 से उत्पाद शुल्क के रूप में केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ के विभिन्न निर्दिष्ट अध्यायों में अधिसूचित माल पर उद्ग्राह्य है। कुछ अधिसूचित माल, का जब आयात किया जाता है, उपरोक्त वित्त अधिनियम की धारा 134 के तहत सीमाशुल्क के रूप में अलग से एनसीसीडी के लिए प्रभार्य हैं।

तथापि, कथित वित्त अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रभार्य एनसीसीडी का भुगतान सभी निर्दिष्ट माल (सीटीएच 851712 के माल को छोड़कर) दिनांक 01.03.2008 की अधिसूचना सं. 29/2008 सी.शु. द्वारा छूट प्राप्त है। सीटीएच 851712 के माल उक्त वित्त अधिनियम के अन्तर्गत एनसीसीडी के भुगतान से अधिसूचना संख्या 26/2008.सी.शु. दिनांक 01.03.2008 द्वारा छूट प्राप्त हैं।

3.6.4 उपकर

3.6.4.1 वित्त अधिनियम के तहत शिक्षा उपकर

वित्त अधिनियम 2004 के तहत 9 जुलाई 2004, से पहली बार सभी आयातित माल पर सीमाशुल्क शिक्षा उपकर के रूप में सीमाशुल्क और अन्य किसी अधिनियम के तहत

3.6.3.1 Additional Duty on Motor Spirit

Additional Duty of customs at Re.1 per litre on Motor Spirit (Petrol) was imposed with effect from 2nd June 1998, under Section 103 of the Second Schedule to Finance Act, 1998. The rate of duty was revised to Rs.2 per litre from 1 March 2005, under Section 119 of the Finance Act 2005. Similarly, Section 111 of the aforesaid Finance Act 1998 imposed additional duty as duty of Excise on it from the same date. However, this additional duty of Excise has been exempted under Notification 57/98-Cus, dated 01.8.1998.

3.6.3.2 Additional Duty on high-speed diesel Oil

Additional Duty of Customs at Re.1 on high-speed Diesel (HSD) was imposed from 1 March 1999, under Section 116 of the Finance Act, 1999. The rate of duty was revised at Rs.2 per litre under Section 120 of the Second Schedule to the Finance Act 2005. Similarly, Section 133 of the aforesaid Finance Act 1999 imposed additional duty as duty of Excise on it from the same date. However, this additional duty of Excise has been exempted under Notification 59/99-Cus, dated 11.05.1999.

3.6.3.3 National Calamity Contingent Duty (NCCD)

National Calamity Contingent Duty (NCCD) is leviable as duty of Excise with effect from 1 March 2001 under Section 136 of the Seventh Schedule to the Finance Act 2001 on notified goods of various specified chapters of Central Excise Tariff. Some notified goods, when imported, are chargeable to NCCD separately as duty of Customs, under Section 134 of said Finance Act.

However, all specified goods (except goods of CTH 851712) are exempted from payment of NCCD chargeable under Section 136 of said Finance Act vide Notification No.29/2008-Cus, dated 01.03.2008. The goods of CTH 851712 are exempted from payment of NCCD chargeable under Section 134 of said Finance Act, vide Notification No.26/2008-Cus, dated 01.03.2008.

3.6.4 Cesses

3.6.4.1 Education Cess under Finance Act.

Education Cess was levied as duty of customs on all imported goods for the first time from 9 July, 2004, under Finance Act, 2004, at the rate of two per cent of the aggregate of duties of customs and duties leviable under any other Acts but

उद्ग्राह्य कुल शुल्क पर दो प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य था किन्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(5), सुरक्षाशुल्क, प्रतिकारी शुल्क और एंटी डम्पिंग शुल्क के तहत अतिरिक्त शुल्क को छोड़कर।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त दो प्रतिशत शिक्षा उपकर के अलावा सीमाशुल्क के कुल शुल्क के एक प्रतिशत की दर से, बजट 2007 में आयातित माल पर एक माध्यमिक और उच्चतम शिक्षा उपकर लगाया गया। इस प्रकार, 1 मार्च 2007 से सीमाशुल्क के कुल शुल्क का तीन प्रतिशत शिक्षा उपकर देय है।

कुछ मर्दें दोनों शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर से छूट प्राप्त हैं (क्रमशः दिनांक 9 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. 69/2004-सी.शु. और दिनांक 1 मार्च 2007 की सं. 28/2007 सी.शु.)। यदि माल सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त है या शून्य शुल्क प्रभार्य है, तो शिक्षा उपकर उद्ग्राह्य नहीं है।

3.6.4.2 अन्य अधिनियमों के तहत उपकर

विभिन्न उपकर अधिनियमों के तहत उपकर, भारत में निर्मित या उत्पादित या बनाए गए (अयस्क/खनिज इत्यादि) अधिसूचित माल पर उत्पाद शुल्क के एक शुल्क उपकर के रूप में निर्दिष्ट या यथा मूल्य दरों पर लगाने और संग्रहित करने का प्रावधान करते हैं। अधिसूचित माल जब आयात किए जाते हैं सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3(I) के तहत सीमाशुल्क के एक शुल्क उपकर (उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर के समान) का दायी होगा।

3.7 निर्णायक तिथि

माल के निर्धारण में अगली स्थिति शुल्क की दर का निर्धारण है। चूंकि शुल्कों की दरें और मूल्यांकन संघ बजट के कारण उस पर छूट आदेश या अधिसूचनाएं या आहरण और मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण परिवर्तन के अधीन हैं, यह आवश्यक है कि उस तिथि पर प्रचलित दरों के संदर्भ में तिथि निर्दिष्ट की जाए ताकि उस तिथि को लागू दर और मूल्य का निर्धारण किया जाए।

धारा 15 के अनुसार, धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग हेतु प्रविष्ट माल, की प्रविष्टि के बिल की प्रस्तुती की तिथि निर्णायक तिथि होगी एवं शुल्क की दर और उस तिथि पर लागू टैरिफ मूल्यांकन को लागू किया जाएगा। तथापि, उन मामलों में जहां जहाज की 'इनवर्ड्स प्रविष्टि' से पूर्व प्रविष्टि के बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुती की तिथि को विनिमय दर/मूल्यांकन के निर्धारण के लिए माना जाएगा और 'इनवर्ड्स प्रविष्टि' की अन्तिम तिथि को शुल्क दर अपनाने हेतु निर्णायक तिथि माना जाएगा।

excluding additional duty under Section 3(5) of Customs Tariff Act, Safeguard duty, countervailing duty and Anti-dumping duty.

Further, in addition to the aforesaid two per cent Education cess, a Secondary and Higher Education Cess on imported goods at one per cent of the aggregate duties of customs has been imposed on imported goods in the Budget 2007. Thus, with effect from 1 March 2007, the cesses on education are payable at three per cent of the aggregate duty of customs.

Certain items are exempt from both Education Cess and Secondary and Higher Education Cess (Notification No. 69/2004-Cus. Dated 9 July 2004 and No. 28/2007-Cus dated 1 March 2007 respectively). If goods are fully exempt from customs duty or are chargeable to nil duty, education cess is not leviable.

3.6.4.2 Cesses under other Acts.

Cesses under different Cess Acts provide for levy and collection, by way of cess, a duty of Excise on notified goods manufactured or produced or raised (ore/minerals etc.) in India, at specific or ad valorem rates. The notified goods, when imported, are liable to cess as duty of customs (equal to cess as Excise duty) under Section 3(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

3.7 Crucial date

The next stage in the assessment of goods is the determination of the rate of duty. As the rates of duties and valuation are susceptible to changes, on account of union budget, issue of exemption orders or notifications or withdrawal thereof, and changes in currency exchange rates, it is necessary that the date should be specified with reference to which rates prevalent on that date could be applied and values determined.

As per Section 15, goods entered for home consumption under Section 46, the date of presentation of a bill of entry shall be the crucial date and the rate of duty and tariff valuation in force on that date should be applied. However, in cases where bills of entries are presented before "entry inwards" of the vessel, the date of presentation is reckoned for determination of exchange rate/valuation and the date of final 'entry inwards' is taken as the crucial date for applying rate of duty.

3.8 छूट

केन्द्र सरकार को धारा 25 के तहत लोक हित में किसी माल को अधिसूचना जारी कर सीमाशुल्क लगाने से या विशेष आदेशों द्वारा अपवादात्मक प्रकृति की परिस्थितियों में छूट देने की शक्ति दी गई है। छूट की शक्ति में संशोधन या छूट वापिस लेने की शक्ति शामिल है।

अधिसूचना प्रकाशित करना और जन साधारण को अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि की सूचना देना (उसके प्रसार और जन संपर्क निदेशालय के माध्यम से) विभाग की सांविधिक बाध्यता है।

जब दो छूट अधिसूचनाएं होती हैं, एक सामान्य और दूसरी विशिष्ट, जो संबंधित माल को कवर करती हैं, निर्धारिती उस एक के लाभ का हकदार है जो उसे अधिक राहत देती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह सामान्य है या विशिष्ट।

सीमा शुल्क में छूट से तात्पर्य केवल मूल सीमा शुल्क में छूट है। उत्पाद शुल्क में छूट से सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क में छूट प्रभावित होती है।

छूट अधिसूचनाओं में अंतिम शर्त के अनुपालन की मॉनीटरिंग का कार्य निर्माता-आयातक के कारखाने पर अधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को सौंपा गया है। परन्तु व्यापारी तथा एकाधिक उपयोग वाले माल के मामले में, आयातक को यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसके द्वारा आयातित माल का अनुबंधित उपयोग किया गया। छूट अधिसूचना के लिए पात्रता का दायित्व निर्धारिती पर है।

3.9 ग्रीन चैनल सुविधा

कुछ प्रमुख आयातकों को ग्रीन चैनल क्लीयरेंस सुविधा दी गई है। उन्हें बीई भरते समय घोषणा करनी पड़ती है। माल की भौतिक जांच नहीं होगी, इसके अलावा मूल्यांकन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। ऐसे मामलों में माल की निकासी पर, केवल निशानों तथा संख्या की जांच की जानी है। तथापि, विरल मामलों में, यदि माल की मात्रा तथा वर्णन से संबंधित कोई मुख्य संदेह है तो, वरिष्ठ अधिकारियों/जांच अनुभाग के आदेश पर भौतिक जांच की जा सकती है।

3.10 अनंतिम आकलन

कभी-कभी, कुछ प्रासंगिक सूचना/दस्तावेजों की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण की वजह से शुल्क का निर्धारण करना संभव नहीं होता। ऐसे मामलों में माल की निकासी पर विलम्ब शुल्क/अवरोधन शुल्क के भुगतान तथा अन्य वित्तीय हानि आयातक के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, उचित सुरक्षा के साथ बांड लेकर प्रावधानिक शुल्क तथा माल की निकासी का आकलन करने के लिए धारा 18 में प्रावधान बनाए गए हैं।

3.8 Exemption

The Central Government is empowered under Section 25 to exempt, in public interest, any goods from levy of customs duty by issue of notification or in circumstances of an exceptional nature by special orders. Power to exempt includes power to modify or withdraw the exemption.

It is a statutory obligation of the Department (through its Directorate of Publicity and Public Relations) to publish the notifications and inform the public on the date of coming into effect of the notification.

When there are two exemption notifications, one general and other specific, which cover the goods in question, the assessee is entitled to the benefit of that one which gives him greater relief, regardless of whether it is general or specific.

Exemption from Customs duty means exemption only from basic customs duty. Exemption from Excise duty has the effect of exempting additional duty of customs.

The work of monitoring of compliance of end use condition in exemption notifications has been assigned to the Assistant Commissioner of Central Excise having jurisdiction over the factory of manufacturer-importer. But in the case of a trader and the goods have multiple uses, the importer should establish that the goods imported by him were for the stipulated use. Onus to establish eligibility to the exemption notification is on the assessee.

3.9 Green Channel facility

Some major importers have been given the Green Channel Clearance facility. They have to make a declaration at the time of filing BE. The appraisement is done as per normal procedure except that there would be no physical examination of the goods. Only marks and number are to be checked in such cases. However, in rare cases, if there is specific doubt regarding quantity and description of the goods, physical examination may be ordered by Senior Officers/Investigation wing.

3.10 Provisional Assessment

Sometimes, it is not possible to assess the duty due to non-availability of some relevant information/document or any other reason. Withholding clearance of goods in such cases may cause hardship to the importer by way of payment of demurrage/detention charges and other financial losses. To avoid such situations, provisions have been made in Section 18 to assess the duty provisionally and clearance of goods by taking a bond with appropriate security.

यह सुनिश्चित करना है कि अनंतिम मूल्यांकन के सामान्य तरीके के अधिकतर मामलों को अनंतिम मूल्यांकन की तिथि से छः महीनों के अन्दर सही प्रकार से तेजी से अन्तिम रूप दिया जाता है।

3.11 माल की जांच तथा निकासी

शुल्क भुगतान के पश्चात् माल को जांच कर्मचारियों को डॉक आदि में आयात शेड में प्रस्तुत किया जाता है। यदि माल को बताए गए रूप में पाया जाता है तो निकासी के लिए 'आउट ऑफ चार्ज' आदेश दिया जाता है।

ईडीआई प्रक्रिया में शुल्क भुगतान के पश्चात्, बैंक अपने पक्ष पर टर्मिनल में इसे प्रणाली में प्रवेश करता है। तब प्रविष्टि मूल्यांकक (डॉक) की स्क्रीन पर बिल की प्रविष्टि दिखाई देती है। आयातक/सीएचए को माल की जांच के समय भुगतान किए गए शुल्क चालान तथा बीजक, पैकिंग सूची आदि सहित अन्य दस्तावेजों के साथ बीई की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

शेड मूल्यांकक को माल की जांच करनी चाहिए तथा सिस्टम में जांच रिपोर्ट प्रविष्टि करनी चाहिए। जब माल की जांच पूर्ण हो जाए तब मूल्यांकक (डॉक) को सिस्टम पर 'आउट ऑफ चार्ज' आदेश देना होगा। इसके पश्चात्, सिस्टम आयातक हेतु बीई की दो प्रतियां प्रिंट करेगा तथा नियंत्रण प्रतियों का विनिमय करेगा।

माल के संदर्भ में डॉक में कोई विसंगति पाए जाने के मामले में, डॉक अधिकारियों की टिप्पणी के साथ सिस्टम के माध्यम से संबंधित गुप को रिपोर्ट दी जाती है। जांच रिपोर्ट तथा डॉक अधिकारियों की टिप्पणियों के आधार पर, गुप मूल्यांकन का संशोधन कर सकता है अथवा प्रश्न कर सकता है।

तथापि, धारा 47(2) के अनुसार, जहाँ आयातक अनुमेय समय के अन्दर आयात शुल्क के भुगतान में विफल होता है, उसे निर्धारित दर पर ब्याज भुगतान करना होगा।

3.12 बिल ऑफ एंट्री की लेखापरीक्षा जांच:-

3.12.1 शुल्कयोग्य बिल ऑफ एंट्री:

- लेखापरीक्षा में यह देखा जाता है कि बिल ऑफ एंट्री में दिया गया विवरण पूर्ण है तथा आयातित माल का स्पष्ट विवरण देता है अर्थात् मशीनरी के घटकों के मामलों में, मशीन जिसके वो घटक है, भी बताया जाता है;
- सही टैरिफ हेडिंग दिखाई गई है;

It is to be ensured that most of the ordinary type of cases of provisional assessment are finalized expeditiously well within six months from the date of provisional assessment.

3.11 Examination of Goods and clearance

After payment of duty, the goods are submitted in the import shed in the docks etc. to the examining staff. If the goods are found to be as declared, 'out of charge' order is given for clearance.

In the EDI system after payment of the Duty, the Bank enters the same into the system at a terminal at their end. Then the Bill of Entry appears on the screen of the Appraiser (Docks). The Importer/CHA should present a copy of the BE along with duty paid challan and other documents including invoice, packing list etc. at the time of examination of the goods.

The Shed Appraiser shall examine the goods and enter the examination report in the system. After the examination of the goods is complete, the Appraiser (Docks) would give the "Out of Charge" order on the system. Thereafter, the system will print two copies of BE for the importer and the Exchange Control Copies.

In case of any discrepancy found in the docks with respect to the goods, the same is reported to the respective Group through the system with the comments of the Dock Officers. On the basis of the examination report and the comments of the dock officers, the Group may revise the assessment or may raise a query.

However, as per Section 47(2) where the importer fails to pay the import duty within permissible time, he shall have to pay interest at specified rate.

3.12 AuditChecks on Bills of Entry:-

3.12.1 Dutiable Bills of Entry:

- It is seen in audit that the description given in the bill of entry is complete and gives clear idea of the goods imported e.g. in the case of component parts of the machinery, the machine of which they are component parts is also stated;
- the Correct tariff heading is shown;

- उद्धग्रहित शुल्क की दर संशोधित रूप में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अनुसार है तथा कि भुगतान योग्य शुल्क की सही ढंग से गणना की गई है;
- विनिमय की सही दर लागू की गई है;
- जब माल को टैरिफ मूल्य पर पारित किया जाता है अथवा जहां माल शुल्क की एक निर्दिष्ट दर के अधीन हो तो जैसा भी मामला हो उसमें मात्रा या वजन की इकाई रिकॉर्ड की जाती है;
- सीमा शुल्क अधिनियम 1962, की धारा 14 तथा सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का निर्धारण) नियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार मूल्य निकाला जाता है;
- शुल्क के निर्धारणीय मूल्य, वजन अथवा मात्रा की सही ढंग से गणना की गई है;
- यदि बीई में एक से अधिक मदें हैं तो कई मदों के कुल मूल्य, वजन अथवा मात्रा का योग सही है;
- समय पर भुगतान न करने के मामले में, धारा 47(2) के प्रावधान को विभाग द्वारा लागू किया जाता है।
- सीमा शुल्क के आयुक्तों के सम्मेलन का निर्णय यदि कोई हो, तो माना जाता है।
- अपील आदेश, न्यायालय का निर्णय आदि यदि कोई हो, तो माना जाता है;
- शुल्क की अधिमाम्य अथवा संभावित दर पर शुल्क के लिए निर्धारित माल के मामलों में मूल्यांकक बिल की प्रविष्टि को पूर्णतया सत्यापित मूल प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के साथ संलग्न किया गया है;
- बिल की प्रविष्टि में लाइसेंस रजिस्ट्री अनुमोदन होता है;
- जब कभी टैरिफ में परिवर्तन होता है तथा जहाज परिवर्तन की तिथि से पहले आवक दर्ज नहीं करते, चाहे उनमें से कोई टैरिफ तथा विनिमय दर में परिवर्तन से प्रभावित हो। तिथि जिस पर जहाज को पोर्ट पर प्रवेश करना है, को प्रस्तुति तिथि के रूप में लिया जाता है।
- मूल देश का प्रमाणपत्र, बीजक, खरीद आदेश, माल भाड़ा प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को बिल की प्रविष्टि के साथ संलग्न किया जाता है।
- उद्धग्रहित एंटी डम्पिंग शुल्क की दर देश के मूल प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट देश के संदर्भ में एक समान है।

- the rate of duty levied is in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended and Central Excise Tariff Act, 1985 and that the duty payable has been correctly calculated;
- the correct rate of exchange has been applied;
- when the goods are passed on tariff value or where the goods are subject to a specific rate of duty, the unit of quantity or weight, as the case may be, is recorded;
- the value is arrived at as per provisions of Section 14 of the Customs Act, 1962 and Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 2007;
- the value, weight or quantity assessable to duty is correctly calculated;
- if there is more than one item in the BE, the summation of total value, weight or quantity of the several items is correct;
- in the case of duty not paid in time, the provision of Section 47(2) is applied by the department.
- the decision in the Conference of Commissioners of Customs, if any, is considered.
- Appeal order, Court's decision, etc. if any, is considered.
- in the case of goods assessed to duty at the preferential or protective rate of duty, the appraiser has attached to the Bill of Entry, the duplicate copy of the certificate of origin in the proper form duly attested;
- the Bill of Entry bears license registry endorsement;
- whenever there is a change in tariff, and the vessels did not finally enter inward before the date of change, whether any of them is affected by the change in tariff and exchange rate. The date on which the vessel finally entered the port is taken as date of presentation.
- the documents like Country of Origin certificate, Invoice, Purchase Order, Freight Certificate, etc, are accompanied alongwith the Bill of Entry.
- the rate of Anti Dumping Duty levied is the same with respect to the country specified in the country of origin certificate.

- गलत वर्गीकरण, गलत छूट, एंटी डंपिंग शुल्क का कम उद्घरण/उद्घरण न होना आदि की जांच हेतु प्रावधान बनाए गए हैं।
- हाई सी सेल वाले आयात मामलों में, क्या वास्तविक आयातक द्वारा दिए जाने वाले आयात, निकासी, घोषणा, वचन देना/बांड से संबंधित स्थितियों को कवर करते हुए हाई सी क्रेता तथा विक्रेता के बीच कानूनी रूप से लागू करने योग्य करार किया गया?
- हाई सी बिक्री के मामले में, क्या घोषित मूल्य एचएस क्रेता तथा विक्रेता के बीच किए गए एचएसएस करार के अनुसार है तथा क्या उसमें कोई उद्देश्य तथा मात्रात्मक वृद्धि की गई है?

(दिनांक 03.12.2002 की सार्वजनिक सूचना संख्या 145/2002 तथा दिनांक 11.05.2004 की सीबीईसी परिपत्र संख्या 32/2004-सीमा शुल्क को भी संदर्भित किया जा सकता है।)

- माल के लिए छूट दावे सही हैं तथा यह अधिसूचना के अनुसार हैं।

3.12.2 बिल ऑफ एंटी का अनंतिम शुल्क

वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा शुल्क दर के संदर्भ में उपरोक्त की जांच के अलावा यह भी देखा जाना चाहिए कि -

- प्रस्तावित मूल्यांकन राजस्व की रक्षा के लिए एक उपयुक्त संकलन के साथ की गई जांच पर आधारित था, तथा उस मूल्यांकक ने अनंतिम मूल्यांकन के आधार पर विस्तार से लिखा है।
- अनंतिम शुल्क की राशि वसूली योग्य वास्तविक शुल्क से अधिक है।
- समय का विस्तार, यदि अनुमत हो, तो समुचित प्राधिकारी द्वारा बताए गए पर्याप्त कारणों पर स्वीकृत किया गया था;
- वजन के स्वरूप की एक निश्चित प्रतिशतता के मूल्यांकन के आधार पर वजन मापा गया है;
- उपयुक्त प्रतिभूति के साथ बांड लेकर माल की निकासी की जाती है।

3.12.3 निःशुल्क बिल ऑफ एंटी

विदेशों से आयात शुल्क मुक्त माल के लिए बिल ऑफ एंटी की भी लेखापरीक्षा होती है। लेखापरीक्षा में यह देखना समाहित है कि माल को अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क से सही तरीके से छूट दी गई है अथवा धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के व्यक्तिगत आदेश जारी किए गए तथा कुछ मामलों में माल की निःशुल्क प्रविष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र उचित फार्म में प्रस्तुत किए गए हैं।

- the provisions for checking misclassification, incorrect exemption, short levy/non levy of Anti Dumping Duty, etc, have been made.
- that in case of import involving high seas sales, whether a legally enforceable contract has been executed between the high seas buyer and the seller covering conditions attached to the import, clearance, declarations, undertakings/bond to be given by the actual importer?
- in the case of High Seas Sales whether the value declared is as per the HSS contract entered into between the HS buyer and the seller and any additions thereto has been made on objective and quantifiable data?

(Public Notice No. 145/2002 dated 03.12.2002 and CBEC Circular No. 32/2004-Customs dated 11.05.2004 may also be referred.)

- The exemption claimed for the goods is correct and the same is in accordance with the notification.

3.12.2 Provisional duty bills of entry

In addition to above checks in respect of classification, valuation and rate of duty it should be seen that -

- the proposed valuation was based on the recorded examination with a suitable addition to safeguard the revenue, and that the Appraiser has recorded in detail, the basis of provisional assessment.
- the amount of Provisional duty is more than the actual duty recoverable.
- the extension of time, if allowed, was granted by the proper authority on proper cause being shown;
- where the weight forms a basis of valuation a certain percentage has been check weighed;
- the goods are cleared by taking a Bond with appropriate security.

3.12.3 Free bills of entry

Bills of entry for duty free goods imported from foreign countries are also audited. The audit consists in seeing that the goods have been correctly exempted from duty under a notification or individual order of the Government of India issued under the provisions of Section 25 and that the certificates required to be produced in certain cases for allowing free entry to goods are in their proper form.

3.12.4 सरकारी स्टोर के लिए बिल ऑफ एंट्री

सरकारी स्टोर के लिए शुल्क देय तथा फ्री बीई की भी विस्तार से लेखापरीक्षा की जाती है। इन दस्तावेजों के संदर्भ में जांच लगभग उपरोक्त पैरा 3.12.1 में बताए अनुसार होती है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाना चाहिए कि -

- आयातित माल के मामले में, एक पैंक बीई दिया जाता है तथा इस पर माल की जांच रोकने के संबंध में मूल्यांकक के हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन होना चाहिए।
- सामान्य तौर पर सरकारी स्टोर पर शुल्क की वसूली नकद में नहीं की जाती है परन्तु इसे सरकारी विभागों जिसके लिए माल का आयात किया जाता है के नाम के प्रति अनुसूची में दिखाया जाता है तथा समायोजन के लिए प्रत्येक माह अनुसूची अग्रेषित की जाती है।

3.12.5 इंटो-बाँड बिल ऑफ एंट्री

शुल्क देय बीई हेतु पैरा 3.12.1 में निर्धारित लेखापरीक्षा जांच को यथोचित परिवर्तन के साथ लागू किया जाना चाहिए। यह भी देखा जाए कि धारा 59 के अन्तर्गत उचित बांड भरा गया है।

3.12.6 डुप्लीकेट बिल ऑफ एंट्री

डुप्लीकेट बिल ऑफ एंट्री मुख्य रूप से जहां बीई का द्वितीय मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किया जाता है, वहां यह पता लगाने के लिए कि रिपोर्ट की जांच/निरीक्षण में सावधानी बरती गई है, लेखापरीक्षा किया जाना अनिवार्य है। यहां पैरा 3.12.1 में वर्णित वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा शुल्क की दर के संदर्भ में भी जांच की जानी चाहिए।

3.12.7 परियोजना आयात की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा में यह जांच की जानी चाहिए कि परियोजना करार के अन्तर्गत माल का आयात परियोजना आयात विनियम, 1986 के अनुसार किया गया है तथा उस आयातक ने करार के पंजीकरण की सभी शासी शर्तों को पूरा किया था।

उनकी प्रकृति के अनुसार, परियोजना करार के संदर्भ में आयात एक समयावधि में खेप की संख्या में किए जाते हैं शुरू में शुल्क प्रत्येक खेप पर प्रावधिक एकत्र किया जाता है। एक परियोजना के संदर्भ में पिछली खेप की निकासी की तिथि से तीन माह के अन्दर आयातक को सीमा शुल्क विभाग में आयात लाइसेंस में इंगित मदों को दिखाते हुए तथा किए गए वास्तविक आयात को दर्शाने वाला समेकित विवरण देना चाहिए। विभाग विवरण की विशुद्धता की जांच, शुल्क का निर्धारण तथा आयातक से विभेदी शुल्कों का संग्रहण करता है। इसलिए लेखापरीक्षा में यह देखा जाना चाहिए कि निर्धारिती द्वारा सीमा शुल्क विभाग को समय पर

3.12.4 Bills of entry for Government Stores

Dutiable and free BE for Government stores are also audited in detail. The check in respect of these documents is almost the same as laid down in Para 3.12.1 above. In addition it should be seen that –

- in the case of goods imported, a pink BE is put in and it bears an endorsement over the Initials of the Appraiser waiving examination of goods.
- duty on the Government Stores is generally not recovered in cash but is shown in the schedule against the names of Government Departments on whose account the goods are imported and the schedules are forwarded every month for adjustment.

3.12.5 Into-Bond Bills of Entry

The audit checks prescribed for dutiable BE in Para 3.12.1 should be applied *mutatis mutandis*. It is seen that proper Bond under Section 59 has been executed.

3.12.6 Duplicate Bills of Entry

The duplicate bills of entry are required to be audited specially where the BE is processed under the second appraisement procedure, to ascertain that the report of examination or inspection has been taken care of. The checks regarding classification, valuation and rate of duty as laid down in Para 3.12.1 should also be applied here.

3.12.7 Audit of Project imports

It is to be checked in audit that the import of goods under project contract has been made in accordance with the Project Import Regulations, 1986 and that the importer had fulfilled all the conditions governing the registration of Contracts.

As by their very nature, imports in respect of project contracts are made in a number of consignments over a period of time, the duty is initially collected on each consignment provisionally. Within three months from the date of clearance of last consignment in respect of a project, the importer should submit to the customs department a reconciliation statement showing the items indicated in the import license and those actually imported. The department checks the accuracy of the statement, assesses the duty and collects the differential duty from the importer. It should therefore to be seen in audit that the reconciliation statement was submitted

समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया तथा विभाग ने सही प्रकार से शुल्क का निर्धारण किया तथा उसका संग्रहण किया।

ईडीआई के माध्यम से लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा स्क्रीन पर की जाती है तथा ईडीआई डाटा पर व्यक्तिगत रूप में दायर बिलों पर अपनाई गई जांच ईडीआई डाटा पर लागू की जाती है।

(ईडीआई लेखापरीक्षा प्रक्रिया/पद्धति का विस्तार खंड II में है)।

3.13 पारगमन/वाहनान्तरण

3.13.1 पारगमन

किसी वाहन में आयातित तथा आयात मालसूची अथवा भारत से बाहर किसी स्थान या अन्य सीमा शुल्क स्टेशन के लिए कुछ वाहनों में पारगमन हेतु आयात रिपोर्ट में वर्णित माल को शुल्क भुगतान के बिना पारगमन की मंजूरी दी जा सकती है। (धारा 53)

3.13.2 वाहनान्तरण

वाहनान्तरण के लिए लाए गए माल को आयात मालसूची अथवा आयात रिपोर्ट में वर्णनानुसार अन्य पोर्ट/एयरपोर्ट पर अथवा आईसीडी/सीएफएस अथवा विदेश के पोर्ट/एयरपोर्ट पर शुल्क भुगतान के बिना ट्रांसशिप की मंजूरी दी जाती है। (धारा 54)

3.14 डाक द्वारा आयात

डाक द्वारा आयातित माल की निकासी धारा 82 से 84 द्वारा नियंत्रित की जाती है। धारा 82 में प्रावधान है कि डाक द्वारा आयातित माल के मामले में, किसी लेबल अथवा माल की तत्सम्बंधी घोषणा है जिसमें विवरण, मात्रा तथा मूल्य निहित है को सीमा शुल्क उद्देश्य के लिए आयात की एक प्रविष्टि माना जाएगा।

धारा 83 डाक द्वारा आयात के संदर्भ में शुल्क दर तथा टैरिफ मूल्यांकन के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तिथि को निर्दिष्ट करती है जिस पर डाक प्राधिकारी मूल्यांकन हेतु आयातित माल के विवरण वाली सूची उपयुक्त अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। तथापि, एक जहाज द्वारा लाए गए डाक माल के मामले में, यह संभव है कि सूची जहाज के पहुँचने से पहले प्रस्तुत की जाए। उस स्थिति में, जहाज के आगमन की तिथि महत्वपूर्ण होगी।

मूल्यांकन में पूर्व-लेखापरीक्षा, प्रथम मूल्यांकन हेतु पार्सल का अंकन करना, उनका अवरोधन जिनके दस्तावेज आवश्यक हैं, नोटिस कॉल की तैयारी तथा प्रेषण करना सम्मिलित है। मूल्यांकक उनमें दिए ब्यौरे की संवीक्षा करता है, उन पार्सलों का आकलन करता है जिसके लिए अन्य सूचना या दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है तथा धारा 83(1) के अनुसार पार्सल

in time by the assessee to the customs department and that department assessed the duty correctly and collected it.

Audit through EDI

Audit is done on-screen and the same audit checks exercised on manually filed bills are applied on the EDI data.

(EDI audit procedure/methods are detailed in Section II).

3.13 Transit/Transshipment

3.13.1 Transit

Any goods imported in a conveyance and mentioned in the Import Manifest or Import Report for transit in the same conveyance to any place outside India or any other Customs station may be allowed to be transited without payment of duty.

(Section 53)

3.13.2 Transshipment

Goods brought in for transshipment to another port/airport, or ICD/CFS or to a port/airport aboard as mentioned in the Import Manifest or Import Report, are allowed to be transhipped without payment of duty.

(Section 54)

3.14 Postal Import

The clearance of goods imported by post is governed by Section 82 to 84. Section 82 lays down that in the case of goods imported by post, any label or declaration accompanying the goods which contains the description, quantity and value thereof will be deemed to be an entry for import for customs purposes.

Section 83 specifies the crucial date for determining the rate of duty and tariff valuation in respect of imports by post as the date on which the postal authorities present to the proper officer the list containing the particulars of the imported goods for assessment. However, in the case of the postal goods coming by a vessel, it is possible that the lists may be presented earlier than the arrival of the vessel. In that event, the date of arrival of the vessel shall be the crucial date.

The assessment includes pre-audit, marking of parcels for first appraisement, detaining those requiring documents, preparation and dispatch of notices of call. The appraiser scrutinizes the particulars given therein, assesses those parcels which do not require further information or documents and indicates the rates of duty on the parcel bills in accordance with Section 83(1). Thereafter, the amount of duty is

बिलों पर शुल्क दर को दर्शाता है। इसके पश्चात् शुल्क की राशि की गणना की जाती है तथा पार्सल बिल शीट को आन्तरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से डाक विभाग को दिया जाता है।

पार्सल जिसे प्रथम मूल्यांकन पर जांच की आवश्यकता है, को आगामी दिन मूल्यांकन हेतु दिया जाता है। इनकी जांच की जाती है तथा शुल्क की दर, मूल्य आदि को पार्सल बिल पर दर्शाया जाता है। यदि सीमा शुल्क विभाग को स्वीकार्य हो, तो प्रेषक द्वारा घोषित मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जहां भाड़ा, बीमा तथा अन्य प्रभार वर्णित नहीं होते और निर्धारणीय भी नहीं हैं, वहाँ इक्कीस प्रतिशत की समान दर से जोड़ा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच में यह देखने के लिए निर्देशित है कि:

- सीमा शुल्क को आयात टैरिफ शेड्यूल की विभिन्न मदों तथा लागू आदेश के अन्तर्गत सही ढंग से उद्धृष्ट किया गया है;
- आगणन की विधि, शुल्क दर तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा माने गए मूल्य सही प्रकार से लागू किए जाते हैं;
- मूल्य का भारतीय मुद्रा में रूपान्तरण तथा प्राप्त शुल्क सही है;
- माल ढुलाई तथा बीमा के कारण अनिवार्य प्रभार जोड़े गए हैं;
- माल का मूल्य महज निर्यातक की घोषणा के आधार पर नहीं परन्तु बीजक तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् स्वीकार्य हैं;
- डाक द्वारा आयातित माल पर शुल्क के अधिमान्य अथवा कम संरक्षी तथा अन्तर दर पर मूल्यांकन प्रासंगिक मूल प्रमाणपत्र से समर्थित होता है।

3.15 कोरियर के माध्यम से आयात

कोरियर के माध्यम से आयात ने हाल के वर्षों में वृद्धि की अच्छी दर दर्ज की है। ऐसे आयात को विनियमित करने के लिए सरकार ने कोरियर आयात तथा निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 बनाया है।

कतिपय हटाई गई श्रेणियों को छोड़कर सभी माल को प्राधिकृत कोरियर के माध्यम से आयात करने की अनुमति दी जाती है। सीमा शुल्क निकासी के लिए कोरियर द्वारा आयातित माल को तीन श्रेणियों अर्थात् (क) दस्तावेज, (ख) नमूना तथा मुफ्त उपहार, तथा (ग) शुल्क योग्य माल, में वर्गीकृत किया गया है। दस्तावेज, वास्तविक वाणिज्यिक नमूने तथा ₹ 10,000 से अधिक मूल्य नहीं होने वाले माल के प्रोटोटाइप्स के मुफ्त प्रभार पर आपूर्ति की गई तथा ₹ 10,000 से अधिक मूल्य नहीं के निजी उपयोग के लिए अर्टिकलस के वास्तविक उपहार पर कोई शुल्क नहीं होता है।

कोरियर पार्सल को सामान्य रूप से यात्री/कारगो अथवा विमान द्वारा ले जाया जाता है। भू-सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से निकासी के मामले में, परिवहन के अन्य साधनों का

calculated and the parcel bills sheets are returned through Internal Audit to the postal authorities.

Parcels which require examination on first appraisalment are presented for assessment on the following day . These are examined and the rates of duty, values etc. are indicated on the parcel bills. The assessment is done on the basis of value as declared by the sender if acceptable to Customs. Where the freight, insurance and other charge are not mentioned and also not ascertainable, a flat rate of twenty one per cent should be added.

Audit checks are directed towards seeing that:

- Customs duty has been correctly levied under various items of the import tariff schedule and under the orders in force;
- the method of appraisalment, rate of duty and the value adopted by the assessing officer are correctly applied;
- the conversion of value into Indian Currency and the duty arrived at are correct;
- necessary charges on account of freight and insurance are added;
- the value of goods has been accepted not merely on the basis of the exporter's declaration but after due verification with the invoice and other documents;
- the assessments at the preferential or lower protective and differential rate of duty on goods imported by post are supported by the relevant certificate of origin;

3.15 Imports through Courier

Imports through courier mode have registered a healthy rate of growth in recent years. For regulating such imports, the Government has framed the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998.

All goods are allowed to be imported through authorized courier except for certain excluded categories. For customs clearance the goods imported by Courier have been divided into three categories viz. (a) documents, (b) samples and free gifts, and (c) dutiable goods. Documents, bonafide commercial samples and prototypes of goods supplied free of charge of a value not exceeding RS.10,000 and bonafide gifts of articles for personal use of a value not exceeding RS.10,000 do not attract any duty.

The courier parcels are normally carried by passenger/ cargo or aircraft. In the case of clearance through Land Customs Stations, other mode of transport is

उपयोग किया जाता है। एयरपोर्ट अथवा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर आयात माल के आगमन पर, किसी परिवहन माध्यम द्वारा माल ले जाने वाली कोरियर कंपनी के बोर्ड कोरियर/प्राधिकृत एजेंट अपने प्रेषित माल की सीमा शुल्क निकासी कराने के लिए विभिन्न कोरियर कंपनियों को माल सौंपते हैं। कोरियर से आयात वस्तुसूची प्रस्तुत करने के बाद, शुल्कयोग्य माल की निकासी के लिए एक सरल बीई प्रस्तुत की जाती है। शुल्क योग्य अथवा वाणिज्यिक माल के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं है। इस माल पर अन्य आयातित माल की तरह गुणवत्ता के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाएगा और जब भी छूट उपलब्ध हो, ऐसे आयातों पर, जब दावा किया जाए, तब छूट दी जाएगी।

डाक आयात के लिए सीमा शुल्क से आकलन तथा सी.आर.ए से जांच को यथोचित परिवर्तन सहित लागू किया जाना चाहिए।

3.16 डाटा संचार/दूरसंचार लिंक अथवा इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर का आयात

सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात में लगे ईओयूज तथा ईपीजेड/ईएचटीपी/एसटीपी के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर विकास करने वाली इकाईयों को ऐसे आयात की अनुमति दी जाती है। चूँकि इकाई द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड में ऐसे आयात के भौतिक सत्यापन, उचित लेखाकरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा तथा नियमित सत्यापन को आवश्यक समझा जाता है।

यूनिट को आयात प्रमाणपत्र तथा निदेशक एसटीपी/विकास आयुक्त तथा बैंक सत्यापित बीजक के साथ राष्ट्रीय “आउट ऑफ चार्ज” प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क को 48 घंटे के अन्दर अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ बी.ई. दायर करना चाहिए।

ऐसा आयात सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है।

3.17 बैगेज (आयात)

3.17.1 बैगेज से तात्पर्य एक यात्री के साथ विद्यमान सामान से है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(3) में परिभाषा के रूप में, बैगेज में बिना साथ सामान सम्मिलित है परन्तु मोटर वाहन शामिल नहीं है। धारा 77 से 81 बैगेज के विषय में प्रावधान को निर्दिष्ट करती हैं।

बैगेज नियम, 1998 बैगेज (संशोधन) नियम, 2006 द्वारा संशोधित रियायतों को विनियमित करता है जो विदेश से भारत आने वाले निम्न प्रकार के यात्रियों के लिए उपलब्ध है:

- (i) नेपाल, भूटान, म्यांमार अथवा चीन के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्री;
- (ii) नेपाल, भूटान, म्यांमार अथवा चीन से आने वाले यात्री;
- (iii) भारत आने वाले व्यवसायिक;
- (iv) पर्यटक;

used. On arrival of import goods at the airport or at the Land Customs Station, the on board courier/the authorized agent of the courier company carrying goods by any mode of transport hands over the goods to different courier companies for undertaking customs clearance of their consignment. After submission of the Courier Import Manifest, a simplified BE is submitted for clearance of the dutiable goods. There is no limit as regards the dutiable or commercial goods. These goods are assessed to duty on merit like any other imported goods, and exemption, whenever available, is allowed to such imports when claimed.

The assessment by Customs and checking by C.R.A. for Postal Import should be applied *mutatis mutandis*.

3.16 Import of Software through data communication/telecommunication link or internet

EOUs engaged in development and export of software and software developing units under EPZ/EHTP/STP are allowed such imports. As such imports would not be available for physical verification, proper accountal of such import in the records maintained by the Unit and regular verification are considered necessary.

The unit shall file B.E. along with certificate of import and its value from the Director STP/Development Commissioner and Bank attested invoice along with other relevant documents within 48 hours to Customs for obtaining notional “out of charge”.

Such imports are not liable to Customs duties.

3.17 Baggage (Import)

3.17.1 Baggage means belongings with which one travels. Baggage as defined in Section 2(3) of the Customs Act, 1962, includes unaccompanied baggage but does not include motor vehicles. Sections 77 to 81 specify the provisions regarding baggage.

The Baggage Rules, 1998 as amended by Baggage(Amendment) Rules 2006, regulate the concessions that are available to the following types of passengers who arrive in India from abroad :

- (i) Passengers returning from countries other than Nepal, Bhutan, Myanmar or China;
- (ii) Passengers returning from Nepal, Bhutan, Myanmar or China;
- (iii) Professionals returning to India;
- (iv) Tourists;

- (v) भारत में अपने निवास स्थानांतरित करने वाले पर्यटक व्यक्ति;
- (vi) चालक दल के सदस्य।

उपरोक्त नियम ऐसी रियायतों योग्य मदों के लिए रियायत, परिस्थितियों, मात्रा तथा बैगेज के रूप में आयात के लिए पूर्णतया निषिद्ध मदों को भी निर्दिष्ट करता है।

बोना फाइड बैगेज मद जो शुल्क मुक्त अनुमति से अधिक हैं, की सीमा शुल्क के भुगतान पर निकासी की जा सकती है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रस्तावना के साथ अपने बैगेज में एक यात्री अथवा दल के एक सदस्य द्वारा आयातित सभी शुल्क योग्य मदें हैडिंग 98.03 के अन्तर्गत शुल्क प्रभार योग्य हैं। विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं के शुल्क की प्रभावी दर को समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

3.17.2 निर्धारण

निर्धारण की प्रक्रिया का पहला कार्य पोत अथवा विमान की विधिवत् प्रमाणीकृत यात्री सूची का संग्रहण है। पोत/विमान के चालक दल द्वारा हस्ताक्षरित घोषणाएं भी सीमा शुल्क अधिकारी को सौंपी जाती हैं। तब यात्रियों को उनका बैगेज घोषणा करने की अनुमति दी जाती है।

साथ में न होने वाले सामान को केवल औपचारिक घोषणा फाइल करने पर निकासी दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, आयात माल सूची में नोटिंग भी आवश्यक होगी। डाक द्वारा पहुँचे साथ में न होने वाले सामान के मामले में, निवारक विभाग द्वारा जारी यात्रियों के लैंडिंग प्रमाणपत्र को पहले ही दिए गए मुफ्त अनुमति की जांच के लिए मांगा जाता है।

सामान्य तौर पर, संदिग्ध यात्रियों के मामले को छोड़कर पैकेज की एक प्रतिशतता की जांच के लिए यात्री की मौखिक घोषणा स्वीकृत विषय है।

शुल्क यदि कोई हो, तो उसका नकद तथा भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जाए। निर्धारित प्रपत्र में भुगतान की रसीद गुणवत्ता, टाइप मॉडल आदि के साथ शुल्क हेतु वस्तु प्रभार से सम्बंधित यात्री विवरण की सभी विशेषताओं को दर्शाएगी। इसके उपरान्त, बैगेज दिया जाएगा।

3.17.3 लेखापरीक्षा जांच

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं को देखा जाना चाहिए:

- यात्री घोषणाओं की जांच;
- शुल्क योग्य वस्तुओं की घोषणाओं तथा शुल्क संग्रहण की जांच;
- यह जांच कि दी गई मुक्त अनुमति लागू आदेशों के अनुसार हो;
- यह देखना कि वस्तुएं जिनका मूल्यांकन किया जाना है, को सही से वर्णित किया जाए तथा उनका मूल्यांकन सही हो।

- (v) A tourist person transferring his residence to India;
- (vi) Members of the crew.

The above Rule specifies the items eligible for concession, circumstances, extent and condition for such concession and also the items which are totally prohibited for import as baggage.

The bona fide baggage items that are in excess of duty free allowance can be cleared on payment of Customs duty. With the introduction of Customs Tariff Act, 1975 all dutiable items imported by a passenger or a member of crew in his baggage are chargeable to duty under Heading 98.03. The effective rate of duties of different categories articles are notified from time to time.

3.17.2 Assessment

The first step in the process of assessment is the collection of passenger list of the Vessel or aircraft, duly authenticated. The declarations of the Crew signing off the vessel/aircraft are also handed over to the Customs Officer. The passengers are then allowed to declare their baggage.

Unaccompanied baggage can be cleared only on filing formal declarations. In such cases, noting in the import manifest will also be necessary. In the case of unaccompanied baggage arriving by post, the landing certificate of the passenger issued by the Preventive Department is called for to check the free allowance already granted.

Ordinarily, oral declaration of passenger is accepted subject to examination of a percentage of packages except in the case of suspected passengers.

Duty, if any, is to be paid in cash and in Indian Currency. Receipt for payment in prescribed form will show full particulars of the passenger details regarding articles charged to duty with quality, type model etc. Thereafter the baggage may be released.

3.17.3 Audit Checks

The following aspects should be seen in audit:

- Check declarations of passenger;
- Check declarations for dutiable articles and duty collections;
- Check that the free allowance granted is in accordance with the orders in force;
- See that articles which are assessed to duty are correctly described and their valuations are in order.

अध्याय 4

वेयरहाउसिंग

4.1 वेयरहाउस दो प्रकार के होते हैं: धारा 57 के तहत नियुक्त सार्वजनिक वेयरहाउस जिसमें शुल्क योग्य माल जमा किया जा सकता है, तथा धारा 58 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त निजी वेयरहाउस जिसमें शुल्क योग्य माल को लाइसेंस धारी द्वारा अथवा लाइसेंसधारी की ओर से अथवा किसी अन्य आयातित माल जिसके संदर्भ में एक सार्वजनिक वेयरहाउस में जमा हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं है, जमा किया जा सकता है।

यदि आयातक तुरन्त सारे स्टॉक का उपयोग नहीं करना चाहता है अथवा वह पूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में न हो, तब उसे माल वेयरहाउसिंग के लिए प्रविष्टि का बाँड बिल फाइल करना पड़ता है जो 'इन्टो-बाँड बीई' के रूप में जाना जाता है। लैंडिंग के पश्चात् वेयरहाउसिंग के लिए आयातक को एक इन्टो-बाँड बीई प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। उद्घरण्य शुल्कों का मूल्यांकन किया जाता है परन्तु उसका भुगतान करना आवश्यक नहीं है। बाँड राशि ऐसे माल पर निर्धारित शुल्क की राशि से दुगुनी होगी तथा यह मान्य रहेगी भले ही माल अन्य व्यक्ति अथवा अन्य वेयरहाउस को हस्तांतरित हो जाए। समयावधि जिसमें माल ब्याज उत्तरदायित्व के बिना तथा ब्याज उत्तरदायित्व के साथ वेयरहाउस में बना रह सकता है, को धारा 61 में निर्दिष्ट किया गया है।

धारा 65 के अनुसार, किसी वेयरहाउस में रखे गए माल का मालिक ऐसे माल के संदर्भ में वेयरहाउसिंग में किसी भी निर्माण प्रक्रिया अथवा अन्य प्रचालन चालू रख सकता है।

4.2 निकासी

धारा 67 में प्रावधान है कि वेयरहाउस में रखे गए माल को एक वेयरहाउस से अन्य वेयरहाउस में ले जाया जा सकता है।

धारा 68 के अनुसार, किसी वेयरहाउस में रखे गए माल का आयातक शुल्कों तथा अन्य भुगतान योग्य प्रभारों के भुगतान के पश्चात् एक एक्स-बाँड बीई फाइल करके घरेलू उपयोग के लिए माल की निकासी कर सकता है। तथापि, वेयरहाउस में रखे गए माल का मालिक निकासी हेतु एक आदेश बनाए जाने से पहले शुल्क के भुगतान के बिना किराए तथा केवल निर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान पर अपने माल के स्वामीत्व को त्याग सकता है। शुल्क दर तथा टैरिफ मूल्यांकन की दर वही होगी जो मूल्यांकन हेतु उस तिथि को प्रचलित होगी जिस पर बीई प्रस्तुत किया जाता है, धारा 15(ख) के अनुसार। निर्धारित मूल्य को पुनःनिर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं है तथा यह मूल मूल्य होगा जो इंटो-बाँड बीई में निर्धारित किया गया है।

Chapter 4

Warehousing

4.1 Warehouses are of two kinds: public warehouse appointed under Section 57 wherein dutiable goods may be deposited, and private warehouse licensed under Section 58, wherein dutiable goods imported by or on behalf of the licensee, or any other imported goods in respect of which facilities for deposit in a public warehouse are not available, may be deposited.

If the importer does not want to use the entire stock immediately or he is not in a position to pay the full Customs duty, he has to file a bond bill of entry for warehousing the goods, which is referred to as 'Int –Bond BE'. For warehousing after landing, the importer is required to present an Into-Bond BE. The duties leviable are assessed but not required to be paid. The bond amount will be twice the amount of duty assessed on such goods and will remain valid even if the goods are transferred to another person or to another warehouse. The time periods upto which the goods may remain in a warehouse, without incurring any interest liability and with interest liability are specified in Section 61.

In terms of Section 65, the owner of any warehoused goods may carry on any manufacturing process or other operations in the warehouse in relation to such goods.

4.2 Clearance

Section 67 envisages that the warehoused goods may be removed from one warehouse to another.

In terms of Section 68, the importer of any warehoused goods can clear the goods for home consumption by filing an Ex-Bond BE after payment of duties and other charges payable. However, the owner of any warehoused goods may, before an order for clearance has been made, relinquish his title to the goods on payment of rent and other specified charges only, without payment of duty. The rate of duty and tariff valuation shall be the rate and valuation in force on the date on which the BE is presented. vide section 15(b). The assessable value is not required to be re-determined and it is the original value as assessed in the Into-Bond BE.

वेयरहाउस में रखे गए माल को भी धारा 69 के प्रावधान के अनुसार एक शिपिंग बिल/निर्यात बिल फाइल करने तथा संबंधित शुल्क आदि भरने के पश्चात् शुल्क भुगतान के बिना भारत से बाहर निर्यात किया जा सकता है।

4.3 वेयरहाउस में रखे गए माल की बिक्री

धारा 72 निम्नलिखित मामलों में बांडिड माल के मालिक से सभी जुर्माने, किराए, ब्याज तथा अन्य भुगतान योग्य प्रभारों के साथ ऐसे माल पर प्रभार्य शुल्क की पूर्ण राशि की मांग के लिए सीमा शुल्क के उचित अधिकारी को शक्ति प्रदान करता है:

- (i) जहां सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन में कोई वेयरहाउस में रखा गया माल हटाया जाता है।
- (ii) जहां धारा 61 में निर्धारित वेयरहाउसिंग अवधि की समाप्ति पर एक वेयरहाउस से माल नहीं हटाया गया है।
- (iii) जहां कोई बांडिड माल की निकासी सीमा शुल्क की घरेलू खपत के लिए नहीं की गई है।

यदि मालिक उपरोक्त मांग की राशि के भुगतान में विफल होता है, तो सीमा शुल्क विभाग मालिक को नोटिस जारी करने के पश्चात् ऐसे बांडिड माल के पर्याप्त भाग जिसका चयन किया गया हो, को रोक और बेच सकता है।

4.4 बांड को रद्द करना

जब घरेलू उपभोग या निर्यात या अन्यथा किसी कारण से सारे माल की निकासी हो जाती है और ऐसे माल पर देय राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उचित अधिकारी पूर्ण रूप अदायगी दिखाकर बांड को रद्द कर सकता है।

महत्वपूर्ण केस ला

वेयरहाउसिंग अवधि – 30 मई 1996 को प्रारम्भिक रूप से एक वर्ष अर्थात् अधिकतम अनुमेय अवधि के लिए वेयरहाउस में रखे गए आयातित माल – माल की नीलामी – का विस्तार किया गया परन्तु फिर भी जिसका समय आयातक के अनुरोध पर पुनः 31 जनवरी 2001 तक बढ़ा दिया था जहां पर विस्तार के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया – दिनांक 31-12-2004 के पत्र द्वारा आयातक को यह सूचित किया गया कि वह माल को ऐसे उद्देश्य के लिए समर्पित कर रहा था क्योंकि वह उद्देश्य जिसके लिए उन्होंने आयात किया था, उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था – क्योंकि इसके पश्चात् आयातक ने समर्पण के प्रस्ताव को वापिस ले लिया, जो इसके कारण कोई अन्तर नहीं बना पाएगा – नीलामी के लिए पहले से ही माल रखा गया है, दिनांक 14-01-2003 के बोर्ड परिपत्र को लागू नहीं किया गया – समय के विस्तार हेतु आवेदन 22^{वीं}/28 सितम्बर 2005 को किए गए जबकि नीलामी 28-9-2003 को

Warehoused goods may also be exported out of India without payment of duty after filing of a Shipping Bill/Bill of Export and the payment of relevant duties etc. as per provision of Section 69.

4.3 Sale of Warehoused goods

Section 72 empowers the proper officer of Customs to demand from the owner of the bonded goods the full amount of duty chargeable on such goods, along with all penalties, rent, interest and other charges payable in the following cases:

- (i) Where any warehoused goods are removed in contravention of the Customs Act.
- (ii) Where goods have not been removed from a warehouse on expiry of warehousing period as prescribed in Section 61.
- (iii) Where any bonded goods have not been cleared for home consumption of Customs.

In case the owner fails to pay the amount as demanded above, Customs may detain and sell, after notice to the owner, such sufficient portion of the bonded goods as may be selected.

4.4 Cancellation of Bond

When the whole of the goods have been cleared for home consumption or exported or are otherwise dully accounted for and all the amounts due on account of such goods have been paid, the proper officer shall cancel the bond as discharged in full.

Important Case Law :

Warehousing period - Extension of - Auction of goods - Imported goods warehoused on 30 May,1996 initially for a period of one year i.e. the maximum permissible period but which had nevertheless been extended time and again on request of importer up to 31 January,2001 where after no application for extension was made - Importer by letter dated 31-12-2004 intimated that he was surrendering goods as the purpose for which they had been imported could not be implemented - Merely because importer thereafter withdrew the offer of surrender would not make any difference to its cause - Goods having already been put to auction, Board's Circular dated 14-1-2003 not applicable - Application for extension of time made on 22nd/28th September, 2005 when auction was to be held on 28-9-2003 but had

आयोजित की जानी थी परन्तु आयातक के प्रयासों के कारण स्थगित कर दी गई थी - माल में इसके शीर्षक को समर्पित करने वाले आयातक दिनांक 31-12-2004 का पत्र देखें, यह दावे के साथ यह कहने के लिए खुला नहीं था कि इस समर्पण को तत्काल वापस ले लिया गया था - आयातक को अपनी स्वयं की गलतियों के कारण लाभ लेने तथा यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि हालांकि नीलामी को इसे रोकने के प्रयासों के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तथापि यह परिपत्र में वापिस लेने का हकदार था - आयातक की पुनःनिर्यात की याचिका को भी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 तथा 72 के तहत - सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। [2008 (223) ईएलटी-129 (एस.सी.)]

4.5 लेखापरीक्षा जांच

पूर्व-बांड बिल ऑफ एंट्री की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं को देखा जाना चाहिए:-

- (i) बांड क्लर्क द्वारा बिल ऑफ एंट्री नोट किए जाने के पश्चात् यह देखना चाहिए कि क्या इसे मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्गीकरण, टैरिफ मूल्य (यदि कोई हो) तथा शुल्क की दर के संबंध में निपटाया गया है।
- (ii) प्रतिशत मापन द्वारा निर्धारित वजन पर मूल्यांकित माल की पार्ट निकासी के मामले में, बिल ऑफ एंट्री में दर्ज मात्रा बिल ऑफ एंट्री के पीठ पर दर्ज ब्यौरे के अनुसार सही अनुपात में है।
- (iii) जब टैरिफ या विनियम दरों में परिवर्तन होता है तो डुप्लीकेट एक्स बिल ऑफ एंट्री का मूल बिल से मिलान किया जाता है। इस तथ्य पर प्रमुख विचार किया जाना है कि टैरिफ मूल्य तथा लागू शुल्क की दर लागू होने की तिथि वाली ही है जिस पर ऐसे माल के घरेलू उपभोग हेतु एक बीई प्रस्तुत किया जाता है।
- (iv) यदि माल के लिए एक टैरिफ मूल्य लागू किया गया है जो इंटो-बांड में उनकी प्रविष्टि के समय पर यथामूल्य मूल्यांकित किया जाता है तो माल को ऐसे टैरिफ मूल्य पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (v) यदि माल को उनके इंटो-बांड प्रविष्टि के समय पर टैरिफ मूल्य पर निर्धारित किया जाता है किन्तु घरेलू उपभोग के लिए बांड से उनकी निकासी के समय कोई टैरिफ मूल्य लागू न हो, तो उन्हें यथामूल्य पुनर्मूल्यांकित किया जाना चाहिए।
- (vi) 'इंटो बांड बिल ऑफ एंट्री में वर्णित माल, प्रकृति, संख्या के ब्यौरे तथा अन्य संबंधित विवरण का प्रविष्टि के एक्स-बांड बिल ऑफ एंट्री के साथ मिलान किया जाना चाहिए।'

been stalled on account of efforts of importer - Importer having surrendered its title in goods vide letter dated 31-12-2004, it was not open to it to contend that this surrender had been withdrawn subsequently - Importer cannot be permitted to take advantage of its own wrong and to say that though auction could not be finalized due to its stalling efforts yet it was entitled to fall back on circular - Importer's plea for re-export also rejected by Supreme Court - Sections 61 and 72 of Customs Act, 1962. **[2008 (223) ELT-129 (S.C.)]**

4.5 Audit Checks

In auditing the ex-bond bills of entry, the following aspects should be seen :-

- (i) After the bill of entry has been noted by the bond clerk whether it has been dealt with by the Appraising Department as regards classification, tariff value (if any) and rate of duty.
- (ii) That in the case of part clearance of goods assessed on weight ascertained by percentage weighment, quantity entered in the bill of entry, is proportionately correct according to the particulars on the reverse of the bill of entry.
- (iii) The duplicate ex-bond bills of entry are compared with the original, when there are changes in tariff or exchange rates. Special attention is to be paid to the fact that the tariff value and the rate of duty applied is that in force on the date on which a BE for home consumption of such goods is presented.
- (iv) If a tariff value has come into force for goods which are assessed ad valorem at the time of their entry into-bond, the goods should be assessed on such tariff value.
- (v) If goods were assessed on tariff value at the time of their entry into-bond, but no tariff value is in force at the time of their clearance from Bond for home consumption, they should be reassessed ad valorem.
- (vi) 'The description of goods, nature, number and other relevant particulars mentioned in Into Bond Bills of Entry shall be matched with corresponding Ex- Bond Bill of Entry.'

4.6 लेखापरीक्षा में देखी गई अनियमितताओं के व्याख्यात्मक मामलें

4.6.1 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61(2)(ii) के अनुसार, 90 दिनों की अवधि से अधिक समय तक वेयरहाउस में रखे गए माल पर निकासी के समय देय शुल्क की राशि पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज देय होता है।

वेयरहाउसिंग की तिथि (जून तथा अक्टूबर 2005) से 90 दिनों की समाप्ति के पश्चात्, विभाग ने आयातक को डीएफसीईसी से शुल्क का एक भाग जमा कराकर माल की निकासी करने तथा शुल्क की शेष राशि को नकद में एकत्रित करने की मंजूरी दी। तथापि, विभाग ने गलत तरीके से शुल्क के केवल उस भाग पर जिसका ब्याज के कम उद्ग्रहण नकद में भुगतान किया गया, पर ब्याज की वसूली की।

4.6.2 धारा 61 के अनुसार, माल को उस वेयरहाउस में रखा जा सकता है जिसमें उन्हें एक वर्ष की अवधि अथवा ऐसी विस्तारित अवधि जो सीमा शुल्क आयुक्त अथवा मुख्य आयुक्त द्वारा स्वीकृत हो, के लिए रखा जाता है। इसके अलावा, धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, सीमा शुल्क सहायक आयुक्त/उपायुक्त को तुरन्त माल रोकने तथा माल की नीलामी द्वारा शुल्क की वसूली के लिए कार्यवाही करना आवश्यक है। ऐसे मामले देखे गए हैं जहां वेयरहाउस में रखे गए माल की एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी निकासी नहीं की गई तथा आयातक द्वारा वेयरहाउसिंग अवधि के विस्तार की भी कोई मांग नहीं की गई। धारा 72 के प्रावधान के अन्तर्गत शुल्क मांग के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

4.6 Illustrative cases of irregularities noticed in audit

4.6.1 In accordance with Section 61(2)(ii) of the Customs Act, 1962, goods remaining in a warehouse beyond a period of 90 days attract interest at the specified rates on the amount of duty payable at the time of clearance.

The department after expiry of 90 days from the date of warehousing (June and October 2005) allowed the importer to clear the goods by debiting a portion of duty from DFCEC and collecting the balance amount of duty in cash. However, the department incorrectly charged interest only on the portion of duty that was paid in cash leading to short levy of interest.

4.6.2 As per Section 61, goods may be kept in the warehouse in which they are deposited for a period of one year or such extended period as the Commissioner or the Chief Commissioner of Customs may allow. Besides, as per provisions of Section 72, the Asstt. Commissioner/ Deputy Commissioner of Customs is required to immediately proceed to detain the goods and take action for recovery of duty by auctioning the goods. Cases have been noticed where warehoused goods were not cleared even after expiry of a period of one year and also no extensions of the warehousing period were sought by the importer. No action was initiated by the department to demand duty under the provision of Section 72.

अध्याय 5

इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)

5.1 परिवहन के नए माध्यम तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा कंटेनराइजेशन में वृद्धि के साथ, बंदरगाहों में भीड़ हो रही है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास के साथ, दूरदराज के क्षेत्रों में उपयोग हेतु आयात तथा वहां से होने वाले निर्यात में वृद्धि हुई है। दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित आयातकों तथा निर्यातकों के लिए आयात अथवा निर्यात माल की निकासी हेतु प्रवेश द्वार के बंदरगाह तक आना कठिन था। इसलिए आयातकों तथा निर्यातकों की अधिक से अधिक सुविधा के लिए आईसीडी तथा सीएफएस को विकसित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। ये एक शुष्क बंदरगाह के रूप में कार्य करने तथा किसी अन्य बंदरगाह पर सीमा शुल्क निकासी के लिए सभी सेवाएं प्रदान करते हैं।

5.2 एक आईसीडी वह स्थान है जहां कंटेनर को बंदरगाह से तथा आगे की गतिविधि के लिए एकत्रित किया जाता है जबकि सीएफएस वह स्थान है जहां कंटेनर को भरा, खाली तथा एकत्रित किया जाता है और कारगों का पृथक्करण किया जाता है। आईसीडी सामान्यतः बंदरगाह शहरों से बाहर स्थित हैं जबकि सीएफएस के लिए कोई स्थान प्रतिबंध लागू नहीं है। एक आईसीडी में एक सीएफएस संलग्न हो सकता है। सीएफएस को एक बंदरगाह/आईसीडी/एयर-कारगों के विस्तार/कामप्लेक्स के रूप में व्यवहारित किया जाता है।

5.3 एक आईसीडी/सीएफएस का मुख्य कार्य आयात तथा निर्यात के लिए कंटेनराइज्ड कारगो की प्राप्ति, प्रेषण तथा निकासी है। आईसीडी/सीएफएस पर सीमा शुल्क निकासी के उद्देश्य हेतु, सीमा शुल्क अधिकारियों को लागत वसूली के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

एक बंदरगाह/एयरपोर्ट/एलसीएस पर खाली किए आयातित कारगो को आईसीडी/सीएफएस के लिए ट्रांसशिप करने की अनुमति दी जाती है। वाहक को आईसीडी/सीएफएस से लैंडिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है उसे तथा मूल बंदरगाह पर सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत करना पड़ता है।

आईसीडी/सीएफएस एक बंदरगाह अथवा एयर कारगो यूनिट की तरह एक आत्मभरित सीमा शुल्क स्टेशन है जहां सीमा शुल्क वस्तुसूची फाईल करना, बीई, शिपिंग बिल, निर्धारण तथा घरेलू उपयोग के लिए निकासी से संबंधित सभी गतिविधियों, वेयरहाउसिंग, पुनः निर्यात आदि की जाती हैं। इसी प्रकार, आईसीडी/सीएफएस से माल को निर्यात किया जा सकता है।

आयात तथा निर्यात हेतु माल की निकासी के लिए तथा उसके मूल्यांकन हेतु वही प्रक्रिया होगी जैसाकि मूल बंदरगाह पर होती है।

Chapter 5

Inland Container Depot (ICD) and Container Freight Station (CFS)

5.1 With the new mode of transportation and increase in international trade and containerization, the ports are getting congested. Further, with widespread industrialization and economic growth, the imports for use in hinterland and exports originating from there have increased. It was difficult for importers and exporters based in the hinterland, to come to a gateway port for clearance of imported or export goods. So for greater facilitation to importers and exporters, a need was felt to develop ICD and CFS. These are to function like a dry port and offer all the services for Customs clearance like any other port.

5.2 An ICD is a place where containers are aggregated for onward movements to and from the ports whereas CFS is a place where containers are stuffed, unstuffed and aggregation and segregation of cargo takes place. ICDs are normally located outside the port towns whereas no site restrictions apply to CFS. An ICD may have a CFS attached to it. CFS is treated as an extension of port/ICD/Air-Cargo complex.

5.3 The main functions of an ICD/CFS are receipt, dispatch and clearance of containerized cargo for import and export. For the purpose of Customs clearance at the ICD/ CFS, Customs officers are posted on cost recovery basis.

The imported cargo unloaded at a port/Airport/LCS is allowed to be transhipped to ICD/CFS. The carriers have to obtain the landing certificate from the ICD/CFS and submit the same to Customs at originating port.

ICD/CFS is a self contained Customs station like a port or air cargo unit where filing of Customs manifest, BE, Shipping Bill, assessment and all the activities related to clearance for home consumption, warehousing, re-export etc. take place. Similarly, goods can be exported from ICD/CFS.

The procedure for clearance of goods for import and export and assessment thereof will apply as is done in the originating port.

आईसीडी/सीएफएस के प्रचालकों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत संरक्षक नियुक्त किया जाता है। संरक्षक उनके आईसीडी/सीएफएस में संग्रहित माल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

5.4 लेखापरीक्षा जांच

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जा सकती है:

- माल के आयात तथा निर्यात के लिए सीआरएडी द्वारा जांच के सभी प्रकारों के अतिरिक्त, आईसीडी/सीएफएस पर नियुक्त सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए लावारिस/अस्पष्ट माल, प्रेषण के लिए लंबित जब्त माल तथा लागत की वसूली की भी जांच की जानी होती है।
- लागत वसूली प्रभारों की गणना की पद्धति को निम्न रूप में जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये अधिनियम में उपलब्ध नहीं है:-

“संरक्षक को आईसीडी/सीएफएस पर अधिकारियों के कुल वास्तविक वेतन के @185% का भुगतान करना आवश्यक है। (प्राधिकार: निर्देश एफ संख्या 434/17/2004/सीमा शुल्क-IV, दिनांक: 12.9.2005)

The operators of the ICDs/CFSs are appointed custodians under Section 45 of the Customs Act. Custodians are responsible for safety and security of the goods stored in their ICD/CFS.

5.4 Audit checks

The following aspects may be checked in audit:

- In addition to all types of checking by CRAD for import and export of goods, unclaimed/uncleared goods, confiscated goods pending disposal and recovery of cost for Customs officers posted at ICD/CFS are also to be examined.
- The mode of calculation of cost recovery charges may be Added as under as these are not available in the Acts:-

“The custodians are required to pay @185% of total salary of officers actually at the ICD/CFS. (Authority :Instruction F No. 434/17/2004/Cus-IV, dt:12.9.2005)

अध्याय - 6

निर्यात

6.1 प्रस्तावना

‘निर्यात’ को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(18) में भारत से बाहर एक स्थान पर ले जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी प्रकार ‘निर्यात माल’ से तात्पर्य ऐसे माल से है जिसे भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना है {धारा 2(19)}।

निर्यातक को निर्यात माल की निकासी के लिए शिपिंग बिल को फाइल करने से पूर्व विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) के कार्यालयों से आयातक निर्यातक कोड संख्या (आईईसी) तथा पैन आधारित व्यापार पहचान संख्या (बीआईएन) प्राप्त करना पड़ता है। ईडीआई प्रक्रिया के अन्तर्गत, डीजीएफटी से सीमा शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पैन आधारित बीआईएन प्राप्त किया जाता है। आईईसी संख्या प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है।

निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत निर्यात करने के इच्छुक निर्यातकों को उनके लाइसेंस को सीमा शुल्क हाउस में पंजीकृत कराना आवश्यक है।

6.2 निर्धारण

एक पोत या विमान द्वारा निर्यात होने वाले माल के मामले में किसी भी माल के निर्यातक को उचित अधिकारी को एक शिपिंग बिल (एसबी) तथा भूमि द्वारा होने वाले निर्यात के मामलों में निर्धारित फार्म (धारा 50) में एक निर्यात बिल प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने हेतु कि भारत में निर्यात से उत्पन्न आय भारत में प्राप्त की जाए, व निर्यातक को आरबीआई द्वारा निर्धारित जीआर फॉर्म अवश्य फाइल करना चाहिए।

सीमा शुल्क हाउस सामान्य तौर पर शिपिंग बिलों के निम्नलिखित प्रकारों के साथ कार्य करते हैं:-

- (i) मुक्त माल हेतु एस.बी.,
- (ii) शुल्क योग्य/अथवा उपकर योग्य माल हेतु एस.बी.,
- (iii) सीमा शुल्क या केन्द्रिय उत्पाद शुल्क या दोनों की वापसी के दावे के अन्तर्गत भेजे जाने वाले माल हेतु एस.बी., तथा
- (iv) निर्यात संवर्धन योजना हेतु एस.बी.।

एसबी तथा निर्यात माल की संवीक्षा तथा जांच निर्यात माल की प्रकृति पर आधारित या तो मुक्त रूप में अथवा वापसी के दावे के तहत अथवा बांड आदि के तहत की जाती है।

Chapter - 6

Exports

6.1 Introduction

‘Export’ is defined in Section 2(18) of the Customs Act, 1962 as taking out of India to a place outside India. Similarly ‘export goods’ means any goods which are to be taken out of India to a place outside India {Section 2(19)}.

The exporters have to obtain Importer Exporter Code No. (IEC) and PAN based Business Identification Number (BIN) from the offices of the Director General of Foreign Trade (DGFT) prior to filing of shipping bill for clearance of export goods. Under the EDI system PAN based BIN is received by the Customs System online from DGFT, IEC No. is also required to be furnished.

The exporters intending to export under the export promotion scheme need to get their licences registered at the Customs House.

6.2 Assessment

The exporters of any goods shall present to the proper officer in the case of goods to be exported in a Vessel or aircraft, a shipping bill (SB), and in the case of goods to be exported by land, a bill of export in the prescribed form (Section 50). Further in order to enable Reserve Bank of India (RBI) to ensure that export proceeds are received in India, the exporters must file GR form prescribed by RBI.

The Custom Houses generally deal with the following types of shipping bills:-

- (i) S.B. for free goods,
- (ii) S.B. for dutiable/or cessable goods,
- (iii) S.B. for goods to be shipped under claim for drawback of Customs or Central Excise or both, and
- (iv) S.B. for export promotion schemes.

The scrutiny and examination of SB and the goods depend on the nature of export goods either as free or under claim of drawback or under bond etc.

निर्यात विभाग में मूल्यांकन अनुभाग का कार्य एसबी की संवीक्षा, उनका मूल्यांकन तथा उन्हें जांच के लिए चिन्हित करना है। इस स्तर पर संवीक्षा में एसबी में प्रस्तुत विवरणों की जांच में, निर्यात पर विभिन्न नियंत्रणों के प्रवर्तन हेतु माल का मूल्यांकन समाहित है। ये जांच बीजक, आदेश, करार, मूल्य सूची आदि जैसे संबंधित दस्तावेजों के संदर्भ में मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि माल का मूल्यांकन अधिक अथवा कम न हो तथा जांच को राजस्व तथा विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए निदेशित किया जाता है। निर्यात मूल्यांकक द्वारा एसबी स्वीकृत करने तथा शुल्क/उपकर की राशि की गणना होने के पश्चात् शिपिंग बिल की सभी प्रतियां शुल्क/उपकर यदि कोई हो, के भुगतान के लिए निर्यातक को सौंप दी जाती है।

धारा 74 के अन्तर्गत वापिस लिए गए शुल्क दावे के तहत निर्यातकों के संदर्भ में, पहले डॉक पर माल के साथ एसबी को प्रस्तुत किया जाता है तथा निर्यात विभाग में एसबी की स्वीकृति से आगे जांच की जाती है। इन मामलों में कोई दूसरी जांच नहीं की जाती तथा मूल्यांकन ग्रुप द्वारा 'लेट एक्सपोर्ट' आदेश पारित किया जाता है।

आउटवर्ड प्रविष्टि को मंजूर करने से पहले सीमा शुल्क हाउस में प्राप्त एसबीज़ पर 'आउटवर्ड प्रविष्टि से पूर्व' की मुहर लगाई जाती है। 'पूर्व प्रविष्टि' की मुहर वाले एसबी की डॉक मूल्यांकन कर्मचारियों द्वारा जाँच की जाती है तथा निर्यात हेतु पारित किया जाता है। एसबी प्रस्तुत करने की तिथि तथा आउटवर्ड प्रविष्टि की तिथि के बीच शुल्क की दर में परिवर्तन के मामले में, पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

ईडीआई प्रणाली के अन्तर्गत निर्यातक इलेक्ट्रॉनिक सेवा केन्द्र में घोषणाएं प्रस्तुत करता है। निर्यातक द्वारा ऑकड़ों के सत्यापन हेतु एक जांच सूची बनाई जाती है। सत्यापन के पश्चात् सेवा सेन्टर प्रचालक द्वारा सिस्टम में ऑकड़े प्रविष्ट किए जाते हैं तथा तब सिस्टम एक एसबी संख्या देता है। परीक्षण के समय मूल दस्तावेज लिए जाते हैं।

मूल्यांकन अधिकारी मैन्यूअल प्रक्रिया में दिए पैरामीटर के अनुसार स्क्रीन पर कारगो घोषणा करता है। तथापि, सारी गणनाएं स्वयं सिस्टम द्वारा की जाती हैं। जहां शुल्क तथा/अथवा उपकर देय है वहां टीआर-6 चालान प्रिंट किया जाता है तथा एसबी देने के तुरन्त बाद निर्यातक/सीएचए को सेवा सेन्टर द्वारा दिया जाता है।

शुल्क/उपकर आदि की राशि तक आने में सम्मिलित मुख्य तथ्य निम्नानुसार हैं।

6.3 वर्गीकरण

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में दूसरी अनुसूची (निर्यात टैरिफ पर) में बयालीस मदें सम्मिलित हैं। इसमें मदों का वर्णन सटीक तथा स्पष्ट है। इसलिए, इस टैरिफ की व्याख्या तथा क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं आती।

The function of the Appraising Section in the export department is to scrutinize the SB, assess them and mark for examination. The scrutiny at this stage consists in checking particulars furnished in the SB, valuation of goods as also for the enforcement of the various controls on export. These checks are carried out with reference to connected documents such as invoices, orders, contracts, price list etc. specially to ensure that there is no over or under valuation of goods and the checks are directed to protect revenue and foreign exchange. After the SB has been approved by the export Appraiser and amount of duty/cess is calculated, all copies of the shipping bill are then handed over to the exporter for payment of duty/cess, if any.

In respect of exports under claim of duty drawback under Section 74, the SB together with the goods are first presented at the Docks and examination precedes the acceptance of SB in the export department. In these cases no second examination is done and the 'let export' order is passed by the Appraising Group.

The SBs received in the Custom House prior to grant to entry outwards are stamped 'Prior to entry outwards'. The SB bearing 'prior entry' stamp, are examined by the dock appraising staff and passed for export. In case of change in rate of duty between the date of presenting the SB and the date of entry outwards, re-assessment procedure will be followed.

Under EDI system the exporter submits declarations in electronic service centre. A check list is generated for verification of data by the exporter. After verification, the data is entered to the system by the Service Centre operator and the system then generates a SB Number. Original documents are taken at the time of examination.

The assessing officer processes the cargo declaration on screen with regard to parameters as given in manual process. However, all the calculations are done by the system itself. Where duty and/or cess is payable, the TR-6 challan is printed and given by the Service Centre to the exporter/CHA immediately after submission of SB.

In arriving at the amount of duty/cess etc. the major factors involved are as under.

6.3 Classification

In the Customs Tariff Act, 1975 the Second Schedule (on Export Tariff) incorporates forty-two items. The description of commodities therein is precise and unambiguous. Therefore, interpretation and application of this tariff does not pose any difficulty.

6.4 मूल्यांकन

निर्यात मूल्यांकन का महत्व मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों के कारण है:

- (i) विदेशी मुद्रा वसूली को सुनिश्चित करने की आवश्यकता;
- (ii) फिरती ऐसे मूल्य से संबंधित हो सकती है;
- (iii) निर्यात प्रोत्साहन ऐसे मूल्य पर आधारित होता है।

इस प्रकार निर्यात पक्ष पर मूल्यांकन केवल अधिक महत्वपूर्ण ही नहीं है अपितु अधिक जटिल भी है तथा कम/अधिक इनवॉयसिंग के प्रति विशेषज्ञ, विस्तृत जांच और लगातार सतर्कता होनी चाहिए जिसे विभिन्न कारणों से किया जाना चाहिए।

धारा 14 निर्धारित करती है कि निर्यात माल का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अनुसार, मूल्य ऐसे माल के लेन-देन का मूल्य होना चाहिए अर्थात् निर्यात के समय तथा स्थान पर आबंटन हेतु माल के लिए वास्तविक भुगतान मूल्य अथवा देय मूल्य, जहां क्रेता तथा विक्रेता संबंधित नहीं है तथा बिक्री हेतु मूल्य पर ही ध्यान दिया जाता है। मूल्य की लागू होने की तिथि के विनिमय दर के संदर्भ में गणना की जानी चाहिए जिस पर धारा 50 के अन्तर्गत एक शिपिंग बिल प्रस्तुत किया जाता है।

सीमा शुल्क मूल्यांकन (निर्यात माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 लेन-देन के मूल्य को मूल्य निर्धारण के लिए प्रमुख यार्डस्टिक बनाने की परिकल्पना करता है तथा जहां लेन-देन मूल्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता अनुसरण के लिए वैकल्पिक विधियां उपलब्ध कराता है।

लेन-देन मूल्य- नियम 3 के अनुसार, निर्यात माल का मूल्य ही लेन-देन का मूल्य होना चाहिए। यहां तक कि जहां क्रेता तथा विक्रेता संबंधित हों, वहां पर लेन-देन मूल्य को स्वीकार किया जाना चाहिए बशर्ते कि संबंध ने मूल्य को प्रभावित न किया हो।

जब लेन-देन के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो। 4 से 6 नियमों के माध्यम से मूल्य को क्रमिक रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया जाना चाहिए:

तुलना द्वारा मूल्य – निर्यात माल का मूल्य उसी तरह के माल के लेन-देन के मूल्य और आयात के उसी गंतव्य देश में अन्य क्रेताओं को उसी समय निर्यात किए गए माल के लेन-देन मूल्य पर आधारित होना चाहिए। (नियम 4)

परिकलित मूल्य विधि – यदि नियम 4 के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता है तो इसे परिकलित मूल्य पर आधारित होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होने चाहिए :

- (क) निर्यात माल के उत्पादन, निर्माण अथवा प्रसंस्करण की लागत;

6.4 Valuation

The importance of export valuation is mainly because of the following factors:

- (i) the need to ensure foreign exchange realization;
- (ii) the drawback may be related to such value;
- (iii) the export incentives are dependent on such value.

Thus the valuation on the export side is not merely more important but more complicated and may call for expertise, detailed scrutiny and constant vigilance against under/over invoicing which may be attempted for various reasons.

Section 14 lays down as to how the value of the export goods should be determined. According to this, the value shall be the transaction value of such goods i.e. price actually paid or payable for the goods for delivery at the time and place of exportation, where the buyer and seller are not related and the price is the sole consideration for sale. The price shall be calculated with reference to the rate of exchange as in force on the date on which a Shipping Bill is presented under Section 50.

The Customs Valuation (Determination of Value of Export Goods) Rules, 2007 envisage transaction value to be the principal yard stick for determination of value and also provide alternate methods to be followed where the transaction value can not be determined.

Transaction Value - As per Rule 3, the value of export goods shall be the transaction value. The transaction value shall be accepted even where the buyer and seller are related, provided that the relationship has not influenced the price.

When the transaction value cannot be determined, the value shall be determined by proceeding sequentially through Rules 4 to 6 as under :

Value by comparison - The value of the export goods shall be based on the transaction value of goods of like kind and quality exported at or about the same time to other buyers in the same destination country of importation.

(Rule 4)

Computed value method - If the value cannot be determined under Rule 4, it shall be based on a computed value , which shall include the following :

- (a) cost of production, manufacture or processing of export goods;

(ख) डिजाइन अथवा ब्रान्ड के लिए प्रभार, यदि कोई हो;

(ग) लाभ की एक राशि

(नियम 5)

शेष विधि- जहां नियम 4 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्यात माल के मूल्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता है तथा, मूल्य का निर्धारण इन नियमों में सिद्धान्तों और सामान्य प्रावधानों के अनुरूप उचित कारणों के उपयोग से निर्धारित किया जा सकता है बशर्ते निर्यात माल का स्थानीय मूल्य निर्यात माल के मूल्य के निर्धारण का केवल आधार न हो। (नियम 6)

इस प्रकार निकाले गए मूल्य को फ्री ऑन बोर्ड (एफ.ओ.बी) मूल्य के रूप में जाना जाता है। तथापि, जहां किसी वस्तु के लिए टैरिफ मूल्य निर्धारित किया गया है, वहां ऐसे मूल्य को शुल्क के उद्ग्रहण के उद्देश्य के लिए अपनाया जाता है।

6.5 निर्यात पर शुल्क

6.5.1 निर्यात शुल्क

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची निर्यात की वस्तुओं तथा दर जिस पर निर्यात शुल्क उद्ग्रह्य है, को निर्दिष्ट करती है। निर्दिष्ट शुल्क की दर या तो यथामूल्य या विशिष्ट अर्थात् माल की मात्रा पर होती है।

6.5.2 निर्यात पर उपकर

यद्यपि कुछ मर्दे उनके निर्यात पर सीमा शुल्क के अधीन हैं, तथापि विभिन्न मंत्रालयों/प्रशासनिक निकायों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अनुसूचीगत वस्तुओं के निर्यात पर उपकर उद्ग्रह्य हैं। इन अधिनियमों के अन्तर्गत, चपड़ा और लाख आधारित उत्पाद, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, अम्रक अयस्क आदि जैसी निर्दिष्ट निश्चित वस्तुओं के निर्यात पर उपकर लगता है। निर्यात उपकर जिसे सीमा शुल्क के रूप में संग्रहित किया जाता है, के उद्ग्रहण का उद्देश्य उस माल के उत्पादन हेतु उद्योग के साथ जुड़े कर्मचारियों के विकास अथवा कल्याण के लिए बेहतर वित्तीय प्रावधान बनाना है।

कुछ निर्यात उपकर अधिनियम निम्नलिखित हैं:

- (i) शैलेक निर्यात संवर्धन काउंसिल, कोलकाता, वाणिज्यिक मंत्रालय।
- (ii) कलकत्ता सुधार अधिनियम, 1911;
- (iii) अम्रक खान श्रम कल्याण अधिनियम, 1946;
- (iv) नारियल जूट उद्योग अधिनियम, 1953;
- (v) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

- (b) charges, if any, for the design or brand;
- (c) an amount towards profit.

(Rule 5)

Residual Method—Where the value of export goods cannot be determined under the provisions of Rules 4 and, the value shall be determined using reasonable means consistent with the principles and general provisions of these Rules provided that local market price of the export goods may not be the only basis for determining the value of export goods **(Rule 6).**

The value so arrived at is known as Free on Board (F.O.B.) value for export. However, where Tariff Value has been prescribed for any commodity, such value has to be adopted for the purpose of levy of duty.

6.5 Duties on Export

6.5.1 Export Duty

Second Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 specifies the articles of export and the rate at which export duty is leviable. The rate of duty specified is either ad valorem or specific i.e. on the quantity of goods.

6.5.2 Cess on Export

While a few items are subjected to customs duty on their export, cesses are leviable on export of scheduled articles, under different Acts by various Ministries/Administrative bodies. Under these Acts, export of certain specified articles like shellac and lac based products, manganese ore, chrome ore, mica iron ore etc. attract cess. The purpose of levy of export cess, which is collected as customs duty is to make better financial provision for the development or welfare of the workers associated with the industries for production of those goods.

The following are some of the export cess enactments:

- (i) Shellac Export Promotion Council, Kolkata, Ministry of Commerce.
- (ii) The Calcutta Improvement Act, 1911;
- (iii) The Mica Mines Labour Welfare Act, 1946;
- (iv) The Coir Industries Act, 1953;
- (v) The Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1976.

6.6 महत्वपूर्ण तिथि

धारा 16 के अनुसार; किसी निर्यात माल के लिए प्रयोज्य शुल्क कर की दर तथा टैरिफ मूल्यांकन यदि कोई हो, तो वह प्रचलित दर तथा मूल्यांकन होगी:-

- (क) धारा 50 के अन्तर्गत निर्यात हेतु प्रविष्ट माल के मामले में, वह तिथि जिस पर निकासी की मंजूरी तथा धारा 51 के अन्तर्गत निर्यात के लिए माल की लोडिंग के लिए उचित अधिकारी एक आदेश बनाता है;
- (ख) अन्य माल के मामले में, शुल्क के भुगतान की तिथि।

6.7 छूट

कुछ को छोड़कर निर्यात टैरिफ में निर्दिष्ट अधिकतर मदों को धारा 25 के अन्तर्गत जारी रियायत अधिसूचना के तहत छूट दी गई है।

6.8 एंट्री आउटवर्ड तथा सामान्य निर्यात मालसूची

निर्धारण के पश्चात् एस.बी. को मूल्यांकक/संरक्षक अधिकारी द्वारा शेड्स में 'परीक्षण' अथवा 'निरीक्षण' हेतु चिन्हित किया जाता है। यदि माल का वर्णन तथा अन्य विशेषताओं को घोषित रूप में पाया जाता है तो शेड मूल्यांकक एक 'लेट एक्सपोर्ट' आदेश देता है। तब निर्यात माल को नौपरिवहन की मंजूरी दी जाती है।

6.8.1 एंट्री आउटवर्ड

जब पोत एक विदेशी बंदरगाह के लिए जाने को तैयार हो जाता है तब स्टीमर एजेंट बंदरगाह निकासी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करता है। सीमा शुल्क अधिकारी को यह संतुष्टि करनी पड़ती है कि सभी एस.बी. का आबंटन कर दिया गया है, तथा सभी देय का भुगतान स्टोर उपभोग पर शुल्क सहित कर दिया गया है (आउटवर्ड एंट्री) की मंजूरी से पहले 'आउटवर्ड एंट्री' की मंजूरी के पश्चात्, पोत एक विदेशी बंदरगाह के लिए प्रस्थान कर सकता है।

6.8.2 मालसूची

पोत/विमान के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारित फॉर्म जिसे "सामान्य निर्यात मालसूची (ईजीएम)" कहा जाता है, में एक पोत अथवा विमान पर लादे गए सारे माल का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पोत/विमान के प्रस्थान से पहले अथवा पोत/विमान के प्रस्थान से सात दिनों के अन्दर ईजीएम प्रस्तुत किया जा सकता है तथा एक बार जहाज/विमान के देश छोड़ने पर अनिवार्यतः शिपमेंट/निर्यात के अंतिम सबूत के रूप में लिया जाता है। सड़क मार्ग द्वारा निर्यात हेतु ऐसे ही प्रावधान हैं जहां निर्यात मालसूची को निर्यात रिपोर्ट कहा जाता है।

6.6 Crucial Date

As per Section 16, the rate of duty and tariff valuation, if any, applicable to any export goods, shall be the rate and valuation in force –

- (a) In the case of goods entered for export under Section 50, on the date on which the proper officer makes an order permitting clearance and loading of the goods for exportation under Section 51;
- (b) In the case of other goods, on the date of payment of duty.

6.7 Exemption

Most items specified in the export tariff, barring a few, are exempted under exemption notifications issued under Section 25.

6.8 Entry Outward and Export General Manifest

The S.Bs. after assessments are marked for ‘examination’ or ‘inspection’ in the sheds by Appraiser/Preventive Officer. If the description and other particulars of the goods are found to be as declared, the shed appraiser gives a ‘let export’ order. The export goods are then allowed to be shipped.

6.8.1 Entry outward

When the Vessel is ready to proceed to a foreign port, the steamer agent presents an application for port clearance. The Custom Officer has to satisfy himself that all S.Bs. have been delivered, all dues have been paid and all duties including duties on store consumed are paid before grant of permission (entry outward). After grant of ‘entry outward’, the Vessel may proceed to a foreign port.

6.8.2 Manifest

The persons in charge of the vessels/aircrafts are required to furnish details of all goods loaded on a vessel or aircraft in a prescribed form which is termed “Export General Manifest” (EGM). The EGM can be furnished before the vessel/aircraft departs or within seven days of departure of the vessel/aircraft and is essentially taken as the final proof of shipment/export once the ship/aircraft leaves the country. Similar provisions exist for export by land route where the export manifest is called export report.

मालसूची को दो पृथक भागों में प्रस्तुत करना आवश्यक है- एक सभी फिरती शिपमेंट के लिए तथा अन्य शेष के लिए। मालसूची पृथक रूप से ट्रांसशिपमेंट कारगो, रिटेंशन कारगो, स्टोर तथा बांड से बाहर शिपमेंट को भी दर्शाती है।

ईडीआई प्रणाली के अन्तर्गत, शिपिंग लाइन/एजेंट को पोत को नौकायन की तिथि से 7 दिनों के अन्दर सीमा शुल्क को इलेक्ट्रानिक रूप में ईजीएम, शिपिंग बिल वार देना आवश्यक है। एसबी की प्रति के साथ मैन्युअल ईजीएम भी निर्यात विभाग को फाइल करना अनिवार्य है।

6.9 लेखापरीक्षा जांच

आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से सीआरए अनुभाग में शिपिंग बिल प्राप्त किए जाते हैं। निर्यात विभाग द्वारा शुल्क भुगतान अथवा पारित करने के पश्चात् पहले मूल शिपिंग बिल प्राप्त किया जाता है। निर्यात विभाग में एक पोत में माल लदान होने के पश्चात् डुप्लीकेट बिल प्राप्त किया जाता है तथा तब उसे आईएडी को भेजा जाता है। तदनुसार दो स्तरों पर लेखापरीक्षा जांच की जाती है- एक मूल शिपिंग बिल पर तथा तब पुनः बिल की प्रति पर उपलब्ध सूचना के विस्तार पर आधारित डुप्लीकेट बिल पर।

शुल्क योग्य शिपिंग बिल के मामलों में, लेखापरीक्षा को यह देखना पड़ता है कि:

- शुल्क की दर तथा उपकर रियायत अधिसूचना यदि कोई हो, तो उसके साथ पठित टैरिफ अनुसूची के अनुसार सही प्रकार से प्रभारित किए गए हैं;
- अपनाया गया मूल्य टैरिफ मूल्य सहित सही है;
- शुल्क राशि/उपकर, यदि कोई हो, तो उसे सही प्रकार से निकाली गई है;
- निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमों को जैसे लिखा है वैसे ही अनुसरण किया गया है।

मुक्त शिपिंग बिल के संदर्भ में, लेखापरीक्षा में यह देखा जाना चाहिए कि:

- माल, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अन्तर्गत तथा संबंधित नियमों के अनुसार तथा बिलों में उनके वर्णन के प्रभाव द्वारा शुल्क मुक्त निर्यात के लिए अधिकृत है;
- अपनाया गया मूल्य सही है;
- निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियम को जैसे लिखा गया है वैसे ही अनुसरण किया गया है।

इसके अलावा, पोत की एंटी आउटवर्ड से पूर्व दायर शिपिंग बिलों के मामले में, शुल्क की दर तथा टैरिफ मूल्यांकन उस तिथि जिस पर उचित अधिकारी निकासी की मंजूरी तथा निर्यात हेतु माल की लोडिंग देने वाला आदेश देता है को प्रचलित हों;

The manifest is required to be submitted in two separate parts,- one for all drawback shipments and another for the rest. The manifest also shows separately Transshipment cargo, Retention cargo, Stores and shipment out of bond.

Under EDI system the shipping lines/agents need to furnish the EGM, Shipping Bill wise, to the Customs electronically within 7 days from the date of sailing of the vessel. Manual EGM along with the copy of the SB is also required to be filed to the export department.

6.9 Audit Checks

Shipping bills are received in CRA Section through the Internal Audit Department. The original shipping bill is received first after duty payment or passing by the Export Department. The duplicate is received after the goods are loaded in a vessel in the Export Department and then passed on to the IAD. Accordingly audit checks are exercised at two stages- one on the original shipping bills and then again on the duplicate depending on the extent of information available on the copy of the bill.

In case of dutiable shipping bills, Audit has to see that:

- the rates of duty, and cess are charged correctly in accordance with the Tariff Schedule read with exemption notification, if any;
- the value adopted is correct, including Tariff Value;
- the amount of duty/cess, if any, is correctly worked out;
- the export trade control regulations have been observed as laid down.

In respect of free shipping bills, Audit should see that:

- the goods are entitled to be exported free of duty under the Customs Tariff Act and allied acts by virtue of their description in the bills;
- the value adopted is correct;
- the export trade control regulations have been observed as laid down.

Further, in the case of shipping bills filed prior to entry outward of the vessel, the rates of duty and tariff valuation are those prevailing on the date on which the proper officer makes an order permitting clearance and loading of the goods for export;

ईडीआई प्रणाली के माध्यम से लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ऑन-स्क्रीन की जाती है तथा वही लेखापरीक्षा जांच कार्रवाई ईडीआई आंकड़ों पर लागू होती है जो मैन्युअली फाइल बिल पर की गई हो।

(ईडीआई लेखापरीक्षा प्रक्रिया/तरीके खण्ड II में वर्णित हैं)।

6.10 डाक द्वारा निर्यात

डाक द्वारा निर्यातित माल की निकासी धारा 82 से 84 द्वारा नियंत्रित की जाती है। धारा 82 में प्रावधान है कि डाक द्वारा निर्यातित माल के मामले में, माल के साथ लगे किसी लेबल अथवा माल की तत्संबंधी घोषणा जिसमें उसको मात्रा एवं मूल्य का विवरण हो निहित है, को सीमा शुल्क उद्देश्य के लिए निर्यात की एक प्रविष्टि माना जाएगा।

धारा 83 के अनुसार, शुल्क की दर तथा लागू टैरिफ मूल्य वह हो जो उस तिथि की दर तथा मूल्यांकन होगा जिस तिथि पर निर्यातक ऐसे माल को निर्यात के लिए डाक प्राधिकरण को प्रेषित करता है। डाक द्वारा निर्यात को निर्धारित फॉर्म में घोषणा द्वारा कवर करना आवश्यक है। पार्सल जो विनियमों का उल्लंघन के लिए संदेहास्पद हो, की जांच की जाती है। निर्यात प्रतिबन्ध अथवा निषेध वाले माल का उल्लंघन करने वाले निर्यात पार्सल जब्त होने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

सभी निर्यात पार्सल इससे पहले कि वे पारित हो, भौतिक जांच के अधीन हैं। विनियमों के उल्लंघन वाले संदेहास्पद पार्सल को परीक्षक द्वारा खोला तथा जांचा जा सकता है।

प्रेषक द्वारा घोषित मूल्य यदि सीमा शुल्क विभाग को स्वीकार्य हों, के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

लेखापरीक्षा जांच

लेखापरीक्षा में यह देखना है कि -

- माल का मूल्य महज निर्यातक की घोषणा के आधार पर नहीं अपितु बीजक तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् स्वीकार्य है।
- कर तथा उपकर यदि कोई हो, तो उसका उद्ग्रहण सही है;
- निर्यातित माल निषिद्ध/अथवा प्रतिबंधित न हो।

6.11 कोरियर के माध्यम से निर्यात

कोरियर के माध्यम से निर्यात ने हाल के वर्षों में वृद्धि की अच्छी दर दर्ज की है। ऐसे निर्यात को विनियमित करने के लिए सरकार ने कोरियर आयात तथा निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 बनाया है।

Audit through EDI system

Audit is done on-screen and the same audit checks exercised on manually filed bills are applied on the EDI data.

(EDI audit procedure/methods are detailed in Section II).

6.10 Postal Export

The clearance of goods to be exported by post is governed by Sections 82 to 84. Section 82 provides that in the case of goods exported by post, any label or declaration accompanying the goods which contains the description, quantity and value thereof will be deemed to be an entry of export for customs purpose.

As per Section 83, the rate of duty and tariff value applicable shall be the rate and valuation in force on the date on which the exporter delivers such goods to the postal authorities for exportation. Exports by post are required to be covered by declaration in the prescribed form. Parcels, which are suspected to infringe the regulations, are examined. The export parcels contravening the export restrictions or containing prohibited goods are liable to confiscation.

All export parcels are subjected to physical examination before they are passed. The parcels suspected to infringe the regulations are opened by the examiner and examined.

Assessment is done on the basis of value as declared by the sender if acceptable to Customs.

Audit checks

It is to be seen in audit that –

- the value of the goods has been accepted not merely on the basis of exporter's declaration but after due verification with the invoice and other documents.
- the duty and cess, if any, are levied correctly;
- the goods exported are not prohibited /or restricted.

6.11 Exports through Courier

Exports through courier mode have registered a healthy growth in recent years. For regulating such exports, the Government has framed the Courier Import and Export (Clearance) Regulations, 1998.

कोरियर के माध्यम से निर्यात की अनुमति केवल उन कोरियर कम्पनियों को है जो सीमा शुल्क विभाग द्वारा पंजीकृत हैं।

कुछ छोड़ी गई श्रेणियों के अलावा सभी माल कोरियर के माध्यम से निर्यात किए जा सकते हैं। कोरियर के माध्यम से निर्यात के लिए जिस माल को अनुमति नहीं है वह वो माल है जिस निर्यात पर अथवा निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत जैसे शुल्क फिरती, डीईपीबी, डीईईसी, ईपीसीजी आदि निर्यात पर शुल्क देय हो। अन्य अपवर्जन में माल जहां प्रेषित माल का मूल्य ₹ 25,000 से अधिक है, तथा लेन-देन विदेशी विनिमय शामिल है भी शामिल है।

निर्यात उन्मुख इकाई से एक्जिम नीति की किसी योजना, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इकाई के अन्तर्गत कट तथा पॉलिशड हीरे, रत्न तथा आभूषणों के निर्यात को प्रेषित माल के अनुसार ₹ 20 लाख मूल्य तक को कोरियर के माध्यम से जाने की अनुमति है।

प्राधिकृत कोरियर, विमान अथवा परिवहन के अन्य माध्यम जैसा भी मामला हो, के प्रस्थान से पहले एयरपोर्ट अथवा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के समक्ष कोरियर शिपिंग बिल फाइल करता है। दस्तावेजों तथा अन्य माल के निर्यात के लिए विभिन्न फार्म निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकृत कोरियर को निर्यात माल निरीक्षण, परीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए उचित अधिकारी को प्रदर्शित करना आवश्यक है।

डाक निर्यात के लिए सीमा शुल्क से आकलन तथा सी.आर.ए.डी से जांच को यथोचित परिवर्तन सहित लागू किया जाना चाहिए।

6.12 बैगेज (निर्यात)

बैगेज से तात्पर्य एक यात्रा के साथ विद्यमान सामान से है। धारा 2(3) में परिभाषा के अनुसार, बैगेज में साथ न होने वाला सामान सम्मिलित है परन्तु मोटर वाहन शामिल नहीं है।

विदेश व्यापार (कुछ मामलों में नियम लागू करने से छूट) आदेश, 1993 में निहित है कि विदेश व्यापार (विनियम) नियम, 1993 में अविद्यमान नियम भारत से बाहर जाने वाले किसी पोत अथवा वाहन में यात्री या चालक दल के सदस्य सहित किसी व्यक्ति के लाभकारी व्यक्तिगत बैगेज लागू नहीं होंगे।

विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 2.31 के अनुसार, लाभकारी व्यक्तिगत बैगेज को या तो यात्री के साथ या यदि कोई साथ नहीं है तो यात्री के भारत प्रस्थान से पहले या बाद में एक वर्ष के भीतर, निर्यात किया जाना चाहिए। उपरोक्त नीति के पैरा 2.32 के अनुसार, एक लाइसेंस वर्ष में ₹ 5 लाख की खाद्य मर्दों सहित माल को उपहार के रूप में निर्यात किया जा सकता है। तथापि, आईटीसी (एचएस) में निर्यात के लिए प्रतिबंधित रूप में वर्णित मर्दों को एक प्राधिकरण के बिना उपहार के रूप में निर्यात नहीं किया जाना चाहिए।

The export through courier mode is allowed only to those courier companies which are registered by Customs.

All goods can be exported through courier except for certain excluded categories. The goods not allowed to be exported through courier mode are those which attract any duty on exports or those exported under export promotion schemes, such as Drawback, DEPB, DEEC, EPCG etc. Other exclusions include goods where the value of the consignment is above Rs.25,000 and transaction in foreign exchange is involved.

Exports of cut and polished diamonds, gem and jewellery under any scheme of Exim Policy from Export Oriented Units, units in Export Processing Zones or units in the Domestic Tariff Area is allowed through courier upto value of Rs.20 lakhs per consignment.

Authorised courier files courier Shipping Bill with the proper officer of Customs at the Airport or Land Customs Station before the departure of flight or other mode of transport, as the case may be. Different Forms have been prescribed for export of documents and other goods. The Authorised Courier is required to present the export goods to the proper officer for inspection, examination and assessment.

The assessment by Customs and checking by CRAD for Postal Export should be applied mutatis mutandis.

6.12 Baggage (Export)

Baggage means belongings with which one travels. Baggage as defined in Section 2(3) includes unaccompanied baggage but does not include motor vehicle.

Foreign Trade (Exemption from Applications of Rules in certain cases) Order, 1993 provides that nothing contained in Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993 shall apply to any bonafide personal baggage of any person including a passenger or member of a crew in any Vessel or Conveyance going out of India.

In terms of Para 2.31 of Foreign Trade Policy 2009-14, bonafide personal baggage may be exported either along with the passenger or, if unaccompanied within one year, before or after the passenger's departure from India. As per Para 2.32 of the above Policy, goods including edible items of Rs.5 lakh in a licensing year may be exported as gift. However, items mentioned as restricted for exports in ITC (HS) shall not be exported as a gift, without an authorization.

ऐसे बैगेज पर कोई शुल्क उद्धृगृहणीय नहीं है क्योंकि यह निर्यात टैरिफ में निर्दिष्ट नहीं है।

लेखापरीक्षा जांच

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जा सकती है।

- यात्री घोषणा की जांच;
- निर्यातित उपहार के मूल्य की जांच;
- यह जांच कि क्या माल सही तरीके से वर्णित है तथा मूल्यांकन आदेशानुसार है।

No duty on such baggage is leviable as the same is not specified in the export tariff.

Audit Checks

The following aspects may be seen in audit.

- Check declaration of passenger;
- Check the value of gift exported;
- Check whether the goods are correctly described and the valuations are in order.

अध्याय 7

शुल्क फिरती योजना

फिरती, निर्यातक को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निर्यात उत्पादों के निर्माण में उपयुक्त सामग्री पर वहन किए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा सेवा कर के बोझ से राहत देने के लिए तैयार विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों में से एक है।

धारा 75 के अन्तर्गत निर्यातित माल फिरती की मंजूरी के लिए उपयुक्त है। सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर फिरती नियम, 1995 ने शुल्क फिरती की अनुमति के उद्देश्य के लिए अनुसरित प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाए गए थे।

7.1 सभी उद्योग दरें (एआईआर)

निर्यात उत्पादों की अधिकतर संख्या के लिए शुल्क फिरती की एआईआर को निर्यात उत्पाद के निर्माण में उपयुक्त सामग्री पर वहन किए सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के औसत भार के निर्धारण के पश्चात् सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिसूचित किया जाता है। इस मामले में, सामग्री पर वहन वास्तविक शुल्क का कोई सबूत प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। एआईआर को आमतौर पर निर्यात उत्पाद के एफ.ओ.बी. मूल्य के प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है।

(नियम 3)

प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट की घोषणा होने के पश्चात्, नई एआईआर शुल्क फिरती दर को बजट में शुल्क दर में परिवर्तन करने के पश्चात् अधिसूचित किया जाता है।

7.2 ब्रांड दर

निर्यात उत्पाद जहां शुल्क फिरती का एआईआर अधिसूचित नहीं होता है अथवा जहां निर्यात उत्पादों के निर्माण में उपयुक्त सामग्री पर वहन शुल्क तथा कर को पूर्ण रूप से निष्प्रभावित करने के लिए निर्यातक द्वारा एआईआर को अपर्याप्त समझा जाता है, के संदर्भ में निर्यातक शुल्क फिरती योजना के अन्तर्गत ब्रांड दर विकल्प का चुनाव कर सकता है। इस योजना के अन्तर्गत, निर्यातक को शुल्क तथा सेवा कर भार जिसे निर्यात उत्पाद के निर्माण में उपयुक्त सामग्री पर वास्तव में वहन किया जाता है, की राशि का भुगतान करके पूरित किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु निर्यातक को उपयुक्त वास्तविक मात्रा के सबूत के साथ-साथ उस पर शुल्क आदि के भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं।

(नियम 6 तथा नियम 7)

सरलीकृत ब्रांड दर

इस योजना के अन्तर्गत, कुछ प्रमाणीकरण आदि के साथ निर्यातक द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व शुल्क फिरती हेतु दर पत्र जारी किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, संलग्नक के

Chapter 7

Duty Drawback Scheme

Drawback is one of the various export promotion measures devised, to relieve the exporter from the burden of Central Excise, Customs duties and Service Tax suffered on the inputs used in the manufacture of the export products to make them competitive in the international market.

Goods exported under Section 75 are eligible for grant of drawback. Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 had been framed outlining the procedure to be followed for the purpose of grant of duty drawback.

7.1 All Industry Rates (AIR)

AIR of Duty Drawback for a large number of export products are notified every year by the Government after an assessment of average incidence of Customs, Central Excise Duties and Service Tax suffered on inputs utilized in the manufacture of export product. In this case no proof of actual duties suffered on inputs is required to be furnished. The AIRs are generally fixed as a percentage of F.O.B. prices of export product. **(Rule 3)**

After announcement of Union Budget every year, new AIR Duty Drawback Rates are notified after factoring in the changes in duty rates in the Budget.

7.2 Brand Rate

In respect of export products where AIR of Duty Drawback is not notified or where the AIR is considered by the exporter to be insufficient to fully neutralize the duties and tax suffered on the inputs utilized in the manufacture of the export product, the exporters may opt for Brand Rate under Duty Drawback Scheme. Under this scheme, the exporters are compensated by paying the amount of duties and service tax incidence which are actually incurred on the inputs used in the manufacture of export products. For this purpose the exporter has to produce proof of the actual quantity utilized along with evidence of payment of duties etc. thereon. **(Rule 6 and Rule 7)**

Simplified Brand Rate

Under this scheme, a rate letter for duty drawback is issued prior to receipt of verification report from the jurisdictional Central Excise Authorities on the basis of application made by the exporter subject to certain certification etc. For this purpose, besides application in the prescribed format along with enclosures, the

साथ निर्धारित फार्मेट में आवेदन के अलावा, निर्यातक को दावे के रूप में उपयोग पैटर्न तथा शुल्क भुगतान की सत्यता के विषय में चार्टर्ड एकाउंटेंट/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि उसके द्वारा दावा की गई शुल्क फिरती बाद में सत्यापन पर दत्त फिरती राशि स्वीकार्य फिरती राशि से अधिक पाई गई, तो उसे शुल्क फिरती के वापिस भुगतान के लिए एक क्षतिपूर्ति बांड/वचन पत्र भरना पड़ेगा। सभी मामलों में जहां क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण से सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् सरलीकृत योजना के अन्तर्गत फिरती शुल्क का भुगतान किया जाता है वहां बताई गई सत्यापन रिपोर्ट तथा की गई वसूली कार्रवाई जहां भी आवश्यक पाई जाए, के साथ आवेदन की सत्यता की दोहरी जांच की जाती है।

7.3 फिरती के लिए दावे

एआईआर अथवा ब्रांड दर के अन्तर्गत माल के निर्यात पर फिरती का दावा निर्यात के समय किया जाता है तथा फिरती के तहत निर्यात के शिपिंग बिल/बिल के निर्धारित फार्मेट में आवश्यक विशिष्टताओं को भरा जाता है। निर्यात के शिपिंग बिल/बिल की तीन प्रतिलिपियाँ को फिरती के लिए दावे के रूप में व्यवहारित किया जाता है।

फिरती के लिए दावा उस तिथि से जिस पर सीमा शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा निर्यात हेतु माल की निकासी तथा लोडिंग को मंजूरी देने वाला एक निर्देश दिया जाता है, तीन माह के अन्दर निर्धारित फार्मेट में फाइल किया जाना चाहिए।

यदि फिरती की राशि अथवा दर एफ.ओ.बी. के 1% से कम है, तो जहां प्रति शिपमेंट फिरती की राशि पांच सौ रुपये से अधिक है, उसे छोड़कर कोई फिरती देय नहीं है। जहां धारा 74 अथवा धारा 75 के तहत एक दावेदार को देय फिरती का ऐसी फिरती के लिए दावा किए जाने की तिथि से निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कोई भुगतान नहीं किया जाता है, वहां फिरती के भुगतान की तिथि तक निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तिथि से धारा 27ए के अन्तर्गत तय दर पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा है।

(नियम 8ए)

उपरोक्त नियम के अन्तर्गत डाक निर्यात पर भी फिरती अनुमत है।

जहां निर्यातक को फिरती की एक राशि का भुगतान किया गया है परन्तु ऐसे निर्यात माल के संदर्भ में हुई बिक्री की ऐसी अवधि में विस्तार सहित निर्दिष्ट अवधि के अन्दर भारत में उगाही नहीं की गई है, वहां ऐसी फिरती की वसूली की जायेगी।

(नियम 16ए)

7.4 पुनः-निर्यात पर

धारा 74 की शर्तों के अनुसार भुगतान किए गए माल के पुनःनिर्यात पर शुल्क फिरती की सुविधा भी उपलब्ध है। धारा 74(1) के प्रावधानों के अनुसार जब आसानी से पहचाने जाने में सक्षम किसी माल का आयात भारत के अन्दर किया गया है तथा ऐसे आयात पर शुल्क

exporter is also required to submit Chartered Accountant/Chartered Engineer's certificate about the authenticity of consumption pattern and duty payments as claimed. An indemnity bond/ undertaking to pay back the duty drawback being claimed by him if it is found later on verification that the drawback amount paid to him is in excess of the admissible amount, has also to be furnished. In all cases where duty drawback is paid under Simplified Scheme, after receipt of the verification report from jurisdictional Central Excise Authority, the veracity of the application is counter checked with the said verification report and recovery action taken, wherever found necessary.

7.3 Claims for Drawback

The drawback on export of goods under AIR or Brand Rate is to be claimed at the time of export and requisite particulars have to be filled in the prescribed format of shipping bill/bill of export under Drawback. The Triplicate copy of the shipping bill/bill of export is treated as claim for Drawback.

The claim for drawback shall be filed in prescribed format within three months from the date on which an order permitting clearance and loading of goods for exportation is made by the proper officer of customs.

The amount or rate of drawback if less than 1% of the F.O.B. value, then no drawback is payable except where the amount of drawback per shipment exceeds five hundred rupees. Where any drawback payable to a claimant under Section 74 or Section 75 is not paid within a specified period from the date of filing a claim for such drawback, interest is to be paid at the rate fixed under Section 27A from the date of expiry of specified period till the date of payment of drawback.

(Rule 8A)

The drawback on Postal Exports is also permissible under the above rule.

Where an amount of drawback has been paid to an exporter but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realized in India within specified period, including any extension of such period, such drawback shall be recovered.

(Rule 16 A)

7.4 On Re-export

Duty drawback facilities on re-export of duty paid goods are also available in terms of Section 74. As per the provisions of Section 74(1) when any goods capable of being easily identified have been imported into India and duty has been

का भुगतान किया गया हो, तब आयात के समय भुगतान किए शुल्क के 98 प्रतिशत की दर पर शुल्क फिरती यदि माल को जहां उससे आयात पर शुल्क के भुगतान की तिथि से दो वर्षों के अन्दर निर्यात के लिए प्रविष्ट किया जाता है, वहां उपयोग किए बिना पुनः निर्यातित किया जाता है, का पुनः भुगतान किया जाता है। उपयुक्त माल के मामलों में, दिनांक 6 फरवरी 1965 की अधिसूचना संख्या 19/1965 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्दिष्ट दर पर मूल्यहासित कीमत पर फिरती को मंजूर किया है। यदि ऐसे माल को आयात के पश्चात् उपयोग किया जाता है तथा तब दिनांक 01.03.2008 की अधिसूचना संख्या 23/2008-सीमा शुल्क में निर्धारित रूप में इसके उपयोग पर आधारित कम दर पर फिरती को मंजूर किया जाता है। तथापि, यदि ये माल 18 माह के उपायोग के पश्चात् पुनःनिर्यातित होता है तो कोई शुल्क फिरती अनुमत नहीं है।

आयातित माल के पुन-निर्यात (सीमा शुल्क की फिरती) नियम, 1995 ऐसी फिरती के लिए प्रक्रिया का वर्णन करता है।

7.5 माने गए निर्यात पर

‘माना गया निर्यात’ उन लेन-देनों से संबंधित है जिसमें आपूर्त माल देश से बाहर नहीं जाता है तथा ऐसी आपूर्ति का भुगतान या तो भारतीय मुद्रा या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है। मुख्य रूप से, मुख्य/उप श्रेणियों द्वारा माल की निम्नलिखित श्रेणियों को एफ.टी.पी. (अध्याय 8) के अन्तर ‘माने गए निर्यात’ के रूप में माना जाएगा, बशर्ते उपलब्ध माल भारत में निर्मित है:

- (क) अग्रिम प्राधिकार के प्रति माल की आपूर्ति/वार्षिक आवश्यकताओं/डीएफआईए के लिए अग्रिम प्राधिकार,
- (ख) ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी/बीटीपी के लिए माल की आपूर्ति,
- (ग) ईपीसीजी प्राधिकार धारक के लिए पूंजीगत माल की आपूर्ति, तथा एफटीपी के पैरा 8.2 के अन्तर्गत सूचीबद्ध रूप में आपूर्तियों की अन्य श्रेणियां।

उपरोक्त माल उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट सुविधा/छूट का लाभ न उठाई गई सामग्री/घटक पर भुगतान किए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर मानी गई निर्यात फिरती के लिए योग्य होगा। सामग्री/घटकों पर भुगतान किए सीमा शुल्क पर मानी गई निर्यात फिरती के लिए माल योग्य होगा। एचबीपी में वर्णित प्रक्रिया के अधीन, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क फिरती नियम 1995 माने गए निर्यात पर यथोचित परिवर्तन करके लागू किया जाना चाहिए।

(एफ.टी.पी. का पैरा 8.1, 8.2 व 8.5 तथा एच.बी.पी. का पैरा 8.3.6)

paid on such import, duty drawback at the rate of 98 percent of duty paid at the time of import is to be re-paid if the goods are re-exported without being put to use where the goods are entered for export within two years from the date of payment of duty on the importation thereof. In case of used goods, drawback is to be sanctioned on depreciated value at the rate specified in the Notification No. 19/1965 dated 6th February 1965 (as amended from time to time). If such goods are used after importation or then drawback is granted at lower rate depending on its use as laid down in Notification No.23/2008-Cus, dated 01.03.2008. However, no duty drawback is allowed if these goods are re-exported after use of 18 months.

Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Rules, 1995 specify the procedures for such drawback.

7.5 On Deemed Export

‘Deemed Exports’ refer to those transactions in which goods supplied do not leave the country, and payment of such supplies is received either in Indian rupees or in free foreign currency. Mainly, the following categories of goods by main/sub-contractors shall be regarded as ‘deemed exports’ under F.T.P. (Chapter 8), provided goods are manufactured in India:

- (a) Supply of goods against Advance Authorisation/Advance Authorisation for annual requirement/DFIA,
- (b) Supply of goods to EOU/STP/EHTP/BTP,
- (c) Supply of Capital goods to EPCG Authorisation holders, and other categories of supplies as listed under Para 8.2 of the FTP.

The above goods will be eligible for deemed export drawback on Central Excise duty paid on Inputs/Components provided CENVAT credit facility/rebate has not been availed. The goods will be eligible for deemed export drawback on customs duty paid on input/components. Subject to procedure laid down in HBP, Customs and Central Excise Duty Drawback Rules, 1995 shall apply mutatis mutandis to deemed export.

(Paras 8.1, 8.2 & 8.5 of F.T.P. and Para 8.3.6 of H.B.P.)

7.6 इलेक्ट्रानिक डाटा विनिमय (ईडीआई)

अधिकतर सीमा शुल्क हाउस में, शुल्क फिरती दावों की संवीक्षा, मंजूरी तथा भुगतान को ईडीआई प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। प्रणाली शिपमेंट की तिथि से 72 घंटों के अन्दर फिरती के क्रेडिट/संवितरण तथा संबंधित विमान/पोत के संदर्भ में ईजीएम, नामित बैंक शाखा में निर्यातक के खाते में सीधे इलेक्ट्रानिक फाइलिंग की सुविधा देती है।

7.7 लेखापरीक्षा जांच

शुल्क फिरती दावों पर की जाने वाली सामान्य जांच की नीचे गणना की गई है:-

7.7.1 धारा 74 के अन्तर्गत दावों के संदर्भ में लेखापरीक्षा में यह देखना चाहिए कि:

- (i) क्या दावों को उपयुक्त फार्म में प्रस्तुत किया गया है तथा अधिनियमों और उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत घोषणाएं निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत की गई हैं;
- (ii) कि वास्तव में माल का निर्यात किया गया था तथा मंजूर फिरती आयात पर शुल्क के 98% तक सीमित है।
- (iii) पुनः-निर्यातित माल की पहचान तथा जांच के लिए आयातित माल का निर्धारण।
- (iv) जहां माल को आयात के पश्चात (तथा इसे निर्यात से पूर्व) भारत में उपयोग किया जाता है, क्या शुल्क फिरती को माल के उपयोग के विस्तार पर आधारित स्लाइडिंग स्केल आधार पर मंजूर किया जाता है।
- (v) यदि माल को आयात के पश्चात् 36 माह से अधिक की अवधि हेतु उपयोग में लाया जाता है तो कोई शुल्क फिरती उपलब्ध नहीं है।

7.7.2 धारा 75 के अन्तर्गत फिरती दावों के संदर्भ में निम्नलिखित लेखापरीक्षा जांच की जाती हैं:-

- क्या दावों को उपयुक्त फार्म में प्रस्तुत किया जाता है तथा अधिनियम और उसके तहत निर्मित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समय-सीमा के अन्दर दावों का प्राथमिकता दी जाती है।
- फिरती की ए.आई.आर. दर जो भारत सरकार की अधिसूचनाओं अथवा आदेशों पर आधारित माल की ऐसी मदों पर लागू होती है तथा वो सही दर शिपिंग बिल पर वर्णनानुसार निर्यातित माल के लिए लागू है तथा पुनः-निर्यात की जांच की जाती है;
- ब्रांड दर के मामले में, भुगतान की गई फिरती की राशि को अपनाई गई दर तथा निर्यातित मात्रा के आधार पर सही ढंग से गणित किया गया है;
- निर्यातित माल भारत सरकार द्वारा निषिद्ध न हो;

7.6 Electronic Data Interchange (EDI)

In a number of Custom Houses, scrutiny, sanction and payment of duty drawback claims are done through the EDI system. The System facilitates credit/disbursement of drawback within 72 hours from the date of shipment and electronic filing of EGM in respect of related aircraft/vessel, directly to the exporter's accounts in designated bank branches.

7.7 Audit Checks

The general checks required to be exercised on Duty Drawback claims are enumerated below:-

7.7.1 In respect of claims under Section 74, audit should see:

- (i) whether the claims are presented in proper form, the declarations are furnished within the time limit prescribed under the Act and Rules made thereunder;
- (ii) that the goods were actually exported and the drawback allowed is limited to 98% of the duty on import.
- (iii) Identification of goods re-exported and determination of imported goods to be checked.
- (iv) In cases where the goods are put into use in India after import (and prior to its export), whether duty drawback is granted on a sliding scale basis depending upon the extent of use of the goods.
- (v) No duty drawback is available if the goods are put into use for a period exceeding 36 months after import.

7.7.2 In respect of claims of drawback under Section 75, the following audit checks are exercised:-

- Whether the claims are presented in proper form, the claim is preferred within the time limit prescribed under the Act and Rules made thereunder.
- the A.I.R rate of drawback so applied on such items of goods based on Government of India notifications or orders and that the correct rates, applicable to the goods exported as per descriptions on the shipping bill and examination of re-exports are adopted;
- in the case of Brand Rate, the amount of drawback paid is correctly worked out on the basis of the rate adopted and the quantity exported;
- the goods exported are not prohibited by the Government of India;

- यदि फिरती की दर निर्यात के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत से कम हो, तो पांच सौ रुपये तक फिरती का कोई भुगतान नहीं किया गया है।
- क्या लैट निर्यात की तिथि पर केवल प्रचलित फिरती दर को मंजूरी दी गई थी?

- that no drawback upto five hundred rupees is paid if the rate of drawback is less than one per cent of the FOB value of the export.
- Whether only the rate of drawback prevalent on the date of let export was allowed?

अध्याय 8

विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन योजनाएं

8.1 प्रस्तावना

भारतीय माल के निर्यात को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्य को प्रतिस्पर्धी बनाने के तरीके से प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, विदेश व्यापार नीति (एक्जिम नीति) को विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होती है परन्तु वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक परिशिष्ट तथा सार्वजनिक नोटिस से इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

एफ.टी.पी. में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- विदेश व्यापार नीति
- प्रक्रिया की हैंडबुक (एचबीपी), खण्ड I
- प्रक्रिया की हैंडबुक (एचबीपी), खण्ड II (इनपुट आउटपुट मानदण्ड)
- आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण

एफटीपी 2009-14 के अनुसार, (अगस्त 2009 से प्रभावी) निम्नलिखित निर्यात संवर्धन योजनाएं कार्यरत हैं:

1. डीजीएफटी में इनाम तथा प्रोत्साहन योजनाएं

- (i) भारत से सेवारत योजना (एसएफआईएस)
- (ii) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) (विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग)
- (iii) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस)
- (iv) फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस)
- (v) मार्केट लिंकड फोकस प्रोडक्ट लिंकड स्कीम (एमएलएफपीएस)
- (vi) स्टेट्स होल्डर इन्सेटिव स्क्रिप

2. शुल्क छूट तथा रियायत योजनाएं

- (i) अग्रिम प्राधिकरण योजना
- (ii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) योजना
- (iii) शुल्क एनटाइटलमेंट पासबुक (डीईपीबी) योजना
- (iv) रत्न तथा आभूषण के लिए योजना

Chapter 8

EXPORT PROMOTION SCHEMES UNDER FOREIGN TRADE POLICY

8.1 Introduction

With a view to giving impetus to export of Indian goods, by way of making their price competitive in the international market, Foreign Trade Policy (Exim Policy) is notified by the Central Government as per provision of Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992. The Foreign Trade Policy (FTP) is effective for a five years period but modified by Annual Supplements and Public notices issued by Ministry of Commerce from time to time.

The F.T.P. consists the following: -

- The Foreign Trade Policy
- HandBook of Procedure (HBP), Vol. I
- HandBook of Procedure (HBP), Vol. II (Input Output Norms)
- ITC (HS) classification

As per FTP 2009-14, (w.e.f. August, 2009) the following Export Promotion Schemes are operational:

1. Reward and Incentive Schemes in DGFT

- (i) Served From India Scheme (SFIS)
- (ii) Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (VKGUY) (Special Agricultural and Village Industry)
- (iii) Focus Market Scheme (FMS)
- (iv) Focus Product Scheme (FPS)
- (v) Market Linked Focus Product Linked Scheme (MLFPS)
- (vi) Status Holder Incentive Scrip

2. Duty Exemption and Remission Schemes

- (i) Advance Authorisation Scheme
- (ii) Duty Free Import Authorisation (DFIA) Scheme
- (iii) Duty Entitlement Pass Book (DEPB) Scheme
- (iv) Scheme for Gems and Jewellery

3. निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना

4. निर्यातोन्मुख ईकाईयां (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी), तथा जैव-प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी)।

निर्यात तथा आयात नीति को वाणिज्यिक मंत्रालय के अन्तर्गत विदेश व्यापार के महानिदेशक बनाते हैं तथा वह इसके एवं उपरोक्त वर्णित क्रम संख्या 1 से 3 की योजनाओं की मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। ईओयू योजना की मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन वाणिज्यिक मंत्रालय के अन्तर्गत अधिकारिक विकास आयुक्त द्वारा किया जाता है तथा ईएचटीपी और एसटीपी योजना की मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) के अन्तर्गत नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

नीति के अनुसार, वित्त मंत्रालय विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत सामग्री तथा पूंजीगत माल के आयात पर सीमा शुल्क की पूर्ण तथा अंशतः रियायत के लिए अधिसूचना जारी करता है। ऐसी रियायत प्राप्त माल के आयातक निश्चित निर्यात दायित्वों (ईओ) के साथ-साथ अन्य निश्चित शर्तों को पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है जिसके अभाव में विदेश व्यापार (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 11(2) के अन्तर्गत सामान्य उद्घाटन शुल्क को जुर्माने के साथ संग्रहित किया जाएगा।

एफटीपी के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की मुख्य विशेषताएं नीचे वर्णित हैं:

8.2 पुरस्कार/प्रोत्साहन योजनाएं

8.2.1 भारत से सेवारत योजना (एसएफआईएस)

उद्देश्य - इसका उद्देश्य निर्यात कार्य में वृद्धि करना है ताकि सारे विश्व में तत्काल मान्यता प्राप्त तथा सम्माननीय एक शक्तिशाली तथा अद्वितीय 'भारत से सेवारत योजना' ब्रांड निर्मित हो।

योग्यता एचबीपी, खण्ड I के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध सेवाओं के भारतीय सेवा प्रदाता जिन्होंने चालू वित्त वर्ष में कम से कम ₹ 10 लाख की मुक्त विदेश विनियम का अर्जन किया है, को इयूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए अर्हता प्राप्त होगी। 5 जून 2012 से सेवा प्रदाता जिन्होंने चालू वित्त वर्ष में कम से कम ₹ 10 लाख का मुक्त विदेशी विनिमय अर्जन किया है, इयूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए कम से कम मुक्त विदेशी विनिमय अर्जन ₹ 5 लाख होगा।

पात्रता - सभी सेवा प्रदाता चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्जित मुक्त विदेशी विनिमय के 10% के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पात्र होंगे।

3. **Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme**
4. **Export Oriented Units (EOU), Electronic Hardware Technology Parks (EHTP), Software Technology Parks (STP), and Bio-Technology Park (BTP).**

The Director General of Foreign Trade (DGFT) under the Ministry of Commerce formulates the export and import policy and is responsible for its monitoring and implementation of the schemes mentioned from Sl. No.1 to 3 above. The monitoring and implementation of EOU scheme is done by the jurisdictional Development Commissioners under the Ministry of Commerce and monitoring and implementation of EHTP and STP schemes is done by the designated officer under Ministry of Communication & Information Technology (Department of Information Technology).

In accordance with the Policy, the Ministry of Finance issues notifications to exempt wholly or in part, duties of customs on import of inputs and Capital Goods under the various export promotion schemes. Importers of such exempted goods undertake to fulfill certain Export Obligations (EO) as well as certain other conditions, failing which, the normal duty leviable will be collected along with penalty under Section 11(2) of Foreign Trade (Development and Regulations) Act, 1992.

The salient features of the various schemes under the FTP are discussed below :

8.2 Reward/Incentive Schemes

8.2.1 Served From India Scheme (SFIS)

Objective - Objective is to accelerate growth in export of services so as to create a powerful and unique 'Served from India' brand, instantly recognized and respected the world over.

Eligibility Indian Service Providers, of services listed in Appendix-41 of HBP, Vol-I, who have free foreign exchange earning of at least Rs.10 Lakh in current financial year shall qualify for Duty Credit Scrip. From 5th June 2012, Service Providers who have free foreign exchange earning of at least Rs. 10 lakh in current financial year shall qualify for Duty Credit Scrip. For Individual Indian Service Providers, minimum free foreign exchange earnings would be Rs.5 Lakh.

Entitlement - All Service Providers shall be entitled to Duty Credit Scrip equivalent to 10% of free foreign exchange earned during current financial year.

अनुमत आयात - शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को स्पेयरस, कार्यालयी उपकरण, व्यवसायिक उपकरण, वाहन को छोड़कर कार्यालयी फर्नीचर तथा उपभोज्य सहित किसी पूंजीगत माल के आयात के लिए उपयोग किया जा सकता है। 23.8.2010 से प्रभावी शुल्क क्रेडिट स्क्रिपको उन वाहनों के आयात जो सेवा प्रदाता के व्यवसायिक उपकरण हैं, के लिए उपयोग किया जा सकता है। आयात आवेदक के किसी सर्विस क्षेत्र व्यवसाय से संबंधित होगा।

गैर स्थानांतरणीयता - पात्रता/माल (आयातित/उत्पादित) अस्थानांतरणीय होना चाहिए (ग्रुप कम्पनियों तथा प्रबंधित होटल को छोड़कर) तथा वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के साथ होना चाहिए।
(एफटीपी का पैरा 3.12)

8.2.2 विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) (विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना)

उद्देश्य - वीकेजीयूवाई का उद्देश्य निम्नलिखित के निर्यात को बढ़ाना है:

- (i) कृषि उत्पादन तथा उनके मूल्य वर्धित उत्पाद;
- (ii) लघु वन उत्पाद तथा उनके मूल्य वर्धित रूपान्तर;
- (iii) ग्राम उद्योग उत्पाद;
- (iv) वन आधारित उत्पाद; तथा
- (v) समय-समय पर अधिसूचित अन्य उत्पाद।

ऐसे उत्पाद एचबीपी के परिशिष्ट 37ए में सूचीबद्ध हैं।

पात्रता - शुल्क क्रेडिट स्क्रिप लाभ अधिक परिवहन लागत तथा अन्य नुकसान की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से मंजूर किए जाते हैं। एचबीपी के परिशिष्ट 37ए में अधिसूचित उत्पाद, 27.8.2009 के बाद किए निर्यात के लिए निर्यात के एफओबी मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 5% के समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पात्र होंगे। परिशिष्ट 37ए की तालिका 2 में सूचीबद्ध कुछ फूलों, फलों, सब्जियों तथा अन्य उत्पाद निर्यात के मामले में, निर्यातक निर्यात के एफओबी मूल्य के समतुल्य 2% अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अतिरिक्त एफटीपी (2009-14) के पैरा 3.13.3 के अनुसार उपलब्ध 5% अथवा 3% कम दर पात्रता का हकदार होना चाहिए जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

कम दर की प्रयोज्यता - वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को निर्यात के एफओबी मूल्य की कम दर के 3% पर ऐसे मामलों में मंजूर होना चाहिए जहां निर्यातक निम्नलिखित का भी लाभ प्राप्त कर चुका हो:

- (i) 1% से अधिक दर पर फिरती, तथा/अथवा

Imports Allowed - Duty Credit scrip may be used for import of any capital goods including spares, office equipment and professional equipment, office furniture and consumables excepting vehicles. With effect from 23.8.2010 duty credit scrip may be used for import of those vehicles which are in the nature of professional equipment to the service provider. Imports shall relate to any service sector business of applicant.

Non Transferability - Entitlement / goods (imported / procured) shall be non transferable (except within group company and managed hotels) and be subject to Actual User condition.

(Para 3.12 of FTP)

8.2.2 Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (VKGUY) (Special Agriculture and Village Industry Scheme)

Objective - Objective of VKGUY is to promote exports of:

- (i) Agricultural Produce and their value added products;
- (ii) Minor Forest Produce and their value added variants;
- (iii) Gram Udyog Products;
- (iv) Forest Based Products; and
- (v) Other Products, as notified from time to time.

Such products are listed in Appendix 37A of HBP.

Entitlement - Duty Credit Scrip benefits are granted with an aim to compensate high transport costs and to offset other disadvantages. Products notified in Appendix 37A of HBP shall be entitled for Duty Credit Scrip equivalent to 5 % of FOB value of exports (in free foreign exchange) for exports made from 27.8.2009 onwards. In the case of exports of some flowers, fruits, vegetables and other products, as listed in Table 2 of Appendix 37A, the exporter shall be entitled to an additional duty credit scrip equivalent to 2 % of FOB value of exports; over and above the 5% or 3 % VKGUY reduced rate entitlement available as per Para 3.13.3 of FTP (2009-14) as indicated below:

Applicability of Reduced Rate - Duty Credit Scrip benefits under VKGUY scheme shall be granted only at a reduced rate of 3 % of FOB value of exports in such cases where exporter has also availed benefits of:

- (i) Drawback at rates higher than 1%; and/or

- (ii) विशेष डीईपीबी दर (अर्थात् विविध श्रेणी से भिन्न उत्पाद समूह 90 की क्रम संख्या 22सी एवं 22डी) और/अथवा
- (iii) निर्यातित उत्पाद जिसके लिए वीकेजीयूवाई के अन्तर्गत क्रेडिट स्क्रिप का दावा किया जा रहा है, के लिए इनपुट (उत्प्रेरक, उपभोग्य और पैकिंग सामग्री के अलावा) के आयात पर अग्रिम प्राधिकरण अथवा शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार।

कृषि, अवसंरचना प्रोत्साहन स्क्रिप – एक विशेष वर्ष के दौरान किए निर्यात हेतु आईटीसी (एचएस) अध्याय 1 से 24 के अन्तर्गत कवर किए उत्पाद निर्यात करने वाले सभी स्टेटस धारकों (वर्तमान वर्ष में मान्यता स्थिति वाले) को कृषिजन्य निर्यात (एफटीपी के पैरा 3.13.2 के अन्तर्गत पात्र वीकेजीयूवाई लाभ सहित) के एफओबी मूल्य के 10% शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के साथ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बशर्ते कि एकसाथ रखे गए सभी स्टेटस धारकों के लिए कुल लाभ ₹ 100 करोड़ (अर्थात् प्रत्येक आधे वर्ष के लिए ₹ 50 करोड़) से अधिक न हो तथा एचबीपी, खण्ड I के पैरा 3.7.2 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाए।

वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत आयात हेतु निम्नलिखित पूंजीगत माल/उपकरण को अनुमति दी जाती है:

- (i) प्याज आदि के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट (नियंत्रित वातावरण तथा संशोधित वातावरण स्टोर सहित); प्री-कूलिंग यूनिट तथा मुख्य स्टोरेज यूनिट;
- (ii) पैक हाउस (हैंडलिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग आदि हेतु सुविधाओं सहित); 5 जून 2012 से, केवल परिशिष्ट 37एफ में अधिसूचित मदों के लिए पैक हाउस।
- (iii) रीफर वैन/कंटेनर; और
- (iv) एचबीपी, खण्ड I के परिशिष्ट 37एफ में अधिसूचित के रूप में अन्य पूंजीगत माल/उपकरण।

आयातित पूंजीगत माल/उपकरण को स्टोरेज, पैकिंग आदि (उपरोक्त (ii) के अनुसार) के लिए तथा कृषिगत उत्पादों (कृषि संसाधित विकारी उत्पादों सहित) के परिवहन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ये अतिरिक्त लाभ उपयोगकर्ता की वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के अधीन होगा और इसलिए अहस्तांतरणीय होता है। तथापि, कोल्ड चेन उपकरणों के आयात हेतु, यह प्रोत्साहन स्क्रिप स्टेटस धारकों के बीच मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगी। 23.08.2010 से, यह प्रोत्साहन स्क्रिप स्टेटस धारकों के साथ-साथ फूड पार्कों में यूनिटों के बीच मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगी।

(एफ.टी.पी. का पैरा 3.13)

8.2.3 फोकस मार्केट योजना (एफएमएस)

उद्देश्य – इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के चयन हेतु अधिक भाड़ा लागत तथा अन्य बाहरी व्यय को संतुलित करना एवं इन देशों में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है।

- (ii) Specific DEPB rate (i.e. other than Miscellaneous Category – Sr. Nos. 22 C & 22 D of Product Group 90); and/or
- (iii) Advance Authorization or Duty Free Import Authorization Import of inputs (other than catalysts, consumables and packing materials) for the exported product for which Duty Credit Scrip under VKGUY is being claimed.

Agri. Infrastructure Incentive Scrip - For exports made during a particular year, all Status Holders (having status recognition for the current year) exporting products covered under ITC(HS) Chapters 1 to 24, shall be incentivized with duty credit scrip equal to 10% of FOB value of agricultural exports (including VKGUY benefits entitled under Para 3.13.2 of the FTP) provided that the total benefits for all status holders put together does not exceed Rs 100 Cr (i.e. Rs. 50 Cr for each half year) and the conditions specified in Para 3.7.2 of HBP, Vol. I are satisfied.

Following capital goods /equipment are permitted for import under VKGUY scheme:

- (i) Cold storage units (including Controlled Atmosphere and Modified Atmosphere Stores); Pre-cooling Units and Mother Storage Units for Onions, etc.;
- (ii) Pack Houses (including facilities for handling, grading, sorting and packaging etc.); From 5th June 2012, Pack Houses for items notified in Appendix 37F only.
- (iii) Reefer Van / Containers; and
- (iv) Other Capital Goods / Equipments as may be notified in Appendix 37F of HBP, Vol. I.

Imported capital goods/equipment shall be utilized for storage, packing etc. (as in (ii) above) and transportation of agricultural products (including agro-processed perishable products). This additional benefit shall be subject to actual user condition and hence non-transferable. However, for import of Cold Chain Equipment, this Incentive Scrip shall be freely transferable amongst Status Holders. From 23.08.2010, this Incentive Scrip shall be freely transferable amongst Status Holders as well as units in the Food Parks.

(Para 3.13 of F.T.P.)

8.2.3 Focus Market Scheme (FMS)

Objective - Objective is to offset high freight cost and other externalities to select international markets with a view to enhance India's export competitiveness in these countries.

पात्रता – अधिसूचित देशों (एचबीपी, खण्ड I के परिशिष्ट 37सी के अनुसार) को सभी उत्पादों के निर्यातक 27.8.2009 के बाद किए निर्यात हेतु निर्यात के एफओबी मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 3% के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार है। एचबीपी खण्ड-I के परिशिष्ट 37 सी की तालिका 3 में अधिसूचित देशों को उत्पादों का निर्यात 31.03.2011 के पश्चात् किए निर्यात के एफओबी मूल्य के @ 1% पर अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा।

अयोग्य निर्यात श्रेणियां/क्षेत्र- एफएमएस योजना के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद/क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियां शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के योग्य होंगी:

- (क) सेज यूनिटों के लिए की गई आपूर्तियां;
- (ख) सेवा निर्यात;
- (ग) हीरे तथा अन्य कीमती, अर्धकीमती मूल्यवान पत्थर;
- (घ) सोना, चाँदी, प्लैटिनम तथा सादे व जड़ित आभूषण सहित किसी भी फार्म में अन्य कीमती धातु;
- (ङ) सभी प्रकारों तथा सभी फॉर्म में अयस्क तथा सान्द्र;
- (च) सभी प्रकार के अनाज;
- (छ) सभी प्रकार तथा सभी फॉर्म में चीनी;
- (ज) निर्दिष्ट कच्चा/पेट्रोलियम ऑयल और कच्चा/पेट्रोलियम आधारित उत्पाद; तथा
- (झ) निर्दिष्ट दूध तथा दूध उत्पाद का निर्यात।

(एफ.टी.पी. का पैरा 3.14)

8.2.4 फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस)

उद्देश्य – इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है जिनके अधिक निर्यात की प्रबलता/रोजगार संभावना हो, ताकि इन उत्पादों की मार्केटिंग में शामिल अवसंरचनात्मक कमियाँ तथा अन्य जुड़ी लागतों को समायोजित किया जा सके।

पात्रता – सभी देशों (सेज यूनिट सहित) में अधिसूचित उत्पादों (एचबीपी खण्ड I के परिशिष्ट 37डी के अनुसार) का निर्यात, 27.8.2009 के बाद किए निर्यात हेतु निर्यात के एफओबी मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 2% के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा। तथापि, परिशिष्ट 37डी की तालिका 2 तथा तालिका 5 के अन्तर्गत कवर किए विशेष फोकस उत्पाद/क्षेत्र को 27.8.2009 के बाद किए निर्यात हेतु निर्यात के एफओबी मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 5% के समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप मंजूर की जायेगी। 5 जून 2012 से प्रभावी, परिशिष्ट 37डी में सूचीबद्ध कुछ फोकस उत्पादों/क्षेत्रों को निर्यात के एफओबी मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 2% के बराबर एक अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में बोनस लाभ के अतिरिक्त, उत्पाद/क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए जारी सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट

Entitlement - Exporters of all products to notified countries (as in Appendix 37C of HBP, Vol. I) shall be entitled for Duty Credit Scrip equivalent to 3 % of FOB value of exports (in free foreign exchange) for exports made from 27.8.2009 onwards. Export of products to countries notified in Table 3 of Appendix 37C of HBP Vol-I will be entitled for additional Duty Credit Scrip @ 1% of FOB value of exports made after 31.03.2011.

Ineligible Exports Categories/Sectors The following categories of export products/ sectors shall *be* ineligible for Duty Credit Scrip, under FMS scheme:

- (a) Supplies made to SEZ units;
- (b) Service Exports;
- (c) Diamonds and other precious, semiprecious stones;
- (d) Gold, silver, platinum and other precious metals in any form, including plain and studded jewellery;
- (e) Ores and Concentrates, of all types and in all forms;
- (f) Cereals, of all types;
- (g) Sugar, of all types and in all forms;
- (h) Specified Crude / Petroleum Oil & Crude / Petroleum based Products; and
- (i) Export of specified Milk and Milk Products. **(Para 3.14 of F.T.P.)**

8.2.4 Focus Product Scheme (FPS)

Objective - Objective is to incentivise export of such products which have high export intensity / employment potential, so as to offset infrastructure inefficiencies and other associated costs involved in marketing of these products.

Entitlement - Exports of notified products (as in Appendix 37D of HBP, Vol. I) to all countries (including SEZ units) shall be entitled to Duty Credit scrip equivalent to 2 % of FOB value of exports (in free foreign exchange) for exports made from 27.8.2009 onwards. However, Special Focus Product(s) /sector(s) covered under Table 2 and Table 5 of Appendix 37D, shall be granted Duty Credit Scrip equivalent to 5% of FOB value of exports (in free foreign exchange) for exports made from 27.8.2009 onwards. With effect from 5th June 2012, certain Focus Products/ Sectors listed in Appendix 37D shall be granted bonus benefit in form of an additional Duty Credit Scrip equivalent to 2% of FOB value of exports (in free foreign exchange) over and above the existing rate for the product/sector

निर्यात अवधि की स्वीकार्य तिथि से उत्पाद/क्षेत्र के लिए विद्यमान दर पर मंजूर किया जायेगा।

मार्केट लिंकड फोकस उत्पाद स्क्रिप (एमएलएफपीएस):

अधिक निर्यात/रोजगार संभावना (जिसे वर्तमान एफपीएस सूची के तहत कवर नहीं किया गया) के उत्पाद/क्षेत्र के निर्यात को एफपीएस के अन्तर्गत निर्यात के एफओबी मूल्य के 2% पर जब संबंधित बाजारों (देशों) में निर्यात किया जाता है जोकि वर्तमान एफएमएस सूची में कवर नहीं है जैसाकि 27.8.2009 से निर्यात के लिए बनाए गए एचबीपी खंड I के परिशिष्ट 37डी में अधिसूचित है, प्रोत्साहित किया जाएगा। (एफ.टी.पी. का पैरा 3.15)

8.2.5 स्टेटस धारक प्रोत्साहन स्क्रिप

कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों (एफटीपी के पैरा 3.16.4 में सूचीबद्ध) के स्टेटस धारक प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से, स्टेटस धारकों को शुल्क क्रेडिट की फार्म में इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में 2009-10 से 2012-13 के दौरान किए निर्यात के एफओबी मूल्य के 1% पर प्रोत्साहन स्क्रिप का हकदार होंगे। एफटीपी के पैरा 3.16.4 में निर्दिष्ट क्षेत्रों के स्थिति धारकों को 23.08.2010 से 2010-11 से 2012-13 के दौरान किए निर्यात के एफओबी मूल्य की 1% की दर पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे। यह एफटीपी के अध्याय 3 के तहत दावित/प्राप्त किए किसी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अतिरिक्त होगा।

एक विशेष वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) का लाभ (टेक्टाइल मंत्रालय के अधीन) उठाने वाले स्टेटस धारक उस वर्ष के निर्यात के लिए स्टेटस धारक प्रोत्साहन स्क्रिप के हकदार नहीं होंगे।

स्टेटस धारक प्रोत्साहन स्क्रिप वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के साथ होगी तथा इसे निर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पूंजीगत माल (एफटीपी में वर्णित) के आयात के लिए उपयोग किया जायेगा।

निम्नलिखित क्षेत्रों के स्टेटस धारक इस स्टेटस धारक प्रोत्साहन स्क्रिप के हकदार होंगे:

- (i) चमड़ा क्षेत्र (तैयार चमड़े को छोड़कर);
- (ii) कपड़ा तथा जूट क्षेत्र;
- (iii) हस्तशिल्प;
- (iv) इंजीनियरिंग क्षेत्र (लौह एवं इस्पात, प्राथमिक अथवा मध्यवर्ती रूप में अलौह धातु, ऑटोमोबाइल तथा दो पहिया वाहन, परमाणु रिएक्टर एवं पार्ट और जहाज, नाव तथा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर);

from the admissible date of export period specified in the public notice issued to notify the product/ sector.

Market Linked Focus Products Scrip (MLFPS):

Export of Products/Sectors of high export intensity/employment potential (which are not covered under present FPS List) would be incentivised at 2% of FOB value of exports (in free foreign exchange) under FPS when exported to the Linked Markets (countries), which are not covered in the present FMS list, as notified in Appendix 37D of HBP, Vol. I, for exports made from 27.8.2009 onwards. **(Para 3.15 of F.T.P.)**

8.2.5 Status Holders Incentive Scrip

With an objective to promote investment in upgradation of technology, Status Holders of some specified sectors (as listed in Para 3.16.4 of the FTP), Status Holders shall be entitled to incentive scrip at 1% of FOB value of exports made during 2009-10 to 2012-13, of these specified sectors, in the form of duty credit. Status Holders of sectors specified in Para 3.16.4 of FTP, shall be entitled to a duty credit scrip at the rate of 1% of FOB value of exports made during 2010-11 to 2012-13 w.e.f. 23.08.2010. This shall be over and above any duty credit scrip claimed/availed under Chapter 3 of the FTP.

Status Holders availing Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) benefits (under Ministry of Textiles) during a particular year shall not be eligible for Status Holders Incentive Scrip for exports of that year.

The Status Holders Incentive Scrip shall be with Actual User Condition and shall be used for imports of capital goods (as defined in FTP) relating to specified sectors.

The Status Holders of the following Sectors shall be eligible for this Status Holders Incentive Scrip:

- (i) Leather Sector (excluding finished leather);
- (ii) Textiles and Jute Sector;
- (iii) Handicrafts;
- (iv) Engineering Sector (excluding Iron & Steel, Non-ferrous Metals in primary or intermediate forms, Automobiles & two wheelers, nuclear reactors & parts and Ships, Boats and Floating Structures;

(v) प्लास्टिक; तथा

(vi) बुनियादी रसायन (फार्मा उत्पादों को छोड़कर)। (एफ.टी.पी. का पैरा 3.16)

विशेष प्रावधानों के लिए मुख्य रूप से उपलब्ध प्रावधान को छोड़कर सामान्य प्रावधानों की शुल्क क्रेडिट स्क्रिप

सरकार को ऐसे देशों जो पात्रता के अभिकलन के योग्य नहीं हैं, सार्वजनिक हित में निर्यात उत्पाद या सेवाओं या निर्यात के लिए निर्दिष्ट करने का अधिकार है।

इसके अलावा, सरकार को इस अध्याय के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप लगाने/दर परिवर्तन करने/उच्चतम सीमा का अधिकार है।

इसी प्रकार, सरकार माल (एचबीपी खण्ड I के परिशिष्ट 37बी में) जो शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के तहत आयात के लिए स्वीकृत नहीं होगा, को भी अधिसूचित कर सकती है।

(एफटीपी (2009-14) का पैरा 3.17.1)

अयोग्य निर्यात श्रेणियां/क्षेत्र – वीकेजीयूवाई, एफएमएस, एफपीएस (एमएलएफपीएस सहित) तथा स्टेटस धारक प्रोत्साहन स्क्रिप हेतु निम्नलिखित निर्यात श्रेणियां/क्षेत्रों को शुल्क क्रेडिट स्क्रिप पात्रता के लिए अयोग्य होंगे:

- (i) ईओयूज/ईएचटीपीज/बीटीपीज जो प्रत्यक्ष कर लाभ/रियायत का लाभ ले रहे हैं;
- (ii) एफटीपी के पैरा 2.35 के तहत कवर किए गए आयातित माल का निर्यात;
- (iii) ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से निर्यात जिसका अर्थ है कि निर्यात तीसरे देश में हो परन्तु ट्रांसशिपमेंट इंडिया के माध्यम से हो;
- (iv) माना गया निर्यात;
- (v) सेज यूनिट द्वारा किया गया निर्यात अथवा सेज उत्पाद डीटीए यूनिट के माध्यम से किया गया निर्यात; तथा
- (vi) मर्दे जो आईटीसी (एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हों।

निर्यात (मुक्त विदेशी विनिमय में) के एफओबी मूल्य में कमीशन की गणना

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप लाभ की गणना के लिए, निर्यात (मुक्त विदेशी विनिमय में) के एफओबी मूल्य में 12.5% तक विदेशी एजेंसी कमीशन सम्मिलित करना चाहिए।

(एफटीपी (2009-14) का पैरा 3.17.3)

- (v) Plastics; and
- (vi) Basic Chemicals (excluding Pharma Products). **(Para 3.16 of F.T.P.)**

Common Provisions of Duty Credit Scrips, except where specifically provided for Special Provisions

Government reserves the right in public interest, to specify export products or services or exports to such countries, which shall not be eligible for computation of entitlement.

Further Government reserves the right to impose /change the rate /ceiling on Duty Credit Scrip under this chapter.

Similarly, Government may also notify goods (in Appendix 37B of HBP Vol.1), which shall not be allowed for import under Duty Credit Scrips.

(Para 3.17.1 of FTP (2009-14))

Ineligible Exports Categories/Sectors - For VKGUY, FMS, FPS (including MLFPS) and Status Holders Incentive Scrip, the following exports categories/sectors shall be ineligible for Duty Credit Scrip entitlement:

- (i) EOUs / EHTPs / BTPs who are availing direct tax benefits / exemption;
- (ii) Export of imported goods covered under Para 2.35 of FTP;
- (iii) Exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transshipped through India;
- (iv) Deemed Exports;
- (v) Exports made by SEZ units or SEZ products exported through DTA units; and
- (vi) Items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS).

Counting of Commission in FOB value of Exports (in free foreign exchange)

For computation of Duty Credit Scrip Benefits, FOB Value of Exports (in free foreign exchange) shall include upto 12.5% Foreign Agency Commission

(Para 3.17.3 of FTP (2009-14))

निर्यात निष्पादन का स्थानान्तरण – निर्यात निष्पादन के स्थानान्तरण को मंजूरी नहीं दी जायेगी। तथापि, वीकेजीयूवाई, एफएमएस तथा एफपीएस (एमएलएफपीएस सहित) के लिए, लाभ का या तो सहायक निर्माता (कम्पनी/फर्म जिसने विदेशों से प्रत्यक्ष रूप में विदेशी विनिमय की उगाही की है, से अस्वीकरण के साथ) द्वारा या कंपनी/फर्म जिसने विदेशों से प्रत्यक्ष रूप में विदेशी विनिमय की उगाही की है, के द्वारा दावा किया जा सकता है।

ईओ चूक के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान की सुविधा -

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को ईओ चूक के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान की ओर भी उपयोग/डेबिट किया जा सकता है। तथापि, जुर्माना/ब्याज का नकद में भुगतान किया जाना चाहिए।

(एफ.टी.पी. का पैरा 3.17)

आवेदन जमा करने की तिथि – शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त करने के लिए आवेदन को निर्यात की तिथि से 12 माह की अवधि के अन्दर अथवा उगाही की तिथि से छः माह के अन्दर अथवा एस.बी. की प्रिंटिंग/उगाही की तिथि से तीन माह के अन्दर शिपमेंट जिसके लिए दावा फाइल किया जा रहा है, के संदर्भ में जो भी बाद में हो, के अन्दर फाइल किया जाना चाहिए।

(एचबीपी, खण्ड I का पैरा 3.11.9)

लेट कट – जब भी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए कोई आवेदन ऐसे आवेदन के जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किया जाता है तब आवेदन पर निम्नलिखित तरीकों में एक लेट कट लगाने के बाद विचार किया जा सकता है:

1. समाप्ति तिथि के पश्चात् परन्तु अंतिम तिथि से छह माह के भीतर प्राप्त आवेदन-2%
2. छह माह के पश्चात् परन्तु अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर, न प्राप्त होने वाले आवेदन-5%
3. एक वर्ष पश्चात् परन्तु अंतिम तिथि से दो वर्ष भीतर, न प्राप्त होने वाले आवेदन-10%

(एचबीपी, खण्ड I का पैरा 9.3)

वसूली की निगरानी – क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) को ऐसे सभी मामलों जिनमें स्क्रिप को बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) के बिना जारी किया गया हो, की मॉनीटरिंग करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्क्रिप जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर बीआरसी प्रस्तुत कर दिया गया है। यदि कोई आर.बी.आई विस्तार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब आरए को एचबीपी, खण्ड I के पैरा 4.45 के अनुसार शुल्क क्रेडिट राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

(एच.बी.पी., खण्ड I का पैरा 3.11.12 तथा पैरा 4.45)

Transfer of Export Performance – Transfer of export performance shall not be permitted. However, for VKGUY, FMS and FPS (including MLFPS), benefits can be claimed either by the supporting manufacturer (along with disclaimer from the company/firm which has realized the foreign exchange directly from overseas) or by Company/Firm which has realized the foreign exchange directly from overseas.

Facility of Payment of Customs Duties in case of EO defaults –

Duty Credit Scrips can also be used / debited towards payment of Customs Duties in case of EO defaults. However, penalty / interest shall be required to be paid in cash.

(Para 3.17 of FTP)

Date of submission of Application – Application for obtaining duty credit scrips shall be filed within a period of 12 months from the date of export or within six months from the date of realization or three months from the date of printing/release of S.B., whichever is later, in respect of shipments for which claim is being filed.

(Para 3.11.9 of HBP, Vol. I)

Late Cut – Wherever, any application for Duty Credit Scrip is received after expiry of last date for submission of such application, the application may be considered after imposing a late cut in the following manner:

1. Application received after the expiry date but within six months from the last date -2%
2. Application received after six months but not later than one year from the last date -5 %
3. Application received after one year but not later than two years from the last date -10%

(Para 9.3 of H.B.P., Vol. I)

Monitoring of Realisation –Regional Licensing Authority(RLA) shall monitor all such cases wherein the scrips have been issued without Bank Realisation Certificate (BRC) and ensure that BRC is submitted within 12 months from the date of issuance of the scrip. In case no R.B.I. extension is produced, RA shall initiate action for recovery of the duty credit amount in terms of Para 4.45 of the HBP, Vol. I.

(Para 3.11.12 and Para 4.45 of H.B.P., Vol. I)

लेखापरीक्षा जांच

1. वास्तविक निर्यात शिपिंग बिल से सत्यापित किया जाना चाहिए
2. निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य मुक्त विदेशी मुद्रा में सही है
3. निर्दिष्ट मर्चें वास्तविक रूप से निर्यातित हैं
4. स्क्रिप की मंजूरी के लिए सभी शर्तें पूरी की गई हैं
5. स्क्रिप को उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए उसे मंजूर किया जाता है, उपयोग किया गया हो
6. मुक्त विदेशी मुद्रा की समय पर वसूली की गई है तथा उगाही में विलम्ब के मामलों में ब्याज उद्धृत हो,
7. आवेदन जमा करने में विलम्ब के मामलों में, लेट कट लगाया जाए।
8. समय बाधित मामले।

8.3 शुल्क छूट/रियायत योजना

8.3.1 अग्रिम प्राधिकरण योजना

(पूर्व में अग्रिम लाइसेंस/डीईईसी योजना)

योजना – एक अग्रिम प्राधिकरण मदों जिनको भौतिक रूप से निर्यात उत्पाद (अपव्यय के लिए सामान्य अनुमति बनाकर) में शामिल किया जाता है, के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी के लिए जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ईंधन, तेल, ऊर्जा, उत्प्रेरक जिनका निर्यात उत्पाद प्राप्त करने के लिए उपभोग/उपयोग किया जाता है, की भी स्वीकृति दी जाती है। प्राधिकरण के सीआईएफ मूल्य के 10% तक अनिवार्य स्पेयर का शुल्क मुक्त आयात जिसका परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात/आपूर्ति किया जाना आवश्यक हो, की भी अनुमति दी जाती है।

पात्रता – योजना के अन्तर्गत लाइसेंस डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित मानक इनपुट तथा आउटपुट मानदण्डों के अनुसार जारी किए जाते हैं तथा एचबीपी, खण्ड I के पैरा 4.7 के अनुसार तदर्थ मानदण्डों अथवा स्वयं घोषित मानदण्डों के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं।

अग्रिम प्राधिकार या तो निर्माता (ओ) या व्यापारी निर्यातक को समर्थक निर्माता (ओं) के लिए जारी किया जा सकता है:

- (i) भौतिक निर्यात (सेज को निर्यात सहित); तथा/अथवा
- (ii) मध्यवर्ती आपूर्ति; तथा/अथवा
- (iii) विभिन्न निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए माल की आपूर्ति।

Audit Checks

1. Actual exportation – to be verified from the Shipping Bill
2. F.O.B. value of export in free foreign currency is correct
3. Specified items are actually exported
4. All the conditions for grant of the scrips are fulfilled
5. The scrip is used for the purpose for which it is granted
6. Free foreign currency has been realized in time and in the case of delay in realization interest is levied,
7. In the case of delay in submission of application, late cut is imposed.
8. Time barred cases.

8.3 Duty Exemption/Remission Schemes

8.3.1 Advance Authorisation Scheme

(Previously Advance Licence/DEEC Scheme)

Scheme - An Advance Authorisation is issued to allow duty free import of inputs, which are physically incorporated in export product (making normal allowance for wastage). In addition, fuel, oil, energy, catalysts which are consumed/utilised to obtain export product, are also allowed. Duty free import of mandatory spares upto 10% of CIF value of Authorisation which are required to be exported/supplied with resultant product, are also allowed.

Entitlement – Licences under the Scheme are issued as per Standard Input and Output Norms notified by the DGFT and can also be issued on the basis of Ad hoc norms or self declared norms as per Para 4.7 of HBP, Vol. I.

Advance Authorisation can be issued either to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer(s) for:

- (i) Physical exports (including exports to SEZ); and/ or
- (ii) Intermediate supplies; and /or
- (iii) Supply of goods to the different specified categories.

अग्रिम प्राधिकार को प्राधिकार जारी होने की तिथि पर मौजूदा नीति तथा प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाना चाहिए तथा आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार की मान्य अवधि एचबीपी, खण्ड I में निर्धारित के अनुसार होनी चाहिए।

अग्रिम प्राधिकार आधारभूत सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, एन्टी-डंपिंग शुल्क तथा रक्षा शुल्क यदि कोई हो, तो उनका भुगतान करने से छूट प्राप्त हैं। तथापि, एफटीपी के पैराग्राफ 8.2(एच) एवं (आई) के अन्तर्गत कवर आपूर्ति के लिए आयात को लागू एंटी डम्पिंग तथा रक्षा शुल्क यदि कोई हो, तो उसके भुगतान में छूट नहीं दी जाती है।

अग्रिम प्राधिकार तथा/अथवा उसके तहत आयातित सामग्री वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के साथ होगी। यह निर्यात दायित्व के पूर्ण होने के बाद भी हस्तांतरणीय नहीं होगी।

तथापि, प्राधिकार धारक के पास एक बार निर्यात दायित्व पूरा हो जाने पर शुल्क मुक्त सामग्री के अतिरिक्त निर्मित उत्पाद के निपटान का विकल्प होगा।

इसके अलावा, निर्माणगत अपव्यय/स्क्रेप जैसाकि अनुमत है, का निर्यात दायित्व के पूरा होने से पहले लागू शुल्क के भुगतान के साथ निपटान किया जा सकता है।

मूल्य संवर्धन¹ - अग्रिम प्राधिकार द्वारा निर्यात के लिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की मदों को छोड़कर 15% के न्यूनतम मूल्य संवर्धन आवश्यक है। वसूली की मुद्रा पर ध्यान दिए बिना सेज यूनिट को निर्यात/डेवलपर/को-डेवलपर को की गई आपूर्ति को भी कवर किया जाएगा। भौतिक निर्यात जिसके लिए मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त नहीं किया जाता है, के लिए यह एचबीपी, खण्ड I के परिशिष्ट-11 में निर्दिष्ट के अनुसार मूल्य संवर्धन के अधीन होना चाहिए।

वार्षिक आवश्यकता निर्यात दायित्व के लिए अग्रिम प्राधिकार:- अग्रिम प्राधिकार के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि एचबीपी, खण्ड 1 में निर्दिष्ट के अनुसार होनी चाहिए। अग्रिम प्राधिकार को वार्षिक आवश्यकता के लिए भी जारी किया जा सकता है। पूर्व निर्यात निष्पादन (पिछले दो वर्षों में) वाले स्टेटस प्रमाणपत्र धारक तथा निर्यातकों की अन्य सभी श्रेणियों को वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार हेतु पात्रता दी जाएगी।

आयात के सीआईएफ मूल्य के अनुसार पात्रता भौतिक निर्यात के एफओबी मूल्य के 300% तक तथा/अथवा पिछले लाइसेंस वर्ष में माने गए निर्यात के एफओबी मूल्य अथवा एक करोड़ रुपये जो भी अधिक हो, पर होनी चाहिए।

¹ मूल्य संवर्धन (वीए)=(ए-बी)/बी x 100, जहाँ

ए= निर्यात का एफओबी मूल्य दिया जाए/आपूर्ति का एफओआर मूल्य प्राप्त किया जाए।

बी= प्राधिकरण द्वारा कवर किए आयात के सीआईएफ मूल्य जमा अन्य उपयुक्त आयातित सामग्री जिस पर शुल्क फिरती के लाभ का दावा किया जाता है।

Advance Authorisation shall be issued in accordance with Policy and procedure in force on Authorisation issue date and validity period of Advance Authorisation for import shall be as prescribed in HBP, Vol.I.

Advance Authorisations are exempted from payment of basic customs duty, additional customs duty, education cess, anti- dumping duty and safeguard duty, if any. However, imports for supplies covered under paragraph 8.2 (h) & (i) of FTP are not exempt from payment of applicable anti-dumping and safeguard duty, if any.

Advance Authorisation and/or materials imported thereunder will be with actual user condition. It will not be transferable even after completion of export obligation.

However, Authorisation holder will have option to dispose off product manufactured out of duty free inputs once export obligation is completed.

Further the manufacturing wastes/scrap, as allowed, can be disposed off with the payment of applicable duty before fulfillment of export obligation.

Value addition¹ - Advance Authorisations necessitate exports with a minimum value addition of 15 %, except for items in Gems & Jewellery sector. Exports to SEZ Units/supplies to Developers / Co-Developers, irrespective of currency of realization, would also be covered. For physical exports for which payments are not received in freely convertible currency, same shall be subject to value addition as specified in Appendix-11 of HBP, Vol. I.

Advance Authorisation for Annual Requirement Export Obligation: - Period of fulfillment of Export obligation under Advance Authorisation shall be as prescribed in HBP Vol.1 Advance Authorisation can also be issued for annual requirement. Status Certificate holder and all other categories of exporters having past export performance (in preceding two years) shall be entitled for Advance Authorisation for Annual Requirement.

Entitlement in terms of CIF value of imports shall be upto 300% of the FOB value of physical export and/or FOB value of deemed export in the preceding licensing year or Rupees one crore, whichever is higher.

¹ Value Addition (VA)=(A-B)/ B x 100,where

A= FOB value of export realized/ FOR value of supply received.

B= CIF value of imports covered by authorization, plus any other imported materials used on which benefit of Duty Drawback is claimed.

फिरती की ग्राह्यता – अग्रिम प्राधिकार के मामलों में, फिरती डीओआर, वित्त मंत्रालय (फिरती निदेशालय) द्वारा निर्धारित फिरती दर के अनुसार निर्यातित माल में उपयुक्त किसी भी शुल्क भुगतान की गई सामग्री चाहे आयातित या स्वदेशी हो, के लिए उपलब्ध होगी। स्वीकृत फिरती प्राधिकार में वर्णित होनी चाहिए।
(एफ.टी.पी. का पैरा 4.1.14)

वास्तविक चूक का नियंत्रण – ई.ओ. पूरा करने में वास्तविक चूक के मामलों को एचबीपी के पैरा 4.28 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आरएलए द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा जांच

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जा सकती है:

1. अग्रिम प्राधिकार सिओन के अनुसार जारी किया गया है
2. निर्यात दायित्व को निर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा किया गया है
3. निर्धारित मूल्य संधर्धन प्राप्त किया गया है
4. प्राधिकार तथा प्राधिकरण के तहत आयातित माल का हस्तांतरण नहीं हुआ है
5. अनिवार्य स्पेयर का निर्दिष्ट सीमा से अधिक शुल्क मुक्त आयात न हो
6. निर्यात दायित्व के पूरा न होने के मामलों में, आरएलए द्वारा उचित कार्रवाई की जाए, तथा
7. मुक्त विदेशी मुद्रा की उगाही हो चुकी है।

व्याख्यात्मक लेखापरीक्षा आपत्ति

निर्यात दायित्व का पूरा न होना

अग्रिम प्राधिकार योजना 36 माह की अवधि के अन्दर निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने के अधीन अग्रिम लाइसेंस के प्रति सामग्री के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी देती है। निर्यात दायित्व को पूरा करने में वास्तविक चूक के मामलों में, लाइसेंस धारी के सीमा शुल्क प्राधिकारी को अनुपयुक्त आयातित सामग्री पर सीमा शुल्क के साथ ब्याज का भुगतान करना होगा।

माल के निर्यात हेतु 3 लाइसेंस धारकों को शुल्क मुक्त आयात के लिए तीन अग्रिम लाइसेंस जारी किए गए। लाइसेंसधारकों ने इनलैंड कनटेनर डिपो के माध्यम से शुल्क लाभ लेते हुए माल आयात किया परन्तु निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहे। तथापि, ईओ को पूरा न करने के लिए शुल्क की उगाही नहीं की गई थी।

8.3.2 शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए) योजना

डीएफआईए योजना 01-05-2006 से प्रारम्भ की गई है।

Admissibility of Drawback - In case of an Advance Authorisation, drawback shall be available for any duty paid material, whether imported or indigenous, used in goods exported, as per drawback rate fixed by DoR, Ministry of Finance (Directorate of Drawback). Drawback allowed shall be mentioned in Authorisation.

(Para 4.1.14 of F.T.P.)

Regularisation of Bonafide Default – Cases of bonafide default in fulfillment of E.O. may be regularized by RLA as per provisions laid down in Para 4.28 of HBP.

Audit Checks

The following aspects may be checked in audit:

1. Advance Authorisation is issued as per SION
2. Export obligation is fulfilled within specified time
3. Prescribed value addition is achieved
4. Authorisation and goods imported under the authorization are not transferred
5. Duty free import of mandatory spare not exceeded the specified limit
6. In the case of non-fulfillment of export obligation, proper action is taken by RLA, and
7. Free Foreign Currency has been realized.

Illustrative Audit objection

Non-fulfillment of export obligation

Advance Authorisation Scheme allows duty free import of inputs against advance licence subject to fulfillment of the prescribed export obligation, within a period of 36 months. In case of bonafide default in fulfillment of export obligation, the licensee is required to pay to customs authority, customs duty on unutilized imported material along with interest.

Three advance licences were issued to 3 licensees for duty free imports for export of goods. The licensees imported goods through inland container depot, availing duty benefits but failed to fulfill the prescribed export obligation. However, duty for non-fulfilment of EO had not been recovered.

8.3.2 Duty Free Import Authorisation (DFIA) Scheme

DFIA Scheme has been introduced w.e.f. 01-05-2006.

योजना- डीएफआईए इनपुट, ईंधन, तेल, ऊर्जा स्रोत, उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, के शुल्क मुक्त आयात स्वीकृत करने के लिए जारी किया जाता है।

पात्रता – अग्रिम प्राधिकरण (पैरा 4.1.3) के प्रावधान डीएफआईए के मामले में लागू होंगे। तथापि ये प्राधिकरण केवल उन उत्पाद जिनके लिए मानक इनपुट तथा आउटपुट मानदण्ड (सिओन) अधिसूचित किए गए हैं, के लिए जारी किए जायेंगे। डीएफआईए के बाद के निर्यात के मामलों में, एक निर्यातक व्यापारी को निर्यात उत्पाद के निर्माता (ओं) का नाम तथा पता वर्णित करना आवश्यक होगा। आवेदक को डीएफआईए के तहत निर्यात से पहले संबंधित आरए को आवेदन फाइल करना होगा। पूर्व-निर्यात प्राधिकार उपयोगकर्ता की वास्तविक शर्त के साथ जारी किया जायेगा तथा मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकर, एंटी-डंपिंग ड्यूटी तथा रक्षा शुल्क यदि कोई हो, के भुगतान से छूट दी जाएगी।

डीएफआई योजना के मामलों में, फिरती निर्धारित फिरती दर के अनुसार निर्यातित माल में उपयुक्त शुल्क भुगतान की गई सामग्री चाहे आयातित अथवा स्वदेशी के लिए उपलब्ध होगी। स्वीकृत फिरती प्राधिकरण में वर्णित होगी।

मूल्य संवर्धन – रत्न तथा आभूषण क्षेत्र की मदों को छोड़कर ऐसे प्राधिकार के जारी करने के लिए कम से कम 20 प्रतिशत मूल्य संवर्धन आवश्यक होगा। निर्धारित मदों के संबंध में अधिक मूल्य संवर्धन आवश्यक होगा।

निर्यात दायित्व – निर्यात दायित्व पूरा करने के संबंध में प्रक्रिया तथा समयावधि को एचबीपी, खण्ड-I के अध्याय 4 में वर्णित किया गया है।

स्थानान्तरणीयता – एक बार निर्यात दायित्व पूरा होने पर संबंधित आरएलए के समक्ष इसके प्रति प्राधिकार अथवा आयातित सामग्री की स्थानान्तरणीयता हेतु अनुरोध किया जा सकता है। एक बार स्थानान्तरणीयता की पुष्टि हो जाए, तब प्राधिकार धारक डीजीफटी द्वारा अधिसूचित ईंधन तथा अन्य किसी मद को छोड़कर डीएफआईए अथवा शुल्क मुक्त सामग्री का स्थानान्तरण कर सकता है। तथापि, ईंधन के लिए आयात पात्रता केवल उन कम्पनियों जिन्हें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बाजारीय ईंधन के लिए प्राधिकरण प्राप्त है, को स्थानान्तरित की जा सकती है। एक बार स्थानान्तरणीयता की पुष्टि हो जाए, तब प्राधिकार के प्रति आयात/घरेलू उत्पादन अथवा आयातित सामग्री/घरेलू रूप से उत्पादित सामग्री देय अतिरिक्त सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क के अधीन होगी। स्थानान्तरणीयता की पुष्टि करते समय, प्राधिकरण को ऐसे अतिरिक्त सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क की देयता के रूप में एक नोट देना होगा। जहां भी सिओन वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त का वर्णन करे, वहां निर्यात दायित्व पूरा करने के पश्चात भी इस सामग्री के लिए कोई स्थानान्तरणीयता मंजूर नहीं होगी।

(एफ.टी.पी. का पैरा 4.2)

Scheme- DFIA is issued to allow duty free import of inputs, fuel, oil, energy sources, catalyst(s) which are required for production of export product.

Entitlement - Provisions of Advance Authorisation (Para 4.1.3) shall be applicable in case of DFIA. However, these Authorisations shall be issued only for products for which Standard Input and Output Norms (SION) have been notified. In case of post export DFIA, a merchant exporter shall be required to mention only name(s) and address(s) of manufacturer(s) of the export product(s). Applicant is required to file application to concerned RA before effecting exports under DFIA. Pre-export Authorisation shall be issued with actual user condition and shall be exempted from payment of basic customs duty, additional customs duty / Excise duty, education cess, anti-dumping duty and safeguard duty, if any.

In the case of DFIA Scheme, drawback shall be available for any duty paid material, whether imported or indigenous, used in goods exported, as per drawback rate fixed. Drawback allowed shall be mentioned in Authorisation.

Value Addition - A minimum 20 per cent value addition shall be required for issuance of such authorisation, except for items in gems and jewellery sector. Higher value addition shall be required in respect of prescribed items.

Export obligation - Procedure and time period relating to fulfillment of Export Obligation have been laid down in Chapter 4 of HBP, Vol.-I.

Transferability - Once export obligation has been fulfilled, request for transferability of Authorisation or inputs imported against it may be made before the concerned RLA. Once transferability is endorsed, Authorisation holder may transfer DFIA or duty free inputs, except fuel and any other item(s) notified by DGFT. However, for fuel, import entitlement may be transferred only to companies which have been granted authorisation to market fuel by Ministry of Petroleum and Natural Gas. Once transferability is endorsed, imports / domestic procurement against authorisation or transfer of imported inputs / domestically procured inputs shall be subject to payment of applicable additional customs duty / Excise duty. While endorsing transferability, authorisation would bear a note as to liability of such additional customs duty / Excise duty. Wherever SIONs prescribe actual user condition, no transferability shall be allowed for these inputs even after fulfillment of export obligation.

(Para 4.2 of F.T.P.)

लेखापरीक्षा जांच

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जानी चाहिए:

1. डीएफआईए सिओन के अनुसार जारी किया गया है;
2. निर्यात दायित्वों को पूर्व-निर्यात डीएफआईए के मामलों में निर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा किया जाता है;
3. पूर्व-निर्यात डीएफआईए के मामलों में, निर्धारित मूल्य संवर्धन को प्राप्त किया गया है;
4. स्थानांतरित प्राधिकरण के मामलों में, अतिरिक्त सीमा शुल्क का आयात के समय भुगतान किया गया है;
5. निर्यात दायित्वों के पूरा न होने के मामलों में, आरएलए द्वारा उचित कार्रवाई की गई है, तथा
6. मुक्त विदेशी मुद्रा वसूली गई है।

8.4 शुल्क छूट योजना

8.4.1 शुल्क पात्रता पासबुक (डीईपीबी) योजना

उद्देश्य – डीईपीबी का उद्देश्य निर्यात उत्पाद के घटकों के आयात पर सीमा शुल्क के प्रभाव को निष्प्रभावित करना है। ईंधन पर (सिओन में उपयोज्य के रूप में प्रदर्शित) सीमा शुल्क के घटक भी डीईपीबी दर में सहयोगी होंगे। विशेष अतिरिक्त शुल्क के घटक को भी सेनवेट क्रेडिट की अनुलब्धता के मामले में डीईपीबी (ब्रांड दर के अनुसार) के तहत मंजूर किया जायेगा। निष्प्रभाविता को निर्यात उत्पाद के प्रति शुल्क क्रेडिट की मंजूरी के रूप में प्राप्त किया जायेगा।

पात्रता – एक आयातक स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किए निर्यात के एफओबी मूल्य की निर्दिष्ट प्रतिशतता पर क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है। एक डीटीए यूनिट द्वारा सेज यूनिट/सेज विकास करने वाले/सह-विकास करने वाले को आपूर्ति के मामलों में, एक निर्यातक मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किए निर्यात हेतु क्रेडिट के लिए अथवा सेज यूनिट/सेज डेवलपर/को-डेवलपर के कारण विदेशी मुद्रा में किए भुगतान के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक को 10.2.2006 से प्राप्त आपूर्तियों के लिए सेज डेवलपर/को-डेवलपर द्वारा भारतीय रुपयों में किए नकद भुगतान में डीईपीबी लाभों का भी हकदार होगा। ऐसे निर्यात उत्पादों के प्रति क्रेडिट सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से तथा डीजीएफटी द्वारा निर्दिष्ट दरों पर प्राप्त होगा। क्रेडिट को स्वतंत्र रूप से आयातित मर्दों तथा/अथवा प्रतिबंधित मर्दों पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। डीईपीबी स्क्रिप को ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत आयात के प्रति शुल्क के भुगतान हेतु

Audit Checks

The following aspects may be checked in audit:

1. DFIA is issued as per SION;
2. Export obligation is fulfilled within specified time in the case of Pre-export DFIA;
3. In the case of Pre-export DFIA, prescribed value addition has been achieved;
4. In the case of transferred authorization, additional customs duty is paid at the time of import;
5. In the case of non-fulfillment of export obligation, proper action has been taken by RLA, and
6. Free foreign currency has been realized.

8.4 Duty Remission Scheme

8.4.1 Duty Entitlement Passbook (DEPB) Scheme

Objective - Objective of DEPB is to neutralise incidence of customs duty on import content of export product. Component of customs duty on fuel (appearing as consumable in the SION) shall also be factored in the DEPB rate. Component of Special Additional Duty shall also be allowed under DEPB (as brand rate) in case of non-availment of CENVAT credit. Neutralisation shall be provided by way of grant of duty credit against export product.

Entitlement - An exporter may apply for credit, at specified percentage of FOB value of exports, made in freely convertible currency. In case of supply by a DTA unit to a SEZ unit/ SEZ Developer/Co-Developer, an exporter may apply for credit for exports made in freely convertible currency or payment made from foreign currency account of SEZ Unit/SEZ Developer/Co-Developer. In addition, the exporter shall also be entitled for DEPB benefit in case payment is made in Indian Rupees by SEZ Developer/Co-Developer for supplies received w.e.f 10.2.2006. Credit shall be available against such export products and at such rates as may be specified by DGFT by way of public notice. Credit may be utilized for payment of Customs Duty on freely importable items and/or restricted items. DEPB Scrips can also be utilized for payment of duty against imports under EPCG Scheme. Further, DEPB Scrips can also be used / debited towards payment of Customs Duty in case

भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, डीईपीबी स्क्रिप को नीति के अध्याय 4 तथा 5 के अन्तर्गत जारी प्राधिकरणों हेतु ईओ चूक के मामलों में सीमा शुल्क के भुगतान की ओर प्रयोग/डेबिट भी किया जा सकता है। तथापि, जुर्माना/ब्याज का भुगतान नकद में करना आवश्यक होगा। डीईपीबी धारक के पास नकद में अतिरिक्त सीमा शुल्क के भुगतान का विकल्प भी होगा।

हस्तांतरणीयता – डीईपीबी स्क्रिप तथा/अथवा इसके प्रति आयातित मर्दे स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है। तथापि डीईपीबी का हस्तांतरण निर्दिष्ट बंदरगाह, वह बंदरगाह है जहां से निर्यात किया गया है। निर्यात के बंदरगाह से अन्य पोर्ट पर आयात निर्यात टीआरए सुविधा के अन्तर्गत स्वीकृत होगा।

फिरती की प्रयोज्यता – डीईपीबी के तहत नकद अथवा डेबिट के माध्यम से भुगतान किए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क को भी सेनवेट क्रेडिट या शुल्क फिरती के रूप में समायोजित किया जा सकता है। (एफ.टी.पी. का पैरा 4.3)

पंजीकरण बंदरगाह – डीईपीबी पंजीकरण एकल बंदरगाह वह बंदरगाह है जहां से निर्यात प्रभावित होता है, पर जारी किया जायेगा। (एचबीपी का पैरा 4.40)

आवेदन जमा करने की तिथि – शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त करने के लिए आवेदन को निर्यात की तिथि से 12 माह की अवधि के अन्दर अथवा वसूली (पूरक दावे) की तिथि से छः माह के अन्दर अथवा एस.बी. की प्रिंटिंग/उगाही की तिथि से तीन माह के अन्दर जो भी बाद में हो, शिपमेंट जिसके लिए दावा किया जा रहा है, के संदर्भ में फाइल किया जायेगा।

(एचबीपी का पैरा 4.46)

लेट कट – ऐसे आवेदन के जमा करने के लिए अंतिम तिथि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु आवेदन के मामलों में, आवेदन को एचबीपी, खण्ड-I के पैरा 9.3 में निर्धारित तरीके से एक लेट कट लगाने के बाद माना जा सकता है।

(एचबीपी का पैरा 9.3)

उगाही की निगरानी – देखें: इस नियमावली के पैरा 8.2.5 के अन्तर्गत ‘उगाही की निगरानी’।

लेखापरीक्षा जांच

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जा सकती है:

1. एस.बी. वास्तविक निर्यात से सत्यापित किया जायेगा;
2. मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य सही है;
3. क्रेडिट निर्दिष्ट दर के अनुसार दिया गया है;
4. स्क्रिप की मंजूरी के लिए सभी शर्तें पूरी की गई हैं;

of EO defaults for Authorizations issued under Chapters 4 and 5 of the Policy. However, penalty / interest shall be required to be paid in cash. DEPB holder shall have option to pay additional customs duty in cash as well.

Transferability - DEPB Scrips and / or items imported against it are freely transferable. Transfer of DEPB shall however be for import at specified port, which shall be the port from where exports have been made. Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility.

Applicability of Drawback - Additional customs duty / Excise Duty and Special Additional Duty paid in cash or through debit under DEPB may also be adjusted as CENVAT credit or Duty Drawback.

(Para 4.3 of FTP)

Port of Registration - DEPB shall be issued with single port of registration which will be the port from which exports have been effected.

(Para 4.40 of HBP)

Date of submission of Application – Application for obtaining duty credit scrips shall be filed within a period of 12 months from the date of export or within six months from the date of realization (supplementary claim) or three months from the date of printing/release of S.B., whichever is later, in respect of shipments for which claim is being filed.

(Para 4.46 of HBP)

Late Cut – In case of application for Duty Credit Scrip received after expiry of the last date for submission of such application, the application may be considered after imposing a Late Cut in the manner prescribed in Para 9.3 of HBP, Vol.-I.

(Para 9.3 of H.B.P.)

Monitoring of Realisation – Ref. ‘Monitoring of Realisation’ under Para 8.2.5 of this Manual.

Audit Checks

The following aspects may be checked in audit:

1. Actual exportation to be verified from the S.B.;
2. F.O.B. value of export in free foreign currency is correct;
3. Credit is given as per specified rate;
4. All the conditions for grant of the scrips are fulfilled;

5. मुक्त विदेशी मुद्रा की समय पर वसूली की गई है तथा उगाही में विलम्ब के मामलों में ब्याज उद्धग्राह्य है, तथा
6. डीईपीबी हेतु आवेदन जमा करने में विलम्ब के मामलों में लेट कट लगाया गया है।

8.5 रत्न और आभूषण

रत्न तथा आभूषण के लिए योजना – रत्न तथा आभूषणों के निर्यातक निर्माण के लिए शुल्क मुक्त सामग्री का आयात/खरीद कर सकते हैं।

पुनः पूर्ति प्राधिकार – निर्यातक एचबीपी, खण्ड-I में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आरए से पुनः पूर्ति प्राधिकार (आरईपी) प्राप्त कर सकते हैं।

पुनः पूर्ति प्राधिकरण भी एचबीपी, खण्ड-I के पैरा 4ए.28 के अनुसार उपभोज्य एवं उपकरण के लिए जारी किया जा सकता है।

हीरों का प्रमाणन/ग्रेडिंग एवं पुनःनिर्यात के लिए आयात – जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जीआईए) के भारत में प्राधिकृत कार्यालयों/एजेन्सियों अथवा इस संदर्भ में स्वीकृत अन्य एजेंसियों को इस शर्त पर उनके द्वारा प्रमाणन/ग्रेडिंग रिपोर्ट के उद्देश्य से उनकी प्रयोगशालाओं के लिए हीरों के आयात की अनुमति दी जायेगी कि उन का एचबीपी, खण्ड I में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी आयात शुल्क के बिना उनके द्वारा जारी प्रमाणन/ग्रेडिंग रिपोर्ट के साथ पुनः निर्यात किया जाएगा।

स्वर्ण/चांदी/प्लैटिनम आभूषणों के लिए योजना – स्वर्ण/चांदी/प्लैटिनम आभूषणों तथा उससे निर्मित वस्तुओं के निर्यातक इस संदर्भ में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ण, चाँदी, प्लैटिनम, माउंटिंग, फाइंडिंग, कच्चे रत्न, कीमती तथा अर्द्ध-कीमती पत्थर, सिंथेटिक पत्थर तथा असंशोधित मोती आदि जैसी अपनी आवश्यक सामग्री का आयात कर सकते हैं।

नामित एजेंसियां – नामित एजेंसियां हैं एमएमटीसी लिमिटेड, हस्तशिल्प तथा हथकरधा निर्यात निगम (एचएचईसी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), प्रोजेक्ट एंड इक्वूपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीईसी), एसटीसीएल लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड, डायमण्ड इंडिया लिमिटेड (डीआईएल), रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन काउंसिल (जी एंड जे ईपीसी), स्टार ट्रेडिंग हाउस (केवल रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए) तथा एफटीपी के पैरा 3.10.2 के अन्तर्गत प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस तथा आरबीआई द्वारा प्राधिकृत अन्य एजेंसी। निर्यातक (ईओयू तथा सेज यूनिट को छोड़कर) नामित एजेंसियों से स्वर्ण/चांदी/प्लैटिनम प्राप्त कर सकते हैं। इन एजेंसियों द्वारा कीमती धातु के आयात हेतु प्रक्रिया (आरबीआई से उन प्राधिकृत तथा ईओयू एवं सेज योजना के अन्तर्गत संचालित रत्न तथा आभूषण इकाई के अलावा) तथा उसकी मानीटरिंग तंत्र इस संदर्भ में एचबीपी, खण्ड 1 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगा। आरबीआई द्वारा प्राधिकृत एक बैंक को आरबीआई दिशा-निर्देश के अनुसार मानक स्वर्ण बार के शोधन तथा आयात के लिए स्वर्ण स्क्रेप के निर्यात की अनुमति है।

5. Free foreign currency is realized in time and in the case of delay in realization interest is levied, and
6. In the case of delay in submission of application for DEPB, late cut is imposed.

8.5 Gems and Jewellery

Scheme for Gems and Jewellery - Exporters of gems and Jewellery can import / procure duty free inputs for manufacturing.

Replenishment Authorisation - Exporters may obtain Replenishment (REP) Authorisations from RA in accordance with procedure specified in HBP, Vol.-I.

Replenishment authorisation may also be issued for consumables & tools as per paragraph 4A.28 of HBP, Vol.-I.

Import of Diamonds for Certification/Grading & re-export - The authorized offices/agencies in India of Gemological Institute of America (GIA) or any other agency approved in this regard, shall be permitted to import diamonds to their laboratories for the purpose of certification/grading reports by them with a condition that the same should be re-exported with the certification/grading reports issued by them without any import duty, as per the procedure laid down in HBP, Vol.I.

Schemes for Gold/ Silver/Platinum Jewellery - Exporters of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof may import their essential inputs such as gold, silver, platinum, mountings, findings, rough gems, precious and semi-precious stones, synthetic stones and unprocessed pearls etc. in accordance with the procedure specified in this behalf.

Nominated Agencies - Nominated agencies are MMTC Ltd, Handicraft and Handloom Export Corporation (HHEC), State Trading Corporation (STC), the Project and Equipment Corporation (PEC) of India Ltd, STCL Ltd, MSTC Ltd, Diamond India Limited (DIL), Gems & Jewellery Export Promotion Council (G&J EPC)), Star Trading House (only for Gems & Jewellery sector) and Premier Trading House under Paragraph 3 .10.2 of FTP and any other agency authorised by RBI. Exporters (except EOUs and units in SEZ) may obtain gold / silver / platinum from nominated agency(s). Procedure for import of precious metal by these agencies (other than those authorized by RBI and the Gems & Jewellery units operating under EOU and SEZ schemes) and the monitoring mechanism thereof shall be as per the provisions laid down in HBP Vol.1 in this regard. A bank authorised by RBI is allowed export of gold scrap for refining and import of standard gold bars as per RBI guidelines.

निर्यात की मर्दे – निम्नलिखित मर्दे यदि निर्यातित होती हैं तो सुविधा के लिए हकदार होंगी:

- (क) 8 कैरेट तथा अधिक के स्वर्ण वाले पदक तथा सिक्कों (कानूनी निविदा के सिक्कों को छोड़कर) चाहे सादे अथवा जड़ाऊ सहित अंशतः संसाधित आभूषण तथा वस्तुओं सहित स्वर्ण आभूषण;
- (ख) वजन से 50% से अधिक चांदी वाले पदक तथा सिक्कों (कानूनी निविदा सिक्कों तथा किसी इंजीनियरिंग सामान को छोड़कर) सहित अंशतः संसाधित आभूषण, चाँदी के बर्तन, चाँदी की स्ट्रिप्स तथा मर्दों सहित चाँदी के आभूषण;
- (ग) वजन से 50% से अधिक प्लैटिनम वाले पदक तथा सिक्कों (कानूनी निविदा सिक्कों तथा किसी इंजीनियरिंग माल को छोड़कर) सहित अंशतः संसाधित आभूषणों तथा मर्दों सहित प्लैटिनम आभूषण।

मूल्य संवर्धन – रत्न तथा आभूषण क्षेत्र के लिए मूल्य संवर्धन (वीए) एचबीपी खण्ड I के पैरा 4 ए.2.1 के अनुसार होगा।

विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात – निर्माण तथा निर्यात के लिए विदेशी क्रेता स्वर्ण/चांदी/प्लैटिनम आदि की अग्रिम तथा प्रभार मुक्त आपूर्ति कर सकता है।

नामित एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात – निर्यातक निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्यात के पश्चात् अग्रिम अथवा पुनः पूर्ति के रूप में नामित एजेंसियों से निर्यात उत्पाद हेतु सामग्री के रूप में स्वर्ण/चांदी/प्लैटिनम प्राप्त कर सकता है।

अग्रिम प्राधिकरण के प्रति निर्यात – स्वर्ण, चांदी तथा प्लैटिनम के शुल्क मुक्त आयात हेतु अग्रिम प्राधिकरण की मंजूरी दी जा सकती है।

रत्न पुनःप्राप्ति – रत्न पुनःप्राप्ति (रत्न एवं आभूषण आरईपी) प्राधिकार जारी किया जा सकता है। ऐसा रत्न आरईपी प्राधिकार मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगा। पुनःपूर्ति दर तथा आयात की मर्दे एचबीपी, खण्ड-I के परिशिष्ट 12बी में वर्णन के अनुसार होंगी।

(एफटीपी का पैरा 4ए)

निर्यात के साक्ष्य - निर्यातक को स्वर्ण/चांदी/प्लैटिनम आभूषण के निर्यात हेतु जहां पर भी आवश्यक हो, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके निर्यात के साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं:

- (क) एस.बी. की ई.पी. प्रति;
- (ख) सीमा शुल्क विभाग द्वारा सत्यापित बीजक;
- (ग) उगाही के बैंक प्रमाण पत्र।

(एचबीपी का पैरा 4ए.8)

Items of Export – The following items, if exported, would be eligible for facilities:

- (a) Gold jewellery, including partly processed jewellery and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above;
- (b) Silver jewellery including partly processed jewellery, silverware, silver strips and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight;
- (c) Platinum jewellery including partly processed jewellery and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight.

Value Addition Value Addition (VA) for gems and jewellery sector shall be as per paragraph 4 A.2.1 of HBP Vol.I.

Export against supply by Foreign Buyer - Foreign buyer may supply in advance and free of charge, gold/silver/platinum etc. for manufacture and export.

Export against supply by Nominated Agencies - Exporter may obtain gold/silver/platinum as an input for export products from nominated agencies in advance or as replenishment after exports in accordance with specified procedure.

Export against Advance Authorisation - Advance Authorisation may be granted for duty free import of gold, silver and platinum.

Gem Replenishment - Gem Replenishment (Gem & Jewellery REP) Authorisation may be issued. Such Gem REP Authorisation shall be freely transferable. Replenishment rate and item of import will be as prescribed in Appendix 12B of HBP, Vol.-I.

(Para 4A of FTP)

Proof of Export - Exporter has to furnish the proof of export, wherever required for export of gold/silver/platinum jewellery, by furnishing the following documents:

- (a) E.P. copy of the S.B. ;
- (b) Customs attested invoice ;
- (c) Bank certificate of realization.

(Para 4A.8 of HBP)

लेखापरीक्षा जांच

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जा सकती है:

1. पुनः पूर्ति प्राधिकार वास्तविक किए निर्यात तथा मूल्य संवर्धन पर विचार करने के बाद मंजूर है;
2. ग्रेडिंग के लिए आयातित हीरो का निर्यात हो गया है;
3. एफ.ई. में निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य सही है;
4. योजना का लाभ केवल निर्दिष्ट मर्दों के निर्यात के लिए दिया गया है;
5. निर्धारित संवर्धन मूल्य प्राप्त कर लिया गया है;
6. निर्यात से पहले आयात के मामले में, निर्दिष्ट समय के अन्दर निर्यात दायित्वों को पूरा कर लिया गया है;
7. ई.ओ. के पूरा न होने के मामले में, आर.ए. द्वारा उचित कार्रवाई की गई है; तथा
8. मुक्त विदेशी मुद्रा की उगाही हो गई है।

8.6 निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ईपीसीजी) योजना

जीरो शुल्क ईपीसीजी योजना – जीरो शुल्क ईपीसीजी योजना, प्राधिकरण जारी तिथि से अनुमानित 6 वर्षों में पूरी की जाने वाली ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत आयातित पूँजीगत माल पर रक्षित शुल्क के 6 गुना के बराबर एक निर्यात दायित्व के अधीन जीरो सीमा शुल्क पर पूर्व उत्पादन, उत्पादन तथा पश्च-उत्पादन (उसके सीकेडी/एसकेडी के साथ-साथ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम सहित) के लिए पूँजीगत माल के आयात को मंजूरी प्रदान करती है। एचबीपी, खण्ड-I में प्रदान बहिष्करण के अधीन योजना इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, बुनियादी रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स, पोशाक एवं कपड़े, प्लास्टिक, हस्तशिल्प, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद तथा चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद के निर्यातकों के लिए उपलब्ध होगी। ईपीसीजी योजना के 3% शुल्क रियायत से संबंधित अन्य सभी प्रावधान एक सीमा तक जीरो शुल्क ईपीसीजी योजना के उपरोक्त प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, को जीरो शुल्क ईपीसीजी योजना के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

रियायती 3% शुल्क ईपीसीजी योजना – रियायती 3% शुल्क ईपीसीजी योजना प्राधिकरण जारी होने की तिथि से अनुमानित 8 वर्षों में पूरी की जाने वाली ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत आयातित पूँजीगत माल पर रक्षित शुल्क के 8 गुना के बराबर एक निर्यात दायित्व के अधीन 3% सीमा शुल्क पर पूर्व उत्पादन, उत्पादन तथा बाद के उत्पादन (सीकेडी/एसकेडी के साथ-2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम सहित) के लिए पूँजीगत माल के आयात को मंजूरी प्रदान करती है।

Audit Checks

The following aspects may be checked in audit:

1. Replenishment Authorisations are granted with respect to exports actually made and taking into consideration the value addition;
2. Diamonds imported for grading are exported;
3. F.O.B. value of export in F.E. is correct;
4. Benefit of the scheme is given only for the export of specified items;
5. Prescribed value addition is achieved;
6. In the case of imports before exportation, export obligations are fulfilled within specified time;
7. In the case of non-fulfillment of E.O., proper action has been taken by R.A., and
8. Free foreign currency has been realized.

8.6 Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme

Zero duty EPCG Scheme - Zero duty EPCG scheme allows import of capital goods for pre production, production and post production (including CKD/SKD thereof as well as computer software systems) at zero Customs duty, subject to an export obligation equivalent to 6 times the duty saved on capital goods imported under EPCG scheme, to be fulfilled in 6 years reckoned from Authorization issue-date. The scheme will be available for exporters of engineering & electronic products, basic chemicals & pharmaceuticals, apparels & textiles, plastics, handicrafts, chemicals & allied products and leather & leather products; subject to exclusions as provided in HBP, Vol.-I. All other provisions pertaining to concessional 3% duty EPCG scheme, to the extent they are not inconsistent with the above provisions of zero duty EPCG scheme, shall be applicable to the zero duty EPCG scheme also.

Concessional 3% Duty EPCG Scheme - Concessional 3% duty EPCG scheme allows import of capital goods for pre production, production and post production (including CKD/SKD thereof as well as computer software systems) at 3% Customs duty, subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved on capital goods imported under EPCG scheme, to be fulfilled in 8 years reckoned from Authorization issue date.

कृषि इकाइयों तथा कोटेज यूनिट अथवा छोटे क्षेत्र के मामले में, 3% सीमा शुल्क पर पूँजीगत माल के आयात को प्राधिकरण जारी होने की तिथि से 12 वर्षों में आयातित पूँजीगत माल पर रक्षित शुल्क के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व को पूरा करने के अधीन मंजूरी प्रदान की जायेगा।

एसएसआई यूनिट के लिए, 3% सीमा शुल्क पर पूँजीगत माल के आयात को प्राधिकरण जारी होने की तिथि से 8 वर्षों में पूँजीगत माल पर रक्षित शुल्क के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व को पूरा करने के अधीन मंजूरी दी जायेगी बशर्ते कि योजना के अन्तर्गत आयातित ऐसे पूँजीगत माल का लैंडिड सीआईएफ मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक न हो तथा ऐसे निर्यात के पश्चात् संयंत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश एसएसआई सीमा से अधिक न हो।

शुल्क की ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक रक्षित राशि के साथ ईपीसीजी प्राधिकरण के संदर्भ में, निर्यात दायित्व को 12 वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए।

यदि ईपीसीजी के अन्तर्गत आयात पर सीवीडी का भुगतान नकद में किया जाता है तो सीवीडी का भार रक्षित निवल शुल्क की गणना हेतु नहीं लिया जाएगा बशर्ते इसे सेनवेट न किया जाए।

पूँजीगत माल में स्पेयर (रिफरबिशड/रिकंडीशनड स्पेयर सहित), उपकरण, जिग्स, फिक्सचर, डाईस तथा मॉल्ड्स सम्मिलित होने चाहिए। वर्तमान संयंत्र तथा मशीनरी (ईपीसीजी अथवा अन्य के तहत पूर्व आयातित) के लिए आंरभिक प्रभार हेतु प्रारंभिक लाइनिंग तथा केटेलिस्ट के लिए स्पेयर (रिफरबिशड रिकंडीशनड स्पेयर सहित), मॉल्ड्स, डाईस, जिग्स, फिक्सचर, उपकरण, रिफ्रैक्ट्री को एफटीपी के पैरा 5.2ए में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत आयात की जाने की मंजूरी होगी।

प्रोजेक्ट हेतु ईपीसीजी – प्रोजेक्ट आयात के लिए योजना के अन्तर्गत पूँजीगत माल के आयात के लिए एक ईपीसीजी प्राधिकरण भी जारी किया जा सकता है। ऐसे ईपीसीजी प्राधिकरण के लिए निर्यात दायित्व रक्षित शुल्क का आठ गुना (जीरो शुल्क ईपीसीजी योजना के लिए 6 गुना) होगा। शुल्क रक्षित राशि दिनांक 01.03.2002 की सीमा शुल्क रियायत अधिसूचना संख्या 21/2002 के अन्तर्गत प्रभावी शुल्क तथा ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत रियायत शुल्क के बीच का अन्तर होगी।

खुदरा क्षेत्र के लिए ईपीसीजी – खुदरा क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना निर्माण के लिए ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत रियायत शुल्क लाभ को कम से कम 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र वाले खुदरा व्यापारी द्वारा अपेक्षित पूँजीगत माल के आयात के लिए बढ़ाना। ऐसे खुदरा व्यापारी को निर्यात दायित्वों अर्थात् 8 वर्षों में रक्षित 8 गुना शुल्क को पूरा करेगा।

In case of agro units, and units in cottage or tiny sector, import of capital goods at 3 % Customs duty shall be allowed subject to fulfillment of export obligation equivalent to 6 times of duty saved on capital goods imported, in 12 years from Authorization issue-date.

For SSI units, import of capital goods at 3 % Customs duty shall be allowed, subject to fulfillment of export obligation equivalent to 6 times the duty saved on capital goods, in 8 years from Authorization issue-date, provided the landed CIF value of such imported capital goods under the scheme does not exceed Rs. 50 lakhs and total investment in plant and machinery after such imports does not exceed SSI limit.

In respect of EPCG Authorization with a duty saved amount of Rs.100 crores or more, export obligation shall be fulfilled in 12 years.

In case CVD is paid in cash on imports under EPCG, incidence of CVD would not be taken for computation of net duty saved, provided the same is not CENVATED.

Capital goods shall include spares (including refurbished/reconditioned spares), tools, jigs, fixtures, dies and moulds. Spares (including refurbished/reconditioned spares), moulds, dies, jigs, fixtures, tools, refractory for initial lining and catalyst for initial charge; for existing plant and machinery (imported earlier, under EPCG or otherwise), shall be allowed to be imported under the EPCG Scheme subject to conditions specified in Para 5.2A of the FTP.

EPCG for Projects - An EPCG Authorization can also be issued for import of capital goods under Scheme for Project Imports. Export obligation for such EPCG Authorizations would be eight times (6 times for zero duty EPCG scheme) of duty saved. Duty saved amount would be difference between the effective duty under the Customs Exemption Notification No. 21/2002 dated 01.03.2002 and concessional duty under the EPCG Scheme.

EPCG for Retail Sector - To create modern infrastructure in retail sector, concessional duty benefits under EPCG scheme shall be extended for import of capital goods required by retailers having minimum area of 1000 sq. meters. Such retailer shall fulfill export obligation i.e. 8 times of duty saved, in 8 years.

योग्यता – ईपीसीजी योजना सहायक निर्माता (ओं) तथा सामान्य सेवा प्रदाता से जुड़े सहायक निर्माता (ओं)/विक्रेता (ओं), निर्यातक व्यापारी के साथ अथवा के बिना निर्माता निर्यातक को कवर करती है।

पूँजीगत माल के आयात हेतु शर्तें – पूँजीगत माल का आयात निर्यात दायित्व पूरा होने तक वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन होगा।

निर्यात दायित्व – निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को लागू करना होगा:

- (i) निर्यात दायित्व को आवेदक द्वारा निर्मित माल/दी गई सेवाओं के निर्यात से पूरा करना होगा। योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को एचबीपी, खण्ड-1 के पैराग्राफ 5.7.6 में वर्णित श्रेणियों को छोड़कर विस्तारित अवधि यदि कोई हो, तो उस सहित सारी निर्यात दायित्व अवधि के अन्दर उसी उत्पाद हेतु पिछले तीन लाइसेंस वर्षों में उसके द्वारा किए निर्यात के औसत स्तर से अधिक होना चाहिए। ऐसा औसत उसी उत्पाद के लिए पिछले तीन वर्षों में निर्यात निष्पादन का गणितीय अभिप्राय होगा बशर्ते कि प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस (पीटीएच) के पास तीन वर्षों के बजाय पिछले पांच वर्ष में निर्यात निष्पादन के गणितीय अभिप्राय पर आधारित निर्यात के औसत स्तर को निर्धारित करने का विकल्प होना चाहिए। 50% तक निर्यात दायित्व को भी उसी फर्म/कम्पनी या ग्रुप कम्पनी/प्रबन्धित होटल जिसमें ईपीसीजी प्राधिकरण है, द्वारा अन्य निर्मित माल अथवा प्रदत्त सेवा के निर्यात से पूरा किया जाए। तथापि, 1.4.2008 से पूर्व जारी ईपीसीजी प्राधिकरण को पूर्व नीति प्रावधानों द्वारा संचालित किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में, लगाए गए अतिरिक्त निर्यात दायित्व एचबीपी के पैरा 5.7.6 में छूट के बावजूद मूल तथा स्थानापन्न उत्पाद/सेवा दोनों के लिए पिछले तीन वर्षों में यूनिट/कम्पनी/ग्रुप कम्पनी/प्रबन्धित होटल द्वारा किए औसत निर्यात के अतिरिक्त होना चाहिए।
- (ii) अग्रिम प्राधिकरण के तहत शिपमेंट, एफटीपी के अध्याय 3 के अन्तर्गत डीएफआरसी, डीएफआईए, डीईपीबी अथवा फिरती योजना या प्रोत्साहन योजना को भी ईपीसीजी निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए गिना जाएगा।
- (iii) निर्यात दायित्व को डीटीए को आईटीए-1 मदों की आपूर्ति द्वारा भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते उगाही मुक्त विदेशी विनिमय में हो।
- (iv) निर्यात भौतिक निर्यात होना चाहिए। तथापि, कुछ माने गये निर्यात को भी निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए गिना जायेगा। मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया गया रायल्टी भुगतान तथा आरएंडडी हेतु प्राप्त विदेशी विनिमय भी ईपीसीजी के तहत निर्वहन हेतु गिना जाना चाहिए। पोर्ट हैंडलिंग सेवा के लिए रूपए में प्राप्त

Eligibility - EPCG scheme covers manufacturer exporters with or without supporting manufacturer(s)/ vendor(s), merchant exporters tied to supporting manufacturer(s) and common service providers.

Conditions for import of Capital Goods - Import of capital goods shall be subject to Actual User condition till export obligation is completed.

Export obligation – The following conditions shall apply to the fulfillment of the export obligation:

- (i) Export Obligation shall be fulfilled by export of goods manufactured/services rendered by the applicant. Export obligation under the scheme shall be, over and above, the average level of exports achieved by him in the preceding three licensing years for the same and similar products within the overall export obligation period including extended period, if any; except for categories mentioned in paragraph 5.7.6 of HBP, Vol.-I. Such average would be the arithmetic mean of export performance in the last three years for the same and similar products provided that Premier Trading House (PTH) shall have option of fixing average level of exports based on arithmetic mean of export performance in the last five years instead of three years. Upto 50% Export Obligation may also be fulfilled by exports of other good(s) manufactured or service(s) provided by the same firm / company, or group company / managed hotel, which has the EPCG authorization. However, EPCG authorization issued prior to 1.4.2008 will be governed by earlier policy provisions. However, in such cases, additional export obligation imposed shall be over and above average exports achieved by the unit / company / group company / managed hotel in preceding three years for both the original and the substitute product(s) / service(s), despite exemptions in Para 5.7.6 of HBP.
- (ii) Shipments under Advance Authorization, DFRC, DFIA, DEPB or Drawback scheme, or incentive schemes under Chapter 3 of FTP; would also count for fulfillment of EPCG export obligation.
- (iii) Export obligation can also be fulfilled by the supply ITA-I items to DTA, provided realization is in free foreign exchange.
- (iv) Exports shall be physical exports. However, certain deemed exports shall also be counted towards fulfillment of export obligation. Royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for R&D services shall also be counted for discharge under EPCG. Payment

भुगतान को भी एफटीपी के अध्याय 9 के अनुसार निर्यात दायित्व निर्वहन हेतु गिना जायेगा।

फास्ट ट्रैक कम्पनियों के लिए प्रोत्साहन – ऐसे मामलों में जहां प्राधिकरण धारक ने 75% अथवा उससे अधिक निर्दिष्ट निर्यात दायित्व तथा 100% औसत निर्यात दायित्व निर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व अवधि की तिथि यदि कोई हो, तो उस तक, आधा अथवा आधे से कम, में निर्यात में तेजी लाने के विचार से फास्ट ट्रैक कम्पनियों को प्रोत्साहन देने के लिए शेष निर्यात दायित्व को छोड़ा जाएगा तथा संबंधित आरए द्वारा प्राधिकरण को पुनः शोधित किया जायेगा। तथापि, ऐसे मामलों में एचबीपी खण्ड I के पैरा 5.12 के अन्तर्गत कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

निर्यात दायित्व का निर्धारण – प्रत्यक्ष आयात के मामलों में, निर्यात दायित्व को वास्तविक शुल्क रक्षित राशि के साथ जोड़ा जाएगा। घरेलू स्रोतों के मामलों में, निर्यात दायित्व को एफओआर मूल्य पर रक्षित काल्पनिक सीमा शुल्क के साथ जोड़ा जाएगा।

(एफटीपी का पैरा 5)

ई.ओ. की मॉनीटरिंग – प्राधिकार धारक को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक संबंधित आर.ए. को ई.ओ. पूरा करने की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संबंधित आर.ए. आंशिक ई.ओ. पूर्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, बशर्ते ई.ओ. की पूर्ति के लिए निर्यात निष्पादन अनुपातिक रूप से पर्याप्त हो।

लेखापरीक्षा जांच: यह जांच की जा सकती है कि क्या

1. पूँजीगत माल के आयात हेतु जारी प्राधिकार एफटीपी एवं एचबीपी के प्रावधानों के अनुसार था;
2. आयातित पूँजीगत माल पर शुल्क की सही ढंग से गणना की गई थी;
3. विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में ई.ओ. ठीक प्रकार लगाया गया था;
4. ई.ओ. को समय पर पूरा किया गया था;
5. ई.ओ. को पूर्ण रूप से मॉनीटर किया गया था, तथा
6. ई.ओ. को पूरा न करने के मामलों में, आर.ए. द्वारा उचित कार्रवाई की गई थी।
7. दायित्व अवधि के दौरान लाइसेंस धारक द्वारा वार्षिक औसत को बनाए रखा गया था।

received in rupee terms for port handling services, in terms of Chapter 9 of FTP shall also be counted for export obligation discharge.

Incentives for Fast Track Companies - To incentivize fast track companies with a view to accelerate exports, in cases where Authorization holder has fulfilled 75% or more of specific export obligation and 100% of Average Export Obligation till date, if any, in half or less than half the original export obligation period specified, remaining export obligation shall be condoned and the Authorization redeemed by RA concerned. However no benefits under Para 5.12 of HBP, Vol.-I shall be available in such cases.

Fixation of Export Obligation - In case of direct imports, export obligation shall be reckoned with reference to actual duty saved amount. In case of domestic sourcing, export obligation shall be reckoned with reference to notional Customs duties saved on FOR value.

(Para 5 of FTP)

Monitoring of E.O. - Authorisation holder shall submit to R.A. concerned by 30th April of every year, a report on fulfillment of E.O. The concerned R.A. may issue partial E.O. fulfillment certificate, provided export performance is proportionately adequate to fulfillment of E.O.

Audit Checks: It may be checked as to whether

1. Authorisation issued for import of Capital goods was as per provision of FTP & HBP;
2. Duty on the imported Capital goods was correctly worked out;
3. E.O. was worked out properly in respect of different schemes;
4. E.O. was fulfilled in time;
5. E.O. was properly monitored, and
6. In the case of non-fulfillment of E.O., proper action was taken by the R.A.
7. The Annual Average was maintained by the license holder during the period of obligation.

8.7 निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) तथा जैव-प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी)।

योग्यता – अपने माल तथा सेवा के सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात करने वाली इकाइयों (डीटीए में अनुमेय बिक्री को छोड़कर) को मरम्मत, पुनर्निर्माण, रिकंडीशनिंग, रिइंजीनियरिंग तथा सेवा देने सहित माल के निर्माण हेतु निर्यात उन्मुख यूनिट (ईओयू) योजना, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) योजना अथवा जैव-प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) योजना के अन्तर्गत स्थापित किया जा सकता है। इन योजनाओं के तहत व्यापारिक इकाइयों को कवर नहीं किया जाता।

माल का निर्यात तथा आयात – (क) एक ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई केवल उन मर्दों जो आईटीसी (एचएस) में निषिद्ध हैं, को छोड़कर सभी प्रकार के माल तथा सेवाओं का निर्यात कर सकती हैं। विशेष रसायनों, जीव, सामग्री, उपकरण तथा प्रौद्योगिकियों का निर्यात आईटीसी (एचएस) में दी गई शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। निर्यात संवर्धन सामग्री जैसे ब्रोशर/साहित्य, पर्चे, होर्डिंग, कैटलॉग, पोस्टर आदि की खरीद तथा आपूर्ति को भी पिछले वर्ष के निर्यात के एफओबी मूल्य के 1.5% की अधिकतम मूल्य सीमा तक मंजूरी दी जायेगी।

(ख) एक ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई शुल्क भुगतान के बिना डीटीए अथवा डीटीए में बॉडिड वेयरहाउस/भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से अपने कार्य के लिए आवश्यक पूँजीगत माल सहित सभी प्रकार के माल का आयात तथा/अथवा क्रय कर सकती है बशर्ते वे आईटीसी (एचएस) में आयात की प्रतिबंधित मर्दें न हों। किसी अन्य कानून के अन्तर्गत आयात हेतु अनुमति लागू होगी। इकाइयों को ग्राहकों से लागत रहित अथवा ऋण/किराए पर स्वीकृत कार्य के लिए आवश्यक पूँजीगत माल सहित माल के आयात की भी मंजूरी दी जायेगी। पूँजीगत माल का आयात स्वयं प्रमाणीकरण के आधार पर होगा। यूनिट द्वारा आयातित माल उपयोगकर्ता की वास्तविक शर्त के अनुसार होगा तथा निर्यात उत्पाद के लिए उपयोग किया जाएगा।

पुराना पूँजीगत माल – किसी समय सीमा के बिना पुराने पूँजीगत माल का भी शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है।

निवल विदेशी विनिमय आय – ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई में एचबीपी, खण्ड-I के परिशिष्ट 14-आई-सी के निर्दिष्ट क्षेत्र प्रावधान जहां अधिक मूल्य संवर्धन आवश्यक होना चाहिए, को छोड़कर एक सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय आय होनी चाहिए। एनएफई आय की उत्पादन के आरम्भ से पाँच वर्षों की ब्लॉक अवधि में संचयित रूप से गणना की जानी चाहिए। जब भी इकाई एलओपी में वर्णित किसी उत्पाद के निर्यात पर लगे निषेध/प्रतिबंध के कारण निर्यात में असमर्थ हो, तो बीओए द्वारा एनएफई आय की गणना के

8.7 Export Oriented Units (EOUs), Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio-Technology Parks (BTPs).

Eligibility - Units undertaking to export their entire production of goods and services (except permissible sales in DTA), may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme, Electronics Hardware Technology Park (EHTP) Scheme, Software Technology Park (STP) Scheme or Bio-Technology Park (BTP) Scheme for manufacture of goods, including repair, re-making, reconditioning, reengineering and rendering of services. Trading units are not covered under these schemes.

Export and Import of Goods - (A) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export all kinds of goods and services except items that are prohibited in ITC (HS). Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in ITC(HS). Procurement and supply of export promotion material like brochure/literature, pamphlets, hoardings, catalogues, posters etc. upto a maximum value limit of 1.5% of FOB value of previous year's exports shall also be allowed.

(B) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may import and/or procure, from DTA or bonded warehouses in DTA / international exhibition held in India, without payment of duty, all types of goods, including capital goods, required for its activities, provided they are not prohibited items of import in the ITC (HS). Any permission required for import under any other law shall be applicable. Units shall also be permitted to import goods including capital goods required for approved activity, free of cost or on loan / lease from clients. Import of capital goods will be on a self certification basis. Goods imported by a unit shall be with actual user condition and shall be utilized for export production.

Second Hand Capital Goods - Second hand capital goods, without any age limit, may also be imported duty free.

Net Foreign Exchange Earnings - EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner except for sector specific provision of Appendix 14 -I-C of HBP, Vol.-I, where a higher value addition shall be required. NFE earnings shall be calculated cumulatively in blocks of five years, starting from commencement of production. Whenever a unit is unable to export due to prohibition / restriction imposed on export of any product mentioned in LoP, the

लिए पांच वर्ष की ब्लॉक अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। बीओए केवल आर्थिक मंदी के कारण प्रत्येक मामले के आधार पर उन इकाईयों के लिए जिन्होंने 30.09.2008 तथा 30.9.2009 के बीच पांच वर्षों की ब्लॉक अवधि पूरी की है, उस विशिष्ट इकाई में निर्यात की कमी को ध्यान में रखते हुए एनएफई की गणना के लिए ब्लॉक अवधि को एक वर्ष और बढ़ा सकता है।

अनुमति पत्र/प्रयोजन पत्र और विधिक कार्य निवेश मानदण्ड-

- (क) अनुमोदन पर डीसी/पदनामित अधिकारी द्वारा एक अनुमति पत्र (एलओपी)/प्रयोजन पत्र (एलओआई) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट को जारी किया जाएगा। एलओपी/एलओआई की आरम्भिक वैधता तीन वर्षों की होगी जिस समय तक यूनिट को उत्पादन शुरू करना है।
- (ख) संबंधित प्राधिकारी द्वारा ईओयू/ईएचटीपी/एलटीपी/बीटीपी को जारी एलओपी/एलओआई, जोकि पैरा 6.2 में प्रावधान के अनुपालन के अधीन है, सभी उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण के रूप में माना जायेगा।
- (ग) यूनिट संबंधित डीसी के समक्ष एल्यूटी पेश करेगी। सकारात्मक एनएफई सुनिश्चित करने में विफलता या एलओपी/एलओआई/आईएल/एल्यूटी के किसी निबंधन और शर्तों का पालन यूनिट को दण्डात्मक कार्रवाई का दायी बनाएगा।

तैयार उत्पादों/बेकार वस्तुओं/कुड़ा/रद्दी/अवशेष और जैव उत्पादों की डीटीए बिक्री - ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के समस्त उत्पादन को निम्नलिखित के अधीन निर्यात किया जाएगा:

- (क) रत्न और आभूषण की युनिटों के अलावा, दूसरी यूनिटें निर्यातों के एफओबी मूल्य के 50% तक माल को सकारात्मक एनएफई की पूर्ति हेतु रियायती शुल्क के भुगतान पर बेच सकती हैं। डीटीए बिक्री के अधिकार में यूनिट माल के समान अपने उन उत्पादों को डीटीए में बेच सकती है जोकि युनिटों से निर्यात किए जाते हैं या निर्यात किए जाने की सम्भावना है। तथापि, युनिटें, जोकि एक उत्पाद से अधिक का विनिर्माण और आयात कर रही हैं, विशेष उत्पादों के निर्यात के एफओबी को 90% तक डीटीए में इन उत्पादों में से किसी को बेच सकती है जो इस शर्त के अन्तर्गत हैं कि कुल डीटीए बिक्री यूनिट के लिए निर्यातों के एफओबी मूल्य के 50% के समग्र अधिकार से अधिक न हो, जैसाकि ऊपर बताया गया है। मोटर कार, मादक द्रव्य, पुस्तकें, चाय (इन्सटेंट चाय को छोड़कर), काली मिर्च एवं काली मिर्च के उत्पाद, मार्बल और समय-समय पर अधिसूचित ऐसी दूसरी वस्तुओं के संबंध में रियायती शुल्क पर कोई डीटीए बिक्री अनुमत नहीं होगी। ऐसी डीटीए बिक्री पैकेजिंग/ लेबलिंग/ प्रथक्करण/रेफ्रीजरेशन/सघनता/माइक्रोनाइजेशन/पीसना/कणिकायन/रसायन के मोनो

five year block period for calculation of NFE earnings may be suitably extended by BoA. BoA may also consider extension of block period by another one year, for calculation of NFE, on case to case basis, for those units which complete 5 years block period in between 30.09.2008 and 30.09.2009, keeping in view the decline in exports in that particular unit, due to economic slowdown only.

Letter of Permission /Letter of Intent and Legal Undertaking Investment Criteria –

- (a) On approval, a Letter of Permission (LoP) / Letter of Intent (LoI) shall be issued by DC / designated officer to EOU / EHTP / STP / BTP unit. LoP / LoI shall have an initial validity of 3 years, by which time unit should have commenced production.
- (b) LoP / LoI issued to EOU / EHTP / STP / BTP units by concerned authority, subject to compliance of provision in Para 6.2, would be construed as an Authorisation for all purposes.
- (c) Unit shall execute an LUT with DC concerned. Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of LoP / LoI / IL / LUT shall render the unit liable to penal action.

DTA Sale of Finished Products/Rejects/Waste/Scrap/Remnants and byproducts -

Entire production of EOU / EHTP / STP / BTP units shall be exported subject to following:

- (a) Units, other than gems and jewellery units, may sell goods upto 50% of FOB value of exports, subject to fulfillment of positive NFE, on payment of concessional duties. Within entitlement of DTA sale, unit may sell in DTA, its products similar to goods which are exported or expected to be exported from units. However, units which are manufacturing and exporting more than one product can sell any of these products into DTA, upto 90% of FOB value of export of the specific products, subject to the condition that total DTA sale does not exceed the overall entitlement of 50% of FOB value of exports for the unit, as stipulated above. No DTA sale at concessional duty shall be permissible in respect of motor cars, alcoholic liquors, books, tea (except instant tea), pepper & pepper products, marble and such other items as may be notified from time to time. Such DTA sale shall also not be permissible to units engaged in activities of packaging / labeling / segregation / refrigeration/ compacting / micronisation / pulverization / granulation / conversion of monohydrate form of chemical to anhydrous form or vice-versa. Sales made to a unit in SEZ shall also be taken into

हाइड्रेट स्वरूप से निर्जल रूप में रूपान्तरण या इसके उलट की गतिविधियों में लगी यूनिटों को भी अनुमत नहीं हैं। सेज में एक यूनिट को की गई बिक्री ईओयू द्वारा निर्यात का एफओबी मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु शामिल किया जाएगा, बशर्ते ऐसी बिक्रियों के लिए भुगतान सेज यूनिट के विदेशी विनिमय लेखा से किए गए हों। डीटीए को बिक्री फार्मास्युटिकल उत्पादों (थोक औषधियों सहित) के पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता की शर्त पर होगी। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क के अन्तर्गत एन्टी डम्पिंग शुल्क के बराबर राशि, आयात के समय उद्घरण योग्य, यूनिट से डीटीए में मंजूर माल के विनिर्माण या संसाधन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए माल पर देय होगी।

- (ख) सॉफ्टवेयर यूनिटों सहित सेवाओं के लिए ऑनलाइन डाटा संचार सहित किसी रूप में डीटीए में बिक्री निर्यात के एफओबी के 50% तक और/या अर्जित विदेशी विनिमय के 50% तक अनुमत होगी, जहां ऐसी सेवाओं के भुगतान विदेशी विनिमय में प्राप्त किए जाते हैं।
- (ग) रत्न और आभूषण युनिटें डीटीए में पिछले साल के निर्यातों के एफओबी मूल्य के 10% तक बिक्री कर सकती हैं जोकि सकारात्मक एनएफई के परितोष का विषय है। सादा आभूषण की बिक्री के संबंध में, प्राप्तकर्ता शुल्क की रियायती दर पर भुगतान करेंगे जैसाकि नामांकित एजेंसियों से बिक्री पर लागू है। जड़ित आभूषण के संबंध में शुल्क जैसा लागू है भुगतान योग्य होगा।
- (घ) जब तक एलओपी में विशेष रूप से प्रतिबंधित न हो, 50% की समग्र सीमा में अस्वीकृत माल को सीमा शुल्क प्राधिकरण को पूर्व सूचना पर बिक्री हेतु लागू शुल्क के भुगतान पर डीटीए में बेचा जा सकता है। ऐसी बिक्री को डीटीए बिक्री पात्रता के लिए गिना जायेगा। निर्यात के एफओबी मूल्य के 5% तक अस्वीकृत माल की बिक्री एनएफई के प्राप्ति के अधीन नहीं होगी।
- (ङ) उत्पादन प्रक्रिया अथवा उसके संबंध में उत्पन्न स्क्रेप/अपव्यय/अवशेष निर्यात के एफओबी मूल्य की अंतिम सीमा के 50% के अन्दर लागू रियायत शुल्क के भुगतान पर शुल्क छूट योजना के तहत अधिसूचित सिओन के अनुसार डीटीए में बेचा जा सकता है। स्क्रेप/अपव्यय/अवशेष की ऐसी बिक्री सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी। मानदण्ड में कवर न की गई मदों के संदर्भ में, डीसी छह माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है तथा इस अवधि के अन्दर मानदण्ड समिति द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए। जब तक मानदण्ड समिति द्वारा ऐसे समय मानदण्ड निर्धारित किए जाए तब तक तदर्थ मानदण्ड जारी रहेंगे। डीटीए बिक्री के लिए पात्रता न रखने वाली इकाइयों द्वारा अपव्यय/स्क्रेप/अवशेष की बिक्री अथवा डीटीए बिक्री पात्रता से परे बिक्री पूर्ण शुल्क के भुगतान पर होगी। स्क्रेप/अपव्यय/अवशेष का भी निर्यात किया जा सकता है।

account for purpose of arriving at FOB value of export by EOU provided payment for such sales are made from Foreign Exchange Account of SEZ unit. Sale to DTA would also be subject to mandatory requirement of registration of pharmaceutical products (including bulk drugs). An amount equal to Anti Dumping duty under Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 leviable at the time of import, shall be payable on the goods used for the purpose of manufacture or processing of the goods cleared into DTA from the unit.

- (b) For services, including software units, sale in DTA in any mode, including online data communication, shall also be permissible upto 50% of FOB value of exports and /or 50% of foreign exchange earned, where payment of such services is received in foreign exchange.
- (c) Gems and jewellery units may sell upto 10% of FOB value of exports of the preceding year in DTA, subject to fulfillment of positive NFE. In respect of sale of plain jewellery, recipient shall pay concessional rate of duty as applicable to sale from nominated agencies. In respect of studded jewellery, duty shall be payable as applicable.
- (d) Unless specifically prohibited in LoP, rejects within an overall limit of 50% may be sold in DTA on payment of duties as applicable to sale on prior intimation to Customs authorities. Such sales shall be counted against DTA sale entitlement. Sale of rejects upto 5% of FOB value of exports shall not be subject to achievement of NFE.
- (e) Scrap / waste / remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in DTA, as per SION notified under Duty Exemption Scheme, on payment of concessional duties as applicable, within overall ceiling of 50% of FOB value of exports. Such sales of scrap / waste / remnants shall not be subject to achievement of positive NFE. In respect of items not covered by norms, DC may fix ad-hoc norms for a period of six months and within this period, norm should be fixed by Norms Committee. Ad-hoc norms will continue till such time norms are fixed by Norms Committee. Sale of waste / scrap / remnants by units not entitled to DTA sale, or sales beyond DTA sale entitlement, shall be on payment of full duties. Scrap / waste / remnants may also be exported.

- (च) यदि स्क्रेप/अपव्यय/अवशेष को सीमा शुल्क अधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जाता है तो इन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा।
- (छ) एलओपी में सम्मिलित उपोत्पाद को भी उप-पैरा 6.8 (क) सम्पूर्ण पात्रता के अन्दर लागू शुल्क के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति के अधीन डीटीए में बेचा जा सकता है। डीटीए बिक्री की पात्र न होने वाली इकाई द्वारा अथवा उप-पैरा 6.8 (क) पात्रता से परे उपोत्पाद की बिक्री भी पूर्ण शुल्क के भुगतान पर अनुमेय होगी।
- (ज) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयाँ डीसी को सूचित करके पूर्ण शुल्क के भुगतान के प्रति काली मिर्च तथा काली मिर्च उत्पाद तथा संगमरमर जो डीटीए में एफटीपी के तहत मुक्त रूप से आयात योग्य हैं, को छोड़कर तैयार माल की बिक्री कर सकती है बशर्ते उन्होंने सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया हो। **(एफटीपी का पैरा 6)**

एनएफई की मॉनीटरिंग – ई.ओ.यू. के निष्पादन को एचबीपी, खण्ड-1 के परिशिष्ट 14.1जी में दिए दिशा-निर्देश के अनुसार इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मॉनीटर किया जाना चाहिए। ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी के निष्पादन को डीओआईटी/डीओबीटी के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा मॉनीटर किया जायेगा।

लेखापरीक्षा जांच: लेखापरीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि:

1. आयातित अथवा डीटीए से खरीदे गए माल को वास्तविक रूप में निर्यात उत्पाद के उत्पादन हेतु उपयोग किया गया है;
2. डीटीए बिक्री निर्धारित सीमा में है तथा शुल्क यदि कोई हो, तो देय का वास्तव में भुगतान किया गया है;
3. इसमें सकारात्मक एनएफई आय है;
4. उपोत्पाद को शुल्क के भुगतान पर डीटीए में बेचा गया है;
5. यूनिट द्वारा आयातित माल के उचित उपयोग के खाते बनाए गए हैं;
6. यूनिट के निष्पादन की मॉनीटरिंग की गई है।
7. क्या सारा आयातित माल ईओयू के परिसर में लाया गया है तथा बांडिड परिसर से निकासी नहीं की गई है।
8. क्या ईओयू के परिसर के साथ तथा पूँजीगत माल के हासित मूल्य पर शुल्क के भुगतान पर तथा आयातित तथा स्वदेशीय कच्चे माल/घटक आदि पर देय शुल्क के साथ डीसी की अनुमति से योजना से बाहर निकल सकती थी।
9. क्या मूल्यहास की गणना नीति की दर के अनुसार की गई है।
10. यदि यूनिट लिए गए निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल हुई हो तो यूनिट को डीसी द्वारा लगाए गए जुर्माने यदि कोई हो कि उसके अलावा निर्यात दायित्व में कमी के समान

- (f) There shall be no duties / taxes on scrap / waste / remnants, in case same are destroyed with permission of Customs authorities.
- (g) By-products included in LoP may also be sold in DTA subject to achievement of positive NFE, on payment of applicable duties, within the overall entitlement of sub-para 6.8(a). Sale of by-products by units not entitled to DTA sales, or beyond entitlements of subpara 6.8 (a), shall also be permissible on payment of full duties.
- (h) EOU / EHTP / STP / BTP units may sell finished products, except pepper and pepper products and marble, which are freely importable under FTP in DTA, under intimation to DC, against payment of full duties, provided they have achieved positive, NFE.

(Para 6 of FTP)

Monitoring of NFE- Performance of E.O.U.s shall be monitored by Units Approval Committee as per guidelines given in Appendix 14.1.G of HBP, Vol.-I. Performance of EHTP/STP/BTP shall be monitored by DOIT/DOBT jointly with jurisdictional Central Excise/Customs Authority.

Audit Checks: During audit, it may be ensured that:

1. The goods so imported or procured from DTA are actually used for the production of export products;
2. The DTA sales are within the prescribed limit and duty, if any, payable is actually paid;
3. There is positive NFE earning;
4. By products are sold in DTA on payment of duty;
5. Proper accounts of the utilization of the imported goods are maintained by the unit;
6. The performance of the units is monitored.
7. Whether all the imported goods have been brought into the premises of the EOU and are not cleared from the bonded premises.
8. Whether the EOU could exit from the scheme, with the permission of DC and on payment of duties on capital goods at their depreciated values and applicable duties on the imported and indigenous raw materials/components etc.
9. Whether depreciation has been calculated as per the rates of the policy.
10. If the unit had failed to fulfill the export obligations undertaken, the unit shall have to pay proportionate customs and central Excise duties on all the imported

अनुपात, शुल्क मुक्त स्वीकृत सारे आयातित तथा स्वदेशीय सामग्री पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को आनुपातिक रूप से भुगतान करना होगा।

11. अगस्त 2009 से पूर्व डीटीए बिक्री के संदर्भ में सीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई थी।

ईओयू/एसटीपीआई यूनिट पर लेखापरीक्षा अवलोकन के निदर्शी मामलें निम्नलिखित हैं:

- (क) एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) यूनिट ने कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण/निर्यात हेतु 23 जून 1999 को एक एलओपी जारी किया। यूनिट की गतिविधियां सॉफ्टवेयर के निर्माण से संबंधित नहीं अपितु कॉल सेन्टर गतिविधियों से संबंधित थी। चूँकि सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए एलओपी जारी किया गया था तथापि यूनिट कॉल सेन्टर गतिविधियों हेतु आयातित अथवा स्वदेशी माल की खरीद के लिए योग्य नहीं थी तथा तदनुसार निर्धारित उठाए गए शुल्क लाभ के वापिस भुगतान के लिए उत्तरदायी था।
- (ख) इलेक्ट्रिक फिलामेंट लेम्प आदि के निर्माण के लिए मई 2002 में एक ईओयू ने एलओपी जारी किया। जून 2003 में, देय शुल्क के भुगतान पर पूर्ण/अधिशेष पूँजीगत माल के निपटान हेतु यूनिट को मंजूरी दी गई। ईओयू ने डीटीए में (अगस्त 2004) एक यूनिट को पूँजीगत माल/मशीनरी बेची थी तथा डीटीए में पूँजीगत माल की बिक्री के लिए नहीं अपितु आईटी/इलेक्ट्रॉनिक उद्योग द्वारा तैयार माल के निर्माण में उपयोग हेतु आयातित पूँजीगत माल के लिए बनी अधिसूचना के अन्तर्गत मूल उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का दावा किया था। रियायत की मंजूरी के परिणामस्वरूप कर नहीं लगाया गया था।
- (ग) एक एसटीपी इकाई ने अप्रैल 1994 में एलओपी मंजूर किया तथा जून 2002 में दो सत्रों के पूरा होने पर, इसके एलओपी का तीसरे सत्र के लिए नवीकरण किया। तीसरे सत्र के दौरान, यूनिट ने क्रमशः ₹ 3.06 करोड़ तथा ₹ 5.05 करोड़ के कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का आयात (जुलाई 2002 से अक्टूबर 2003) तथा ₹ 3.40 करोड़ की विदेशी विनिमय उगाही के साथ सॉफ्टवेयर का निर्यात (सितम्बर 2002 से दिसम्बर 2003) किया। इसके पश्चात् यूनिट ने संचालन बन्द कर दिया। यूनिट का संचयी एनएफईपी 2002-03 के दौरान 16 प्रतिशत, 2003-04 के दौरान (-)71 प्रतिशत तथा 2004-05 के दौरान (-)89 प्रतिशत था। सकारात्मक एनएफईपी प्राप्त करने की विफलता के साथ-साथ एक वर्ष से अधिक के लिए संचालित रहने में विफलता के कारण, एलओपी/एलओए रद्द होने के लिए तथा आयातित सीजी पर शुल्क तथा ब्याज की वसूली के लिए उत्तरदायी था। तथापि, एसटीपी अधिकारियों के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिकारी भी शुल्क तथा ब्याज की उगाही के लिए निष्पादित न होने वाली यूनिटों के प्रति कोई कार्रवाई करने में विफल रहे।

and indigenous materials allowed duty free, equal to the proportion of shortfall in export obligation, besides the penalty if any imposed by DC.

11. CST was reimbursed in respect of DTA sale prior to August 2009.

Illustrative cases of audit observations on EOUs/STPI units are:

- (a)** A Software technology park of India (STPI) unit was issued an LOP on 23 June 1999 for manufacturing/export of computer software. The activities of the unit were not related to manufacture of software but related to call centre activities. Since the LOP was issued for manufacture of software, the unit was not entitled to procure duty free imported or indigenous goods for the call centre activities and accordingly the assessee was liable to pay back the duty concession availed
- (b)** An EOU was issued LOP in May 2002 for manufacture of electric filament lamp etc. In June 2003, the Unit was granted approval for disposal of absolute/surplus Capital goods on payment of applicable duties. The EOU had sold Capital goods/machinery to a unit in DTA (August 2004) and had claimed exemption from payment of basic customs duty under a notification meant for capital goods imported for use in the manufacture of finished goods by the IT/Electronic industry and not for sale of Capital goods in DTA. Grant of exemption had resulted in non-levy.
- (c)** An STP unit was granted LOP in April 1994 and on completion of two terms, its LOP was renewed for a third term in June 2002. During the third term, the unit imported (July 2002 to October 2003) computer hardware and software of Rs.3.06 crore and Rs.5.05 crore respectively and exported (September 2002 to December 2003) software with foreign exchange realisation of Rs.3.40 crore. Thereafter, the unit seized operations. The cumulative NFEP of the unit was 16 per cent during 2002-03, (-) 71 per cent during 2003-04 and (-) 89 per cent during 2004-05. Due to failure to achieve positive NFEP as well as due to failure to remain operational for more than one year, the LOP/LOA was liable to be cancelled and duty and interest on the imported CG recovered. However, the STP authorities as well as the customs authority failed to initiate any action against the non-performing unit for realisation of duty and interest

अध्याय 9

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) योजना, मुक्त व्यापार और भांडागारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजैड)

योजना - सेज योजना 1-4-2000 से लागू हुई। योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सेज क्षेत्र व्यापार प्रचालन, शुल्कों और किरायों के उद्देश्य हेतु आवश्यक रूप से किसी विदेशी प्रदेश के रूप में माना जाता है। इसलिए, घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) से सेज को की गई माल आपूर्ति वास्तविक निर्यात के रूप में मानी जाती है और सेज से डीटीए तक लाया गया माल आयातित माल के रूप में माना जाता है।

सेज इकाईयों के प्रचालनों को संचालन करने वाली विस्तृत नीति और प्रक्रिया विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में दी गई है।

पात्रता - सेज माल के निर्माण और सेवाओं, उत्पादन, प्रसंस्करण, संयोजन, व्यापार, मरम्मत, पुनःनिर्माण, पुनः अनुबंधन, पुनः अभियांत्रिकी सहित सोने/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और ऐसी ही वस्तुओं के निर्माण को प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किया जा सकता है।

इस योजना के अंतर्गत, इकाईयों को शुल्कों की अदायगी के बिना सभी प्रकार के माल पूंजीगत माल सहित आयात करने और स्थानीय रूप से खरीदने की अनुमति है।

आयात और निर्यात - सेज इकाईयां विदेश से आयात और निर्यात के लिए और डीटीए से माल खरीदने के लिए भी अनुमत हैं। सॉफ्टवेयर विकास इकाईयां डाटा संचार और दूरसंचार लिंकों से आयात और निर्यात कर सकती हैं।

सेज इकाईयां आईटीसी (एचएस) में निषिद्ध मदों को छोड़कर माल और सेवाएं आयात प्राप्त कर सकती हैं। विशेष रसायनों, जीवों, सामग्री, यंत्रों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात आईटीसी (एचएस) में बताई गई शर्तों को पूरा करने के अधीन होंगी।

सेज इकाईयां, सेज में उपयोग हेतु किसी केंद्रीय सुविधा के सृजन हेतु सभी प्रकार के माल बिना शुल्क अदायगी के डीटीए से आयात/खरीद कर सकती हैं। सॉफ्टवेयर विकास हेतु केंद्रीय सुविधा सॉफ्टवेयर के निर्यात हेतु डीटीए में इकाईयों द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है।

आयातों के मामले में, 'सेज कार्गो' के रूप में विशेषतः मुद्रांकित पृष्ठांकन के साथ बी.ई निर्धारण के लिए सेज में पदस्थापित सीमाशुल्क अधिकारियों के पास फाइल की जाती है। घरेलू स्रोतों से माल की आपूर्ति निर्यात/एआरई-1 के बिल के अंतर्गत डीटीए से सेज तक पूर्ति की जाती है। माल की भौतिक जांच नहीं की जाती और 'आऊट ऑफ चार्ज' केवल पैकेजों पर चिन्हों और संख्याओं की जांच करने के बाद दे दिया जाता है।

Chapter 9

Special Economic Zone (SEZ) Scheme

Free Trade and Warehousing Zones (FTWZ)

Scheme - SEZ Scheme came into effect from 1-4-2000. The most important feature of the scheme is that the SEZ area is considered essentially as a foreign territory for the purpose of trade operation, duties and tariffs. Therefore, goods supplied to SEZ from Domestic Tariff Area (DTA) are treated as physical exports and goods brought from SEZ to DTA are treated as imported goods.

The detailed policy and procedure governing the operation of SEZ Units are contained in the Special Economic Zones Act, 2005 and Special Economic Zones Rules, 2006.

Entitlement - A SEZ can be set up for the manufacture of goods and rendering of services, production, processing, assembling, trading, repair, remaking, re-conditioning, re-engineering including making of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof.

Under this scheme, the units are allowed to import or procure locally without payment of duty, all types of goods including Capital Goods.

Import and Export - The SEZ Units are allowed to export and to import from a foreign country and also to procure goods from DTA. The software development units can import and export through data communication and telecommunication links.

SEZ units may export goods and services except items that are prohibited in ITC (HS). Export of special chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in ITC (HS).

SEZ units, may import/procure from DTA, without payment of duty, all types of goods for creating a central facility for use in SEZ. The central facility for software development can also be accessed by units in the DTA for export of software.

In the case of imports, the B.E. with specially stamped endorsement as 'SEZ Cargo' is filed with the Customs officers posted at the SEZ for assessment. Goods from domestic sources are supplied from DTA to SEZ units under Bill of Export/ARE-I. Goods are not examined physically and 'out of charge' is given after verifying the marks and numbers on the packages only.

निर्यातों के मामले में, शिपिंग बिल निर्धारण के लिए और “लैट एक्सपोर्ट आर्डर” हेतु सीमाशुल्क अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं। ‘लैट एक्सपोर्ट आर्डर’ प्राप्त करने के बाद, खेप को निर्यात के लिए बंदरगाह तक ले जाया जाता है।

डीटीए बिक्री - तैयार माल की घरेलू बिक्री उत्पाद, उप-उत्पाद, खारिज बिक्री और अपशिष्ट और स्कैप माल पर सीमा शुल्क जब माल आयात किया जाता है के समान ही लगाए जायेंगे।

निवल विदेशी मुद्रा आय - सेज इकाई को एक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होना पड़ता है। निवल विदेशी मुद्रा आय की (एनएफई) निर्धारित सूत्र के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचयी गणना की जाती है।

निगरानी - सेज इकाई के निष्पादन पर वार्षिक आधार पर विकास आयुक्त, राज्य सरकार के सीमा शुल्क और राज्य सरकारके प्रतिनिधि वाली एक इकाई अनुमोदन समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है।

मुक्त व्यापार और भांडागारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजैड)

भारत सरकार ने मुक्त मुद्रा में व्यापार लेन-देन करने के लिए माल और सेवाओं के आयात और निर्यात की सुविधा हेतु संबंधित आधारभूत ढांचे संबंधी व्यापार करने के लिए एफटीडब्ल्यूजैड को स्थापित करने के लिए विदेश व्यापार नीति में घोषणा की है।

एफटीडब्ल्यूजैड विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेष श्रेणी है और सेज अधिनियम और नियमों के प्रावधान द्वारा संचालित होती है।

लेखापरीक्षा जांच

लेखापरीक्षा में यह जांच की जानी चाहिए कि क्या:

1. इस तरह से आयातित और स्थानीय स्तर पर खरीदा गया माल निर्यातित उत्पाद हेतु वास्तविक रूप में उपयोग किए गए हैं;
2. डीटीए बिक्री के लिए, लागू सीमाशुल्क प्रभार अदा कर दिया गया है;
3. एनएफई आय सकारात्मक है;
4. आयातित माल के उपयोग का समुचित लेखा तैयार किया गया है; और
5. इकाई के निष्पादन की वार्षिक रूप से निगरानी की जाती है
6. क्या उस इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका एनएफई तीसरे वर्ष के अंत तक भी नकारात्मक चल रहा है?
7. यदि 5वें वर्ष तक नकारात्मक निष्पादन जारी रहता है, तो विकास आयुक्त उक्त नियम 25 में निहित दण्डात्मक कार्रवाई करेगा? क्या ऐसा किया गया?

In the case of exports, Shipping Bills are submitted to the Customs authority for assessment and 'Let Export Order'. After obtaining the 'Let Export Order', the consignment is taken to the gateway port for export.

DTA Sales - Domestic sale of finished products, by products, sale rejects and waste and scrap are subject to levy of customs duty applicable on similar goods, when imported.

Net Foreign Exchange Earnings - The SEZ Unit has to be a net foreign exchange earner. Net Foreign Exchange Earning (NFE) is calculated cumulatively for a period of five years from the commencement of commercial production according to a prescribed formula.

Monitoring -The performance of the SEZ unit is monitored by a unit approval committee consisting of Development Commissioner, Customs and representative of State Govt. on annual basis.

Free Trade and Warehousing Zones (FTWZ)

The Government of India had announced in the Foreign Trade Policy to set up FTWZ to create a trade related infrastructure to facilitate the import and export of goods and services with to carry out trade transaction in free currency.

FTWZ is a special category of Special Economic Zone and is governed by the provisions of SEZ Act and the Rules.

Audit Checks

It is to be checked in audit as to whether:

1. The goods so imported or procured locally are actually used for export product;
2. For DTA sale, applicable customs duty has been paid;
3. There is positive NFE earning;
4. Proper account of the utilization of the imported goods is maintained; and
5. The performance of the unit is monitored annually
6. Whether a Show cause notice was issued to a unit whose NFE continued to be negative by the end of third year ?
7. If the negative performance continued till the 5th year, Development Commissioner shall initiate penal action as provided under Rule 25 ibid? Was it done?

8. क्या ये लाभ एलओए में अनुमोदित केवल प्राधिकृत संचालनों से किये गये निर्यातों के संबंध में लागू थे?
9. क्या डीईपीबी और ड्राबैक के दावे प्रक्रिया के अनुरूप हैं और इस संबंध में कोई दोहरे भुगतान नहीं किये गये हैं।

8. Whether these benefits were applied only in respect of exports made from the authorized operations approved in LOA?
9. Whether claims of DEPB and Drawback are as per procedure and in no way double payment is made in this regard.

अध्याय 10

जहाजों की फाइलें

10.1 प्रस्तावना – जहाज की फाइलों में आयातों और निर्यातों से संबंधित लेन-देनों के लिए एक जहाज से संबंधित सभी दस्तावेज सामान्य समय अवधि के बीत जाने के बाद, संकलित किये जाते हैं। जहाज की फाइलों की संवीक्षा और संकलन कस्टम हाऊस के माल सूची निकासी विभाग (एमसीडी) में किया जाता है। कुछ स्थानों पर निर्यात जहाज फाइलें निर्यात विभाग में ही संकलित की जाती हैं।

आयातों और निर्यातों हेतु जहाज फाइलों के संकलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लेन-देन अधिनियम, निबंधन और शर्तों के अनुसार किये गये हैं और किसी जहाज से संबंधित लेन-देन सभी रूप से संपूर्ण हैं। आयातों के मामलों में, यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि:

- (i) किसी पोत का सारा आयात कार्गो विधिवत रूप से लेखांकित किया गया है;
- (ii) अधिनियम के अंतर्गत किसी पोत के मालिक या एजेंट पर सभी दायित्व पूरे किये गये हैं; और
- (iii) दस्तावेजीकरण सभी रूपों में पूर्ण है।

निर्यातों के मामलों में, यह देखना उद्देश्य है कि:

- (i) अधिनियम और नियमों के अंतर्गत माल के मालिक के दायित्वों का पूर्णतः पालन किया गया है।
- (ii) माल सूची और अन्य दस्तावेज संपूर्ण हैं; और
- (iii) निर्यात सामान्य मालसूची में प्रत्येक पैकेज उचित प्राधिकारी के अधीन भेज दिया गया है।

10.2 आयात जहाज की फाइल

10.2.1 आयात जहाज की फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज होते हैं -

- (i) आयात सामान्य मालसूची;
- (ii) बिल ऑफ एंट्री, घरेलू उपयोग के लिए मूल और प्रतिलिपि, प्रतिलिपि इंटो-बांडबिल, तटीय बिल ऑफ एंट्री की मूल और प्रतिलिपि।
- (iii) आवक प्रविष्टि हेतु आवेदन, मालसूची का संशोधन, फीस के ज्ञापन, आगमन रिपोर्ट, डॉक निकासी ज्ञापन।
- (iv) नौकान्तरण आवेदन, नौका नोट्स आदि।
- (v) पोर्ट ट्रस्ट आऊटटर्न के विवरण की दो प्रतिलिपि और एजेंट आऊटटर्न के विवरण।

Chapter 10

Ships' Files

10.1 Introduction - Ships' files are compiled with all the documents pertaining to a ship, after the normal period of time for transactions in connection with the imports and exports has elapsed. The scrutiny and compilation of the ships' files is done in the Manifest Clearance Department (MCD) of the Custom House. In some places export ships files are compiled in the export department itself.

The object of compiling a ships file for imports and exports is to ensure that all transactions have taken place in accordance with the Act, the Rules and Regulations and that the transactions pertaining to a ship are complete in all respects. In the case of imports, it is to ensure that:

- (i) all import cargo of a vessel has been duly accounted for;
- (ii) all obligations on the master or agent of a vessel under the Act have been fulfilled; and
- (iii) documentation is complete in all respects.

In the case of exports, the purpose is to see that :

- (i) the obligations of the owner of the goods under the Act and Rules have been fully complied with.
- (ii) the manifest and other documents are complete; and
- (iii) every package in the Export General Manifest has been shipped under proper authority.

10.2 Import Ship's File

10.2.1 The import ship's file comprises the following documents -

- (i) Import General Manifest;
- (ii) Bills of entry, original and duplicate for home consumption, duplicate Into-Bond Bills, original and duplicate coastal bills of entry.
- (iii) Applications for entry inwards, amendments to manifest, memo of fees, Arrival Report, dock clearance memo.
- (iv) Transshipment applications, boat notes etc.
- (v) Port Trust outturn statements in duplicate and Agents outturn statements.

(vi) कारण बताओ ज्ञापन।

10.2.2 मालसूची का संकलन/जांच

जहाज की फाइल में जैसा कि ऊपर बताया गया है किसी स्थान पर कार्गो और सामान आयात करने संबंधी सभी दस्तावेज शामिल होते हैं और परिणामतः फाइल की संवीक्षा महत्पूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रभाव की जांच के साथ सामूहिक रूप से दस्तावेजों की जांच के लिए अवसर प्रदान करता है।

जहाजों की फाइल (आयात) की संवीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि (i) मालसूची के अनुसार जहाज के सारे सामान की निकासी शुल्क की अदायगी पर की जाती है या फिर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाये गये नियम के संबंध में जवाबदेह होते हैं, (ii) निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है और यह राजस्व रिसाव के प्रति समुचित सुरक्षा प्रबंधों को सुरक्षित करती है, (iii) इन सभी मामलों से संबंधी दस्तावेजीकरण उचित और संपूर्ण हैं।

दस्तावेज, विवरणों आदि की संवीक्षा से यह पाने की संभावना है:

- (i) वांछनीय दस्तावेज;
- (ii) गैर लेखांकित मद;
- (iii) अतिरिक्त निकाला गया कार्गो;
- (iv) कमियां (पोर्ट ट्रस्ट आऊटटर्न विवरणों की जांच के परिणामस्वरूप)।

निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं:

- (क) उतारा गया कम माल जिसे अन्य जहाज द्वारा लाया गया और मालसूची में दर्शाया गया;
- (ख) शुल्क-भुगतान किया गया माल जिसे कम उतारा गया और जिस पर आयातकों द्वारा किये गये आवेदनों पर प्रतिदाय दिया गया है;
- (ग) उतारा गया कम माल जिस पर कोई शुल्क अदा नहीं किया गया;
- (घ) नौकान्तरण या पुनर्लदान के लिए सूचीबद्ध माल परंतु जिस का नौकान्तरण या पुनर्लदान नहीं किया गया;
- (ङ) अधिक उतारा गया माल और एजेंट के आवेदन पर माल सूची में नहीं जोड़ा गया;
- (च.) मालसूची के अनुसार उतारा गया माल परंतु सुपुर्द नहीं किया गया;
- (छ) प्रभार योग्य बिल ऑफ एंट्री के लिए माल को पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त नहीं किया गया है।

- (vi) Show cause memos.

10.2.2 Compiling/checking of Manifest

The ship's file as described above contains all the documents relating to import cargo and baggage at one place and consequently the scrutiny of the file is important as it offers scope for examination of the documents collectively with a view to test the efficacy of the various procedures at different stages.

The object of scrutinising the ships file (import) is to ensure that (i) the whole cargo of the vessel as manifested is cleared on payment of duty or is otherwise accounted for with due regard to the provisions of the Customs Act, 1962 and the rules made thereunder, (ii) the prescribed procedure is followed and that it secures adequate safeguards against leakage of revenue, (iii) the documentation relating to all these matters' is correct and complete.

The scrutiny of the documents, statements etc. is expected to bring out :

- (i) wanting documents;
- (ii) unaccounted items;
- (iii) excess cleared cargo;
- (iv) shortages (resulting from check with Port Trust outturn statements).

Show cause notices are issued in respect of the following categories of cases :

- (a) goods short landed which are brought forward and are manifested .by another vessel;
- (b) duty-paid goods which are short landed and on which refund has been granted on application made by the importers;
- (c) goods short landed on which no duty has been paid;
- (d) goods manifested for transshipment or reshipment but which have not been transhipped or re-shipped;
- (e) goods landed in excess and not supplemented in the manifest on agent's application;
- (f) goods landed in accordance with the manifest but not delivered;
- (g) goods for which dutiable Bills of Entry have not been received from the Port Trust

जहाज जिसके द्वारा माल पहुँचाया गया है, की मालसूची के संबंध में टिप्पणी (क) की गई है।

कुछ कस्टम हाऊस में, कारण बताओ नोटिस के स्थान पर मांग पत्र जारी किये गये हैं और इनको कारण बताओ ज्ञापनों के रूप में निपटाया गया है।

10.2.3 समापन – कारण बताओ ज्ञापनों के उत्तरों की प्राप्ति पर, प्रत्येक मामले को इसकी गुणवत्ता के आधार पर निपटाया जाता है। संतोषजनक रूप से लेखाबद्ध मद स्वीकार किये जाते हैं। वे मद जिनमें यह साबित हो जाता है कि माल सदा के लिए खो गया है या उपयोग में अनियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सका था, को संतोषजनक रूप से लेखाबद्ध मान लिया जाता है। जब बदनीयत की आशंका होती है, संशोधित आउटटर्न रिपोर्ट पोर्ट ट्रस्टों से निरपवाद रूप से मंगवा ली जाती है और मांगे गये मद को स्वीकृति से पूर्व सत्यापित किया जाता है। उतारे गये सारे माल जिसके लिए स्टीमर एजेंट देयता स्वीकार करते हैं या जिसके लिए वे संतोषजनक रूप से लेखाकरण में सक्षम नहीं हैं; के संबंध में धारा 116 के अंतर्गत जुर्माने की उगाही की जाती है।

10.2.4 विमान फाइल – आयात जहाजों (विमान) की फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होते हैं:

- (i) आयात सामान्य मालसूची
- (ii) मूल और प्रतिलिपि बिल ऑफ एंट्री
- (iii) बोट नोट्स
- (iv) सामान प्रपत्र
- (v) आवक निकासी प्रमाण-पत्र
- (vi) एजेंटों से आउटटर्न
- (vii) संशोधन आवेदन
- (viii) मूल और प्रतिलिपि नौकान्तरण आज्ञापत्र।

ये सभी दस्तावेज आई.जी.एम. संख्या के अनुसार क्रमबद्ध किये जाते हैं और इसके बाद बिल ऑफ एंट्री और नौकान्तरण आज्ञा पत्र लाईन संख्या के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। मूल और प्रतिलिपियों की तुलना की जाती है और संवीक्षा के बाद जहाजों की मालसूची के लिए मांग पत्र जहाज की मालसूची की तरह ही जारी किये जाते हैं।

10.2.5 लेखापरीक्षा नियंत्रण

लेखापरीक्षा जांच के लिए 'जहाजों की फाइलों' का चयन; विगत माह के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षित और बंद की गई फाइलों की सूची के आधार

In respect of (a) noting is made in the relative manifest of the vessel by which the goods arrived.

In some Custom Houses, letters of call are issued instead of show cause notices and these are dealt with in the same manner as show cause memos.

10.2.3 Closing - On receipt of replies to show cause memos, each case is dealt with on its merits. Items satisfactorily accounted for are admitted. Items in which it is proved that goods were lost irrecoverably and could not have passed irregularly into consumption are considered as accounted for satisfactorily. When malafides are suspected, the amended outturn report must invariably be called for from the Port Trusts and verified before the item in question is admitted. Penalty under Section 116 is levied on the Steamer Agents in respect of all shortlanded goods for which they admit liability or for which they are not able to account satisfactorily.

10.2.4 Aircraft File - The Import ships (Aircraft)' file consists of the following documents :

- (i) Import General Manifest
- (ii). Bills of Entry original and duplicate
- (iii) Boat notes
- (iv) Baggage forms
- (v) Inward clearance Certificate
- (vi) Outturn from the Agents
- (vii) Amendment applications
- (viii) Transshipment permits original and duplicate.

All these documents are sorted according to I.G.M. numbers and thereafter the bills of entry and the transshipment permits are treated according to line numbers. The originals and duplicates are compared and letters of call are issued after scrutiny of manifest in the same way as for ships' manifests.

10.2.5 Audit Checks

The selection of 'ships' files' for audit checks is done on the basis of a list of files audited and closed by the Internal Audit Department during the preceding

पर किया जाता जो प्रति माह उनके द्वारा तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा को स्वयं को संतुष्ट करना पड़ता है कि:-

- (i) शुल्क योग्य माल को मुक्त माल के रूप में या फर्जी साधनों द्वारा या अधूरे दस्तावेजों द्वारा या भूल से या गलती से बिना शुल्क अदायगी के आयात नहीं किया गया है;
- (ii) सारे माल की मात्रा, भार, मूल्य आदि संबंधित दस्तावेज में उचित ढंग से वर्णित किये जाते हैं,
- (iii) माल के नियंत्रण, मुक्ति एवं निकासी प्रक्रिया को उचित ढंग से अपनाया गया है,
- (iv) जहाजों की फाइलों से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध और संपूर्ण हैं।

लेखापरीक्षा में विस्तृत नियंत्रणों को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार और निदेशित किया गया है।

निम्नलिखित विस्तृत नियंत्रणों को लागू किया जाता है:

- (क) बिल ऑफ एंट्री की प्रतियों की प्रविष्टि ब्यौरे के संबंध में मूल बिल के साथ सहमत हैं जो आयातक और सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक हैं;
- (ख) बिल ऑफ एंट्री द्वारा कवर की गई माल की मात्रा से अधिक माल सुपुर्द नहीं किया गया है;
- (ग) सभी शुल्क, जूर्माने और वसूलीयोग्य फीस उद्ग्रहित कर ली गई है और सरकार (तथापि मदों की प्रतिशतता वास्तविक वसूलियों के लिए नकद विभाग में शुल्क शीट के साथ या जमा लैज़र में जैसा भी मामला हो सत्यापित किया जा सकता है) को क्रेडिट कर दी गई है;
- (घ) इंटो-बांड बिल ऑफ एंट्री के मामले में, उनके द्वारा कवर किया गया माल भांडागारण में वास्तविक रूप से जमा कर दिया गया है;
- (ङ) बिल ऑफ एंट्री मालसूची में संबंधित मदों के प्रति सही ढंग से नोट किये गये हैं;
- (च) संकेतों, संख्याओं और बिल ऑफ एंट्री की संख्या और शुल्क के संबंध में मालसूची में दिये गये ब्यौरे मालसूची में उचित ढंग से दर्ज कर दिए गये हैं;
- (छ) नौकान्तरण हेतु माल के मामले में, नौकान्तरण पास जारी किये गये और अपेक्षित फीस की वसूली की गई; वास्तव में नौकान्तरित माल को उचित रूप से लेखांकित माना जाना चाहिए और अधिशेष के लिए आवश्यक प्रविष्टियां मालसूची में की गई हैं;
- (ज) जब्त माल, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125 के अंतर्गत शोधित

month, furnished by them every month.

Audit has to satisfy itself that:-

- (i) dutiable goods have not been imported without payment of duty as free goods or by means of bogus or incomplete documents or through inadvertence or error;
- (ii) all goods are correctly described in documents as regards quantity, weight, value etc.,
- (iii) the procedure for the control, discharge and clearance of goods has been correctly followed,
- (iv) that all documents relating to ships' files are forthcoming and are complete.

The detailed checks in audit are designed and directed towards achieving these ends.

The following detailed checks are applied:

- (a) the duplicate copies of bills of entry agree with the original bills in all respects with regard to the particulars required to be entered by the importer and Customs Officers;
- (b) no goods in excess of the quantity covered by the bills of entry have been delivered;
- (c) all duties, penalties and fees recoverable have been duly levied and credited to Government (percentage of items may however be verified for the actual recoveries with reference to duty sheets in the cash department or deposit ledgers as the case may be);
- (d) in the case of Into-Bond Bills of entry, the goods covered by them have actually been deposited in the warehouse;
- (e) the bills of entry have been correctly noted against the respective items in the manifest;
- (f) the particulars given in the manifest in respect of marks, numbers and the bill of entry number and duty have been correctly posted in the manifest;
- (g) in the cases of goods for transshipment, the transshipment passes have been issued and required fees recovered; the goods actually transhipped should be treated as properly accounted and for the balance necessary entries are made in the manifest;
- (h) the confiscated goods which have not been redeemed under Section 125 of

नहीं किया गया है; को वास्तव में नीलामी में बेच दिया गया है;

(झ) संवीक्षा रिपोर्टों में दर्शाये गये सभी वांछनीय दस्तावेजों का पता लगाया गया और सत्यापित किया गया है।

विमान फाइलों की लेखापरीक्षा जहाज की फाइलों की लेखापरीक्षा की भांति की गई है।

10.3 निर्यात जहाज की फाइल

10.3.1 किसी जहाज की निर्यात जहाज की फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज होते हैं:

- (i) जावक प्रविष्टि आवेदन;
- (ii) पोर्ट निकासी हेतु आवेदन;
- (iii) निर्यात सामान्य मालसूची;
- (iv) शिपिंग बिल;
- (v) नौकान्तरण आज्ञा-पत्र;
- (vi) लघु लदान नोटिस;
- (vii) मालसूची के संशोधन हेतु आवेदन;
- (viii) जूट, चाय आदि के लिए बीजक।

10.3.2 मालसूची का संकलन/जांच- मालसूचियों की लदान बिलों की प्रतिलिपि से जांच की जाती है। लघु शिपमेंट छोटे शिपमेंट सूचनाओं के अनुसार सत्यापित किये जाते हैं जिन्हें जहाज के नौकायन के सात दिनों के अंदर फाइल किये जाने की आवश्यकता होती है। मालसूची के सभी मदों की जांच की जाती है और इसी प्रकार लदान बिलों के सभी मदों को मालसूची में ट्रेस किया जाता है। वास्तविक लदान बिल नकद विभाग से प्राप्त किये जाते हैं और मूल और प्रतिलिपि को जोड़ा जाता है और तुलना की जाती है। सभी लदान बिलों की प्राप्ति पर एक मुख्य रजिस्टर के द्वारा नजर रखी जाती है।

मालसूचियों के बाद लदान बिलों, लघु लदान सूचनाएं और संशोधन आवेदन के साथ जांच कर्ताओं द्वारा जांच की जाती है, दस्तावेजों को मूल और प्रतिलिपि लदान बिलों में मालसूची की लाईन संख्याओं की नोटिंग द्वारा मालसूची के प्रति समायोजित किया जाता है। यदि मुक्त माल की अपेक्षा कोई संशोधन आवेदन या लघु लदान सूचनाएं हैं या दोनों हैं, तो ऐसे पेपर संबंधित लदान बिलों से जोड़े जाते हैं। जहाजों की रोटेशन संख्या के अनुसार छंटनी करने के बाद, हालांकि मुक्त माल हेतु लघु लदान सूचनाएं जहाज की फाइल में एक समूह में रखी जाती हैं। उनकी देय और वांछित दस्तावेजों की एक सूची तैयार की जाती है और उसे जहाज फाइल के ऊपर रखा जाता है।

Customs Act, 1962 have actually been sold in auction;

- (i) all wanting documents shown in the scrutiny reports are traced and verified .

Audit of Aircrafts' files is done in the same way as ship's files.

10.3 Export Ship's File

10.3.1 The Export ship's file of a vessel consists of the following documents:

- (i) Outward Entry application;
- (ii) Application for port clearance;
- (iii) Export General Manifest;
- (iv) Shipping bills;
- (v) Transshipment permits;
- (vi) Short shipment notices;
- (vii) Application for amendment of manifest;
- (viii) Invoices for jute, tea etc.

10.3.2 *Compiling/checking of Manifest* - The manifests are checked with the duplicate shipping bills. Short shipments are verified with reference to short shipment notices which are required to be filed within seven days of the sailing of the vessel. All items in the manifest are checked and similarly all items of shipping bills are traced in the manifest. The original shipping bills are received from the cash department and the original and duplicate are first paired and then compared. Receipt of all shipping bills is watched through a key register.

After the manifests are checked by the examiners with the shipping bills, short shipment notices and amendment applications, the documents are adjusted against the manifest by noting of the line numbers of the manifest in the original and duplicate shipping bills. If there are any amendment applications or short shipment notices other than for free goods or both, such papers are attached to the relative shipping bills. Short shipment notices for free goods are however kept in a bunch in the ship's file, after sorting them out according to rotation number of vessels. A list of documents due and found wanting is prepared and kept on top of the ships file.

10.3.3 निर्यात विमान फाइल – निर्यात जहाज (विमान) फाइलों में निम्नलिखित दस्तावेज होते हैं:

- (i) प्रस्थान रिपोर्ट;
- (ii) सामान्य घोषणा जो पोर्ट निकासी के उद्देश्य को पूरा करती है;
- (iii) निर्यात सामान्य मालसूची (एयर नेवीगेशन मालसूची);
- (iv) संशोधन आवेदन;
- (v) लदान बिल (मूल और प्रतिलिपि);
- (vi) नौकान्तरण अनुमति;
- (vii) लघु लदान सूचनाएं जैसे अन्य दस्तावेज।

विमान हेतु निर्यात जहाज फाइल के संकलन के लिए प्रक्रिया वही है जो जहाज के लिए होती है।

लेखापरीक्षा जाँच

10.3.4 किसी निर्यात जहाज फाइल की लेखापरीक्षा में यह देखा जाता है कि :-

- (i) निर्यात के लिए प्रविष्ट सभी पैकेज लदान बिलों, नौकान्तरण परमिट आदि के लिए पूर्णतः जवाबदेह होते हैं।;
 - (ii) शुल्क देय माल का शुल्क रहित निर्यात नहीं किया गया है;
 - (iii) सारा माल वर्गीकरण, मात्रा, मूल्य, भार आदि से संबंधित दस्तावेजों में उचित रूप से दर्शाया गया है;
 - (iv) माल के लदान हेतु निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया गया है;
 - (v) जहां आवश्यक हो, शुल्क देय माल के भार नियंत्रण की जांच हेतु निर्धारित प्रतिशतता का पालन किया गया और निर्धारित सीमाओं से अधिक अंतर को निपटाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई है;
 - (vi) लघु लदान सूचनाएं दी गई समयावधि में फाइल की गई हैं;
 - (vii) मालसूची में संशोधन के लिए फीस को समुचित रूप से उद्ग्रहित किया गया है;
 - (viii) मालसूचियों में सुधार और संबंधित दस्तावेजों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया गया है;
 - (ix) आयात कर वापसी के दावे के अंतर्गत लादे गये माल के संबंध में, जहाज को बुलाने के परामर्श अन्य पोर्ट ऑफ काल को दे दिये गये हैं;
- विमान निर्यात फाइलों की लेखापरीक्षा जहाज की फाइलों (निर्यात) की भांति ही की जाती है।

10.3.3 Export Aircraft file - The Export ships (aircraft) files comprise the following documents:

- (i) Departure Report;
- (ii) General declaration which serves the purpose of port clearance;
- (iii) Export General Manifest (Air Navigation Manifest);
- (iv) Amendment applications;
- (v) Shipping bills (original and duplicate);
- (vi) Transshipment permits;
- (vii) Other documents like short shipment notices.

The procedure for compiling the export ships file for aircraft is the same as for a vessel.

Audit checks

10.3.4 In auditing an export ship's file, it is to be seen that :-

- (i) all packages entered for export are fully accounted for by shipping bills, transshipment permits etc.;
- (ii) dutiable cargo has not been exported free of duty;
- (iii) all goods are correctly described in documents as regards classification, quantity, value, weight etc.;
- (iv) the prescribed procedure for shipment of goods is followed;
- (v) where necessary, prescribed percentages of check weighment of dutiable goods has been carried out and proper action have been taken for settling differences in excess of the prescribed limits;
- (vi) short shipment notices have been filed within the time limit laid down; ,
- (vii) fees have been properly levied for the amendment of the manifest;
- (viii) corrections in the manifests and connected documents have been dealt with according to the prescribed procedure;
- (ix) in respect of goods shipped under claim of drawbacks, advices have been sent to other ports of call of the vessel;

Audit of aircraft export files is done in the same way as ship's files (exports).

अध्याय 11

अन्य प्राप्तियां

कस्टम हाऊस आयात/निर्यात शुल्कों और उद्ग्रहण योग्य उपकरणों की प्राप्तिओं के अलावा अनेक प्राप्तिओं से संबंधित है। यह व्यापक रूप से निम्नलिखित वर्गों के अन्तर्गत आते हैं:

11.1 मर्चेट ओवरटाईम फीस

इसे विनिर्दिष्ट दर पर सामान्य कार्य घंटों के बाद या छुट्टियों में व्यापार के लिए सेवाओं के प्रतिदान के लिए सीमाशुल्क (सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा प्रतिदान सेवाओं के लिए फीस) अधिनियम, 1998 के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है। यदि सेवाएं ऐसे स्थान पर प्रदान की जाती हैं जो कस्टम क्षेत्र से दूर स्थान पर या उनके कार्य के सामान्य स्थान नहीं हैं, तो सामान्य कार्य घंटों के दौरान भी फीस उद्ग्रहित की जाती है। 'सेवाओं' शब्द का अर्थ है कस्टम अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कस्टम प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित किया गया कार्य और इसमें शामिल हैं:

- (क) माल की जांच और संबंधित कार्य,
- (ख) सामान्य या विशेष माल का लदान और उसे उतरवाना,
- (ग) एक कस्टम क्षेत्र से अन्य क्षेत्र को माल का अनुरक्षण, और
- (घ) कस्टम आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कस्टम कार्य।

11.2 फीस की उगाही (कस्टम दस्तावेज) अधिनियम, 1970

विनिर्दिष्ट दरों पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस उद्ग्रहित की जाती हैं:

1. आयात या निर्यात मालसूची का इनकी पूरकता सहित संशोधन,
2. निम्नलिखित की सत्यापित प्रतियों की आपूर्ति -
 - (क) एक बी.ई., यदि धारा 46 या धारा 60 के अंतर्गत एक आदेश पास करने से पहले आवेदन किया गया है,
 - (ख) मद (क) में उल्लेखित मद के अलावा आयातों से संबंधित कस्टम दस्तावेज,
 - (ग) एक लदान बिल, यदि धारा 51 के अंतर्गत आदेश पास करने से पहले आवेदन किया जाता है,
 - (घ) मद (ग) में उल्लेखित मद के अलावा निर्यातों से संबंधित कस्टम दस्तावेज।

Chapter 11

Other Receipts

The Custom Houses deal with a number of receipts in addition to the import/export duties and Cesses leviable. These fall broadly under the following categories:

11.1 Merchant Overtime Fee

This is collected under the Customs (Fee for Rendering Services by Customs Officers) Regulations, 1998 for rendering services to trade beyond normal working hours or on holidays at specified rate. If the services are rendered at a place which is not their normal place of work or at a place beyond Customs area, fee is levied even during the normal working hours. The terms 'services' means any function performed by the Customs Officers under the Customs Act, 1962 and it includes :

- (a) examination of goods and related functions,
- (b) loading and unloading of goods whether generally or specifically,
- (c) escorting goods from one Customs area to the other, and
- (d) any other Customs work authorized by the Commissioner of Customs.

11.2 Levy of Fees (Customs Documents) Regulations, 1970

Fees are to be levied for providing the following services at specified rates:

1. Amendment of import or export manifest including supplementation thereof,
2. Supply of certified copies of -
 - (a) a B.E., if the request is made before passing of an order under Section 46 or Section 60,
 - (b) a Customs document relating to imports other than that referred to in item (a),
 - (c) a Shipping Bill, if the request is made prior to passing an order under Section 51,
 - (d) a Customs document relating to exports other than that referred to in item (c).

3. के संशोधन:

- (क) लदान बिल में पोत का नाम;
- (ख) लदान बिल में ब्यौरे (पोत के नाम से अलग);
- (ग) पोर्ट निकासी आवेदन के ब्यौरे;
- (घ) जावक प्रवेश आवेदन पर पोर्ट;
- (ङ) कम-लदान सूचना की पूरकता;

4. किन्हीं दस्तावेजों को रद्द करना।

5. जांच फीस

तथापि, पोर्ट से संबंधित किसी आयात मालसूची को पूर्ति की जाती है तब कोई फीस उद्ग्रहित नहीं जाती जिसे मालसूची माल के संबंध में जो सामान का भाग हैं; के द्वारा कवर नहीं किया गया है और सामान की वस्तुएं हैं।

11.3 जूर्माने, शास्ति, कस्टम हाऊस भंडारगृह किराया प्रभार, ओवरटाईम प्राप्तियां आदि जैसी वसूलियां।

11.4 अन्य विविध प्राप्तियां जैसे जब्त माल की बिक्री प्राप्तियां।

11.5 लेखापरीक्षा जाँच

लेखापरीक्षा में यह देखा जाता है कि:

- (क) फीस की उचित राशि की वसूली की गई हैं और निर्धारित शर्तों के अनुसार ही हैं;
- (ख) जूर्माने और शास्तियों की उचित राशि की वसूली अधिनिर्णयन आदेश के अनुसार की गई हैं;
- (ग) मर्चेट ओवरटाईम फीस जहां भी उद्ग्राह्य हैं सभी मामलों में उचित ढंग से गणना की गई हैं और उद्ग्रहीत की गई हैं।

3. Amendment of:
 - (a) Vessel's name in a Shipping Bill;
 - (b) Particulars (other than Vessel's name) in a Shipping Bill;
 - (c) Particulars in a port clearance application;
 - (d) Port on Outward Entry application;
 - (e) Supplementation of a short-shipment notice;
4. Cancellation of any documents.
5. Testing fee.

However, no fees shall be levied when an import manifest is supplemented relating to port which has not been covered by the manifest and in respect of goods which are articles of baggage.

11.3 Recoveries like fines, penalties, Customs House Warehouses rental charge, overtime receipts etc.

11.4 Other miscellaneous receipts like sale proceeds of confiscated goods.

11.5 Audit Checks

In audit it is to be seen that:

- (a) correct amounts of fees are recovered and in accordance with the conditions laid down;
- (b) the correct amount of fines and penalties are recovered as per adjudication order;
- (c) the merchant overtime fees are correctly calculated and levied in all cases where leviable.

अध्याय 12

प्रतिदाय

12.1 धारा 27 के अनुसार जहां यह पाया गया कि शुल्क आयातित या निर्यातित माल पर वास्तविक उद्ग्राह्य से अधिक अदा किया गया है, शुल्क की वापसी और ब्याज का दावा या तो निर्धारण के किसी आदेश के अनुसरण में उस व्यक्ति द्वारा जिसने शुल्क अदा किया है या जिस व्यक्ति ने शुल्क वहन किया है, के द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 26ए आयातित माल पर अदा किये गये आयात शुल्क की वापसी को दर्शाती है यदि वे दोषपूर्ण पाये जाते हैं या विभिन्न शर्तों के अधीन आयातक और विक्रेता के बीच सहमत विनिर्देशों को स्वीकार नहीं करते।

12.2 प्रतिदाय हेतु आवेदन निर्धारण से संबंधित दस्तावेज साक्ष्यों के साथ बिक्री बीजक और दावे के समर्थन के लिए अन्य दस्तावेज कि शुल्क और ब्याज अधिक अदा किये गये हैं, शुल्क या ब्याज को उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है, और प्रतिदाय पहले ही प्राप्त नहीं हुआ फाइल किया जाना आवश्यक है।

प्रतिदाय के लिए ऐसे आवेदन शुल्क और ब्याज के भुगतान की तिथि से छः महीनों के अंदर फाइल किये जाने आवश्यक होते हैं और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी आयातक द्वारा या सरकार द्वारा या किसी शैक्षिक, अनुसंधान या धर्मार्थ संस्था या अस्पताल द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन शुल्क और भुगतान की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व कर सकते हैं। तथापि, जहां शुल्क और ब्याज आपत्ति के साथ अदा किये गये हैं, एक वर्ष या छः महीने की अवधि, जैसा भी मामला हो, लागू नहीं होती। वित्त अधिनियम 2011 द्वारा, प्रतिदाय के सभी मामलों में धारा 27 के सीए में इस प्रभाव का एक संशोधन किया गया, कि आवेदन 1 वर्ष में फाइल करने होते हैं। अधिसूचना संख्या 102/2007 के अनुसार, विशेष अतिरिक्त शुल्क (4%) प्रतिदाय को भी अनुमत कर दिया गया है। निम्नलिखित मामलों में, शुल्क की अदायगी की तिथि से समय सीमा की गणना नहीं की गई है।

1. धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत एक तदर्थ आदेश द्वारा छूट प्राप्त माल के मामले में, समय सीमा ऐसे आदेश जारी करने की तिथि से गणना की जानी है।
2. धारा 18 के अंतर्गत अनंतिम निर्धारण के मामले में, समय सीमा के अंतिम निर्धारण के बाद शुल्क समायोजन की तिथि से गणना की जानी है।

आयातक के अलावा किसी व्यक्ति के संबंध में शुल्क और ब्याज के भुगतान की तिथि, ऐसे व्यक्ति द्वारा माल की खरीद की तिथि से होगी।

यदि प्रतिदाय का आवेदन सभी तरीकों से संपूर्ण पाया जाता है, तो उसे संसाधित किया जाता है और यदि सारा शुल्क या शुल्क का कुछ भाग वापसी योग्य पाया जाता है तो,

Chapter 12

Refunds

12.1 In terms of Section 27 where it is found that duty has been paid in excess of what was actually leviable on the imported or exported goods, the refund of duty and interest can be claimed either by a person who has paid the duty in pursuance to an order of assessment or by a person who has borne the duty. Further, Section 26A provides for refund of import duty paid on imported goods if they are found to be defective or not conforming to the specification agreed upon between the importer and the seller, subject to certain conditions.

12.2 The application for refund is required to be filed with documentary evidence relating to assessment, sales invoice and other like documents to support the claim that the duty and interest was paid in excess, incidence of duty or interest has not been passed on by him to any other person, and the refund has not been received already.

Such application for refund is required to be filed within six months from the date of payment of duty and interest and in case of any import made by an importer for his personal use or by Government or by an educational, research or charitable institution or hospital, application for refund can be made before the expiry of one year from the date of payment of duty and interest. However, the limitation of one year or six months, as the case may be, does not apply where any duty and interest has been paid under protest. By the Finance Act 2011, amendment has been made in Section 27 of CA to the effect that in all cases of refunds, the application has to be filed within 1 year. In terms of Notification No. 102/2007 Special Additional Duty (4%) refund has also been made allowed. In the following cases, time limit is not computed from the date of payment of duty.

1. In the case of goods exempted by an ad hoc order under sub-Section (2) of Section 25, the time limit is to be computed from the date of issue of such order.
2. In the case of provisional assessment under Section 18, time limit is to be computed from the date of adjustment of duty after final assessment thereof.

The date of payment of duty and interest in relation to a person, other than importer shall be the date of purchase of goods by such person.

The application for refund, if found to be complete in all respects, is processed and if whole or any part of duty is found to be refundable, an order for

प्रतिदाय का आदेश पास कर दिया जाता है।

यदि प्रतिदाय योग्य राशि को आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 3 महीनों के अंदर प्रतिदाय नहीं किया जाता, तो ऐसे शुल्क के प्रतिदाय की तिथि तक ऐसे आवेदन की प्राप्ति से 3 महीनों की समाप्ति के बाद की तिथि से तुरंत ब्याज देय होगा।

विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज सीमा शुल्क के विलंबित प्रतिदाय के संबंध में देय होगा और परियोजना आयातों, माल आदि के अंतिम रिलीज की सुरक्षा के लिए जमा के संबंध में कोई देय नहीं होगा।

12.3 लेखापरीक्षा नियंत्रण

लेखापरीक्षा में यह देखा जाना चाहिए कि

- (i) प्रतिदाय के लिए आवेदन विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत किये जाते हैं और दावे के पक्ष में सभी दस्तावेजों को संलग्न किया गया है;
- (ii) प्रतिदाय सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया गया है;
- (iii) ये सीमा शुल्क अधिनियम और भारत सरकार तथा केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड के कार्यकारी आदेशों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं;
- (iv) परिकलित राशि अंकगणितीय रूप से सही है; और
- (v) संस्वीकृत प्रतिदाय की एक टिप्पणी मूल क्रेडिट एंट्री के प्रति कर दी गई है।

refund is passed.

If the refundable amount is not refunded within 3 months from the date of the receipt of the application, interest is payable from the date immediately after the expiry of 3 months from the receipt of such application till the date of refund of such duty.

The interest on delayed refund is payable only in respect of delayed refund of customs duty and no interest is payable in respect of deposits such as deposit for project imports, security for provisional release of goods etc.

12.3 Audit Checks

It is to be seen in audit that.

- (i) the application for refund is submitted within specified time and all the documents in support of the claim are enclosed;
- (ii) the refund is sanctioned by the competent authority;
- (iii) it is in accordance with the requirements of Customs Act and the executive orders of the Government of India and Central Board of Excise and Customs;
- (iv) the amount calculated is arithmetically correct; and
- (v) a note of refund sanctioned is made against the original credit entry.

अध्याय 13

छूट और कटौती

13.1 धारा 13 के अंतर्गत, आयातित माल जिसे निकासी के लिए सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा एक आदेश पास करने से पहले चोरी कर लिया गया है, पर कोई शुल्क देय नहीं है चुराने का अर्थ है चोरी करना, विशेषतः कम मात्रा में चोरी करना। इस धारा का क्षेत्र किसी पैकेज के भाग या पूरे पैकेज की चोरी करने को कवर करने के लिए काफी विस्तृत है।

13.2 धारा 22 के अंतर्गत कटौती उतराई के स्तर तक नुकसान या गिरावट के संबंध में और माल की उतराई के बाद अपरिहार्य दुर्घटना के कारण नुकसान के संबंध में भी अनुमत है। यह धारा ऐसे माल पर शुल्क भुगतान के लिए प्रक्रिया को भी विनिर्दिष्ट करती है।

13.3 धारा 23 घरेलु खपत और भंडारण के लिए माल की निकासी से पूर्व किसी समय पर खो गए या नष्ट किये गये आयातित माल के संबंध में शुल्क की छूट के रूप में राहत प्रदान करती है। यदि आयातित माल का मालिक, खपत के लिए एक निकासी आदेश बनाने से पूर्व किसी समय पर, माल के स्वामित्व को त्याग देता है तो, उसे शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यकारी निर्देश पर आधारित छूट के अन्य प्रकार हो सकते हैं नामतः:-

- (i) शुल्क में कमी;
- (ii) जहां फीस को संग्रहित किया जाना है, उसे उद्ग्रहित न करना;
- (iii) जुर्माने का उद्ग्रहण न करना।

छूट के लिए सुपुर्दगी के लिए अनुपलब्ध माल के संबंध में विनिर्दिष्ट समय सीमा में किसी समय पर दावे दर्ज किये जाने की अनुमति दी जा सकती है। यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि प्रारंभिक रूप से दावे विशेष आधारों जिन पर वे आधारित हैं, चाहे चोरी, हानि, नष्ट होना या कम उतराई को निर्दिष्ट करते हैं। दावे जिन्हें अंतिम रूप से प्रमाणित किया जा सकता है को इन आधारों में से किसी एक आधार पर निपटाया जा सकता है।

13.4 लेखापरीक्षा जाँच

छूट, कटौती आदि वाले मामलों में, यह देखा जाना चाहिए कि इन्हें अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया गया है।

वैधानिक प्रावधानों या इनमें से किन्हीं शर्तों में छूट से, शुल्क की छूट या शुल्क कटौती या सीमा शुल्क अधिनियम के किसी प्रावधान में न आने वाले मामले को ध्यान में लाया जा सकता है।

Chapter 13

Remission and Abatement

13.1 Under Section 13, no duty is payable on imported goods which are pilfered before the customs officer passes an order for clearance. The term pilfering means stealing, specially in small quantities. The scope of this Section is wide enough to cover pilferage of a part of a package or the entire package.

13.2 Under Section 22, abatement is allowed in respect of damage or deterioration upto the stage of unloading and also in respect of damages sustained due to unavoidable accident after the unloading of the goods. The Section also specifies the procedure for charging duty on such goods.

13.3 Section 23 provides relief by way of remission of duty in respect of imported goods lost or destroyed at any time before clearance of the goods for home consumption and warehousing. If the owner of the imported goods, at any time before a clearance order for home consumption is made, relinquishes his title to the goods, he is not required to pay duty.

There may be other types of remission based on executive instruction namely –

- (i) reduction in duty;
- (ii) non-levy of fees where fees are required to be collected;
- (iii) non-levy of penalty.

Claims for remission may be allowed to be filed at any time within the prescribed time limit in respect of goods that is not available for delivery. It should not be necessary that the claims ‘ab initio’ specify the particular grounds on which they are based, whether pilferage, loss, destruction or short landing. The claim may be settled on the basis of any of these grounds that may finally be established.

13.4 Audit Checks

In cases involving remissions, abatement etc., it should be seen that these are sanctioned by the competent authority in accordance with provisions in the Act.

Cases which involve remission of duty or duty abatement in relaxation of the statutory provisions or any of the conditions therein, or those not covered by any of the provisions of the Customs Act may be brought to notice.

अध्याय 14

कम वसूली

14.1 सीमा शुल्क लेन-देनों के दौरान चूक या गलती की कभी-कभी गलतियों के कारण, शुल्क की कम वसूली की जाती है जो बाद में प्रकाश में आती है। ये मामले सामान्यतः कम प्रभार के रूप में जाने जाते हैं।

धारा 28 मामले की प्रकृति के आधार पर विनिर्दिष्ट समयावधि में एक मांग नोटिस जारी करके अग्रलिखित में से किसी भी मामले के संबंध में वसूलियों का प्रावधान करती है:

- (क) उद्ग्रहित न किया गया शुल्क और/या ब्याज,
- (ख) कम उद्ग्रहित किया गया शुल्क और/या ब्याज,
- (ग) त्रुटि से शुल्क और/या ब्याज का प्रतिदाय।

यह महत्वपूर्ण है कि मांग नोटिस सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के अंतर्गत जारी किया जाना चाहिए, अन्यथा मांग कालातीत हो जाएगी और विधिक रूप से वसूलीयोग्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने (मैडीवेल हॉस्पिटल और हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1997 (89) इएलटी 425 (एससी) के मामले में जहां एक अधिसूचना के अंतर्गत कोई आपत्ति चल रही है, जब भी उनके संज्ञान में आता है कि आयातक शर्तों को पुरा करने में विफल रहा है तो सीमा शुल्क प्राधिकारी शुल्क वसूली के लिए सशक्त हैं। ऐसे मामलों में, मांग समय को ध्यान में न रखकर जारी की जा सकती है और राशि सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वसूल की जा सकती है) ने निर्णय दिया।

नोटिसदाता से उत्तर प्राप्ति पर, मामले की विस्तृत जांच की गई और नोटिसदाता को न्यायिक प्राधिकारी के सामने मामले की व्याख्या करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की पेशकश की है। न्यायिक प्राधिकारी को अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी होने के कारण एक स्वतंत्र निर्णय लेने और उचित आदेश पारित करने की आवश्यकता है। लागू शुल्क, जर्माने और शास्तियां, यदि कोई हैं तो, को तुरंत अदा किए जाने अपेक्षित हैं, जब तक कि पार्टी एक अपील दर्ज नहीं करती और सक्षम प्राधिकारी से एक स्थगन प्राप्त नहीं करती।

पुष्ट मांगों को धारा 142 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है और वसूलियां की गई हैं। जहां किसी धन के प्रति समायोजन द्वारा राशि की वसूली संभव नहीं है जिसे विभाग को किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है, या किसी व्यक्ति से संबंधित किसी माल को रोक कर और बेच कर, जो विभाग के नियंत्रण के अधीन हैं, तो भूमि राजस्व मामले के रूप में जिला आयुक्त द्वारा सरकारी देय की वसूली के लिए कार्रवाई की जाती है।

Chapter 14

Short realisation

14.1 Owing to occasional mistakes of omissions or commission in the course of customs transactions, short realization of duty occurs which comes to light at a later stage. These cases are generally known as less charges.

Section 28 provides for recoveries on account of any one of the following causes by issuing a demand notice within specified time limit depending upon the nature of the case:

- (a) duty and/or interest not levied,
- (b) duty and/or interest short levied,
- (c) duty and/or interest erroneously refunded.

It is important that the demand notice should be served within the time limits prescribed u/s 28 of the Customs Act, otherwise the demand shall become time barred and is legally not recoverable.

The Apex Court held (in case of Mediwell Hospital and Health Care Private Limited Vs. Union of India, 1997 (89) ELT 425 (SC)) that where the obligation under a notification is a continuing one, the Customs authorities are well in their power to recover the duty whenever it comes to their notice that the importer has failed to fulfill the conditions. In such cases, the demand can be issued irrespective of the time factor and the amount can be recovered in terms of provision of the Customs Act).

Upon receipt of the reply from the noticee, the matter is examined in detail and the noticee is offered personal hearing to explain the case before the adjudicating authority. The adjudicating authority is required to take an independent decision as a quasi-judicial authority and pass appropriate order. The duties, fines and penalties imposed, if any, are required to be paid immediately, unless the party files an appeal and obtains a stay from the competent authority.

The confirmed demands are enforced and recoveries effected in accordance with the provisions under Section 142. Where it is not possible to recover the amount by adjusting against any money which the department owes to such person, or by detaining and selling any goods belonging to such persons which are under the control of the department, action is initiated to recover the Government dues through the District Collector as in the case of land revenue. Powers are also vested

ऐसे किसी व्यक्ति से संबंधित के नियंत्रण वाली/अंतर्गत किसी चल या अचल संपत्ति को जोड़ने/रोकने और बेचने के लिए सीमा शुल्क के पास शक्तियां भी निहित हैं और उनका प्रयोग भी किया जा सकता है।

14.2 लेखापरीक्षा जाँच

लेखापरीक्षा में यह देखा जाना चाहिए कि:

- (i) क्या मांग नोटिस समय सीमा के अंदर जारी किया गया है;
- (ii) समय पर मांग न करने के कारण राजस्व हानि को इंगित किया जाना है;
- (iii) अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी के निर्णय पर लेखापरीक्षा द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती;
- (iv) क्या शुल्क, जुर्माने और शास्तियाँ समय पर अदा किए गए थे;
- (v) जहाँ राशि की वसूली नहीं की जा सकी, विभाग द्वारा वसूली के लिए समुचित कार्रवाई की गई थी।

with the Customs for attaching/detaining and selling any movable or immovable property belonging to/under control of such person and these can also be resorted to.

14.2 Audit Checks

It is to be seen in audit as to whether.

- (i) Whether the demand notice is issued within time limit;
- (ii) Loss of revenue due to non-raising the demand in time is to be pointed out;
- (iii) The decision of quasi-judicial authority can not be questioned in audit;
- (iv) Whether duties, fines and penalties imposed were paid in time;
- (v) Where the amounts could not be recovered, proper action for recovery was taken by the department.

अध्याय 15

लावारिस/निकासी न किये गये माल का निपटान

15.1 अधिकतर यह देखा जाता है कि आयातक बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है परंतु विभिन्न कारणों जैसे वित्तीय समस्या, माल की मांग की कमी आदि के विभिन्न कारणों से माल की निकासी नहीं की जाती है। ऐसे माल को “निकासी न किया गया माल” कहा जाता है। कुछ मामलों में, आयातक माल की निकासी के लिए बिल ऑफ एंट्री भी फाइल नहीं करते। ऐसे माल को “लावारिस माल” कहा जाता है।

आयातित माल पर शुल्क उद्ग्राह्य है चाहे उनकी आयातक द्वारा निकासी की जाती है या नहीं। इसी प्रकार, अन्य एजेंसियों के कर जैसे माल को ढोने और भंडारण के लिए वाहक और संरक्षक भी हो सकते हैं।

15.2 धारा 48 के अनुसार, यदि किसी माल को किसी कस्टम पोर्ट पर उतराई की तिथि से 30 दिनों के भीतर घरेलु खपत या भंडारण या नौकान्तरण के लिए निकासी नहीं गई है, ऐसे माल को संरक्षक द्वारा बेचा जा सकता है। तथापि, केवल आयातक को एक नोटिस भेजने और कस्टम की अनुमति प्राप्त करने के बाद माल को बेचा जा सकता है।

15.3 आरक्षित मूल्य के निर्धारण के बाद, संरक्षक सार्वजनिक नीलामियों की व्यवस्था करता है जो कस्टम के उचित अधिकारी की उपस्थिति में की जाती हैं। आरक्षित मूल्य सामान्यतः कस्टम (उद्ग्राह्य शुल्क सहित) द्वारा अनुमोदित मूल्य है। पहली नीलामी में आरक्षित मूल्य (या अनुमत अंतर के अंतर्गत) पर न निपटाये गये माल के मामले में, आरक्षित मूल्य अनुवर्ती नीलामियों में विनिर्दिष्ट स्तर के अनुसार कम किया जाता है। यदि, सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल को बेचने के प्रयास विफल रहते हैं, इन्हें निविदा के माध्यम से बेचा जाता है।

15.4 बिक्री प्रक्रियाएँ निम्नलिखित ढंग (धारा 150) से लागू की जाएंगी-

- (क) सबसे पहले बिक्री के व्यय के भुगतान हेतु,
- (ख) अगला भुगतान यदि बेचे गये माल के संबंध में वाहक को देय मालभाड़ा और अन्य प्रभारों का, और यदि ऐसे प्रभारों की सूचना संरक्षक को दे दी गई है;
- (ग) उसके पश्चात् बेचे गये माल पर शुल्क के भुगतान हेतु, यदि कोई है तो;
- (घ) उसके पश्चात् माल का संरक्षण रखने वाले व्यक्ति द्वारा बेचे गये माल के संबंध में प्रभारों के भुगतान हेतु;
- (ङ) सीमा शुल्क अधिनियम/अन्य किसी कानून के प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के माल का मालिक से देय किसी राशि के भुगतान के लिए और शेष, यदि कोई है तो, माल के मालिक को अदा किया जाएगा।

Chapter 15

Disposal of Unclaimed/Uncleared Cargo

15.1 It is often noticed that the importer files the bill of entry but does not clear the goods due to various reasons such as financial problem, lack of demand of the goods etc. Such goods are called ‘uncleared goods’. In some cases, importer does not even file bill of entry for clearance of goods. Such goods are known as “unclaimed goods”.

Duty is leviable on imported goods whether they are cleared by the importers or not. Similarly, dues of other agencies, such as carriers and custodians for carriage and storage of goods, may also arise.

15.2 As per Section 48, if any goods are not cleared for home consumption or warehoused or transhipped within 30 days from the date of unloading thereof at a Customs port, such goods can be sold off by the custodian. However, the goods can be sold only after a notice is issued to the importer and permission from Customs is obtained.

15.3 After fixation of reserve price, the custodian arranges public auctions which are held in the presence of proper officer of customs. The reserve price is generally the price approved by Customs (inclusive of duty leviable). In the event of the goods not being disposed of at the reserve price (or within the permissible margin) in the first auction, the reserve price is reduced according to prescribed scale in the subsequent auctions. In case, efforts to sell the goods through public auction fail, these are sold through tender.

15.4 The sale proceeds shall be applied in the following manner, (Section 150) –

- (a) firstly to payment for expenses of the sale,
- (b) next to the payment of the freight and other charges, if any payable in respect of the goods sold, to the carrier, if notice of such charges is given to the custodian,
- (c) next to the payment of duty, if any, on the goods sold,
- (d) next to the payment of charges in respect of the goods sold due to person having custody of the goods,
- (e) next to the payment of any amount due from the owner of the goods to the Central Government under the provision of the Customs Act/ any other laws, and the balance, if any, shall be paid to the owner of the goods.

15.5 लेखापरीक्षा जाँच

जाँच में यह देखना शामिल है कि क्या:

- (i) 30 दिनों से अधिक के लिए संरक्षक के पास पड़ा सारा माल निपटान के लिए माना जाता है,
- (ii) अनुमोदित मूल्य विषय पर मौजूदा आदेशों के अनुसार हैं,
- (iv) बिक्री प्राधिकृत हैं और निर्देश के अनुसार हैं,
- (iv) संविभाजन उचित रूप से किया गया है,
- (v) सीमा शुल्क विभाग के देय संरक्षक द्वारा समय पर अदा किए गए हैं।

15.5 Audit Checks

The checks include examining whether.

- (i) all the goods lying with custodian for more than 30 days are considered for disposal,
- (ii) prices approved are in accordance with the existing orders on the subject,
- (iv) sales are authorized and are in accordance with the instruction,
- (iv) apportionment is properly done,
- (v) dues of customs department are paid by the custodian in time.

अध्याय 16

अपराध और दंड प्रावधान

16.1 तस्करी और आयात और निर्यात की अन्य कार्यप्रणाली में शामिल, प्रचलित निषेधाज्ञा/प्रतिबंधों के उल्लंघन में या शुल्क टालने के इरादे से या धोखाधड़ी से निर्यात प्रोत्साहन का दावा करने वाला व्यक्ति सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गंभीर दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं जो इस प्रकार हैं:

16.1.1 अधिग्रहण - सीमाशुल्क अधिकारी किसी माल को जब्त कर सकता है, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त माल जब्त योग्य हैं। वह व्यक्ति जिसका माल जब्त किया जाता है, को सामान्यतः छः महीने के अंदर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

16.1.2 जब्त करना - जब्त करना जब्त के लिए परिणामी विनियोजन को लागू करता है। जब्त करने का सार और अवधारणा जब्त करने के बाद होती है, जब्त माल केंद्रीय सरकार के पास रहता है।

न्यायिक प्राधिकारी माल को जब्त करने के संबंध में निर्णय लेता है।

धारा 111 और 113 के अनुसार, वह माल, जिसकी देश में या देश से बाहर तस्करी करने का प्रयास किया जाता है, या मात्रा, विवरण या मूल्य आदि में गलत घोषणा द्वारा निकासी के प्रयास किए जाते हैं; जब्त करने योग्य है। आयातित या निर्यातित माल भी जब्त करने योग्य है यदि सीमा शुल्क से बचने के लिए विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध लाभों को धोखाधड़ी से प्राप्त करने की ईच्छा है।

माल को जब्त करने के अतिरिक्त, तस्करी आदि के लिए प्रयुक्त वाहन भी जब्त योग्य होते हैं। (धारा 115)

जब्त किये जाने योग्य माल के मामले में, माल यदि पैकेज में आयातित किया जाता है तो, पैकेज और इसके अन्य घटक यदि कोई हैं तो, वे भी जब्त किये जाने योग्य हैं।

(धारा 118)

तस्करी किये गये माल (धारा 119) को छूपाने के लिए प्रयुक्त सामान, तस्करी किये गये माल जिसका आकार बदल गया (धारा 120) और यदि कोई तस्करी किए गए माल की बिक्री प्राप्ति है (धारा 121) तो वह भी जब्त किये जाने योग्य है।

16.1.3 जुर्माना - किसी माल के संबंध में, जिसे जब्त करने के लिए रखा गया है, चूक या गलती में शामिल व्यक्ति जुर्माने के लिए जिम्मेदार होगा।

Chapter 16

Offences and Penal Provisions

16.1 Persons involved in smuggling and other modus operandi of imports and exports, in violation of prohibitions/restrictions in vogue or with intent to evade duties or fraudulently claim export initiatives are liable to serious penal action under the Customs Act as under :

16.1.1 Seizure - An officer of Customs can seize any goods, if he has reason to believe that the same are liable to confiscation. The person from whom the goods are seized is issued a show cause notice, usually within six months.

16.1.2 Confiscation - Confiscation implies appropriation consequential to seizure. The essence and the concept of confiscation is that after confiscation, the confiscated goods vest with the Central Government.

The adjudication authority makes the decision regarding confiscation of goods.

As per Section 111 and 113, the goods that are attempted to be smuggled into or out of the country, or are attempted to be cleared by way of misdeclaration in quantity, description or value etc. are liable to be confiscated. The imported or exported goods are also liable to confiscation if there is an intention to evade customs duty or to fraudulently avail the benefits available under various export promotion schemes.

In addition to confiscation of goods, the conveyances that are used for smuggling etc. are liable to confiscation. (Section 115)

In case goods liable to confiscation are imported in a package, the package and its other contents, if any, are also liable to confiscation. (Section 118)

Any goods used for concealing the smuggled goods (Section 119), the smuggled goods which has changed its form (Section 120) and sale proceeds, if any, of smuggled goods (Section 121) are also liable to confiscation.

16.1.3 Penalty - The person involved in commission or omission, in relation to any goods, which renders such goods liable to confiscation shall be liable to penalty.

इसके अतिरिक्त, कोई व्यक्ति जो सीमा शुल्क अधिनियम का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी है या सीमा शुल्क अधिनियम के किसी प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहता है जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था, के लिए जुर्माने हेतु उत्तरदायी होगा।

16.1.4 अधिनिर्णयन - अधिनिर्णयन अर्द्ध-न्यायिक कार्यवाही है। संबंधित व्यक्ति के उचित कारण बताओ नोटिस जारी करने के अतिरिक्त लिखित में और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर या प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए अपेक्षित हैं। तब उचित अधिनिर्णयन प्राधिकारी को ध्यान में लाये गये सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पास करना पड़ता है।

(धारा 122 ए)

16.1.5 जब्तीकरण के बदले जुर्माना - जब भी किसी माल का जब्तीकरण प्राधिकृत होता है, अधिनिर्णयन अधिकारी जब्तीकरण के बदले में ऐसे जुर्माने जो माल के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा भुगतान करने के लिए उस माल के मालिक को एक विकल्प दे सकता है।

(धारा 125)

16.1.6 गिरफ्तारी - तस्करी के संकट और वाणिज्यिक धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर आर्थिक अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है।

(धारा 104)

16.2 पुरस्कार - मुखबिरों और उनके जब्तीकरण से संबंधित माल की कूकी में शामिल सरकारी कर्मचारियों को कुर्क किये गये विनिषिद्ध माल के संभावित मूल्य के 20 प्रतिशत तक एक पुरस्कार देने की प्रणाली प्रचलित है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत शुल्क वंचन के संबंध में, मुखबिर और स्टाफ वसूल किये गये शुल्क, जुर्माने और शास्ति के 20 प्रतिशत तक पुरस्कार के लिए योग्य होंगे, बशर्ते कि राशि शामिल माल के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

पुरस्कार निर्धारित करने में, मुखबिरों द्वारा सूचना की सटीकता, उठाये गये जोखिम और कष्ट, सीमा और सहायता आदि को सक्षम प्राधिकारी ध्यान में रखता है। सरकारी कर्मचारी की सतर्कता, उनकी पहल, प्रयास और दिखाई गई चतुराई को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

Further any person who contravenes any provision of Customs Act or abets any such contravention or who fails to comply with any provision of the Customs Act with which it was his duty to comply shall be liable to penalty.

16.1.4 Adjudication - Adjudication is a quasi-judicial proceeding. The concerned persons are required to be given opportunity or representation in writing and personal hearing apart from issuing proper show cause notice. The proper adjudicating authority is then to pass the final order taking due note of all evidences brought to notice.
(Section 122 A)

16.1.5 Fine in lieu of confiscation - Whenever confiscation of any goods is authorised, the officer adjudging it may give the owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation such fine which shall not exceed the market price of the goods.
(Section 125)

16.1.6 Arrest - To tackle the menace of smuggling and other serious economic offences including commercial frauds effectively, the person involved can be arrested and prosecuted in a court of law.
(Section 104)

16.2 Rewards - A system of rewarding the informers and the Government servants engaged in seizure of goods leading to their confiscation upto 20 per cent of the estimated value of the contraband goods seized is in vogue. In respect of evasion of duty under the Customs Act, 1962, informers and staff will be eligible for reward upto 20 percent of the duty, fine and penalty realized, provided the amount does not exceed 20 percent of the market value of the goods involved.

In determining the rewards, the competent authority keeps in mind the accuracy of the information, the risk and trouble taken, the extent and help rendered by the informers etc. The vigilance of the government servants, their initiative, efforts and ingenuity displayed may also taken into account.

16.3 लेखापरीक्षा जाँच

लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए कि -

- (i) सभी कुर्क किये गये माल का उचित रूप से लेखांकन किया गया है;
- (ii) अधिनिर्णयन बिना किसी विलंब के किया गया है;
- (iii) स्टॉक को समय-समय पर सत्यापित किया गया है;
- (iv) जब्त माल की बिक्री के लिए अनुमोदित मूल्य इस विषय पर मौजूदा आदेश (आदेशों) के अनुसार हैं; और
- (v) पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी वास्तव में कुर्की प्रक्रिया में शामिल थे।

16.3 Audit Checks

Audit should ensure that –

- (i) all seized goods are correctly accounted for ;
- (ii) adjudications have been done without delay ;
- (iii) stocks are verified periodically ;
- (iv) the prices for sale of confiscated goods approved are in accordance with the existing order(s) on the subject ; and
- (v) the staff who are paid rewards were actually involved in the seizure process.

अध्याय 17

अपील, समीक्षा और मामलों का निपटान

17.1 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128 के अंतर्गत, सीमा शुल्क आयुक्त के रैंक से नीचे एक सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा पास किये गये किसी निर्णय या आदेश के प्रति सीमाशुल्क आयुक्त(अपील) के पास एक अपील की जाती है।

धारा 129ए के अनुसार, निम्नलिखित आदेशों में से किसी से असंतुष्ट कोई व्यक्ति सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीसटैट) के समक्ष अपील कर सकता है:

1. किसी निर्णायक प्राधिकारी के रूप में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा पास किया गया कोई निर्णय या आदेश; या
2. धारा 128 के अंतर्गत आयुक्त(अपील) द्वारा पारित कोई आदेश।

धारा 129ए (1) के प्रथम परंतुक के अनुसार, सामान, फिरती और कम-उत्तराई मामलों के संबंध में निर्णय लेना सीसटैट के अधिकार-क्षेत्र में नहीं हैं। इन मामलों में, धारा 129डीडी में प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन फाइल किया जा सकता है।

धारा 130 के अनुसार, 1-7-2003 तक या बाद में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील में पास किये गये किसी आदेश के प्रति उच्च न्यायालय में एक अपील लंबित होगी, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 130 ई के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित के प्रति एक अपील की जाती है:

- (i) धारा 130 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में दिया गया निर्णय बशर्ते कि उच्च न्यायालय इसे ऐसी अपील के लिए एक उपयुक्त मामला प्रमाणित करता हो।
- (ii) निर्धारण के उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क के शुल्क या माल के मूल्य की दर के संबंध में किसी प्रश्न के निर्णय के विषयों से संबंधित सीसटैट का कोई आदेश।

धारा 129 ई में अपील लंबित रहने तक, निर्णायक प्राधिकारी के पास जमा मांगे गये शुल्क या उद्ग्राह्य जुर्माने अपेक्षित होते हैं। तथापि, आयुक्त (अपील) और सीसटैट को स्थगन आवेदन की प्राप्ति पर, या पूर्णतः या आंशिक रूप से पूर्व-जमा को माफ करने का अधिकार दिया गया है।

उपरोक्त में से प्रत्येक, अपील विनिर्दिष्ट समय में फाइल की जानी चाहिए।

Chapter 17

Appeals, Review and Settlement of cases

17.1 Under Section 128 of the Customs Act, an appeal lies to the Commissioner of Customs (Appeals) against any decision or order passed by a Customs Officer lower in rank than a Commissioner of Customs.

As per Section 129A, any person aggrieved by any of the following orders may prefer an appeal before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT):

1. any decision or order passed by a Commissioner of Customs as an adjudicating authority; or
2. an order passed by Commissioner (Appeals) under Section 128.

As per the first proviso to Section 129A(1), CESTAT has no jurisdiction to decide in respect of Baggage, drawback and short-landing cases. In these cases application may be filed before the Central Government as provided in Section 129 DD.

As per Section 130, an appeal shall lie to the High Court against any order passed in appeal by Appellate Tribunal on and after 1-7-2003 if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law.

Under Section 130E of the Customs Act, an appeal lies to the Supreme Court against:

- (i) any judgment of High Court delivered on a reference under Section 130 provided High Court certifies it to be a fit case for such appeal
- (ii) an order of the CESTAT, relating among other things to the determination of any question having relation to the rate of duty of Customs or value of the goods for the purpose of assessment.

Section 129E requires, pending the appeal, depositing with the adjudicating authority, the duty demanded or penalty levied. However, the Commissioner (Appeals) and CESTAT are empowered to waive the pre-deposit, either fully or partially, on receipt of the stay application.

In each of the above, appeal is to be filed within the specified time.

17.2 सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार आयुक्त किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पास किये गये अधिनिर्णय आदेश की उपयुक्तता और वैधता की समीक्षा कर सकता है और समीक्षा आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसे बिंदुओं के निर्धारण के लिए आयुक्त (अपील) के सामने आवेदन करने के लिए निर्णायक प्राधिकारी को धारा 129 डी(2) के अंतर्गत निर्देश जारी कर सकता है।

यदि सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्त, आयुक्त (अपील) के आदेश विधिक या उपयुक्त नहीं पाता, तो अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की जा सकती है।

इसी प्रकार, सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त की समिति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील फाईल करने के आदेश दे सकती है।

17.3 निपटान कमीशन

निर्धारितियों के लिए विवादों के अंतिम रूप से समाधान के लिए अधिनिर्णयन/अपीलों/ संशोधनों आदि के लंबे समय तक मुकदमा में जाये बिना सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निपटान कमीशन गठित करके एक वैकल्पिक माध्यम तैयार किया गया है।

(धारा 127 ए से 127 एन)

निम्नलिखित मामलों में निपटान के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा:-

- (क) जहां आवेदक द्वारा स्वीकृत शुल्क की अतिरिक्त राशि तीन लाख रुपये से अधिक नहीं हो;
- (ख) वर्गीकरण से संबंधित मामले और
- (ग) अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय में लंबित मामले।

निपटान कमीशन द्वारा पास किया गया प्रत्येक आदेश निर्णायक है और ऐसे आदेशों द्वारा कवर किये गये मामले किसी कार्यवाही द्वारा दोबारा नहीं खोले जा सकते। कमीशन शास्ति, जुर्माने और ब्याज लगाने से पूर्ण या आंशिक, रूप से प्रतिरक्षा अनुदान भी प्रदान कर सकता है।

17.2 The jurisdictional Commissioner of Customs can review the propriety and legality of an adjudication order passed by any subordinate officer and issue direction under Section 129 D(2) to the adjudicating authority to apply before Commissioner (Appeals) for determination of such points as specified in the review order.

In case the jurisdictional Commissioner of Customs finds the order of the Commissioner (Appeals) to be not legal or proper, an appeal to Appellate Tribunal may be filed.

Similarly, Committee of Chief Commissioner of Customs can order to file an appeal before Appellate Tribunal.

17.3 Settlement Commission

An alternative channel for resolution of disputes for assessee finally without going into prolonged litigation in adjudication/appeals/revisions, etc. has been created by constituting Customs and Central Excise Settlement Commission.

(Section 127 A to 127 N)

No application for settlement shall be made in the following cases:-

- (a) where the additional amount of duty accepted by the applicant does not exceeds three lakh rupees ;
- (b) matters relating to classification and
- (c) cases pending with the Appellate Tribunal or in a Court.

Every order passed by the Settlement Commission is conclusive and matters covered by such orders can not be reopened by any proceedings. The Commission may also consider grant of immunity, whole or part, from imposition of penalty, fine and interest.

अध्याय 18

भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली

18.1 भारतीय सीमा शुल्क इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (इडीआई) प्रणाली (आईसीईएस) केंद्रीय संरचित फार्मेटों, संघटित सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल अन्य एजेंसियों जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, महानिदेशक विदेश व्यापार, आयातित और निर्यातित माल के संरक्षक और नियामक एजेंसियों में सीमाशुल्क दस्तावेजों के स्वीकरण और इलैक्ट्रॉनिकली सूचना के आदान-प्रदान पर विचार करती है। भारतीय सीमाशुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस) आयात और निर्यात खेपों के संबंध में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 98% संचालन करने वाले 111 मुख्य सीमा शुल्क स्थानों पर अब परिचालित है। आईसीईएस प्रणाली ने डीजीएफटी की इडीआई प्रणाली के साथ संयोजनों को कठिन कर दिया है। बैंकों के साथ एसईजैड संयोजन के लिए डीओसी के एसईजैड ऑनलाईन को भी डिजाईन किया जा रहा है और शीघ्र रोल आउट के लिए शेष है। लेखों के प्रधान मुख्य नियंत्रक की आईटी पहल सीबीईसी “पी-सीबीईसी” है। मुख्य सीसीए ने सीबीईसी के राजस्व और व्यय खाते दोनों और उपयोगकर्ता मंत्रालय के लिए एमआईएस के साथ इसके क्षेत्रीय संगठनों को व्यवस्थित करने के लिए “ई लेखा और काम्पैक्ट” को नियोजित किया है।

18.2 आईसीईएस के मुख्य उद्देश्य हैं:

- (i) मालसूची नियंत्रण करने, भंडारित माल की एक्स-बांड निकासी, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रति आयातित माल, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की निगरानी सहित आयातों और निर्यातों के प्रसंस्करण के मुख्य कार्य और संबंधित कार्यों का कम्प्यूटरीकरण,
- (ii) व्यापार की आवश्यकताओं के लिए अधिक शीघ्र प्रतिक्रिया, सरकारी एजेंसियों के साथ व्यापारिक लेन-देन को कम करवाना,
- (iii) निर्धारण और मूल्यांकन में एकरूपता के लिए अन्य सीमाशुल्क स्थानों से सूचना पुनः उपलब्ध करवाना,
- (iv) निति निर्माण के लिए सूचना प्रणाली और इसकी प्रभावी राजस्व और विलंबित निगरानी के लिए प्रबंधन उपलब्ध करवाना, और
- (v) महानिदेशालय वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी को आयात/निर्यात आंकड़ों पर शीघ्र और सही सूचना उपलब्ध करवाना।

व्यापार सरलीकरण के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण से कल्पित उपाय के एक भाग के रूप में, आईसीईएस के अधीन सीमा शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

Chapter 18

The Indian Customs EDI System

18.1 Indian Customs Electronic Data Interchange (EDI) System (ICES) envisages acceptance of customs documents and exchange of information electronically in centralized/ structured formats, integrating customs with other agencies such as Reserve Bank of India, Director General Foreign Trade, Custodians of Imports and Exports Goods and Regulatory agencies involved in international trade. The Indian Customs EDI System (ICES) is now operational at 111 major customs locations handling nearly 98% of India's International trade in terms of import and export consignments. The ICES system has intricate linkages with the EDI system of DGFT and SEZonline of DoC for SEZs. Linkage with Banks is also being designed and is due for an early role out. The IT initiative of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC is "P-CBEC". Pr. CCA has deployed "e lekha and COMPACT" for maintaining both revenue and expenditure accounts of CBEC and its field formations with MIS for the user Ministry.

18.2 The main objectives of ICES are:

- (i) computerisation of the main customs function of processing imports and export, and related functions, including manifest control, ex-bond clearance of warehoused goods, goods imported against export promotion schemes, monitoring of export promotion schemes,
- (ii) to respond more quickly to the needs of the trade, reduce interaction of the trade with Government agencies,
- (iii) to provide retrieval of information from other customs locations to have uniformity in assessment and valuation,
- (iv) to provide management information system for policy making and its effective revenue and pendency monitoring, and
- (v) to provide quick and correct information on import/ export statistics to Director General of Commercial Intelligence and Statistics.

As a part of the envisioned move from customs control to trade facilitation, the following measures have been taken for streamlining the customs procedure under the ICES:

- (i) कंप्यूटरीकृत डाटा बेस की प्रभावी निगरानी और विश्लेषण द्वारा विभिन्न सीमाशुल्क स्टेशनों पर सीमा शुल्क कानून और प्रक्रियाओं को लागू करने में अपसारी प्रथाओं को समाप्त करना,
- (ii) जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) पर आधारित लक्ष्य तकनीक का प्रभावी रूप से उपयोग करते हुए माल की भौतिक जांच को कम करना,
- (iii) माल निर्यात किये जाने के बाद निर्यातक के बैंक खाते में राशि के प्रत्यक्ष वितरण उपलब्ध करवाने के लिए वापसी भुगतान प्रणाली पुनः निर्माण किया गया है जिससे डाक द्वारा पृथक चैक और परिणामस्वरूप प्रक्रियात्मक विलंबों को जारी करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। फिरती राशि के क्रेडिटिंग के उद्देश्य के लिए निर्यातक द्वारा अधिसूचित बैंक में एक बैंक खाता खोलना और शिपिंग बिल में उसे दर्शाना अपेक्षित है।

आरएमएस के आरंभ करने के साथ, लगभग सभी बिल ऑफ एंट्री के सामान्य निर्धारण, समवर्ती लेखापरीक्षा और जांच की वर्तमान पद्धतियों को बन्द कर दिया गया है जबकि ध्यान प्रणाली द्वारा चयनित बिल ऑफ एंट्री की गुणवत्ता निर्धारण, जांच और बिल ऑफ एंट्री की पश्च निकासी लेखापरीक्षा पर है।

18.3 आईसीईएस को इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिकली सीमाशुल्क निकासी के आदान-प्रदान/लेन-देन के लिए डिजाइन किया गया है। परिणामस्वरूप, दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या, जिनको व्यापार, परिवहन और नियामक एजेंसियों द्वारा सीधा सीमाशुल्क निकासी की प्रक्रिया में प्रस्तुत/प्राप्त करना अपेक्षित होता है; को अब ऑनलाईन प्रसंस्कृत किया जा रहा है। इसे आईसगेट भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य/इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे द्वारा संभव किया जा सका है जो एक इंटरनेट पोर्टल है जो व्यापार और माल वाहक तथा सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग (सामूहिक रूप से व्यापारिक साझीदार) को ई-फाइलिंग सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सीमा शुल्क विभाग और ईडीआई प्रणाली से जुड़ी हुई विभिन्न एजेंसियों के बीच आदान-प्रदान की गई सूचना की प्रकृति नीचे दी गई है:

- (i) Elimination of divergent practices in the application of Customs Law and procedures at different customs stations by effective monitoring and analysis of the computerized data base,
- (ii) Minimisation of physical examination of goods by effectively using Risk Management System (RMS) based targeting techniques,
- (iii) The drawback payment system has been re-engineered to provide for direct disbursement of the amount into the exporter's bank accounts after the goods have been exported, thereby eliminating the need for issue of separate cheques by Post and consequent procedural delays. The exporters are required to open a bank account in the notified bank and to mention the same in the Shipping Bill for the purpose of crediting of the drawback amount.

With the introduction of the RMS, the present practice of routine assessment, concurrent audit and examination of almost all Bills of Entry have been discontinued while focus is on quality assessment, examination and Post Clearance Audit of Bills of Entry selected by the System.

18.3 The ICES is designed to exchange/transact customs clearance electronically using Electronic Data Interchange (EDI). Consequently, a large number of documents that trade, transport and regulatory agencies are required to submit/receive in the process of live customs clearances, are now being processed online. This is made possible through ICEGATE Indian Customs and Central Excise Electronic Commerce/Electronic Data interchange (EC/EDI) Gateway which is an internet portal that provides e-filing services to the trade and cargo carriers and other clients of Customs & Central Excise Department (collectively called trading partners). The nature of information exchanged between the Customs department and the various agencies linked with the EDI System are as under:

क्र. सं.	ईडीआई ट्रेडिंग पार्टनर	ईडीआई द्वारा आदान-प्रदान की गई सूचना की प्रकृति
1)	आयातक/निर्यातक/सीएचए	बिल ऑफ एंट्री/शिपिंग बिल और संबंधित संदेश
2)	एयरलाईंस/शिपिंग एजेंट	मालसूचियां और कार्गो लौजिस्टिक्स संदेश
3)	संरक्षक (एएआई/पोर्ट प्राधिकारी/कॉनकोर)	कार्गो लौजिस्टिक्स संदेश
4)	बैंक	वित्तीय संदेश-शुल्क फिरती वितरण और सीमाशुल्क भुगतान
5)	एडपीसी/टीईएक्सपीआरओसीआईएल	व्यापार कोटा सूचना
6)	डीजीएफटी	लाईसेंस, शिपिंग बिल और आईई कोड डाटा
7)	आरबीआई	फोरैक्स, प्रेषण डाटा
8)	डीजीसीआईएस	व्यापार आंकड़े
9)	महानिदेशालय मूल्यांकन	मूल्यांकन डाटा

सेज और आईसीईएस के बीच कोई डाटा साझा नहीं किया गया है इसलिए इसे ईडीआई का व्यापारिक सहभागी अभी भी नहीं माना गया है। आईसगेट विभाग की इसी/ईडीआई और डाटा संप्रेषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस सुविधा द्वारा, विभाग बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिलों की इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग और संचार सुविधाएं जैसे ई-मेल, वैब-अपलोड और एफटीपी का उपयोग करते हुए सीमाशुल्क और व्यापारिक सहभागियों के बीच अनेक सेवाएं प्रदान करता है। एयरलाईंस और शिपिंग एजेंट इस सुविधा का उपयोग करते हुए इंटरनेट पर मालसूचियों को फाइल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क और विभिन्न नियामक और लाईसेंसिंग एजेंसियाँ जैसे डीजीएफटी, आरबीआई, इस्पात मंत्रालय और डीजीसीआईएस के बीच डाटा का आदान-प्रदान किया गया है। महानिदेशालय मूल्यांकन (डीओवी) के लिए राष्ट्रीय आयात डाटाबेस (एनआईडीबी) और निर्यात सामग्री डाटाबेस (ईसीडीबी) को आईसगेट द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आईसगेट द्वारा व्यवस्थित किये जा रहे सभी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज/संदेश भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) द्वारा सीमाशुल्क की ओर से प्रसंस्कृत किये जा रहे हैं। विभाग ने अपने आधारभूत ढांचे के केंद्रीयकरण को आरंभ कर दिया है और यथासमय सभी सीमाशुल्क स्थानक एक डाटा केंद्र पर केंद्रीयकृत रूप से आधारभूत ढांचे को स्थानांतरित कर दिए जायेंगे।

ई-फाईलिंग के अतिरिक्त, आईसगेट अन्य सेवाएँ जैसे ई-भुगतान, आईसगेट और आईसीईएस पर दस्तावेज स्थिति जांच, डीएफपीबी/डीईएस/ईपीसीजी लाईसेंसों का ऑनलाइन

Sl. No.	EDI trading partner	Nature of information exchanged through EDI
1)	Importers/ Exporters/ CHA	Bills of Entry/ Shipping Bills and related messages
2)	Airlines / Shipping Agents	Manifests and cargo logistics messages
3)	Custodians(AAI/ Port Authorities / CONCOR)	Cargo logistics messages
4)	Banks	Financial messages – duty drawback disbursal and customs duty payment
5)	AEPC/TEXPROCIL	Export quota information
6)	DGFT	License, Shipping bills and IE Code data
7)	RBI	Forex. Remittance data
8)	DGCIS	Trade statistics
9)	Directorate General of Valuation	Valuation data

There is no data sharing between SEZs and ICES therefore it is not yet identified as a EDI trading Partner. ICEGATE fulfils the department's EC/EDI and data communication requirements. Through this facility, the department offers a host of services, including electronic filing of Bill of Entry and Shipping Bills and exchange of related electronic messages between Customs and the trading partners using communication facilities such as E-mail, Web-upload & FTP. The airlines and shipping agents can file manifests on the internet using this facility. Besides, data is exchanged between Customs and the various regulatory and licensing agencies such as DGFT, RBI, Ministry of Steel and DGCIS. The National Import database (NIDB) and Export Commodity Database (ECDB) for Directorate General of Valuation (DOV) are also being serviced through ICEGATE. All electronic documents/ messages being handled by the ICEGATE are processed at the Customs' end by the Indian Customs EDI System (ICES). The department has embarked upon Centralization of its infrastructure and in due course all customs locations will be shifted to a centralized infrastructure hosted at a Data Centre.

In addition to e-filing, ICEGATE also provides host of other services like e-payment, document status tracking at ICEGATE and ICES, online verification of

सत्यापन, आईई कोड स्थिति, पैन आधारित सीएच डाटा और सीमाशुल्क बिजनेस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइट/सूचना के लिंक्स भी उपलब्ध करवाता है।

18.4 आईसीईएस के अंतर्गत सीमाशुल्क और डीजीएफटी के बीच सूचना का आदान-प्रदान:

(i) इलेक्ट्रॉनिक मसैज एक्सचेंज प्रणाली द्वारा डीजीएफटी से सीमाशुल्क और विलोमतः शुल्क पात्रता पास बुक योजना (डीईपीबी), शुल्क छूट योजना (डीईएस) और शुल्क प्रोत्साहन पूंजीगत माल योजना (ईपीसीजी) के अंतर्गत जारी शिपिंग बिल और लाईसेंस/प्राधिकार के आनलाईन संचरण को सभी ईडीआई पोर्ट/आईसीईएस स्थानों पर प्रचालित किया गया है (सीबीईसी परिपत्र सं.11/2007 दिनांक 13.02.2007 और 03/2009 दिनांक 20.01.2009)।

(ii) इस प्रक्रिया के अंतर्गत, 01.10.2005 तक या बाद में फाइल किये गये शिपिंग बिलों के आधार पर जारी किये गये सभी डीईपीबी लाईसेंस डीजीएफटी द्वारा आनलाईन प्रेषित कर दिए गये हैं। ऐसे डीईपीबी लाईसेंस पंजीकरण से संबंधित पतन पर आनलाईन उपलब्ध हैं और ये आनलाईन पंजीकृत हैं। इन लाईसेंसों का हस्त्य पंजीकरण अनुमत नहीं है। तथापि पुराने एसबीज़ अर्थात् 01.10.2005 से पहले के एसबीज़ के आधार पर डीईपीबी लाईसेंस का पंजीकरण संबंधित पतन पर मैन्यूअली पंजीकृत होते हैं।

(iii) इसी प्रकार, डीईएस लाईसेंसों के मामले में फाइल संख्याएं, डीईएस लाईसेंस (योजना कोड 17 के अंतर्गत जारी के अतिरिक्त) और 01.03.2009 तक या बाद में जारी और ईपीसीजी लाईसेंस डीजीएफटी द्वारा आनलाईन प्रेषित किये जाते हैं। चूंकि इन योजनाओं के अंतर्गत निर्यात किसी पतन से किया जा सकता है, डीजीएफटी गैर ईडीआई पतन से जारी लाईसेंसों सहित सभी पतनों के लिए ये लाईसेंस प्रेषित किये जा रहे हैं ऐसी फाइल सं. संदेश/लाईसेंस निर्यात के लिए सभी पतनों पर और आयात उद्देश्यों के लिए पंजीकरण संबंधित पतन पर ऑन लाईन उपलब्ध हैं। ये ऑनलाईन पंजीकृत किये जाते हैं और इन लाईसेंसों का मैन्यूअल पंजीकरण अनुमत नहीं है। 28.02.2009 तक जारी किये गये डीएस/ईपीसीजी लाईसेंसों का मैन्यूअल पंजीकरण और योजना कोड 17 के अंतर्गत जारी डीईएस लाईसेंस आयात और निर्यात के लिए सभी संबंधित पतनों के पंजीकरण पर अभी भी अनुमत हैं।

(iv) फाइल सं. संदेशों और डीईपीबी/डीईएस/ईपीसीजी लाईसेंस दैनिक आधार पर डीजीएफटी द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किये जा रहे हैं। ऐसे लाईसेंस आनलाईन वैधीकरण नियंत्रणों के लिए सहमति के अधीन हैं और अभिस्वीकृतियां डीजीएफटी को सीमा शुल्क द्वारा भेजी जाती हैं। सफल वैधीकृत लाईसेंस आईसगेट प्रणाली में अद्यतित किए जाते हैं और ये निर्यात हेतु सभी आईसीईएस स्थानों और आयात उद्देश्यों के लिए संबंधित पतन के पंजीकरण पर उपलब्ध कराये जाते हैं। यह नोट किया जाए कि केवल सफल वैधीकृत और स्वीकृत लाईसेंस आईसगेट पर दर्शाये जाते हैं और केवल यही लाईसेंस संबंधित आईसीईएस स्थानों

DEPB/DES/EPCG licences, IE code status, PAN based CHA data and links to various other important websites/information pertaining to Customs business.

18.4 Exchange of information between Customs and DGFT under ICES:

(i) Online transmission of Shipping Bills and Licenses/Authorizations issued under Duty Entitlement Pass book Scheme (DEPB), Duty Exemption Scheme (DES) and Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG) from DGFT to Customs and vice versa through an Electronic Message Exchange System has been made operational at all EDI Ports/ICES locations (CBEC Circular Nos. 11/2007 dated 13.02.2007 and 03/2009 dated 20.01. 2009).

(ii) Under this procedure, all DEPB licenses issued on the basis of Shipping Bills filed on or after 01.10.2005, are transmitted online by DGFT. Such DEPB licenses are available online at respective port of registration and these are registered online. Manual registration of these licenses is not permitted. DEPB licenses based on older SBs i.e. SBs prior to 01.10.2005, however, are registered manually at the respective port of registration.

(iii) Similarly, file numbers in case of DES licenses, DES licenses (except those issued under Scheme Code 17) and EPCG licenses issued on or after 01.03.2009 are transmitted online by DGFT. Since exports under these schemes can be made from any port, DGFT is transmitting these licenses for all ports including licenses issued for non EDI ports. Such file nos. messages /licenses are available online at all ports, for exports, and at respective port of registration, for import purposes. These are registered online and manual registration of these licenses is not permitted. Manual registration of DES / EPCG licenses issued up to 28.02. 2009 and DES licenses issued under Scheme Code 17 is still permitted at the respective port of registration for imports and at all ports for exports.

(iv) The file no. messages and DEPB / DES / EPCG licenses are being transmitted online by DGFT on daily basis. Such licenses are subjected to agreed online validation checks and acknowledgements are sent by Customs to DGFT. The successfully validated licenses are updated in the ICEGATE system and these are made available at all ICES locations for exports and at respective port of registration for import purposes. It may be noted that only successfully validated and accepted licenses are displayed at ICEGATE and only these licenses would be available for use at the respective ICES locations. License holders are expected to

पर उपयोग हेतु उपलब्ध होंगे। लाइसेंस धारक द्वारा बीजी और बांड के प्रस्तुतीकरण हेतु संबंधित पतन के पंजीकरण पर उपयुक्त अधिकारी से चर्चा की अपेक्षा की जाती है। तथापि, इसके अतिरिक्त कोई अन्य औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती और निर्यात तुरंत आरंभ किया जा सकता है। वे लाइसेंस जो आनलाईन वैधीकरण नियंत्रणों को पास नहीं करता, को निरस्त कर दिया जाता है और पूर्व-सहमत त्रुटि कोड के साथ अभिस्वीकृति कस्टम द्वारा डीजीएफटी को भेजी जाती है। ये लाइसेंस न तो आईसगेट पर प्रदर्शित किये गये हैं न ही संबंधित आईसीईएस स्थान पर उपलब्ध हैं।

(v) कस्टम अंतिम रूप से निर्धारित सभी शिपिंग बिलों को भी प्रेषित कर रहा है जिन्हें ईजीएम डीजीएफटी को पहले ही फाइल कर चुका है। डीजीएफटी को कस्टम द्वारा डीईएस और ईपीसीजी योजनाओं के अंतर्गत फाइल की गई बिल ऑफ एंट्री का प्रेषण भी उल्लिखित है।

18.5 लेन-देन स्तर के डाटा की लेखापरीक्षा

1. लेखापरीक्षा के लिए आईसीईएस 1.5 डाटा की संवर्धित लेखापरीक्षा योजना और उपयोग की आवश्यकता है। वर्तमान में, कस्टम प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीआरए) एसएसओआईडीज़ का उपयोग करते हुए या तो बिल ऑफ एंट्री (बीईज़) की भौतिक संवीक्षा की लेखापरीक्षा द्वारा आईसीईएस 1.5 सीआरए द्वारा या एसक्यूएल प्रश्नों का उपयोग करते हुए डीजी (सिस्टमज़) सीबीईसी द्वारा उपलब्ध कराये डंप डाटा के आदान-प्रदान का विश्लेषण करके आयात/निर्यात दस्तावेजों की लेखापरीक्षा कर रहा है। भविष्य में कस्टम डाटा वेयरहाऊस सुविधा या कुछ आईसगेट इंटरफेस द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित सूचना डीजीएफटी ईडीआई और सेजऑनलाईन में उपलब्ध है।

2. संबंधित प्राधिकारियों (सीबीईसी/डीजीएफटी/आरबीआई आदि) द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएँ/परिपत्रों/निर्देशों के अध्ययन और विश्लेषण जिन्हें उनकी साईट या अन्य पेड साईट से डाऊनलोड किया जा सकता था, वे प्रश्नों के तर्क तैयार करने के लिए अति महत्वपूर्ण कारकों में से एक होगा।

3. एमआईएस/स्टैट और एमटीआरज़ के साथ डंप डाटा कस्टम ईडीआई प्रणाली की लेखापरीक्षा योजना, राजस्व डाटा और नियंत्रित पर्यावरण की जानकारी के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता था। डंप डाटा के विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा आपत्तियां उठाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता होगी:-

क. स्थानीय डैस्क टॉप में डंप को आयात करना और आयातित डाटा की पूर्णता का सत्यापन (अनुबंध 9)।

approach the proper officer at the respective port of registration for submission of BG and bond. No further formality, however, is to be completed and exports can be started immediately. The licenses which do not pass online validation checks are rejected and acknowledgment with pre-agreed error codes is sent by Customs to DGFT. These licenses are neither displayed at ICEGATE nor available at the concerned ICES location.

(v) Customs is also transmitting all finally assessed Shipping Bills for which EGM has already been filed, to DGFT. Transmission of Bill of Entries filed under DES and EPCG schemes by Customs to DGFT, is also envisaged.

18.5 Audit of transaction level data

1. There is a need for augmented audit planning and use of ICES 1.5 data for audit. At present Custom Receipt Audit (CRA) is conducting audit of import/export documents either through auditing of physical scrutiny of Bills of Entry (BEs), Shipping Bills (SBs), Scheme files, through ICES 1.5's CRA module using SSO IDs or analyzing transaction level dump data provided by DG (Systems), CBEC, using SQL queries. In future customs data may also be accessed through Data Warehouse facility or some ICEGATE interface. Related information is also available in DGFT EDI and SEZonline.

2. Study and analysis of notifications/circulars/instructions issued from time to time by concerned authorities (CBEC/DGFT/RBI etc.) which could be downloaded from their site or any other paid site, would be one of the most important ingredients for building the logic of the queries.

3. The dump data alongwith MIS/STAT and MTRs could be used for purpose of audit planning, macro analysis of revenue data and knowledge of control environment of the Customs EDI system. Raising audit observations based on the analysis of the dump data would require adoption of the following procedure.-

a. Importing of dump in to the local desk top and verification of completeness of the imported data (**Annexure 9**).

ख. लागू शूलक छूट योजनाओं की संवीक्षा हेतु डाटा स्ट्रक्चर, तालिका स्ट्रक्चर, विभिन्न तालिकाओं का अंतर संबंध, विभिन्न आयात और निर्यात तालिकाओं का अंतर-संयोजन और विभिन्न निर्यात/आयात तालिकाओं के अंतर-संबंध को समझते हुए एसक्यूएल डेवलेपर का उपयोग करते हुए डाटाबेस के साथ संयोजकता। (अनुबंध 10)। उक्त को संबंधित लेखापरीक्षा आपत्ति फाइल (फाइलों) में संक्षिप्त किया जा सकता है और एक वर्किंग शीट के रूप में रखा जा सकता है।

ग. डंप डाटा रिपोर्टिंग के लिए एक्सेसिंग, क्वेरींग और परिणाम की एक्सपोर्टिंग (अनुबंध 11)।

घ. आयात और निर्यात दोनों डाटा के लिए एक समाधान टेम्पलेट के साथ डंप डाटा पर समस्या विवरण और मानक एसक्यूएल क्वेरीज़ की सूची बनाना।

ङ. विश्लेषण परिणाम का आईसीईएस 1.5 के सीआरए मॉड्यूल के माध्यम से एसएसओआईडी का प्रयोग करते हुए सत्यापन या बीई/एसबी या योजना दस्तावेजों की भौतिक जांच द्वारा।

च. फार्म जिसमें विशेषतः विस्तृत डाटा विस्तार के मामले में केडी को तैयार और व्यवस्थित किया जाता है (अनुबंध 12)।

4. 'एसक्यूएल क्वेरीज़ का उपयोग करते हुए डंप डाटा के विश्लेषण' पर चेन्नै में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था और आपके कार्यालय से नामित अधिकारियों ने भी 25-27 सितंबर 2013 के दौरान कार्यशाला में भाग लिया था। लाभ को समेकित करने के लिए आप डंप डाटा लेखापरीक्षा में प्रशिक्षित कार्मिकों को लगाये और आंतरिक प्रशिक्षण के लिए उक्त (क) से (च) में दी गई प्रक्रिया को अपनायें। आरटीआईज़ और आईसीसा से ऑरेकल 11जी डाटा की लेखापरीक्षा पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

5. यह देखा गया कि अधिकारियों को आबंटित एसएसओआईडीज़ सक्रिय/पूनीविधिमान्य नहीं हैं; ऐसे सभी अधिकारियों द्वारा एसएसआईओडीज़ के आबंटन के समय जारी किये गये निर्देश के अनुसार सिस्टम निदेशालय, और डाटा प्रबंधन, सीबीईसी, नई दिल्ली से संपर्क करना अपेक्षित है। कस्टम स्कंध से बाद में स्थानांतरित एसएसओआईडी के साथ किसी भी अधिकारी द्वारा डीजी (सिस्टम और डाटा प्रबंधन) को अपनी एसएसओआईडी वापस सौंपना अपेक्षित है, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी सभी आईडीज़ डीजी (सिस्टम और डाटा प्रबंधन), नई दिल्ली को वापस सौंप दी गई हैं।

प्रत्येक लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी ईडीआई को कवर करने के लिए, यह देखा गया कि प्रत्येक कार्यालय द्वारा सभी ईडीआई पत्तनों की लेखापरीक्षा के लिए अधिक एसएसओआईडीज़ अपेक्षित हो सकते हैं, इसलिए, डीजी (सिस्टम और डाटा प्रबंधन) के

b. Connectivity with the database using SQL Developer, Understanding data structure, table structure, inter relationship of various tables, inter linking of various import and export tables and inter relation of various export/import tables for scrutiny of duty exemption schemes in force. **(Annexure 10)**. The same may be summarized and kept as a working sheet in the respective Audit Observation file(s).

c. Accessing, querying and exporting the result for reporting the dump data **(Annexure 11)**.

d. Listing of problem description and standard SQL queries on the dump data with a solution template both for import and export data.

e. Verification of analysis results using SSOID through CRA module of ICES 1.5 or the physical verification of BE/SB or scheme documents.

f. Form in which the KD is to be prepared and maintained especially in case of large data volume **(Annexure 12)**.

4. A workshop was held in Chennai on 'Analysis of Dump Data using SQL Queries' and officers nominated from your office also attended the workshop during 25-27 September 2013. In order to consolidate the gains you may utilize the trained personnel in dump data audit and to manualise the procedures laid down in (a) to (f) above for in house training. RTIs & iCISA have been requested to hold regular training on audit of Oracle 11g data.

5. It is observed that the SSOIDs allotted to the officers are not activated/revalidated; all such officers are required to contact Directorate of System and Data Management, CBEC, New Delhi as per instruction issued to them while allotting the SSOIDs. An officer with SSOID subsequently transferred from Customs wing, is required to surrender his/her SSOID to DG (Sys and Data Management), Please ensure that all such IDs have been surrendered to DG (sys and Data Management), New Delhi.

To cover all the EDI ports under each audit jurisdiction, it is observed that each office may require more SSOIDs to audit all EDI ports, accordingly, request for new allotment of SSOIDs both location wise as well as personal/officer wise in

विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में स्थान-वार के साथ-साथ कार्मिक-वार/अधिकारी-वार दोनों के अनुसार एसएसओआईडीज़ के नये आबंटन के लिए अनुरोध उपयुक्त प्राधिकारी से मामले को उठाने हेतु इलैक्ट्रॉनिकली प्रस्तुत किए जाएं।

6. सभी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये हैं कि एनआईसी वीपीएन संयोजकता को सक्रिय किया गया है, जो डाटा स्थानांतरण का सुरक्षित तरीका है। वीपीएन संयोजकता के लिए डैस्कटॉप विशेषकर 8जीबी रैम वाला पीसी अपेक्षित होता है और 500जीबी हार्ड डिस्क डाटाबेस मंगवाने और क्वेरिंग के लिए काफी है। यदि यह उपलब्ध नहीं है, ऑरेकल 11जी लाईसेंस यदि पहले उपलब्ध नहीं है तो मुख्यालय (आईएस स्कंध) से या संबंधित एंडई अधिकारी/आरटीआईज़ यदि उनके पास अतिरिक्त लाईसेंस हैं क्योंकि वे वीएलसी संचालनों के लिए ऑरेकल 11जी का उपयोग करते हैं; से प्राप्त किया जा सकता है।

7. यदि कहीं कस्टम राजस्व डाटा सांविधिक लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए अन्य अधिकारियों द्वारा मांगा गया है, अनुरोध करने वाले कार्यालय को महानिदेशक (सिस्टम और डाटा प्रबंधन), सीबीईसी, नई दिल्ली; विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी), नई दिल्ली या वाणिज्यिक आसूचना और आंकड़ें (डीजीसीआईएस), कोलकाता से प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं।

यदि डाटा पीडी/डीजीसीए कार्यालय के पास उपलब्ध है, इसे केवल उचित प्रक्रिया अपनाकर उपलब्ध कराया जा सकता है। सूचना की गोपनीयता और सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है, जिसे उचित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नियंत्रण और डाटा सुरक्षा वर्गीकरण उपलब्ध करा कर सभी परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाना है। डाटा को व्यवस्थित करने वाले अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सूचित, प्रशिक्षित और मानीटर किया जाना है।

निम्नलिखित लेखापरीक्षा नियंत्रणों को अपनाया जा सकता है:-

लेखापरीक्षा नियंत्रण

लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए कि:-

- (i) नवीनतम अधिसूचनाएं/निर्देश ईडीआई सिस्टम (जैसे- छूट अधिसूचना, विनिमय दर अधिसूचनाएं, एंटी-डंपिंग शुल्क अधिसूचनाएं आदि) में अद्यतित किये गये हैं।
- (ii) विभिन्न शुल्क और उप-कर की गणना (जैसे- शुद्ध एनर्जी उपकर, रबर उपकर आदि) ईडीआई सिस्टम द्वारा समुचित रूप से की जा रही है।
- (iii) विभिन्न अपवर्जन, यदि कोई हैं तो, 'शुल्क छूट अधिसूचनाएं/निर्यात प्रोत्साहन योजना' के लाभ से वंचित (जैसे- प्रक्रिया पुस्तिका, संस्करण 1 के अनुबंध 37बी के अंतर्गत अधिसूचित माल, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अंतर्गत प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत आयात करना अनुमत नहीं है ईडीआई सिस्टम के माध्यम से अद्यतित एवं निगरानी की जा रही है)।

the prescribed proforma of DG (System and Data Management) may be furnished to this office electronically to take up the issue with appropriate authority.

6. All offices have been instructed to ensure that NIC VPN connectivity is activated, which is a secured mode for transferring data. VPN connectivity requires only a desktop PC preferably with 8 GB RAM and 500GB hard disc is sufficient for importing and querying the database. Oracle 11g licence, if not already available may be acquired from Headquarter (IS wing) or the respective A&E offices/RTIs if they have additional licences as they use Oracle 11g for VLC operations.

7. **In case where customs revenue data is sought by other offices for statutory audit purposes, the requesting office may be asked to obtain it from Director General (System and Data Management), CBEC, New Delhi; Directorate General of Foreign Trade (DGFT), New Delhi or Director General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS), Kolkata.**

If the data is available with PD/DGCA office, it may be provided only after following due procedure. Confidentiality and security of the information is of utmost importance, which may kindly be maintained under all circumstances by providing requisite hardware and software controls and data security classification. Officers handling the data may be specifically informed, trained and monitored for the purpose.

Following audit checks may be followed:-

Audit Checks

Audit should ensure that :-

- (i) Latest notifications/instructions have been updated in the EDI system (viz. exemption notification, exchange rate notifications, Anti- dumping duty notifications, etc.).
- (ii) Calculation of various duties & cess (viz., clean energy cess, rubber cess etc.) is being properly done through the EDI system.
- (iii) Various exclusions, if any, from the benefit of 'duty exemption notifications/export promotion schemes ' are being properly updated & monitored through the EDI system (viz. Goods notified under Appendix 37 B of the Handbook of Procedures, Vol. I are not allowed to be imported under promotional schemes under Chapter 3 of the Foreign Trade Policy).

भाग II

अध्याय 19

सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

19.1 सीमाशुल्क राजस्व लेखापरीक्षा शाखाएं 1932 में गठित की गई थीं और इन्होंने कस्टम पत्तनों पर रेजीडेंट लेखापरीक्षा इकाईयों के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया था। शाखाओं को सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय के नियमित संवर्ग से अलग माना जा रहा था। विभिन्न मेरीटाइम महालेखाकार के कार्यालयों में कार्यरत शाखाओं का प्रशासनिक नियंत्रण महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व (एजीसीआर) के पास था। एजीसीआर सीमाशुल्क राजस्व लेखापरीक्षा के साथ-साथ सरकारी और लोक लेखा समिति के परिणामों के प्रस्तुतीकरण के लिए सभी कस्टम हाऊसेज में प्रक्रिया और पद्धति के साथ जुड़े प्रधान लेखापरीक्षक के साथ भी समन्वय कर रहा था। लेखापरीक्षा में फिरती दरों की पूर्व-जांच और उनका अनुमोदन भी एजीसीआर द्वारा किया गया था।

अन्य प्राप्तिओं जैसे आय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की लेखापरीक्षा करने के साथ, सीमाशुल्क राजस्व लेखापरीक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण एजीसीआर से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के कार्यालय को दे दिया गया। समन्वय कार्य जो एजीसीआर द्वारा किया जा रहा था आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित समान कार्य के साथ-साथ अक्टूबर 1961 में सीएजी के कार्यालय द्वारा अपने अधीन ले लिया गया।

डीजीएसीआर सीएजी के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, सीमाशुल्क राजस्व विभाग (सीबीईसी) और इसके क्षेत्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा करती है।

19.2 अप्रैल 2012 में, देश भर में सीमाशुल्क राजस्व सहित केंद्रीय प्राप्तिों की लेखापरीक्षा के लिए, आईएएंडएडी की पुनर्संरचना के बाद नौ केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय गठित किये गये थे। प्रत्येक केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय में सीमाशुल्क प्राप्तिों के लिए विशेषज्ञता प्राप्त स्टाफ है।

SECTION II

Chapter 19

Customs Receipts Audit

Introduction

19.1 Customs Revenue Audit Branches were constituted in 1932 and started functioning as Resident Audit Units at Customs Ports. The branches were treated as separate from the regular cadres in the Civil Audit and Accounts Office. Administrative Control of the branches working in the offices of different maritime Accountants General vested with the Accountant General, Central Revenues (AGCR). The AGCR was also the coordinating Principal Auditor matters connected with procedure and practice in all Customs Houses and for the presentation of the results of Customs Revenue Audit vis-à-vis the Government and the Public Accounts Committee. The pre-checks of drawback rates and approval thereof in audit were also done by the AGCR.

With the taking up of audit of other receipts namely, Income Tax and Central Excise, the administrative control of the Customs Revenue Audit wings passed on to the Comptroller and Auditor General's (CAG's) office from that of the AGCR. The coordination work so far done by AGCR, was taken over by the office of the C&AG in October 1961 along with similar work relating to Income Tax and Central Excise.

DGACR along with the other field offices of C&AG, audit the customs revenue department (CBEC) and its field formation.

19.2 In April 2012, nine Central Audit Offices were formed, after restructuring of IAAD, to audit central receipts including customs revenue across the country. There is a specialized staff for customs receipts audit in each Central Audit Office.

अध्याय 20
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की महत्वपूर्ण धाराएं

धारा 2(2)	“निर्धारण” में अस्थायी निर्धारण, स्व.निर्धारण पुनर्निर्धारण और एक ऐसा निर्धारण जिसमें निर्धारित शुल्क शून्य है; शामिल होता है;
धारा 2(3)	सामान में “बेहिसाब सामान” शामिल होता है परंतु मोटर वाहन शामिल नहीं होते।
धारा 2(7)	‘तटीय सामान’ भारत की एक पत्तन से दूसरी पत्तन को जहाज से ट्रांसपोर्ट किये गये आयातित माल की अपेक्षा सामान होता है।
धारा 2(9)	‘वाहन’ में कोई पोत, विमान और वाहन शामिल होता है।
धारा 2(10)	सीमाशुल्क एयरपोर्ट में धारा 7(ए) के अंतर्गत नियुक्त (अधिसूचना द्वारा सीबीईसी) एयरपोर्ट एयरफ़ाईट स्टेशन साधन शामिल होते हैं।
धारा 2(11)	सीमाशुल्क क्षेत्र का अर्थ है सीमाशुल्क स्टेशन का क्षेत्र और इसमें वह क्षेत्र शामिल होता है जहां आयातित माल या निर्यात माल को सामान्यतः सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लंबित निकासी के रूप में रखा जाता है।
धारा 2(12)	सीमाशुल्क पत्तन का अर्थ है सीबीईसी द्वारा धारा 7(ए) और सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 7(एए) के अंतर्गत नियुक्त (सीबीईसी द्वारा) इंग्लैंड कंटेनर डिपो के अंतर्गत चुनी गई कोई पत्तन।
धारा 2(13)	सीमाशुल्क स्टेशन का अर्थ है कोई सीमाशुल्क पत्तन, सीमाशुल्क एयर पोर्ट या थल सीमाशुल्क स्टेशन।
धारा 2(14)	‘शुल्कयोग्य माल’ का अर्थ है वह माल जो शुल्क के लिए आदेय है और जिस पर शुल्क अदा नहीं किया गया है।
धारा 2(15)	‘शुल्क’ का अर्थ है सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्राह्य सीमाशुल्क का कोई शुल्क।
धारा 2(16)	माल के संबंध में ‘प्रविष्टि’ का अर्थ है किसी प्रविष्टि के बिल, लदान बिल या निर्यात बिल में की गई कोई प्रविष्टि। डाक द्वारा आयातित माल या निर्यात किये जाने वाले माल के संबंध में, ‘प्रविष्टि’ का अर्थ है (क) माल के साथ लेबल या घोषणा जिसमें माल का विवरण, मात्रा और मूल्य है, जो धारा 82 में संदर्भित हैं (ख) यदि पोस्टल माल के विवरण, मात्रा और मूल्य वाले लेबल या विवरण के साथ नहीं हैं, ‘प्रविष्टि’ धारा 84 के अंतर्गत विनियमों के अनुसार सीबीईसी द्वारा विनिर्दिष्ट आकार और रूप के अनुरूप होगी।
धारा 2(18)	“निर्यात” का अपनी व्याकरणीय विभिन्नता और सजातीय भाव के साथ; अर्थ है माल भारत के अंदर से भारत के बाहर ले जाना।

Chapter 20

Important Sections of Customs Act, 1962

Section 2(2)	“Assessment” includes provisional assessment, self-assessment, re-assessment and any assessment in which the duty assessed is nil;
Section 2(3)	Baggage includes 'unaccompanied baggage' but does not include motor vehicles.
Section 2(7)	'Coastal goods' means goods, other than imported goods, transported in a vessel from one port in India to another port in India.
Section 2(9)	'Conveyance” includes a vessel, an aircraft and a vehicle.
Section 2(10)	Customs airport including air freight station means airport appointed (by CBEC by notification) under Section 7 (a).
Section 2(11)	Customs area means the area of Customs Station and includes any area where imported goods or export goods are ordinarily kept pending clearance by Customs Authorities.
Section 2(12)	Customs port means any port appointed under Section 7(a) by CBEC and Inland Container Depot appointed (by CBEC) under Section 7(aa) of Customs Act.
Section 2(13)	Customs station means any customs port, customs airport or land customs station.
Section 2(14)	'Dutiable goods' means any goods which are chargeable to duty and on which duty has not been paid.
Section 2(15)	'Duty' means a duty of customs leviable under Customs Act.
Section 2(16)	'Entry' in relation to goods means an entry made in a Bill of Entry, Shipping Bill or Bill of export. In respect of goods imported or to be exported by post, 'Entry' means (a) label or declaration accompanying the goods which contains description, quantity and value of the goods, as referred in Section 82 (b) if postal goods are not accompanied by label or description containing the description, quantity or value of goods, 'entry' will be as per form and manner prescribed by CBEC as per regulations u/s 84.
Section 2(18)	“Export”, with its grammatical variations and cognate expressions, means taking out of India to a place outside India.

धारा 2(19)	“निर्यात माल” का अर्थ है वह माल जिसे भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर लेकर जाना।
धारा 2(20)	किसी माल के संबंध में निर्यात के लिए अपनी प्रविष्टि और समय जब उसे निर्यात किया गया है, के बीच किसी समय पर शामिल कोई मालिक या स्वयं को निर्यातक के रूप में दर्शाने वाला कोई व्यक्ति “निर्यातक” कहलाता है।
धारा 2(21)	“विदेश जाने वाले जहाज या विमान” का अर्थ है भारत में किसी पत्तन या विमान और भारत के बाहर किसी पत्तन या विमान के बीच माल या यात्रियों को ले जाने में प्रयुक्त कोई जहाज या विमान चाहे वह भारत में किसी मध्यवर्ती पत्तन या एयरपोर्ट का उपयोग करता है या नहीं। इसमें शामिल हैं- (i) किसी नौसेना अभ्यास में भाग लेने वाले किसी विदेशी सरकार का नौसेना जहाज; (ii) फिशिंग या भारत की समुद्री सीमा के बाहर किसी अन्य संचालन में उपयोग किये गये कोई जहाज; (iii) किसी भी उद्देश्य के लिए भारत से बाहर किसी स्थान पर किसी जहाज या विमान का प्रसंस्करण;
धारा 2(22)	“माल” में शामिल हैं- (क) जहाज, विमान और वाहन; (ख) स्टोर; (ग) सामान; (घ) मुद्रा और परक्राम्य प्रपत्र; और (ड) किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति।
धारा 2(23)	“आयात”; अपनी व्याकरणीय विभिन्नता और सजातीय भाव के साथ; का अर्थ है कि भारत के बाहर से भारत के अंदर लाना।
धारा 2(25)	‘आयातित माल’ का अर्थ है भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में मंगवाया गया कोई माल परंतु इस माल में घर खपत के लिए निकास किया माल शामिल नहीं होता।
धारा 2(26)	उनके आयात के समय और घर खपत के लिये किये गये समय के बीच किसी माल संबंधित कोई मालिक या स्वयं को आयातक के रूप में दर्शाने वाला कोई व्यक्ति “आयातक” कहलाता है।
धारा 2(27)	“भारत” में भारत की समुद्री सीमा शामिल होती है;
धारा 2(28)	“भारतीय सीमाशुल्क समुद्री सीमा” का अर्थ है समुद्री सीमा, महाद्वीपीय शेल्फ, विशिष्ट आर्थिक जोन और अन्य समुद्री जोन अधिनियम 1976 की धारा 5 के अंतर्गत भारत की निकटस्थ जोन की सागर में बढ़ाई गई सीमा से है और इसमें कोई भी खाड़ी, गल्फ, बंदरगाह, संकरी खाड़ी या ज्वारीय नदी शामिल होती हैं।
धारा 2(30)	किसी माल के संबंध में “बाजार मूल्य” का अर्थ है भारत में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थोक मूल्य

Section 2(19)	“Export goods” means any goods which are to be taken out of India to a place outside India.
Section 2(20)	“Exporter”, in relation to any goods at any time between their entry for export and the time when they are exported, includes any owner or any person holding himself out to be the exporter;
Section 2(21)	“Foreign-going vessel or aircraft” means any vessel or aircraft engaged in carriage of goods or passengers between any port or airport in India and any port or airport outside India, whether touching any intermediate port or airport in India or not. It includes –(i) any naval vessel of a foreign Government taking part in any naval exercises; (ii) any vessel engaged in fishing or any other operations outside the territorial waters of India; (iii) any vessel or aircraft proceeding to a place outside India for any purpose whatsoever;
Section 2(22)	“Goods” includes -(a) vessels, aircrafts and vehicles; (b) stores; (c) baggage; (d) currency and negotiable instruments; and (e) any other kind of movable property.
Section 2(23)	“Import”, with its grammatical variations and cognate expressions, means bringing into India from a place outside India.
Section 2(25)	'Imported goods' means any goods brought into India from a place outside India but does not include goods which have been cleared for home consumption.
Section 2(26)	“Importer”, in relation to any goods at any time between their importation and the time when they are cleared for home consumption, includes any owner or any person holding himself out to be the importer.
Section 2(27)	“India” includes the territorial waters of India;
Section 2(28)	“Indian customs waters” means the waters extending into the sea up to the limit of contiguous zone of India under Section 5 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 and includes any bay, gulf, harbour, creek or tidal river.
Section 2(30)	“Market price”, in relation to any goods, means the wholesale price of the goods in the ordinary course of trade in India

धारा 2(31)	“प्रभारी व्यक्ति” का अर्थ है – (क) जहाज के मामले में – उसका मालिक (ख) विमान के मामले में – उसका कमांडर या प्रभारी पायलट (ग) ट्रेन के मामले में – इसका कंडक्टर या गार्ड और (घ) वाहन या अन्य साधन के मामले में – उसका ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति।
धारा 2(33)	‘निषिद्ध माल’ का अर्थ है सीमा शुल्क अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू अन्य कानून के अंतर्गत निषिद्ध आयात या निर्यात किया गया कोई माल परंतु जिस माल के आयात या निर्यात करने की अनुमति प्राप्त करने में शर्तों का अनुपालन किया गया है, वह माल इसमें शामिल नहीं होता।
धारा 2(38)	‘स्टोर’ एक वाहक या जहाज में उपयोग के लिए माल है और ईंधन और अतिरिक्त पूर्जों और अन्य उपकरण की वस्तुएं चाहे वे तात्कालिक फिटिंग के लिए अपेक्षित हैं या नहीं, शामिल होते हैं;
धारा 2(39)	किसी माल के संबंध में तस्कारी का अर्थ किसी कार्य या चूक से है जो धारा 111 या धारा 113 के अंतर्गत जब्तीकरण के लिए ऐसे माल को सौंपना है।
धारा 2(41)	किसी माल के संबंध में ‘मूल्य’ का अर्थ उप-धारा (1) या उप-धारा (2) धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित मूल्य है।
धारा 2(42)	‘वाहन’ का अर्थ है स्थल पर प्रयुक्त किसी प्रकार की कोई सवारी और इसमें रेल परिवहन भी शामिल होता है।
धारा 2(43)	‘भंडारगृह’ का अर्थ है धारा 57 के अंतर्गत एक सार्वजनिक भंडागारण या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त निजी भंडागारण।
धारा 2(44)	‘भंडारित माल’ का अर्थ है भंडारगृह में जमा माल।
धारा 2(45)	‘वेयर हाऊसिंग स्टेशन’ का अर्थ सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक वेयरहाऊसिंग स्टेशन के रूप में घोषित किये गये स्थान हैं।
धारा 5 (2)	सीमाशुल्क अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सीमाशुल्क अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त या लगाये गये शुल्कों का निस्सरण करता है।
धारा 7	सीबीईसी (बोर्ड) को ‘कस्टम पोर्ट’, ‘कस्टम एयरपोर्ट’ और देशीय कस्टम स्टेशन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और ‘कोस्टल पोर्ट’ के लिए स्थान नियत करने होते हैं। इनको इस अधिसूचना जारी करके निर्धारित किया जाता है।
धारा 7 (एए)	सीबीईसी द्वारा आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदान के लिए अनुमोदित ‘इंलैंड कंटेनर डिपो या एयर फ्राईट स्टेशन’।

Section 2(31)	“Person-in-charge” means, - (a) In case of vessel-its master (b) In case of aircraft- its commander or pilot-in-charge (c) In case of train- its conductor or guard and (d) In case of vehicle or other conveyance-its driver or other person in charge.
Section 2(33)	'Prohibited goods' means any goods the import or export of which is prohibited under Customs Act or any other law for the time being in force, but does not include any such goods in respect of which the conditions subject to which the goods are permitted to be imported or exported have been complied with.
Section 2(38)	'Stores' are goods for use in a vessel or aircraft and includes fuel and spare parts and other articles of equipment, whether or not they are required for immediate fitting;
Section 2(39)	Smuggling, in relation to any goods, means any act or omission which will render such goods liable for confiscation under Section 111 or Section 113;
Section 2(41)	'Value', in relation to any goods, means the value thereof determined in accordance with the provisions of sub-Section (1) or sub-Section (2) of Section 14.
Section 2(42)	'Vehicle' means conveyance of any kind used on land and includes a railway vehicle.
Section 2(43)	'Warehouse' means a public warehouse appointed under Section 57 or a private warehouse licensed under Section 58 of Customs Act.
Section 2(44)	'Warehoused goods' means goods deposited in a warehouse.
Section 2(45)	'Warehousing station' means a place declared as a warehousing station under Section 9 of Customs Act.
Section 5 (2)	Customs officer can exercise powers and discharge duties conferred or imposed on any officer of Customs subordinate to him.
Section 7	CBEC (Board) to appoint 'Customs ports' 'Customs airports' and places for land customs stations, inland container depots and 'Coastal ports'. These are appointed by issuing a notification.
Section 7 (aa)	Approved 'Inland Container Depot or Air Freight Station' for the unloading of imported goods and loading of export goods by CBEC.

धारा 8	सीमाशुल्क आयुक्त माल की उतराई और लदान किसी माल की श्रेणी के लिए और कस्टम क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट या कोस्टम पोर्ट में उचित स्थान के लिए अनुमोदन प्रदान करता है।
धारा 9	केंद्रीय बोर्ड उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क (सीबीईसी) वेयर हाऊसिंग स्टेशनों, जहां सार्वजनिक वेयर हाऊस को निश्चित किया जा सकता है या निजी वेयर हाऊस को लाइसेंस दिया जा सकता है; के स्थानों की घोषणा करने के लिए प्राधिकृत है। ये शक्तियां 1990 से मुख्य आयुक्तों को प्रदत्त हैं।
धारा 11(2)	आयात/निर्यात के उद्देश्य अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा निषेध किये जा सकते हैं।
धारा 11ए से 11जी	अधिसूचित माल से संबंधित प्रावधान।
धारा 11एच से 11एम	विनिर्दिष्ट माल से संबंधित प्रावधान।
धारा 12(1)	भारत में आयातित माल या भारत से निर्यातित माल पर सीमा शुल्क कर 'सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975' या कुछ समय के लिए लागू किसी कानून के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई ऐसी दरों पर उद्ग्रहित की जाएगी।
धारा 12 (2)	सीमा शुल्क सरकार द्वारा भी देय है।
धारा 13	यदि आयातित माल उतराई के बाद परंतु निकासी के लिए आदेश से पूर्व चुरा लिये जाने पर घर खपत या भंडारगृह में जमा करने के लिए निकासी हेतु सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा पास कर दिया जाता है, ऐसे माल पर कोई देय नहीं होगा जब तक कि चुराया गया माल चुराने के बाद आयातक से पुनःप्राप्त नहीं हो जाता।
धारा 14(1)	आयातित और निर्यात माल का 'मूल्य' ऐसे माल जैसे आयात के समय और स्थान पर सुपुर्दगी के लिए भारत से निर्यात के लिए बेचे गये माल के लिए भुगतान किये गये या देय वास्तविक मूल्य, या निर्यात के समय और स्थान पर भारत से सुपुर्दगी के लिए निर्यात हेतु, जहां माल के खरीदार और विक्रेता संबंधित नहीं हैं और इस संदर्भ में बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन बिक्री के लिए केवल मूल्य अन्य को ध्यान में रखा जाता है।
धारा 14(1) प्रथम परंतुक	आयातित माल के मामले में लेन-देन मूल्य शामिल होगा, उपरोक्त [जैसा कि धारा 14 (1) में विनिर्दिष्ट है] के अनुसार मूल्य के साथ-साथ, नियमों में विनिर्दिष्ट ब्रुटियों और टूट-फूट, इंजीनियरिंग, डिजाइन कार्य, रॉयल्टी और लाइसेंस फीस, आयात के स्थान से परिवहन की लागत, बीमा, लदान, उतराई और एक सीमा तक हैंडलिंग प्रभार और स्वरूप के साथ-साथ लागत और सेवाओं के लिए किसी राशि के भुगतान करने के लिए खरीदार

Section 8	Commissioner of Customs to approve proper places in any customs port, customs airport or coastal port for unloading and loading of goods or for any class of goods and specify the limits of customs area.
Section 9	Central Board of Excise & Customs (CBEC) is authorized to declare places to be warehousing stations at which public warehouses may be appointed or private warehouses may be licensed. These powers have been delegated to Chief Commissioners since 1990.
Section 11(2)	Purpose for which imports/exports can be prohibited by Central Government by notification.
Section 11A to 11G	Provisions relating to Notified goods.
Section 11H to 11M	Provisions relating to Specified goods.
Section 12(1)	Duties of Customs shall be levied at such rates as may be specified under 'The Customs Tariff Act, 1975', or any other law for the time being in force, on goods imported into, or exported from, India.
Section 12 (2)	Customs duty is payable by Government also.
Section 13	If imported goods are pilfered after unloading but before order for clearance is passed by Customs Officer for clearance for home consumption or deposit in a warehouse, no duty is payable on the goods, unless the pilfered goods are restored to importer after pilferage.
Section 14(1)	'Value' of the imported and export goods will be 'transaction value' of such goods i.e. the price actually paid or payable for the goods when sold for export to India for delivery at the time and place of importation, or for export from India for delivery at the time and place of exportation, where the buyer and seller of the goods are not related and price is the sole consideration for the sale, subject to such other conditions as may be specified in the rules made in this behalf.
Section 14(1) first proviso	Transaction value in the case of imported goods shall include, in addition to the price as aforesaid [i.e. as specified in Section 14(1)], any amount that the buyer is liable to pay for costs and services, including commissions and brokerage, engineering, design work, royalties and license fees, costs of transportation to the place of importation, insurance, loading, unloading and handling charges to

	उत्तरदायी है।
धारा 14(2)	सीबीईसी अधिसूचना जारी करके आयातित माल या निर्यात माल के टैरिफ मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।
धारा 14 खंड (ii) का द्वितीय उपबंध	यदि कोई बिक्री या खरीदार और विक्रेता संबंधित नहीं हैं या केवल मूल्य ही निमित्त नहीं है, माल का मूल्य मूल्यांकन नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।
धारा 14 तृतीय उपबंध	लागू विनिमय की दर के संदर्भ में माल के मूल्य गणना उस तिथि पर की जाएगी जिस पर प्रविष्टि का कोई बिल धारा 46 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है या धारा 50 के अंतर्गत किसी लदान बिल या निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो प्रस्तुत किया जाता है।
धारा 14 (2) व्याख्या	विनिमय की दर सीबीईसी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी या उस ढंग से निश्चित की जाएगी जैसाकि सीबीईसी निर्देश दे सकती है।
धारा 15	आयातित माल की लागू शुल्क दर और टैरिफ मूल्यांकन निम्नलिखित तिथियों पर लागू दर और मूल्यांकन होगा (क) यदि घर खपत के लिए प्रविष्टि माल प्रविष्टि बिल की तिथि पर प्रस्तुत किया गया है (ख) वेयर हाऊस माल के मामले में, जब घर खपत के लिए प्रविष्टि बिल वेयरहाऊस से निकासी के लिए धारा 68 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है और (ग) अन्य मामलों में, शुल्क के भुगतान की तिथि।
धारा 16(1)	निर्यात के मामले में, शुल्क दर और टैरिफ मूल्यांकन के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तिथि हैं (क) धारा 50 (जैसाकि लदान बिल/निर्यात बिल को प्रस्तुत करने पर) के अंतर्गत निर्यात हेतु प्रविष्टि माल के मामले में, निर्यात हेतु निकासी की तिथि पर लदान बिल (ऐसी अनुमति केवल निर्यात शुल्क के भुगतान पर प्रदान की जाती है, यदि लागू हो) के प्रस्तुतीकरण के बाद धारा 51 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा अनुमोदित होता है। (ख) अन्य माल के मामले में, शुल्क के भुगतान की तिथि पर।
धारा 17(1)	धारा 46 के अंतर्गत किसी आयातित माल के प्रविष्टि करवाने वाला कोई आयातक, या धारा 50 के अंतर्गत किसी निर्यात माल की प्रविष्टि करवाने वाले कोई निर्यातक ऐसे माल पर उद्ग्राह्य शुल्क स्वयं निर्धारण के रूप में उपलब्ध धारा 85 के अंतर्गत रखा जाएगा।
धारा 17(2)	उचित अधिकारी ऐसे माल के स्वयं-निर्धारण और इस उद्देश्य के लिए, आयातित माल या निर्यात माल या जैसा भी आवश्यक हो वैसा भाग जांच या परख के लिए जांच कर सकता है।
धारा 17(3)	उप-धारा (2) के अंतर्गत स्वयं-निर्धारण की जांच के लिए, उचित अधिकारी को कोई संविदा, ब्रोकर के नोट, बीमा पॉलिसी, नामावली या अन्य दस्तावेज

	the extent and in the manners specified in the Rules.
Section 14(2)	CBEC can fix tariff values of imported goods or export goods by issuing a notification.
Section 14 Clause (ii) of second proviso	If there is no sale or buyer and seller are related or price is not the sole consideration, value of the goods will be determined as per Valuation Rules.
Section 14 Third proviso	Value of goods shall be calculated with reference to the rate of exchange as in force on the date on which a bill of entry is presented under Section 46, or a shipping bill or bill of export, as the case may be, is presented under Section 50.
Section 14 (2) Explanation	The rate of exchange will be determined by CBEC or ascertained in such manner as CBEC may direct.
Section 15	Rate of duty and tariff valuation applicable to imported goods shall be the rate and valuation in force at one of the following dates. (a) if the goods entered for home consumption, the date on which bill of entry is presented (b) in case of warehouse goods, when Bill of Entry for home consumption is presented under Section 68 for clearance from warehouse and (c) in other cases, date of payment of duty.
Section 16(1)	In case of exports, relevant date for determination of rate of duty and tariff valuation is (a) In case of goods entered for export under Section 50 (i.e. on submitting shipping bill/bill of export), the date on which clearance for export is permitted by Customs Officer under Section 51 after submission of Shipping Bill (such permission is granted only after payment of export duty, if applicable) (b) In case of other goods, on date of payment of duty.
Section 17(1)	An importer entering any imported goods under Section 46, or an exporter entering any export goods under Section 50, shall, save as otherwise provided in Section 85, self-assess the duty, leviable on such goods.
Section 17(2)	The proper officer may verify the self-assessment of such goods and for this purpose, examine or test any imported goods or export goods or such part thereof as may be necessary.
Section 17(3)	For verification of self- assessment under sub-Section (2), the proper officer may require the importer, exporter or any other person to

	को प्रस्तुत करने के लिए आयातक, निर्यातक या अन्य कोई व्यक्ति अपेक्षित हो सकता है जबकि आयातित माल या निर्यात माल पर उद्ग्राह्य शुल्क, जैसा भी मामला हो को प्राप्त किया जा सकता है और ऐसी जांच जो तैयार या प्रस्तुत करनी है उसके शक्तियों के अधीन है के लिए अपेक्षित किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद, आयातक, निर्यातक या अन्य कोई व्यक्ति ऐसे दस्तावेज तैयार करेगा या ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा।
धारा 17(4)	माल या अन्य किसी सत्यापन, जांच या परख पर यह पाया जाता है कि स्वयं-निर्धारण सही रूप से नहीं किया गया है, उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत की जा सकने वाली कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे माल पर उद्ग्राह्य शुल्क का पुनर्निर्धारण कर सकता है।
धारा 17(5)	इस अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुषंगी प्राप्त शुल्क के जहां माल के मूल्यांकन वर्गीकरण, छूट या रियायत के संबंध में आयातक या निर्यातक द्वारा किये गये स्व-निर्धारण के विपरीत उप-धारा (4) के अंतर्गत कोई स्व-निर्धारण किया गया है, और आयातक या निर्यातक के अतिरिक्त मामलों में, जैसा भी मामला हो, लिखित में कथित पुनःनिर्धारण में उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है, उचित अधिकारी प्रविष्टि बिल या लदान बिल के पुनः निर्धारण की तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, पुनः निर्धारण पर सकारण आदेश पारित करेगा।
धारा 17(6)	जहां पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है या पुनर्निर्धारण पर एक सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है, उचित अधिकारी अपने कार्यालय में या आयातक अथवा निर्यातक के परिसर, में आयातित माल या निर्यातित माल के शुल्क के निर्धारण की लेखापरीक्षा कर सकता है, जैसा भी साधन हो, उसी ढंग से जैसाकि विनिर्दिष्ट हो।
धारा 18	(1) धारा 46 के प्रावधान के पूर्वाग्रह बिना इस अधिनियम में दिये जाने के बावजूद, -- (क) जहां आयातक या निर्यातक धारा 17 की उप-धारा के अंतर्गत स्व-निर्धारण करने में असमर्थ है और निर्धारण के लिए उचित अधिकारी को लिखित में एक अनुरोध करता है; या (ख) जहां किसी रसायन या अन्य जांच से आयातित माल या निर्यातित माल के अधीन उचित अधिकारी द्वारा माना जाना आवश्यक होता है; या (ग) जहां आयातक और निर्यातक ने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार किये हैं और पूरी जानकारी प्रस्तुत की है परंतु उचित अधिकारी आगे की जांच करना आवश्यक मानता है; या (घ) जहां आवश्यक दस्तावेजों को तैयार नहीं किया गया या जानकारी

	produce any contract, broker's note, insurance policy, catalogue or other document, whereby the duty leviable on the imported goods or export goods, as the case may be, can be ascertained, and to furnish any information required for such ascertainment which is in his power to produce or furnish, and thereupon, the importer, exporter or such other person shall produce such document or furnish such information.
Section 17(4)	Where it is founded on verification, examination or testing of the goods or otherwise that the self-assessment is not done correctly, the proper officer may, without prejudice to any other action which may be taken under this Act, re-assess the duty leviable on such goods.
Section 17(5)	Where any re-assessment done under sub-Section (4) contrary to the self-assessment done by the importer or exporter regarding valuation of goods, classification, exemption or concessions of duty availed consequent to any notification issued therefore under this Act and in cases other than those where the importer or exporter, as the case may be, confirms his acceptance of the said re-assessment in writing, the proper officer shall pass a speaking order on the re-assessment, within fifteen days from the date of re-assessment of the bill of entry or the shipping bill, as the case may be.
Section 17(6)	Where re-assessment has not been done or a speaking order has not been passed on re-assessment, the proper officer may audit the assessment of duty of the imported goods or export goods at his office or at the premises of the importer or exporter, as may be expedient, in such manner as may be prescribed.
Section 18	(1) Notwithstanding anything contained in this Act but without prejudice to the provisions of Section 46, -- (a) where the importer or exporter is unable to make self-assessment under sub-Section (1) of Section 17 and makes a request in writing to the proper officer for assessment; or (b) where the proper officer deems it necessary to subject any imported goods or export goods to any chemical or other test; or (c) where the importer or exporter has produced all the necessary documents and furnished full information but the proper officer deems it necessary to make further enquiry; or (d) where necessary documents have not been produced or

	प्रस्तुत नहीं की गई और उचित अधिकारी आगे की जांच करना आवश्यक मानता है, उचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसे माल पर उद्ग्राह्य शुल्क अस्थायी रूप से आकलित किया जाता है यदि आयातक और निर्यातक, जैसा भी मामला हो, ऐसी सुरक्षा को प्रस्तुत करते हैं क्योंकि उचित अधिकारी कमी के भुगतान के लिए उचित मानता है यदि कोई है तो, यदि कोई मामला हो तो शुल्क के बीच अंतिम रूप से निर्धारण या पुनःनिर्धारण किया जा सकता है और शुल्क का अस्थायी रूप से निर्धारण किया गया है। (2) जब ऐसे माल पर उद्ग्राह्य शुल्क का इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारण या पुनःनिर्धारण किया जाता है, तब - (क) घर खपत या निर्यात के लिए निकासी किये गये माल के मामले में, अदा की गई राशि अंतिम रूप से किये गये निर्धारण या पुनःनिर्धारित शुल्क के प्रति समायोजित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और अदा की गई राशि यदि कम रहती है, या अंतिम रूप से निर्धारित या पुनःनिर्धारित शुल्क की अधिकता है, जैसा भी मामला हो, तो माल आयातक या निर्यातक कमी को अदा करेगा या प्रतिदाय के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा भी मामला हो; (ख) भंडारित माल के मामले में, जहां शुल्क अंतिम रूप से निर्धारित या पुनःनिर्धारित किया गया है, जैसा भी मामला हो, अस्थायी रूप से किये गये निर्धारित शुल्क की अधिकता में, आयातक द्वारा एक बाँड को कार्यान्वित करना अपेक्षित होता है उचित अधिकारी स्वयं अधिक शुल्क की दोहरी राशि के समान एक राशि को आवश्यक कर सकता है। (3) आयातक या निर्यातक महीने की पहली तिथि, जिस पर शुल्क अदायगी की तिथि तक अस्थायी रूप से निर्धारित किया जाता है, जो धारा 28 एबी के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उप-धारा (2) के अंतर्गत अंतिम निर्धारण आदेश या पुनः निर्धारण के परिणाम स्वरूप, केंद्रीय सरकार को देय किसी राशि पर ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगी। (4) उप-धारा (5) के अनुरूप, यदि कोई प्रतिदाययोग्य राशि उप-धारा (2) के क्लॉज (ए) में संदर्भित किया गया है, को अंतिम रूप से शुल्क निर्धारण या शुल्क के पुनः निर्धारण, जैसा भी मामला हो, की तिथि से तीन महीनों के अंदर उप-धारा के अंदर वापस नहीं किया जाता है, इसे ऐसी राशि के प्रतिदाय की तिथि तक धारा 27ए के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित

	information has not been furnished and the proper officer deems it necessary to make further enquiry, the proper officer may direct that the duty leviable on such goods be assessed provisionally if the importer or the exporter, as the case may be, furnished such security as the proper officer deems fit for the payment of the deficiency, if any, between the duty as may be finally assessed or re-assessed as the case may be, and the duty provisionally assessed. (2) When the duty leviable on such goods is assessed finally or re-assessed by the proper officer in accordance with the provisions of this Act, then - (a) in the case of goods cleared for home consumption or exportation, the amount paid shall be adjusted against the duty finally assessed or re-assessed, as the case may be, and if the amount so paid falls short of, or is in excess of the duty finally assessed or re-assessed, as the case may be, the importer or the exporter of the goods shall pay the deficiency or be entitled to a refund, as the case may be; (b) in the case of warehoused goods, the proper officer may, where the duty finally assessed or re-assessed, as the case may be, is in excess of the duty provisionally assessed, require the importer to execute a bond, binding himself in a sum equal to twice the amount of the excess duty. (3) The importer or exporter shall be liable to pay interest, on any amount payable to the Central Government, consequent to the final assessment order or re-assessment order under sub-Section (2), at the rate fixed by the Central Government under Section 28AB from the first day of the month in which the duty is provisionally assessed till the date of payment thereof. (4) Subject to sub-Section (5), if any refundable amount referred to in clause (a) of sub-Section (2) is not refunded under that sub-Section within three months from the date of assessment of duty finally, or re-assessment of duty, as the case may be, there shall be paid an interest on such unrefunded amount at such rate fixed by the Central Government under Section 27A till the date of refund of such

	ऐसी दर पर वापस न की गई ऐसी राशि पर ब्याज अदा किया जाएगा। (5) उप-धारा (2) और उप-धारा (4) के अंतर्गत निधि से क्रेडिट किये जाने के बावजूद वापस करने योग्य शुल्क राशि, यदि कोई है तो, आयातक या निर्यातक, जैसा भी मामला हो को अदा की जाएगी, यदि ऐसी राशि विवरणयोग्य है तो- (क) यदि कोई शुल्क और ब्याज आयातक या निर्यातक, जैसा भी मामला हो, द्वारा अदा की गई ऐसी राशि पर अदा किया गया है, यदि उन्होंने ऐसे शुल्क या ब्याज के मामले, यदि कोई है तो को पास नहीं किया है, जो किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे शुल्क पर अदा किये गये हैं; (ख) यदि कोई शुल्क और ब्याज है; तो अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किये गये आयात पर ऐसे शुल्क अदा किये गये; (ग) खरीदार द्वारा वहन ऐसे शुल्क पर शुल्क और ब्याज यदि हैं तो, यदि उसने ऐसे शुल्क और ब्याज के मामले को पास नहीं किया है; यदि कोई है तो, किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे शुल्क पर अदा किया। (घ) धारा 26 में विनिर्दिष्ट निर्यातशुल्क; (ङ) धारा 74 और 75 के अंतर्गत देय शुल्क की वापसी।
धारा 19	(क) यदि आयातक विभिन्न वस्तुओं के मूल्य के ब्रेक-अप के संबंध में निर्धारण अधिकारी से संतोषजनक प्रमाण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है, शुल्क ऐसे ब्रेक-अप पर आधारित विभिन्न लागू दरों पर प्रभारित किया जाएगा। (ख) यदि ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं है और यदि मद विभिन्न दरों पर भुगतान योग्य हैं, माल ऐसे उच्चतम दरों पर प्रभारित किया जाएगा (ग) यदि ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं है, शुल्क के अधीन न आने वाले माल पर भी उच्चतम दर पर शुल्क देय होगा (घ) यदि प्रबंधन के लिए सहायक सामग्री और अतिरिक्त पूर्ण वस्तु के साथ आवश्यक रूप से आपूर्ति किये गये हैं और यदि कोई अलग प्रभार नहीं लगाया गया है, सहायक सामग्री वस्तु के रूप में उसी दर पर प्रभारित की जाएगी (ङ) यदि मद मात्रा जैसे- टैरिफ मूल्य के आधार पर प्रभारित किये गये हैं, वह दर लागू की जाएगी।
धारा 19 परंतुक (ए)	सहायक सामग्री और अतिरिक्त पूर्ण और प्रबंधन उपकरण जिसकी मशीनरी के साथ आवश्यक रूप से आपूर्ति की जाती है, मुख्य मशीन पर लागू उक्त दर प्रभार योग्य हैं।
धारा 20 (1)	यदि माल का निर्माण या उत्पादन भारत में किया गया है, जिन्हें भारत से निर्यात किया गया है, को आयात किया जाता है; अन्य आयातित माल पर लागू प्रतिबंध और शर्तें पुनः आयातित माल पर भी लागू होंगे।

	amount. (5) The amount of duty refundable under sub-Section (2) and the interest under sub-Section (4), if any, shall, instead of being credited to the Fund, be paid to the importer or the exporter, as the case may be, if such amount is relatable to - (a) the duty and interest, if any, paid on such duty paid by the importer, or the exporter, as the case may be, if he had not passed on the incidence of such duty and interest, if any, paid on such duty to any other person; (b) the duty and interest, if any, paid on such duty on imports made by an individual for his personal use; (c) the duty and interest, if any, paid on such duty borne by the buyer, if he had not passed on the incidence of such duty and interest, if any, paid on such duty to any other person; (d) the export duty as specified in Section 26; (e) drawback of duty payable under Sections 74 and 75.
Section 19	(a) If importer is liable to produce satisfactory evidence to assessing officer regarding break-up of values of different articles, duty will be charged at different applicable rates based on such break-up (b) If break-up is not available and if items are chargeable at different rates, the goods will be charged at highest of such rates (c) If break-up is not available, duty will be payable even on goods not liable to duty; at the highest rate (d) If accessories and spare parts for maintenance are compulsorily supplied with the article and if no separate charge is made, accessories will be chargeable at the same rate as the article (e) If items are chargeable on basis of quantity-i.e. tariff value, that rate will be applied.
Section 19 proviso (a)	Accessories and spare parts and maintenance implements which are compulsorily supplied along with the machinery are chargeable at the same rate as applicable to main machine.
Section 20 (1)	If goods manufactured or produced in India, which are exported from India, are imported; restrictions and conditions as applicable to other imported goods are applicable to re-imported goods also.

धारा 21	भारत में लाया गया या मंगाया गया परित्यक्त, प्रक्षिप्त माल, बहता हुआ माल, मलबे का व्यापार किया जाएगा जैसे कि उन्हें भारत से आयात किया गया है। शुल्क को उद्ग्रहित किया जाएगा जब तक कि वे शुल्क-मुक्त के रूप में दाखिल करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
धारा 22	माल के खराब या विकृत होने के निम्नलिखित किसी मामलों में शुल्क समाप्ति: (क) भारत में उतराई के पूर्व या दौरान खराबी (ख) सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारण के लिए माल की उतराई के बाद परंतु जाँच से पहले दुर्घटना से खराबी, जानबुझ कर गलती बशर्ते कि आयातक, उसके कर्मचारी या एजेंट की लापरवाही या चूक के कारण दुर्घटना नहीं हुई है। (ग) माल की निकासी से पूर्व वेयरहाउस में दुर्घटना से खराबी बशर्ते कि दुर्घटना आयातक, उसके कर्मचारी या एजेंट की जानबुझकर गलती, लापरवाही या चूक के कारण न हुई हो।
धारा 23(1)	यदि ऐसी हानि या क्षति घर खपत के लिए निकासी से पूर्व किसी समय पर होती है तो खो गये (चोरी को छोड़कर) या नष्ट किये गये आयातित माल पर शुल्क रियायत
धारा 23(2)	यदि आयातक माल को छोड़ने का निर्णय करता है, वह किसी शुल्क को अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
धारा 23(2) परंतुक	माल के अधिकार का त्याग अनुमत नहीं होगा यदि अपराध सीमा शुल्क अधिनियम या किसी अन्य कानून के अंतर्गत ऐसे माल के संबंध में किया गया प्रतीत होता है।
धारा 24	कोई आयातक माल के विकृत करने या कांट-छांट के लिए सीमाशुल्क अधिकारी को अनुरोध कर सकता है, जिसे एक से अधिक उद्देश्य के लिए सामान्यतः उपयोग किया गया है ताकि उन्हें एक या अधिक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया जा सके।
धारा 25(1)	केंद्रीय सरकार शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचनाएं जारी करने के लिए सशक्त है। ऐसी छूट शर्तहीन या सशर्त हो सकती है। ऐसी शर्तें निकासी से पूर्व या बाद में पूरी की जानी अपेक्षित हो सकती हैं। सरकार विशेष परिस्थितियों में एक विशिष्ट आदेश द्वारा छूट भी प्रदान कर सकता है। छूट अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जानी चाहिए।
धारा 25(2)	सरकार विशेष परिस्थितियों में विशिष्ट आदेश को जारी करके सीमाशुल्क शुल्क से तदर्थ छूट जारी करने के लिए सशक्त है। आदेश तदर्थ छूट प्रदान करने के लिए विशेष परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करती है।

Section 21	Derelict, Jetsam, Flotsam, Wreck brought or coming into India will be dealt with as if they are imported into India. Duty will be levied unless they are otherwise entitled to be admitted as duty-free.
Section 22	Abatement of duty if goods are damaged or deteriorated in any of the following cases: (a) damaged before or during the unloading in India (b) damaged by accident after unloading but before examination of goods for assessment by Customs Officer provided that the accident is not due to willful act, negligence or default of the importer, his employee or agent (c) damaged by accident in warehouse before clearance of goods-provided that the accident is not due to willful act, negligence or default of importer, his employee or agent.
Section 23(1)	Remission of duty on imported goods lost (other than pilferage) or destroyed, if such loss or destruction is at any time before clearance for home consumption.
Section 23(2)	If the importer decides to relinquish the goods, he shall not be liable to pay any duty.
Section 23(2) proviso	Relinquishment of title of goods will not be permissible if offence appears to have been committed in respect of such goods under Customs Act or any other law.
Section 24	An importer can request Customs Officer to denature or mutilate the goods, which are ordinarily used for more than one purpose so as to render them unfit for one or more of such purposes. If goods are denatured or mutilated, these will be assessed as if the goods were imported in denatured or mutilated form.
Section 25(1)	Central Government empowered to issue notifications granting exemptions from duty. Such exemption may be unconditional or subject to conditions. Such conditions may be required to be fulfilled before or after clearance. Government can also grant exemption by a special order in exceptional circumstances. The exemption notification should be published in gazette.
Section 25(2)	Government empowered to issue <i>ad hoc</i> exemption from customs duty by issue of a special order in exceptional circumstances. The order should specify the exceptional circumstances for granting <i>ad hoc</i> exemption.

धारा 25(2ए)	छूट अधिसूचना या छूट आदेश क्षेत्र या उपयुक्तता को स्पष्ट करने के उद्देश्य के लिए, केंद्रीय सरकार ऐसी अधिसूचना या आदेश की एक वर्ष के अंदर छूट अधिसूचना या आदेश की एक व्याख्या जोड़ सकती है। किसी छूट अधिसूचना या आदेश की ऐसी छूट पर छूट अधिसूचना या आदेश की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव होंगे।
धारा 25(3) धारा 25(6) धारा 26 26(ए)	उद्ग्राह्य सांविधिक शुल्क लिये जाने के स्वरूप या ढंग में दर्शाई गई दर पर शुल्क से प्रदान की गई छूट से आंशिक छूट प्रदान की जा सकती है। हालांकि, किसी छूट अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क सांविधिक शुल्क से अधिक नहीं हो सकता। सीमाशुल्क देय नहीं है, यदि शुल्क राशि रु 100 के समान या कम है। निर्यातशुल्क वापसी योग्य है, यदि (क) वापस किया गया माल व्यक्ति को 'पुनः बेचा' नहीं जाता है (ख) माल एक वर्ष के अंदर पुनः आयात किया गया है और (ग) प्रतिदाय दावा पुनःआयात हेतु सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा निकासी की तिथि से छः महीनों के अंदर नहीं किया गया है। (1) जहां किसी माल को आयात करने पर ऐसे आयातित माल को आसानी से पहचाना जाता है, घर खपत के लिए ऐसे माल की निकासी पर कोई शुल्क चुका दिया गया है, ऐसा शुल्क चूकाने वाले या प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा, यदि -- (क) माल का खराब पाया जाना या माल के आयातक और आपूर्तिकर्ता के बीच सहमत विनिर्देशों के साथ अनुपालन न किया जाना: विनिर्देशों के साथ कमी या अनुपालन को ढुंढने के लिए ऐसे प्रयोग की अनिवार्यता को छोड़कर इसके बावजूद आयात के बाद प्राप्त, मरम्मत या प्रयुक्त न हुए माल; (ख) आयात किये गये माल के रूप में सहायक आयुक्त सीमाशुल्क या उप आयुक्त सीमाशुल्क की संतुष्टि के लिए माल की पहचान की जाती है; (ग) आयातक इस अधिनियम के अन्य प्रावधान के अंतर्गत वापसी का दावा नहीं करता; और (घ) (i) माल का निर्यात किया जाता है; या (ii) आयातक माल के अपने अधिकार को छोड़ देता है और उन्हें सीमा शुल्क से रोकता है; या (iii) ऐसा माल उचित अधिकारी की उपस्थिति में वाणिज्यिक मूल्यहीनता को समाप्त या प्रस्तुत कर देता है, जिस रूप में और धारा 47 के अंतर्गत घर खपत हेतु आयातित माल की निकासी के लिए उचित अधिकारी एक आदेश तैयार करते हैं जिसकी तिथि

Section 25(2A)	Central Government, for the purpose of clarifying the scope or applicability of exemption notification or exemption order, may insert an explanation to the exemption notification or order within one year of such notification or order. Such explanation to an exemption Notification or order will have retrospective effect from date of exemption notification or order.
Section 25(3)	Partial exemption can be granted by providing exemption from duty at a rate expressed in form or method different from which statutory duty is leviable. However, the duty prescribed by an exemption notification can never exceed the Statutory Duty.
Section 25(6)	Customs duty is not payable if amount of duty is equal to or less than Rs.100.
Section 26	Export duty is refundable if (a) the goods returned are not 're-sale' to the person (b) Goods are re-imported within one year and (c) refund claim is lodged within six months from date of clearance by customs officer for re-importation.
26(A)	(1) Where on the importation of any goods capable of being easily identified as such imported goods, any duty has been paid on clearance of such goods for home consumption, such duty shall be refunded to the person by whom or on whose behalf it was paid, if -- (a) the goods are found to be defective or otherwise not in conformity with the specifications agreed upon between the importer and the supplier of goods: Provided that the goods have not been worked, repaired or used after importation except where such use was indispensable to discover the defects or non-conformity with the specifications; (b) the goods are identified to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the goods which were imported; (c) the importer does not claim drawback under any other provision of this Act; and (d) (i) the goods are exported; or (ii) the importer relinquishes his title to the goods and abandons them to customs; or (iii) such goods are destroyed or rendered commercially valueless in the presence of the proper officer, In such manner as may be prescribed and within a period not

	से 30 दिनों से कम अवधि में विनिर्दिष्ट किया गया हो : इसके बावजूद उचित कारण दर्शाये जाने पर तीस दिनों की अवधि को सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा तीन महीनों की अवधि से कम तक बढ़ाया जा सकता है: इसके अतिरिक्त जहां अपराध इस अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत किया गया प्रतीत होता है, माल के संबंध में इस धारा में कुछ नहीं दिया गया है। (2) शुल्क के प्रतिदाय हेतु आवेदन एक फॉर्म में और जिस ढंग से वह विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रासंगिक तिथि से छः महीने समाप्त होने से पूर्व किया जाएगा। (3) उप-धारा के अंतर्गत कोई प्रतिदाय (1) नष्ट होने वाले माल और उनके शेल्फ जीवन से आगे बढ़ चुके माल या उनकी अनुशंसित भंडारण-पूर्व-प्रयोग-अवधि के संबंध में स्वीकार्य नहीं होगा। (4) आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रतिदाय के अधीन किसी अन्य स्थिति को संस्वीकृत कर सकता है।
धारा 27(1)	किसी शुल्क और ब्याज के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति, यदि कोई है तो, ऐसे शुल्क पर अदा किया गया, एसी/डीसी 'प्रासंगिक तिथि' के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना। एक वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी यदि शुल्क या ब्याज विरोध के अंतर्गत अदा किया गया था।
धारा 27(2)	अनुचित संपन्नता का सिद्धांत-प्रतिदाय, मंजूरी के बाद उपयोक्ता कल्याण निधि में क्रेडिट किया जाता है।
धारा 27(2) परंतुक	प्रतिदाय केवल विनिर्दिष्ट मामलों का निर्धारण करने के लिए अदा किया जाएगा।
धारा 27(3)	धारा 27(2) का किसी निर्णय या नियम के ऊपर अधिभावी प्रभाव डालती है।
धारा 27 (3) व्याख्या	प्रतिदाय दावा फाइल करने के लिए एक वर्ष की अवधि की गणना के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तिथि।
धारा 27ए	अधिसूचित (वर्तमान में, 12-09-2003 से प्रभावी 6%) दर पर आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन महीनों के अंदर अदा न किये गये विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज। व्याख्या के अनुसार, आयुक्त(अपील) न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रतिदाय हेतु आदेश भी पास किये गये आदेश के रूप ही माना जाएगा।
धारा 28 (1)	यदि यह पाया जाता है कि शुल्क को उद्ग्रहित नहीं किया जाता या कम-

	exceeding thirty days from the date on which the proper officer makes an order for the clearance of imported goods for home consumption under Section 47: Provided that the period of thirty days may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner of Customs for a period not exceeding three months : Provided further that nothing contained in this Section shall apply to the goods regarding which an offence appear to have been committed under this Act or any other law for the time being in force. (2) An application for refund of duty shall be made before the expiry of six months from the relevant date in such form and in such manner as may be prescribed. (3) No refund under sub-Section (1) shall be allowed in respect of perishable goods and goods which have exceeded their shelf life or their recommended storage-before-use period. (4) The Board may, by notification in the Official Gazette, specify any other condition subject to which the refund under sub-Section (1) may be allowed.
Section 27(1)	Person claiming refund of any duty and interest, if any, paid on such duty, to make application within one year of 'relevant date' to AC/DC. The limitation of one year shall not apply if duty or interest was paid under protest.
Section 27(2)	Doctrine of unjust enrichment – Refund, after sanction, to be credited to Consumer Welfare Fund.
Section 27(2) proviso	Refund will be paid to assessee only in specified cases.
Section 27(3)	Section 27 (2) to have overriding effect over any judgment or rule.
Section 27 (3) Explanation	Relevant date for purpose calculation of period of one year for filing refund claim.
Section 27A	Interest on delayed refund if not paid within three months from date of receipt of application at rate notified (Presently, 6% w.e.f. 12-09-2003). As per explanation, order for refund by Commissioner (Appeals), Tribunal or Court, refund is also deemed to be an order passed.
Section 28 (1)	If it is found that duty is not levied or short-levied or erroneously

	उद्ग्रहित किया गया या गलती से प्रतिदायित किया गया है, सीमाशुल्क अधिकारी शुल्क और ब्याज की मांग हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। वित्त अधिनियम 2011 के अनुसार, सभी मामलों में नोटिस प्रासंगिक तिथि से एक वर्ष के अंदर जारी किये जाने आवश्यक हैं। यह अवधि मिलीभगत, जानबुझकर गलत विवरण और तथ्यों को छुपाने या आयातक निर्यातक, एजेंट या आयातक/निर्यातक के कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी, कम उद्ग्रहण या उद्ग्रहण या प्रतिदाय न करने के मामले में पांच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, इस अवधि की गणना के समय, यदि न्यायालय ने नोटिस जारी करने के प्रति एक स्टे प्रदान किया हो, तो वह अवधि नहीं मानी जाएगी।
धारा 28 (1) उपबंध	शुल्क अदायगी से बचने की ईच्छा से धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबुझकर गलत विवरण और तथ्यों को छुपाने या सीमाशुल्क अधिनियम या नियमों के किसी प्रावधान से उल्लंघन शुल्क की मांग को 5 वर्षों के अंदर बढ़ाया जा सकता है।
धारा 28 (1ए)	जहां धोखाधड़ी, मिलीभगत या जान बुझकर गलत-विवरण देने या छुपाने पर शुल्क का कम भुगतान या भुगतान न करने के लिए उपबंध के अंतर्गत निर्धारिती पर नोटिस निकाला गया है, वह व्यक्ति जिस पर नोटिस निकाला गया है वह उसे 30 दिनों के अंदर पूर्णतः या आंशिक रूप से अदा कर सकता है। इसके साथ-साथ, उसे सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ए के अंतर्गत देय ब्याज और नोटिस में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क के 25% के समान या उसके द्वारा स्वीकृत शुल्क का 25% जर्माना अदा करना चाहिए। ऐसे मामलों में, वे व्यक्ति जिन्हें नोटिस भेज दिये गये हैं वे भी सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28(2) के उपबंध के अनुसार संपन्न माने जाएंगे।
धारा 28 (2)	जिस व्यक्ति पर नोटिस जारी किया गया है, उसके प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने के बाद, उचित अधिकारी देय शुल्क का निर्धारण करेगा और उस व्यक्ति को वह निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।
धारा 28 (2बी)	यदि निर्धारिती अपने आप देय शुल्क अदा करता है, अधिकारी कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगा। हालांकि, यदि अधिकारी का यह विचार है कि राशि के संबंध में भुगतान कम है, वह शेष राशि के भुगतान के लिए नोटिस जारी कर सकता है। ऐसे मामले में, कारण बताओ नोटिस के जारी करने की समय सीमा भुगतान की सूचना की प्राप्ति से मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रावधान लागू नहीं होता यदि कम-भुगतान या भुगतान न करना या गलत प्रतिदाय मिलीभगत, जान बुझकर गलत विवरण या तथ्यों को छुपाने के कारण था।

	refunded, Customs Officer can raise a show cause notice for demanding the duty and interest. In terms of Finance Act 2011, the notice must be issued within one year from relevant date in all cases. This period can be extended to five years in case the short levy or non levy or refund was due to collusion, willful mis-statement, and suppression of facts or fraud by importer, exporter, agent or employee of importer/exporter. While counting this period, if court had granted a stay against issue of notice, that period will not be considered.
Section 28 (1) Proviso	In case of fraud, collusion, wilful mis-statement and suppression of facts or contravention of any provision of Customs Act or rules with intent to evade payment of duty, demand for duty can be raised within in 5 years.
Section 28 (1A)	Where notice has been served on assessee under proviso for short payment or non-payment of duty on account of fraud, collusion or willful misstatement or suppression, the person to whom notice is served can pay full duty or in part as accepted to him within 30 days. In addition, he should pay interest payable under Section 28AA of Customs Act and penalty equal to 25% of customs duty specified in notice or 25% of duty as acceptable to him. In such cases, other persons to whom notices have been sent shall be deemed to be concluded, as per proviso to Section 28(2) of Customs Act.
Section 28 (2)	After considering representation of the person on whom notice is served, the proper officer will determine the duty payable and then the person shall pay the duty so determined.
Section 28 (2B)	If assessee pays duty due on his own, the officer shall not issue any show cause notice. However, if the officer is of the opinion that there is short payment in respect of the amount, he can issue notice for payment of balance amount. In such case, the time limit for issue of show cause notice will be counted from the receipt of information of payment. Further, the provision does not apply if the short payment or non-payment or erroneous refund was due to collusion, willful mis-statement or suppression of facts.

धारा 28 (3)	‘प्रासंगिक तिथि’ (सीमाशुल्क और ब्याज की मांग के लिए) है- (क) यदि शुल्क या ब्याज उद्ग्रहित नहीं किया गया है, तो आदेश या माल निकासी की तिथि (ख) यदि शुल्क स्थायी रूप से निर्धारित किया गया है, तो अंतिम निर्धारण के बाद जो रखी गई तिथि (ग) यदि शुल्क या ब्याज का गलती से प्रतिदाय किया गया था- प्रतिदाय की तिथि (घ) यदि शुल्क अदा किया गया या ब्याज उद्ग्रहित किया गया- तो शुल्क या ब्याज के भुगतान की तिथि।
धारा 28 (ए)	छूट यदि पश्च सामान्य पद्धति के अनुसार शुल्क अदा नहीं किया- यदि (क) उद्ग्रहण की सामान्यतः प्रचलित पद्धति या किसी शुल्क योग्य माल का उद्ग्रहण नहीं किया है और (ख) ऐसा माल वास्तव में अधिकारिक बजट में अधिसूचना द्वारा उच्चतर दरों पर शुल्क के अधीन था; केंद्रीय सरकार ऐसे अधिक देय शुल्क के लिए निदेश दे सकती है जिसे अदा किया जाना आवश्यक है।
धारा 28 (एए)	(1) किसी न्यायालय, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी प्राधिकारी के या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी निर्णय, आज्ञा, आदेश या निदेश या इसके अंतर्गत बनाये गये नियम में दिये जाने के बावजूद, वह व्यक्ति जो धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी है, वह ऐसे के साथ-साथ उपधारा (2) के अंतर्गत निर्धारित दर पर ब्याज, यदि कोई है तो, को अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, हालांकि शुल्क को उस धारा के अंतर्गत शुल्क को स्वेच्छापूर्वक या निर्धारण के बाद तय किया जाना चाहिए। (2) ऐसे दर पर ब्याज दस प्रतिशत से कम और छत्तीस प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, को धारा 28 के अनुसार शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाएगा और ऐसे ब्याज की गणना आगामी महीना जिसमें शुल्क अदा किया जाना चाहिए के महीने की प्रथम तिथि से या ऐसे गलत प्रतिदाय की तिथि से जैसा भी मामला हो, ऐसा शुल्क अदायगी तिथि तक अदा किया जाना चाहिए। से की जाएगी। (3) उप-धारा (1) में दिये जाने के बावजूद कोई ब्याज देय नहीं होगा जहां:- (क) धारा 151ए के अंतर्गत बोर्ड द्वारा किसी आदेश, अनुदेश या निर्देश के जारी करने के परिणामस्वरूप शुल्क देय हो जाता है; और (ख) ऐसी राशि किसी अनुवर्ती स्तर पर उक्त भुगतान के प्रति अपील के किसी अधिकार को बनाये रखे बिना, ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश जारी करने की तिथि से पैंतालीस दिनों के अंदर, शुल्क की ऐसी राशि स्वेच्छा से पूर्णतः अदा की जाती है।

Section 28 (3)	'Relevant date' (for demand of customs duty and interest) is – (a) if duty or interest was not levied, date of order or clearance of goods (b) if the duty was provisionally assessed, then date when it was adjusted after final assessment (c) if duty or interest was erroneously refunded- date of refund (d) if duty was paid or interest levied- date of payment of duty or interest.
Section 28 (A)	Exemption if duty not paid as per past general practice – If (a) there was a generally prevalent practice of levy or non-levy of any excisable goods and (b) such goods were actually liable for duty at higher rates; Central Government may, by notification in Official Gazette, direct that such excess duty payable, need not be paid.
Section 28 (AA)	(1) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree, order or direction of any court, Appellate Tribunal or any authority or in any other provision of this Act or the rules made there under, the person, who is liable to pay duty in accordance with the provisions of Section 28, shall, in addition to such duty, be liable to pay interest, if any, at the rate fixed under sub-Section (2), whether the duty ought to have been made voluntarily or after determination of the duty under that Section. (2) Interest at such rate not below ten per cent and not exceeding thirty-six per cent per annum, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, fix, shall be paid by the person liable to pay duty in terms of Section 28 and such interest shall be calculated from the first day of the month succeeding the month in which the duty ought to have been paid or from the date of such erroneous refund, as the case may be, up to the date of payment of such duty. (3) Notwithstanding anything contained in sub-Section (1), no interest shall be payable where:- (a) the duty becomes payable consequent to the issue of an order, instruction or direction by the Board under Section 151A; and (b) Such amount of duty is voluntarily paid in full, within forty-five days from the date of issue of such order, instruction or direction, without reserving any right to appeal against the said payment at any subsequent stage of such payment.

धारा 28 एएए	किसी व्यक्ति या उसके एजेंट या कर्मचारी द्वारा इस अधिनियम या विदेश व्यापार (विकास और नियम) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के उद्देश्यों के लिए यदि किसी व्यक्ति को जारी गया कोई उपकरण उस द्वारा साधनों से प्राप्त किया गया हो:- (क) मिली भगत; या (ख) जान बुझकर गलत विवरण; या (ग) तथ्यों को छुपाकर, किसी व्यक्ति या उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति जिसको वह जारी किया गया है, के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधान या इसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं या बनाये गये नियमों के अंतर्गत ऐसे उपकरण का उपयोग किया जाता है, उपकरण के ऐसे उपयोग से संबंधित शुल्क कभी छूट न दिया गया था डेबिट न किया गया माना जाएगा और ऐसा शुल्क उस व्यक्ति से, जिसे उक्त उपकरण जारी किया गया है; से वसूला जाएगा। इस धारा के अंतर्गत शुल्क वसूली से संबंधित कार्रवाई के बावजूद उस व्यक्ति, जिसे उपकरण जारी किया गया है; के प्रति धारा 28 के अंतर्गत आयातक के प्रति कार्रवाई पूर्वाग्रह के बिना होगी।
धारा 28 बी(1)	प्रत्येक व्यक्ति को, जो कस्टम शुल्क के रूप में खरीदार से कोई राशि संग्रहित कर चुका है; केंद्रीय सरकार के क्रेडिट से तुरंत राशि का भुगतान अवश्य करना चाहिए।
धारा 28 बीए (1)	कारण बताओं नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस की संपत्ति से अस्थायी संलग्न सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28एएए या 28बी के अंतर्गत दिया जाता है, यदि सीमाशुल्क अधिकारी का यह विचार है कि ऐसा करना राजस्वहितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
धारा 28 सी	सीमाशुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति निर्धारण, बिक्री बीजक और ऐसे ही अन्य दस्तावेजों के संबंध में सभी दस्तावेजों में वह कीमत जिस पर ऐसा माल बेचा गया है, के शुल्क की राशि को मुख्य रूप से दर्शाएगा।
धारा 28 डी	प्रत्येक व्यक्ति जो शुल्क अदा कर चुका है, माल के खरीदार के भार पर किया गया माना जाएगा।
धारा 28 ई से 28 एल	अग्रिम आदेश
धारा 29 (1)	भारत के बाहर से आने वाले और भारत में प्रवेश करने वाले जहाज केवल सीमाशुल्क पतन पर ही आने चाहिए। भारत के बाहर से आने भारत में प्रवेश करने वाले विमान सीमाशुल्क एयर पोर्ट पर ही आने चाहिए। [सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अनुमोदित वास्तविक स्थान जहां उतराई/लदान अनुमत है]।

Section 28 AAA	Where an instrument issued to a person has been obtained by him by means of :- (a) collusion; or (b) willful misstatement; or (c) suppression of facts, For the purposes of this Act or the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), by such person or his agent or employee and such instrument is utilized under the provisions of this Act or the rules made or the notifications issued there under, by a person other than the person to whom the instrument was issued, the duty relatable to such utilization of instrument shall be deemed never to have been exempted or debited and such duty shall be recovered from the person to whom the said instrument was issued. Provided that the action relating to recovery of duty under this Section against the person to whom the instrument was issued shall be without prejudice to an action against the importer under Section 28.
Section 28 B(1)	Every person who has collected any amount from buyer as duty of customs must pay the amount immediately to the credit of Central Government.
Section 28 BA (1)	Provisional attachment of property of a person to whom show cause notice has been served under Section 28 AAA or 28 B of Customs Act, if the customs officer is of the opinion that it is necessary to do so, to protect interests of revenue.
Section 28 C	Every person liable to pay duty of customs, shall prominently indicate in all the documents relating to assessment, sales invoice and other like documents, the amount of duty, which forms part of the price at which such goods are sold.
Section 28 D	Every person who had paid duty shall be deemed to have passed on the incidence to buyer of the goods.
Section 28 E to 28 L	Advance ruling.
Section 29 (1)	Vessel entering India from a place out of India must land only at Customs port. Aircraft entering India from a place outside India must land only at customs airport. [The actual place where loading/unloading is permitted is approved by Commissioner of Customs].

धारा 29 (2)	भारत में प्रवेश करने वाले जहाज या विमान दुर्घटना, मौसम की गड़बड़ी या अन्य अपरिहार्य कारणों से अन्य स्थान पर आ सकते हैं। ऐसे मामले में, उसे निकटतम पुलिस स्टेशन या सीमाशुल्क अधिकारी को सूचित करना चाहिए। मांगे जाने पर, उसे लॉग बुक दिखानी होगी और अधिकारी की आज्ञा के बिना किसी सामान को नहीं उतारेगा।
धारा 30 (1)	जहाज, विमान या वाहन के प्रभारी व्यक्ति को आयात माल सूची/आयात रिपोर्ट [आईजीएम-आयात सामान्य मालसूची]। (जहाज या विमान के मामले में, इसे आयात मालसूची कहा जाता है जबकि वाहन के मामले में इसे आयात रिपोर्ट कहा जाता है।) जहाज या विमान के मामले में आयात मालसूची जहाज या विमान के पहुँचने से पहले प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती है। आयात रिपोर्ट (वाहन के मामले में) सीमाशुल्क स्टेशन पर पहुँचने के 12 घंटों के अंदर प्रस्तुत करनी होती है। यदि रिपोर्ट/मालसूची विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई, किसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट जिम्मेदार प्रभारी या कोई व्यक्ति को 50000 तक के जुर्माने देना पड़ता है। ऐसा जुर्माना नहीं लगाया जाएगा यदि सीमाशुल्क अधिकारी संतुष्ट है कि विलंब के कोई उचित कारण थे।
धारा 31 (1)	कार्गो की उतराई सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा जहाज को 'आंतरिक प्रविष्टि' प्रदान करने के बाद ही आरंभ हो सकती है।
धारा 31 (3)	आंतरिक प्रविष्टि सामान, मेल बैग, पशु, नष्ट होने वाले सामान और खतरनाक माल की उतराई के लिए अपेक्षित नहीं है।
धारा 32	आयात मालसूची या आयात में दर्शाया गया माल ही उतारा जा सकता है। ऐसी उतराई अनुमोदित स्थानों (धारा 32) पर ही की जा सकती है।
धारा 33	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदान केवल अनुमोदित स्थानों पर ही होगी।
धारा 34	कार्गो की उतराई सीमाशुल्क अधिकारी की देख-रेख के अधीन होगी।
धारा 35	आयातित माल बोट-नोट के बिना पानी के रास्ते नहीं ले जाया जाएगा। लदान के साथ लाया गया निर्यात माल बोट-नोट के बिना पानी के रास्ते नहीं ले जाया जाएगा।

Section 29 (2)	A vessel or an aircraft entering India can land at other place only if compelled by accident, stress of weather or other unavoidable cause. In such case, he should report to nearest police station or Customs Officer. He shall, on demand, produce log book and shall not unload any goods without permission of officer.
Section 30 (1)	Person-in-charge of vessel, aircraft or vehicle has to submit Import Manifest/Import Report [also termed as IGM – Import General Manifest]. (In case of a vessel or aircraft, it is called import manifest, while in case of vehicle, it is called import report.) The import manifest in case of vessel or aircraft is required to be submitted prior to arrival of a vessel or aircraft. Import report (in case of vehicle) has to be submitted within 12 hours of arrival at the customs station. If the report/manifest could not be submitted within prescribed time, person-in-charge or any person specified as responsible by a notification is liable to penalty upto ` 50,000. Such penalty will not be imposed if the customs officer is satisfied that there was sufficient reasons for delay.
Section 31 (1)	Unloading of cargo can start only after Customs Officer grant 'Entry Inwards' to a vessel.
Section 31 (3)	Entry inward is not required for unloading of baggage, mail bags, animals, perishable goods and hazardous goods.
Section 32	Only those goods mentioned in the import manifest or import can be unloaded. Such unloading can be only at approved places (Section 32).
Section 33	Unloading of imported goods and loading of export goods shall be at approved places only.
Section 34	Unloading of cargo to be under supervision of Customs officer.
Section 35	Imported goods shall not be water-borne without a boat note. Export goods which are not accompanied by a shipping bill shall not be water-borne without a boat-note.

धारा 36	रविवार या अन्य छुट्टियों और कार्य-घंटों के बाद उतराई या लदान केवल नोटिस देने और निर्धारित फीस अदा करने के बाद ही की जा सकती है। सामान और मेल बैग्स की उतराई और लदान के लिए कोई फीस अदा नहीं की जाएगी।
धारा 39	निर्यात माल की लदान केवल 'आंतरिक प्रविष्टि' प्रदान करने के बाद ही आरंभ की जा सकती है। सामान और मेल बैग्स की लदान के लिए ऐसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है।
धारा 40	वाहन के प्रभारी व्यक्ति से निर्यातक को दिये गये बिल सीमाशुल्क अधिकारी से पास होने के बाद ही निर्यात माल की लदान की जा सकती है। सामान और मेल बैग्स के मामले में, लदान बिल आवश्यक नहीं है, परंतु सीमाशुल्क अधिकारी की अनुमति अपेक्षित है।
धारा 41	निर्धारित फार्म में निर्यात माल सूची/निर्यात रिपोर्ट प्रस्थान से पूर्व प्रस्तुत किये जाने चाहिए। [रिपोर्ट को सामान्यतः निर्यात सामान्य मालसूची-ईजीएम कहा जाता है]। ऐसी मालसूची/निर्पोट आज्ञा के साथ संशोधित या पूरे किये जा सकते हैं, यदि उसमें कोई धोखाधड़ी की ईच्छा नहीं थी। ऐसी रिपोर्ट प्रभारी व्यक्ति द्वारा निर्यात माल सूची हस्ताक्षरित होने के बाद सही रूप से दर्शाई जानी चाहिए। यह रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है यदि वाहन में केवल मालिक का माल ले जा रहा है।
धारा 42(1)	वाहन (जहान या विमान या वाहन आदि) जो आयातित माल को लेकर आया है या निर्यातमाल को ले जाता है, वह तब तक सीमाशुल्क स्टेशन नहीं छोड़ सकता जब तक कि सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा लिखित आदेश नहीं दिया जाता।
धारा 42(2)	ऐसे आदेश धारा 42(1) के अंतर्गत नहीं दिये जाएंगे जब तक कि (क) निर्यात मालसूची प्रस्तुत नहीं की जाती (ख) लदान बिल या निर्यात के बिल, पोतांतरण बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये जाते (ग) उपयुक्त स्टोरों पर शुल्क अदा किया जाता है या उक्त का भुगतान प्रतिभूत किया जाता है (घ) कोई जूमाने उद्ग्राह्य नहीं हैं (ङ) निर्यात शुल्क अदा किया जाएगा, यदि लागू है तो।
धारा 45	माल की उतराई के बाद, इसकी निकासी तक यह माल सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रहता है। ऐसा प्राधिकारी ऐसे माल का उचित रिकॉर्ड रखेगा और सीमाशुल्क अधिकारी से लिखित आज्ञा प्राप्त किए बिना सीमाशुल्क क्षेत्र से माल को हटाने की अनुमति नहीं देगा (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने

Section 36	Unloading or loading on Sundays or other holidays and after working hours can be done only after giving notice and paying prescribed fees. No fees are required to be paid for loading and unloading of baggage and mail bags.
Section 39	Loading of export goods can start only after 'entry outward' is granted. Such permission is not necessary for loading of baggage and mail bags.
Section 40	Export goods can be loaded only after Shipping Bill or Bill of Export, duly passed by Customs officer is handed over by Exporter to person-in-charge of conveyance. In case of baggage and mail bags, shipping bill is not necessary, but permission of Customs Officer is required.
Section 41	An Export Manifest /Export Report in prescribed form should be submitted before departure. [The report is popularly called as 'Export General Manifest' – EGM]. Such manifest/report can be amended or supplemented with permission. if there was no fraudulent intention. Such report should be declared as true by the person-in-charge signing the export manifest. This report is not required if the conveyance is carrying only luggage of occupants.
Section 42(1)	The conveyance (vessel or aircraft or vehicle etc.) which has brought imported goods or which carry export goods can not leave that customs station unless a written order is given by Customs officer.
Section 42(2)	Such order under Section 42 (1) shall not be given unless (a) export manifest is submitted (b) shipping bills or bills of export, bills of tran-shipment etc. are submitted (c) duties on stores consumed are paid or payment of the same is secured (d) no penalties is leviable (e) export duty, if applicable, is paid.
Section 45	Goods after these are unloaded; remain in custody of authority approved by Commissioner of Customs till goods are cleared. Such authority shall keep proper record of such goods and shall not allow removal of the goods from customs area without written permission from Customs Officer (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 44).

	वाले माल पर लागू नहीं होता-धारा 44 देखें।
धारा 46(1)	माल का प्रत्येक निर्यातक निर्धारित फार्म में घर खपत या भंडारण के लिए प्रविष्टि बिल सीमाशुल्क अधिकारी को इलेक्ट्रानिकली प्रस्तुत करके 'प्रविष्टि' करेगा। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 46 (1) परंतुक	यदि आयातक आयातित माल के सभी विवरण उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, वह धारा 57 के अंतर्गत किसी सार्वजनिक वेयर हाऊस में माल को जमा करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। प्रविष्टि बिल परेषक से संवाहक द्वारा दिये गये लदान बिल या अन्य प्राप्तियों में बताये गये सारे माल सहित हो सकते हैं। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 46(2)	प्रविष्टि बिल परेषक से संवाहक द्वारा दिये गये लदान बिल या अन्य प्राप्तियों में बताये गये सारे माल सहित हो सकते हैं। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 46(3)	वाहन प्रभारी व्यक्ति से आयात मालसूची या आयात रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रविष्टि प्रस्तुत किये जा सकते हैं। हालांकि, विमान या जहाज के मामले में, इसे जहाज या विमान के पहुँचने की संभावित तिथि से पहले 30 दिनों तक प्रस्तुत किया जा सकता है प्रविष्टि बिल परेषक से संवाहक द्वारा दिये गये लदान बिल या अन्य प्राप्तियों में बताये गये सारे माल सहित हो सकते हैं। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 46(4)	आयातक को यह उदघोषणा करनी होती है कि प्रविष्टि बिल के विवरण सही हैं। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 47	माल की जांच करने के बाद, यह सत्यापित किया जाता है कि आयात निषिद्ध नहीं है और सीमाशुल्क अदा करने के बाद 'सीमाशुल्क प्रभार बाहर' जारी करेगा। माल केवल ऐसे आदेश की प्राप्ति पर सीमाशुल्क क्षेत्र से निकास किया जा सकता है। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 48	माल उतराई के बाद उसका 30 दिनों के अंदर निकास किया जाना आवश्यक है। सीमाशुल्क अधिकारी अवधि बढ़ा सकता है। अन्यथा, आयातक को नोटिस भेजने के बाद माल को बेचा जा सकता है। पशु नष्ट हो जाने

Section 46(1)	Every importer of goods shall make 'entry' by presenting electronically to the customs officer a Bill of Entry for home consumption or warehousing in prescribed form (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 44).
Section 46 (1) proviso	If importer is not in a position to furnish all particulars of imported goods, he can apply for permission to deposit goods in a public warehouse under Section 57 (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post-see - Section 44).
Section 46(2)	Bill of Entry can be including all goods mentioned in Bill of Lading or other receipts given by carrier to consignor (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 44).
Section 46(3)	Bill of Entry can be submitted after the person in charge of conveyance has submitted import manifest or import report. However, in case of aircraft or vessel, it can be submitted up to 30 days prior to expected date of arrival of ship or aircraft (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 44).
Section 46(4)	Importer has to declare that contents of Bill of Entry are true (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 44).
Section 47	After goods are examined, it is verified that import is not prohibited and after customs duty is paid, Customs Officer will issue 'Out of Customs Charge' order. Goods can be cleared from customs area only on receipt of such order (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 44).
Section 48	Goods must be cleared within 30 days after unloading. Customs Officer can grant extension. Otherwise, goods can be sold after giving notice to importer. Animals, perishable goods and hazardous goods can be sold any time – even before 30 days. Arms &

	वाला माल और खतरनाक माल 30 दिनों से पूर्व ही किसी समय बेचा जा सकता है। हथियार और गोला बारूद केवल केंद्रीय सरकार की अनुमति से बेचा जा सकता है। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 49	आयातित माल भंडारगृह, लंबित निकासी के बिना सार्वजनिक या निजी भंडार गृह में स्टोर किया जा सकता है। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 50 (1)	प्रत्येक निर्यातक 'प्रविष्टि' करने के लिए लदान बिल (यदि माल का जहाज या विमान से निर्यात किया जाना है) या निर्यात बिल (यदि माल भूमि से निर्यात किया जाना है) को इलेक्ट्रॉनिकली प्रस्तुत करेगा। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 51	सीमाशुल्क अधिकारी विषय-सूची का सत्यापन करेगा और इससे संतुष्ट होने के बाद कि माल निर्यात के लिए निषिद्ध नहीं है और निर्यात शुल्क, यदि लागू है तो अदा किया जाता है, को निकासी ('लैट शिव' या 'लैट निर्यात' आदेश देकर) के लिए अनुमति दी जाएगी। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 53	किसी वाहन में आयात किया गया कोई माल को वाहन पर ही रहने देने के लिए और भारत के बाहर किसी स्थान या अन्य सीमाशुल्क स्टेशन को सीमाशुल्क अदायगी के बिना पारगमन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इसे सारे माल को वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा पुस्तुत की गई आयात माल सूची या आयात रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा। ऐसे माल को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत 'निषिद्ध माल' नहीं होना चाहिए। (संवाहक वाहन, जहाज या विमान हो सकता है) पारगमन के बाद, माल शुल्क अदायगी के बिना अन्य सीमाशुल्क स्टेशन को जा सकता है। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 44 देखें)।
धारा 54(1)	पोतांतरित किये जाना वाला माल आयात माल सूची या आयात रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और 'पोतांतरण का बिल' सीमाशुल्क अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के बीच अंतर्राष्ट्रीय संधिया द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत माल पोतांतरित के मामले में पोतांतरण की उदघोषणा पोतांतरण के बिल के

	ammunition can be sold only with permission of Central Government (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 44).
Section 49	Imported goods can be stored in public or private warehouse without warehousing, pending clearance (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 44).
Section 50 (1)	Every exporter to make 'entry' by presenting electronically the shipping bill (if goods are to be exported in a vessel or aircraft) or bill of export (in case of goods to be exported by land) (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 44).
Section 51	Customs Officer will verify the contents and after he is satisfied that goods are not prohibited for exports and that export duty, if applicable is paid, will permit clearance (by giving 'let ship' or 'let export' order) (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 44).
Section 53	Any goods imported in any conveyance will be allowed to remain on the conveyance and to be transited without payment of Customs duty, to any place out of India or any customs station. However, all these goods must be mentioned in import manifest or import report submitted by person in charge of conveyance. Such goods should not be 'prohibited goods' under Section 11 of Customs Act. [The conveyance may be vehicle, ship or aircraft]. After transit, the goods may go to another customs station without payment of duty (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 52).
Section 54(1)	Goods to be transhipped must be specified in Import Manifest or Import report and a 'Bill of Transhipment' should be submitted to Customs Officer. In case of goods being transhipped under an international treaty or bilateral agreement between Government of India and Government of a foreign country, a Declaration of Transhipment shall be submitted instead of Bill of Transhipment

	स्थान पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 52 देखें)।
धारा 55	सीमाशुल्क स्टेशन पर पहुँचने पर, पारगमित माल या पोतांतरित माल सीमाशुल्क के अधीन होगा क्योंकि भारत में पहली बार आयात किया गया है। (यह प्रावधान बैगेज और पोस्ट द्वारा आयातित माल/निर्यात किये जाने वाले माल पर लागू नहीं होता – धारा 52 देखें)।
धारा 57	सीमाशुल्क का एसी/डीसी किसी वेयर हाऊसिंग स्टेशन पर सार्वजनिक वेयर हाऊस को निश्चित कर सकता है। जहां शुल्कयोग्य आयातित माल को जमा करवाया जा सकता है।
धारा 58(1)	किसी वेयर हाऊसिंग स्टेशन पर, सीमाशुल्क के एसी/डीसी निजी वेयर हाऊस को लाईसेंस दे सकता है जहां शुल्क योग्य आयातित माल को जमा किया जा सकता है।
धारा 59(1)	आयातक को एक बांड में लागू करना होता है जिसमें वह स्वयं को सीमित करता है कि (क) माल के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम के सभी प्रावधानों और निबंध और शर्तों का मानना (ख) मांग पर (i) शुल्क, ब्याज (ii) वेयर हाऊसिंग किराया और ब्याज सहित प्रभार की अदायगी करता (ग) सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों, निबंधन और शर्तों के उल्लंघन हेतु देय सभी जुर्मानों का भुगतान करना। बांड राशि निर्धारित शुल्क की राशि से दोगुना के समान है। सामान्यः, बांड राशि का भाग एक बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षित किया जाता है।
धारा 59(3)	माल किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने या अन्य वेयर हाऊस को देने के बाद भी बांड वैध रहेगा।
धारा 60	उचित अधिकारी वेयर हाऊसिंग बांड के लागू होने के बाद माल को वेयर हाऊस में जमा करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
धारा 61(1)(ए)	वेयर हाऊसिंग अवधि ईओयू यूनिट में उपयोग के लिए नियत पूंजीगत माल के मामले में पांच वर्ष है। [इस धारा के परंतुक के अनुसार, यह अवधि आयुक्त द्वारा कम की जा सकती है, यदि माल नष्ट होने वाला है। अवधि को बिना किसी ऊपरी सीमा के बढ़ाया जा सकता है]।
धारा 61(1)(एए)	ईओयू के मामले में सामान्य वेयर हाऊसिंग अवधि इंप्रट्स, कल पूर्जों और उपयोग्य के लिए तीन वर्ष है। [यह वेयर हाऊसिंग अवधि बिना किसी ऊपरी सीमा के आयुक्त द्वारा बढ़ाई जा सकती है]।
धारा 61(1)(बी)	वेयर हाऊसिंग अवधि (ईओयू के अतिरिक्त) किसी वेयर हाऊस में माल को

	(The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 52).
Section 55	On arrival at customs station, the transit goods or transhipped goods will be liable to customs as it is first importation in India (The provision does not apply to baggage and goods imported/to be exported by post - see Section 52).
Section 57	AC/ DC of Customs may appoint public warehouse at any warehousing station, where dutiable imported goods may be deposited.
Section 58(1)	At any warehousing station, AC/DC of Customs may license private warehouses wherein dutiable imported goods may be deposited.
Section 59(1)	Importer has to execute a bond binding himself to (a) observe all provisions of Customs Act and rules/regulations in respect of the goods (b) pay on demand the (i) duties, interest (ii) warehousing rent and charges with interest (c) pay all penalties leviable for violations of provisions of Customs Act, rules and regulations. The bond amount is equal to twice the amount of duty assessed. Generally, part of bond amount is secured by way of a bank guarantee.
Section 59(3)	Bond will continue to be valid even if goods are transferred to another person or removed to another warehouse.
Section 60	Proper officer may permit deposit of goods in warehouse after execution of warehousing bond.
Section 61(1)(a)	Warehousing period is five years in case of capital goods intended for use in EOU unit. [As per proviso to this Section, this period can be reduced by Commissioner if goods are likely to deteriorate. The period can be extended without any upper limit].
Section 61(1)(aa)	In case of EOU, the normal warehousing period is three years for inputs, spares and consumables. [This warehousing period can be extended by Commissioner without any upper limit].
Section 61(1)(b)	Warehousing period (other than EOU) is one year from the date of issue of order by Customs Officer permitting deposit of goods in a

	जमा करने की अनुमति सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा प्राप्त करने के आदेश को जारी करने की तिथि से एक वर्ष की है। [इस धारा के परंतुक के अनुसार, यह अवधि आयुक्त द्वारा कम की जा सकती है, यदि माल नष्ट होने वाला है। यह अवधि सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा किसी अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।]
धारा 61(2)(i)	ईआयू द्वारा भंडारित माल के मामले में, निकासी के समय पर देय शुल्क के आधार पर ब्याज विनिर्दिष्ट अवधि के बाद भंडारण के लिए देय होगा, सीबीईसी सारे ब्याज को या कुछ भाग को माफ कर सकती है।
धारा 61(2)(ii)	ईओयू द्वारा भंडारित माल के अतिरिक्त भंडारित माल के मामले में निकासी के समय पर देय शुल्क के आधार पर यदि माल 90 दिनों के बाद भी वेयरहाउस में रखा जाता है, तो धारा 47 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज देय है। (और निर्धारित शुल्क पर नहीं जब माल को भंडारित किया गया था)। सीबीईसी सारे ब्याज को कुछ भाग को माफ कर सकती है।
धारा 63	किराया और वेयर हाऊस प्रभार आयातक द्वारा देय हैं। यदि अदा नहीं किया जाता, वेयर हाऊस कीपर आयातक को नोटिस देने के बाद और सीमाशुल्क अधिकारी से अनुमति प्राप्त करके माल को बेच सकता है।
धारा 64	सीमाशुल्क अधिकारी की अनुमति के साथ और निर्धारित फीस की अदायगी कर सकता है (क) माल की जांच करना (ख) खराब या नष्ट हुए माल को अलग करना (ग) माल को सुरक्षित रखने, बेचने या निपटान के लिए माल को छांटना या कंटेनर बदलना (घ) बिक्री के लिए माल दिखाना (ङ) माल के नमूना लेना (च) सीमाशुल्क अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके शुल्क की अदायगी के बिना नमूना को हटाया जा सकता है (यदि को वापसी नहीं है, सीमा शुल्क देय होता है)।
धारा 65(1)	सहायक आयुक्त/अपर आयुक्त की संस्वीकृत से वेयरहाऊस में विनिर्माण और अन्य संचालन किये जा सकते हैं।
धारा 65(2)	यदि अपशिष्ट या कचरा वेयर हाऊस में विनिर्माण संचालनों के दौरान पैदा होता है, निम्न लिखित प्रावधान अपनाये जाएंगे- (क) यदि प्राप्त उत्पाद को निर्यात किया जाता है, तो ऐसे अपशिष्ट या कचरे में रखे भंडारित माल की मात्रा पर आयात शुल्क माफ कर दिया जाएगा यदि ऐसा अपशिष्ट या कचरा या तो नष्ट कर दिया जाता है या ऐसे अपशिष्ट या कचरे पर शुल्क अदा किया जाता है जैसे कि इसे अपशिष्ट या कचरे के रूप में भारत में आयात किया गया है (ख) यदि प्राप्त उत्पाद की घर खपत के लिए निकासी

	warehouse. [As per proviso to this Section, the period of one year can be reduced by Commissioner if goods are likely to deteriorate. This period can be increased by Commissioner upto 6 months and by Chief Commissioner of Customs without any limit of period].
Section 61(2)(i)	In case of goods warehoused by EOU, interest will be payable for warehousing beyond prescribed period, on the basis of duty payable at the time of clearance. CBEC can waive in whole or part of interest.
Section 61(2)(ii)	In case of warehoused goods other than by EOU, Interest at rate specified under Section 47 is payable if goods are stored in warehouse beyond 90 days, on the basis of duty payable at the time of clearance (and not duty assessed when goods were warehoused). CBEC can waive in whole or part of interest.
Section 63	Rent and warehouse charges are payable by importer. If not paid, the warehouse keeper can sell the goods after giving notice to importer and with permission of Customs Officer.
Section 64	With the permission of Customs Officer and on payment of prescribed fees, owner can deal with warehoused goods as follows (a) inspect the goods (b) separate damaged or deteriorated goods (c) sort the goods or change containers for preservation, sale, export or disposal of the goods (d) show the goods for sale (e) take samples of goods (f) The samples can be removed without payment of duty with permission of Customs Officer (if there are not brought back, customs duty is payable).
Section 65(1)	Manufacturing and other operations can be carried out in the warehouse with sanction of Assistant Commissioner/Deputy Commissioner.
Section 65(2)	If waste or refuse is generated during manufacturing operations in warehouse, the provisions are as follows - (a) If the final product is exported, import duty on quantity of warehoused goods contained in such waste or refuse will be remitted if such waste or refuse is either destroyed or duty is paid on such waste or refuse as if it had been imported into India in the form of waste or scrap (b) If final product is cleared for home consumption, import duty will be payable on quantity of warehoused goods contained in such waste or refuse.

	की जाती है तो आयात शुल्क ऐसे अपशिष्ट या कचरे में रखे गये भंडारित माल की मात्रा पर देय होगा।
धारा 67	उचित अधिकारी की अनुमति से बांड के अंतर्गत एक वेयर हाऊस से अन्य वेयर हाऊस से माल को हटाना।
धारा 68	वेयर हाऊस में स्टोर किये गये माल को घर खपत के लिए शुल्क की अदायगी पर हटाया जा सकता है।
धारा 68 प्रथम परंतुक	यदि माल को भंडारित किया गया है, तो भी भंडारित माल का मालिक घर खपत के लिए आदेश से पहले किसी समय पर अधिकार को छोड़ सकता है। वह उसे किराया, ब्याज, अन्य प्रभार और जूर्माने अदा करने अपेक्षित होंगे जिन्हें देय योग्य हो सकते हैं परंतु शुल्क देय नहीं होगा।
धारा 68 द्वितीय परंतुक	यदि सीमाशुल्क अधिनियम या अन्य किसी कानून के अंतर्गत ऐसे माल के संबंध में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है तो वेयर हाऊस में माल के अधिकार को छोड़ना अनुमत नहीं होगा।
धारा 69(1)	सीमाशुल्क भंडारित माल शुल्क भुगतान किये बिना निर्यात नहीं किये जा सकते।
धारा 69(2)	केंद्रीय सरकार निर्यात के लिए वेयर हाऊस से निकासी निषेध करने के लिए सशक्त है यदि भारत में दोबारा तस्करी किये जाने की संभावना है।
धारा 70	केंद्रीय सरकार प्राकृतिक हानि के कारण मात्रा में कमी के लिए अनुमत माल को निर्धारित कर सकती है, को सहायक आयुक्त द्वारा अनुमति दी जा सकती है। ऐसी कमी पर शुल्क को सहायक आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकता है।
धारा 72(1)	अग्रलिखित माल 'भंडार गृह आदि से अनुचित रूप से हटाया गया माल' है (क) धारा 71 के प्रावधान के उल्लंघन में हटाया गया भंडारित माल अनुचित रूप से हटाया गया माल है (ख) धारा 61 (जब तक कि अतिरिक्त समय प्राप्त न किया गया हो) में विनिर्दिष्ट भंडारण अवधि के समाप्त होने पर न हटाया गया भंडारित माल (ग) शुल्क अदायगी और उन्हें लौटाये बिना भंडार गृह से नमूने प्राप्त करना (घ) धारा 59 के अंतर्गत बांड के तहत भंडारण में डाले गये माल का सही रूप से हिसाब नहीं लगाया गया है।
धारा 72(2)	यदि माल को भंडारगृह से अनुचित रूप से हटाया गया है, ब्याज जूर्माना, किराया और अन्य प्रभारों सहित पूर्ण शुल्क की मांग की जा सकती है। यदि इन्हें अदा नहीं किया जाता, भंडारित माल सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा बेचा जा सकता है, बशर्ते कि सीमाशुल्क कानूनों के अंतर्गत अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
धारा 73	भंडारण बांड केवल तब निरस्त या वापस होगा जबकि शुल्क और अन्य

Section 67	Removal of goods from one warehouse to other warehouse under bond with the permission of the proper officer.
Section 68	Goods stored in warehouse can be removed on payment of duty for home consumption.
Section 68 first proviso	Even if goods are warehoused, the owner of warehoused goods can relinquish the title of goods any time before order for home clearance is made. He will be required to pay rent, interest, other charges and penalties that may be payable but duty will not be payable.
Section 68 second proviso	The relinquishment of title of goods in warehouse will not be permissible if offense appears to have been committed in respect of such goods under Customs Act or any other law.
Section 69(1)	Customs warehoused goods can be exported without payment of duty.
Section 69(2)	Central Government is empowered to prohibit clearance from warehouse for exports if these are likely to be smuggled back in India.
Section 70	Central Government can prescribe goods for which allowance for deficiency in quantity due to natural loss can be permitted by Assistant Commissioner. Duty on such deficiency can be remitted by Assistant Commissioner.
Section 72(1)	Following goods are 'goods improperly removed from warehouse, etc.' (a) Warehoused goods removed in contravention of provisions of Section 71 are goods improperly removed (b) Warehoused goods not removed at the expiration of warehousing period as specified in Section 61 (unless extension is obtained) (c) Taking samples from warehouse without payment of duty and returning them (d) Goods entered into warehousing under bond under Section 59 are not duly accounted for.
Section 72(2)	If goods are improperly removed from warehouse, full duty, along with interest penalty, rent and other charges can be demanded. If these are not paid, the warehoused goods can be sold by customs officer, besides other action that can be taken under customs law.
Section 73	Warehousing bond is cancelled and returned only when duty and all other dues are paid on goods cleared and goods are duly accounted

	सभी देय माल निकासी पर अदा किये गये हैं और माल का सही से हिसाब किया गया है।
धारा 74	यदि माल को ऐसे ही उसके उपयोग के बाद पुनःनिर्यात किया गया है तो वापसी करना। पुनःनिर्यातित माल को आयातित माल के रूप में माना जाना चाहिए और जब वे आयात किये गये थे तब शुल्क के भुगतान से दो वर्षों के अंदर पुनः निर्यात किया जाना चाहिए। यह अवधि (दो वर्ष की) सही कारण दर्शाये जाने के बाद सीबीईसी द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इसे सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा घोषित किया जाना और इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। निरीक्षण निर्यात और पूरे विवरण के साथ आवेदन को प्रस्तुत करने के बाद, अदा किया गया सीमाशुल्क का 98% माल के आयात के समय वापसी के रूप में पुनःअदा किया जाता है, यदि माल का उपयोग नहीं किया गया था।
धारा 74(2)	यदि आयातित माल पुनः निर्यात से पहले उपयोग किया जाता है, वापसी घटी हुई प्रतिशतता पर स्वीकृत होगी।
धारा 75(1)	वापसी भारत के बाहर किये गये किसी निर्माण, प्रक्रिया या किसी संचालन के लिए अनुमत है।
धारा 76(1) (बी)	किसी माल जिसका बाजार मूल्य उस पर देय वापसी की राशि से कम है; के संबंध में शुल्क वापसी अनुमत नहीं होगी।
धारा 76(2)	केंद्रीय सरकार वापसी निषिद्ध करने की अधिसूचनाएं जारी कर सकती है यदि भारत से निर्यात के बाद माल की वापस तस्करी की जाने की संभावना है।
धारा 77	सीमाशुल्क अधिकारी का सामान के मालिक द्वारा अपने सामान का घोषणा करना।
धारा 78	शुल्क और सामान की दर के लिए 'प्रासंगिक तिथि' वह तिथि है जिस पर सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 77 के तहत अपेक्षित सामान के संबंध में घोषणा की गई है।
धारा 79(1)	(क) किसी यात्री या कर्मिंदल के सामान की वस्तु को शुल्क मुक्त रूप से भेजा जाएगा यदि वह नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अवधि में उपयोग के लिए था और (ख) यात्री या उसके परिवार द्वारा उपयोग के लिए माल या नियमों में निर्धारित सीमाओं में वास्तविक उपहारों को शुल्क मुक्त भेजा जाएगा।
धारा 79(2)	केंद्रीय सरकार सामान की छूट प्रदान करने के लिए शर्तों के निर्धारण के लिए नियम तैयार कर सकती है।
धारा 82	पोस्ट पार्सल, लेबल/घोषणा वाले माल के मामले में जिस पर माल का विवरण, मात्रा और मूल्य को सीमाशुल्क अधिनियम के उद्देश्य के लिए

	for.
Section 74	Drawback if the goods are re-exported as such or after use. The re-exported goods should be identifiable as having been imported and should be re-exported within two years from date of payment of duty when they were imported. This period (of two years) can be extended by CBEC on sufficient cause being shown. These should be declared and inspected by Customs Officer. After inspection, export and submission of application with full details, 98% of the customs duty paid while importing the goods is repaid as drawback, if the goods were not used.
Section 74(2)	If the imported goods are used before re-export, the drawback will be allowed at a reduced percentage.
Section 75(1)	Drawback is allowable if any manufacture, process or any operation is carried out in India.
Section 76(1) (b)	Duty Drawback shall not be allowed in respect of any goods, the market-price of which is less than the amount of drawback due thereon.
Section 76(2)	Central Government can issue notifications prohibiting drawback if the goods are likely to be smuggled back to India after export.
Section 77	Owner of a baggage to make declaration of its contents to the Customs Officer.
Section 78	'Relevant date' for rate of duty and baggage is date on which declaration is made in respect of baggage as required under Section 77 of Customs Act.
Section 79(1)	(a) article in any baggage of passenger or crew will be passed free if it was in use for a period specified in rules and (b) goods for use by passenger or his family or for bona fide gifts within the limits prescribed in rules will be passed free.
Section 79(2)	Central Government can frame rules for prescribing conditions for granting exemption to baggage.
Section 82	In case of post parcels, label/declaration accompanying goods which contain description, quantity and value of the goods will be deemed to be an 'Entry' for purposes of Customs Act.

	‘प्रविष्टि’ का माना जाएगा।
धारा 83	शुल्क और मूल्यांकन की दर पोस्टल अधिकारियों द्वारा सूची प्रस्तुत करने की तिथि शुल्क की दर और किराया मूल्यांकन के लिए मानी जाएगी हालांकि, यदि ऐसी सूची जहाज के पहुँचने से पहले प्रस्तुत की जाती है, तो उस तिथि को जहाज के पहुँचने की तिथि समझी जाएगी। इसी प्रकार, लागू निर्यात, दर और टैरिफ मूल्यांकन जिस पर माल पोस्टल प्राधिकारियों को सौंपा गया है, के मामले में शुल्क मूल्यांकन और दर के लिए समझी वही तिथि मानी जाएगी।
धारा 84(ए)	यदि पोस्टल वस्तु ऐसे लेबल या घोषणा सहित नहीं है, ‘प्रविष्टि’ का रूप और स्वरूप नियमों में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट के रूप में होगा।
धारा 84(बी)	बोर्ड (सीबीईसी) आयातित या पोस्ट से निर्यात किये जाने वाले माल के शुल्क की जांच और निर्धारण हेतु प्रक्रियाओं के लिए नियम बना सकता है।
धारा 85	आयातित स्टोर शुल्क के निर्धारण बिना और जहाज/विमानों की आपूर्तिके लिए शुल्क का भुगतान किए बिना भंडार गृह में रखे जा सकते हैं।
धारा 86	स्टोर जहाज या विमान के बोर्ड पर रखे जा सकते हैं जबकि वे भारत में हैं। आयातित स्टोर अन्य शुल्क अदायगी के बिना सीशु अधिकारी की अनुमति के साथ किसी जहाज या विमान को स्थानांतरित कर सकते हैं, यदि जहाज विदेश जाने वाला जहाज है।
धारा 87	किसी जहाज या विमान के बोर्ड पर आयातित बोर्ड सीमाशुल्क की अदायगी के बिना स्टोरों के रूप में उपयोग हो सकते हैं, यदि जहाज या विमान विदेश जाने वाला जहाज या विमान है।
धारा 88	विदेश जाने वाले जहाज से ले जाये जाने वाले स्टोर शुल्क अदायगी के बिना भंडार गृह से हटाये जा सकते हैं। यदि ‘स्टोर’ शुल्क अदायगी के बिना हटाये जाने हैं तो एक ‘लदान बिल’ प्रस्तुत करना पड़ता है। भंडार गृह और अन्य जूर्माने आदि, यदि लागू हैं तो, स्टोर के हटाने से पहले देय होते हैं।
धारा 89	विनिर्मित या उत्पादित और अपेक्षित माल जैसा कि स्टोर सीशु अधिकारी की अनुमति से किसी विदेश जाने वाले जहाज पर निर्यात शुल्क की अदायगी बिना निर्यात किये जा सकते हैं, जो जहाज या विमान के आकार, यात्रा दूरी आदि के आधार पर आवश्यकताओं को निश्चित करेगा।
धारा 93	प्रेषक द्वारा सीशु अधिकारी को तटीय माल का बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल का प्रारूप निर्धारित है। इस तटीय माल बिल पास किये जाने के बाद जहाज के मालिक द्वारा लदान करवा जाएगा।
धारा 96	केवल सीमाशुल्क पोर्ट या तटीय पोर्ट पर तटीय माल की लदान और उतराई।

Section 83	The rate of duty and valuation as on date on which postal authorities submit the list to Customs Officer will be considered for rate of duty and tariff valuation. However, if such list is presented before arrival of the vessel, the date will be deemed to be date of arrival of the vessel. Similarly, in case of exports, rate and tariff valuation as applicable on the date on which goods are handed over to postal authorities will be considered for valuation and rate of duty.
Section 84(a)	If the postal article is not accompanied by such label or declaration, form and manner of 'entry' will be as specified by Board in regulations.
Section 84(b)	Board (CBEC) can make regulations for procedures for examination and assessment of duty of goods imported or to be exported by post.
Section 85	Imported stores can be kept in warehouse without assessment of duty and without payment of duty for supply to ships/aircrafts.
Section 86	Stores can remain on Board of vessel or aircraft while in India. Imported stores can be transferred to another vessel or aircraft with permission of Customs officer, without payment of duty, if the vessel is a foreign going vessel.
Section 87	Imported stores on board a vessel or aircraft can be consumed as stores without payment of customs duty, as long as the vessel or aircraft is a foreign going vessel or aircraft.
Section 88	The stores can be removed from warehouse without payment of duty to be taken back on foreign going vessel. A 'shipping bill' has to be submitted if the 'stores' are to be removed without payment of duty. Warehouse rent and other penalties etc. if applicable, are payable before removal of stores.
Section 89	Goods manufactured or produced and required as stores may be exported without payment of export duty on any foreign going vessel with permission of Customs Officer, who will determine the requirement based on size of vessel or aircraft length of journey etc.
Section 93	Consignor should submit bill of coastal goods to Customs Officer. Form of the bill has been prescribed. These will be loaded by master of vessel only after 'bill of coastal goods' is passed.
Section 96	Loading and unloading of coastal goods only at customs port or coastal port.

धारा 98ए	केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी करके तटीय माल के लाने-ले-जाने पर प्रतिबंधों से संबंधित प्रावधानों में छूट दे सकता है।
धारा 100	सीशु अधिकारी उस व्यक्ति को ढूंढ सकता है यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि तरकरी किया गया माल या दस्तावेज गुप्त रूप से व्यक्ति से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति की खोज हो सकती है (क) कोई व्यक्ति कहीं से आया है या कहीं जाने वाला है या पहुँचने वाले किसी जहाज या विदेश जाने वाले विमान या वाहन में सवार है या भारत से बाहर जा रहा है (ख) कोई व्यक्ति जो भारत में प्रवेश करने वाला है या भारत से जाने वाला है (ग) सीशु क्षेत्र में कोई व्यक्ति।
धारा 101	सीमाशुल्क आयुक्त के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा सशक्त विशेष आदेश द्वारा सशक्त एक सीमाशुल्क अधिकारी किसी व्यक्ति (भारत में किसी भी स्थान पर) की तलाशी ले सकता है, यदि उसके पास यह मानने के लिए कारण हो कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ण, हीरे स्वर्ण अथवा हीरे की घड़ियों का निर्माता है, अथवा वस्तुओं की किसी अन्य श्रेणी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जो जब्त की जा सकती है, ले जा रहा है।
धारा 102(1)	तलाशी लिये जाने वाला व्यक्ति अनुरोध कर सकता है कि भारत आने वाले किसी व्यक्ति ने अथवा तलाशी एक राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाए। यदि ऐसा कोई अनुरोध किया गया हो, तो तलाशी सीमाशुल्क राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष ही ली जानी चाहिए।
धारा 102(4)	तलाशी से पहले, दो या अधिक व्यक्ति तलाशी में उपस्थित रहने तथा गवाही के लिए बुलाए जाने चाहिए। तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जानी चाहिए एवं जब्त की गई वस्तुओं की सूची गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।
धारा 102(5)	एक महिला की तलाशी केवल एक महिला द्वारा ही ली जा सकती है।
धारा 103	यदि सीमाशुल्क अधिकारी के पास यह मानने के लिए कारण है कि भारत आने जाने वाले किसी व्यक्ति ने अथवा भारत से जाने वाले अथवा सीमाशुल्क क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने अपने शरीर के भीतर कोई वस्तु जो जब्त की जा सकती है, को छुपाया है तो वह उसे पकड़ सकता है एवं नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकता है, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि यथोचित कारण विद्यमान है, तो वह आदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर का एक्स-रे किया जाए। एक्स-रे एक योग्य रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाएगा तथा उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है। यदि रिपोर्ट यह

Section 98A	Central Government can relax the provisions regarding restrictions on movement of coastal goods, by issuing notification.
Section 100	Customs Officer can search a person if he has reason to believe that smuggled goods or documents relating thereto are secreted in his person. Such search may be of (a) any person who has landed from or is about to board or is on board of a vessel or foreign going aircraft or vehicle arrived from or going to any place out of India (b) any person who has entered or is about to leave India (c) any person in Customs area.
Section 101	An Officer of Customs empowered by general or special order of Commissioner of Customs can search any person (anywhere in India), if he has reason to believe that such person is carrying gold, diamonds, manufacturer of gold or diamonds watches, or any other class of goods as may be notified by Central Government which are liable to confiscation.
Section 102(1)	The person being searched can request that the search may be carried out before a Gazetted Officer or magistrate. If such requisition is made, search must be carried out before Gazetted Officer of customs or magistrate.
Section 102(4)	Before the search, two or more persons should be called to attend and witness the search. Search should be made in presence of them and list of things seized should be signed by the witnesses.
Section 102(5)	A female can be searched only by a female.
Section 103	If Customs Officer has reasons to believe that any person coming to India or leaving from India or any person in customs area has secreted inside his body any goods liable to confiscation, he can detain and take him to nearest magistrate. If the Magistrate is satisfied that reasonable ground exists, he can order that body of such person may be X-rayed. The X-rays will be taken by a qualified radiologist and his report may be given to Magistrate. If the report indicates that goods are secreted inside, he may direct that suitable

	संकेत करती है कि चीजें अन्दर छुपाई गई हैं, तो वह निर्देश दे सकता है कि योग्य चिकित्सक की सलाह अनुसार चीजों को बाहर निकालने के लिए उचित कार्यवाही की जाए। मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए। यदि व्यक्ति स्वयं ही स्वीकार करे कि वस्तुएँ उसके शरीर के भीतर छुपाई गई हैं एवं वस्तुओं को बाहर लाने के लिए स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत करे तो, एक्स-रे इत्यादि नहीं लिया जाना चाहिए।
धारा 104	एक सीमाशुल्क अधिकारी जिसे सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके लिए उसके पास यह मानने के लिए कारण है कि वह सीमाशुल्क अधिनियम की धरा 132 (मिथ्या कथन, मिथ्या दस्तावेज), 133 (सीमाशुल्क अधिकारी का अवरोध), 135 (शुल्क अथवा प्रतिबन्धों का अपवंचन), 135 ए (तैयारी) अथवा 136 (सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा अपराध) के तहत दण्ड के योग्य हो सकता है।
धारा 104(3)	ऐसे व्यक्ति को जमानत अथवा अन्यथा पर छोड़ने के उद्देश्य से सीमाशुल्क अधिकारी की वही शक्तियाँ होंगी जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास होती हैं।
धारा 104(4)	सीमाशुल्क के तहत अपराध असंज्ञेय हैं।
धारा 105	सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जिसके पास विश्वास करने के कारण हों कि जब्त की जाने योग्य कोई वस्तु अथवा कोई दस्तावेज अथवा सीमाशुल्क अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही से संबंधित वस्तु किसी स्थान पर छुपाई गई है, तो वह किसी सीमाशुल्क अधिकारी को अधिकृत कर सकता है अथवा वह स्वयं ऐसी वस्तुओं, दस्तावेजों अथवा चीजों के लिए तलाशी ले सकता है। तलाशी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए, इस अन्तर के साथ कि तलाशी की रिपोर्ट सीमाशुल्क आयुक्त को प्रस्तुत की जानी चाहिए, मजिस्ट्रेट को नहीं।
धारा 106	सीमाशुल्क अधिकारी भारत में किसी विमान, वाहन अथवा पशु अथवा भारतीय जल सीमा में किसी पोत को रोक सकता है एवं तलाशी ले सकता है यदि उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि इनका प्रयोग तस्करी के लिए किया जा रहा है।
धारा 107	आयुक्त द्वारा सशक्त एक सीमाशुल्क अधिकारी तस्करी की गई वस्तुओं के संबंध में पूछताछ के दौरान मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है अथवा किसी व्यक्ति की जाँच करता है।
धारा 108(1)	सीमाशुल्क राजपत्रित अधिकारी किसी पूछताछ के लिए जो ऐसा सीमाशुल्क

	action may be taken to take out goods as per advice of qualified doctor. Magistrate can order that the person may be kept in custody. If the person himself admits that the goods are secreted inside his body and voluntarily submits for action to bringing out the goods, X-ray etc. may not be taken.
Section 104	An officer of customs who has been empowered by Commissioner of Customs by general or special order, can arrest a person whom he has reason to believe' to be able to be punished under Section 132 (false declaration, false documents), 133 (obstruction of officer of customs), 135 (Evasion of duty or prohibitions), 135A (Preparation) or 136 (offences by officers of customs) of Customs Act.
Section 104(3)	Customs officer has same powers as that of officer—in-charge of police station for purpose of releasing such person on bail or otherwise.
Section 104(4)	Offences under Customs are non-cognizable.
Section 105	Assistant Commissioner of Customs, who has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any document or thing relevant to any proceeding under Customs Act are secreted in any place, can authorise any Customs Officer or he may himself search for such goods, documents or things. Search should be as per provisions of Criminal Procedure Code, with the difference that report of search is to be submitted to Commissioner of Customs and not to Magistrate.
Section 106	Customs Officer has powers to stop and search any aircraft, vehicle or animal in India or any vessel within the Indian Customs waters if he has reason to believe that these are used for smuggling.
Section 107	An officer of Customs, empowered by Commissioner, during enquiry in connection with smuggled goods may require any person to produce document or examine any person acquainted with the facts of the case.
Section 108(1)	Gazetted Officers of customs can issue summons to any person for

	अधिकारी सीमाशुल्क अधिनियम के तहत कर रहा हो। किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है।
धारा 108(2)	सीमाशुल्क अधिकारी किसी व्यक्ति से पूछताछ से संबंधित कोई दस्तावेज अथवा कोई अन्य वस्तु प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, सीमाशुल्क अधिकारी एक व्यक्ति की जाँच कर सकता है।
धारा 108(3)	सम्मन किये गए सभी व्यक्ति किसी विषय पर जिसके संबंध में उनकी जाँच की जा रही है सत्य कहने के लिए तथा ऐसे दस्तावेज तथा अन्य वस्तुएँ जैसा कि अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।
धारा 108(4)	धारा 108 के तहत पूछताछ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 तथा 228 के अर्थों में 'न्यायिक प्रक्रियाएँ' है।
धारा 110	सीमाशुल्क अधिकारी वस्तुओं को जब्त करने के लिए सशक्त है यदि उसके पास यह विश्वास करने के लिए कारण हो कि ऐसी वस्तुएँ सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती के योग्य हैं। वर्जित माल ले जा रहे वाहन भी जब्त किये जा सकते हैं। वस्तुएँ अधीक्षक एवं उपर की श्रेणी के अधिकारी द्वारा जब्त की जा सकती हैं।
धारा 110(1)	यदि वस्तुएं स्थूल हैं, तो उन्हें स्वयं स्वामी के अधिकृत क्षेत्र में रखा जा सकता है एवं उसे एक ज्ञापन दिया जाए कि वह वस्तुओं को नहीं हटाएगा अथवा किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
धारा 110(2)	यदि छह: माह के भीतर कोई कारण बताओ ज्ञापन जारी नहीं होता है, तो वस्तुएँ उस व्यक्ति को लौटा दी जाएँगी जिसके कब्जे से वे जब्त की गई थी। यह अवधि पर्याप्त कारण पर सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा छह मास की सीमा तक और बढ़ाई जा सकती है।
धारा 110(3)	सीमाशुल्क अधिनियम के तहत कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किये जा सकते हैं।
धारा 110(4)	वे व्यक्ति जिससे दस्तावेज जब्त किये गए हैं, वे सीमाशुल्क अधिकारी की उपस्थिति में उनसे सार लेने के हकदार हैं।
धारा 110ए	जब्त की गई वस्तुएँ, दस्तावेज अथवा चीजें प्रतिभूति बाण्ड के निष्पादन एवं शर्तों पर जैसे कि निर्यायक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, अस्थाई रूप से स्वामी को मुक्त की जा सकती है।
धारा 111	भारत से बाहर एक स्थान से भारत में लाए गए माल की सूची जो जब्त किये जाने योग्य हो: वे अनुचित रूप से 'आयातित माल' हैं।
धारा 112	कोई व्यक्ति: (क) जो कोई कार्य करता है अथवा चूक करता है जो कार्य अथवा चूक ऐसे माल को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 11 के तहत जब्त किये जाने के लिए योग्य बनाती है, अथवा जो ऐसे कार्य को करने अथवा

	any inquiry which such customs officer is making under Customs Act.
Section 108(2)	The customs officer can require a person to produce any document or any other thing relevant to enquiry. The customs officer can examine a person.
Section 108(3)	All persons summoned shall be bound to state the truth upon any subject respecting which they are examined and to produce such documents and other things as may be required.
Section 108(4)	The enquiry under Section 108 are 'judicial proceedings' within the meaning of Sections 193 and 228 of Indian Penal Code.
Section 110	Customs Officer is empowered to seize the goods if he has reasons to believe that such goods are liable for confiscation under Customs Act. Vehicle carrying the contraband goods can also be seized. Goods can be seized by officer of rank of Superintendent and above.
Section 110(1)	If the goods are bulky, they can be kept in possession of the owner himself and a notice be served on him that he should not remove or in any way deal with the goods.
Section 110(2)	If no show cause notice is issued within six months, the goods shall be returned to person from whose possession they were seized. This period can be further extended by six months on sufficient cause, by Commissioner of Customs.
Section 110(3)	Documents relevant to proceedings under the Customs Act can also be seized.
Section 110(4)	The person from whom the documents are seized is entitled to take extracts there from in presence of Customs Officer.
Section 110A	Seized goods, documents or things can be provisionally released to the owner, on execution of a bond with security and conditions as may be required by adjudicating authority
Section 111	List of goods brought in India from a place outside India which are liable to confiscation: They are improperly 'imported goods'.
Section 112	Penalty any person: (a) who does or omits to do any act which act or omission would render such goods liable for confiscation under

	चूक करने के लिए उत्प्रेरित करता है (ख) जो यह जानता है अथवा उसके पास विश्वास करने के लिए कारण है कि कोई माल धारा 111 के तहत जब्त किये जाने योग्य है, ऐसे माल पर अधिकार प्राप्त करता है अथवा किसी भी प्रकार से उसे ले जाने, हटाने, निपटान करने, शरण देने, रखने, छुपाने, बेचने अथवा खरीदने, अथवा किसी अन्य तरीके से संबंधित है, को दण्ड।
धारा 113	माल का निर्यात करता है जो जब्त किये जाने योग्य है। ये 'माल को अनुचित रूप से निर्यात करने का प्रयास' है।
धारा 114	कोई व्यक्ति जो माल के संबंध में कोई कार्य अथवा चूक करता है अथवा ऐसे कार्य को करने अथवा चूक करने के लिए उत्प्रेरित करता है, जो ऐसे माल को धारा 113 के अन्तर्गत जब्त किये जाने के लिए उत्तरदायी बनाता है, दण्ड के लिए उत्तरदायी है।
धारा 114ए	जहाँ कपट, मिली भगत तथ्यों के सुविचारित गलत कथन अथवा छिपाव के कारण शुल्क अथवा ब्याज उद्ग्रहीत नहीं हुआ था अथवा कम उद्ग्रहीत हुआ अथवा वापस लौटा दिया गया, तो शुल्क अथवा ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस तरह निर्धारित किये गए शुल्क अथवा ब्याज के बराबर शास्ति के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी है। तथापि यदि अपेक्षित शुल्क अथवा ब्याज का भुगतान 30 दिनों के भीतर कर दिया जाता है, तो भुगतान योग्य शास्ति केवल 25% होगी।
धारा 114एए	जहाँ एक व्यक्ति जान बूझ कर अथवा स्वेच्छा से हस्ताक्षर करता है अथवा किसी कथन, विवरण अथवा दस्तावेज का प्रयोग करता है जो किसी विशिष्ट वस्तु में मिथ्या गलत है, तो माल के मूल्य से पाँच गुना तक शास्ति लगाई जा सकती है। विवरण अथवा दस्तावेज सीमाशुल्क अधिनियम के उद्देश्य से किसी संव्यवहार अथवा व्यापार में बनाए अथवा हस्ताक्षरित अथवा प्रयुक्त किये जा सकते हैं।
धारा 115(1)	निम्नलिखित वाहन जब्त किये जाने के लिए उत्तरदायी है:- (क) भारत में कोई पोत अथवा विमान यदि माल को छुपाने के लिए निर्मित, रूपान्तरित, बदला अथवा किसी तरीके से फिट किया गया है। (ख) कोई वाहन जिसमें से सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा जब्ती को रोकने के लिए माल पानी में गिरा दिया गया हो अथवा नष्ट कर दिया गया हो। (ग) वाहन जो सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा जाँच के लिए रोकने अथवा उतारने के लिए अपेक्षित हो परन्तु वह ऐसा करने में विफल हो गया हो (ग) वाहन जिसके द्वारा गोदाम में रखा गया माल निर्यात के लिए मुक्त किया गया हो परन्तु माल बिना अनुमति के उतारा गया हो। (इ) आयातित माल को ले जा रहा वाहन जो

	Section 111 Customs Act, or who abets the doing or omission of such act (b) who acquires possession of or is in any way concerned in carrying, removing, depositing, harboring, keeping, concealing, selling or purchasing, or in any other manner dealing with any goods which he knows or has reason to believe are liable to confiscation under Section 111.
Section 113	Exports goods which are liable to confiscation. These are 'goods attempted to be improperly exported'.
Section 114	Any person who, in relation to goods, does or omits to do any act which would render such goods liable to confiscation under Section 113 or abets the doing or omission of such an act, is liable for penalty.
Section 114A	Where duty or interest was not levied or short-levied or refunded on account of fraud, collusion, willful mis-statement or suppression of facts, person liable to pay duty or interest is also liable to pay a penalty equal to the duty or interest so determined. However, if the duty or interest demanded is paid within 30 days, penalty payable will be only 25%.
Section 114AA	Where a person knowingly or intentionally makes signs or uses any declaration, statement or document which is false or incorrect in any material particular, penalty up to five times the value of goods can be imposed. The statement or document may have been made or signed or used in any transaction or business for purposes of Customs Act.
Section 115(1)	Following conveyances are liable to confiscation :-(a) Any vessel or aircraft in India if constructed, adapted, altered or fitted in any manner for concealing goods (b) Any conveyance from which goods are thrown overboard or destroyed to prevent seizure by officer of customs (c) Conveyance which is required by Customs Officer to land or stop for inspection but fails to do so (d) Conveyance by which warehoused goods are cleared for export, but goods are unloaded without permission (e) Conveyance carrying imported goods which has entered India and is afterwards found with the whole or

	भारत में दाखिल हो चुका है एवं बाद में ऐसे माल का कुछ हिस्सा अथवा समस्त माल गुम हो गया पाया गया हो, जब तक कि पोत का स्वामी माल में कमी अथवा गुम हो जाने के लिए कारण बताने योग्य ना हो।
धारा 115(2)	किसी माल की तस्करी में वाहन के रूप में अथवा किसी तस्करी किये गए माल के परिवहन में प्रयुक्त कोई वाहन अथवा पशु जब्त किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक वाहन का स्वामी यह सिद्ध ना कर दे कि वाहन का प्रयोग स्वामी, उसके एजेंट एवं वाहन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की सूचना अथवा मिली भगत के बिना किया गया था।
धारा 115(2) परन्तुक	यदि ऐसे वाहन का प्रयोग किराये के लिए माल अथवा यात्रियों की दुलाई के लिए किये होता है, तो वाहन के स्वामी को जब्ती के स्थान पर जुर्माने के भुगतान का विकल्प दिया जाएगा। जुर्माना तस्करी किये गए माल के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा। बाजार मूल्य का अर्थ है उस तिथि को बाजार मूल्य जब माल जब्त किया गया था।
धारा 117	ऐसे व्यक्ति को सामान्य शास्ति लगेगी जो अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उत्प्रेरण करता है एवं यदि कोई शास्ति निर्धारित नहीं की गई है, तो शास्ति 1,00,000 तक होगी।
धारा 119	तस्करी किये गए माल को छुपाने के लिए प्रयुक्त माल जब्ती के लिए उत्तरदायी है (वाहन को छोड़कर, जिसके लिए अलग प्रावधान किये गए हैं)।
धारा 120	तस्करी किये गए माल की जब्ती, यहाँ तक कि यदि अवस्था में परिवर्तन हो अथवा अन्य माल के साथ मिश्रित किया गया हो।
धारा 121	यदि तस्करी किये गए माल की बिक्री हो गई पाई जाती है तो ऐसी बिक्री की बिक्री आय जब्ती के लिए उत्तरदायी है।
धारा 122	जब्ती एवं शास्ति के निर्णय की शक्तियाँ आयुक्त के लिए असीमित तथा निम्न अधिकारियों के लिए सीबीईसी द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार सीमित है।
धारा 123	कुछ संवेदनशील माल जैसे स्वर्ण, घड़ियाँ एवं अन्य अधिसूचित माल के संबंध में विशेष प्रावधान, यदि ये यथोचित विश्वास पर जब्त किया जाता है कि वह तस्करी किया गया माल है, तो स्वामी अथवा मालिक को सह सिद्ध करना होगा कि यह तस्करी किया गया माल नहीं है।
धारा 124	शास्ति लगाने से पहले, व्यक्ति को जब्ती के लिए आधारों की सूचना देते हुए कारण बताओ ज्ञापन अवश्य जारी किया जाना चाहिए तथा उसे कोई अभिवेदन देने तथा सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा ज्ञापन तथा अभिवेदन संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर मौखिक हो सकता है।

	substantial portion of such goods missing, unless the master of the vessel is able to account for the loss of or deficiency in goods.
Section 115(2)	Any conveyance or animal used as a means of transport in the smuggling of any goods or in the carriage of any smuggled goods shall be liable to confiscation; unless the owner of the conveyance proves that the conveyance was used without the knowledge or connivance of the owner, his agent and the person in charge of the conveyance.
Section 115(2) Proviso	If such conveyance is used for the carriage of goods or passengers for hire, the owner of conveyance shall be given an option to pay fine in lieu of confiscation. The fine shall not exceed market price of smuggled goods. Market price means the market price at the date when goods were seized.
Section 117	General penalty to a person who contravenes any provision of the Act or abets on contravention and if no penalty has been prescribed, the penalty would be upto Rs. 1, 00,000.
Section 119	Goods used for concealing smuggled goods are liable for confiscation (except conveyance, for which separate provision have been made).
Section 120	Confiscation of smuggled goods even if there is change in form or mixed with other goods.
Section 121	If the smuggled goods are found to have been sold, sale proceeds of such sale are liable to confiscation.
Section 122	Powers of adjudication of confiscation and penalty - Unlimited to Commissioner and limited to lower officers as per limits prescribed by CBEC.
Section 123	Special provisions in respect of certain sensitive goods like Gold, watches and other notified goods, if these are seized in the reasonable belief that they are smuggled goods, the owner or possessor has to prove that these are not smuggled goods.
Section 124	Before imposing a penalty, show cause notice must be issued to the person, informing grounds for confiscation and he should be given opportunity to make representation and being heard. Such notice and representation can be oral at the request of the person concerned.

धारा 125(1)	जब भी माल को जब्त किये जाने का आदेश होता है, तो निर्णायक अधिकारी माल के स्वामी को जब्ती के स्थान पर 'जुर्माने' के भुगतान का विकल्प दे सकता है, यदि माल का आयात अथवा निर्यात प्रतिबंधित था। हालाँकि, यदि माल का आयात अथवा निर्यात प्रतिबंधित नहीं था, तो माल के स्वामी को विमोचन जुर्माने के भुगतान का विकल्प दिया जाएगा। इसे 'विमोचन जुर्माना' कहा जाता है। 'विमोचन जुर्माने' के भुगतान के पश्चात, माल माल के स्वामी को लौटा दिया जाता है।
धारा 125(2)	जहाँ माल के स्थान पर कोई जुर्माना लगाया गया हो, तो माल का स्वामी अथवा व्यक्ति जिससे माल जब्त किया गया था, ऐसे माल के संबंध में जुर्माने के अतिरिक्त, शुल्क एवं प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।
धारा 126	जब्त किये जाने पर, माल केन्द्रीय सरकार में समाहित हो जाएगा।
धारा 127ए से 127 एन	मामलों का निपटान
धारा 128 (1)	आयुक्त से कम रैंक के अधिकारी के आदेश के 60 दिनों के भीतर आयुक्त (अपील) को अपील
धारा 128(1ए)	आयुक्त (अपील) सुनवाई स्थगित कर सकता है परन्तु तीन से अधिक स्थगन नहीं दिये जा सकते।
धारा 128ए(3)	आयुक्त (अपील) निर्णय अथवा आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि करते हुए, संशोधित करते हुए अथवा निरस्त करते हुए आदेश पारित कर सकता है।
धारा 129	केन्द्रीय सरकार द्वारा अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन
धारा 129ए(1)	कुछ विनिर्दिष्ट मामलों जैसे सामान, शुल्क फिरती को छोड़कर, आयुक्त अथवा आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) को अपील। यदि राशि 50,000 से कम है तो अपील बिना सुनवाई के खारिज की जा सकती है।
धारा 129ए(2)	आयुक्त समिति आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दर्ज करने के लिए उचित अधिकारी को निर्देश दे सकती है। इस उप-धारा के परन्तुक के अनुसार, यदि दो आयुक्तों के मध्य विचार में मतभेद हो, तो मामला क्षेत्राधिकारी मुख्य आयुक्त को प्रेषित किया जाएगा जो निर्णय करेगा कि अपील दायर करनी है या नहीं।
धारा 129ए(3)	अपील आयुक्त अथवा अन्य पार्टी, जैसा भी मामला हो, को आदेश की सूचना की तिथि से तीन महीने के अन्दर दायर की जानी है। ट्रिब्यूनल अपील दायर किये जाने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है यदि पर्याप्त कारण दर्शाया जाए।

Section 125(1)	Whenever confiscation of goods is ordered, the adjudicating officer may give option to owner of goods to pay 'fine' in lieu of confiscation, if the importation or exportation of goods was prohibited. However, if the importation or exportation of goods was not prohibited, the option to pay redemption fine shall be given to owner of goods. This is called 'redemption fine'. After payment of redemption fine, the goods are returned to the owner of goods.
Section 125(2)	Where any fine in lieu of goods is imposed, the owner of goods or the person from whom the goods were seized is liable to pay duty and charges in respect of such goods, in addition to fine.
Section 126	On confiscation, goods shall vest in Central Government.
Section 127A to 127N	Settlement of Cases.
Section 128(1)	Appeal to Commissioner (Appeals) within 60 days from order of officer lower in rank than Commissioner.
Section 128(1A)	Commissioner (Appeals) can adjourn the hearing but not more than three adjournments can be given.
Section 128A(3)	Commissioner (Appeals) can pass order confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against.
Section 129	Constitution of Appellate Tribunal by Central Government.
Section 129A(1)	Appeal to Tribunal (CESTAT) against order of Commissioner or Commissioner (Appeals), except in few specified cases e.g. baggage, duty drawback. If amount is less than Rs. 50,000, appeal can be dismissed without hearing.
Section 129A(2)	Committee of Commissioners can direct proper officer to file appeal against order passed by Commissioner (Appeals). As per proviso to this sub-Section, if there is difference of opinion between two Commissioners, the matter will be referred to jurisdiction Chief Commissioner who will decide whether to file appeal.
Section 129A(3)	Appeal to be filed within three months from the date of communication of order to Commissioner or other party, as the case may be. Tribunal can condone delay in filing appeal if sufficient cause is shown.

धारा 129ए(4)	दूसरी पार्टी अन्य पार्टी द्वारा दायर की गई अपील की प्रति प्राप्त होने से 45 दिनों के भीतर प्रति-आपत्ति दायर कर सकती है।
धारा 129ए(6)	अपील निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपीलीय ट्रिब्यूनल को दायर की जानी है।
धारा 129बी(1ए)	ट्रिब्यूनल अधिकतम तीन स्थगन दे सकता है।
धारा 129बी(2)	ट्रिब्यूनल आदेश की तिथि से छह महीने के भीतर अभिलेख पर स्पष्ट एक गलती को ठीक कर सकता है, यदि गलती आयुक्त अथवा अन्य पार्टी द्वारा संज्ञान में लाई जाए।
धारा 129सी	ट्रिब्यूनल की शक्तियाँ एवं कार्य राष्ट्रपति द्वारा गठित न्यायपीठों द्वारा उपयोग एवं निपटान किये जाएंगे। एक सदस्यीय पीठ मुद्दे पर निर्णय कर सकती है यदि संबंधित शुल्क अथवा संबंधित जुर्माने/शास्ति की राशि 10 लाख से कम हो। हालाँकि शुल्क की दर से संबंधित मुद्दा अथवा शुल्क की दर से संबंधित मुद्दा अथवा मूल्य एक एकल सदस्यीय पीठ द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता।
धारा 129डी(1)	दो मुख्य आयुक्तों की समिति सीमाशुल्क आयुक्त के आदेश से उत्पन्न बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए एक ट्रिब्यूनल को आवेदन करने हेतु किसी आयुक्त को निर्देश दे सकती है (यह विभागीय अपील समझी जाएगी) यदि दो मुख्य आयुक्तों के मध्य विचार में मतभेद है तो मामला सीबीईसी (बोर्ड) को प्रेषित किया जाएगा जो निर्णय करेगा कि अपील दायर करनी है या नहीं।
धारा 129डी(2)	आयुक्त अपने अधीनस्थ किसी सीमाशुल्क अधिकारी को अपने अधीनस्थ एक निर्णायक प्राधिकरण के आदेश से उत्पन्न बिंदुओं पर निर्णय के लिए आयुक्त (अपील) को आवेदन करने के लिए निर्देश दे सकता है (यह विभागीय अपील समझी जाएगी) अपील दायर करने के लिए निर्देशित करना आदेश की सूचना की तिथि से तीन महीने के भीतर दिया जाएगा। तत्पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी को एक माह के भीतर आयुक्त (अपील) के पास अपील दायर करनी चाहिए।
धारा 129डी(3)	अपील दायर करने के लिए निर्देशित करता आदेश आदेश की सूचना की तिथि से तीन महीने के भीतर दिया जाएगा। तत्पश्चात, धारा 129 डी (4) के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी को एक महीने के अन्दर ट्रिब्यूनल के पास अपील दायर करनी चाहिए।
धारा 129डीडी(1)	निम्नलिखित मामलों में आयुक्त अथवा आयुक्त (अपील) के आदेश की अपील ट्रिब्यूनल को नहीं की जाती, परन्तु केन्द्रीय सरकार को पुनः विचार याचिका की जा सकती है – (क) फैक्ट्री से गोदाम अथवा अन्य फैक्ट्री को

Section 129A(4)	Other party can file cross-objection within 45 days from receipt of copy of appeal filed by other party.
Section 129A(6)	Appeal to be filed to Appellate Tribunal in prescribed form with prescribed fees.
Section 129B(1A)	Tribunal can give maximum three adjournments.
Section 129B(2)	Tribunal can correct a mistake apparent from the record, within six months from date of order if mistake is brought to notice by Commissioner or other party.
Section 129C	Powers and functions of the Tribunal will be exercised and discharged by benches constituted by President. Single member bench can determine issue if duty involved or amount of fine/penalty involved is less than Rs. 10 lakhs. However, issue relating to rate of duty or value cannot be determined by a single member bench.
Section 129D(1)	Committee of two Chief Commissioners can direct any Commissioner to apply to Tribunal for the determination of points arising out of order of Commissioner of Customs (This will be treated as departmental appeal). If there is difference of opinion between two Chief Commissioners, the matter will be referred to CBEC (Board) who will decide whether to file appeal.
Section 129D(2)	Commissioner can direct any Customs officer subordinate to him to apply to Commissioner (Appeals) for the determination of points arising out of order of an adjudicating authority subordinate to him (This will be treated as departmental appeal). Order directing to file appeal shall be made within three months from date of communication of order. After that, authorized officer should file appeal with Commissioner (Appeals) within one month.
Section 129D(3)	Order directing to file appeal shall be made within three months from date of communication of order. After that, as per Section 129D(4), authorised officer should file appeal with Tribunal within one month.
Section 129DD(1)	In the following cases order of Commissioner or Commissioner (Appeals) appeal does not lie with Tribunal, but revision application can be made to Central Government - (a) loss of goods occurring in transit from factory to warehouse or to another factory (b) rebate of

	पारवहन में हुआ माल का नुकसान (ख) भारत से बाहर निर्यातित माल अथवा माल के निर्माण में प्रयुक्त निर्यात योग्य माल जो निर्यात किया गया, पर शुल्क की कटौती (ग) शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात किया गया माल।
धारा 129डीडी(2)	पुनः विचार याचिका आदेश की सूचना की तिथि से तीन महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए। तीन महीने तक का विलम्ब केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ किया जा सकता है।
धारा 129ई	शुल्क, शास्ति, ब्याज, गलत सेनवेट क्रेडिट अथवा 'राशि' अपील के विचाराधीन रहते हुए जमा कराया जाए। पूर्व-जमा को छोड़ा जा सकता है यदि यह निर्धारिती के लिए अनुचित कठिनाई उत्पन्न करता हो।
धारा 129ईई	यदि धारा 129 ई के तहत जमा कराई गई राशि आयुक्त (अपील) अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में लौटाने योग्य हो जाती है, तो राशि निर्णायक प्राधिकरण के आदेश की सूचना की तिथि से तीन महीने के भीतर लौटाई जानी चाहिए। यदि इस प्रकार नहीं लौटाई जाती है, तो अधिनियम में निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान होगा।
धारा 130	कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर उच्च न्यायालय को अपील। उच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है यदि सीईएसटीएटी का आदेश अन्य चीजों में, शुल्क की दर अथवा माल के मूल्य से संबंध रखने वाले किसी प्रश्न के निर्णय से संबंध नहीं रखता। अपील 180 दिनों के भीतर दायर की जानी है।
धारा 130ई	सर्वोच्च न्यायालय को अपील, यदि सीईएसटीएटी का आदेश, अन्य चीजों में, शुल्क की दर अथवा माल के मूल्य से संबंध रखने वाले किसी प्रश्न अथवा निर्णय से संबंधित है।
धारा 132	किसी विवरण, कथन अथवा दस्तावेज को बनाने, हस्ताक्षर करने अथवा प्रयोग करने वाला व्यक्ति अथवा यह विश्वास करने के लिए कारण रखने वाला कि ऐसा विवरण, कथन अथवा दस्तावेज किसी विशिष्ट उद्देश्य में मिथ्या है, दो वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दिये जाने योग्य है।
धारा 133	यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर सीमाशुल्क अधिनियम के तहत सीमाशुल्क अधिकारी को प्रदान की गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने से रोकता है, तो वह दो वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दिये जाने के लिए योग्य होगा।
धारा 134	यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार अपने शरीर के एक्सरे लेने से मना करता है अथवा एक चिकित्सक के पर्यवेक्षण के तहत उसके शरीर से माल को बाहर लाने के लिए उचित कार्रवाई करने की अनुमति देने

	duty on goods exported outside India or excisable goods used in manufacture of goods which are exported and (c) goods exported without payment of duty.
Section 129DD(2)	Revision application should be filed within three months from date of the communication of order. Delay upto three months can be condoned by Central Government.
Section 129E	Duty, penalty, interest erroneous Cenvat credit or 'amount' to be deposited pending appeal. Pre-deposit can be dispensed with if it may cause undue hardship to assessee.
Section 129EE	If the amount deposited under Section 129E becomes refundable pursuance to order passed by Commissioner (Appeals) or Tribunal, the amount should be refunded within three months from date of communication of the order to adjudicating authority. If not so refunded, interest is payable at the rate specified in the Act.
Section 130	Appeal to High Court on substantial question of law. Appeal to High Court can be made if the order of CESTAT does not relate, among other things, to the determination of any question having a relation to rate of duty or to value of goods. Appeal to be filed within 180 days.
Section 130E	Appeal to Supreme Court, if the order of CESTAT relates, among other things, to the determination or any question having a relation to rate of duty or to value of goods.
Section 132	Person making, signing or using any statement, declaration or document knowing or having reason to believe that such statement, declaration or document is false in any material particular, shall be punishable with imprisonment up to two years or fine, or both.
Section 133	If any person intentionally obstructs any officer of Customs in exercise of any powers conferred under the Customs Act, he shall be punishable with imprisonment up to two years or fine or both.
Section 134	If any person refuses to take X-ray picture of his body in accordance with order of Magistrate or refuses to allow suitable action to be taken to bringing out goods from his body under supervision of a

	से मना करता है, तो छह: मास तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दोनों दिये जाने के लिए योग्य होगा।
धारा 135(1)	एक व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है (क) जो जानबूझ कर मूल्य के गलत-प्रकटन में अथवा किसी कपटपूर्ण अपवंचन में अथवा शुल्क का अपवंचन करने के प्रयास में अथवा ऐसी वस्तुओं के आयात/निर्यात पर लगाए गए किसी प्रतिबंध से संबंधित है (ख) जो ऐसे माल पर अधिकार प्राप्त करता है अथवा किसी भी तरीके से उसे ले जाने, ढुलाई करने, रखने, छुपाने, बेचने अथवा खरीदने अथवा किसी अन्य प्रकार से माल से संबंधित है जो वह जानता है अथवा विश्वास करने के लिए कारण है कि यह धारा 111 अर्थात् अनुचित आयात के तहत अथवा धारा 113 अर्थात् अनुचित रूप से निर्यात के लिए प्रयास के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी है। (ग) ऐसे माल के निर्यात का प्रयास करता है जो वह जानता है अथवा विश्वास करने के लिए कारण है कि यह धारा 113 के तहत जब्त किये जाने के लिए उत्तरदायी है। (घ) जो कपटपूर्ण रूप से माल के निर्यात के संबंध में अधिनियम में प्रावधान किये गए शुल्क से छूट अथवा शुल्क फिरती प्राप्त करता है अथवा प्रयास करता है।
धारा 135(1)(i)	दण्ड दिया जाने योग्य है- यदि अपराध संबंधित है- (क) रु. एक करोड़ से अधिक मूल्य के बाजार मूल्य वाला माल (ख) अपवचित अथवा अपवंचन के लिए प्रयास किया गया शुल्क रु. 30 लाख से अधिक है (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिबंधित माल अथवा (घ) कपटपूर्ण रूप से प्राप्त की गई फिरती अथवा शुल्क रु. 30 लाख से अधिक है-सात वर्ष का कारावास एवं जुर्माना हो सकता है (विशेष एवं पर्याप्त कारणों की अनुपस्थिति में न्यूनतम एक वर्ष)।
धारा 135(1)(ii)	लगने योग्य दण्ड –अन्य मामलों में- तीन वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना दोनों।
धारा 135(2)	यदि एक व्यक्ति जो पहले ही सीमाशुल्क अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभिशंसित है, पुनः अभिशंसित होता है तो, जुर्माने के साथ सात वर्ष तक कारावास की सज़ा हो सकती है। विशिष्ट एवं पर्याप्त कारणों की अनुपस्थिति में, सज़ा एक वर्ष से कम नहीं होगी।
धारा 135(3)	निम्नलिखित को विशेष एवं पर्याप्त कारण नहीं समझा जाएगा: (क) अभियुक्त पहली बार अभिशंसित हुआ है (ख) विभागीय अधिनिर्णय में पहले ही उस पर शास्ति लगाई जा चुकी है अथवा अपराध से संबंधित माल जब्त किया जा चुका है (ग) अभियुक्त मुख्य दोषी नहीं था एवं वह अपराध करने में कम महत्त्व की पार्टी या अथवा (घ) अभियुक्त की आयु (बहुत

	doctor, he shall be punishable with imprisonment up to six months or fine or both.
Section 135(1)	The punishment is imposable on a person (a) who is knowingly concerned in mis-declaration of value or in any fraudulent evasion or attempt to evasion of duty or of any prohibition imposed on the imports /export of such goods (b) who acquires possession or is any way concerned with carrying, harboring, keeping, concealing, selling or purchasing or otherwise dealing with goods which he knows or has reason to believe are liable to confiscation under Section 111 i.e. improper imports or under Section 113 i.e attempt to improperly export (c) who attempts to export any goods which he knows or has reason to believe are liable to confiscation under Section 113. (d) who fraudulently avails or attempts to avail duty drawback or exemption from duty provided in Act in connection with export of goods.
Section 135(1)(i)	The punishment imposable - If offence relates to – (A) goods with market price exceeding `Rs. one crore (B) duty evaded or attempted to be evaded exceeds Rs. 30 lakhs (C) prohibited goods notified by Central Government or (D) drawback or duty exemption fraudulently availed exceeds Rs. 30 lakhs – imprisonment can be up to seven years and fine (minimum one year in absence of special and adequate reasons).
Section 135(1)(ii)	Punishment imposable-In other cases-imprisonment up to three years or fine or both.
Section 135(2)	If a person already convicted for offence under Customs Act is convicted again, imprisonment punishment can be upto seven years with fine. In absence of special and adequate reasons, the punishment shall not be less than one year.
Section 135(3)	Following will not be considered as special and adequate reasons: (a) accused is convicted for first time (b) in departmental adjudication, penalty has already been imposed on him or the goods in respect of the offence have been confiscated (c) Accused was not principal offender and he was a secondary party in the commission of offence

	कम अथवा बहुत ज्यादा)।
धारा 135ए	अवैध निर्यात के लिए तैयारी करना एक अपराध है।
धारा 135बी	यदि एक व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अभिशंसित होता है, तो न्यायालय नाम, व्यापार अथवा आवास का स्थान, उल्लंघन की प्रकृति इत्यादि के प्रकाशन का आदेश दे सकता है। इस प्रकार का प्रकाशन समाचार पत्रों अथवा अन्यथा में, जैसा भी न्यायालय द्वारा निर्देशित हो, अभियुक्त की लागत पर होगा।
धारा 136(1)	यदि कोई सीमाशुल्क अधिकारी किसी कार्य को करने अथवा होने से रोकने अथवा किसी कार्य की अनुमति देने, किसी कार्य अथवा वस्तु में गुप्त रूप से सहयोग देने हेतु कोई अनुबंध करता है, जिससे कोई कपटपूर्ण निर्यात प्रभावी होता है, अथवा जिसके द्वारा सीमाशुल्क का अपवंचन होता है अथवा प्रतिबंधित माल भारत में लाया जाता है अथवा बाहर ले जाया जाता है, तो वह तीन वर्ष की अवधि तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दिये जाने योग्य होगा।
धारा 136(2)	यदि कोई सीमाशुल्क अधिकारी (क) विश्वास हेतु कोई कारण हुए बिना कि उसके पास ऐसा माल है, एक व्यक्ति से माल के लिए तलाशी देने की अपेक्षा करता है (ख) विश्वास हेतु कोई कारण हुए बिना कि उसने धारा 135 के तहत एक अपराध किया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करता है अथवा (ग) विश्वास हेतु बिना किसी कारण के कि उस स्थान पर कोई माल, दस्तावेज अथवा चीजें छुपाई गई हैं, तलाशी लेता है अथवा तलाशी के लिए प्राधिकृत करता है, तो उसे 6 माह तक कारावास अथवा रु. 1000 तक जुर्माना अथवा दोनों दिया जाएगा।
धारा 136(3)	यदि एक सीमाशुल्क अधिकारी अपनी आधिकारिक स्थिति में प्राप्त की गई किसी सूचना को उद्धाटित करता है, तो उसे 6 माह तक कारावास अथवा 1,000 तक जुर्माना अथवा दोनों दिये जा सकते हैं। (निश्चित रूप से, वह लागू किसी कानून की अनुपालना में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सूचना का प्रकटन कर सकता है)।
धारा 137(1)	न्यायालय सीमाशुल्क आयुक्त की पूर्ण संस्वीकृति के बिना सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 132, 133, 135 अथवा 135 ए के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
धारा 137(2)	सहायक आयुक्त एवं उससे उपर के पद के अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन के मामले में अभियोजन केवल केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति के साथ न्यायालय में प्रारंभ किया जा सकता है। निचले पदों के लिए, आयुक्त की पूर्व संस्वीकृति आवश्यक है। सीमाशुल्क अधिकारी के विरुद्ध धारा 136 के

	or (d) Age of accused (too young or too old).
Section 135A	Preparation for illegal export is an offence.
Section 135B	If a person is convicted under this Act, Court can order publication of names, place of business or residence, nature of the contravention etc. Such publication will be at the cost of accused and in newspapers or otherwise as directed by court.
Section 136(1)	If an officer of Customs enters into any agreement to do or abstain from doing or permits any act, connives at any act or thing, whereby any fraudulent export is effected, or by which duty of customs is evaded or prohibited goods are allowed to enter India or go out of India, he shall be punishable with imprisonment up to a term of three years or with fine, or both.
Section 136(2)	If any customs officer (a) requires a person to be searched for goods without any reason to believe that he has such goods (b) Arrests a person without any reason to believe that he has committed an offence under Section 135 or (c) Searches or authorises search without any reason to believe that any goods, documents or things are secreted in the place; he shall be punishable with imprisonment up to 6 months or fine up to Rs. 1,000 or both.
Section 136(3)	If an officer of customs discloses any information obtained by him in official capacity, he shall be punishable with imprisonment up to 6 months, or fine up to Rs. 1,000 or both. [Of course, he can disclose the information in discharge of his duties on in compliance with any law in force].
Section 137(1)	Court cannot take cognizance of any offence under Section 132, 133, 135 or 135A of Customs Act, without previous sanction of Commissioner of Customs.
Section 137(2)	The prosecution can be launched in Court only with previous sanction of Central Government in case of prosecution against officer of rank of Assistant Commissioner and above. In lower ranks, previous sanction of Commissioner is required. In case of offence under Section 136 against officer of customs, sanction of Central

	तहत अपराध के मामले में, केन्द्रीय सरकार/आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक है जिसके बिना न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता।
धारा 137(3)	अधिनियम के तहत कोई अपराध सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकता है। ऐसी माफी अभियोजन की शुरुआत के पहले या बाद में की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार माफी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि के लिए नियम बनाने हेतु प्राधिकृत है।
धारा 138ए	मानसिक स्थिति (आपराधिक मानसिक स्थिति अर्थात मेन्सरिया) जैसे इच्छा, उद्देश्य, तथ्य की जानकारी अथवा एक तथ्य में विश्वास करने हेतु कारण न्यायालय द्वारा किसी अभियोजन में मान लिए जाएंगे।
धारा 138बी	सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष दिये गए बयान की प्रासंगिकता।
धारा 138सी	माईक्रोफिल्मस, फैक्स प्रतियाँ एवं कम्प्यूटर प्रिंटआउट प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे।
धारा 139(i)	एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गए अथवा उससे जब्त किये गए दस्तावेज सत्य माने जाएंगे। दस्तावेज प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगा, वेशक यह सही तरह से मुद्रांकित ना हो।
धारा 140(1)	कम्पनी अथवा भागीदारी फर्म द्वारा अपराधों के मामले में, प्रत्येक व्यक्ति जो कम्पनी/फर्म के मामले के लिए जिम्मेदार था अथवा उत्तरदायी था, दोषी माना जाता है। सामान्य रूप से एक प्रबंधक निदेशक (फर्म के मामले में भागीदार) अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत अन्य व्यक्ति उत्तरदायी माना जाता है। हालांकि, ऐसा व्यक्ति सिद्ध कर सकता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने अपराध रोकने के लिए उचित सावधानी बरती थी।
धारा 140(2)	इसके अतिरिक्त, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कम्पनी के संबंध में अपराध कम्पनी अथवा भागीदारी फर्म के किसी निदेशक, प्रबंधक अथवा सचिव अथवा अन्य अधिकारी की सलाह अथवा मिलीभगत से, अथवा उनकी तरफ से लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति दोषी माना जाएगा।
धारा 140(2) व्याख्या	'कम्पनी' के अर्थ में कोई निगमित निकाय एवं एक फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संगठन सम्मिलित है, तथा फर्म के संबंध में 'निदेशक' का अर्थ है फर्म का भागीदार।
धारा 142	सीमाशुल्क प्राधिकारी निम्नलिखित किसी तरीके से केन्द्रीय सरकार को भुगतान योग्य किसी राशि की वसूली कर सकते हैं- क) निर्धारिती से संबंधित उत्पाद शुल्क योग्य माल की विक्री एवं कुर्की द्वारा व्यक्ति (उदाहरणार्थ यदि वापसी उसे देय है) को भुगतान योग्य धन के विरुद्ध

	Government/Commissioner is required without which cognizance of offence cannot be taken by Court.
Section 137(3)	Any offence under the Act can be compounded by Chief Commissioner of Customs. Such compounding can be done either before or after the institution of prosecution. Central Government is authorized to make Rules to provide for amount to be paid for compounding.
Section 138A	State of mind (culpable mental state i.e. <i>mens rea</i>) like intention, motive, knowledge of a fact or belief in a fact or reasons to believe in a fact, shall be presumed by Court in any prosecution.
Section 138B	Relevance of statement made before customs officer.
Section 138C	Microfilms, fax copies and computer printouts will be admissible as evidence.
Section 139(i)	Documents produced by a person or seized from him shall be presumed to be true. Document will be admissible as evidence even if not duly stamped.
Section 140(1)	In case of offences by Company or partnership firm, every person who was in-charge of or was responsible for affairs of the company/firm is deemed to be guilty. Normally, a managing Director (partner in case of firm) or other person specially authorized is deemed to be in-charge. However, such person can prove that offence was committed without his knowledge or he had taken due care to prevent the offence.
Section 140(2)	In addition, if it is proved that the offence in relation to Company is committed with consent or connivance of, or due to neglect on part of any director, manager or Secretary or other officer of Company or partnership firm, such person shall be deemed to be guilty.
Section 140(2) explanation	'Company' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and 'director' a relation to firm mean a partner of the firm.
Section 142	Customs authorities can recover any sum payable to Central Government by any of the following means- a) Adjusting against money payable to the person (e.g. if refund is due to him). b) by attachment and sale of excisable goods belonging to the assessee. As

	समायोजन द्वारा जैसे भूमि राजस्व का बकाया, राजस्व जिला कलैक्टर को प्रमाण-पत्र जारी करके, जो भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि को वसूल करने के लिए सशक्त है।
धारा 142 परन्तुक	यदि एक व्यक्ति अपने व्यवसाय अथवा व्यापार का हस्तांतरण करता है अथवा किसी तीसरे व्यक्ति को अपना व्यापार बेच देता है, तो पूर्ववर्ती से देय कोई शुल्क अथवा कोई अन्य राशि सभी माल, सामग्री, विनिर्मित पदार्थ, संयंत्र मशीनों, वाहन, वर्तन, उपकरण एवं सामान जो परवर्ती को हस्तांतरित किये गए थे, की कुर्की द्वारा, व्यापार अथवा व्यवसाय में परवर्ती से वसूल की जा सकती है।
धारा 142ए	किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम में निहित के उल्लंघन में किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत एक निर्धारिती अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य शुल्क, शास्ति, ब्याज अथवा कोई अन्य राशि, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 529 ए, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रचलन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) में दिये गए अन्यथा को छोड़कर, निर्धारिती अथवा व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, की सम्पत्ति पर पहला प्रभार होगा।
धारा 144	सीमाशुल्क अधिकारी किसी माल के प्रवेश अथवा निकासी पर अथवा किसी भी समय जब ऐसा माल सीमाशुल्क क्षेत्र से गुजर रहा हो, इसके नमूने ले सकता है। नमूने जाँच हेतु अथवा माल के मूल्य का पता लगाने हेतु लिये जा सकते हैं। नमूने माल के स्वामी की उपस्थिति में लिये जाने चाहिए। जाँच अथवा मूल्य का पता लगाने के बाद, नमूने स्वामी को लौटाए जा सकते हैं। हालाँकि, यदि स्वामी तिथि से तीन महीने के भीतर, जब नमूने लिए गए थे, नमूनों की सुपुर्दगी लेने में विफल होता है तो इसे सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निपटान किया जा सकता है।
धारा 146	एक एजेन्ट के रूप में (सीएचए) माल के आयात अथवा निर्यात अथवा वाहन के प्रवेश/प्रस्थान से संबंधित व्यापार करने के लिए व्यक्तियों को लाइसेंस। बोर्ड इस उद्देश्य के लिए विनियम बनाने के लिए प्राधिकृत है।
धारा 146ए	सीमाशुल्क अधिकारी अथवा ट्रिव्यूनल के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति।
धारा 147	निर्यातक अथवा आयातक स्वामी द्वारा किये जाने वाला कोई भी अपेक्षित कार्य उसके एजेन्ट द्वारा किया जा सकता है। तथापि, स्वामी/आयातक/निर्यातक अपने एजेन्ट के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी

	Arrears of Land Revenue, by issuing certificate to District Collector of Revenue, who is empowered to recover the amount as arrears of land revenue.
Section 142 proviso	If a person transfers his business or trade or disposes of his business to a third person, any duty or any other sum due from predecessor can be recovered from successor in trade or business, by attaching all goods, materials, preparations, plants, machineries, vessels, utensils, implements and articles which were transferred to the successor.
Section 142A	Notwithstanding anything to the contrary contained in any Central Act or State Act, any amount of duty , penalty , interest or any other sum payable by an assessee or any other person under this Act, shall, save as otherwise provided in Section 529A of the Companies Act, 1956(1 of 1956), the Recovery of Debts Due to Banks and the Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) and the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and the Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 Of 2002), be the first charge on the property of the assessee or the person, as the case may be.
Section 144	Customs Officer can take samples of any goods on the entry or clearance of any goods or at any time while such goods are being passed through the customs area. The samples can be taken for testing or for ascertaining the value of goods. Samples should be taken in presence of the owner of goods. After testing or ascertaining the value, samples can be returned to owner. However, if owner fails to take delivery of samples within three months of the date when samples were taken, the same can be disposed of by customs authorities.
Section 146	License to persons to carry on business as an agent (CHA) relating to import or export of goods or entry/departure of conveyance. Board is authorised to make regulations for this purpose.
Section 146A	Appearance of authorised representative before Customs officer or Tribunal.
Section 147	Anything required to be done by the owner importer or exporter can be done by his agent. However, the owner/ importer/exporter is liable for all acts of his agent. The agent will also be liable in the

	है एजेन्ट भी उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे स्वामी, आयातक अथवा निर्यातक होंगे। यहाँ तक कि शुल्क भी एजेन्ट से वसूल किया जा सकता है। यदि सहायक सीमाशुल्क आयुक्त का विचार है कि इसे स्वामी, निर्यातक अथवा आयातक से वसूल नहीं किया जा सकता।
धारा 148	एक वाहन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति सीमाशुल्क अधिनियम के तहत अपेक्षित कार्य के लिए एजेन्ट नियुक्त कर सकता है। इस मामले में भी एजेन्ट अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है।
धारा 149	इन दस्तावेजों में संशोधन हेतु अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त की जानी है। ऐसी अनुमति दी जा सकती है यदि वहाँ कोई कपटपूर्ण विचार ना हो।
धारा 149 परन्तुक	प्रविष्ट के बिल, शिपिंग बिल अथवा निर्यात के बिल के मामले में, इसे केवल दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निकासी के बाद ही संशोधित किया जा सकता है जो माल की निकासी, गोदाम में रखे जाने अथवा निर्यात के समय विद्यमान था, ना कि किसी तत्पश्चात दस्तावेज के आधार पर।
धारा 151ए	बोर्ड (सीबीईसी) माल के वर्गीकरण अथवा ऐसे माल पर शुल्क के उद्ग्रहण के संबंध में एकरूपता के उद्देश्य से सीमाशुल्क अधिकारियों को आदेश, अनुदेश एवं निर्देश जारी करने के लिए सक्षम है। यद्यपि, ऐसा आदेश सीमाशुल्क अधिकारी से एक विशेष प्रकार से निर्धारण करने अथवा आयुक्त (अपील) के निर्देशों के साथ छेड़-छाड़ करने की अपेक्षा नहीं कर सकता।
धारा 153	अधिनियम के तहत किसी निर्णय अथवा पारित आदेश अथवा किसी सम्मन अथवा ज्ञापन की तालील (क) जिस व्यक्ति को यह दिया जाना है अथवा उसके प्राधिकृत एजेन्ट को इसे देकर अथवा पावती के साथ इसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज कर (ख) यदि इसकी तालील उपरोक्त अनुसार नहीं हो सकती, तो फैक्ट्री अथवा गोदाम में सुस्पष्ट स्थान पर इसकी एक प्रति चिपका कर (ग) यदि यह भी संभव ना हो तो, कार्यालय अथवा प्राधिकरण जिसने ज्ञापन, आदेश, सम्मन अथवा निर्णय जारी किया है, के सूचना-पट्ट पर एक प्रति चिपका कर की जाएगी।
धारा 154	केन्द्रीय सरकार, सीबीईसी अथवा किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय अथवा आदेश में (क) लेखन अथवा गणन अशुद्धि अथवा (ख) किसी आक्समिक पर्ची अथवा चूक का शुद्धिकरण।
धारा 154ए	शुल्क, ब्याज, शास्ति अथवा जुर्माने को निकटवर्ती रूपये तक सीमित किया जाना है।

	same way as the owner, exporter or importer. Even duty can be recovered from Agent, if Assistant Commissioner of Customs is of the opinion that same cannot be recovered from the owner, importer or exporter:
Section 148	Person in charge of a conveyance can appoint an agent to do what is required under Customs Act. The agent is also liable in this case for violation of provisions of the Act.
Section 149	Permission to amend these documents has to be obtained from customs authorities. Such permission can be given if there are no fraudulent intentions.
Section 149 proviso	In case of bill of entry, shipping bill or bill of export, it can be amended after clearance only on the basis of documentary evidence which was in existence at the time the goods were cleared, warehoused or exported, and not on the basis of any subsequent document.
Section 151A	Board (CBEC) empowered to issue orders, instructions and directions to Customs Officers for purposes of uniformity in the classification of goods or with respect to levy of duty on such goods. However, such order cannot require Customs officer to make assessment in a particular way or interfere with discretion of Commissioner (Appeals).
Section 153	Any decision or order passed or any summons or notice under the Act, shall be served (a) by tendering the same or by sending it with registered post with acknowledgment due to the person for whom it is intended or his authorised agent (b) If it cannot be served as aforesaid, then by affixing a copy at a conspicuous space in factory or warehouse (c) If this is also not possible, then affixing a copy on the notice board of the office or authority which issued the notice, order, summons or decision.
Section 154	Correction of-(a) clerical or arithmetical mistakes or (b) errors due to any accidental slip or omission in any decision or order passed by Central Government, CBEC or any officer of Customs.
Section 154A	Duty, interest, penalty or fine to be rounded off to nearest rupee.

धारा 155	सीमाशुल्क अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में, सद्भाव से किये गए किसी कार्य अथवा करने की इच्छा के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमों, अभियोजन अथवा कानूनी प्रक्रियाएँ नहीं होगी। यदि कोई प्रक्रिया (मुकदमों से अलग) शुरू की जानी है, तो केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसे अधिकारी को एक महीने का अग्रिम ज्ञापन दिया जाना आवश्यक है।
धारा 156	केन्द्रीय सरकार अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम बनाने के लिए सक्षम है।
धारा 157	बोर्ड (सीबीईसी) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विनियमन बनाने हेतु सक्षम है।
धारा 158(2)(ii)	केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम तथा सीबीईसी द्वारा बनाए गए विनियम किसी व्यक्ति पर जो नियमों अथवा विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, रूपए 50,000 तक की शास्ति का प्रावधान कर सकते हैं।

Section 155	No suit, prosecution or legal proceedings shall lie against Central Government or any officer of Central/State Government for anything done or intended to be done, in good faith, in pursuance of Customs Act or any rule made thereunder. If any proceeding (other than a suit) is to be commenced, one month advance notice is required to be given to Central Government or such officer.
Section 156	Central Government has been empowered to make rules, consistent with provisions of the Act, to carry out the purposes of the Act.
Section 157	Board (CBEC) is empowered to make regulations, consistent with provisions of the Act, to carry out the purposes of the Act.
Section 158(2)(ii)	Rules made by Central Government and regulations made by CBEC can provide for penalty up to Rs.50,000 on any person who violates any provisions of rules or regulations.

अध्याय 21

अधिदेश

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के अधिनियमन से पहले, प्राप्तियों की लेखापरीक्षा सहमति के आधार पर की जाती थी।

21.1 भारत का संविधान

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक जो भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई) के प्रमुख हैं, अपनी शक्तियाँ एवं कर्तव्य मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 से प्राप्त करते हैं।

21.2 सी एण्ड एजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, 15 दिसम्बर 1971 से लागू हुआ। अधिनियम की धारा 16, प्रावधान करती है:-

“ऐसी सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करना जो भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधान सभा हो, की समेकित निधि में देय हों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कर्तव्य होगा एवं स्वयं को संतुष्ट करना कि उस संबंध में नियम एवं कार्यविधियाँ राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा उचित आबंटन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित हैं तथा उनका विधिवत अनुपालन किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए लेखाओं की इस प्रकार जाँच करे जैसे वह उचित समझे और उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।”

इस अधिनियम के पारित होने के साथ ही संघ एवं राज्यों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वैधानिक उत्तरदायित्व बन गया है।

Chapter 21

Mandate

Prior to the enactment of the CAG's (DPC) Act, 1971, the audit of receipts was done on consent basis.

21.1 Constitution of India

The Comptroller and Auditor General of India who is the head of the Supreme Audit Institution (SAI) of India derives his duties and powers mainly from Articles 149 to 151 of the Constitution of India.

21.2 C&AG's (DPC) Act, 1971

The Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 came into force from 15 December 1971. Section 16 of the Act provides :-

“It shall be the duty of the Comptroller and Auditor General to audit all receipts which are payable into the Consolidated Fund of India and of each State and of each Union Territory having a Legislative Assembly and to satisfy himself that the rules and procedures in that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue and are being duly observed and to make for this purpose such examination of the accounts as he thinks fit and report thereof.”

With the passing of this Act, it has become the statutory responsibility of the Comptroller and Auditor General of India to audit receipts of the Union and the States.

अध्याय 22

लेखापरीक्षा पर विनियम

22.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सेवा शर्तें तय करता है तथा अधिनियम से संबंधित अथवा जुड़े हुए अन्य मामलों तथा उसके कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 23 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी विनियमावली बनाने के लिए प्राधिकृत करती है जो सरकारी विभाग के मार्गदर्शन के लिए प्राप्तियाँ एवं व्यय के बारे में विस्तृत सिद्धांत तथा सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धान्तों के निर्धारण सहित लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं सीमा से संबंधित हैं।

लेखापरीक्षा की जाएगी

(क) ऐसे **लेखाओं**, वाउचरों एवं अभिलेखों के संदर्भ में जो **लेखापरीक्षा** कार्यालय में प्राप्त हो सकते हैं एवं जिसमें लेखापरीक्षा योग्य सत्त्व के आन-लाइन डाटा, सूचना तथा दस्तावेज सम्मिलित हो सकते हैं तथा

(ख) लेखापरीक्षा योग्य सत्त्व के कार्यालय में अथवा ऐसे स्थान पर जहाँ **लेखापरीक्षा** के लिए उपयुक्त अभिलेख उपलब्ध हों अथवा ऐसे अन्य स्थान पर जैसा **लेखापरीक्षा** द्वारा निर्णय किया जाए।

सीएजी के डीपीसी अधिनियम की इस धारा 23 के अनुपालन में, लेखापरीक्षा तथा लेखा पर विनियम, 2007 बनाए गये तथा 20 नवम्बर, 2007 को भारत के गजट में अधिसूचित किये गए हैं। प्राप्ति लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण कुछ विनियमों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:-

22.2 अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु सामान्य सिद्धांत

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा (अध्याय-6 (ग) लेखापरीक्षा तथा लेखा पर विनियम का पैरा सं. 53 से 58)

(i) प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सी एण्ड एजी का प्राधिकार

अधिनियम की धारा 16 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार तथा विधान मंडल वाले प्रत्येक संघ राज्य की प्राप्तियों (राजस्व तथा पूँजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत करती है तथा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि इसके लिए नियम एवं कार्यविधियाँ राजस्व के आकलन, संग्रहण एवं उचित आबंटन पर प्रभावशाली नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं एवं उनका विधिवत रूप से पालन हो रहा है।

Chapter 22

Regulations on Audit

22.1 The Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service)

Act, 1971 determines the conditions of service of the Comptroller and Auditor General of India and prescribes his duties and powers and other matters connected with or incidental to the Act. Section 23 of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to make regulations for carrying into effect the provisions of the Act in so far as they relate to the scope and extent of audit including laying down for the guidance of the Government Departments the general principles of Government accounting and the broad principles in regard to audit of receipts and expenditure.

Audit will be conducted

- (a) with reference to such **accounts**, vouchers and records as may be received in the **audit** office and may include on-line data, information and documents of the auditable entity; and
- (b) in the office of the auditable entity or at the site where the relevant records for **audit** are available or at such other place as may be decided by **Audit**.

In pursuance of this Section 23 of the CAG's DPC Act, the Regulations on Audit and Accounts, 2007 have been framed and notified in the Gazette of India on November 20, 2007. Some of the regulations significant in Receipt Audit are listed below:-

22.2 General Principles for Compliance Audit

Audit of Receipts (Chapter – 6 (C), Para No.53 to 58 of Regulations on Audit and Accounts).

(i) **Authority of the C&AG for audit of receipts**

Section 16 of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit all receipts (both revenue and capital) of the Government of India and of Governments of each State and of each Union Territory having a legislative assembly and to satisfy himself that the rules and procedures are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue and are being duly observed.

(ii) प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा उनकी प्रभावोत्पादकता की जाँच

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के संबंध में प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं एवं उनकी प्रभावोत्पादकता की जाँच सम्मिलित है:

- (1) संभावित कर निर्धारितियों को चिन्हित करना, कर अपवंचन का पता लगाने तथा रोकने के साथ-साथ कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करना;
- (2) दावों का उचित सतर्कता की साथ अनुसरण करना तथा यह देखना कि इन्हें पर्याप्त औचित्य एवं उचित अधिकार के अलावा छोड़ा या कम नहीं किया जा रहा है;
- (3) यदि आवश्यक हो तो अन्य समान मामलों की समीक्षा के माध्यम से कपट, चूक अथवा गलती से राजस्व की हानियों की तत्वरित जाँच;
- (4) शास्तियों के उद्ग्रहण तथा अभियोजन की शुरुआत सहित विवेक शक्तियों का एक उपयुक्त तरीके से प्रयोग करना;
- (5) विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश पर सरकार के हितों की रक्षा हेतु उपयुक्त कार्रवाई;
- (6) कोई योजना जो सरकार द्वारा समय-समय पर प्रारंभ की जा सकती है;
- (7) राजस्व प्रशासन को सशक्त करने एवं सुधार करने हेतु प्रारंभ किये गए कोई उपाय;
- (8) राशियाँ जो बकाया हो सकती हैं, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव तथा बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्यवाही;
- (9) विभागों द्वारा वहन किये गए व्यय सहित अन्य गौण एवं गैर-निर्धारणीय कार्य;
- (10) लक्ष्यों की प्राप्ति, प्राप्तियों का लेखांकन एवं रिपोर्टिंग तथा लेखा अभिलेखों के साथ उनकी प्रति जाँच तथा समाधान;
- (11) प्रतिदाय, छूट, फिरती, माफी तथा कटौती की राशि, यह देखने के लिए कि इनका सही प्रकार से आकलन एवं लेखांकन किया गया है; एवं
- (12) कोई अन्य मामला, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तय किया जाए।

(iii) नीति का आधार बनाने वाले डाटा, सूचना तथा दस्तावेजों की सम्पूर्णता

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में डाटा, सूचना तथा दस्तावेजों की सम्पूर्णता की जाँच सम्मिलित है जो नीति के आधार बनते हैं।

(ii) Examination of systems and procedures and their efficacy

Audit of receipts includes an examination of the systems and procedures and their efficacy in respect of:

- (1) identification of potential tax assessees, ensuring compliance with laws as well as detection and prevention of tax evasion;
- (2) pursuit of claims with due diligence and that these are not abandoned or reduced except with adequate justification and proper authority;
- (3) prompt investigation of losses of revenue through fraud, default or mistake including, if required, through the review of other similar cases;
- (4) exercise of discretionary powers in an appropriate manner including levy of penalties and initiation of prosecution;
- (5) appropriate action to safeguard the interests of the Government on the orders passed by departmental appellate authorities;
- (6) any scheme as may be introduced by the Government from time to time;
- (7) any measures introduced to strengthen or improve revenue administration;
- (8) amounts that may have fallen into arrears, maintenance of records of arrears and action taken for the recovery of the amounts in arrears;
- (9) other ancillary and non-assessment functions including expenditure incurred by the departments;
- (10) achievement of targets, accounting and reporting of receipts and their crossverification
and reconciliation with the accounts records;
- (11) amounts of refunds, rebates, drawbacks, remissions and abatements to see that these are correctly assessed and accounted for; and
- (12) any other matter, as may be determined by the Comptroller and Auditor General.

(iii) Integrity of data, information and documents forming basis of policy

The scope of audit of receipts includes examination of integrity of data, information and documents which form the basis of a policy.

(iv) निर्धारण फाइलों तथा अभिलेखों एवं कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस तक पहुँच

- (1) लेखापरीक्षा अधिकारी की पहुँच व्यक्तिगत निर्धारण फाइलों तक होगी जैसा आवश्यक हो जो लागू कानूनों एवं नियमों का विषय है। संबंधित विभाग निर्धारण अभिलेखों तक तथा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा अनुरक्षित डाटा बेस सहित हार्ड कॉपी में/अथवा/एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहुँच उपलब्ध कराएगा।
 - (2) तीसरी पार्टी के अभिलेखों तथा उस पर अतिरिक्त सूचना के संबंध में विनियमों के अध्याय 12 में इस संबंध में दिये गए प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है।
- (v) लेखापरीक्षा द्वारा दर्शायी गई प्रणालीगत चूकों अथवा उच्च जोखिम बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्यवाही**

जहाँ लेखापरीक्षा अधिकारी प्रणालीगत चूकों को दर्शाता है अथवा उच्च जोखिमों को चिन्हित करता है, वहाँ विभाग को इस प्रकार चिन्हित इन चूकों को सुधारने तथा जोखिमों को कम करने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

(vi) विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की सूचना

विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक संसद अथवा विधानमंडल के समक्ष रखी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल स्वीकृत पैराग्राफों के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियों पर वसूलियों सहित की गई अनुवर्ती कार्यवाही के विवरण वाला एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

22.3 निष्पादन लेखापरीक्षा (अध्याय-7, लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियमों का पैरा सं. 68 से 77)

परिभाषा

निष्पादन लेखापरीक्षा उस सीमा तक एक स्वतंत्र आकलन अथवा जाँच है जिस तक एक संगठन, कार्यक्रम अथवा योजना आर्थिक कुशलता एवं प्रभावकारी रूप से संचालित होती है।

(i) निष्पादन लेखापरीक्षा के तीन 'ईज'

निष्पादन लेखापरीक्षा आकलन करती है:

- (क) **अर्थ प्रबंधन** – अर्थप्रबंधन उचित गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए एक गतिविधि के लिए प्रयुक्त संसाधनों की लागत को कम करना है। अर्थ प्रबंधन मुद्दे इनपुट एवं प्रक्रियाओं की

(iv) Access to assessment files and records and computerised database

- (1) The audit officer shall have access to individual assessment files as may be necessary subject to provisions of applicable laws and rules. The department concerned shall provide access to the assessment records and also any computerized systems including the databases maintained by it in hard copy or/and electronic form.
- (2) As regards third party records and additional information thereon, provisions in this regard in Chapter 12 of the Regulations may be referred to.

(v) Follow up action on systemic faults or high risks pointed out by Audit

Where the audit officer points out systemic faults or identifies high risks, the department should take appropriate action to address these faults and mitigate the risks so identified.

(vi) Intimation of follow up action taken by the department

The department shall furnish within six months of the close of each financial year, an annual statement to the Accountant General (Audit) containing the details of follow up action taken on audit observations, including recoveries, in respect of accepted paragraphs included in the audit reports laid before Parliament or legislature till the end of that financial year.

22.3 Performance Audit (Chapter – 7, Para No.68 to 77 of Regulations on Audit and Accounts).

Definition

Performance audit is an independent assessment or examination of the extent to which an organisation, programme or scheme operates economically, efficiently and effectively.

(i) Three Es of performance audit

Performance audit assesses:

- (a) **Economy** – Economy is minimising the cost of resources used for an activity, having regard to appropriate quality. Economy issues focus on the cost of

लागत पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। अर्थ प्रबंधन वहाँ होता है जहाँ समान-गुणवत्ता वाले संसाधन कम लागत पर प्राप्त किये जाते हैं।

(ख) **कुशलता** – कुशलता माल, सेवाओं अथवा अन्य परिणामों के संबंध में आउटपुट एवं उनका उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त संसाधनों के मध्य संबंध है। कुशलता वहाँ विद्यमान होती है जहाँ वित्तीय, मानव, वास्तविक एवं सूचना संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार होता है कि संसाधन इनपुटों के दिये गए किसी समूह से आउटपुट को बढ़ाया जाता है, अथवा आउटपुट की दी गई किसी मात्रा एवं गुणवत्ता के लिए इनपुट को कम कर दिया जाता है।

(ग) **प्रभावकारिता** – प्रभावकारिता वह सीमा है जहाँ तक लक्ष्य तथा एक गतिविधि के वांछित प्रभाव तथा वास्तविक प्रभाव के मध्य संबंध प्राप्त किये जाते हैं। प्रभावकारिता इस मुद्दे का समाधान करती है कि क्या योजना, कार्यक्रम अथवा संगठन ने अपने लक्ष्य प्राप्त किये हैं।

(ii) **गौर करने लायक लक्ष्य, निष्पादन संकेतक इत्यादि के विकास के लिए उत्तरदायित्व।**

गौर करने लायक लक्ष्य तथा निष्पादन संकेतक जैसे मापन की प्रणाली, के विकास का उत्तरदायित्व सरकारी विभागों अथवा सत्त्वों के प्रमुख पर होता है। उनसे गौर करने लायक एवं निगरानी करने लायक अर्थ में मध्यवर्ती तथा अन्तिम आउटपुट तथा परिणामों एवं सुपुर्दगी की लागत इकाई को मानकीकृत करने तथा आउटपुट एवं परिणामों की बेंचमार्क गुणवत्ता को परिभाषित करने की अपेक्षा भी की जाती है।

(iii) **लेखापरीक्षा में गौर करने लायक लक्ष्यों तथा निष्पादन संकेतकों की समीक्षा**

आउटपुट एवं परिणामों के प्रति निष्पादन की समीक्षा करने में, लेखापरीक्षा गौर करने लायक लक्ष्य तथा निष्पादन संकेतकों की उनके औचित्य तथा पूर्णता के लिए गहन रूप से समीक्षा कर सकती है। लेखापरीक्षा कार्यक्रम निष्पादन की समीक्षा के लिए अच्छी कार्यप्रणालियों पर आधारित मानदण्ड भी स्थापित कर सकती है।

(iv) **निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की जा रहे सत्त्व के साथ बातचीत**

निष्पादन लेखापरीक्षा सभी उत्तरगामी चरणों जैसे लेखापरीक्षा लक्ष्यों तथा मानदण्डों की परिभाषा, विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम की तैयारी, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विकास, सिफारिशों का निरूपण तथा अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए विषयों के चुनाव से ही लेखापरीक्षा की जा रहे सत्त्वों के साथ उच्च स्तर की पारस्परिक क्रिया पर विचार करती है। सरकारी विभाग सभी चरणों पर लेखापरीक्षा अधिकारी को पर्याप्त एवं समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

the inputs and processes. Economy occurs where equal-quality resources are acquired at least cost.

(b) **Efficiency** – Efficiency is the relationship between the output, in terms of goods, services or other results and the resources used to produce them. Efficiency exists where the use of financial, human, physical and information resources is such that output is maximised for any given set of resource inputs, or input is minimised for any given quantity and quality of output.

(c) **Effectiveness** – Effectiveness is the extent to which objectives are achieved and the relationship between the intended impact and the actual impact of an activity. Effectiveness addresses the issue of whether the scheme, programme or organisation has achieved its objectives.

(ii) Responsibility for development of measurable objectives, performance indicators, etc.

The responsibility for the development of measurable objectives and performance indicators as also the system of measurement rests with the Government departments or heads of entities. They are also required to define intermediate and final outputs and outcomes in measurable and monitorable terms, standardise the unit cost of delivery and benchmark quality of outputs and outcomes.

(iii) Review of the measurable objectives and performance indicators in Audit

In reviewing performance against the outputs and outcomes, Audit may critically review the measurable objectives and performance indicators for their reasonableness and soundness. Audit may also set criteria for reviewing programme performance based on best practices.

(iv) Interaction with auditable entity during performance audit

Performance audit envisages a high degree of interaction with the auditable entities, right from the selection of subject(s) for review to all subsequent stages like definition of audit objectives and criteria, preparation of detailed audit programme, development of audit findings, formulation of recommendations and other related matters. Government departments shall ensure adequate and timely response to the audit officer at all stages.

(v) एन्ट्री कान्फ्रेंस का आयोजन

निष्पादन लेखापरीक्षा का विस्तृत कार्य आरंभ करने से पहले, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संबंधित विभाग के सरकारी सचिव के साथ एक एन्ट्री कान्फ्रेंस का आयोजन करेगा।

(vi) एन्ट्री कान्फ्रेंस में चर्चा हेतु विषय

एन्ट्री कान्फ्रेंस के दौरान चर्चा में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र कवरेज, लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं मानदण्ड, प्रमाण संग्रहण की प्रस्तावित तकनीकें, समग्र समय सीमा एवं संभावित समय सूची सम्मिलित होंगे। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संबंधित विभाग के सरकारी सचिव द्वारा दिए गए किसी सुझाव पर पूरा विचार करेंगे। दोनों पक्षों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित, एन्ट्री कान्फ्रेंस की प्रक्रियाओं का लिखित रिकार्ड अभिलेख पर रखा जाएगा।

(vii) लेखापरीक्षा में समन्वय एवं सहयोग हेतु एक अधिकारी का नामांकन

संबंधित विभाग का सरकारी सचिव विभाग के पर्याप्त वरिष्ठ अधिकारी को नामित करेगा जो विभाग के कार्यालय एवं संबंधित अधिकारी के साथ समन्वय हेतु उत्तरदायी होगा तथा लेखापरीक्षा अधिकारी के साथ उनका सहयोग सुनिश्चित करेगा।

(viii) एक्जिट कान्फ्रेंस का आयोजन

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार होने के बाद, संबंधित विभाग के सरकारी सचिव के साथ एक एक्जिट कान्फ्रेंस आयोजित करेगा। दोनों पक्षों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित, एक्जिट कान्फ्रेंस की प्रक्रियाओं का लिखित रिकार्ड अभिलेख पर रखा जाएगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निष्पादन मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देते समय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए सचिव की आपत्तियों एवं टिप्पणियों पर पूरा विचार करेगा।

(ix) विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत करना एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु सामग्री की प्रोसेसिंग

संबंधित विभाग का सरकारी सचिव निर्दिष्ट समय में मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर उत्तर प्रस्तुत करेगा एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु सामग्री को अन्तिम रूप देने से पहले ऐसे उत्तर पर गौर करेगा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु सामग्री की प्रोसेसिंग से संबंधित लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 के अध्याय 15 के प्रावधान एवं उस पर अनुवर्ती कार्यवाही लागू होंगे।

(v) Holding of entry conference

Before commencing detailed work of performance audit, the Accountant General (Audit) shall hold an entry conference with the Secretary to Government of the concerned department.

(vi) Topics for discussion in entry conference

The discussions at the entry conference shall *inter alia* include the scope and coverage of audit, audit objectives and criteria, proposed techniques of evidence collection, overall timeframe and tentative time schedule. The Accountant General (Audit) shall give full consideration to any suggestion that may be made by the Secretary to Government of the concerned department. A written record of the proceedings of the entry conference, duly signed by both parties, shall be kept on record.

(vii) Nomination of an officer for coordination and cooperation with Audit

The Secretary to Government of the concerned department shall nominate a sufficiently senior officer of the department who shall be responsible for coordinating with the concerned officers and the field offices of the department and ensuring their cooperation with the audit officer.

(viii) Holding of exit conference

The Accountant General (Audit) shall, after the draft performance audit report is ready, hold an exit conference with the Secretary to Government of the concerned department. A written record of the proceedings of the exit conference, duly signed by both parties, shall be kept on record. The Accountant General (Audit) shall give full consideration to the observations and comments of the Secretary while finalizing the draft performance audit report for inclusion in the audit report of the Comptroller and Auditor General.

(ix) Furnishing of reply by department and processing of material for audit report

The Secretary to Government of the concerned department shall furnish reply to the draft performance audit report within the specified time and the Accountant General (Audit) shall take into account such reply before finalising the material for audit report of the Comptroller and Auditor General. The provisions of Chapter 15 of the Audit and Accounts Regulations 2007 relating to processing of material for the audit reports of the Comptroller and Auditor General and the follow up action thereon shall apply.

22.4 सूचना प्रौद्योगिकी पर्यावरण में लेखापरीक्षण (अध्याय -11, लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियमों का पैरा सं. 157 से 166)

(i) आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षण का कार्यक्षेत्र

‘आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षण’ शब्द में विकासशील सहित है, तथा आई-टी – सहायता प्राप्त लेखापरीक्षाओं आई टी प्रणालियों की लेखापरीक्षा सम्मिलित है। आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षण लेखापरीक्षा की एक कार्यप्रणाली है एवं सभी प्रकार की लेखापरीक्षाओं नामतः वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालना लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर लागू हो सकती है।

(ii) लेखापरीक्षा के व्यापक सिद्धांतों की प्रयोजनीयता

लेखापरीक्षा के व्यापक सिद्धांत जैसा कि इन विनियमों में दिये गए हैं, आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षण पर लागू होंगे।

(iii) आईटी प्रणाली के अर्थ प्रबंधन, कुशलता तथा प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में संसाधनों के प्रयोग में आईटी प्रणालियों के अर्थ प्रबंधन, कुशलता तथा प्रभावकारिता की जाँच करती है।

(iv) विभिन्न चरणों पर आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा जाँच

लेखापरीक्षा विभिन्न स्तरों जैसे व्यवहार्यता अध्ययन, प्रणाली विकास, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर आईटी प्रणालियों की जाँच कर सकती है। इसे यह सुनिश्चित करना है कि आईटी सम्पत्तियाँ सुरक्षित की गई हैं तथा (क) प्रणाली की अखंडता (ख) डाटा तथा सूचना की विश्वनीयता, उपलब्धता तथा गोपनीयता (ग) नियमों एवं प्रक्रियाओं के साथ प्रणाली की अनुरूपता, सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण मौजूद हैं।

(v) लेखापरीक्षा की जाने वाले सत्त्व द्वारा आईटी प्रणाली के सभी चरणों का दस्तावेजीकरण

लेखापरीक्षा किये जाने वाले एक सत्त्व के लिए एक आईटी प्रणाली के विकास के सभी चरणों से संबंधित पूर्ण दस्तावेजीकरण बनाए रखना आवश्यक है। दस्तावेजीकरण में प्रयोक्ता आवश्यकता विनिर्देश, प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश तथा प्रणाली डिजाइन एवं विकास विवरण भी सम्मिलित होंगे।

(vi) किये गए परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण

लेखापरीक्षा किये जाने वाले सत्त्व के लिए इसकी आईटी प्रणाली में किये गए सभी परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण आवश्यक है।

22.4 Auditing in Information Technology Environment (Chapter – 11, Para No.157 to 166 of Regulations on Audit and Accounts).

(i) Scope of auditing in IT environment

The term ‘auditing in IT environment’ encompasses auditing IT systems including those under development, and IT-assisted audits. Auditing in IT environment is a methodology of audit and can be applied to all types of audit, namely, financial audit, compliance audit and performance audit.

(ii) Applicability of broad principles of audit

The broad principles of audit as contained in these Regulations shall apply to auditing in IT environment.

(iii) Audit of economy, efficiency and effectiveness of IT systems

Audit examines the economy, efficiency and effectiveness of the IT systems in the utilisation of resources to achieve the organisational goals.

(iv) Audit examination of IT systems at various stages

Audit may examine the IT systems at various stages such as feasibility study, system development, implementation and maintenance. This is to ensure that IT assets are safeguarded and that appropriate controls are in place to ensure (a) integrity of the system, (b) reliability, availability and confidentiality of the data and information and (c) compliance of the system with rules and procedures.

(v) Documentation of all the stages of IT system by the auditable entity

An auditable entity is required to maintain complete documentation related to all the stages of development of an IT system. The documentation shall also include user requirement specifications, system requirement specifications and system design and development details.

(vi) Documentation of changes made

The auditable entity is required to document all changes made in its IT systems.

(vii) आईटी प्रणाली में शामिल की जाने वाली लेखापरीक्षा की आवश्यकताएं

लेखापरीक्षा की जाने वाले सत्त्व के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लेखापरीक्षा को सरल बनाने के उद्देश्य के लिए सभी आवश्यकताएं आईटी प्रणाली में शामिल हैं।

(viii) लेखापरीक्षा को पहुँच का अधिकार

लेखापरीक्षा की जाने वाला सत्त्व सुनिश्चित करेगा कि लेखापरीक्षा को आईटी प्रणाली तक पहुँच का अधिकार है, इस तथ्य की परवाह किये बिना कि प्रणालियाँ लेखापरीक्षा किये जाने वाले सत्त्व द्वारा स्वयं की, अनुरक्षित एवं संचालित की गई है या लेखापरीक्षा की जाने वाले सत्त्व की तरफ से किसी अन्य एजेंसी द्वारा।

(ix) आईटी प्रणालियों पर सूचना

लेखापरीक्षा, आवधिक अन्तरालों पर, लेखापरीक्षा किये जाने वाले सत्त्व से प्रयोग में अथवा विकसित की जा रही विभिन्न आईटी प्रणालियों के बारे में सूचना माँग सकती है।

(x) साक्ष्य के लिए कार्यप्रणालियाँ एवं तकनीकें

लेखापरीक्षा कार्य के अनुसार लेखापरीक्षा अधिकारी आईटी उपकरणों का प्रयोग कर सकता है जो साक्ष्य के संग्रह एवं मूल्यांकन हेतु उचित हों।

(vii) Requirements of Audit to be incorporated in the IT system

The auditable entity is required to ensure that all requirements for the purpose of facilitation of audit are incorporated in the IT system.

(viii) Right of access to Audit

The auditable entity shall ensure that Audit has the right of access to the IT systems, irrespective of the fact whether the systems are owned, maintained and operated by the auditable entity or by any other agency on behalf of the auditable entity.

(ix) Information on IT systems

Audit may, at periodic intervals, call for information from the auditable entity about various IT systems in use or being developed.

(x) Methods and techniques for evidence

Depending upon the audit task, the audit officer may use IT tools as appropriate for collection and evaluation of evidence.

अध्याय 23

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा पर स्थायी आदेश

स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका के अध्याय 3 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के बारे में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का प्रावधान किया गया है।

23.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 में सभी प्राप्तियों जो संघ और प्रत्येक राज्य और विधान मंडल वाले संघ राज्य-क्षेत्र की समेकित निधि में देय हैं की लेखापरीक्षा का कर्तव्य नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का है।

23.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य और क्षेत्र

23.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में केन्द्र और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों की सभी कर और कर-इतर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा आती है। इसमें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लिए यह भी अपेक्षित है कि वह स्वयं इस बात से संतुष्ट हो कि उस आशय के नियम और कार्यविधि इस तरह बनाई जाती है जिससे राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके और उनका विधिवत् अनुपालन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए लेखाओं की ऐसी जाँच करें जो वह उचित समझे और उस पर रिपोर्ट करे।

23.2.2 लेखापरीक्षा विभाग को सांविधिक कर्तव्यों के निष्पादन में किसी भी प्रकार से राजस्व प्राधिकारियों का स्थान नहीं लेना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा को इस बात की सन्तुष्टि कर लेनी चाहिए कि, निजि निर्धारणों में वैधता और नियमितता की आवश्यकताओं का पालन किया जाता है और सामान्यतया यह कि विभागीय व्यवस्था ऐसी है कि वह भूल या जालसाजी के विरुद्ध पूर्णतया सुरक्षित है और जहाँ तक जाँच की जा सकती है वह क्रियाविधि इस प्रकार बनाई गई है कि कानून की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं।

23.2.3 लेखापरीक्षा का कर्तव्य न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करना नहीं होता है और न ही लेखापरीक्षा सामान्यतया अधिकारियों के विवेकाधिकार में स्पष्ट रूप से आने वाले क्षेत्रों में निजि मामलों में उनके द्वारा दिये गये निर्णय की समीक्षा करती है। परन्तु यह अवश्य मान लेना चाहिए कि ऐसे मामलों की जाँच निर्धारण क्रियाविधियों, वसूली क्रियाविधियों आदि की प्रभावकारिता आंकने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जहाँ किसी मामले में लेखापरीक्षा के लिए यह अभिनिश्चित करने के लिए कि कानूनी आवश्यकताओं का पालन कैसे किया गया है उपलब्ध सूचना अपर्याप्त होती है वहाँ लेखापरीक्षा को कार्य प्रणाली की प्रभावकारिता के संबंध में अपेक्षित निर्णय लेने के लिए अन्य कोई भी जानकारी माँगना अपना कर्तव्य समझना चाहिए।

Chapter 23

Standing Orders on Audit of Receipt

Chapter 3 of the Manual of Standing Orders (Audit) provides the following guidelines in respect of Audit of Receipts.

23.1 Audit Mandate

Section 16 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, enjoins upon the Comptroller and Auditor General the duty of auditing all receipts which are payable into the Consolidated Fund of the Union and of each State and Union Territory having a Legislative Assembly.

23.2 Audit Objectives and Scope

23.2.1 Audit of receipts embraces the audit of all tax and non-tax receipts of the Central and the State Governments and Union Territories. It also requires the Comptroller and Auditor General to satisfy himself that the rules and procedures in that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenues and are being duly observed and to make, for this purpose, such examination of the accounts as he thinks fit and report thereon.

23.2.2 The Audit Department should not in any way substitute itself for the revenue authorities in the performance of statutory duties. However, Audit should satisfy itself that the requirements of legality and regularity are observed in individual assessments and in general that the departmental machinery is sufficiently safeguarded against error and fraud and that so far as can be judged, the procedures are calculated to give effect to the requirements of law.

23.2.3 It is not the duty of Audit to review a judicial decision nor does Audit normally review the judgment exercised by officers in individual cases in areas purely falling in their discretion. But it must be recognized that an examination of such cases is important for judging the effectiveness of assessment procedures, recovery procedures, etc. Where the information available on an individual case is insufficient to enable Audit to ascertain how the requirements of the law have been complied with, Audit may consider it its duty to ask for any further information to enable it to form the judgment required of it as to the effectiveness of the system.

23.2.4 निर्धारण, संगणना आदि में हुई कोई भी स्पष्ट भूल लेखापरीक्षा द्वारा बताई जा सकती है लेकिन वह कार्य प्रशासनिक प्राधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए कि ये भूलों का निवारण ऐसी वैध कार्यवाही द्वारा करें जिन्हें वे उपयुक्त समझें।

23.3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

जबकि अधिकांश मामलों में कर प्राप्ति की लेखापरीक्षा पृथक रूप से की जाती है अन्य विभागीय प्राप्ति संबंधित विभाग या योजना के व्यय के साथ सामान्य रूप से लेखापरीक्षित होनी हैं। ऐसे विभागों जिनके संबंध में जहाँ प्राप्ति की ब्यौरेवार लेखापरीक्षा करना संभव नहीं हो सकता है वहाँ उनके बारे में लेखापरीक्षा में लेखाओं से यथा संभव इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि (क) प्राप्त राशियाँ नियमित रूप से वसूल कर ली गई हैं और माँगी गई राशि से उनकी जाँच कर ली गई है और (ख) प्राप्त राशियों को लेखाओं में विधिवत् क्रेडिट कर दिया गया है।

23.4 लेखापरीक्षा संवीक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र

23.4.1 निर्धारण, संग्रहण और प्रतिदायों के लिए विनियमों और क्रियाविधियों की लेखापरीक्षा

विभागीय प्राधिकारियों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे यह देखें कि सरकार को देय समस्त प्राप्ति का सही रूप तथा उचित प्रकार से निर्धारण किया गया है, वे वसूल की गई हैं और सरकारी लेखाओं में क्रेडिट की गई हैं। लेखापरीक्षा विभाग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह (i) देखना है कि करो के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए राजस्व विभाग द्वारा उपयुक्त विनियम और क्रियाविधि बनाई गई है और (ii) उपयुक्त नमूना जाँच द्वारा अपने आपको इस बात से सन्तुष्ट करना कि इन विनियमों और क्रियाविधियों का वस्तुतः पालन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा विभाग को लेखाओं में दर्ज की गई राशियों की शुद्धता के बारे में ऐसी जाँच भी कर लेनी चाहिए जो वह उपयुक्त समझे।

23.4.2 धोखाधड़ी और अन्य अनियमिताओं का पता लगाने/रोकने के लिए व्यवस्थाओं की लेखापरीक्षा

प्राप्ति की लेखापरीक्षा में लोक धन प्राप्त करने वाले किसी भी विभाग के विषय में इस बात का अभिनिश्चय करना आवश्यक होगा कि अनियमिताओं, दोहरे प्रतिदायों, प्रतिदाय के कपटपूर्ण या जाली वाउचरों या जालसाजी, गलती या कर लगाने या उगाहने या प्रतिदायों के जारी करने में जानबूझकर की गई चूक या लापवाही के कारण हुई राजस्व की अन्य हानि का शीघ्र पता लगाने, उसकी जाँच पड़ताल और रोकने को सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय विद्यमान हैं। उदाहरणतः विभाग कर दाताओं या अन्य ऋणियों के पास उपलब्ध उन प्राप्ति के अधपन्नों के नमूना सेट की तुलना करने का अनुरोध कर सकते हैं और तुलनात्मक

23.2.4 Any obvious errors in assessment, computation, etc. can be pointed out in audit leaving it to the administrative authorities to set right the errors by adopting such action as they may consider appropriate.

23.3 Audit Approach

Whereas the audit of tax receipts is, in most cases, taken up separately, other departmental receipts are generally audited along with the audit of the expenditure of the department or scheme concerned. Even in respect of departments where a detailed audit of receipts has not been possible, it should be verified in audit in so far as it is possible from the accounts that (a) sums due are regularly recovered and checked against demand, and (b) sums received are duly brought to credit in the accounts.

23.4 Key areas of audit scrutiny

23.4.1 Audit of regulations and procedures for assessment, collection and refunds

It is the primary responsibility of the departmental authorities to see that all receipts due to Government are correctly and properly assessed, realized and credited to Government account. The most important functions of audit are (i) to see that adequate regulations and procedures have been framed by the Revenue Department to secure an effective check on assessment, collection and proper allocation of taxes; and (ii) to satisfy itself by adequate test check that such regulations and procedures are actually being adhered to. Audit should also make such examination as it thinks fit with respect to the correctness of the sums brought to account.

23.4.2 Audit of arrangements for detection/prevention of frauds and other irregularities

In the audit of Receipts, it would be necessary in the case of a department which is a receiver of public money to ascertain what arrangements are in place to ensure the prompt detection, investigation and prevention of irregularities, double refunds, fraudulent or forged refund vouchers or other loss of revenue through fraud, error or willful omission or negligence to levy or collect taxes or to make refunds. For instance, the department could be requested to undertake a comparison of a sample set of counterfoils of receipts with those available with the tax payers

अध्ययन के परिणामों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाये। लेखापरीक्षा कार्यविधि में किसी उपयुक्त सुधार का सुझाव भी दे सकती है।

23.4.3 प्राप्तियों के संग्रहण को शासित करने वाले नियमों और आदेशों की प्रभावकरिता की लेखापरीक्षा

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा मुख्यतया उन सांविधिक उपबन्धों जैसा कि न्यायिक रूप से प्रतिपादित हैं या लिखित विशेष प्राप्तियों पर वित्तीय नियमों या आदेशों के संबंध में विनियमित की जायेगी, जो कि उन लागू होते हैं। यदि नमूना जाँच करने पर उपबन्धों, नियमों या आदेशों में कोई दोष, कमी या कमियाँ प्रतीत होती हैं तो इन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित करने के औचित्य की ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए।

23.4.4 वसूलियों की आवधिकता की लेखापरीक्षा

जहाँ किसी मामले में लागू होने वाला कोई भी वित्तीय नियम या आदेश वसूलियों का मान या आवधिकता निर्धारित करता हो, वहाँ लेखापरीक्षा विभाग का यह कर्तव्य है कि वह यथासंभव इस बात का ध्यान रखे कि उनसे उचित प्राधिकार के बिना कोई विपथन तो नहीं किया गया है। जब ऐसी जाँच केन्द्रीय लेखापरीक्षा में न की जा सकती हो, तो स्थानीय निरीक्षण के समय नमूना लेखापरीक्षा की जा सकती है जिनका लक्ष्य किसी खास ऋण की विधिवत उगाही के अलावा इस बात को सुनिश्चित करना है कि नियमों की उपेक्षा या निःसरण क्रियाविधि में कमियाँ ऐसी तो नहीं हैं जिनमें राजस्व की क्षति हो।

23.4.5 बकाया प्राप्यों की जाँच

लेखापरीक्षा को किसी भी प्रकार के बकाया प्राप्यों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए और विभागीय प्राधिकारियों को किसी भी तरीके से व्यवहार्य उनकी वसूली के लिए सुझाव देने चाहिए। जब भी कोई प्राप्य अप्रतिप्राप्य पाये जाते हैं तो उनके माफ करने और समायोजन के लिए आदेश प्राप्त करने चाहिए।

23.4.6 आन्तरिक नियंत्रणों की लेखापरीक्षा

साधारणतया लेखापरीक्षा विभाग यह देखेगा कि आन्तरिक क्रियाविधि माँगों, संग्रहण और प्रतिदायों को सही और नियमित रूप से लेखाबद्ध करने को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करती है और कि पर्याप्त कारण के बिना सरकार को देय कोई भी राशि उसकी पुस्तकों में बकाया न रहे और दावों का तत्परता से परिशीलन किया जाता है उचित प्राधिकार के बिना उसका परित्याग या उन्हें कम न किया जाना है।

सारांश में, निर्धारणों और प्रतिदायों के संबंध में संबंधित लेखापरीक्षा का क्षेत्र और लेखापरीक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह इस प्रकार की नमूना जाँच द्वारा जिसे यह

or other debtors, the results of the comparative study being made available to Audit. Audit may also suggest any appropriate improvement in procedure.

23.4.3 Audit of effectiveness of rules and orders governing collection of receipts

Audit of receipts will be regulated mainly with reference to the statutory provisions as judicially interpreted or financial rules or orders applicable to the particular receipts involved. If the test check reveals any defects, lacunae or loopholes in the provisions, rules or orders, the department's attention should be drawn to the advisability of these being suitably amended.

23.4.4 Audit of periodicity of recoveries

Where any financial rule or order applicable to the case prescribes the scale or periodicity of recoveries, it will be the duty of the Audit to see as far as possible that there is no deviation therefrom without proper authority. When this check cannot be exercised centrally, a test check may be conducted by local inspections, the aim being to secure the due realisation of particular debts and as well as to ensure that the disregard of rules or defects in procedure are not such as to result in leakage of revenue.

23.4.5 Examination of outstanding dues

Audit should carefully review any outstanding dues and suggest to the departmental authorities any feasible means for their recovery. Whenever any dues appear to be irrecoverable, orders for their waiver and adjustment should be sought.

23.4.6 Audit of internal controls

Ordinarily, Audit will see that the internal procedures adequately secure correct and regular accounting of demands, collections and refunds, that no amounts due to Government remain outstanding in its books without sufficient reason and that the claims are pursued with due diligence and are not abandoned or reduced except with adequate justification and with proper authority.

To sum up, the most important function of Audit and the area of audit concern in relation to assessments and refunds is to satisfy itself, by such test

आवश्यक समझे अपने आपको सन्तुष्ट कर ले कि आन्तरिक क्रियाविधि में नीचे लिखी गई बातों की पर्याप्त व्यवस्था है और वह वस्तुतः उन्हें सुनिश्चित करती है:

- (i) कानून के अधीन माँग या प्रतिदाय की संगणना के लिए आवश्यक आँकड़ों का संग्रहण और उनका उपयोग,
- (ii) कि विभिन्न करों, फीस, किराया, रायल्टी आदि की संगणना और उगाही लागू कर कानूनों के अनुसार हैं;
- (iii) कानून द्वारा अपेक्षित रीति से कर दाताओं पर शीघ्र माँगे उठाना ;
- (iv) माँगों, संग्रहण और प्रतिदायों का नियमित लेखाकरण;
- (v) संग्रहणों का ठीक-ठीक लेखाकरण और विनिधान और उन्हें समेकित निधि में क्रेडिट करना;
- (vi) कि सुसंगत और अपेक्षित अभिलेखों का उचित प्रकार से रखरखाव किया जा रहा है;
- (vii) कि करों के उद्ग्रहण या संग्रहण या प्रतिदायों को प्राधिकृत करने की लापरवाही या चूक करने के प्रति सुरक्षा के उचित प्रबंध किये गये हैं ;
- (viii) कि पर्याप्त नियंत्रण और मॉनीटरिंग तंत्र ने राजस्व की हानि या निःसरण को रोकने हेतु युक्ति बना ली है;
- (ix) कि प्रयोजन के लिए बनाये गये नियमों में कमी या कमियों के कारण अथवा आवश्यक अधिसूचनाओं और आदेशों के जारी करने में परिहार्य विलम्ब के कारण राजस्व की कोई भी हानि अथवा निःसरण नहीं हुआ है ;
- (x) कि अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए मशीनरी पर्याप्त है;
- (xi) कि दोहरे प्रतिदायों, प्रतिदाय के जाली या झूठे आदेश या जालसाजी, चूक या गलती से होने वाले राजस्व की अन्य प्रकार की हानियाँ शीघ्र ध्यान में लाई जाती हैं और उनकी जाँच पड़ताल की जाती है;
- (xii) कि कर दाताओं के दावों का तत्परता से परिशीलन किया जाता है और पर्याप्त औचित्य और उचित प्राधिकार के बिना उनका परित्याग या उन्हें कम नहीं किया जाता है;
- (xiii) कि न्यायालय में या अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अनिर्णीत मामले पर पर्याप्त रूप से कार्यवाही की जा रही है और अपीलें जहाँ औचित्य है या आवश्यक मानी गई है, को सीमा अवधि के अन्दर दायर किया गया है, और
- (xiv) कि राजस्व के प्राक्कलनों की वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उगाही की गई है।

checks as it may consider necessary, that the internal procedures adequately provide for and actually ensure:

- (i) the collection and utilisation of data necessary for the computation of the demand or refund under law
- (ii) that the computation and realisation of various taxes, fees, rents, royalty, etc. are in accordance with the applicable tax laws;
- (iii) the prompt raising of demands on tax payers in the manner required by law;
- (iv) the regular accounting of demands, collections and refunds;
- (v) the correct accounting and allocation of collections and their credit to the Consolidated Fund;
- (vi) that the relevant and requisite records are being maintained properly;
- (vii) that proper arrangements are in place to safeguard against negligence or omission to levy or collect taxes or to authorise refunds;
- (viii) that adequate control and monitoring mechanisms have been devised to prevent loss or leakage of revenue;
- (ix) that there has not been any loss or leakage of revenue on account of lacunae or loopholes in the rules framed for the purpose or on account of avoidable delays in the issue of the necessary notifications and orders;
- (x) that the machinery for detection of cases of evasion is adequate;
- (xi) that double refunds, fraudulent or forged refund orders or other losses of revenue through fraud, default or errors are promptly brought to light and investigated;
- (xii) that claims of tax payers are pursued with due diligence and are not abandoned or reduced except with adequate justification and proper authority;
- (xiii) that cases pending in courts of law or before appellate authorities have been pursued adequately and appeals, wherever justified or considered necessary, have been filed within the period of limitation; and
- (xiv) that the estimates of revenue have been realized at the end of the financial year.

टिप्पणी: प्राक्कल्नों की उगाही में गिरावट के मामलों में लेखापरीक्षा को यह भी अभिनिश्चित करना चाहिए कि यह संग्रहण में लापरवाही के कारण थी अथवा मूल प्राक्कलन स्वयम् गलत या अवास्तविक थे।

23.4.7 प्रति सत्यापन

निर्धारणों की लेखापरीक्षा में निर्धारण पत्रावलियाँ और विवरणियाँ स्वयम् बिक्री या आय की कम घोषणा को हमेशा प्रकट नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में एक यूनिट आधारित दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं हो सकते और अन्तर्-अनुशासनिक दृष्टिकोण की माँग की जा सकती है। उदाहरणार्थ डीलर जो विनिर्माता भी है के बिक्री कर निर्धारण की जाँच के मामले में उनकी विवरणियों में दिये गये डॉटा को देखने के लिए कि क्या कोई परिवर्तन या कमियाँ तो नहीं हैं, को उनके द्वारा केन्द्रीय उत्पादशुल्क विवरणियों में दिये गये तदनुरूपी डॉटा के साथ सत्यापित किया जा सकता था। ऐसा प्रतिसत्यापन आयकर विवरणियों में भी सम्भव हो सकता है।

Note: In cases of shortfall in the realization of the estimates, Audit should ascertain if this was attributable to negligence in collection or whether the original estimates themselves were erroneous or unreliable.

23.4.7 Cross Verification

In the audit of assessments, the assessment files and returns themselves may not always reveal under declaration of sales or income. In such cases, a unit-based approach may not suffice and an inter-disciplinary approach may be called for. For example, in the case of check of Sales Tax assessment of dealers who are also manufacturers, the data furnished in their returns could be verified with the corresponding data furnished by them in their Central Excise returns to see whether there are any variations or discrepancies. Similar cross verification may also be possible with the income tax returns.

अध्याय 24

सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग का संगठनात्मक ढाँचा

24.1 प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग (मुख्यालय)

मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा विंग की अध्यक्षता करता है एवं उप/अति. उप सीएवंएजी, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से सीएवंएजी को रिपोर्ट करता है। प्रधान निदेशक प्रधान लेखापरीक्षा अधिकायी के रूप में कार्य करता है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने का उत्तरदायित्व रखता है, जो सीएवंएजी के अनुमोदन के पश्चात् संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क) कर्तव्यों के निर्वहन हेतु वरि. प्रशासनिक अधिकारियों तथा अनुभागीय स्टाफ के एक दल से सहायता प्राप्त करता है।

24.2 मुख्यालय को सौंपे गए कार्य

24.2.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की तैयारी

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निष्पादन लेखापरीक्षा पर मसौदा रिपोर्ट, सीमा शुल्क पर मसौदा पैरा की, मुख्यालय में विवीक्षा की जाती है तथा वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों हेतु जारी किये जाते हैं तथा एसइजेडज के अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की भी लेखापरीक्षित इकाईयों को जारी करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को वापस करने से पहले मुख्यालय में विवीक्षा की जाती है। व्यक्तिगत मसौदा पैराग्राफों एवं मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा पर मंत्रालय की टिप्पणियों के आधार पर, सीमाशुल्क अनुपालना लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/एसएआरज को अन्तिम रूप दिया जाता है। विधिवत रूप से पीडी (सीमा शुल्क) से हस्ताक्षरित तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, वित्त मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाते हैं जो विशेषकर बजट अधिवेशन के दौरान संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करवाता है।

उपरोक्त के अलावा, अनुपालना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निम्नलिखित सूचना होती है जो मुख्यालय द्वारा संग्रहीत की जाती है।

अध्याय 1 के लिए मंत्रालय/विभाग से प्राप्त प्रोफार्मा का ब्यौरा

क्र. सं.	प्रोफार्मा सं.	विषय	कार्यालय
1	1	सीमा शुल्क प्राप्ति में बजटिंग मुद्दे	डाटा प्रबन्धन निदेशालय
	2	पिछले पाँच वित्त वर्षों के लिए	डाटा प्रबंधन निदेशालय, वाणिज्य एवं

Chapter 24

Organisational Set-Up of Customs Receipt Audit Wing

24.1 Receipt Audit Wing (Headquarters)

At the headquarters at New Delhi, Principal Director of Audit heads the wing and reports to C & AG through Deputy/Addl, Dy. C & AG as the case may be. The Principal Director functions as Principal Audit Officer and is vested with the responsibility of preparing annual audit reports, which after approval of C & AG are submitted to the President of India for being laid before both Houses of Parliament. Principal Director (Customs) is assisted by a team of Sr. Administrative Officers and Sectional staff in discharging duties.

24.2 Functions assigned to headquarters

24.2.1 Preparation of audit reports

Draft paras on Customs, draft Reports on Performance Audits received from the field offices, are vetted at headquarters and issued to the Ministry of Finance for their comments and separate audit reports of SEZs are also vetted in headquarters before returning to concerned field office for issuance to the auditee units. Based on the Ministry's comments to the individual draft paragraphs and draft performance Audits, the Customs Compliance audit, Performance audit Reports/SARs are finalized. The Audit Reports, duly signed by PD(Customs) and countersigned by the Comptroller and Auditor General of India, are submitted to the President of India through Ministry of Finance, who causes them to be laid on table of both the houses of Parliament every year preferably during the budget session.

Apart from above, Compliance Audit Report contains the following information which is collected by Headquarters.

Details of proforma for Chapter 1 received from Ministry/Department

Sl No.	Proforma No.	Subject	Office
1	1	Budgeting issues in Customs Receipts	Directorate of Data Management
	2	India's Export and Import for last five FYs.	Directorate of Data Management, Ministry of Commerce and

		भारत के आयात एवं निर्यात	उद्योग मंत्रालय तथा विदेशी व्यापार महानिदेशालय
2	2ए	आयात-2 (ए)	-वही-
3	2बी	निर्यात-2 (बी)	-वही-
4	2सी	आयात के प्रथम 10 देश	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विदेशी व्यापार महानिदेशालय
	2डी	निर्यात के प्रथम 10 देश	-वही-
5	3	पिछले पाँच वित्त वर्षों के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों का कर आधार	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विदेशी व्यापार महानिदेशालय
6	4ए	प्रमुख वस्तुओं तथा विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर अध्याय वार छोड़ा गया वास्तविक राजस्व	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेशी व्यापार महानिदेशालय तथा वित्त मंत्रालय (फिरती प्रभाग)
7	4बी	प्रमुख वस्तुओं तथा विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर अध्याय वार भुगतान किये गए वास्तविक रिफण्ड एवं फिरती	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेशी व्यापार महानिदेशालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटी)
8	4सी	विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छोड़ा गया राजस्व	डाटा प्रबन्धन निदेशालय
9	4डी	राजस्व बजट के छोड़े गए शुल्क स्थिति के तहत रिफण्ड का न दर्शाया जाना	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटी)
10	4ई	माह वार रिफण्ड	डाटा प्रबन्धन निदेशालय
11	5	31 मार्च को बकाया सीमा शुल्क	मुख्य आयुक्त (टीएआर)
12	6ए	महानिदेशालय मूल्यांकन (डीजीओवी) के कारण उद्ग्रहित अतिरिक्त राजस्व	महानिदेशालय मूल्यांकन (डीजीओवी)
13	6बी	आरएमएस द्वारा इंगित किये गए संव्यवहार	जोखिम प्रबन्धन प्रभाग
14	7	महानिदेशालय सुरक्षा द्वारा की	महानिदेशालय सुरक्षा

			Industry & Directorate General of Foreign Trade
2	2A	Import-2 (A)	-do-
3	2B	Export-2 (B)	-do-
4	2C	Top 10 countries of imports	Ministry of Commerce and Industry & Directorate General of Foreign Trade
	2D	Top 10 country of exports	-do-
5	3	Tax base of customs receipts during last five FYs.	Ministry of Commerce and Industry & Directorate General of Foreign Trade
6	4A	Chapter wise Actual Revenue foregone on Major Commodities and on various Export Promotion Schemes	Ministry of Commerce and Industry, Directorate General of Foreign Trade and Ministry of Finance (Drawback Division)
7	4B	Chapter wise Actual Refunds and Drawback paid on Major Commodities and on various Export Promotion Schemes	Ministry of Commerce and Industry, Directorate General of Foreign Trade and Department of Electronics & Information Technology (DEIT)
8	4C	Revenue foregone under various export promotions schemes	Directorate of Data Management
9	4D	Refunds not exhibited under the duty foregone status of revenue budget	Department of Electronics & Information Technology (DEIT)
10	4E	Month wise refunds	Directorate of Data Management
11	5	Arrears of customs duties as on 31 March	Chief Commissioner (TAR)
12	6A	Additional revenue realised because of Directorate General of Valuation (DGOV)	Directorate General of Valuation (DGOV)
13	6B	Transactions flagged by the RMS	Risk Management Division
14	7	Investigations done by the	Directorate General of Safeguards

		गई जाँच	
15	8ए	पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान एण्टी डंपिंग शुल्क मामलों की संख्या	महा निदेशालय एण्टी डंपिंग एवं अन्य शुल्क (डीजीएडी), वाणिज्य मंत्रालय
16	8बी	संग्रहीत एण्टी डंपिंग	डाटा प्रबन्धन निदेशालय
17	9	पिछले तीन वि.व. के दौरान डीआरआई द्वारा खोजे गए कर अपवंचन के मामले	राजस्व आसूचना निदेशालय
18	10	पिछले तीन वि.व. के दौरान विनिर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती	राजस्व आसूचना निदेशालय
19	11	पिछले पाँच वि.व. के लिए संग्रहण की लागत	डाटा प्रबन्धन निदेशालय
20	12	आन्तरिक लेखापरीक्षा के दौरान प्रधान सीसीए लेखापरीक्षा द्वारा दर्शायी गई लम्बित अनियमितताओं की स्थिति	प्रधान सीसीए राजस्व विभाग, सीबीईसी
21	13ए	डीजी लेखापरीक्षा, सीबीईसी, तकनीकी लेखापरीक्षा-पीसीए द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा	महानिदेशालय लेखापरीक्षा, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
22	13बी	तकनीकी लेखापरीक्षा-ओएसपीसीए	महानिदेशालय लेखापरीक्षा, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
23	14	पिछले दो वि.व. में सेज का निष्पादन	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, महानिदेशालय विदेशी व्यापार
24	15	व्यापार सरलीकरण उपाय तथा संव्यवहार लागत में कमी	वित्त मंत्रालय, सीबीईसी
25	16	मानव संसाधन प्रबंधन	महानिदेशालय मानव संसाधन विकास

24.2.2 वित्त मंत्रालय/सीबीईसी द्वारा जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों तथा संशोधनों की संवीक्षा

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं, निर्देशों तथा परिपत्रों की संवीक्षा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के कार्यालय में स्टाफ द्वारा की जाती है। अधिसूचनाओं/परिपत्रों में चूकों के लिए आरोप्य व्यक्तिगत विफलताओं के संबंध में आपत्तियाँ उठाई जाती हैं।

		Director General of Safeguards	
15	8A	No. of anti dumping duty cases initiated during last three FYs.	Directorate General of Anti dumping & Allies duties (DGAD), Ministry of Commerce
16	8B	Anti dumping collected	Directorate of Data Management
17	9	Tax Evasion cases detected by DRI during last three FYs.	Directorate of Revenue Intelligence
18	10	Seizures of specified commodities during last three FYs.	Directorate of Revenue Intelligence
19	11	Cost of collection for the last five FYs.	Directorate of Data Management
20	12	Status of pending irregularities pointed by Pr.CCA audit during internal audit	Pr. CCA Department of Revenue, CBEC
21	13A	Technical audit by DG Audit, CBEC, Technical audit - PCA	Directorate General of Audit, Customs & Central Excise
22	13B	Technical audit - OSPCA	Directorate General of Audit, Customs & Central Excise
23	14	Performance of SEZ in last two FYs.	Ministry of Commerce and Industry, Directorate General of Foreign Trade
24	15	Trade facilitation Measures and Reduction in Transaction cost	Ministry of Finance, CBEC
25	16	Human Resource Management	Directorate General of Human Resources Development

24.2.2 Scrutiny of notifications, circulars and amendments issued by the Ministry of Finance/CBEC

The notifications, instructions and circular letters issued by the Central Board of Excise and Customs are scrutinised by the staff in the Office of the Comptroller and Auditor General. Objections are raised in relation to individual failures attributable to defects in the notifications/circulars.

24.2.3 समन्वय कार्य

मुख्यालय में सीआरए विंग क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में सीमा शुल्क लेखापरीक्षा कार्य में समन्वय करती है। इसमें लेखापरीक्षा की आवधिकता, सीआरए पार्टियों के गठन इत्यादि के निर्धारण के अलावा लेखापरीक्षा योजना, कार्यान्वयन तथा रिपोर्टिंग के लिए निर्देश/अनुदेश जारी करना सम्मिलित है।

24.2.4 क्षेत्रीय कार्यालयों का मार्गदर्शन

समय-समय पर मुख्यालय द्वारा विशेष बल देने हेतु लेखापरीक्षा के क्षेत्रों पर निर्देश तथा दिशा निर्देश के साथ-साथ मसौदा पैराग्राफों में विशेष पहलू को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सलाह हेतु प्रेषित मामलों के प्रत्युत्तर में भी मुख्यालय द्वारा तकनीकी बिन्दुओं पर मार्गदर्शन किया जाता है।

24.2.5 प्रणाली समीक्षा/निष्पादन पर समीक्षा

प्रणाली की चूकों एवं बार-बार होने वाली विफलताओं पर समीक्षा हेतु विषयों को चिन्हित किया जाता है एवं विषय/मुद्दे पर निष्पादन समीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

24.2.6 महत्वपूर्ण एवं रोचक मामलों का संग्रह

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सामग्री के संकलन के पश्चात् मुख्यालय प्रत्येक वर्ष 30 जून तथा 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सीआरए द्वारा सीमा शुल्क में देखे गए महत्वपूर्ण एवं रोचक मामलों का एक अर्धवार्षिक संग्रह तैयार एवं परिचालित भी किया जाता है। संग्रह के लिए सामग्री में वे आपत्तियाँ जिन्हें पहले ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है एवं वे आपत्तियाँ जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है सम्मिलित नहीं होती।

24.2.7 सीमा शुल्क आयुक्तों के सम्मेलनों में भाग लेना

प्रधाननिदेशक (सीमा शुल्क) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आयोजित सीमा शुल्क आयुक्तों के सम्मेलनों की कुछ बैठकों में भाग लेने (निमंत्रण द्वारा) पर विचार कर सकता है। ऐसे सम्मेलनों में, लेखापरीक्षा बिन्दुओं पर चर्चा की जाती है। ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त निरपवाद रूप से मार्गदर्शन हेतु क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को भेजे जाते हैं।

24.2.3 Coordination work

CRA wing at headquarters coordinates the Customs audit work in the field audit offices. This includes issue of directions/instructions for audit planning, execution and reporting besides determining periodicity of audit, formation of CRA parties etc.

24.2.4 Guidance to field offices

Directions and guidelines are issued by the headquarters office from time to time on the areas of audit for special emphasis as also guidelines for highlighting particular aspect in draft paragraphs.

On technical points guidance is also given by headquarters office in response to advice cases referred to by field offices.

24.2.5 System review/review on performance

Topics for review on system defects and recurring failures are identified and guidelines are issued for undertaking a performance review on the subject/issue.

24.2.6 Digest of important and interesting cases

A half yearly digest for period ending 30th June and 31st December every year of important and interesting cases in Customs noticed in CRA, is also prepared and circulated by headquarters after compilation of material received from field offices. The material for the digest would not include objections which had already been included in the Audit Report and objections which have not been accepted by the department.

24.2.7 Participation in conferences of Commissioners of Customs

Pr. Director (Customs) may consider attending (by invitation) some of the meetings of the conferences of Commissioners of Customs convened by the Central Board of Excise and Customs. In such conferences, audit points are discussed. Minutes of such meetings are invariably sent to the field audit offices for their guidance.

24.2.8 त्रिपक्षीय बैठके

लेखापरीक्षा आपत्तियों में शामिल विधिक बिन्दुओं पर सीएजी के कार्यालय एवं वित्त मंत्रालय के बीच उत्पन्न न्यायिक बिन्दुओं की व्याख्या पर विचारों में मतभेदों को विधि मंत्रालय में आयोजित त्रिपक्षीय बैठकों में सुलझाया जाता है। आमतौर पर विधि मंत्रालय की सलाह स्वीकार की जाती है, हालाँकि कुछ मामलों में महान्यायवादी का मत माँगा जा सकता है।

24.2.9 तकनीकी निरीक्षण

सीएजी कार्यालय की निरीक्षण विंग सामान्य तौर पर क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के मुख्यालय अनुभाग में रिटर्न एवं रजिस्ट्रों की तैयारी की सटीकता की जाँच पड़ताल करती है। क्षेत्रीय कार्यालयों की सीआरए विंगों का तकनीकी निरीक्षण वार्षिक रूप से मुख्यालय के निरीक्षण दल द्वारा चक्रीय आधार पर किया जाता है ताकि क्षेत्रीय कार्यालय अपनी कार्य प्रणाली को सुधार सकें। प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क) भी क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण कर सकता है। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान, प्रधान निदेशक सामान्य तौर पर संबंधित महानिदेशक/प्रधान निदेशक के साथ लेखापरीक्षा की स्थिति, आपत्तियों के अनुसरण तथा लेखापरीक्षा के लिए सामग्री की तैयारी के बारे में चर्चा करते हैं। प्राप्ति लेखापरीक्षा कार्य के तकनीकी, प्रशासनिक एवं न्यायिक पहलुओं पर भी मुख्यालय के दल द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है।

24.2.10 लोक लेखा समिति के साथ साहचर्य

संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के बाद, लोक लेखा समिति रिपोर्ट पर चर्चा, मौखिक चर्चा हेतु विषयों/मुद्दों/पैराग्राफों को चिन्हित करती है। मुख्यालय चर्चा की प्रक्रिया के दौरान लोक लेखा समिति के साथ जुड़ा रहता है।

24.2.11 सेमीनार तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना

मुख्यालय सीमा शुल्क मामलों पर आवधिक सेमीनार/कार्यशाला आयोजित करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों को मुख्यालय द्वारा चिन्हित विभिन्न मुद्दों पर क्षेत्रीय सेमीनार आयोजित करने का कार्य सौंपा जाता है। इनमें मुख्यालयों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है।

24.3 क्षेत्रीय संरचना

क्षेत्र में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) के समग्र पर्यवेक्षण के तहत की जाती है जिसके पास सीमा शुल्क कमिशनरियों के तहत क्षेत्र का राज्य वार क्षेत्राधिकारी प्रभार होता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में, सीआरए विंग क्षेत्रीय निरीक्षण दलों द्वारा प्राप्त सहायता से एक समूह अधिकारी के प्रभार के तहत कार्य करती हैं। क्षेत्रीय दल निर्धारित समय सूची के अनुसार कमिशनरी कार्यालयों, मण्डलीय कार्यालयों, निरोधक ईकाईयों

24.2.8 Tripartite meetings

Differences of opinion on interpretation of legal points arising between the CAG's office and Ministry of Finance, on points of law involved in audit objections, are resolved in Tripartite meetings held in the Ministry of Law. The advice of Ministry of Law is generally accepted though in some cases opinion of the Attorney General may be sought.

24.2.9 Technical inspection

The Inspection wing in CAG's office generally looks into the accuracy of the preparations of returns and registers in the headquarters section of the field audit offices. Technical inspections of CRA wings of field offices are conducted annually on rotational basis by headquarters' inspection team so as to enable the field offices to improve their working. Pr. Director (Customs) may also pay visits to the field offices. During visits to the field audit offices, the Principal Director generally discusses with the concerned Director General/Principal Director about the state of audit, pursuance of objections and preparation of material for Audit Report. Guidance on technical, administrative and legal aspects of receipt audit work is also given by headquarters' team.

24.2.10 Association with Public Accounts Committee

After the report is laid on the table of both the houses of Parliament, the Public Accounts Committee takes up the report for discussion, identifying the topics/issues/paragraphs for oral discussion. The headquarters office remains associated with the Public Accounts Committee during the process of deliberations.

24.2.11 Organising seminars and workshops

Headquarters office organises periodic seminars/ workshop on Customs matters. The field offices are also entrusted with the work of organising regional seminars on various issues identified by headquarters office. The participation of headquarters is also ensured therein.

24.3 Field formations

The audit of receipts is conducted in the field under the overall supervision of Director General/ Pr. Directors of Audit (Central) having State wise jurisdictional charge of the area under Customs Commissionerates. In the field offices, the CRA wing functions under the charge of a Group Officer supported by field inspection parties. The field parties visit the Commissionerate offices, Divisional Offices, Preventive units, etc. according to the prescribed time schedules

इत्यादि का निरीक्षण करते हैं तथा प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इन कार्यालयों से संबंधित व्यय की लेखापरीक्षा भी सीआरए दलों द्वारा साथ-साथ की जाती है। बड़ी कमिशनरियों में, सीआरए दल सीमा शुल्क सदनों में बिल ऑफ एंट्री तथा शिपिंग बिलों की समवर्ती लेखापरीक्षा जाँच भी करते हैं।

सीमा शुल्क कमिशनरियों की लेखापरीक्षा के अलावा, सीआरए विंग विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत सीमा शुल्क की छूट/कटौती, अनुदान करने की स्वीकार्यता की जाँच करने के लिए विभिन्न अन्य कार्यालयों जैसे महानिदेशक विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) के जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त, निदेशक, साफ्टवेयर तकनीकी पार्क(एसटीपी), ईओयूज इत्यादि में स्थित अभिलेखों का निरीक्षण करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष सीआरए विंग मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार विषयों/योजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा भी करती है।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ उनके द्वारा नई दिल्ली स्थित मुख्यालय को सूचित की जाती हैं जहाँ तकनीकी संवीक्षा तथा अनुवीक्षण के पश्चात् चयनित सामग्री लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की जाती है।

महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) द्वारा विभिन्न राज्यों तथा यू.टी.ज में स्थित केन्द्रीय सरकारी ईकाईयों (स्वायत्त निकायों सहित) की सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा हेतु क्षेत्राधिकार का विवरण अनुबंध -13 में दिया गया है।

and conduct audit of receipts. The audit of expenditure relating to these offices is also simultaneously conducted by the CRA parties. In major commissionerates, the CRA team also carries out concurrent test audit of bills of entry and shipping bills at the customs houses.

Besides the audit of Customs commissionerates, the CRA wing inspects records at the various other offices such as zonal/regional offices of the Director General of Foreign Trade (DGFT), the Development Commissioner under the Ministry of Commerce, the Director, Software Technology Parks (STP), EOUs etc to examine the admissibility of exemption/remission of customs duties granted under various export promotion schemes.

In addition to the above, every year the CRA wing also undertakes performance audit reviews on topics/schemes as per Headquarters' directions.

The important findings are reported by them to the headquarters at New Delhi where after technical scrutiny and screening, selected material is included in the Audit Report.

The jurisdictional distribution for audit of all Receipts and Expenditure of Central Government units (including Autonomous Bodies) located in the various States & U.Ts. by Director General/Principal Director of Audit (Central) is given in **Annexure-13**.

अध्याय 25

लेखापरीक्षा योजना

25.1 लेखापरीक्षा योजना की आवश्यकता

सरकारी राजस्व की सुरक्षा पर केन्द्रित होते हुए मूलभूत लेखापरीक्षण सिद्धान्तों पर आधारित एक सुदृढ़, अधिक व्यवसायिक एवं एक परिणाम उन्मुख प्रणाली की शुरुआत की आवश्यकता है। इसके लिए, विभिन्न कारकों जैसे शामिल कुल कार्यभार, उपलब्ध मानवशक्ति संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, राजस्व प्रवृत्तियाँ, संप्रेषण एवं कर अपवंचन के लिए उत्पाद की संवेदनशीलता को एक व्यापक लेखापरीक्षा योजना बनाने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए जो लेखापरीक्षण मानकों को ध्यान रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। पैरा 18.3.1 आईसीटी पर्यावरण में योजना में लाये जाने वाले अपेक्षित परिवर्तन की ओर संकेत करता है।

25.2 मूलभूत आवश्यकताएँ

25.2.1 लेखापरीक्षा कार्य समयबद्ध, मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावशाली ढंग से उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने हेतु नियोजित किया जाना चाहिए

- (i) लेखापरीक्षक को दोनो बृहत् स्तर पर लेखापरीक्षा संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग को सुचारु रूप से करने के लिए तथा विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा कार्यों के लिए उनको एक मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावशाली ढंग से नियोजित करना चाहिए।
- (ii) लेखापरीक्षक को उपलब्ध लेखापरीक्षा संसाधनों तथा कौशल की गुणवत्ता तथा मात्रा के साथ-साथ लागत, समसामयिक प्रासंगिकता तथा प्रशासनात्मक एवं सामाजिक-आर्थिक महत्व के संदर्भ में लेखापरीक्षा कार्यों की योजना तथा प्राथमिकता सूची तैयार करनी चाहिए।
- (iii) लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा के दौरान विकास एवं उदघाटनों के मद्देनजर योजना को पुनर्संशोधित कर सकता है जब ऐसा परिशोधन आवश्यक हो जाए।

25.2.2 लेखापरीक्षा दल उचित रूप से मार्गदर्शित, निर्देशित तथा पर्यवेक्षित होने चाहिए

- (i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्थापित हैं, लेखापरीक्षा दलों को उपयुक्त निर्देश, मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण प्राप्त हो रहा है ताकि लेखापरीक्षा कार्य उचित रूप से हो सके तथा लेखापरीक्षा उद्देश्य एक मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावशाली ढंग से प्राप्त हो सकें।
- (ii) लेखापरीक्षा दल को कार्य प्रारंभ करने से पहले उन्हें निर्दिष्ट कार्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए।

25.2.3 लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण का महत्व

- (i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लेखापरीक्षण मानकों के साथ अनुरूपता प्राप्त की गई है;

Chapter 25

Audit Planning

25.1 Need for audit planning

There is a need for introduction of a strong, more professional and a result oriented system of audit based on basic auditing principles with focus on the safeguarding of Government revenue. For this, various factors like total workload involved, optimum utilisation of available manpower resources, revenue trends, sensitivity of the product to suppression and duty evasion, shall have to be taken into consideration for a comprehensive audit plan which should be prepared keeping in mind the auditing standards. Para 18.3.1 indicates the change required to be brought in planning in the ICT environment.

25.2 Basic requisites

25.2.1 The audit work should be planned to ensure high quality audit in a timely, economical, efficient and effective way

- (i) The Auditor should plan both at the macro level for optimum utilisation of audit resources and for specific audit assignments for their orderly conduct in an economical, efficient and effective manner.
- (ii) The Auditor should prepare, plan and prioritise inventory of audit assignments with reference to outlays, contemporaneous relevance and administrative and socio economic importance as well as quality and quantity of available audit resources and skills.
- (iii) The Auditor may re-align the plan in the course of audit in the light of developments and disclosures when such revision becomes necessary.

25.2.2 Audit parties should be properly guided, directed and supervised

- (i) It should be ensured that the objectives of an assigned audit are clearly set out, audit parties receive appropriate directions, guidance and supervision so that the audit task is conducted properly and audit objectives are achieved in an economical, efficient and effective manner.
- (ii) Audit party should clearly understand their assigned task before starting the work.

25.2.3 Importance of Audit Supervision

- (i) It should be ensured that conformity with auditing standards is obtained;

- (ii) लेखापरीक्षा कार्यक्रम उसी प्रकार किये जा रहे हैं जैसे अनुमोदित हैं जब तक विचलन न्यायोचित तथा अधिकृत ना हो;
- (iii) लेखापरीक्षा उचित व्यवसायिक सावधानी के साथ की जानी है;
- (iv) वर्किंग दस्तावेज तथा साक्ष्य को लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समर्थन करना चाहिए तथा एक अर्थपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध कराना चाहिए; और
- (v) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा उद्देश्य जैसे नियोजित एवं परिभाषित किये गए थे, काफी हद तक प्राप्त कर लिये गए हैं।

25.2.4 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्त समझ प्राप्त की जानी चाहिए

- (i) कार्यकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि यह सुनिश्चित करने हेतु कि उपयुक्त लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त हो गये हैं, संसाधन श्रेष्ठतम रूप से प्रयोग हुए हैं, कानूनों तथा विनियमों का पालन किया गया है तथा विश्वसनीय डाटा प्रत्युत्पन्न एवं अनुरक्षित किया गया है, आन्तरिक लेखापरीक्षा सहित एक प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित एवं अनुरक्षित करने हेतु प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएं यथा स्थान हैं।
- (ii) अनुपालन की जाँच अथवा आकलन हेतु लेखापरीक्षा चरण तथा प्रक्रियाएं अभिकल्पित करने में, लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा किये जाने वाले सत्त्व के आन्तरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन तथा जोखिम का आकलन करना चाहिए, कि नियंत्रण प्रणाली गैर-अनुपालन को रोक अथवा पता नहीं लगा सकती।
- (iii) जहाँ लेखांकन तथा अन्य सूचना प्रणाली कम्प्यूटीकृत हैं, लेखापरीक्षक को निर्धारित करना चाहिए कि क्या आन्तरिक नियंत्रण डाटा तथा इसकी प्रोसेसिंग की अखण्डता, विश्वसनीयता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से अभिकल्पित किये गए हैं तथा कार्य कर रहे हैं।

25.3 लेखापरीक्षा योजना तैयार करना

बढ़ता लेखापरीक्षा आधार: सीमा शुल्क राजस्व लेखापरीक्षा आधार के जोखिम आकलन के केन्द्र से सीमा शुल्क प्राप्तियाँ (2011-12 में ₹ 149876 करोड़) एवं छोड़ा गया सीमा शुल्क (2011-12 में ₹ 286044 करोड़) इक्ठे मिलाकर ₹ 435920 करोड़ बनते हैं। इसी प्रकार, क्रमशः डीटी के ₹ 595127 करोड़, सीएक्स के ₹ 357068 करोड़ एवं एसटी के ₹ 97509 करोड़ केन्द्रीय लेखापरीक्षा आधार का सार भाग बनाते हैं।

2011-12 तक, सामान्य सीमा शुल्क छूट प्रदान करने वाली 17 योजनाएँ तथा 19 व्यापार अनुबंध² प्रचलित थे। सीमा शुल्क राजस्व आधार में जारी किये गए 9,64,791

² अन्य 10 अनुबन्ध पर बातचीत की जा रही है (कामर्स निक.इन/ट्रेड/इन्फार्मेशन दिनांक 17.09.2013)

- (ii) The audit programmes are to be followed as approved unless deviation is justified and authorised;
- (iii) Audit is to be conducted with due professional care;
- (iv) The working papers and evidences should adequately support the audit conclusions and provide sufficient data to prepare a meaningful report; and
- (v) It is to be ensured that the audit objectives as planned and defined are substantially met.

25.2.4 Sufficient understanding of the internal control system should be obtained

- (i) The Executive is responsible for ensuring that systems and procedures are in place for establishing and maintaining an effective internal control system including internal audit to ensure that appropriate goals and objectives are met, resources are optimised, laws and regulations are followed and reliable data generated and maintained.
- (ii) In designing the audit steps and procedures to test or assess compliance, the Auditor should evaluate the audited entity's internal controls and assess the risk that the control system might not prevent or detect non compliance.
- (iii) Where the accounting and other information system are computerised, the auditor should determine whether the internal controls are designed and function properly to ensure the integrity, reliability and completeness of the data and its processing.

25.3 Preparation of audit plan

Increasing Audit Base: Customs receipts (Rs.149876 cr in 2011-12) and Customs duty foregone (Rs.286044 cr in 2011-12) put together at Rs.435920 cr form the core of the risk assessment of the customs revenue audit base. Similarly, Rs.595127 cr of DT, Rs.357068 cr of CX and Rs.97509 cr of ST, form the core audit base respectively.

As of 2011-12, there were currently 17 schemes and 19 Trade Agreements² offering general customs duty exemption. The customs revenue base consists of 9,64,791 Importer Exporter Code (IEC)³ issued, of which 6, 79,177 are valid. There

² Another 10 agreements are being negotiated (Commerce.nic.in/trade/international dtd. 17.09.2013)

³ IEC is issued by DGFT, Delhi to every importer/Exporter.

आयातक निर्यातक संहिता (आईसीसी)³ थे, जिनमें से 6,79,177 वैध हैं। वर्तमान में 328 सक्रिय सीमाशुल्क बन्दरगाह हैं: 119 ईडीआई, 54 गैर-ईडीआई, 49 मानवीय एवं 106 एसईजेड। 2011-12 के दौरान 67.79 लाख निर्यात तथा 62.33 लाख आयात लेन-देन हुए। लेखापरीक्षा आधार में 89 सीमा शुल्क कमीशनरियाँ तथा 2600 ईओयूज, 8 जोनल एसईजेडज, 52 एसटीपीआईज/ईएचटीपी (6554 ईकाइयों के साथ), 36 आरएलएसज, 5 बीटीपी, 663 बन्दरगाह, आईसीडीज, सीएफएस अनुबद्ध मालगोदाम इत्यादि के साथ-साथ डीओसी, डीजीएफटी, डीओआर, सीबीईसी, कार्यशील निदेशालय, प्रधान सीसीए सम्मिलित हैं। व्यापार सरलीकरण उपाय जैसे आरएमएस, संव्यवहार मूल्यांकन प्रणाली, आईसीईएस/आईसीईजीएटीई अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम, ओएसपीसीए, प्राधिकृत आर्थिक संचालन (एईओ), स्व. आकलन सीमा शुल्क वर्गीकरण, आकलन, उद्ग्रहण, संग्रहण तथा लेखांकन के नियंत्रण पर्यावरण के लिए नई चुनौतियाँ पेश करते हैं।

लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रबन्धन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष कर की तुलना में अप्रत्यक्ष-कर में एसएस/पीआईपी का कम से कम 50% बनाए रखते समय व्यय लेखापरीक्षा तथा सीआरए के बीच एसएस/पीआईपी का पालन करना चाहिए जैसा कि संस्वीकृत हो। मुख्यालय का पत्र सं. 1283/आरएडीटी/4-2012/सं.1 दिनांक 18 अक्टूबर 2013 सीमा शुल्क तथा सीएक्स/एसटी के मध्य 35:65 के अनुपात में श्रमशक्ति के आबंटन तथा उचित जोखिम आकलन के पश्चात् ईकाइयों के चयन के ढंग से संबंधित है। इसी प्रकार, योजना तथा कार्यान्वयन के उद्देश्य से, मुख्यालय की तुलना में क्षेत्रीय दलों के 80:20 के अनुपात का पीए/सीए⁴ के मध्य आबंटन हेतु सैद्धान्तिक रूप से पालन किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा योजना क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विद्यमान कार्य मानदण्डों तथा कार्य दिवसों की उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त, कार्य दिवस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष की जाने वाली निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं हेतु भी आवंटित किये जाते हैं। लेखापरीक्षा की आवधिकता अर्थात् वार्षिक अथवा अर्द्धवार्षिक, कार्यालयों का वर्गीकरण, ईओयूज के चयन हेतु मानदण्ड इत्यादि क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख द्वारा मुख्यालय के साथ मशविरा करके उनकी आवश्यकता तथा उपलब्ध मानव संसाधन के अनुसार निर्धारित किये जाएंगे। लेखापरीक्षा योजना कार्यान्वयन हेतु समय पर मुख्यालय द्वारा अनुमोदित करायी जानी है।

ईओयूज के चयन हेतु, मुख्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अतिरिक्त अर्थात् 5 वर्ष पूरे करने वाली ईकाइयाँ, वर्तमान अथवा पिछले वर्ष के दौरान अनुबद्ध इकाइयाँ, निम्नलिखित मानदण्डों पर भी विचार किया जाना चाहिए:

क. आयात के उच्च मूल्य वाली इकाइयाँ

ख. डीटीए संस्वीकृति वाली इकाइयाँ

³ आईसीसी डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा प्रत्येक आयातक/ निर्यातक को जारी किया जाता है।

⁴ पीए + टीबीए (16% + 32% = 48%) तथा सीए + ईए + मुख्यालय (24% + 8% + 20%)

were 328 active Customs ports at present; 119 EDI, 54 Non-EDI, 49 Manual and 106 SEZ. During 2011-12, 67.79 lakh exports and 62.33 lakh imports transactions took place. Audit base comprises DoC, DGFT, DoR, CBEC, functional Directorates, Pr CCA along with the field formation of 89 Customs Commissionerates and 2600 EOUs, 8 Zonal SEZs, 52 STPIs/EHTPs (with 6554 units), 36 RLSs, 5 BTP, 663 ports, ICDs, CFS, bonded warehouses etc. The trade facilitation measures such as the RMS, Transaction Valuation methods, ICES/ICEGATE, Accredited Client Programme, OSPCA, Authorised Economic Operator (AEO), Self Assessment pose new challenges to the control environment of the Customs duty classification, assessment, levy, collection and accountal.

Management of audit resources is of utmost importance. SS/PIP between Expenditure audit & CRA may be adhered to as sanctioned while maintaining atleast 50% of SS/PIP in INDT compared to DT. Headquarters Letter No. 1283/RADT/41-2012/Vol.I Dated: 18th October 2013 refers to the manner of allocation of manpower between Customs & CX/ST at 35:65 ratio and selection of units after due risk assessment. Similarly, the ratio of field parties to H.Qrs at 80:20, allocation between PA/CA⁴ may also be adhered to in principle, for planning and execution purpose.

Audit plan is prepared by the field offices on the basis of existing work norms and availability of mandays. In addition, mandays are also allotted for performance audit reviews conducted every year as per directions of Headquarters office. Periodicity of audit viz annually, or biannually, categorization of the offices, parameters for selection of EOUs, etc. will be decided by the Heads of the field offices as per their requirement and available human resources in consultation with the H.Qrs. The Audit Plan is to be got approved by the Head quarters office in time for implementation.

For selection of EOUs, in addition to the parameters prescribed by H.Qrs viz, units completing 5 years and units debonded during the current or previous year, the following parameters may also be considered:

- a. units with high value of imports
- b. units having DTA clearances

⁴ PA+TBA(16%+32%=48%) and CA+EA+H.Qrs(24%+8%+20%)

ग. नकारात्मक एनएफई वाली इकाईयाँ

घ. उत्पादन किये जाने वाले उत्पाद की प्रकृति

25.4 गैर कर प्राप्ति (एनटीआर) विषय भी लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये जा सकते हैं। नारकोटिक्स केन्द्रीय ब्यूरो 2013-14 की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के तहत लेखापरीक्षित किया जाना है।

25.5 एसईजेडज के निष्पादन की पहली एकीकृत लेखापरीक्षा 2013-14 की लेखापरीक्षा योजना के तहत नियोजित की गई है। समान एकीकृत लेखापरीक्षाएँ नियोजित की जा सकती हैं।

25.6 संव्यवहार स्तरीय आईसीईएस डाटा का डाटा विश्लेषण भी अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु अत्यधिक उपयोगी मुद्दा विश्लेषण उपलब्ध कराता है।

- c. units with negative NFE
- d. nature of the manufacturing product

25.4 Non Tax Receipts (NTR) topics may also be selected for audit. Central Bureau of Narcotics is being audited under the annual audit plan 2013-14.

25.5 The first integrated audit of Performance of SEZs has been planned under the audit plan 2013-14. Similar integrated audits may be planned.

25.6 Data analysis of transaction level ICES data also provides extremely useful issue analysis for compliance and performance audit.

अध्याय 26

लेखापरीक्षा कार्यान्वयन

26.1 लेखापरीक्षा कर्मचारियों की तैनाती

एक बार लेखापरीक्षा हेतु कार्य योजनाबद्ध होने पर, उन्हें उपलब्ध लेखापरीक्षा कर्मचारियों के बीच आबंटित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा कार्य के आबंटन हेतु, प्रत्येक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी का एक प्रालेख सीआरए मुख्यालय में कार्यक्रम सेल द्वारा अनुरक्षित किया जाना चाहिए। जब एक विशेषज्ञ वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी लेखापरीक्षा कार्य हेतु उपलब्ध हो, तो उसे जहाँ तक संभव हो, उसी कार्य हेतु चुना जाना चाहिए जिसमें वह पारंगत हो। सीआरए दल में तैनाती हेतु मानदण्डों पर मुख्य रूप से शैक्षणिक तथा व्यवसायिक योग्यता, अनुभव तथा पिछले प्रदर्शन के आधार पर भी विचार किया जा सकता है। यदि किसी समय कोई अधिकारी संबंधित क्षेत्र में कार्य ना कर रहा हो तो, उसे या तो दूसरे विंगो में प्रयास करना चाहिए अथवा कुछ गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

26.2 मानवशक्ति का विकास

सीआरए शाखा में मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(i) विशेषज्ञता का प्रयोग

कार्य से परिचित कराने के उद्देश्य से अनुभव हीन व्यक्तियों को केवल अनुभवी अधिकारियों के साथ क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए।

(ii) प्रशिक्षण

जहां तक व्यवहार्य हो, राजस्व लेखापरीक्षा में प्रशिक्षित अधिकारियों को ही सीआरए में तैनात किया जाना चाहिए। विषय पर तकनीकी सेमिनार तथा आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रबन्ध किये जा सकते हैं। समय-समय पर विभाग तथा अन्य कार्यालयों से विशेषज्ञों को आमंत्रित करके सामूहिक चर्चाएँ आयोजित की जा सकती हैं।

(iii) कर्मचारियों का आवर्तन

एमएसओ (प्रशा.) भाग I में दिये गए प्रावधानों के अनुसार चक्रीय स्थानान्तरण किये जाने चाहिए।

Chapter 26

Audit Execution

26.1 Deployment of audit personnel

Once the works are programmed for audit, they should be allocated among available audit personnel. For the allocation of audit work, a profile of each Sr. Audit Officer/Audit Officer, Asstt. Audit Officer/should be maintained by the programme cell in CRA headquarters. Whenever an expert Sr. Audit Officer/ Audit Officer is available for audit work, he/she should be drafted as far as possible for audit work in which he has expertise. The criteria for posting in the CRA party may also be considered mainly on the basis of educational and professional qualification, experience and previous performance. If during any time any official is considered to be not performing in the respective field, he should either be tried in other wings or given some intensive training.

26.2 Development of manpower

For purpose of development of manpower in CRA Branch, the following factors should be kept in view.

(i) Use of expertise

Inexperienced persons may be sent to the field only with experienced officers with a view to familiarize them with the work

(ii) Training

As far as feasible officials trained in Revenue Audit should be posted in CRA. Arrangements may be made for organising technical seminars and in-house training programmes on the subject. Group discussions from time to time may be arranged by inviting faculties from the department and other offices.

(iii) Rotation of personnel

Rotational transfers should be made as per provisions made in MSO (Admn.) Vol.I

(iv) क्षमता वितरण

इकाईयों का आंबटन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट ईकाई में कई बार ना भेजा जाए ताकि प्रत्येक अधिकारी को चक्र से संभावित ईकाईयों की लेखापरीक्षा करने तथा सामग्री का योगदान करने का मौका मिल सके।

(v) गैर-निष्पादन हेतु जवाबदेही

यह स्पष्ट होना चाहिए कि स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में धारणीय महत्वपूर्ण सामग्री का योगदान न करने वाला व्यक्ति गैर-निष्पादन हेतु जवाबदेह ठहराया जाएगा।

26.3 कर्तव्यों का हस्तान्तरण

सौंपे गए कर्तव्यों की सूची नीचे दी गई है। ये केवल मार्गदर्शन हेतु हैं।

दल के प्रभारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी अथवा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पास स्वयं को अथवा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी अथवा वरिष्ठ लेखापरीक्षक को अतिरिक्त कर्तव्य अथवा नियंत्रण देने की शक्ति होगी। इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क) को सुचित करते हुए महानिदेशक (लेखापरीक्षा) अथवा प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा द्वारा हस्तान्तरण में स्थानीय परिस्थितियों तथा अन्य बाधाओं (प्रशासनिक एवं मानवीय) के अनुकूल स्थानीय फेरबदल किये जा सकते हैं। हस्तान्तरण यह सुनिश्चित करने हेतु अधिकल्पित किया जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास किये गए हैं; यह भी कि यह व्यक्तियों द्वारा किये गए प्रशंसनीय कार्य की पहचान को भी सरल करेगा।

लेखापरीक्षा कार्य का आंबटन

क. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रतिशत की संवीक्षा जैसाकि मुख्यालय पत्र सं. 76/आरए-आईएनडीटी/सीयूएस/26-2008 दिनांक 01.03.2013 द्वारा जारी किये गए कार्य मानदण्डों में निर्धारित किया गया है।

1. बिल्स ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल/निर्यात बिल।
2. प्रतिदाय तथा फिरती दावे।
3. डाक पार्सल बिल, सामान उदघोषणा प्रपत्र, प्राप्तियाँ।
4. सूची सहित पोत फाईलें (आयात)।
5. सूची सहित विमान फाईलें (आयात)।
6. सूची सहित पोत फाईलें (निर्यात)।

(iv) Distribution of potentiality

The allotment of units should be made in such a way that no individual is sent to a particular unit a number of times, so that every official gets an opportunity in rotation to conduct audit of potential units and contribute material.

(v) Accountability for non-performance

There should be clear understanding that person not contributing sustainable substantial material to local audit reports will be held answerable for non performance.

26.3 Devolution of duties

A list of duties assigned is given below. These are for guidance only.

The Senior Audit Officer/Audit Officer or Asstt. Audit Officer in charge of the party shall have the power to allow any additional duties or checks to himself or Asstt. Audit Officer or Senior Auditor. Further, to suit local conditions and other constraints (administrative and human) local variations in the devolution may be made by Director General (Audit) or Principal Director of Audit keeping the Pr. Director (Customs) in the Office of the Comptroller and Auditor General informed. The devolution is designed to ensure that individual effort is put in; also that it will facilitate the recognition of commendable work done by individuals.

Allocation of Audit Work

A. Assistant Audit Officer

Scrutiny of a percentage of the following documents as prescribed in work norms issued vide Head quarters letter No. 76/RA-INDT/CUS/26-2008 dated 01.03.2013.

1. Bills of entries, Shipping Bills/Bill of export.
2. Refunds and Drawback Claims.
3. Postal Parcel Bills, Baggage declaration forms, receipts.
4. Ship files (Imports) including manifest.
5. Aircraft files (Imports) including manifest.
6. Ship files (Exports) including manifest.

7. सूची सहित विमान फाईलें (निर्यात)।
8. निरस्त किये गए मालगोदाम अनुबद्ध फाईलें।
9. दावा न किये गए, छोड़ दिये गए एवं जब्त किये गए माल का रजिस्टर, उनका निपटान तथा नीलामी फाईलें, तदनुरूपी स्टोर लेखे तथा गोदाम रजिस्टर।
10. अपराधों, शास्तियों तथा जब्ती के अधिनिर्णय का रजिस्टर।
11. पुरस्कार फाईलें।
12. अन्तिम उपयोग बाण्ड सहित बाण्ड का निपटान।
13. रोधक एवं मूल्यांकन स्टाफ के संबंध में ओवरटाईम बिल एवं व्यापारियों से प्रभारित सुविधाएँ।
14. इन्लैण्ड परिवहन बाण्ड रजिस्टर तथा पुन भण्डारण प्रमाण-पत्र।
15. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के तहत छोड़ दिये गये/दावा न किये गये माल की निकासी/निपटान।
16. मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआरज)।
17. फोन पुस्तिका।
18. आईसीडी/सीएफएस में तैनात सीमा शुल्क स्टाफ के सम्बन्ध में संग्रह किये गए/संग्रह किये जाने वाले स्थापना व्यय।
19. छानबीन फाईलें।
20. बैंक प्रतिभूतियाँ तथा बाण्ड।
21. वसूली के लिए लम्बित मांगों का बकाया।
22. अन्तिम उपयोग प्रमाण-पत्र।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के बीच कार्य का वितरण

(i) ए.ए.ओ. I

1. लेखापरीक्षा किये जाने के लिए दावा किये गए बीईज/एसबीज/प्रतिदायों/फिरतियों का 50%।
2. जेडीजीएफटी कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित शुल्क मुक्त क्रेडिट/आयात लाईसेन्सों का 50%।
3. जारी की गई फिरती संस्वीकृतियों का 50%, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरियों द्वारा निर्धारित फिरती की ब्रान्ड दर का 50%।

7. Aircraft files (Exports) including manifest.
8. Cancelled warehousing bond files.
9. Register of unclaimed, abandoned and confiscated goods, their disposal and auction files, Corresponding Stores Accounts and Godown Register.
10. Register of offences, penalties and Adjudication of seizure.
11. Reward files.
12. Discharge of bond including end use bonds.
13. Overtime bills in respect of Preventive and Appraising staff and amenities charged from Merchants.
14. Inland Transport Bond Registers and re-warehousing certificates.
15. Clearance/disposal of abandoned/un-cleared goods under Section 48 of Customs Act, 1962.
16. Monthly Technical Reports (MTRs).
17. Call Book.
18. Establishment charges collected/to be collected in respect of Customs staff posted at ICD/CFS.
19. Rummage files.
20. Bank Guarantees and Bonds.
21. Arrears of demands pending realization.
22. End use certificates.

Distribution of work between Assistant Audit Officers

(i) A.A.O. I

1. 50% of the BEs/SBs/Refunds/Drawback claimed to be audited.
2. 50% of Duty free credit/import licenses pertaining to various schemes at JDGFT offices.
3. 50% of the Drawback sanctions issued, 50% of Brand Rate of Drawback fixed by the Central Excise Commissionerates.

4. ईओयू/एसटीपीआई/एसईजेड/ई.ओ. प्रतिपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित अभिलेख: विदेशी विनिमय उगाही, डीटीए ब्रिक्रियाँ, डीटीए ब्रिक्रियों में बिके माल का मूल्यांकन।
5. रजिस्टर/इत्यादि की लेखापरीक्षा के संबंध में अन्य दस्तावेजों/फाइलों का 50%।
6. वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देना।
7. एसएओ/एओ द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(ii) ए.ए.ओ. II

1. लेखापरीक्षा किये जाने के लिए दावा किये गए बीईज/एसबीज/प्रतिदायों/फिरतियों का 50%।
2. जेडीजीएफटी कार्यालयों में शुल्क मुक्त क्रेडिट/आयात लाईसेन्सों का 50%।
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरियों द्वारा जारी की गई फिरती संस्वीकृतियों का 50%।
4. ईओयू/एसटीपीआई/एसईजेड से संबंधित निम्नलिखित अभिलेख।
बी.17 बाण्ड/प्रतिभूतियाँ; आयात; सीटी-3 के तहत खरीद; आस्वीकृत वस्तुएँ, रद्दी, ईओयू से निकाला गया अन्य माल; अन्तर इकाई हस्तान्तरण, इकाईयों की डी-बाण्डिंग; लागत वसूली प्रभार।
5. रजिस्टर/इत्यादि की लेखापरीक्षा के संबंध में अन्य दस्तावेजों/फाइलों का 50%।
6. पिछले वर्ष की स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच तथा निपटान।
7. एसएओ/एओ द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

ख. एसएओ/एओ

निम्नलिखित की समीक्षा:-

1. ₹ 1 करोड़ से अधिक मूल्य के आकलन योग्य सभी शुल्क योग्य बीईज तथा शेष बीई/एसबी का 10%; एएओज द्वारा जांच किये गए फिरती दावों का 10%।
2. ₹ 20 लाख से अधिक सभी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप/लाईसेन्स जैसे डीईपीबी, वीकेजीयूवाई, एफपीएस, एफएमएस, एसएफआईएस इत्यादि एवं एएओ द्वारा जांच किये गए शेष लाईसेन्सों का 10%।
3. ₹ 1 करोड़ एवं इससे ऊपर के सभी आयात लाईसेन्स सीआईएफ के साथ जैसे ईपीसीजी, डीईईसी, डीएफआईए तथा एएओ द्वारा जांच किये गए शेष मामलों का 10%।
4. ईओयू/एसईजेड/एसटीपीआई इकाईयों में एएओ द्वारा जांच किये गए अभिलेखों का 10%।

4. The following records relating to EOU/STPI/SEZ, E.O. Fulfillment: Foreign exchange realization; DTA sales; Valuation of goods sold in DTA sales.
5. 50% of other documents/files in respect of audit of Registers/etc.
6. Finalisation of current year reports.
7. Any other work entrusted by SAO/AO.

(ii) A.A.O. II

1. 50% of the BEs/SBs/Refunds/Drawback claims to be audited.
2. 50% of Duty free credit/import licences at JDGFT offices.
3. 50% of the Drawback sanctions issued by the Central Excise Commissionerates.
4. The following records relating to EOU/STPI/SEZ.
B.17 Bonds/ Securities; Imports; procurements under CT-3; Rejects, Wastes, other goods cleared from EOU; Inter unit transfers; De-bonding of units; Cost recover charges.
5. 50% of other documents/files in respect of audit of Registers/etc.
6. Verification of earlier year local audit reports and settlement.
7. Any other work entrusted by the SAO/AO.

B. SAO/AO

To review:-

1. All dutiable BEs assessable value exceeding Rs.1 crore and 10% of the balance BE/SB; 10% of the Drawback claims checked by the AAOs.
2. All duty credit scrips /licenses like DEPB, VKGUY,FPS, FMS, SFIS etc. exceeding Rs.20 lakh and 10% of the balance licences checked by AAO.
3. All import licenses like EPCG, DEEC, DFIA with CIF value Rs.1 crore and above and 10% of the balance cases checked by AAO.
4. 10% of the records checked by AAO at EOU/SEZ/STPI units.

5. ₹ 1 करोड़ से अधिक शुल्क वाले जब्त माल का अधिनिर्णय।
6. पुरानी बकाया आपत्तियां, उनका निपटान अथवा गिराने हेतु उनका विनिश्चयन अथवा उनका पुनरीक्षण तथा मसौदा पैराग्राफ में रूपान्तरण।
7. भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों तथा रोधक ईकाईयों/पदों के मामले में –
 - (i) आकलन योग्य सभी शुल्क योग्य बीईज जिनका मूल्य ₹ 10 लाख से अधिक है तथा ए.ए.ओ. द्वारा जांच किये गए शेष बीईज तथा एसबीज का 5%,
 - (ii) ₹ 10 लाख से अधिक शुल्क वाले अधिनिर्णय मामले।
 - (iii) एएओज द्वारा जाँचे गए रजिस्ट्रारों/दस्तावेजों का 10%,
 - (iv) पुरानी बकाया आपत्तियां, उनका निपटान अथवा गिराने हेतु उनका विनिश्चयन अथवा उनका पुनरीक्षण तथा मसौदा पैराग्राफ में रूपान्तरण।

5. Adjudication of seized and confiscated goods with duty more than Rs.1 crore.
6. Old outstanding objections, their settlement or their earmarking for dropping or their revision and conversion into draft paragraph.
7. In the case of Land Customs Stations and Preventive units/Posts –
 - (i) All dutiable BEs assessable value of which exceeds Rs.10 lakh and 5% of the balance BEs and SBs checked by A.A.O.,
 - (ii) Adjudication cases with duty more than Rs.10 lakh
 - (iii) 10% of the registers/documents checked by AAOs,
 - (iv) Old outstanding objections, their settlement or their earmarking for dropping or their revision and conversion into draft para.

अध्याय 27

लेखापरीक्षा नियंत्रण

सीआरए का मुख्य कार्य अनुपालना लेखापरीक्षा है परन्तु विभिन्न एक्जिम योजनाओं की निष्पादन संवीक्षा भी की जाती है।

27.1 अनुपालना लेखापरीक्षा

अनुपालना लेखापरीक्षा के संबंध में विनियम पैरा- 22.2 (i) से (vi) में दिये गए हैं।

सीमाशुल्क प्राप्तियों की अनुपालना लेखापरीक्षा दो चरणों में की जाती है, नामतः:-

27.1.1 समवर्ती लेखापरीक्षा- सीमाशुल्क सदनों में वर्तमान दस्तावेजों की दिन-प्रतिदिन संवीक्षा जिसमें ऐसे सभी संव्यवहारों की सामान्य समीक्षा तथा उनके एक प्रतिशत की विस्तृत जांच शामिल है। ये दस्तावेज समुद्र सीमाशुल्क के मामले में बीईज, एसबीज, अन्तर एवं बाह्य-बाण्ड बीईज, बाण्ड रजिस्टर, सामान उद्धोषणाएं, फिरती मामले तथा ऐसे अन्य हैं तथा भूमि तथा वायु सीमा शुल्क के लिए अनुरूपी आयात आवेदन, सामान उद्धोषणाएं इत्यादी हैं।

(क) **मुख्य रजिस्टर:** संबंधित सीमाशुल्क सदनों में मुख्य रूप से समवर्ती लेखापरीक्षा दल के रूप में तैनात स्टाफ द्वारा सीमाशुल्क प्राप्तियों तथा प्रतिदायों से संबंधित सभी रजिस्ट्रों की लेखापरीक्षा करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा हेतु इन दस्तावेजों की प्राप्ति तथा लेखापरीक्षा के बाद सीमाशुल्क सदनों को उनकी वापसी की देखरेख सीआरए अनुभाग द्वारा अनुरक्षित एक मुख्य रजिस्टर के माध्यम से की जाती है। लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची आवधिक रूप से तैयार की जाती है तथा इन दस्तावेजों की प्राप्ति मुख्य रजिस्टर में नोट की जाती है। सभी नियत दस्तावेजों के लिए अनुस्मारक इस मुख्य रजिस्टर के माध्यम से आवधिक रूप से जारी किये जा रहे हैं।

डम्प डाटा की लेखापरीक्षा

ईडीआई डाटा के निर्माण का ब्यौरा इस नियमावली के भाग I के अध्याय 18 में दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी पर्यावरण में लेखापरीक्षण के संबंध में विनियम पैरा 22.4 (1) से (x) में दिये गए हैं।

ईडीआई डाटा सीमाशुल्क विभाग द्वारा सीआरए को भेजा जाता है। डाटा सीआरए के अपने सर्वर पर लोड किया जाता है तथा लेखापरीक्षा संरचित प्रश्नभाषा (एसक्यूएल) का प्रयोग करके उपलब्ध सूचना के आधार पर की जाती है।

Chapter 27

Audit Checks

The main function of CRA is Compliance Audit but Performance Reviews of the various EXIM Schemes are also undertaken.

27.1 Compliance Audit

Regulations in respect of Compliance Audit are given in **Para – 22.2 (i) to (vi)**.

Compliance Audit of Customs receipts is done at two stages, namely –

27.1.1 Concurrent Audit - Day-to-day scrutiny of current documents in the Customs Houses involving a General review of all such transactions and a detailed check of a percentage of them. These documents are BEs, SBs, Into and Ex-Bond BEs, bond registers, baggage declarations, drawback cases and the like in the case of Sea Customs, and the corresponding import applications, baggage declaration etc. for Land and Air Customs.

(a) Key Register: All documents relating to customs receipts and refunds are required to be audited by staff posted mainly as concurrent audit parties in the respective Custom Houses. Receipt of these documents for audit and their return to the Custom House after audit are watched through a Key Register maintained by the CRA Section. A list of documents required for audit is prepared periodically and receipt of these documents noted in the Key Register. Reminders for all due documents are being issued periodically through this Key Register.

Audit of Dump Data

The details of the generation of EDI data are given in Chapter 18 of Section I of this Manual.

Regulations in respect of Auditing in Information Technology Environment are given in **Para 22.4(i) to (x)**.

The EDI data are sent to CRA by the Customs department. The data is loaded to CRA's own server and audit is done on the basis of information available by using Structured Query Language (SQL).

एसक्यूएल के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

एकल तालिका का प्रयोग करके आयात डाटा पर नमूना प्रश्न

सभी बिल देखने के लिए

- सेलक्ट बीई एनओ बीई डीटी टीवाईपी, आईएमपी नेम, टीओटी ड्यूटी फार्म बीई

एक तिथि हेतु सभी बिल देखने के लिए

- `SELECT be_no , be_dt, ,typ, iec, imp_name, tot_duty FROM be_main WHERE be_dt = '01-apr-08';`

एक आयातक के लिए सभी बिल देखने के लिए

- `SELECT be_no , be_dt, ,typ, iec, imp_name, tot_duty FROM be_main WHERE iec = '12451575';`

सभी मद देखने के लिए

- `SELECT be_no , be_dt, inv_no, item_no ,cth,item_desc1,assess_val,duty FROM be_item_det;`

एक अधिसूचना के लिए सभी मद देखने के लिए

- `SELECT be_no , be_dt, inv_no, item_no, cth ,item_desc1,assess_val,duty FROM be_item_det WHERE bcd_notn like ' 012/2002'`

अध्याय के सभी मद देखने के लिए

- `SELECT be_no , be_dt, inv_no, item_no, cth ,item_desc1,assess_val,duty FROM be_item_det WHERE cth like '71%'`

दो या अधिक तालिकाओं को जोड़ने वाले आयात डाटा पर नमूना प्रश्न

बीई तथा मद तालिकाएं जोड़ने वाले

सभी बिल एवं इसके मद देखने के लिए

- `SELECT a.be_no , a.be_dt, a.,typ, a.iec, a.imp_name, b.inv_no, b.item_no, b.cth, b.assess_val,b.item_desc1, b.itemc, b.bcd_rta,b.bcd_amt,b.duty FROM be_main a , be_item_det b where a.be_no =b.be_no ;`

एक तिथि के लिए सभी बिल एवं इसके मद देखने के लिए

- `SELECT a.be_no , a.be_dt, a.,typ, a.iec, a.imp_name, b.inv_no,b.item_no, b.cth, b.assess_val,b.item_desc1, b.itemc, b.bcd_rta,b.bcd_amt,b.duty FROM be_main a , be_item_det b WHERE a.be_no =b.be_no and a.be_dt = '01-apr-08';`

A few examples of the SQL queries are given below :

SPECIMEN QUERIES ON IMPORT DATA USING SINGLE TABLE

To view all bills

- `SELECT be_no , be_dt, ,typ, iec, imp_name, tot_duty FROM be- main ;`

To view all bills for a date

- `SELECT be_no , be_dt, ,typ, iec, imp_name, tot_duty FROM be_ main WHERE be_dt = '01-apr-08';`

To view all bills for a importer

- `SELECT be_no , be_dt, ,typ, iec, imp_name, tot_duty FROM be_main WHERE iec = '12451575';`

To view all the items

- `SELECT be_no , be_dt, inv_no, item_no ,cth,item_desc1,assess_val,duty FROM be_ item_det;`

To view all the items for a notification

- `SELECT be_no , be_dt, inv_no, item_no, cth ,item_desc1,assess_val,duty FROM be_ item_det WHERE bcd_notn like ' 012/2002'`

To view all the items of chapter

- `SELECT be_no , be_dt, inv_no, item_no, cth ,item_desc1,assess_val,duty FROM be_ item_det WHERE cth like '71%'`

SPECIMEN QUERIES ON IMPORT DATA COMBINING TWO OR MORE TABLES

COMBINING BE AND ITEM TABLES

To view all bills and its item

- `SELECT a.be_no , a.be_dt, a.,typ, a.iec, a.imp_name, b.inv_no, b.item_no, b.cth, b.assess_val,b.item_desc1, b.itemc, b.bcd_rta,b.bcd_amt,b.duty FROM be main a , be_ item_det b where a.be_no =b.be_no ;`

To view all bills and its items for a date

- `SELECT a.be_no , a.be_dt, a.,typ, a.iec, a.imp_name, b.inv_no,b.item_no, b.cth, b.assess_val,b.item_desc1, b.itemc, b.bcd_rta,b.bcd_amt,b.duty FROM be_main a , be _ item_det b WHERE a.be_no =b.be_no and a.be_dt = '01-apr-08';`

To view all bills and its item for a importer

- `SELECT a.be_no , a.be_dt, a.,typ, a.iec, a.imp_name, b.inv_no,b.item_no, b.cth, b.assess_val,b.item_desc1, b.itemc, b.bcd_rta,b.bcd_amt,b.duty FROM be_ main a ,be _ item_det b WHERE a.be_no =b.be_no and a.iec = '12451575';`

To view all the bills and its items for a notification

एक आयातक के लिए सभी बिल एवं इसके मद देखने के लिए

- `SELECT a.be_no , a.be_dt, a.typ, a.iec, a.imp_name, b.inv_no,b.item_no, b.cth, b.assess_val,b.item_desc1, b.itemc, b.bcd_rta,b.bcd_amt,b.duty FROM be_main a ,be_item_det b WHERE a.be_no =b.be_no and a.iec = '12451575';`

एक अधिसूचना के लिए सभी बिल एवं इसके मद देखने के लिए

- `SELECT a.be_no , a.be_dt, a.typ, a.iec, a.imp_name, b.inv_no,b.item_no, b.cth, b.assess_val,b.item_desc1, b.itemc, b.bcd_rta,b.bcd_amt,b.duty FROM be_main a ,be_item_det b WHERE a.be_no =b.be_no and b.bcd_notn like ' 012/2012';`

एक अध्याय के लिए सभी बिल एवं इसके मद देखने के लिए

- `SELECT a.be_no , a.be_dt, a.typ, a.iec, a.imp_name, b.inv_no,b.item_no, b.cth, b.assess_val,b.item_desc1, b.itemc, b.bcd_rta,b.bcd_amt,b.duty FROM be_main a ,be_item_det b WHERE a.be_no =b.be_no and b.cth like '71%'`

लेखापरीक्षा करने के लिए कुछ नमूना प्रश्न

उदगम देश का प्रयोग करते हुए बिलों का चयन करने के लिए

- `Select A.AG,a.be_no,a.be_dt,a.typ,b.inv_no,c.item_no , B.INV_TERM, c.item_desc1,c.item_desc2,c.assess_val,c.itemc,a.corg,a.ccon,a.pos,c.crg ,c.cth,c.ceth,c.nou,c.uqc,c.nou2,b.inv_val,c.upi,b.inv_cur, C.BCD_NOTN,BCD_NSNO,C.BCD_RTA, C.BCD_AMT,C.CVD_NOTN,C.CVD_NSNO,C.CVD_RTA,C.CVD_AMT,C.CVD05_AMT, C.DUTY, c.and_amt,c.and_notn,d.apr_id,d.iad_id,d.pao_id,pac_id,a.imp_name, b.sup_nm,b.sup_add1,c.mnf_nm from be_main a, item c ,be_status d, be_inv b “where (A.CORG ='&BECORG' OR C.CRG =' &ITEMCRG')” AND a.be_no = b.be_no and a.be_no = c.be_no and a.be_no =d.be_no and b.inv_no =c.inv_no and a.be_no =d.be_no`

एक विशिष्ट सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत आयातित सभी मदों के विश्लेषण के लिए

- `select A.AG,a.be_no,a.be_dt,a.typ,b.inv_no,c.item_no , B.INV_TERM, c.item_desc1,c.item_desc2,c.assess_val,c.itemc,a.corg,a.ccon,a.pos,c.crg ,c.cth,c.ceth,c.nou,c.uqc,c.nou2, b.inv_val,c.upi,b.inv_cur,C.BCD_NOTN,BCD_NSNO,C.BCD_RTA, C.BCD_AMT,C.CVD_NOTN,C.CVD_NSNO,C.CVD_RTA,C.CVD_AMT,C.CVD05_AMT,c .duty,c.and_amt,c.and_notn,d.apr_id,d.iad_id,d.pao_id,pac_id,a.imp_name, b.sup_nm,b.sup_add1,c.mnf_nm from be_main a, be_inv b, item c ,be_status d where a.be_no = b.be_no and C.BCD_NOTN LIKE '%'||&NOTN'||%' AND a.be_no = c.be_no and a.be_no =d.be_no and b.inv_no =c.inv_no and a.be_no =d.be_no`

- SELECT a.be_no , a.be_dt, a.typ, a.iec, a.imp_name, b.inv_no,b.item_no, b.cth, b.assess_val,b.item_desc1, b.itemc, b.bcd_rta,b.bcd_amt,b.duty FROM be_main a ,be _ item_det b WHERE a.be_no =b.be_no and b.bcd_notn like '012/2012';

To view all the bills and its items of a chapter

- SELECT a.be_no , a.be_dt, a.typ, a.iec, a.imp_name, b.inv_no,b.item_no, b.cth, b.assess_val,b.item_desc1, b.itemc, b.bcd_rta,b.bcd_amt,b.duty FROM be_main a ,be _ item_det b WHERE a.be_no =b.be_no and b.cth like '71%'

A FEW SPECIMEN QUERIES FOR CONDUCTING AUDIT

To select Bills using the country of origin

- Select A.AG,a.be_no,a.be_dt,a.typ,b.inv_no,c.item_no , B.INV_TERM, c.item_desc1,c.item_desc2,c.assess_val,c.itemc,a.corg,a.ccon,a.pos,c.crg ,c.cth,c.ceth,c.nou,c.uqc,c.nou2,b.inv_val,c.upi,b.inv_cur, C.BCD_NOTN,BCD_NSNO,C.BCD_RTA, C.BCD_AMT,C.CVD_NOTN,C.CVD_NSNO,C.CVD_RTA,C.CVD_AMT,C.CV D05_AMT,C.DUTY, c.and_amt,c.and_notn,d.apr_id,d.iad_id,d.pao_id,pac_id,a.imp_name, b.sup_nm,b.sup_add1,c.mnf_nm from be_main a, item c ,be _status d, be inv b “where (A.CORG ='&BECORG' OR C.CRG =' &ITEMCRG')” AND a.be_no = b.be_no and a.be_no = c.be_no and a.be_no =d.be_no and b.inv_no =c.inv_no and a.be_no =d.be_no

For analyzing all the items imported under a particular customs notification.

- select A.AG,a.be_no,a.be_dt,a.typ,b.inv_no,c.item_no , B.INV_TERM, c.item_desc1,c.item_desc2,c.assess_val,c.itemc,a.corg,a.ccon,a.pos,c.crg ,c.cth,c.ceth,c.nou,c.uqc,c.nou2, b.inv_val,c.upi,b.inv_cur,C.BCD_NOTN,BCD_NSNO,C.BCD_RTA, C.BCD_AMT,C.CVD_NOTN,C.CVD_NSNO,C.CVD_RTA,C.CVD_AMT,C.CV D05_AMT,c.duty,c.and_amt,c.and_notn,d.apr_id,d.iad_id,d.pao_id,pac_id,a.imp_n ame, b.sup_nm,b.sup_add1,c.mnf_nm from be_main a, be _ inv b, item c ,be_status where a.be_no = b.be_no and C.BCD_NOTN LIKE '%||&NOTN||%' AND a.be_no = c.be_no and a.be_no =d.be_no and b.inv_no =c.inv_no and a.be_no =d.be_no

27.1.2 स्थानीय लेखापरीक्षा

विभिन्न रोधक इकाईयों, मण्डलीय कार्यालयों, भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों, अनुभागों इत्यादि की कार्यशैली की लेखापरीक्षा आवधिक रूप से लेखापरीक्षा दल नियुक्त करके की जानी है।

27.1.3 लेखापरीक्षा नियंत्रण

सामान्य नियंत्रणों का ब्यौरा पैरा 22.1 (क) एवं (ख) में दिया गया है।

एक विशिष्ट मुद्दे/विषय के लिए निर्दिष्ट लेखापरीक्षा नियंत्रण पहले उठाए गए उदाहरणात्मक रोचक लेखापरीक्षा आपत्तियों के साथ इस नियमावली में प्रत्येक मुद्दे/विषय के साथ दिये गए हैं।

27.2 निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा विनियमों का ब्यौरा पैरा 22.3 (i) से (ix) में दिया गया है।

निष्पादन पर समीक्षा के लिए विषय क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ परामर्श करके चिन्हित किये जाते हैं तथा समीक्षा के लिए दिशानिर्देश मुख्यालय द्वारा जारी किये जाते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित विषयों पर समीक्षाएं छापी गई थीं।

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	समीक्षा का नाम
1.	2011-12 की प्रतिवेदन सं. 22	पूँजीगत माल निर्यात प्रोत्साहन योजना
2.	2009-10 की प्रतिवेदन सं.-15	प्राकृतिक अथवा कृत्रिम मोती, कीमती, अथवा अर्द्ध-कीमती पत्थर, बहुमूल्य धातु, कीमती धातु के लेप वाली धातुएँ तथा पदार्थ, नकली आभूषण, सिक्के (सीमाशुल्क दर शीर्ष का अध्याय 71)
3.	2009-10 की प्रतिवेदन सं. 24 पीए	➤ भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीइएस) ➤ परियोजना आयात
4.	2008 की प्रतिवेदन सं. 6	➤ प्रोत्साहनात्मक उपाय ➤ लक्ष्य प्लस योजना ➤ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

27.1.2 Local Audit

Audit of the working of different preventive units, divisional offices, land customs stations, Sections, etc. is to be conducted periodically by deploying Audit Parties.

27.1.3 Audit checks

The details of general checks are given in **Para 22.1 (a) & (b)**.

The specific audit checks for a particular issue/ subject are given in Section I of this Manual against each issue/ subject along with illustrative interesting audit objections raised earlier.

27.2 Performance Audit

The details of the Audit Regulations relating to Performance Audit are given in **Para 22.3 (i) to (ix)**.

Topics for review on performances are identified in consultation with field offices and guidelines for review are issued by the Headquarters office. Reviews on the following topics were printed during the last 5 years:

Sl. No.	Report No. & Year	Name of Review
1.	Report No. 22 of 2011-12	Export Promotion Capital Goods Scheme
2.	Report No. 15 of 2009-10	Natural or cultured pearls, precious or semi- precious stones, precious metals, metals clad with precious metal and articles thereof, imitation jewellery, coin (Chapter 71 of Customs Tariff Heading)
3.	Report No. 24 PA of 2009-10	➤ Indian Customs Electronic Data Interchange System (ICES) ➤ Project Imports
4.	Report No. 6 of 2008	➤ Promotional Measures ➤ Target Plus Scheme ➤ Special Economic Zone (SEZ)

5.	2007 की प्रतिवेदन सं. 7	➤ सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयाँ (ईओयूज) ➤ अधिनिर्णयन एवं अपील मामलें

5.	Report No. 7 of 2007	➤ Hundred Percent Export Oriented Units (EOUs) ➤ Adjudication and Appeal Cases

अध्याय 28

लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग-प्रक्रिया

28.1 रिपोर्टिंग मानक

रिपोर्टिंग मानक लेखापरीक्षा के परिणामों की रिपोर्टिंग के लिए लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा संस्थान को एक समग्र ढांचा उपलब्ध कराते हैं। लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा सीआरए के लिए उत्तम रिपोर्टिंग मानकों की अपेक्षा करता है।

28.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष- संप्रेषण

28.2.1 समवर्ती लेखापरीक्षा

आपत्तियाँ समवर्ती लेखापरीक्षा के प्रभारी वरि.प्र.अ./प्र.अ. के हस्ताक्षर से लेखापरीक्षा ज्ञापन/नमूनों लेखापरीक्षा ज्ञापन के रूप में क्षेत्राधिकारी प्रभारी को जारी की जाती हैं तथा पावती प्राप्त की जाती है। लेखापरीक्षा ज्ञापन/नमूना लेखापरीक्षा ज्ञापन पर लगातार क्रम सं. होनी चाहिए।

28.2.2 स्थानीय लेखापरीक्षा

28.2.2.1 प्रारंभिक आपति ज्ञापन जारी करना

सभी आपत्तियाँ लेखापरीक्षा प्रश्नों के रूप में (दल के व. लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत) सीमाशुल्क के क्षेत्राधिकारी प्रभारी को जारी किये जाने चाहिए तथा पावती प्राप्त की जानी चाहिए, उत्तर एक दिन में प्राप्त किया जाना चाहिए अथवा लेखापरीक्षा खत्म होने से पहले, जो भी पहले हो। लेखापरीक्षा प्रश्नों पर निरंतर क्रम संख्या होनी चाहिए तथा अभिलेख रखा जाना चाहिए।

28.2.2.2 स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना

सभी आपत्तियाँ जिन्हें लेखापरीक्षा के दौरान मौके पर ही नहीं सुलझाया जा सकता, को स्थानीय लेखापरीक्षा जाँच रिपोर्ट (एलएआर) में लिखा जाना चाहिए। स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट चार भागों में लिखी जानी चाहिए।

~ भाग I प्रारंभिक- इसमें पिछली रिपोर्टों से बकाया आपत्तियाँ, स्थाई अनियमितताओं की सूची, कारणों के साथ उपलब्ध ना कराए गए अभिलेख, यदि कोई हो तो, शामिल होते हैं। लम्बित रिपोर्टों की सभी संबंधित फाइलें प्रत्येक बकाया आपत्तियों की वर्तमान स्थिति की जांच हेतु सीआरए दल को सौंपी जानी चाहिए।

~ भाग II क- वर्तमान लेखापरीक्षा में देखी गई सभी बड़ी अनियमितताएं, महत्वपूर्ण आपत्तियाँ तथा जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जा सकती हैं, शामिल होनी चाहिए।

Chapter 28

Audit Reporting - Procedure

28.1 Reporting Standards

Reporting standards provide an overall framework for the auditor and the Audit Institution for reporting the results of audit. The audit quality management framework requires the best reporting standards for CRA.

28.2 Audit findings – Communication of

28.2.1 Concurrent Audit

Objections in the form of Audit Memos/Test Audit Memos is issued under the signature of Sr.A.O./A.O. in charge of concurrent audit to the jurisdictional in charge and acknowledgement obtained. Audit Memo/Test Audit Memos should bear the running serial number.

28.2.2 Local Audit

28.2.2.1 Issue of preliminary objection memo

All objections in the form of Audit Queries (under the signature of Sr. Audit Officer/Audit Officer in-charge of the party) should be issued to the jurisdictional in-charge of Customs and acknowledgements obtained, reply received within a day or before close of audit at the latest. The Audit Queries should bear running serial numbers and kept in record.

28.2.2.2 Drafting of local audit report

All objections which could not be settled on the spot during the course of audit should be drafted in the local audit inspection report (LAR). The local audit report should be drafted in four parts.

~ Part I - Introductory - Should contain details of outstanding objections from previous reports, schedule of persistent irregularities, records not made available with reasons, if any. All concerned files of pending reports should be handed over to the CRA party for verification of present position of each of the outstanding objections.

~ Part II A - Should contain all major irregularities, important objections noticed in current audit and which are likely to find a place in the Audit Report of Comptroller and Auditor General of India.

~ भाग II ख- वे आपत्तियाँ शामिल होनी चाहिए जिन्हें उच्चतर स्तरों पर अथवा स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के भाग II क के माध्यम से जारी रखने की आवश्यकता नहीं है एवं प्रत्येक मामले में ₹ 7.5 लाख से कम मूल्य की हैं। यह मूल्य राशि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 से प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख तक बढ़ाई गई है।

~ भाग III- सभी आपत्तियाँ जो छोटी प्रकृति की हैं (मूल्य राशि 10,000 रु से कम) एवं जिन्हें भाग II क अथवा भाग II ख में शामिल नहीं किया गया है, शामिल होनी चाहिए। भाग III आपत्तियों की एक प्रति (डुप्लीकेट में) उनके द्वारा आगे की कार्यवाही हेतु संबंधित कमिशनरी की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुपुर्द/जारी की जानी चाहिए।

मसौदा जांच रिपोर्ट सहा.लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जानी चाहिए तथा दल के प्रभारी व. लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। यदि सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी उपलब्ध ना हो तो, रिपोर्ट व. लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं लिखी जाएगी। स्थानीय मुख्यालय को मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, रिपोर्ट किये गए मामलों पर संबंधित सहा. आयुक्त अथवा सीमाशुल्क अधीक्षक के साथ चर्चा की जानी चाहिए तथा जहाँ आवश्यक हो, उसकी सहमति/असहमति को उपयुक्त खण्डनों के साथ अभिलिखित किया जाना चाहिए। **परिशिष्ट -14** में दिये गए प्रपत्र में, स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का एक मुख पृष्ठ भी भरा जाना चाहिए एवं रिपोर्ट के साथ सलग्न किया जाना चाहिए।

28.2.2.3 संबंधित सहायक आयुक्त/उपआयुक्त अथवा सीमाशुल्क अधीक्षक के साथ चर्चा

सीआरए दल को कम उद्ग्रहण वाली अनियमितताएं मिल सकती हैं जिन्हें बेशक स्वीकार ना किया जाए परन्तु कम उद्ग्रहण मामलों की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की गई है, जहाँ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिये गए हैं: अथवा मामले जहां सीआरए दल को निर्धारिती द्वारा किये गए दावों तथा उठाए गए मुद्दों पर संदेह है जो जांच के अधीन है। ऐसे मामलों में दल को क्षेत्राधिकारी सहा. आयुक्त/उपायुक्त से मिलना चाहिए तथा निपटारे के लिए विस्तृत चर्चा करनी चाहिए तथा फीडबैक लेना चाहिए।

सहा./उपायुक्त सीमाशुल्क के साथ चर्चा के तथ्य को मसौदा जांच रिपोर्ट में दर्शाया जाना चाहिए।

28.2.2.4 निरीक्षण रिपोर्ट जारी करना

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी मसौदा जांच रिपोर्ट लेखापरीक्षा पूरी होने के पांच दिनों के भीतर स्थानीय मुख्यालय में प्राप्त हो गई हैं। सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा स्थानीय मुख्यालय में रिपोर्ट की वीविक्षा होनी चाहिए तथा समूह अधिकारी द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ₹ एक करोड़ से अधिक राजस्व प्रभाव वाले सभी मामले महानिदेशक/प्रधान निदेशक के अनुमोदनार्थ स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी

~ Part II B - Should contain objections which are not required to be pursued through Part II A of the Local Audit Report or at higher levels and those with money value less than Rs. 7.5 lakh in each case. This money value has since been increased to Rs. 10 lakh in each case, from the Audit Report 2014.

~ Part III - Should incorporate all objections which are minor in nature (Money Value less than Rs.10,000) and are not included in Part II A or Part II B. A copy (in duplicate) of part III objections should be delivered/issued to the internal audit branch of the concerned Commissionerate for further followup at their end.

Draft inspection report should be prepared by Asstt. Audit Officer and reviewed by the Sr. Audit Officer/Audit Officer in-charge of the party. In case no Asstt. Audit Officer is available, the report shall be drafted by the Sr. Audit Officer/Audit Officer himself. Before submitting the draft report to local Headquarters, the reported cases should be discussed with the concerned Asstt. Commissioner or Supdt. of Customs and his agreement/disagreement recorded with suitable rebuttals where ever required. A title sheet of the draft local audit report should also be filled in, in the format given in **Annexure-14 and** attached with the report.

28.2.2.3 Discussion with concerned Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner or the Superintendent of Customs

The CRA party may find irregularities involving short levy which are either not admitted but action has been initiated for recovery of short levy cases; where no replies are given by the field offices; or cases where CRA party has doubt about the claims made by the assessee and raises the issue subject to verification. In such cases party should meet the jurisdictional Asstt. Commissioner/Dy. Commissioner and have a detailed discussion for settlement and feedback taken.

The fact of discussion with the Asstt./Dy. Commissioner of Customs should be mentioned in the draft inspection report.

28.2.2.4 Issue of inspection report

It should be ensured that all draft inspection reports are received at local headquarters within 5 days of completion of audit. The report should be vetted by Asstt. Audit Officer/ Audit Officer or Sr. Audit Officer at local headquarters and approved by the Group Officer. All cases involving revenue effect over Rs. one crore may be submitted to the Director General/Pr. Director prior to issue of Local Audit Report for his approval. The report should be presented in logical manner

करने से पहले उसे प्रस्तुत किये जाने चाहिए। रिपोर्ट तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा प्रति सूचीबद्ध होनी चाहिए ताकि विभागीय अधिकारियों के लिए समझना आसान हो सके।

रिपोर्ट की वीविक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित न्यूनतम जांच शामिल होनी चाहिए :-

- (क) सही प्रस्तावना का समावेश ;
- (ख) गणनाओं की गणितीय सटीकता;
- (ग) पृष्ठ सं. के साथ नत्थी किये गए दस्तावेजों का प्रति संदर्भ; और
- (घ) ईकाई के संबंध में समान आपत्ति पिछली रिपोर्ट में नहीं उठाई गई थी।

पूरी तथा साफ सुथरी टंकण की गई रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को सहा. आयुक्त सीमाशुल्क/उपायुक्त सीमाशुल्क को तथा उप/सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (लेखापरीक्षा) को एक प्रति के साथ लेखापरीक्षा पूरी होने की तिथि से एक माह के अन्दर जारी की जानी चाहिए।

रिपोर्ट में उपस्थित उच्च राशि मूल्य वाले संबंधित मामलों की प्रतियाँ भी अर्ध सरकारी रूप से आयुक्त सीमाशुल्क को उपायुक्त सीमाशुल्क (लेखापरीक्षा)/ सहा.आयुक्त सीमाशुल्क (लेखापरीक्षा) को एक प्रति के साथ उनकी सूचनार्थ भेजी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच रिपोर्ट की समय पर प्राप्ती एवं जारी होने की देखरेख करने के लिए, अनुबन्ध-15 में दिये गए फार्मेट के अनुसार एक नियंत्रण रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

28.3 आपत्ति पुस्तिका

समवर्ती अथवा स्थानीय लेखापरीक्षा में ली गई आपत्तियों को पूरा होने तक त्वरित अनुस्मारको के माध्यम से जारी रखा जाना चाहिए। सभी आपत्तियाँ एक आपत्ति पुस्तिका में दर्ज की जानी चाहिए तथा उनके निपटारे का ध्यान रखना चाहिए। आपत्ति पुस्तिका प्रत्येक माह वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से बन्द की जानी चाहिए तथा समूह अधिकारी द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए । आपत्ति पुस्तिका तथा समायोजन रजिस्टर के नमूना फार्म अनुबन्ध-16 तथा 17 में दिये गए हैं। आपत्ति पुस्तिका कमिशनरी-वार तैयार की जानी चाहिए।

31 मार्च तक बकाया आपत्तियों तथा 30 सितम्बर को निपटान हेतु लम्बित आपत्तियों का एक विवरण तथा ऐसी आपत्तियों का विवरण जहां आपत्ति जारी किये जाने के 6 माह के भीतर भी पहला उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, तैयार किये जाने चाहिए तथा आपत्तियों के तीव्र निपटारे के लिए प्रत्येक वर्ष 20 अक्तुबर तक अर्धसरकारी रूप से आयुक्त सीमाशुल्क को भेजा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उपस्थित लेखापरीक्षा पैराग्राफों की निगरानी के लिए, इसके अन्तिम निपटारे का पता लगाने के लिए डीपी रजिस्टर/ओबी से

and should be cross indexed so that it would be easy for the department officials to comprehend.

The vetting of the report should *inter alia* include the following minimum checks: -

- (a) incorporation of the correct preamble;
- (b) the arithmetic accuracy of calculations;
- (c) cross reference to the documents relied upon with page numbers; and
- (d) similar objection in respect of the unit was not raised in earlier report.

The complete and neatly typed report should be issued to the concerned officer with a copy to Asstt. Commissioner of Customs/Dy. Commissioner of Customs and to the Deputy/Asstt. Commissioner of Customs (Audit) within one month from the date of completion of audit.

Copies of potential cases with high money value appearing in the report should also be sent to the Commissioner of Customs demi-officially, with a copy to Deputy Commissioner of Customs (Audit)/Asstt. Commissioner of Customs (Audit) for their information.

In order to keep watch over the receipt and issue of audit inspection report in time, a control register should be maintained as per format given in **Annexure-15**.

28.3 Objection book

The objections taken in concurrent or local audit should be pursued by prompt reminders till finality. All objections should be entered in an objection book and their settlement watched. The objection book should be closed every month under the signature of the Sr. Audit Officer and reviewed by the Group Officer. Model forms of objection book and adjustment register are given in **Annexures-16 and 17**. The objection book should be prepared Commissionerate-wise.

A statement of objections outstanding upto 31 March and pending settlement on 30 September and a statement of objections where even first reply was not received within six months of issue of objections should be prepared and sent to the Commissioner of Customs demi-officially by 20th October each year for expeditious settlement of objections. Separate register may be maintained to monitor the audit paragraphs appearing in the Audit reports duly linked to the DP register/OB, to trace its ultimate settlement. The format of the statement is given in

विधिवत रूप से जुड़ा अलग रजिस्टर बनाया जा सकता है। विवरण का फार्मेट **अनुबन्ध-18** में दिया गया है। विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर तक मुख्यालय को भी भेजी जानी चाहिए।

28.4 संभावित मसौदा पैरा (पीडीपी) रजिस्टर

प्रत्येक डीजी/पीडीए कार्यालय की सीआरए शाखा में **अनुबन्ध-19** में दिये गए फार्मेट में संभावित मसौदा पैराग्राफों का एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। केवल वही मामले जिन्हें तथ्य विवरण में रूपान्तरित किया गया है अथवा डीजी/पीडीए के अनुमोदन से छोड़ दिया गया है, पीडीपी रजिस्टर से हटाने चाहिए। यह रजिस्टर प्रत्येक माह की दस को समूह अधिकारी/डीजी/प्रधान-डी.ए. को उनकी समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

28.5 तथ्य विवरण (एसओएफ)

एक तथ्य विवरण तथ्यों/टिप्पणियों की पुष्टि हेतु 6 सप्ताह के अन्दर आयुक्त सीमाशुल्क को अग्रेषित किया जा सकता है। तथ्य विवरण की पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात, तथ्य विवरण तथा विभाग की टिप्पणियों के आधार पर मसौदा पैराग्राफ संसाधित किये जाने चाहिए। ऐसे मामलों में जहां यह देखा गया हो कि आयुक्त की ओर से उत्तर को अनुचित रूप से लम्बित किया गया है तथा टिप्पणियों, जिनमें लेखापरीक्षा में दर्शाये जाने योग्य महत्वपूर्ण न्यायिक बिन्दु अथवा महत्वपूर्ण कर प्रभाव सम्मिलित हैं, को डीजी/पीडीए द्वारा पर्याप्त महत्वपूर्ण माना गया है, तो मसौदा पैराग्राफ बिना ऐसे उत्तरों की प्रतीक्षा किये संसाधित किये जाने चाहिए। मसौदा पैराग्राफ के रूप में विकसित किये गए सभी मामले एसओएफ रजिस्टर से हटा दिये जाने चाहिए। यदि विभाग के उत्तर के आधार पर पैरा एक मसौदा लेखापरीक्षा पैरा के रूप में विकसित किये जाने के लिए ठीक नहीं पाया जाता है, तो मामले को केवल महानिदेशक प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा से अनुमोदन के पश्चात तथ्य विवरण रजिस्टर से हटाया जा सकता है। मसौदा पैराग्राफों की प्रोसेसिंग की देख-रेख करने के लिए **अनुबन्ध-20** में दिये गए फार्मेट में एक तथ्य विवरण रजिस्टर भी बनाया जाना चाहिए।

28.6 मसौदा पैराग्राफ

मसौदा पैराग्राफ **अनुबन्ध-21** में दिये गए निर्देशों के अनुसार उसी ढंग से बनाया जाना चाहिए तथा मसौदा पैराग्राफों का एक रजिस्टर **अनुबन्ध-22** दिये गये फार्मेट में बनाया जाना चाहिए।

सीमा शुल्क प्राप्तियों तथा प्रतिदायों पर मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ मुख्यालय को भेजने के लिए वित्तीय सीमा ₹ 10 लाख तक बढ़ाई गई है। **अनुबन्ध-25 के पैरा (i) 5** में दर्शाये गए दिनांक 25 सितम्बर के मुख्यालय परिपत्र पत्र सं. 582/आरएडीटी/59-2013 के द्वारा। समान मुद्दे पर छोटी आपत्तियों को इस स्तर पर आने के लिए इक्कठा किया जा सकता

Annexure-18. A copy of the statement should also be sent to headquarters office by 20th October every year.

28.4 Potential Draft Para (PDP) Register

A register of potential draft paragraphs in the format given in the **Annexure-19** should be maintained in the CRA branch of each *DG/PDA* Office. Only those cases which are converted into statement of facts or dropped on approval from *DG /PDA* should only be cleared from the PDP register. This register should be submitted on the 10th of every month to the Group Officer/*DG./Pr. D.A* for their review.

28.5 Statement of facts (SOF)

A statement of facts may be forwarded to the Commissioner of Customs for confirmation of facts/comments within 6 weeks. After obtaining confirmation of the statement of facts, draft paragraphs should be processed on the basis of statement of facts and department's comments. In cases where it is noticed that the reply from the Commissioner has been unduly delayed and the objection is considered by *DG/PDA* to be important enough, involving important legal point(s) or substantial tax effect to merit mention in the Audit Report, draft paragraphs should be processed without waiting for such replies. All cases developed into draft paragraphs should be removed from the SOF register. If on the basis of the department's reply, the para is not found fit to be developed into a draft audit para, the case may be removed from the statement of facts register only after approval from the Director General/Principal Director of Audit. A register of statement of facts in the format given in **Annexure-20** should also be maintained to keep watch over the processing of draft paragraphs.

28.6 Draft Paragraphs

Draft Paragraphs should be prepared in the manner and in the light of instructions contained in **Annexure-21** and a register of Draft paragraphs maintained in the format given in **Annexure-22**.

The monetary limit for sending draft audit paragraphs on Customs receipts and refunds to the headquarters office has been raised to Rs.10 lakh, vide Headquarters circular letter No. 582/RADT/59-2013 Dated 25 September **mentioned in Para (i) 5 of Annexure-25.** Smaller objections on the same issue may be clubbed to arrive at this level. Further, draft paragraphs on objections with

है। इसके अतिरिक्त, न्याय के सिद्धान्त अथवा किसी अन्य रोचक विशेषता वाली कम शुल्क प्रभाव वाली आपत्तियों पर भी मसौदा पैराग्राफ मुख्यालय को भेजे जा सकते हैं। प्रणालीगत कमी पर आधारित पैरा को किसी वित्तीय सीमा से नहीं बांधा जा सकता।

28.7 विभागीय अधिकारियों के साथ मासिक/त्रैमासिक बैठकें

लेखापरीक्षा आपत्तियों, कारण बताओ ज्ञापनों को रुपये एक करोड़ से अधिक वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्य आयुक्त तथा महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) के बीच आवधिक बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। इसी प्रकार की आवधिक बैठकें आयुक्त तथा निदेशक/उपनिदेशक के बीच रुपये एक करोड़ से कम राशि वाले कारण बताओ ज्ञापनों को आवश्यक बनाने वाले मुद्दों पर चर्चा हेतु आयोजित की जा सकती हैं। पिछले त्रैमास के दौरान लेखापरीक्षा में देखी गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा वे मामले भी जहां पैराओं पर विभाग का उत्तर अभी प्रतीक्षित है, पर भी आवधिक बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए। (त्रैमास में कम से कम एक बार)।

28.8 सीआरए (मुख्यालय) में अनुरक्षित किये जाने वाले अन्य अभिलेख

- (i) रिटर्नो का कैलेंडर (प्रस्तुति तिथि प्रत्येक माह की दस या उससे पहले)
- (ii) निम्नलिखित सूचना वाली गार्ड फाईल (प्रस्तुति तिथि प्रत्येक माह की दस या उससे पहले): -
 - (क) मुख्यालय द्वारा सीआरए को जारी किये गए सारे परिपत्र।
 - (ख) बोर्ड द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जारी किये गए सभी परिपत्र, अधिसूचनाएँ, निर्देश, आदेश- सीबीईसी की वेबसाइट से डाउनलोड होने वाले।
 - (ग) ईएलटी/ईसीआरए में उपस्थित तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए सभी न्यायिक दृष्टांत-सीबीईसी की वेबसाइट से डाउनलोड होने वाले।
 - (घ) महालेखाकार/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अथवा सीआरए विंग से संबंधित समूह अधिकारी द्वारा जारी किये गए सभी आदेश।

28.9 आश्वासन ज्ञापन

मुख्यालय को प्रस्तुत किये जाने वाले लेखापरीक्षा उत्पादों के साथ विभाग के प्रमुख द्वारा संलग्न किये जाने वाले फॉर्मेट।

- 1 यह कि वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है।
2. यह कि प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में कमियों को दर्शाते हुए सभी निष्कर्षों तथा उत्तरदायित्व केंद्रों में सभी कमजोरियों पर प्रशासनिक विभाग के प्रमुख के साथ चर्चा की गई है तथा संभावित जोखिमों को कम करने के लिए सुधारात्मक उपायों के संबंध में आश्वासन प्राप्त किये गए हैं।

smaller duty effect involving principles of law or any interesting feature may also be sent to headquarters. Paras based on system deficiency may not be bound by any monetary limit.

28.7 Monthly/Quarterly meetings with departmental officers

Periodic meeting between the Chief Commissioner and the Director General/Pr. Director of Audit (Central) may be institutionalised to discuss the audit objections, necessitating issue of show cause notice involving over Rs. one crore. Similarly periodic meetings between Commissioner and Director/Dy. Director be institutionalised to discuss cases necessitating issue of show cause notice involving less amount up to Rs. one crore. The important audit objections noticed in audit during the previous quarters and also the cases where department's reply to the paras are awaited should also be discussed in periodic meetings (at least once in a quarter).

28.8 Other records to be maintained at CRA (Headquarters)

- (i) Calendar of Returns (submission date on or before 10th of every month).
- (ii) Guard file containing (submission date on or before 10th of every month): -
 - (a) All Circulars on CRA issued by headquarters.
 - (b) All Notifications, Circulars, instructions, orders issued under different Sections of the Customs Act by the Board - To be downloaded from CBEC's website.
 - (c) All case laws issued by the Supreme Court and appearing in the ELT/ECRs - To be downloaded from CBEC's website.
 - (d) All orders issued by the Accountant General/Pr. Director of Audit or Group Officer concerning CRA wing.

28.9 Assurance Memo

Format to be appended by the Head of the Department with the audit products submitted to HQrs.

1. That the Audit Plan for the year has been fully implemented.
2. That all observations pointing out lapses in the implementation of systems and procedures and all weakness in the responsibility centers have been discussed with the heads of administrative department and assurances obtained in regard to corrective measures for arresting potential risks.
3. That all contested evidences have been conclusively handled with reference to the facts at the disposal of audit.

3. यह कि लेखापरीक्षा के निपटान के समय सभी विरोधी साक्ष्यों को तथ्यों के संदर्भ में अन्तिम रूप से सम्भाला गया है।
4. यह कि योजनाओं की समीक्षाओं के संबंध में, नमूने जोखिम बोध के जोखिम विश्लेषण के आधार पर चयनित किये गए हैं तथा इस प्रक्रिया का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

28.10 सीमाशुल्क विंग से संबंधित बकाया लेखापरीक्षा निष्कर्षों/ एटीएनज़ के निपटारे के लिए प्रक्रिया

उपरोक्त विषय पर मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित आदेश जारी किये गए थे:-

- (i) दिनांक 7.2.1984 का मुख्यालय परिपत्र सं. 6/84 सं.107/आरईवी.-ए1/40-83/आईडीटी/सीई VI द्वारा जारी।
- (ii) मुख्यालय परिपत्र सं. 2/2003, दिनांक 17.2.2003 को सं. 37/आए-आई एन डीटी/सी.शु./126-2002 द्वारा जारी।
- (iii) दिनांक 23.9.2011 का मुख्यालय पत्र सं. 7/2011-सीएक्स सं. 904-आर-आईएनडीटी/सीई/536-2004/पीएसी।
- (iv) मुख्यालय परिपत्र सं. 5/2012, जारी सं. 137/आए-आईएनडीटी/सी.शु./III/40-2012 दिनांक 20.6.2012।
- (v) मुख्यालय पत्र सं. 75/आए-आईएनडीटी/74-2013 दिनांक 7 फरवरी 2014।

उपरोक्त निर्देशों/परिपत्रों के अनुरूप क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु व्यापक प्रावधान अनुबन्ध-23 में दोबारा तैयार किये गए हैं।

4. That in respect of reviews of schemes, samples have been selected bases in risk analysis of risk perception and that the evidence of such exercise is available on record.
5. It is certified that the audits have been conducted in conformity with the Auditing Standards issued by the Comptroller and Auditor General of India.

28.10 Procedure for settlement of outstanding audit observations/ATNs relating to Customs wing

On the above subject following orders were issued by Hqrs. from time to time:-

- (i) Hqrs. circular No. 6/84 issued vide No. 107/Rev.A.I/40-83/IDT/CE VI dated 7.2.1984.
- (ii) Hqrs. circular No. 2/2003 issued vide No. 37/RA-INDT/Cus/126-2002 dated 17.2.2003.
- (iii) Hqrs. letter No.7/2011-CX No.904-RA-INDT/CE/536-2004/PAC dated 23.9.2011.
- (iv) Hqrs. circular No. 5/2012, issued No. 137/RA-INDT/Cus/III/40-2012 dated 20.6.2012.
- (v) Hqrs. letter no. 75/RA-INDT/74-2013 dated 7 February 2014.

In line with the above instructions / Circulars comprehensive provisions are re-produced for necessary action at the level of field offices in **Annexure-23**.

अध्याय 29

विविध

29.1 एक्साईज लॉ टाईम्स/एक्साईज कस्टम रिपोर्ट्स में उपस्थित न्यायालय के आदेशों की संवीक्षा।

ईएलटी/इसीआरज में दर्शाये गए न्यायिक दृष्टांत की क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर संवीक्षा की जानी चाहिए तथा उनकी टिप्पणियाँ, जहां प्रमाणिक ठहरती हों, मुख्यालय को सूचित की जानी चाहिए।

29.2 परिपत्रों/अधिसूचनाओं इत्यादि की संवीक्षा

सी एवं एजी के कार्यालय में पीडी (सीमाशुल्क) सीमाशुल्क विंग की गतिविधियों में समन्वय करता है। इस कार्य के अनुसरण में, वह केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड अथवा भारत सरकार द्वारा जारी किये गए सभी आदेशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों तथा स्पष्टीकरणों की संवीक्षा करता है। आपत्तियां, यदि कोई हों, जो जारी रखने के लिए प्रस्तावित हों, सूचना तथा अतिरिक्त सामग्री के संग्रह हेतु सभी अधिकारियों के बीच भेजी जाती हैं। मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क तथा अन्य निम्न अधिकारियों द्वारा जारी किये गए सभी आदेश तथा प्रत्यायोजन की संबंधित डीजी/पीडीए द्वारा जाँच की जा सकती है। संदेहों को पीडी (सीमाशुल्क) को प्रेषित करके स्पष्ट किया जा सकता है।

29.3 संदेहों के मामले

आदेशों की अधिसूचना अथवा आदेश अथवा व्याख्याओं की आकलन, प्रक्रिया अथवा अनुप्रयोज्यता के मामले में सभी सन्देह डीजी/पीडीए द्वारा मामला देख लिये जाने के बाद सलाह के लिए पीडी (सीमाशुल्क) को प्रेषित किया जाना चाहिए।

29.4 वेबसाइट तक पहुँच

सीबीईसी द्वारा जारी किये गए सभी परिपत्र, अधिसूचनाएँ, स्पष्टीकरण तथा आदेश तथा महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत सीबीईसीबी की वेबसाइट – <http://www.cbec.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

समान रूप से मुख्यालय द्वारा जारी किये गए महत्वपूर्ण आदेश सीएजी की वेबसाइट – <http://www.cag.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

अतः सभी क्षेत्रीय कार्यालय संवीक्षा के लिए आदेशों को डाउनलोड करने तथा देखने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं।

Chapter 29

Miscellaneous

29.1 Scrutiny of Court's orders appearing in Excise Law Times/Excise Customs Reports.

Case Laws featured in the ELTs/ECRs should be scrutinized by field officers on regular basis and their comments, wherever warranted, communicated to head quarters office.

29.2 Scrutiny of Circulars/Notifications etc.

PD(Customs) in the office of the C & AG coordinates the activities of Customs wing. In pursuance of this function, he scrutinizes all orders, notifications, circulars and clarifications issued by the Central Board of Excise and Customs or Government of India. Objections, if any, which are proposed to be pursued, are circulated among all the officers for information and collection of further material. All order and delegations issued by the Chief Commissioner of Customs and other lower authorities may be examined by the respective DG/PDA. Points of doubts may be cleared by reference to PD (Customs).

29.3 Cases of doubts

All cases of doubts in the case of assessments, procedure or application of notification or order or interpretations of the orders should be referred to the PD(Customs) for advice after the case has been seen by the DG/PDA.

29.4 Access to the website

All circulars, notifications, clarifications and orders issued by CBEC and important case laws are available at CBEC's website – ***<http://www.cbec.gov.in>***

Similarly important orders issued by the headquarters are available at CAG's website – ***<http://www.cag.gov.in>***

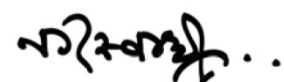
All field offices may, therefore, visit to the websites for access and downloading of the orders for scrutiny.

29.5 मुख्यालय को संबोधित पत्र

मुख्यालय को संबोधित किये गए सभी पत्र इस तथ्य को दर्शाते हुए कि पत्र संबंधित डीजी/पीडीए के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है, निदेशक/उपनिदेशक से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होना चाहिए।

29.6 रिटर्न मुख्यालयों को प्रस्तुत की जानी चाहिए

रिटर्न/विवरण पीडी (सीमाशुल्क), सी एवं एजी के कार्यालय को प्रस्तुत की जानी हैं तथा प्रस्तुति के लिए उनकी नियत तिथियाँ (अनुबन्ध-24) में दी गई हैं।



नई दिल्ली

दिनांक: 20.01.2014

(नीलोत्पल गोस्वामी)

प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)

29.5 Letters addressed to headquarters

All letters addressed to headquarters should be signed by the officer not below the rank of Director/Deputy Director, indicating the fact that the letter is issued after approval of the DG/PDA concerned.

29.6 Returns to be submitted to headquarters

Returns/statement to be furnished to the PD (Customs), office of the C & AG and their due dates of submission are given in **(Annexure-24)**

New Delhi

Dated: 20.01.2014



(NILOTPAL GOSWAMI)

Principal Director (Customs)

अनुबंध 1

(संदर्भ पैरा 1.4)

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत नियम

- विदेश विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमाशुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) संशोधन नियम, 2001
- सहायक उपकरण (शर्तें) नियम, 1963
- लघु-निर्यात की सूचना नियम, 1963
- विशिष्ट माल (अवैध निर्यात की रोकथाम) नियम, 1969
- अधिसूचित माल (अवैध आयात की रोकथाम) नियम, 1969
- विगुणक स्प्रिट नियमावली, 1972
- सीमाशुल्क (नामों का प्रकाशन) नियम, 1975
- सीमाशुल्क टैरिफ (बैंकाक अनुबंध के तहत माल की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 1976
- सीमाशुल्क टैरिफ(यू.ए.आर तथा यूगोस्लाविया की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 1976
- सीमाशुल्क टैरिफ (अन्य वरीयता प्राप्त क्षेत्रों की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 1977
- सीमाशुल्क (सरकारी शुल्को की वसूली के लिए बकायादारों की सम्पत्ति की कुर्की) नियम, 1995
- आयातित माल का पुनर्निर्यात (सीमाशुल्क की वापसी) (संशोधन) नियम, 2003
- सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 2004
- सीमाशुल्क टैरिफ (सार्क वरीयता व्यापार समझौते पर अनुबंध के तहत माल की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 1995
- सीमाशुल्क टैरिफ (छूट प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आकलन तथा संग्रह तथा नुकसान के निर्धारण हेतु) नियम, 1995
- सीमाशुल्क टैरिफ (छोड़ी गई वस्तुओं पर प्रतिटन शुल्क की पहचान आकलन तथा संग्रह एवं नुकसान का निर्धारण) संशोधन नियम, 2011
- सीमाशुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य माल के निर्माण हेतु शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) संशोधन नियम, 2002

ANNEXURE 1

(Ref. Para 1.4)

Rules under Customs Act, 1962 and Customs Tariff Act, 1975

- Foreign Privileged Persons (Regulation of Customs Privileges) Amendment Rules, 2001
- Accessories (Condition) Rules, 1963
- Notice of Short-Export Rules, 1963
- Specified Goods (Prevention of Illegal Export) Rules, 1969
- Notified Goods (Prevention of Illegal Import) Rules, 1969
- Denaturing of Spirit Rules, 1972
- Customs (Publication of Names) Rules, 1975
- Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Bangkok Agreement) Rules, 1976
- Customs Tariff (Determination of Origin of the U.A.R. and Yugoslavia) Rules, 1976
- Customs Tariff (Determination of Origin of Other Preferential Areas) Rules, 1977
- Customs (Attachments of Property of Defaulters for Recovery of Government Dues) Rules, 1995
- Re-Export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) (Amendment) Rules, 2003
- Customs and Central Excise Duties Drawback (Amendment) Rules, 2004
- Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Agreement on SAARC Preferential Trading Arrangement) Rules, 1995
- Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995
- Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2011
- Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Amendment Rules, 2002

- सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान एवं आकलन) (संशोधन) नियम, 2009
- सामान (सामान संशोधित) नियमावली, 2006
- सीमाशुल्क (मामलों का निपटान) (संशोधन) नियमावली, 2000
- सीमाशुल्क टैरिफ (श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य तथा भारतीय गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत माल की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 2000
- दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफटा) पर समझौते के तहत माल की उत्पत्ति के निर्धारण के नियम, 2006

- Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) (Amendment) Rules, 2009
- Baggage (Baggage Amended) Rules, 2006
- Customs (Settlement of Cases) (Amendment) Rules, 2000
- Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Free Trade Agreement Between the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Republic of India) Rules, 2000
- Rules of Determination of Origin of goods under the Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA), 2006

अनुबंध 2

(संदर्भ पैरा 1.4)

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत विनियम

- सीमाशुल्क (अस्थाई शुल्क आकलन) विनियम, 2011
- आयातित पैकेज (खोलना) विनियम, 1963
- आयातित भण्डार (बोर्ड पर रोकना) विनियम, 1963
- गोदाम में रखा माल (हटाना) विनियम, 1963
- माल का परिवहन (विदेशी क्षेत्र में से) विनियम, 1965
- बाँडिड विमान भण्डार (प्रक्रिया) विनियम, 1965
- गोदाम में निर्माण एवं अन्य संचालन विनियम, 1966
- यात्रियों का सामान (शुल्क का उद्ग्रहण) विनियम, 1966
- सामान (सीमाशुल्क स्टेशनों तक परिवहन) विनियम, 1967
- शुल्क का उद्ग्रहण (सीमाशुल्क दस्तावेज) विनियम, 1970
- आयात सूची (पोत) विनियम, 1971
- एटीए कारनेट (बिल ऑफ एंट्री एवं शिपिंग बिल फार्म) विनियम, 1990
- यात्रियों द्वारा स्वर्ण तथा चांदी का आयात (प्रवेश बिल फार्म) विनियम, 1994
- शिपिंग बिल तथा निर्यात बिल (फार्म) संशोधन विनियम, 2001
- निकासी ना किया गया माल (प्रवेश बिल) विनियम, 1972
- एक्स-बाण्ड विमान पुर्जों के लिए शिपिंग बिल विनियम, 1975
- तटीय माल का बिल (फार्म) विनियम, 1976
- आयात रिपोर्ट (फार्म) विनियम, 1976
- निर्यात रिपोर्ट (फार्म) विनियम, 1976
- आयात सूची (विमान) विनियम, 1976
- निर्यात सूची (विमान) संशोधन विनियम, 1976
- निर्यात सूची (पोत) संशोधन विनियम, 1976
- पोत नोट्स विनियम, 1976
- बिल ऑफ एंट्री (फार्म) संशोधन विनियम, 2001
- सीमाशुल्क सदन एजेन्ट लाइसेन्सिंग विनियम, 2004
- सीमाशुल्क प्रतिदाय आवेदन (फार्म) विनियम, 1995
- आयाति माल (ट्रान्सशिपमेंट शर्तें) विनियम, 1995

ANNEXURE 2

(Ref. Para 1.4)

Regulations under Customs Act, 1962

- Customs (Provisional Duty Assessment) Regulations, 2011
- Imported Packages (Opening) Regulations, 1963
- Imported Stores (Retention on Board) Regulations, 1963
- Warehoused Goods (Removal) Regulations, 1963
- Transportation of Goods (Through Foreign Territory) Regulations, 1965
- Bonded Aircraft Stores (Procedure) Regulations, 1965
- Manufacture and other Operations in Warehouse Regulations, 1966
- Passenger's Baggage (Levy of Fees) Regulations, 1966
- Baggage (Transit to Customs Stations) Regulations, 1967
- Levy of Fees (Customs Documents) Regulations, 1970
- Import Manifest (Vessels) Regulations, 1971
- ATA Carnet (Form of Bill of Entry & Shipping Bill) Regulations, 1990
- Import of Gold and Silver By Passengers (Form of Bill of Entry) Regulations, 1994
- Shipping Bill and Bill of Export (Form) Amendment Regulations, 2001
- Uncleared Goods (Bill of Entry) Regulations, 1972
- Shipping Bill for Aircraft Spares Ex-bond Regulations, 1975
- Bill of Coastal Goods (Form) Regulations, 1976
- Import Report (Form) Regulations, 1976
- Export Report (Form) Regulations, 1976
- Import Manifest (Aircraft) Regulations, 1976
- Export Manifest (Aircraft) Amended Regulations, 1976
- Export Manifest (Vessels) Amended Regulations, 1976
- Boat Notes Regulations, 1976
- Bill of Entry (Forms) Amendment Regulation, 2001
- Customs House Agents Licensing Regulations, 2004
- Customs Refund Application (Form) Regulations, 1995
- Goods Imported (Conditions of Transshipment) Regulations, 1995

- सीमाशुल्क (सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए शुल्क) विनियम, 1998
- परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2006
- कुरियर आयात एवं निर्यात (निकासी) संशोधन विनियम, 2013

- Customs (Fees for Rendering Services by Customs Officers) Regulations, 1998
- Project Imports (Amendment) Regulations, 2006
- Courier Imports and Exports (Clearance) Amendment Regulations, 2013

अनुबंध 3

(संदर्भ पैरा 1.4)

फॉर्म

बिल ऑफ एंट्री फॉर्म

- घरेलू खपत के लिए बिल ऑफ एंट्री
- मालगोदाम के लिए बिल ऑफ एंट्री
- घरेलू खपत के लिए पुराने बॉण्ड की मंजूरी हेतु बिल ऑफ एंट्री
- ईडीआई
- निकास न किए गए माल हेतु बिल ऑफ एंट्री (बिक्री सूची)

शिपिंग बिल फॉर्म

- एटीए कारनेट निर्यात बिल फॉर्म या शिपिंग बिल
- फिरती शुल्क के लिए दावे के अन्तर्गत माल के निर्यात हेतु शिपिंग बिल
- शुल्कयोग्य माल के निर्यात हेतु शिपिंग बिल
- शुल्क मुक्त माल के निर्यात के लिए शिपिंग बिल
- शुल्क मुक्त माल के एक्स बॉण्ड के निर्यात के लिए शिपिंग बिल
- फिरती शुल्क के लिए दावे के अन्तर्गत माल हेतु निर्यात बिल
- शुल्क योग्य माल के लिए निर्यात बिल
- शुल्क मुक्त माल के लिए निर्यात बिल
- शुल्क मुक्त माल के एक्स बॉण्ड के लिए निर्यात बिल
- भारत में सीमा शुल्क के बॉण्डिड माल गोदाम से सोना या चांदी की डिलीवरी लेने वाले अभिप्रेत यात्री द्वारा भरे जाने वाले बिल ऑफ एंट्री का फॉर्म

फिरती

- डाक द्वारा निर्यात किए गए माल पर धारा 74 के अन्तर्गत फिरती के दावे के लिए फॉर्म
- धारा 74 के अन्तर्गत शुल्क प्रदत्त माल के पुनः निर्यात पर फिरती का दावा करने के लिए प्रोफार्मा
- नियम 11 के अन्तर्गत फिरती के दावे के लिए फॉर्म

ANNEXURE 3

(Ref. Para 1.4)

FORMS

Bill of Entry Forms

- Bill of Entry for Home Consumption
- Bill of Entry for Warehousing
- Bill of Entry for Ex-bond Clearance for Home consumption
- EDI
- Bill of Entry for Uncleared Goods (Sale list)

Shipping Bill Forms

- ATA Carnet Form of Bill of Export or the Shipping Bill
- Shipping Bill for export of goods under claim for duty drawback
- Shipping Bill for export of dutiable goods
- Shipping Bill for export of duty free goods
- Shipping Bill for export of duty free goods ex-bond
- Bill of export for goods under claim for duty drawback
- Bill of export for dutiable goods
- Bill of export for duty free goods
- Bill of export for duty free goods ex-bond
- Form of Bill of Entry to be filed by a passenger intending to take delivery of gold or silver from a customs bonded warehouse in India

Drawback

- Form for claim of drawback under Section 74 on goods exported by post
- Proforma for claiming drawback on re-export of duty paid goods under Section 74
- Form for claim of drawback under Rule 11
- Application for supplementary claim for drawback under Rule 15 of Customs and Central Excise Duties

- सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
फिरती नियमावली, 1995 के नियम 15
के अन्तर्गत फिरती के लिए अनूपूरक
दावे के लिए आवेदन
- विवरणी - डीबीके-I
- विवरणी - डीबीके -II
- विवरणी - डीबीके -IIक
- विवरणी - डीबीके -III
- विवरणी - डीबीके -IIIक

प्रतिदाय

- शुल्क/ ब्याज के प्रतिदाय के लिए आवेदन

अपील

- धारा 128 के अन्तर्गत आयुक्त (अपील) को अपील करने का फार्म
- धारा 129 डी (4) के अन्तर्गत आयुक्त (अपील) को अपील का फार्म
- धारा 129 ए(1) के अन्तर्गत अपील अधिकरण को अपील का फार्म
- धारा 129 ए(4) के अन्तर्गत अपील अधिकरण को दोतरफा आपत्ति का ज्ञापन फार्म
- धारा 129 डी(4) के अन्तर्गत अपील अधिकरण का आवेदन फार्म
- धारा 130 ए के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को आवेदन का फार्म
- धारा 130 ए (1) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन के मामले में धारा 130 ए(3) के अन्तर्गत प्रति आपत्ति का ज्ञापन फार्म
- धारा 129 डीडी के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार को संशोधित आवेदन का फार्म

अन्य

- उसी पत्तन में माल को एक मालगोदाम से दूसरे मालगोदाम में भेजने या दूसरे माल गोदाम पत्तन' में भांडागार किए जाने की अनुमति के लिए आवेदन फार्म
- अस्थायी सीमा शुल्क हाऊस एजेंट का लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन फार्म
- स्थायी सीमा शुल्क हाऊस एजेंट लाइसेंस का प्रदान करने के लिए आवेदन फार्म

Drawback Rules, 1995

- Statement - DBK-I
- Statement - DBK-II
- Statement - DBK-IIA
- Statement - DBK-III
- Statement - DBK-IIIA

Refunds

- Application for refund of duty/interest

Appeals

- Form of Appeal to the Commissioner (Appeals) under Section 128
- Form of Appeal to the Commissioner (Appeals) under Section 129D(4)
- Form of Appeal to the Appellate Tribunal under Section 129A(1)
- Form of Memorandum of Cross Objections to the Appellate Tribunal under Section 129A(4)
- Form of Application to the Appellate Tribunal under Section 129D(4)
- Form of An Application to the High Court under Section 130A
- Form of Memorandum of Cross Objections under Section 130A(3) in the matter of an Application before the High Court under Section 130A(1)
- Form of Revision Application to the Central Government under Section 129DD

Others

- Form of Application for permission to remove goods from one Warehouse to another in the same Port or to another Warehousing Port to be Warehoused there
- Application Form for Grant of a temporary Customs House Agent's License
- Application Form for Grant of a permanent Customs House Agents' License

बॉण्ड

- सीएचए लाईसेंस के लिए बॉण्ड
- सीएचए लाईसेंस के लिए जमानत बॉण्ड
- सरलीकृत ब्राण्ड दर नियतन योजना के लिए क्षतिपूर्ति बॉण्ड

निपटान आयोग

- धारा 127 बी के अन्तर्गत मामले के निपटान के लिए आवेदन फार्म

Bonds

- Bond for CHA License
- Surety Bond for a CHA License
- Indemnity Bond for Simplified Brand Rate Fixation Scheme

Settlement Commission

- Form of application for settlement of a case under Section 127B

अनुबंध 4
(सन्दर्भ पैरा 2.2)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के मध्य कार्य का आबंटन
(स्रोत: www.cbec.gov.in/whoweare/workallotment.htm)

(क) मामलें य मामलों के वर्ग जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जाएगा:

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सांविधिक कार्यों के निर्वहन से संबंधित नीति।
2. निम्नलिखित से संबंधित सामान्य नीति:
 - क. कर योजना और सांविधिक परिवर्तन ;
 - ख. क्षेत्रीय कार्यालयों का संगठन ;
 - ग. कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण ;
 - घ. कार्य की पद्धति और प्रक्रियाएं; और
 - ङ निष्पादन बजटिंग।
3. विधायिका से संबंधित प्रस्ताव।
4. समितियों की सिफारिशों पर निर्णय।
5. एक मामले में पंद्रह लाख रूपए से अधिक के राजस्व को बट्टे खाते में डालना या परित्याग करना।
6. पुरस्कार और सराहना पत्र प्रदान करना।
7. कोई दूसरा मामला जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा या सदस्य द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

टिप्पणी: उपरोक्त विषयों से संबंधित मामलों को अध्यक्ष या सदस्य, जिनके प्रभार में संबंधित मद आती है, द्वारा बोर्ड के विचारार्थ प्रायोजित किया जाएगा।

(ख) मामले या मामलों के वर्ग जिन पर अध्यक्ष, सीबीईसी द्वारा विचार किया जाएगा

1. सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के दौरे और निरीक्षण सहित बोर्ड के कार्य का समन्वय और समग्र पर्यवेक्षण करना। अध्यक्ष के कार्य की निम्नलिखित मदें संबंधित सदस्यों के माध्यम से उनके पास आएंगी।
2. उसके आदेश द्वारा आबंटित कार्य से संबंधित या उससे उद्भूत सभी महत्वपूर्ण नीति

ANNEXURE 4
(Ref. Para 2.2)

Allotment of Work amongst the Chairman and Members Central Board of Excise and Customs (Source: www.cbec.gov.in/whoweare/workallotment.htm)

(A) Cases or classes of cases which shall be considered jointly by the Central Board of Excise and Customs:

1. Policy regarding discharge of statutory functions of the Central Board of Excise and Customs.
2. General policy relating to:
 - a. tax planning and statutory changes ;
 - b. organisation of the field formations ;
 - c. personnel management and training ;
 - d. methods and procedures of work; and
 - e. performance budgeting.
3. Proposals relating to legislation.
4. Decisions on recommendations of Committees.
5. Write-off or abandonment of revenue exceeding rupees fifteen lakh in a case.
6. Grant of Awards and Appreciation Certificates.
7. Any other matter that may be placed before the Board by the Chairman or by a Member with the approval of Chairman.

Note: Matters relating to the above subjects will be sponsored for the Board's consideration by the Chairman or by the Member in whose charge the concerned item broadly falls.

(B) Cases or classes of cases which shall be considered by Chairman, CBEC

1. Co-ordination and overall supervision of the work of the Board, including tours and inspections of the field formations by the Members. The following items of Chairman's work will come to him through the concerned Members.
2. All important policy matters relating to or arising out of the work allocated by

मामले विशेष रूप से निम्नलिखित:-

- क. राजस्व उगाही का आकलन और उसे प्राप्त करने के उपाय;
 - ख. सतर्कता मामलों सहित ग्रुप 'ए' अधिकारियों से संबंधित प्रशासन और सेवा मामलें;
 - ग. सार्वजनिक शिकायतें
 - घ. महत्वपूर्ण या उच्च राजस्व हिस्से वाले न्यायालय और अधिकरण मामलें ; और
 - ङ. अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा, समझौता वार्ता, करार और सम्मलेन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं बैठकों में प्रतिनिधि मंडल
3. बजट मामले और शुल्क छूट
 4. अफीम और मादक पदार्थों से संबंधित मामले।
 5. विश्व सीमा शुल्क संगठन, विश्व व्यापार संगठन और ईएससीएपी और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन।
 6. कोई अन्य मामला जिसे अध्यक्ष या संबंधित सदस्य अध्यक्ष के समग्र प्रस्तुत करना आवश्यक समझे।

(ग) मामले या मामलों के वर्ग जिन पर सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) द्वारा विचार किया जाएगा

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियमावली-विधायिका और व्याख्या
2. मूल्यांकन
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाएं
4. टैरिफ वर्गीकरण
5. राजस्व का बकाया
6. औषधीय एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण अधिनियम
7. बोर्ड में तकनीकी समन्वय
8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में अभियोग।
9. निम्नलिखित से संबंधित कार्य :-
 - क. अपवंचन रोधी महानिदेशालय।
 - ख. निरीक्षण महानिदेशालय।
 - ग. महानिदेशक (एनएसीईएन)
10. केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क, चेन्नई एवं बेंगलोर के मुख्य आयुक्त के कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण।

his order , in particular:-

- a. Estimates of Revenue realization and measures to achieve these;
 - b. Administration and service matters relating to Group 'A' officers including Vigilance matters;
 - c. Public Grievances
 - d. Court and Tribunal cases involving important or high revenue stakes; and
 - e. International discussions, negotiation, agreements and conferences and delegation to international conferences and meetings.
3. Budget matters and duty exemptions.
 4. Matters relating to opium and narcotics.
 5. World Customs Organization, World Trade Organization and ESCAP and other International organizations.
 6. Any other matter which the Chairman or the concerned Member may consider necessary to be submitted to the Chairman.

(C) Cases or classes of cases which shall be considered by Member (Central Excise)

1. Central Excise Act and Rules-Legislation and interpretation
2. Valuation.
3. Central Excise Procedures
4. Tariff Classification
5. Arrears of Revenue
6. Medicinal and Toilet Preparations Act
7. Technical Co-ordination within the Board
8. Prosecution in Central Excise Cases.
9. Work relating to :-
 - a. Directorate-General of Anti-Evasion.
 - b. Directorate-General of Inspection.
 - c. DG (NACEN)
10. Supervision and control of work of Chief Commissioners of Customs & Central Excise, Chennai and Bangalore.

(घ) मामलें या मामलों के वर्ग जिन पर सदस्य (सीमा शुल्क एवं निर्यात संवर्धन) द्वारा विचार किया जाएगा।

1. सीमा शुल्क कानून और इसकी व्याख्या तथा अनुप्रयोग, नीति और विस्तृत प्रक्रियाएं (तस्कर रोधी से संबंधित को छोड़कर)
2. आयातों एवं निर्यातों पर आई.टी.सी, इटीसी और दूसरे निषेध या प्रतिबंध।
3. विदेश यात्रा कर और आयातों एवं निर्यातों पर उपकर।
4. सामान छूट और नियमावली।
5. सीमा शुल्क मूल्यांकन।
6. टैरिफ वर्गीकरण, टैरिफ परामर्श।
7. सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, सीमा शुल्क हाऊस एजेंट विनियमावली।
8. वेयरहाउसिंग इन्लैंड बॉन्डिड वेयरहाउसिज।
9. एफटीजेडज्, इपीजेडज्, 100 प्रतिशत इओयूज् ईएचटीपी,एसटीपी और दूसरी विशेष निर्यात योजनाएं।
10. विश्व सीमा शुल्क संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ईएससीएपी और अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता तथा संबंधित सीमा शुल्क संगठन के साथ करार।
11. फिरती से संबंधित मामले।
12. निर्यात आयात नीति में निर्यात संवर्धन से संबंधित मामले।
13. उपरोक्त विषयों से संबंधित सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाएं।
14. कार्यों की उपरोक्त मदों और फिरती निदेशालय से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क इकाईयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
15. दूसरे मंत्रालयों के साथ निर्यात संवर्धन से संबंधित और संबंधित मामलों का समन्वय
16. निम्नलिखित का पर्यवेक्षण और नियंत्रण:-
 - (i) मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, दिल्ली, मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली और मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर
 - (ii) मूल्यांकन निदेशालय
 - (iii) प्रकाशन एवं सार्वजनिक संबंध निदेशालय
 - (iv) सीआरसीएल

**(D) Cases or classes of cases which shall be considered by Member
(Customs & Export Promotion)**

1. Customs Law and its interpretation and application, policy and broad procedures (other than those concerning anti-smuggling).
2. I.T.C., ETC and other prohibition or restriction on imports and exports.
3. Foreign Travel Tax and cesses on imports and exports.
4. Baggage concessions and Rules.
5. Customs Valuation.
6. Tariff Classification, Tariff advices.
7. Customs procedures, Customs House Agent Regulations
8. Warehousing Inland Bonded Warehouses.
9. FTZs, EPZs, 100 per cent EOUs, EHTPs, STPs, and other Special Export Schemes.
10. World Customs Organisation, World Trade Organisation, ESCAP and international talks and agreements with organisation concerning customs.
11. Matters relating to Drawback.
12. Matters relating to Export Promotion in Exim Policy.
13. Customs and Central Excise procedures relating to above subjects.
14. Supervision and Control over Customs and Central Excise formations relating to above items of work and Directorate of Drawback.
15. Coordination with other Ministries relating to Export Promotion and relating issues.
16. Supervision and control over:-
 - (i) Chief Commissioner of Customs, Delhi, Chief Commissioner of Central Excise, Delhi and Chief Commissioner of Customs and Central Excise, Jaipur
 - (ii) Directorate of Valuation
 - (iii) Directorate of Publication and Public Relations
 - (iv) CRCL

(ड) मामले या मामलों के वर्ग जिन पर सदस्य (बजट एवं कम्प्यूटीकरण) द्वारा विचार किया जाएगा

1. दरों में परिवर्तनों सहित बजट प्रस्ताव चाहे दरें सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित हों।
2. कर अनुसंधान और राजस्व उदग्रहण की निगरानी।
3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सभी छूटें।
4. सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सभी छूटें।
5. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक और मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी के कार्यालय से संबंधित कार्य।
6. केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग में कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सभी मामले।
7. निम्नलिखित के प्रभार का पर्यवेक्षण
 - (i) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, कोलकाता
 - (ii) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता
 - (iii) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क, कानपुर
8. निदेशालयों के प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रकार हैं:
 - (i) महानिदेशक (सेवाकर)
 - (ii) एस एण्ड आई निदेशालय
 - (iii) प्रणाली निदेशालय

(च) मामले या मामलों के वर्ग जिन पर सदस्य (कार्मिक एवं सतर्कता) द्वारा विचार किया जाएगा

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अन्तर्गत सभी क्षेत्रीय इकाईयों का कार्मिक प्रबंधन, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं
 - (i) भर्ती, भर्ती नीति और भर्ती नियम;
 - (ii) सेवा मामले, वेतनमान आदि।
 - (iii) विभाग में नियुक्ति, रूथानांतरण और पदोन्नति एवं सीबीईसी के अन्तर्गत सेवा
 - (iv) प्रशिक्षण;
 - (v) सतर्कता;
 - (vi) प्रतिमानों और निष्पादन मानकों का विकास;

(E) Cases or classes of cases which shall be considered by Member (Budget & Computerisation)

1. Budget proposals including changes in rates, whether relating to Customs or Central Excise.
2. Tax Research and monitoring of Revenue realisations.
3. All exemptions under the Central Excise Act.
4. All exemptions under the Customs Act.
5. Work relating to the Office of the Principal Chief Controller of Accounts and Chief Controller of Accounts, CBEC.
6. All matters relating to Computerisation in the Customs and Central Excise Department.
7. Supervision over the charge of
 - (i) Chief Commissioner of Customs, Calcutta
 - (ii) Chief Commissioner of Central Excise, Calcutta
 - (iii) Chief Commissioner of Customs and Central Excise Kanpur
8. Administrative control of Directorates as follows :
 - (i) DG (Service Tax)
 - (ii) Directorate of S & I
 - (iii) Directorate of Systems

(F) Cases or classes of cases which shall be considered by Member (Personnel & Vigilance)

1. Personnel management of all field formations under the Central Board of Excise and Customs, including :-
 - (i) Recruitment, recruitment policy and recruitment rules;
 - (ii) Service matters, pay scales etc.
 - (iii) Appointment, Transfers and Promotions in the Department and Service under the CBEC;
 - (iv) Training;
 - (v) Vigilance;
 - (vi) Evolution of norms and performance standards;

(vii) स्टाफ कल्याण

2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति और संबंधित मामले
3. सीबीईसी के अन्तर्गत सभी इकाइयों में भूमि एवं निर्माण कार्यक्रम
4. सेवा मामलों से संबंधित मुकद्दमे
5. अवशिष्ट मादक पदार्थों पर कार्य
6. तस्करी रोधी कानून, इसकी व्याख्या और अनुप्रयोग, तस्करी रोधी से संबंधित नीति और विस्तृत प्रक्रियाएं।
7. कुर्क किए गए माल और जब्त किए गए माल की अभिरक्षा और निपटान
8. सीमा शुल्क मामलों में अभियोजन; कोफपोसा और संबंधित कार्य
9. निम्नलिखित का पर्यवेक्षण और नियंत्रण:-
 - (i) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई
 - (ii) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई
 - (iii) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क, पुणे
10. निम्नलिखित पर प्रशासनिक नियंत्रण:-
 - (i) महानिदेशक (सतर्कता)
 - (ii) ओ एण्ड एम निदेशालय
 - (iii) महानिदेशक (राजस्व आसूचना) और
 - (iv) निवारक अभियान निदेशालय

(छ) मामले और मामलों के वर्ग जिन पर सदस्य (विधिक, न्यायिक) द्वारा विचार किया जाएगा।

1. केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क टैरिफ को छोड़कर सभी विधायी प्रस्ताव
2. बोर्ड में केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क से संबंधित न्यायिक और न्यायालय कार्य (सेवा मामलों से संबंधित को छोड़कर)
3. क्षेत्रीय इकाइयों के केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क से संबंधित न्यायिक और न्यायालय कार्य का पर्यवेक्षण और निगरानी अभियोजन, कोफपोसा और तस्करी रोधी मामलों को छोड़कर विशेष रूप से उच्च न्यायालयों में मुकद्दमें संबंधी कार्य।
4. एक सरकारी विभाग और दूसरे तथा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के मध्य विवाद के निपटान से संबंधित मामलों।

- (vii) Staff Welfare
- 2. Official Language implementation Committee and connected matters
- 3. Land and Building programmes in all formations under the CBEC
- 4. Litigation relating to service matters
- 5. Residual Narcotics Work
- 6. Law relating to Anti-Smuggling, its interpretation and application, policy and broad procedures concerning Anti-Smuggling.
- 7. Custody and disposal of seized goods and of confiscated goods.
- 8. Prosecution in Customs cases; COFEPOSA and related work
- 9. Supervision and control over:-
 - (i) Chief Commissioner of Customs, Mumbai
 - (ii) Chief Commissioner of Central Excise, Mumbai
 - (iii) Chief Commissioner of Customs and Central Excise, Pune
- 10. Administrative control over ;
 - (i) DG (Vigilance)
 - (ii) Directorate of O & M
 - (iii) DG (Revenue Intelligence) and
 - (iv) Directorate of Preventive Operations

(G) Cases or classes of cases which shall be considered by Member (Legal, Judicial)

- 1. All legislative proposals other than those relating to Customs and Central Excise tariff
- 2. Judicial and Court work relating to Customs and Central Excise in the Board (except that relating to service matters)
- 3. Supervision and monitoring of judicial and court work relating to Customs and Central Excise of the Field Formations, particularly the litigation work in High Courts, excluding prosecutions, COFEPOSA and Anti-Smuggling cases.
- 4. Matters relating to settlement of disputes between one Govt. Department and another and one Govt. Depts. and Public Sector Enterprises.

5. सीमा शुल्क अधिनियम या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों के संशोधन का कार्य।
6. आयुक्तों एवं आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेशों की यह विचार करने के लिए कि सीगेट को अपील दायर करने की आवश्यकता है समीक्षा।
7. निम्नलिखित का पर्यवेक्षण और नियंत्रण:-
 - (i) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, अहमदाबाद
 - (ii) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वड़ोदरा
 - (iii) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क, हैदराबाद
8. निदेशालयों का प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रकार है:
 - (i) सीडीआर
 - (ii) निपटान आयोग

5. Work of revision of Orders passed by Commissioners under the Customs Act or Central Excise Act.
6. Review of orders passed by Commissioners and Commissioners (Appeals) for considering if appeals to CEGAT are required to be filed.
7. Supervision and control over:-
 - (i) Chief Commissioner of Customs, Ahmedabad
 - (ii) Chief Commissioner of Central Excise, Vadodara
 - (iii) Chief Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad
8. Administrative control of Directorates as follows :
 - (i) CDR
 - (ii) Settlement Commission

अनुबंध 5
(संदर्भ पैरा 2.3)

अधिसूचना सं. 14/2002-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 7 मार्च, 2002 का सार।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों के उपयोग में और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सं. 58/97-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 24 नवम्बर, 1997 को भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क आयुक्त, आयुक्त, या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या जैसा भी मामला हो, के अधिकार क्षेत्र के अन्दर आने वाले क्षेत्रों के लिए मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क के रूप में नियुक्ति करने के लिए निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को नियुक्त किया जो सरकारी गजट में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि से उक्त तालिका के कॉलम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित है।

तालिका

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली-I, दिल्ली-II, दिल्ली-III, दिल्ली -IV, दिल्ली -V और पंचकूला
2	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चण्डीगढ़	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चण्डीगढ़, जालंधर, लुधियाना. आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक) अमृतसर (निवारक कार्य को छोड़कर)।
3	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता-I, कोलकाता -II, कोलकाता-III, कोलकाता-IV, कोलकाता-V, कोलकाता-VI, कोलकाता -VII, हल्दिया, बोलपुर और सिलिगुडी
4	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर-I और भुवनेश्वर-II.
5	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गुवाहाटी	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गुवाहाटी और शिलांग आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), शिलांग.
6	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद।

ANNEXURE 5

(Ref. Para 2.3)

Extract of Notification No.14/2002-Customs (N.T.) dated 7th March, 2002.

In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.58/97-Customs (N.T.), dated the 24th November, 1997, the Central Government appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below to be the Chief Commissioners of Customs, for the areas falling within the jurisdiction of the Commissioner of Customs, or as the case may be, the Commissioner of Central Excise mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table with effect from the date to be notified by the Central Government in the Official Gazette.

Table

Sl. No	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	Chief Commissioner of Central Excise, Delhi	Commissioners of Central Excise, Delhi-I, Delhi-II, Delhi-III, Delhi-IV, Delhi-V and Panchkula
2	Chief Commissioner of Central Excise, Chandigarh	Commissioners of Central Excise, Chandigarh, Jalandhar, Ludhiana. Commissioner of Customs (Preventive) Amritsar (other than preventive work).
3	Chief Commissioner of Central Excise, Kolkata	Commissioners of Central Excise, Kolkata-I, Kolkata-II, Kolkata-III, Kolkata-IV, Kolkata-V, Kolkata-VI, Kolkata-VII, Haldia, Bolpur and Siliguri.
4	Chief Commissioner of Central Excise, Bhubaneswar	Commissioners of Central Excise, Bhubaneswar-I and Bhubaneswar-II.
5	Chief Commissioner of Central Excise, Guwahati	Commissioners of Central Excise, Guwahati and Shillong Commissioner of Customs (Preventive), Shillong.
6	Chief Commissioner of Central Excise, Lucknow	Commissioners of Central Excise, Lucknow, Kanpur and Allahabad.

7	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ-I, मेरठ -II, गाजियाबाद और नोएडा
8	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रांची	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राँची, जमशेदपुर और पटना।
9	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई-I	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई-I, मुम्बई -IV, मुम्बई -V, थाने-I और थाने-II.
10	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई-II	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई-II, मुम्बई-III, बेलापुर और रायगढ़ ।
11	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर-I और जयपुर -II.
12	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल, इन्दौर और रायपुर।
13	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे-I, पुणे-II, पुणे-III और गोवा। आयुक्त सीमा शुल्क, पुणे (निवारक कार्य को छोड़कर) और गोवा।
14	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर, नासिक और औरंगाबाद ।
15	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा -I, वडोदरा-II, वलसाद , सुरत-I, सुरत-II और दमन
16	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I, अहमदाबाद - II, अहमदाबाद -III, राजकोट-I और राजकोट-II.
17	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बेंगलोर-I	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बेंगलौर-I, बेंगलौर -II और बेंगलौर -III.
18	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बेंगलोर-II	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मैसूर, मंगलौर और बेलगाम।
19	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचीन	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचीन, कालीकट और तिरुवनन्तपुरम

7	Chief Commissioner of Central Excise, Meerut	Commissioners of Central Excise, Meerut-I, Meerut-II, Ghaziabad and Noida
8	Chief Commissioner of Central Excise, Ranchi	Commissioners of Central Excise, Ranchi, Jamshedpur and Patna.
9	Chief Commissioner of Central Excise, Mumbai-I	Commissioners of Central Excise, Mumbai-I, Mumbai-IV, Mumbai-V, Thane-I and Thane-II.
10	Chief Commissioner of Central Excise, Mumbai-II	Commissioners of Central Excise, Mumbai-II, Mumbai-III, Belapur and Raigarh.
11	Chief Commissioner of Central Excise, Jaipur	Commissioners of Central Excise, Jaipur-I and Jaipur-II.
12	Chief Commissioner of Central Excise, Bhopal	Commissioners of Central Excise, Bhopal, Indore and Raipur.
13	Chief Commissioner of Central Excise, Pune	Commissioners of Central Excise, Pune-I, Pune-II, Pune-III and Goa. Commissioner of Customs, Pune (other than preventive work) and Goa.
14	Chief Commissioner of Central Excise, Nagpur	Commissioners of Central Excise, Nagpur, Nasik and Aurangabad.
15	Chief Commissioner of Central Excise, Vadodara	Commissioners of Central Excise, Vadodara-I, Vadodara-II, Valsad, Surat-I, Surat-II and Daman
16	Chief Commissioner of Central Excise, Ahmedabad	Commissioners of Central Excise, Ahmedabad-I, Ahmedabad-II, Ahmedabad-III, Rajkot-I and Rajkot-II.
17	Chief Commissioner of Central Excise, Bangalore-I	Commissioners of Central Excise, Bangalore-I, Bangalore-II and Bangalore-III.
18	Chief Commissioner of Central Excise, Bangalore-II	Commissioners of Central Excise, Mysore, Mangalore and Belgaum.
19	Chief Commissioner of Central Excise, Cochin	Commissioners of Central Excise, Cochin, Calicut and Thiruvananthapuram.

20	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद I	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद-I, हैदराबाद -II, हैदराबाद -III और हैदराबाद -V
21	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद II	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद-IV, गुंटूर विशाखापट्टनम-I और विशाखापट्टनम-II आयुक्त सीमा शुल्क, विशाखापट्टनम।
22	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई I	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई-I, चेन्नई-II, चेन्नई-III, चेन्नई -IV और पोंडीचेरी
23	मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयम्बटूर	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयम्बटूर, त्रिची, सेलम, मदुराई और तिरुनेवेली.
24	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, दिल्ली	आयुक्त सीमा शुल्क , एयरकार्गो (आयात) और सामान्य, दिल्ली, एयरकार्गो (निर्यात), दिल्ली (आईसीडीज), दिल्ली।
25	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क, मुम्बई (समुद्र एवं सामान्य)	आयुक्त सीमा शुल्क, मुंबई सीएफएस और सामान्य, मुम्बई, (निर्यात), मुम्बई और (आयात), मुम्बई।
26	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क, मुम्बई (वायु)	आयुक्त सीमा शुल्क, (आयात), न्हावा शेवा, (निर्यात), न्हावा शेवा, (हवाई अड्डा), मुम्बई, एयरकार्गो (आयात), मुम्बई और एयरकार्गो (निर्यात), मुम्बई।
27	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क, कोलकाता	आयुक्त सीमा शुल्क, (पत्तन), कोलकाता, (हवाई अड्डा), कोलकाता और (निवारक), पश्चिम बंगाल।
28	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क, चेन्नई	आयुक्त सीमा शुल्क, (हवाई अड्डा और एयरकार्गो), चेन्नई, पत्तन (आयात), चेन्नई और पत्तन (निर्यात), चेन्नई।
29	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क, बेंगलूर	आयुक्त सीमा शुल्क, बेंगलूर, मंगलूर, कोचीन और (निवारक) कोचीन।
30	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क, अहमदाबाद	आयुक्त सीमा शुल्क, अहमदाबाद, (निवारक) जामनगर और काण्डला।
31	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क, (निवारक), दिल्ली	आयुक्त सीमा शुल्क, (निवारक) दिल्ली, (निवारक) अमृतसर (केवल निवारक कार्य) और (निवारक) जोधपुर।

20	Chief Commissioner of Central Excise, Hyderabad-I	Commissioners of Central Excise, Hyderabad-I, Hyderabad-II, Hyderabad-III and Hyderabad-V
21	Chief Commissioner of Central Excise, Hyderabad-II	Commissioners of Central Excise, Hyderabad-IV, Guntur, Vishakhapatnam-I and Vishakhapatnam-II Commissioner of Customs, Vishakhapatnam.
22	Chief Commissioner of Central Excise, Chennai-I	Commissioners of Central Excise, Chennai-I, Chennai-II, Chennai-III, Chennai-IV and Pondicherry
23	Chief Commissioner of Central Excise, Coimbatore	Commissioners of Central Excise, Coimbatore, Trichy, Salem, Madurai and Tirunelveli.
24	Chief Commissioner of Customs, Delhi	Commissioners of Customs, Aircargo (Import) and General, Delhi, Aircargo (Export), Delhi (ICDs), Delhi.
25	Chief Commissioner of Customs, Mumbai (Sea and General)	Commissioners of Customs, Mulund CFS and General, Mumbai, (Export), Mumbai and (Import), Mumbai.
26	Chief Commissioner of Customs, Mumbai (Air)	Commissioners of Customs, (Import), Nhava Sheva, (Export), Nhava Sheva, (Airport), Mumbai, Aircargo (Import), Mumbai and Aircargo (Export), Mumbai.
27	Chief Commissioner of Customs, Kolkata	Commissioners of Customs, (Port), Kolkata, (Airport), Kolkata and (Preventive), West Bengal.
28	Chief Commissioner of Customs, Chennai	Commissioners of Customs, (Airport and Aircargo), Chennai, Port (Import), Chennai and Port (Export), Chennai.
29	Chief Commissioner of Customs, Bangalore	Commissioners of Customs, Bangalore, Mangalore, Cochin and (Preventive) Cochin.
30	Chief Commissioner of Customs, Ahmedabad	Commissioners of Customs, Ahmedabad, (Preventive) Jamnagar and Kandla.
31	Chief Commissioner of Customs (Preventive), Delhi	Commissioners of Customs, (Preventive) Delhi, (Preventive) Amritsar (only preventive work) and (Preventive) Jodhpur.

32	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक) , पटना	आयुक्त सीमा शुल्क, (निवारक) पटना और लखनऊ (निवारक)।
33	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), मुम्बई	आयुक्त सीमा शुल्क, (निवारक) मुम्बई और पुणे (केवल निवारक कार्य)।
34	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), चेन्नई	आयुक्त सीमा शुल्क, (निवारक) चेन्नई और (निवारक) तिरुचिरापल्ली।

32	Chief Commissioner of Customs (Preventive), Patna	Commissioners of Customs, (Preventive) Patna and Lucknow (Preventive).
33	Chief Commissioner of Customs (Preventive), Mumbai	Commissioners of Customs, (Preventive) Mumbai and Pune (only preventive work).
34	Chief Commissioner of Customs (Preventive), Chennai	Commissioners of Customs, (Preventive) Chennai and (Preventive) Tiruchirapalli.

अनुबंध 6
(संदर्भ पैरा 2.3)

अधिसूचना सं. 15/2002-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 7 मार्च, 2002 का सार।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों के उपयोग में और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभागों) सं. 13/89-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 9 मार्च 1989 और सं. 27/97-सीमाशुल्क (एनटी), दिनांक 7 जुलाई, 1997 को भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों को आयुक्त सीमाशुल्क के रूप में, कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को अपर आयुक्त सीमाशुल्क या संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क, कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारियों को उपायुक्त सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क के रूप में नियुक्त किया, जो सरकारी गजट में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से उक्त तालिका के कॉलम (2) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित है।

तालिका

क्रम सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा का समस्त राज्य और उत्तर प्रदेश के राज्य में नोएडा निर्यात संसाधन क्षेत्र।	आयुक्त सीमा शुल्क एयर कार्गो (आयात) और सामान्य, दिल्ली, एयर कार्गो (निर्यात) दिल्ली, (आईसीडीज़) दिल्ली	सीमा शुल्क एयर कार्गो (आयात) और सामान्य दिल्ली, एयरकार्गो (निर्यात) दिल्ली, (आईसीडीज़) दिल्ली के आयुक्तों के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त	सीमा शुल्क, एयर कार्गो (आयात) और सामान्य दिल्ली एयर कार्गो (निर्यात) दिल्ली (आईसीडीज़) दिल्ली के आयुक्त के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यरत सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त
2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, हरियाणा का समस्त राज्य और	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली।	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक) दिल्ली के नियंत्रणाधीन कार्यरत	सीमा शुल्क (निवारक) दिल्ली के आयुक्त के नियंत्रण के अन्तर्गत

ANNEXURE 6

(Ref. Para 2.3)

Extract of Notification No.15/2002-Customs (N.T.) dated 7th March, 2002

In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.13/89-Customs (N.T.), dated the 9th March, 1989 and No. 27/97-Customs (N.T.), dated the 7th July, 1997, the Central Government appoints the officers mentioned in column (3) of the Table below to be the Commissioners of Customs, the officers mentioned in column (4) thereof to be the Additional Commissioners of Customs or Joint Commissioners of Customs, the officers mentioned in column (5) thereof to be the Deputy Commissioners of Customs or Assistant Commissioners of Customs, for the areas mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table with effect from the date to be notified by the Central Government in the Official Gazette.

Table

Sl. No	Area	Designation of the Officer		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	The National Capital Territory of Delhi, the whole of the State of Haryana and the NOIDA Export Processing Zone in the State of Uttar Pradesh.	Commissioners of Customs, Aircargo (Import) and General, Delhi, Aircargo (Export), Delhi, (ICDs), Delhi.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, Aircargo (Import) and General, Delhi, Aircargo (Export), Delhi, (ICDs), Delhi.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, Aircargo (Import) and General, Delhi, Aircargo (Export), Delhi, (ICDs), Delhi.
2	The National Capital Territory of Delhi, the whole of the State of Haryana and the NOIDA Export Processing Zone in the	Commissioner of Customs (Preventive), Delhi.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of

	उत्तर प्रदेश के राज्य में नोयडा निर्यात संसाधन क्षेत्र।		सीमाशुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त
3	क. मुम्बई पत्तन, मुम्बई हवाई अड्डा (शान्ता क्रूज और छत्रपती शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा), मुम्बई नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाला क्षेत्र, और महाद्वीपीय जल सीमा में नामित क्षेत्र तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा घोषित भारत के एक मात्र आर्थिक क्षेत्र। ख. जवाहर लाल नेहरू पोर्ट और महाराष्ट्र राज्य में रायगढ़ जिला में पानवेल की तहसील। ग. एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र	आयुक्त सीमाशुल्क, मुलुंद सीएफएस और सामान्य मुम्बई (निर्यात), मुम्बई (आयात), मुम्बई, (आयात) न्हावा शेवा, (निर्यात) न्हावा शेवा, (हवाई अड्डा) मुम्बई, एयर कार्गो (आयात), मुम्बई, एयर कार्गो (निर्यात), मुम्बई।	आयुक्तों के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क, मुलुंद सीएफएस और सामान्य, मुम्बई, (निर्यात), मुम्बई, (आयात) न्हावा शेवा, (निर्यात) न्हावा शेवा, (हवाई अड्डा) मुम्बई, एयर कार्गो (आयात), मुम्बई, एयर कार्गो (आयात) न्हावा शेवा, (निर्यात) न्हावा शेवा, (हवाई अड्डा) मुम्बई, एयर कार्गो (आयात), मुम्बई के (निर्यात), मुम्बई के आयुक्तों के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त,	सीमा शुल्क, मुलुन्द, सीएफएस और सामान्य मुम्बई, (निर्यात), मुम्बई, (आयात), मुम्बई, (आयात) न्हावा शेवा, (निर्यात) न्हावा शेवा, (हवाई अड्डा) मुम्बई, एयरकार्गो (आयात), मुम्बई, एयरकार्गो (निर्यात), मुम्बई, के आयुक्त के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यरत सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त
4	महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, ठाणे और रायगढ़ जिला।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), मुम्बई।	आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक) मुम्बई के नियंत्रणाधीन कार्यरत अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क	सीमा शुल्क (निवारक) मुम्बई के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यरत सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त

	State of Uttar Pradesh.		the Commissioner of Customs (Preventive), Delhi.	the Commissioner of Customs (Preventive), Delhi.
3	a. Port of Mumbai, Mumbai Airport (Santa Cruz and Chhatrapati Shivaji International Airports), the area under the jurisdiction of the Mumbai Municipal Corporation, and the designated areas in the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India as declared by the Government of India from time to time. b. The Jawahar Lal Nehru Port and the Taluka of Panvel in the District of Raigad in the State of Maharashtra. c. SEEPZ Special Economic Zone.	Commissioners of Customs, Mulund CFS and General, Mumbai, (Export), Mumbai, (Import), Mumbai, (Import) Nhava Sheva, (Export) Nhava Sheva, (Airport) Mumbai, Air Cargo (Import), Mumbai, Air-Cargo(Export), Mumbai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, Mulund CFS and General, Mumbai, (Export), Mumbai, (Import), Mumbai, (Import) Nhava Sheva, (Export) Nhava Sheva, (Airport) Mumbai, Air Cargo (Import), Mumbai, Air-Cargo(Export), Mumbai.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, Mulund CFS and General, Mumbai, (Export), Mumbai, (Import), Mumbai, (Import) Nhava Sheva, (Export) Nhava Sheva, (Airport) Mumbai, Air Cargo (Import), Mumbai, Air-Cargo(Export), Mumbai.
4	Mumbai, Thane and Raigad districts in the State of Maharashtra.	Commissioner of Customs (Preventive), Mumbai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Mumbai.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Mumbai.

5	क. कोलकाता और हल्दिया के पत्तन, नेताजी सुभाष चंद्र अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता, हावड़ा और दक्षिण उप शहरी निगमों के क्षेत्राधिकार का क्षेत्र जितना कि हुगली नदी का क्षेत्र कोलकाता पत्तन की उत्तरी सीमा के अनुप्रवाह में है, और वह सभी क्षेत्र जोकि नदी के दोनों तरफ प्रकट हुए ज्वार-भाटा के उच्च जल चिन्ह के 10 किमी. के अंदर है। ख. अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह ग. फालटा निर्यात संसाधन क्षेत्र	आयुक्त, सीमा शुल्क, (पत्तन), कोलकाता, (हवाईअड्डा), कोलकाता।	आयुक्त, सीमा शुल्क (पत्तन), कोलकाता (हवाई अड्डा) कोलकाता के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त	आयुक्त, सीमा शुल्क (पत्तन), कोलकाता (हवाई अड्डा) कोलकाता के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त
6	निम्नलिखित सम्पूर्ण क्षेत्र: क. पश्चिम बंगाल राज्य; ख. सिक्किम राज्य; ग. अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह का संघ राज्य क्षेत्र	आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त
7	(क) चेन्नई पत्तन, इन्नौर पतन, अन्ना अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा	आयुक्त, सीमाशुल्क, (हवाई अड्डा एवं एयरकार्गो), चेन्नई,	आयुक्त, सीमाशुल्क (हवाई अड्डा और एयरकार्गो) चेन्नई	आयुक्त, सीमाशुल्क (हवाई अड्डा और एयरकार्गो) चेन्नई

5	a. Ports of Kolkata and Haldia, Netaji Subhash Chandra International Airport, the area under the jurisdiction of Kolkata, Howrah and South Sub-urban Corporations, so much of the Hooghly river as is downstream of the Northern limit of Kolkata Port, and all lands as are within 10 kames of high water mark at spring tide on either side of the river. b. The Andaman and Nicobar Islands. c. FALTA Export Processing Zone	Commissioners of Customs, (Port), Kolkata, (Airport), Kolkata.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, (Port), Kolkata, (Airport), Kolkata.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, (Port), Kolkata, (Airport), Kolkata.
6	The whole of the a. State of West Bengal; b. State of Sikkim; c. Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands.	Commissioner of Customs (Preventive), West Bengal.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), West Bengal.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), West Bengal.
7	(a) Port of Chennai, Port of Ennore, the Anna International Air Port and the area under	Commissioners of Customs, (Airport &	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of

	और चेन्नई कारपोरेशन और एम्बदूर, गुम्मीदीपुंदी, पूनमल्ली और तिरुवल्लूर जिला की पोनेरी तहसील, कोचीपुरम जिला की तम्बरम तहसील में आने वाला क्षेत्र और महाद्वीप जलसीमा में नामित क्षेत्र तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा घोषित भारत के एक मात्र आर्थिक क्षेत्र (ख) चेन्नई निर्यात संसाधन क्षेत्र	पत्तन (आयात), चेन्नई, पत्तन (निर्यात), चेन्नई।	पत्तन (आयात) चेन्नई, पत्तन (निर्यात) चेन्नई के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त	पत्तन (आयात) चेन्नई, पत्तन (निर्यात) चेन्नई के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त
8	(क) चेन्नई पत्तन, इन्नौर पत्तन, अन्ना अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा और चेन्नई कारपोरेशन और एम्बदूर, गुम्मीदीपुंदी, पूनमल्ली और तिरुवल्लूर जिला की पोनेरी तहसील, कोचीपुरम जिला की तम्बरम तहसील में आने वाला क्षेत्र और महाद्वीप जलसीमा में नामित क्षेत्र तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा घोषित भारत के एक मात्र आर्थिक क्षेत्र (ख) चेन्नई निर्यात संसाधन क्षेत्र	आयुक्त सीमाशुल्क, (निवारक), चेन्नई	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), चेन्नई के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), चेन्नई के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त

	the jurisdiction of the Chennai Corporation and Ambattur, Gummidipoondi, Poonamallee and Ponneri Taluks of Thiruvallur Dist., Tambaram Taluk of Kancheepuram District and the designated areas in the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India as declared by the Government of India from time to time. (b) Chennai Export Processing Zone	Aircargo), Chennai, Port (Import), Chennai, Port (Export), Chennai.	Customs working under the control of the Commissioners of Customs, (Airport and Aircargo), Chennai, Port (Import), Chennai, Port (Export), Chennai.	Customs working under the control of the Commissioners of Customs, (Airport and Aircargo), Chennai, Port (Import), Chennai, Port (Export), Chennai.
8	(a) Port of Chennai, Port of Ennore, the Anna International Air Port and the area under the jurisdiction of the Chennai Corporation and Ambattur, Gummidipoondi, Poonamallee and Ponneri Taluks of Thiruvallur Dist., Tambaram Taluk of Kancheepuram District and the designated areas in the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India as declared by the Government of India from time to time. (b) Chennai Export Processing Zone.	Commissioner of Customs, (Preventive), Chennai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, (Preventive), Chennai.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, (Preventive), Chennai.

9	आयुक्त सीमा शुल्क, मैंगलौर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़ कर समस्त कर्नाटक राज्य।	आयुक्त सीमाशुल्क बेंगलोर	आयुक्त, सीमा शुल्क बेंगलोर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त	आयुक्त, सीमा शुल्क बेंगलोर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त
10	मंगलौर पतन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, कोडुगु, हसन, चिकमगलुर, शिमोगा, बेलगांव, बीजापुर, उडुपी, गदग, धारवाड़, कोप्पल, बेलारी, रायचुर, बगलकोट, गुलबर्गा और बीदर जिलों के समस्त क्षेत्र।	आयुक्त सीमाशुल्क, मैंगलौर	आयुक्त, सीमा शुल्क मैंगलौर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त	आयुक्त, सीमा शुल्क मैंगलौर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
11	ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कोचीन पत्तन, कोचीन हवाई अड्डा, कोचीन निर्यात संसाधन जोन और सीमा शुल्क फार्मेशन।	आयुक्त सीमाशुल्क, कोचीन	आयुक्त, सीमा शुल्क कोचीन के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर, आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क कोचीन के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
12	निम्नलिखित समस्त क्षेत्र: (क) केरल राज्य; (ख) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ; और (ग) माहे कम्प्यून और संघ राज्य क्षेत्र	आयुक्त सीमाशुल्क, (निवारक) कोचीन।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोचीन के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर, आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) कोचीन के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।

9	The whole of the State of Karnataka excluding the areas falling under the jurisdiction of Commissioner of Customs, Mangalore.	Commissioner of Customs, Bangalore.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Bangalore.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Bangalore.
10	The whole of the areas in the districts of the Uttar Kannada, Dakshina Kannada, Kodugu, Hassan, Chickmagalur, Shimoga, Belgaum, Bijapur, Udupi, Gadag, Dharwad, Koppal, Bellary, Raichur, Bagalkot, Gulbarga and Bidar in the State of Karnataka including areas under Mangalore Port.	Commissioner of Customs, Mangalore	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Mangalore.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Mangalore.
11	Port of Cochin, Cochin Airport, Cochin Export Processing Zone and Customs formation under the area under the jurisdiction of Greater Cochin Development Authority.	Commissioner of Customs, Cochin	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Cochin.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Cochin.
12	The whole of the (a) State of Kerala; (b) Union Territory of Lakshadweep; and (c) the Mahe commune and Yanam Territory	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive),	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

	पांडीचेरी का यनम क्षेत्र।			
13	क. समस्त गुजरात राज्य (आयुक्त सीमाशुल्क, कांडला के आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर); ख. संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली; ग. संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव	आयुक्त सीमाशुल्क, अहमदाबाद।	आयुक्त, सीमा शुल्क अहमदाबाद के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क अहमदाबाद के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
14	क. समस्त गुजरात राज्य; ख. संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली; संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव।	आयुक्त सीमाशुल्क, (निवारक), जामनगर	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), जामनगर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), जामनगर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
15	कांडला के पत्तन और हवाई अड्डा, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र और उस क्षेत्र के 8 कि.मी. के दायरे में आने वाले क्षेत्र तथा गांधीधाम नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।	आयुक्त सीमाशुल्क, काण्डला।	आयुक्त, सीमा शुल्क कांडला के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क कांडला के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
16	विशाखापत्तनम के पत्तन और हवाई	आयुक्त सीमाशुल्क, विशाखापत्तनम।	आयुक्त, सीमा शुल्क विशाखापत्तनम के	आयुक्त, सीमा शुल्क विशाखापत्तनम के

	of the Union Territory of Pondicherry.		Cochin.	
13	a. The whole of the State of Gujarat (excluding the areas falling under the jurisdiction of Commissioner of Customs, Kandla); b. The Union Territory of Dadra & Nagar Haveli; c. The Union Territory of Daman & Diu.	Commissioner of Customs, Ahmedabad.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Ahmedabad.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Ahmedabad.
14	a. The whole of the State of Gujarat; b. The Union Territory of Dadra & Nagar Haveli; The Union Territory of Daman & Diu.	Commissioner of Customs, (Preventive), Jamnagar.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, (Preventive), Jamnagar.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, (Preventive), Jamnagar.
15	Port and Airport of Kandla, Kandla Special Economic Zone and the areas within a radius of 8 kms around that Zone & the areas under the jurisdiction of Gandhidham Municipality.	Commissioner of Customs, Kandla.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Kandla.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Kandla.
16	Port and Airport of Vishakhapatnam, Vishakhapatnam Export Processing Zone and the areas	Commissioner of Customs, Vishakhapatnam.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working

	अड्डा, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र और विशाखापत्तनम नगरनिगम क्षेत्र में आने वाले आन्ध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्र।		नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
17	महाराष्ट्र राज्य में पुणे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापुर, सतारा और सोलापुर जिलों के सारे क्षेत्र	आयुक्त सीमाशुल्क, पुणे।	आयुक्त, सीमा शुल्क पुणे के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क पुणे के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
18	मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा राज्य।	आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), शिलांग।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), शिलांग के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), शिलांग के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
19	निम्नलिखित समस्त क्षेत्र:- 1. पंजाब राज्य 2. हिमाचल प्रदेश राज्य 3. जम्मू एवं कश्मीर राज्य 4. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), अमृतसर।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), अमृतसर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर, आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), अमृतसर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
20	समस्त राजस्थान राज्य	आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), जोधपुर	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।

	under the Municipal Corporation of Vishakhapatnam in the State of Andhra Pradesh.		under the control of the Commissioner of Customs, Vishakhapatnam	under the control of the Commissioner of Customs, Vishakhapatnam
17	The whole of the areas in the districts of Pune, Sindhudurg, Ratnagiri, Sangli, Kolhapur, Satara, and Solapur in the State of Maharashtra.	Commissioner of Customs, Pune.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Pune.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Pune.
18	States of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura.	Commissioner of Customs (Preventive), Shillong.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Shillong.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Shillong.
19	The whole of - 1. The State of Punjab 2. The State of Himachal Pradesh 3. The State of Jammu & Kashmir 4. The Union Territory of Chandigarh.	Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar.
20	The whole of the State of Rajasthan	Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur.

21	क. समस्त बिहार और झारखंड राज्य ख. पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा (इंगराज बाजार) जिला ग. सिक्किम राज्य	आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), पटना	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
22	समस्त उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य	आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), लखनऊ	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), लखनऊ के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), लखनऊ के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
23	क. आयुक्त सीमा शुल्क, (निवारक) चेन्नई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़ कर समस्त तमिलनाडु राज्य। ख. माहे कम्पून और यनम क्षेत्र को छोड़कर संघ राज्य क्षेत्र पाण्डीचेरी	आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक) तिरुचीरापल्ली	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुचीरापल्ली के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुचीरापल्ली के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त।

21	a. The whole of the State of Bihar and Jharkhand b. Districts of Darjeeling, North Dinajpur, South Dinajpur, Maldha (Ingrajbazar) in the State of West Bengal c. The State of Sikkim.	Commissioner of Customs (Preventive), Patna.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Patna.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Patna.
22	The whole of the States of Uttar Pradesh and Uttaranchal	Commissioner of Customs (Preventive), Lucknow.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Lucknow.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Lucknow.
23	a. The whole of the State of Tamil Nadu excluding the areas falling under the jurisdiction of Commissioner of Customs (Preventive), Chennai. b. The Union Territory of Pondicherry excluding Mahe Commune and Yanam Territory.	Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirapalli.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirapalli.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirapalli.

अनुबंध 7
(संदर्भ पैरा 2.3)

अधिसूचना सं. 16/2002-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 7 मार्च, 2002 का सार।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों के उपयोग में और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 29/97-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 7 जुलाई, 1997 को भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित तालिका के कॉलम(2) में उल्लिखित अधिकारियों को आयुक्त सीमाशुल्क (अपील) के रूप में नियुक्त किया है और ऐसे अधिकारियों के पास सरकारी गजट में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी के आदेश या निर्णय के संबंध में अधिकार हैं।

तालिका

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), दिल्ली-I	आयुक्त सीमाशुल्क, एयरकार्गो (आयात) और सामान्य दिल्ली, एयरकार्गो (निर्यात) दिल्ली, (निवारक) अमृतसर।
2	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), दिल्ली-II	आयुक्त सीमाशुल्क, (आईसीडीज़्) दिल्ली, (निवारक) दिल्ली।
3	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), मुम्बई-I	आयुक्त सीमाशुल्क, मुंलुद सीएफएस और (सामान्य) मुम्बई, (निर्यात) मुम्बई, (आयात) मुम्बई।
4	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), मुम्बई-II	आयुक्त सीमाशुल्क, (निर्यात) न्हावा शेवा, (आयात) न्हावा शेवा।
5	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), मुम्बई-III	आयुक्त सीमाशुल्क, (हवाई अड्डा) मुम्बई, एयरकार्गो (निर्यात) मुम्बई, एयरकार्गो (आयात) मुम्बई, (निवारक) मुम्बई।

ANNEXURE 7
(Ref. Para 2.3)

Extract of Notification No.16/2002-Customs (N.T.) dated 7 March 2002

In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.29/97-Customs (N.T.), dated the 7th July, 1997, the Central Government appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below to be Commissioner of Customs (Appeals), and such officers shall have the jurisdiction in relation to an order or decision of the officer subordinate to the officer as mentioned in the column (3) of the said Table with effect from the date to be notified by the Central Government in the Official Gazette.

Table

Sl. No	Designation of Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	Commissioner of Customs (Appeals), Delhi-I	Commissioners of Customs, Air cargo (Import) and General Delhi, Air cargo (Export) Delhi, (Preventive) Amritsar.
2	Commissioner of Customs (Appeals), Delhi-II	Commissioners of Customs, (ICDs) Delhi, (Preventive) Delhi.
3	Commissioner of Customs (Appeals), Mumbai-I	Commissioners of Customs, Mulund CFS and (General) Mumbai, (Export) Mumbai, (Import) Mumbai.
4	Commissioner of Customs (Appeals), Mumbai-II	Commissioners of Customs, (Export) Nhava Sheva, (Import) Nhava Sheva.
5	Commissioner of Customs (Appeals), Mumbai-III	Commissioners of Customs, (Airport) Mumbai, Air cargo (Export) Mumbai, Air cargo (Import) Mumbai, (Preventive) Mumbai.

6	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), कोलकाता	आयुक्त सीमाशुल्क, (पत्तन) कोलकाता, (हवाई अड्डा) कोलकाता, (निवारक) पश्चिम बंगाल।
7	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), चेन्नई	आयुक्त सीमाशुल्क, पत्तन (आयात) चेन्नई, पत्तन (निर्यात) चेन्नई, हवाई अड्डा और एयरकार्गो चेन्नई (निवारक) चेन्नई।
8	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), बेंगलोर	आयुक्त सीमाशुल्क, बेंगलोर, मँगलौर।
9	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), अहमदाबाद-I और अहमदाबाद-II	आयुक्त सीमाशुल्क, अहमदाबाद, (निवारक) जामनगर।
10	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), काण्डला	आयुक्त सीमाशुल्क, काण्डला।
11	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), तिरुवनंतपुरम	आयुक्त सीमाशुल्क, कोचीन (निवारक) कोचीन।
12	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), विशाखापत्तनम	आयुक्त सीमाशुल्क, विशाखापत्तनम।
13	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), पुणे	आयुक्त सीमाशुल्क, पुणे, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, गोवा।
14	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), जालंधर	आयुक्त सीमाशुल्क, (निवारक) अमृतसर।
15	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), जयपुर	आयुक्त सीमाशुल्क, जोधपुर।
16	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), पटना	आयुक्त सीमाशुल्क, (निवारक) पटना।
17	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), लखनऊ	आयुक्त सीमाशुल्क, (निवारक) लखनऊ।

6	Commissioner of Customs (Appeals), Kolkata	Commissioners of Customs, (Port) Kolkata, (Airport) Kolkata, (Preventive) West-Bengal.
7	Commissioner of Customs (Appeals), Chennai	Commissioners of Customs, Port (Import) Chennai, Port (Export) Chennai, Airport and Air cargo Chennai, (Preventive) Chennai.
8	Commissioner of Customs (Appeals), Bangalore	Commissioners of Customs, Bangalore, Mangalore.
9	Commissioner of Customs (Appeals), Ahmedabad-I & Ahmedabad-II	Commissioners of Customs, Ahmedabad, (Preventive) Jamnagar.
10	Commissioner of Customs (Appeals), Kandla	Commissioner of Customs, Kandla.
11	Commissioner of Customs (Appeals), Thiruvananthapuram	Commissioners of Customs, Cochin, (Preventive) Cochin.
12	Commissioner of Customs (Appeals), Vishakhapatnam	Commissioner of Customs, Vishakhapatnam.
13	Commissioner of Customs (Appeals), Pune	Commissioners of Customs, Pune, Commissioner of Customs and Central Excise, Goa.
14	Commissioner of Customs (Appeals), Jalandhar	Commissioners of Customs, (Preventive) Amritsar.
15	Commissioner of Customs (Appeals), Jaipur	Commissioners of Customs, Jodhpur.
16	Commissioner of Customs (Appeals), Patna	Commissioners of Customs, (Preventive) Patna.
17	Commissioner of Customs (Appeals), Lucknow	Commissioners of Customs, (Preventive) Lucknow.

18	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), तिरुचीरापल्ली	आयुक्त सीमाशुल्क, (निवारक) तिरुचीरापल्ली।
19	आयुक्त सीमाशुल्क (अपील), गुवाहटी	आयुक्त सीमाशुल्क, (निवारक) शिलांग।

18	Commissioner of Customs (Appeals), Tiruchirapalli.	Commissioners of Customs, (Preventive) Tiruchirapalli.
19	Commissioner of Customs (Appeals), Guwahati	Commissioners of Customs, (Preventive) Shillong.

अनुबंध 8
(संदर्भ पैरा 2.3)

महानिदेशालय/निदेशालय कमिशनरियों आदि के कार्य

(i) विभिन्न कमिशनरियां

सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क कमिशनरियां जोकि सारे देश में फैली हुई हैं, बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्य निष्पादित करती हैं। मुख्यतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित 105 कमिशनरियां हैं। चार प्रमुख सीमा शुल्क हाऊस (मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता एवं कोचीन में), मुख्यतः सीमा शुल्क कार्य सम्भालने वाले अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर और दूसरे स्थानों पर 95 सीमा शुल्क कमिशनरियाँ भी हैं। महानगरों और दूसरे औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर 19 अपीलीय कमिशनरियां स्थित हैं।

मादक पदार्थ विभाग बोर्ड का दूसरा महत्वपूर्ण अधीनस्थ कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता ग्वालियर स्थित मुख्यालय के आयुक्त द्वारा की जाती है और जो अफीम की खेती तथा खरीद एवं इससे संबंधित निवारक कार्य को देखता है। इसके अतिरिक्त, मुख्य कारखाना नियंत्रक भी जिसका मुख्यालय ग्वालियर में है गाजीपुर (उ.प्र.) और नीमच (म.प्र.) में स्थित दो सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखानों की देख-रेख करता है।

(ii) महानिदेशक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली:

इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

(क) समस्त देश में सीमाशुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा मादक पदार्थ विभागीय तंत्र की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।

(ख) निरीक्षण और लेखापरीक्षा के माध्यम से तथा सरल कार्यप्रणाली के लिए पद्धति स्थापित करते हुए इसकी दक्षता में सुधार और महत्वपूर्ण त्रुटियों के परिशोधन हेतु उपायों का सुझाव देना।

(ग) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा मादक पदार्थ विभागों से संबंधित प्रशासनिक मामलों के साथ-साथ तकनीकी में वित्त मंत्रालय और सीबीईसी को परामर्श देने के लिए प्रमुख केंद्रीय एजेंसी की भूमिका अदा करना।

(iii) महानिदेशक, राजस्व आसूचना, नई दिल्ली

शीर्ष आसूचना संगठन होने के नाते यह तस्करी के प्रति आसूचना के अध्ययन और प्रसार, तस्करी के संगठित गिरोह और तस्करी के लिए सुभेद्य क्षेत्रों की पहचान करने, उनके और उनकी गतिहीनता के प्रति आसूचना को लक्ष्य बनाने, अन्तर-कलकतरी और

ANNEXURE 8
(Ref. Para 2.3)

Functions of the Directorates General/Directorates/Commissionerates etc.

(i) Various commissionerates:

The Commissionerates of Customs and Central Excise which are spread over the country perform the executive functions entrusted by the Board. There are 105 commissionerates concerned mainly with Central Excise. There are four major Customs Houses (at Mumbai, Chennai, Calcutta & Cochin); also 95 customs commissionerates at international airports and other places mainly handling Customs work. There are 19 Appellate Commissionerates situated in the metropolitan cities and other industrially important places.

The Narcotics Deptt. is another important subordinate office of the Board which is headed by a Commissioner having headquarters at Gwalior and looking after cultivation and procurement of opium and preventive work relating thereto. In addition, the Chief Controller of Factories with his headquarters also at Gwalior looks after the two Government Opium and Alkaloid Factories, situated at Ghazipur (UP) and Neemuch (MP).

(ii) Directorate General of Inspection and Audit, Customs and Central Excise, New Delhi :

Its main functions are the following:-

- (a) To study the working of the Customs, Central Excise and Narcotics Departmental machinery throughout the country.
- (b) To suggest measures for improvement of its efficiency and rectification of important defects in it through inspection and audit, and by laying down procedures for smooth functioning.
- (c) To play the role of a primary Central Agency for advising the Ministry of Finance and the CBEC in technical as well as administrative matters, pertaining to Central Excise, Customs and Narcotics Departments.

(iii) Directorate General of Revenue Intelligence, New Delhi

As the apex intelligence organisation, it is responsible for study and dissemination of intelligence against smuggling, identifying the organised gangs of smugglers and areas vulnerable to smuggling, targeting of

अन्तर्राष्ट्रीय शाखा वाले महत्वपूर्ण मामलों की आसूचना एकत्रण करने और गहराई से जांच करने के लिए भारत और विदेश में आसूचना और प्रवर्तन संस्थानों के साथ सम्पर्क, संदिग्धों पर पाबंदी और विनिबिद्ध वस्तुओं के लिए क्षेत्रीय इकाईयों को सचेत करने, तस्करी में वर्तमान और संभावित प्रवृत्ति का निर्धारण करने और बचाव के रास्तों को बंद करने से संबंधित सभी मामलों में मंत्रालय को सलाह देने और जांच के लिए मंत्रालय/बोर्ड द्वारा सौंपे गए ऐसे सभी मामलों पर ध्यान देने के लिए उत्तरदायी है।

(iv) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं मादक पदार्थों की राष्ट्रीय अकादमी

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-

(क) सीधी भर्ती वालों को प्रशिक्षण देना और विभागीय अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का प्रबंध करना।

(ख) प्रशिक्षण नीतियों का निरूपण करने में सहायता करना और नीतियों को कार्यान्वित करना तथा सीधी भर्ती किए गए एवं विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए योजना बनाने तथा अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम बनाकर सीबीईसी द्वारा अनुमोदित नीतियों को कार्यान्वित करना।

(ग) यूएनडीपी के अन्तर्गत पड़ोसी देशों से सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के लिए अध्ययन दौरों की व्यवस्था करना।

(v) संगठन एवं कार्मिक प्रबंधन निदेशालय, सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क

मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा मादक पदार्थ विभाग के लिए श्रम शक्ति के नियोजन सहित, प्रबंधन सेवाओं के अतिरिक्त, पद्धति अध्ययन, कार्य मापन और स्टाफिंग से संबंधित कार्यों की देख-रेख करना।

(vi) सांख्यिकीय एवं आसूचना निदेशालय

इस निदेशालय के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

(क) अप्रत्यक्ष करों से राजस्व की उगाही से संबंधित डाटा और सांख्यिकी को एकत्र करना एवं समेकित करना तथा बजट आकलन के पूर्वानुमान में मंत्रालय एवं सीबीईसी को सलाह देना।

(ख) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राजस्व, बकाया, जब्ती, न्यायालय मामलों आदि के संबंध में सांख्यिकीय बुलेटिन और सांख्यिकीय वार्षिकी के समेकन हेतु सांख्यिकी एकत्र करना।

intelligence against them and their immobilization, liaison with the intelligence and enforcement agencies in India and abroad for collection of intelligence and in-depth investigation of important cases having inter-collectorate and international ramifications, alerting field formations for interception of suspects and contraband goods, assessment of current and likely trends in smuggling and advising the Ministry in all matters pertaining to plugging any loopholes and attending to such other matters as may be entrusted by the Ministry/Board for investigation.

(iv) National Academy of Customs, Excise and Narcotics

Its main functions are the following:-

- (a) To impart training to direct recruits and to arrange refresher courses for departmental officers.
- (b) To assist in formulating training policies and to implement the policies approved by CBEC by formulating schemes and syllabi of studies for the training of direct recruits and departmental officers.
- (c) To arrange study tours of Customs and Excise Officers from neighboring countries under UNDP.

(v) Directorate of Organisation and Personnel Management, Customs and Central Excise

The main functions are:-

To look after the functions relating to method studies, work measurement and staffing, besides management services, including man-power planning for the customs and Central Excise and Narcotics Department.

(vi) Directorate of Statistics & Intelligence

The main functions of this Directorate are the following:-

- (a) To collect and consolidate data and statistics pertaining to realisation of revenue from indirect taxes and advise the Ministry and CBEC in forecasting Budget estimates.
- (b) To collect statistics for compilation of statistical bulletin and statistical year book in respect of revenue, arrears, seizures, court cases, etc. pertaining to indirect taxes.

(vii) निवारक प्रक्रिया निदेशालय

इस निदेशालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-

(क) कलक्टर और सुभेद्य क्षेत्रों में तस्करी रोधी कार्यों पर स्टाफ की तैनाती की प्रभाविकता की जांच, निर्धारण और मूल्यांकन करना।

(ख) न्याय निर्णयन, अभियोजन के मामलों में प्रगति की निगरानी, समन्वय और मूल्यांकन करना तथा विभिन्न कलेक्ट्रेट में मुखबिरों/अधिकारियों को पुरस्कार देना तथा अभियोजन मामलों में संलिप्त जब्त किए गए माल के निपटान में प्रगति को देखना।

(ग) विभिन्न कलेक्ट्रेट में तस्करी रोधी कार्य के लिए अपेक्षित स्टाफ प्रशिक्षण, उपस्कर, वाहनों, पोतों संचारणों या दूसरे संसाधनों की आवश्यकता की योजना बनाना और मूल्यांकन करना और उनकी परिचालन दक्षता का मूल्यांकन करना तथा अधिग्रहण अधिप्राप्ति खरीद, मरम्मत तथा ऐसे उपस्कर के पुनः आवंटन से संबंधित मामलों को डील करना।

(viii) प्रचार और जन-सम्पर्क निदेशालय

इस निदेशालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

(क) सांविधिक एवं विभागीय नियमपुस्तकों की तैयारी, संशोधन और प्रकाशन।

(ख) सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में सीबीईसी द्वारा जारी अनुदेशों का समेकन करना।

(ग) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का समेकन करना।

(घ) संशोधन सूचियों आदि के माध्यम से सभी विभागीय नियमपुस्तकों को अद्यतन करना।

(ङ) विवरणिका, पोस्टरों, होर्डिंगों, रेडियों, टी.वी. एवं प्रैस मिडिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के बारे में जनता को शिक्षित करने के मद्देनजर प्रचार कार्य करना।

(ix) केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

माल के नमूने का विश्लेषण करना और विभिन्न माल के शुल्क योग्य या अन्यथा के संबंध में सीबीईसी और इसकी क्षेत्रीय इकाईयों को तकनीकी सलाह देना।

(vii) Directorate of Preventive Operations

The main functions of this Directorate are the following:-

- (a) To inspect, assess and evaluate the effectiveness of staff deployed on anti-smuggling duties in the Collectorates and in vulnerable areas.
- (b) To monitor, coordinate and evaluate the progress in cases of adjudications, prosecutions and reward to informers/officers in different Collectorates and to watch the progress in disposal of confiscated goods involved in prosecution cases.
- (c) To plan and assess the need for staff training, equipment, vehicles, vessels, communications or other resources required for anti-smuggling work in different Collectorates and evaluate their operational efficiency and to deal with the matters concerning acquisition, procurement, purchases, repairs and reallocation of such equipment.

(viii) Directorate of Publicity and Public Relations

The main functions of this Directorate are the following:

- (a) Preparation, revision and publication of statutory and departmental manuals.
- (b) Consolidation of instructions issued by the CBEC in technical and administrative matters of Customs and Central Excise.
- (c) Compilation of important judgments delivered by High Courts and Supreme Court on matters relating to indirect taxes.
- (d) Updating of all departmental manuals through correction lists etc .
- (e) Undertaking publicity with a view to educating the public about the indirect taxes through brochures, posters, hoardings, radio, TV and press media.

(ix) Central Revenues Control Laboratory

To analyse sample of goods and render technical advice to the CBEC and its field formations in regard to dutiability or otherwise of various goods.

(x) प्रणाली निदेशालय

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-

इस निदेशालय द्वारा हार्डवेयर की प्राप्ति, सॉफ्टवेयर के विकास एवं अनुरक्षण सहित सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम्प्यूटरीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं, कार्मिकों के प्रशिक्षण और केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण पर व्यय बजट की निगरानी की जाती है।

(xi) महानिदेशालय मूल्यांकन

इस निदेशालय को सौंपे गए मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

(क) सीमा शुल्क मूल्यांकन पर डब्ल्यूटीओ करार की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन और निगरानी में बोर्ड की सहायता करना और सलाह देना।

(ख) दूसरे विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त पिछले दृष्टांतों, प्रकाशित कीमत सूचना या कीमत का उपयोग करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किए गए माल के लिए व्यापक मूल्यांकन डाटाबेस बनाना और राष्ट्रीय निर्यात/आयात डाटा बैंक बनाने के लिए मूल्यांकन को तीव्र गति से अन्तिम रूप देने में सक्षम बनाने और अब मूल्यांकन का पता लगाने तथा उसे रोकने के मद्देनजर दैनिक निर्धारण हेतु ऑन-लाइन अवलोकन करने के लिए और सहयोग के साधन के रूप में सभी सीमा शुल्क इकाईयों को निरंतर आधार पर कीमत सूचना को विस्तारित करना।

(ग) विभिन्न सीमा शुल्क इकाईयों में मूल्यांकन पद्धतियों की निगरानी करना और विशेष एवं प्रकटित कीमत निर्धारण पद्धतियों को बोर्ड के ध्यान में लाना तथा, जहां आवश्यक हो, निवारक नीति या अन्य उपायों का भी सुझाव देना।

(घ) विदेश में तैनात दूसरे सीमा शुल्क प्रशासकों और सीमा शुल्क अधिकारियों के मूल्यांकन निदेशालय से सम्पर्क बनाए रखना।

(ङ) संवेदनशील पण्यों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्रवृत्तियों और ट्रान्सनेशनल निगमों (उदाहरणार्थ -स्थानांतरण मूल्य निर्धारण) और विदेश सहयोग से भारतीय उद्यमों की कीमत निर्धारण पद्धति का अध्ययन करना और मूल्यांकन धोखाधड़ी के साथ-साथ नियोजित अवमूल्यन से निपटने के लिए प्रणाली विकसित करने में सहायता करना।

(xii) सतर्कता महानिदेशालय

यह सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों के प्रति सतर्कता मामलों की निगरानी करता है। यह संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले आधिकारियों की उचित निगरानी भी करता है।

(x) Directorate of Systems

Its main function is to:-

All aspects of the implementation of Customs and Central Excise Computerisation Projects including acquisition of hardware, development and maintenance of software, training of personnel and monitoring of expenditure budget on computerisation at the Central and field level are looked into by this Directorate.

(xi) Directorate General of Valuation

The main functions assigned to this Directorate are :-

(a) To assist and advise the Board in the implementation and monitoring of the working of the WTO Agreement on Customs valuation.

(b) To build a comprehensive valuation database for internationally traded goods using past precedents, published price information or price obtained from other authentic sources and to disseminate the price information on a continuing basis to all Customs formations, for on-line viewing and as a means of assistance to day-to-day assessment with a view to detecting and preventing undervaluation as also for enabling assessments to be finalised speedily to build a national Export/Import databank.

(c) To monitor valuation practices at various Customs formations and bring to the notice of the Board significant and emerging pricing patterns and also suggest corrective policy or other measures, where needed.

(d) To maintain liaison with the valuation Directorate of other Customs Administrations and Customs Officers posted abroad.

(e) To study international price trends of sensitive commodities and pricing patterns of transnational corporations (e.g. transfer pricing) and Indian ventures with foreign collaboration and help evolve a system to combat planned undervaluation as well as valuation frauds.

(xii) Directorate General of Vigilance

It monitors the vigilance cases against officers of Customs & Central Excise. It also maintain proper surveillance on officials of doubtful integrity.

स्थानीय निदेशालय राजस्व आसूचना एवं कमिशनरी सतर्कता शाखा को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी कार्यक्रमों को सभी सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद तथा मादक पदार्थ विभाग में कार्यान्वित किया गया है केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के साथ निकट सम्पर्क बनाना चाहिए।

(xiii) सेवा कर महानिदेशालय

सेवा कर पहली बार जुलाई, 1994 में केवल तीन सेवाओं पर शुरू किया गया था। उद्ग्रहण का कार्यक्षेत्र 1.7.2012 से निषेधात्मक सूची के शुरू होने के कारण काफी बढ़ गया था। विस्तारशील कवरेज के कारण बढ़ते हुए कार्यभार को ध्यान में रखते हुए सेवाकर महानिदेशालय को मुम्बई शहर में स्थापित किया गया है। इस निदेशालय को दिए गए मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (i) सेवा कर के संग्रहण और निर्धारण को मॉनीटर करना;
- (ii) कार्यक्षेत्र में सेवा कर के कार्यान्वयन का अध्ययन करना और राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना;
- (iii) कानून और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना,
- (iv) डाटाबेस बनाना, और
- (v) कमिशनरियों में सेवा कर कोष्ठों का निरीक्षण करना।

To maintain close liaison with the Central Bureau of Investigation, local Directorate of Revenue Intelligence and Commissionerate Vigilance Branches to ensure that the programmes of vigilance and anti-corruption are implemented in all Commissionerates of Customs and Central Excise and Narcotics Department.

(xiii) Directorate General of Service Tax

Service Tax was introduced for the first time in July, 1994 only on three services. The scope of the levy has been considerably enlarged with the introduction of the negative list with effect from 1.7.2012. Considering the increasing workload due to expanding coverage, a Directorate General of Service Tax has been created to be stationed at Mumbai. The main functions assigned to this Directorate are to:—

- (i) monitor the collection and assessment of service tax,
- (ii) study the implementation of Service Tax in the field and to suggest measures to increase revenue collection;
- (iii) to undertake study of law and procedures,
- (iv) to form a database, and
- (v) to inspect the Service Tax Cells in the Commissionerates.

अनुबंध 9

(संदर्भ पैरा 18.5.3)

ऑरकल 11जी डॉटाबेस में फाइल का आयात करना

- यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑरकल 10 जी रिलीज 2 या हायर सर्वर वर्जन को उस मशीन में स्थापित किया जाता है जिसमें डाटा इम्पोर्ट किया जाता है।
- विभाग द्वारा प्रस्तुत डम्प डॉटा को या तो मूल निर्यात उपयोगिता या डॉटा पम्प निर्यात पद्धति द्वारा सृजित किया जा सकता है। डॉटा पम्प आयात को मूल निर्यात उपयोगिता द्वारा सृजित फाइलों के साथ उपयोग किया जा सकता है लेकिन मूल आयात उपयोगिता डॉटा पम्प निर्यात से सृजित की गई फाइलों का उपयोग नहीं कर सकती।

पालन किए जाने वाले चरण

चरण1 : ऑरकल डम्प फाइल को अनजिप करना यदि इसे जिप फाइल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक जिप फाइल पर 'जेड' एक्सटेंशन सहित प्रत्यय लगाया जाएगा।

चरण2 : निम्नलिखित सिन्टेक्स का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष डॉटा के सार को स्टोर करने के लिए अनिवार्य टेबलस्पेस ओर डॉटाबेस फाइल बनाना।

क्रिएट टेबलस्पेस < टेबलस्पेस-नेम> डाटाफाइल< डाटाफाइल नेम> साइज< साइज

> ऑटोएक्सटेंड ऑन; उदाहरण:

*क्रिएट टेबलस्पेस आईएमपी-एक्टिव डॉटाफाइल एफ:/डाटाफाइल 1. डीबीएफ
साइज 1000एम ऑटो एक्सटेंड ऑन;*

चरण 3: उपयोगकर्ता को बनाना और अपेक्षित विशेषाधिकार प्रदान करना

सिन्टेक्स

क्रिएट यूजर< यूजरनेम> आइडेन्टिफाइड बाइ< पासवर्ड> डिफॉल्ट< टेबलस्पेस नेम>;

उदाहरण: क्रिएट यूजर आरटीआई आइडेन्टिफाइड बाई आरटीआई डिफॉल्ट

टेबलस्पेस आईएमपी-एक्टिव;

सिन्टेक्स

ग्रांट <रोल्स>टू <यूजर>;

उदाहरण: ग्रांट कनेक्ट, आईएमपी-फूल-डाटाबेस, रिसॉर्स टून आटीआई;

चरण 4: प्रत्यक्ष डॉटा को स्टोर करने के लिए डायरेक्टरी बनाना

सिन्टेक्स

क्रिएट डायरेक्टरी < डायरेक्टरी-नेम> एज<पाथ- नेम>; उदाहरण क्रिएट डायरेक्टरी

आरटीआई-डीआईआर एज एफ:/ आरटीआई;

ANNEXURE 9
(Ref. Para 18 .5.3)

Importing the dump file into the Oracle 11g database

- It may be ensured that Oracle 10g Release 2 or higher server version is installed in the machine in which the data is to be imported.
- The dump data furnished by the department can be generated either by the original export utility or by the Data Pump Export method. The Data Pump Import can be used with files generated by the original Export Utility but the original Import Utility cannot use the files generated from the Data Pump Export.

Steps to be followed

Step 1: Unzip the oracle dump file if it is furnished as a zip file. A zip file would be suffixed with a '.z' extension.

Step 2: Create the mandatory tablespaces and datafiles to store the extracted physical data by using the following syntax.

*CREATE TABLESPACE <TABLESPACE_NAME> DATAFILE
<DATAFILENAME> SIZE <SIZE> AUTOEXTEND ON;*

Eg:

*CREATE TABLESPACE **IMP_ACTIVE** DATAFILE
'F:/DATAFILE1.DBF' SIZE 1000M AUTOEXTEND ON;*

Step 3: Create the user and grant the required privileges.

Syntax

*CREATE USER <USERNAME> IDENTIFIED BY <PASSWORD>
DEFAULT <TABLESPACE NAME>;*

Eg: *CREATE USER **RTI** IDENTIFIED BY **RTI** DEFAULT
TABLESPACE
IMP_ACTIVE;*

Syntax

GRANT <ROLES> TO <USER>;

Eg: *GRANT CONNECT, IMP_FULL_DATABASE, RESOURCE TO
RTI;*

Step 4: Creating a Directory for storing the physical data

Syntax:

*CREATE DIRECTORY <DIRECTORY_NAME> AS
<PATH_NAME>;*

चरण 5: उपयोगकर्ताको डायरेक्टरी पर विशेषाधिकार देना

सिन्टेक्स

ग्रांट <रीड, राइट> ऑन डायरेक्टरी< डायरेक्टरी-नेम> टू < यूजर>;

उदाहरण: ग्रांट रीड ऑन, राइट ऑन डायरेक्टरी आरटीआई-डीआईआर टू
आरटीआई

चरण 6: डीओएस विंडो खोलना।

आईएमपीडीपी कमांड का उपयोग करते हुए डम्प फाईल को ऑरकल सर्वर में
मंगाना।

सिन्टेक्स:

आईएमपीडीपी < यूजरनेम/ पासवर्ड> पारफाईल =पार 1 टैक्सट, जहां पार 1 टैक्सट
में निम्नलिखित निर्दिष्ट हैं

डायरेक्टरी=आरटीआई-डीआईआर

डम्पफाईल=आरटीआई. डीएमपी

फुल=वाई

लॉगफाईल=न्यूज एक्सपोर्ट्स. लॉग

उदाहरण: आईएमपीडीपी आरटीआई/ आरटीआई पारफाईल=पार 1 टैक्सट

चरण 7: सभी टेबल्स को सफलतापूर्वक डम्पोर्ट करने के बाद निम्नलिखित स्क्रिप्ट को
लागू करके सुरक्षा नीति को अक्षम कर दें

@ एफ:/ वर्कशाप/टी पॉलिसी. टैक्सट

चरण 8: इम्पोर्टेड डाटा की पूर्णता को सुनिश्चित करना

आयात के लिए:

निम्नलिखित क्वेरी को निष्पादित करते हुए प्राप्त रॉज की कुल संख्या समान
होनी चाहिए।

सिलेक्ट काउंट (*) फ्रॉम बीई-मेन;

सिलेक्ट काउंट (*) फ्रॉम बीई-स्टेटस;

सिलेक्ट काउंट (*) फ्रॉम बीई-गुड एग्जाम;

सिलेक्ट काउंट (डिस्टिक्ट बीई-नो); फ्रॉम बीई-आईटम-डीइटी;

निर्यात के लिए:

निम्नलिखित क्वेरी को निष्पादित करते हुए प्राप्त रॉज की कुल संख्या समान
होनी चाहिए।

सिलेक्ट काउंट (*) फ्रॉम सी-एसबी;

सिलेक्ट काउंट (*) फ्रॉम सी-एसबी-स्टट;

सिलेक्ट काउंट (*) फ्रॉम सी-एग्जाम-आरईपी;

सिलेक्ट काउंट (डिस्टिक्ट एमबी-नो) फ्रॉम सी-आईटमस;

Eg: CREATE DIRECTORY RTI_DIR AS 'F:\RTI';

Step 5: Granting Privileges on the Directory to the user

Syntax:

GRANT <READ, WRITE> ON DIRECTORY <directory_name> TO
<user>;

Eg: GRANT READ ON, WRITE ON DIRECTORY RTI_DIR TO
RTI;

Step 6: Open a DOS window.

Using the command **IMPDP** import the dump file into the Oracle
Server.

Syntax:

IMPDP < username / password > PARFILE=PAR1.txt, where
PAR1.txt contains

DIRECTORY=RTI_DIR

DUMPFILE=RTI.DMP

FULL=Y

LOGFILE=NEWEXPORTS.LOG

Eg: IMPDP RTI / RTI PARFILE = PAR1.TXT

Step 7: After successfully importing all the Tables, disable the security
policy by executing the following script.

@ f:\workshop\Tpolicy.txt

Step 8: Ensuring the completeness of data imported

For imports:

The total number of rows extracted by executing the following queries
should tally.

Select count (*) from BE_MAIN;

Select count (*) from BE_STATUS;

Select count (*) from BE_GOOD_EXAM;

Select count (distinct BE_NO) from BE_ITEM_DET;

For exports:

The total number of rows extracted by executing the following queries
should tally.

Select count (*) from C_SB;

Select count (*) from C_SB_STAT;

Select count (*) from C_EXAM_REP;

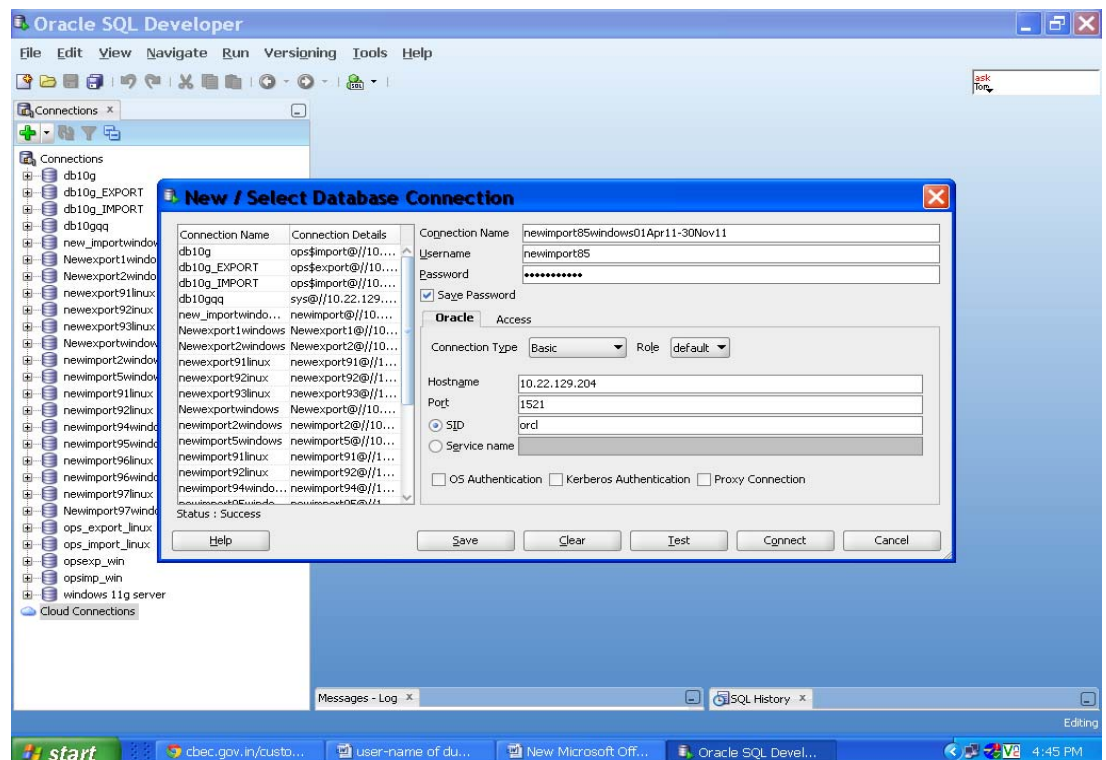
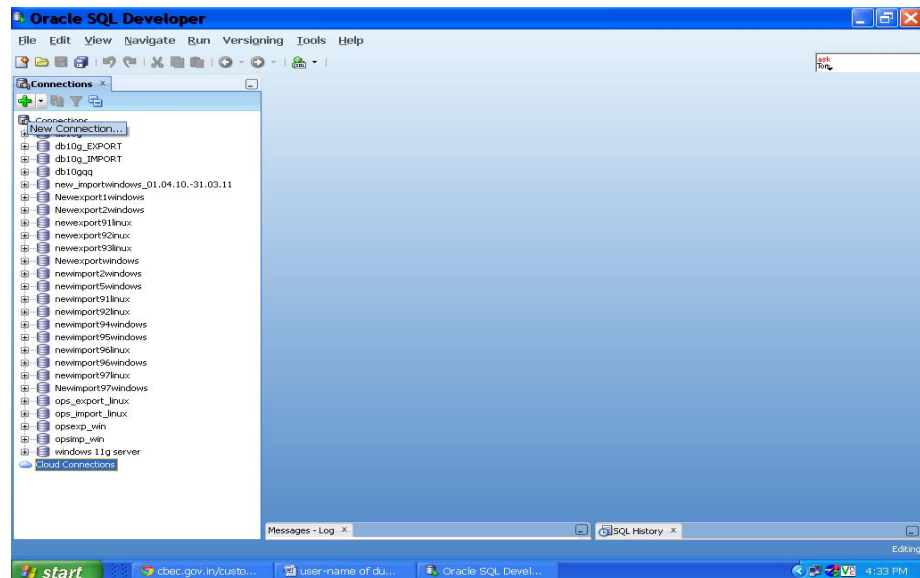
Select count (distinct SB_NO) from C_ITEMS;

अनुबंध 10 (संदर्भ पैरा 18.5.3)

ऑरकल डाटाबेस के साथ सम्बद्धता

संबंधित प्रशासनिक पासवर्ड का उपयोग करते हुए इम्पोर्ट डाटाबेस या एक्सपोर्ट डाटाबेस को सम्बद्ध करना।

दोनों डाटाबेस आपके स्क्रीन पर बाएं तरफ मीनू में दिखाई देंगे।

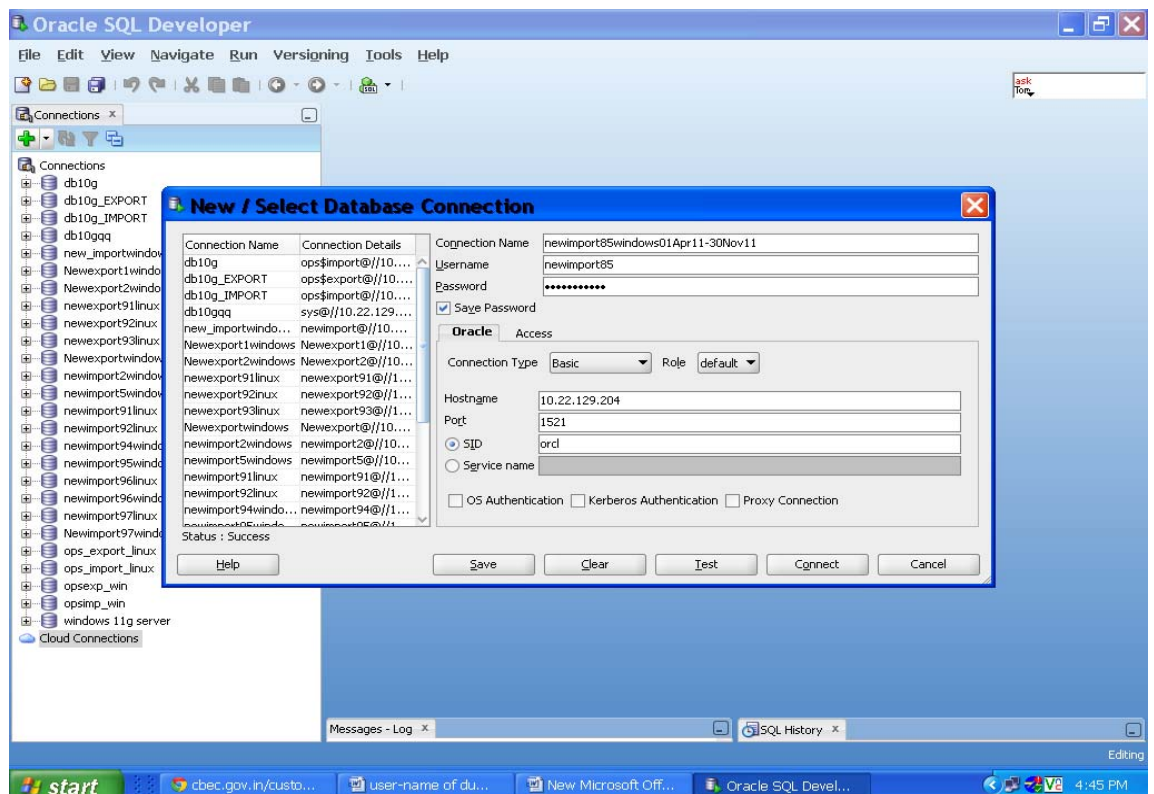
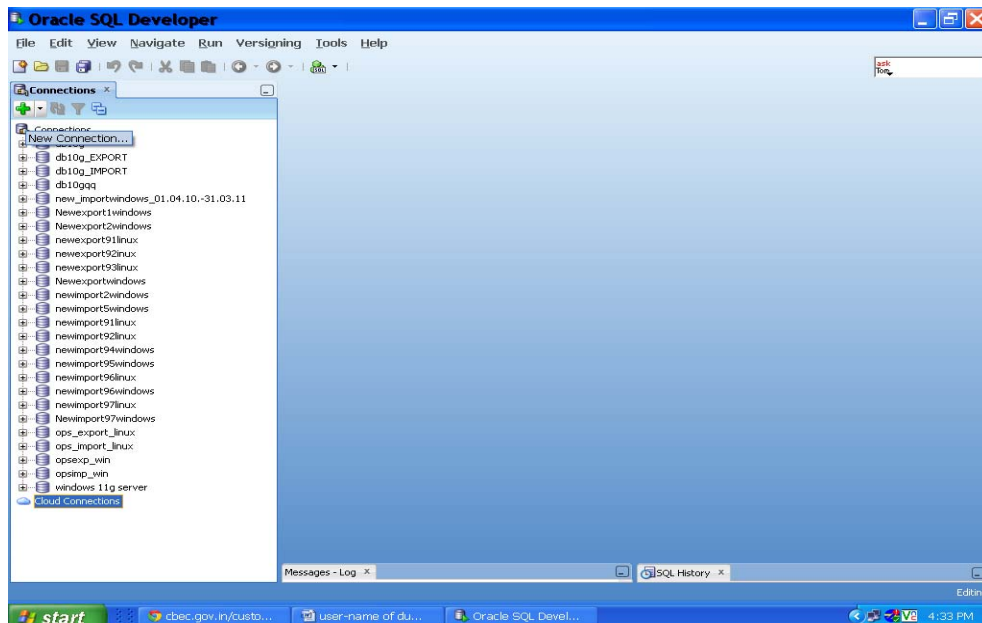


ANNEXURE 10 (Ref. Para 18.5.3)

CONNECTIVITY WITH ORACLE DATABASE

Connect to import data base or exports data base using the respective administrative password.

Both the databases would appear in a menu on the left of your screen.

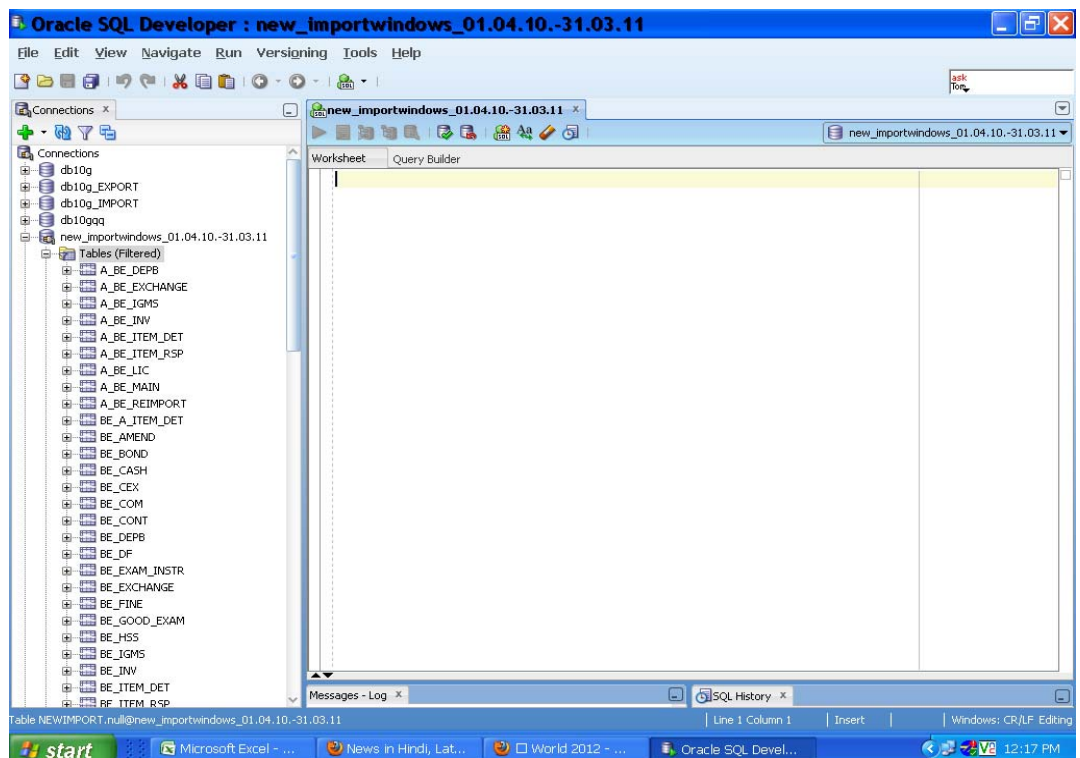


एसक्यूएल डेवलपर का उपयोग करते हुए टेबल्स और टेबल अवसंरचना को समझाना

फील्ड अवसंरचना के साथ फील्ड विवरण चयनित टेबल पर दाई और क्लिक द्वारा उपलब्ध है

डॉटाबेस में सभी टेबलों की सूची दिखाई जाती है और स्क्रीन की दाई तरफ दो टैब (वर्क शीट और क्वेरी बिल्डर) दिखाई देंगे।

टेबल की सूची

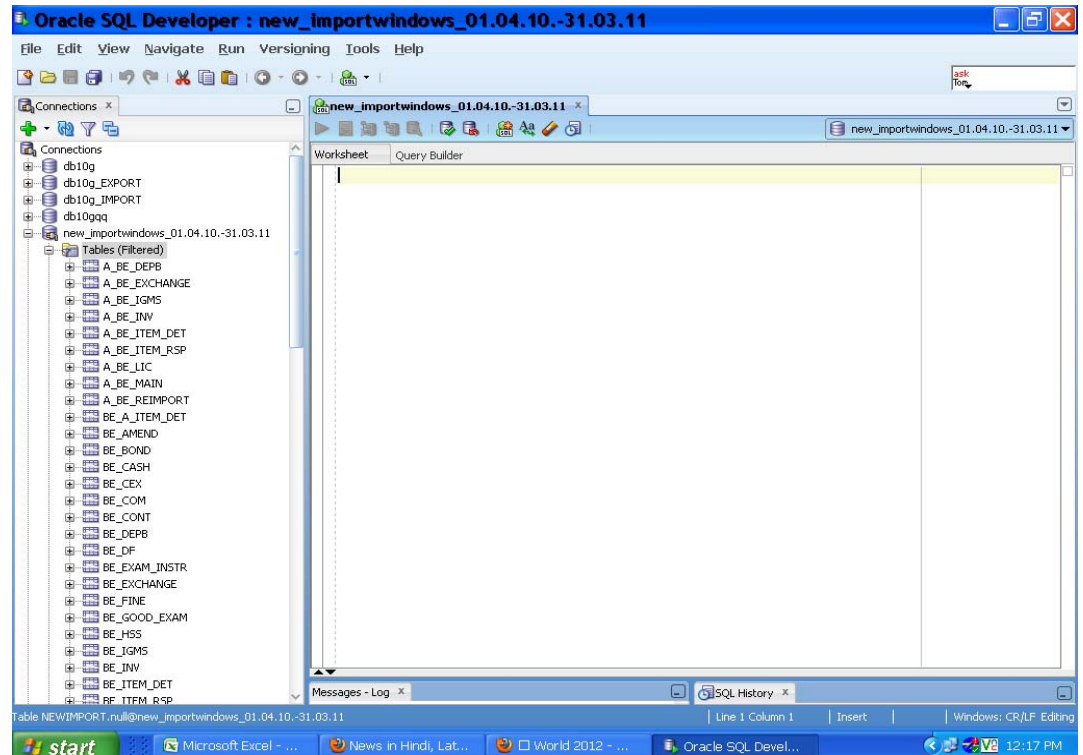


Understanding the Tables and the Table Structure using SQL Developer

Field description with field structure is available on right clicking the selected table

A list of all the tables in the data base will appear and on the left side of the screen two tabs (Work sheet and Query builder) will appear.

LIST OF TABLES



टेबल अवसंरचना

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface with the table structure of BE_STATUS displayed in the main window. The table has 24 columns with various data types and constraints.

NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	NUMBER (7,0)	Yes	(null)		1 Job Number
2	NUMBER (4,0)	Yes	(null)		2 Job Year
3	DATE	Yes	(null)		3 DATA ENTRY START DATE
4	NUMBER (7,0)	Yes	(null)		4 BE Number
5	DATE	Yes	(null)		5 BE Date
6	VARCHAR2 (2 BYTE)	Yes	(null)		6 BE CLASS CODE N,S,AN,PN
7	VARCHAR2 (4 BYTE)	Yes	(null)		7 BE TYPE (H/M/X) HOME/WAREHOUSE/EX-BOND
8	VARCHAR2 (20 BYTE)	Yes	(null)		8 STATUS CODE OF BE 1 PENDING ETC
9	VARCHAR2 (1 BYTE)	Yes	(null)		9 LATEST MESSAGE QUERY/MESSAGE
10	NUMBER (4,0)	Yes	(null)		10 SERIAL NUMBER IN STATUS TABLE
11	VARCHAR2 (3 BYTE)	Yes	(null)		11 LATEST SECTION CODE
12	VARCHAR2 (8 BYTE)	Yes	(null)		12 AC/DC ID
13	VARCHAR2 (8 BYTE)	Yes	(null)		13 APPRAISER ID
14	VARCHAR2 (8 BYTE)	Yes	(null)		14 INTERNAL AUDITOR ID
15	VARCHAR2 (8 BYTE)	Yes	(null)		15 CASH OFFICER ID
16	VARCHAR2 (8 BYTE)	Yes	(null)		16 SUPERINTENDENT ID
17	VARCHAR2 (8 BYTE)	Yes	(null)		17 INSPECTOR ID
18	VARCHAR2 (8 BYTE)	Yes	(null)		18 SHED ASSISTANT COLLECTOR ID
19	DATE	Yes	(null)		19 DATE OF COMPLETION OF APPRAISING
20	DATE	Yes	(null)		20 DATE OF COMPLETION OF AUDITING
21	DATE	Yes	(null)		21 DATE OF COMPLETION OF EXAMINATION
22	DATE	Yes	(null)		22 DATE OF COMPLETION OF OUT OF CHARGE
23	DATE	Yes	(null)		23 DATE OF COMPLETION OF RELEASE ATGATE
24	DATE	Yes	(null)		24 DATE OF ACL WORK COMPLETION

डाटा मंगवाने के लिए संबंधित टेबल्स को जोड़ना

टेबल मीनू सूचि पर टेबलस की सूचि मे से टेबल (जैसाकि बीई-मेन, बीई-आइटम-डीइटी आदि) का चयन करें जिस पर माप काम करना चाहते हैं, इसे लाकर क्वेरी बिल्डर टैब में डाल दें।

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface with the Query Builder window open. Two tables, BE_STATUS and BE_ITEM, are selected and their columns are listed in the main area. The BE_STATUS table has columns: BE_NO, BE_DT, CUS_SITE, JOB_NO, JOB_YR, DES_DT, CC, TYP, STATUS, MESSAGE_TYPE, SLNO, SEC_CD, ACL_ID, APR_ID, IAD_ID. The BE_ITEM table has columns: BE_NO, BE_DT, INV_NO, ITEM_NO, CUS_SITE, CC, TYP, JOB_NO, JOB_YR, SECTION, NOU, UGC, RITC_CD, SVB_NO, SVB_DT.

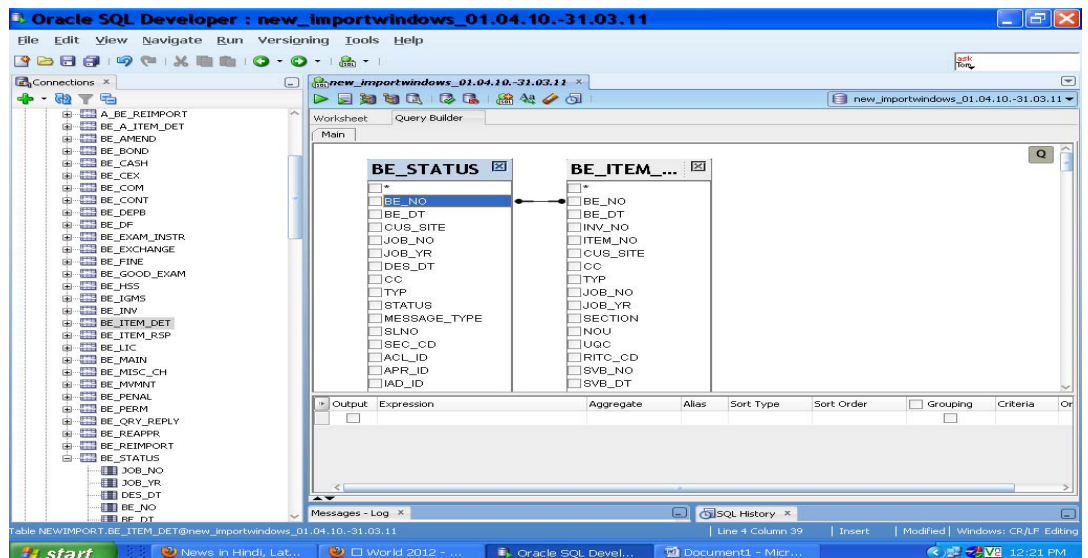
TABLE STRUCTURE

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface with the 'BE_STATUS' table structure displayed in the 'Columns' tab. The table has 25 columns with the following details:

AME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	NUMBER(7,0)	Yes	(null)	1	Job Number
2	NUMBER(4,0)	Yes	(null)	2	Job Year
3	DATE	Yes	(null)	3	DATA ENTRY START DATE
4	NUMBER(7,0)	Yes	(null)	4	BE Number
5	DATE	Yes	(null)	5	BE Date
6	VARCHAR2(2 BYTE)	Yes	(null)	6	BE CLASS CODE N,S,AN,PN
7	VARCHAR2(4 BYTE)	Yes	(null)	7	BE TYPE (H/W/X) HOME/WAREHOUSE/EX-BOND
8	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	8	STATUS CODE OF BE 1 PENDING ETC
9	VARCHAR2(1 BYTE)	Yes	(null)	9	LATEST MESSAGE QUERY/MESSAGE
10	NUMBER(4,0)	Yes	(null)	10	SERIAL NUMBER IN STATUS TABLE
11	VARCHAR2(3 BYTE)	Yes	(null)	11	LATEST SECTION CODE
12	VARCHAR2(8 BYTE)	Yes	(null)	12	AC/DC ID
13	VARCHAR2(8 BYTE)	Yes	(null)	13	APPRAISER ID
14	VARCHAR2(8 BYTE)	Yes	(null)	14	INTERNAL AUDITOR ID
15	VARCHAR2(8 BYTE)	Yes	(null)	15	CASH OFFICER ID
16	VARCHAR2(8 BYTE)	Yes	(null)	16	SUPERINTENDENT ID
17	VARCHAR2(8 BYTE)	Yes	(null)	17	INSPECTOR ID
18	VARCHAR2(8 BYTE)	Yes	(null)	18	SHED ASSISTANT COLLECTOR ID
19	DATE	Yes	(null)	19	DATE OF COMPLETION OF APPRAISING
20	DATE	Yes	(null)	20	DATE OF COMPLETION OF AUDITING
21	DATE	Yes	(null)	21	DATE OF COMPLETION OF EXAMINATION
22	DATE	Yes	(null)	22	DATE OF COMPLETION OF OUT OF CHARGE
23	DATE	Yes	(null)	23	DATE OF COMPLETION OF RELEASE ATGATE
24	DATE	Yes	(null)	24	DATE OF ACL WORK COMPLETION
25	DATE	Yes	(null)	25	DATE OF CASE PAYMENT

LINKING OF RELATED TABLES FOR DATA EXTRACTION

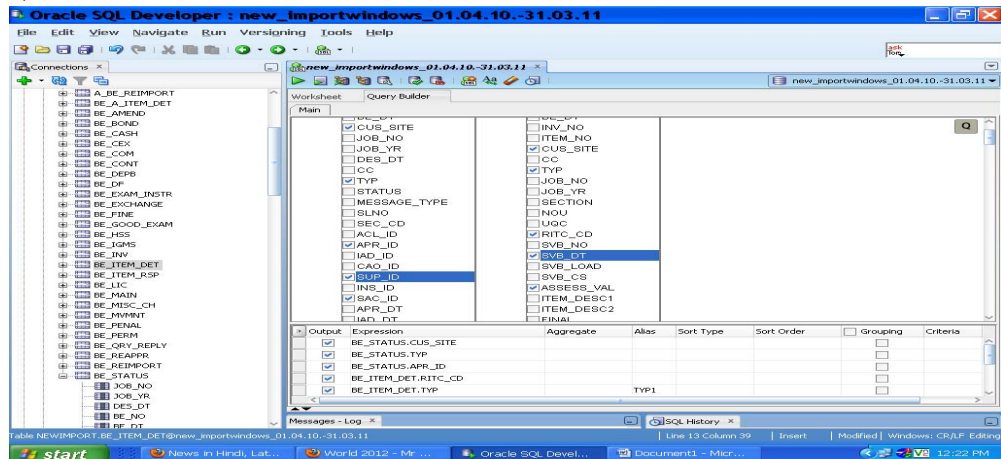
Select the table (such as BE_MAIN, BE_ITEM_DET etc) on which you want to work on from the list of tables on the table menu list, drag and drop it on the query builder tab.



अनुबंध 11 (सन्दर्भ 18.5.3)

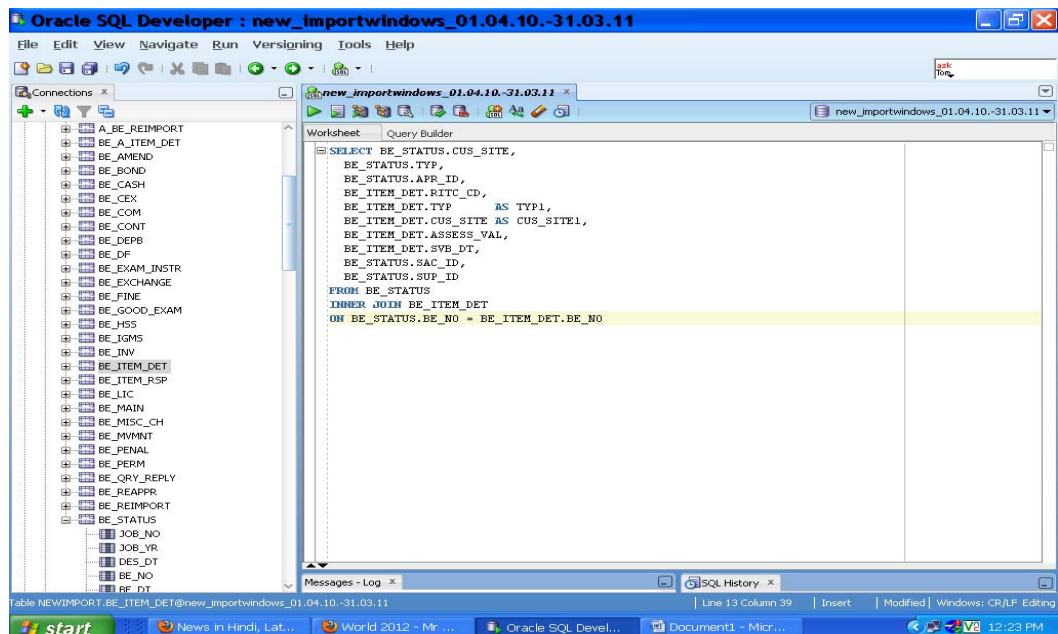
डॉटा सार के लिए फील्ड का चयन करना

टेबल के सभी कॉलम (फील्ड) बॉक्स के साथ दिखाई देंगे जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं उस बॉक्स पर क्लिक करें।



कार्यविधि से क्वेरी बिल्डर टैब स्वतः वर्कशीट टैब में दिखाई देगा।

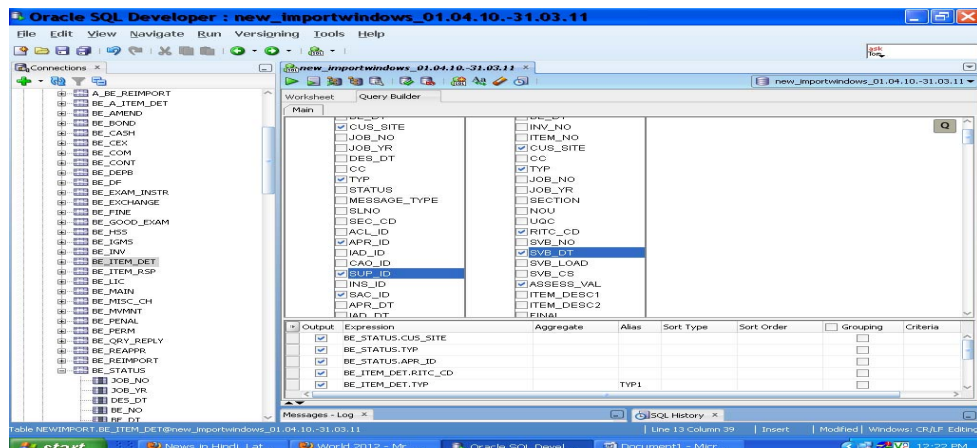
इस टैब में आप अपनी क्वेरी की शर्तों को लिखेंगे। आप सरलता से अपने क्वेरिंग टैब से फील्ड को कॉपी करके और इसमें पेस्ट कर सकते हैं। यह करने के बाद प्रोसेसिंग को शुरू करने के लिए ग्रीन ट्रायएंगल बटन को क्लिक करें। जब तक सभी ऑकड़े आ नहीं जाते तब तक इन्तजार करें। एक अधिसूचना 'आल रॉज (रॉज की संख्या) फैचड' दिखाई देगी। फील्ड के साथ सभी रिकॉर्ड दिखाई देंगे।



ANNEXURE 11 (Ref. Para 18.5.3)

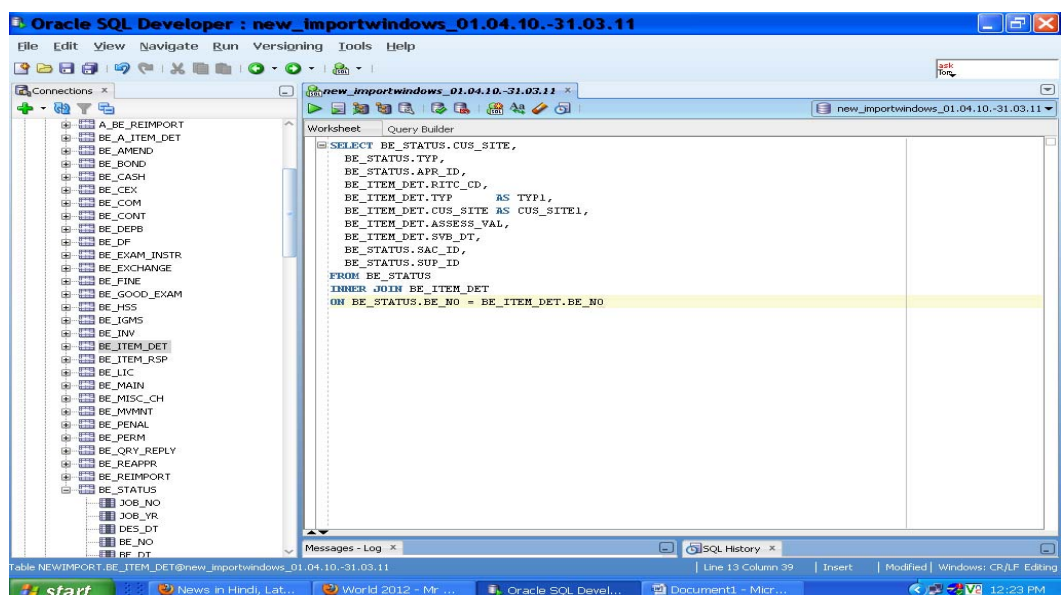
SELECTING FIELDS FOR DATA EXTRACTION

All the coloums (Fields) of the table will appear with a box. Click the boxes which you want to query.

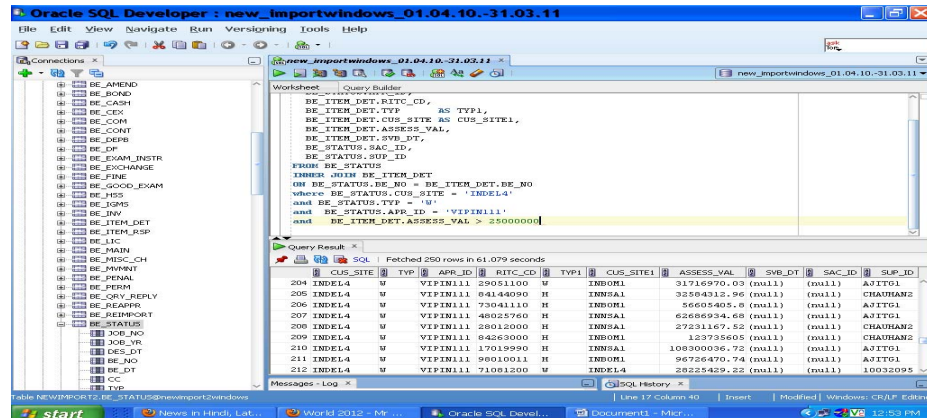


Processes carried out Query Builder Tab appears automatically in Worksheet Tab.

In this tab you will write the conditions of your query. You can simply copy the field from your querying tab and paste it. On finishing click the green triangular button to start the processing. Wait till all the records are fetched. A notification “All rows (number of rows) fetched” will appear. All records with field will also appear.

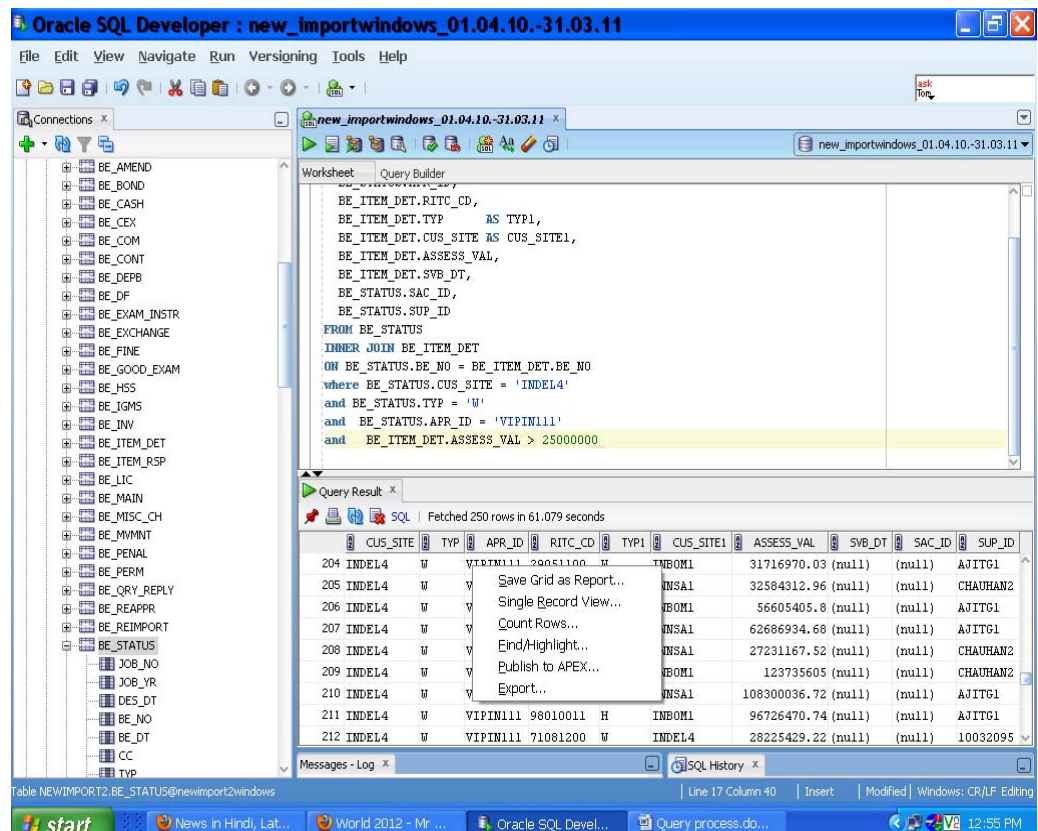


डॉटाबेस की क्वेरिंग



एक्सेल में एक्सपोर्टिंग और परिणाम बचा कर रखना

एक्सपोर्ट को दाई ओर क्लिक करें और एक्सेल फॉर्मेट में सार डॉटा को बचा कर रखें। एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ड्राप डाऊन मीनू से एक्सेल 2003 के लिए एक्सएलएस या एक्सेल 2007 के लिए एक्सएसएलएस का चयन करें।



QUERYING THE DATABASE

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists various database connections. The 'Worksheet' pane in the center contains a SQL query. The 'Query Result' pane at the bottom displays the results of the query, which is a table with 10 columns: CUS_SITE, TYP, APR_ID, RITC_CD, TYP1, CUS_SITE1, ASSESS_VAL, SVB_DT, SAC_ID, and SUP_ID. The results show 10 rows of data.

CUS_SITE	TYP	APR_ID	RITC_CD	TYP1	CUS_SITE1	ASSESS_VAL	SVB_DT	SAC_ID	SUP_ID
204 INDEL4	W	VIPIN111	29051100	W	INBOM1	31716970.03 (null)	(null)	(null)	AJITG1
205 INDEL4	W	VIPIN111	84144090	H	INNSA1	32584312.96 (null)	(null)	(null)	CHAUDHAN2
206 INDEL4	W	VIPIN111	73041110	H	INBOM1	56605405.8 (null)	(null)	(null)	AJITG1
207 INDEL4	W	VIPIN111	48025760	H	INNSA1	62686934.68 (null)	(null)	(null)	AJITG1
208 INDEL4	W	VIPIN111	28012000	H	INNSA1	27231167.52 (null)	(null)	(null)	CHAUDHAN2
209 INDEL4	W	VIPIN111	84263000	H	INBOM1	123735605 (null)	(null)	(null)	CHAUDHAN2
210 INDEL4	W	VIPIN111	17019990	H	INNSA1	108300036.72 (null)	(null)	(null)	AJITG1
211 INDEL4	W	VIPIN111	98010011	H	INBOM1	96726470.74 (null)	(null)	(null)	AJITG1
212 INDEL4	W	VIPIN111	71081200	W	INDEL4	28225429.22 (null)	(null)	(null)	10032095

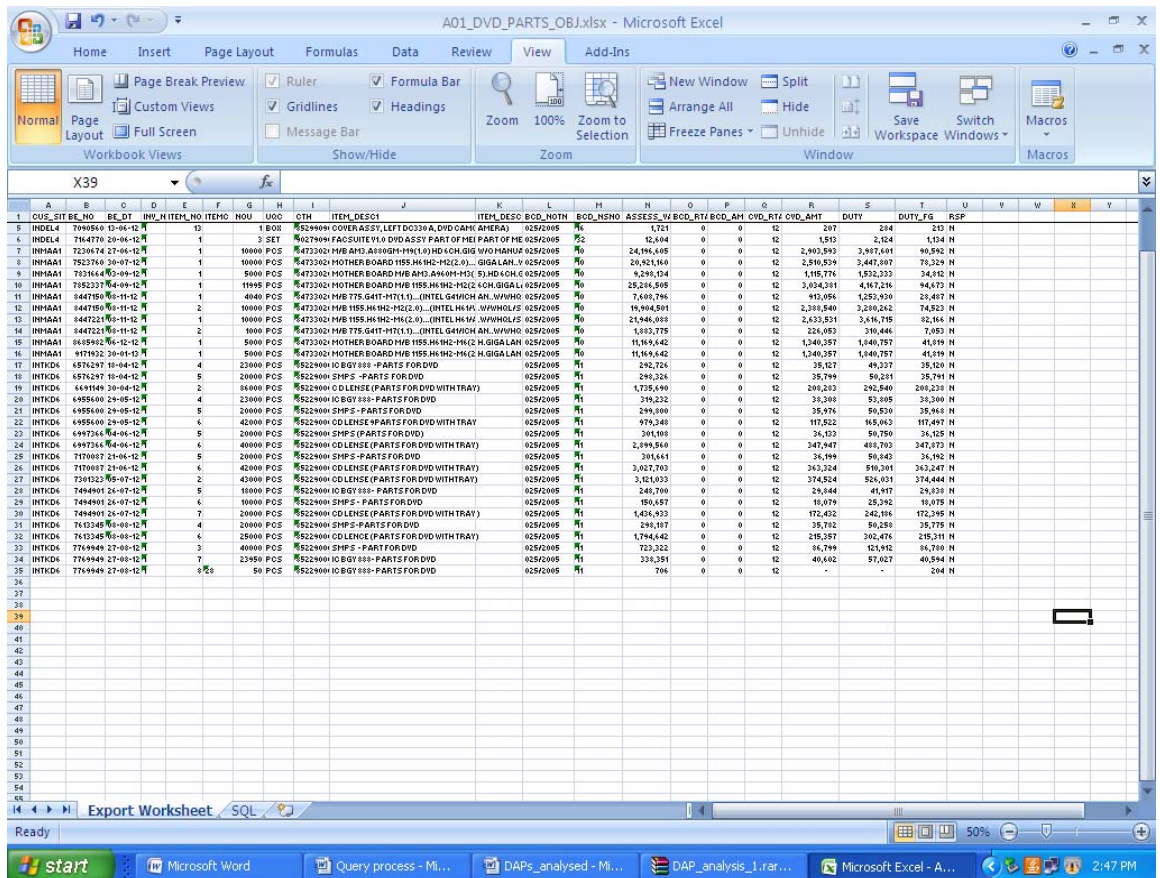
EXPORTING AND SAVING THE RESULT IN EXCEL

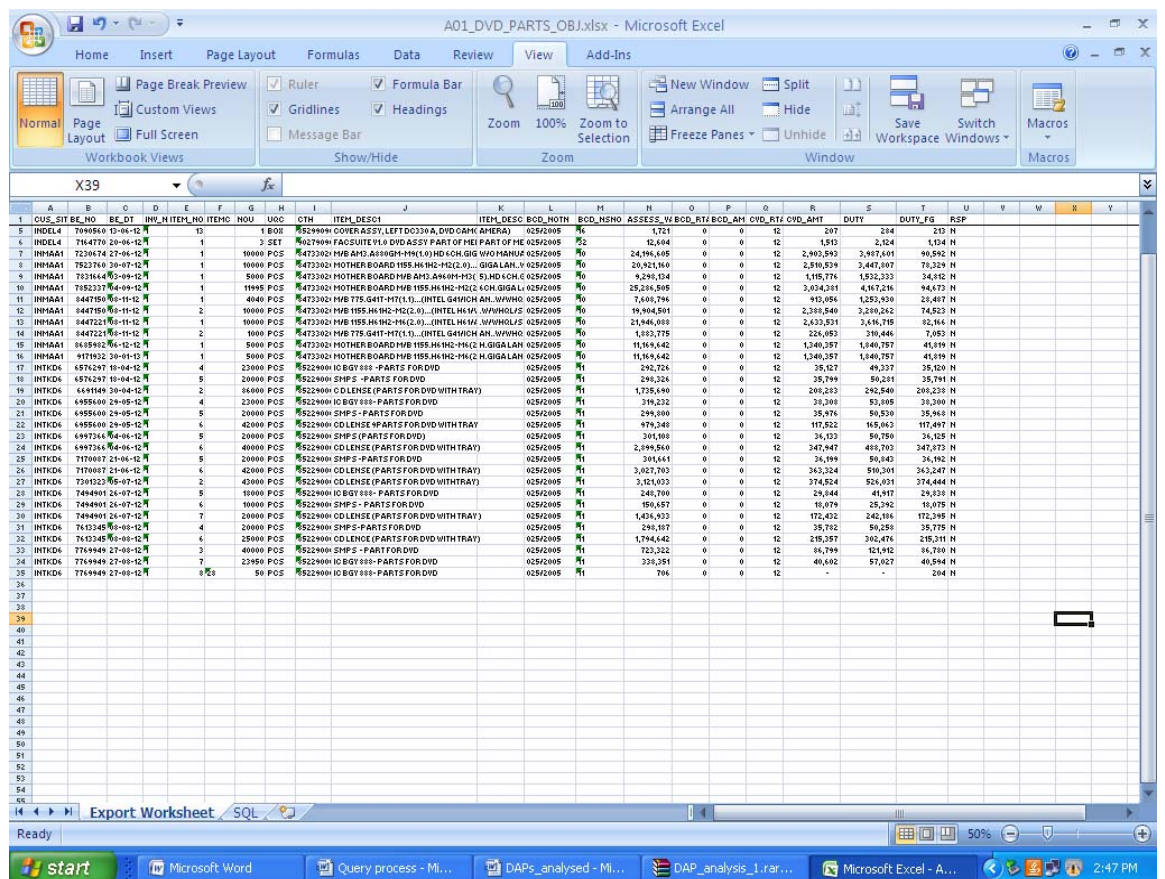
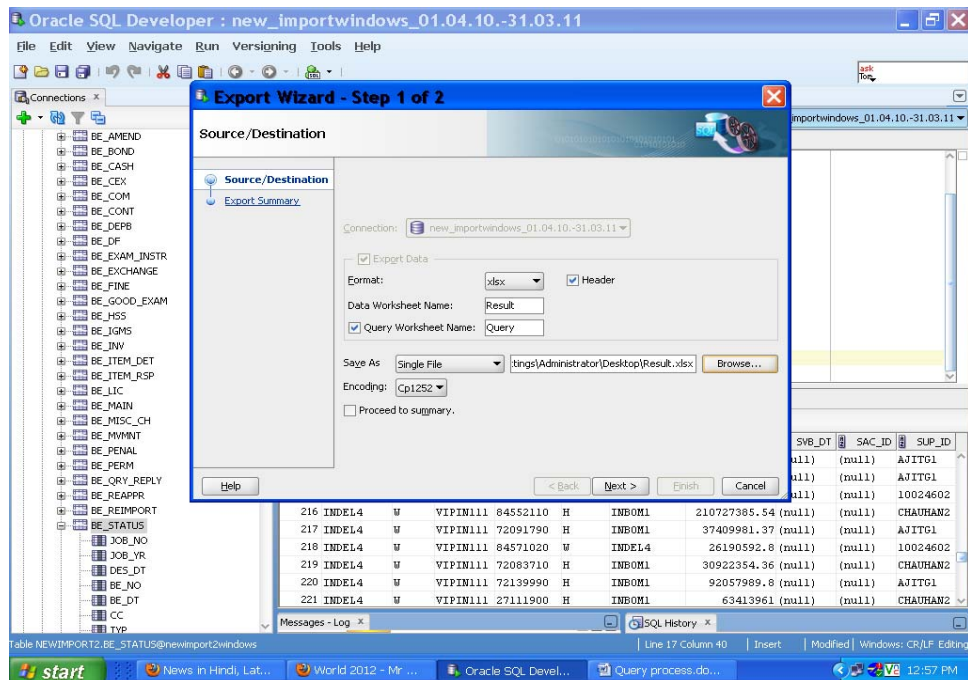
Right click to export and save the extracted data in excel format.

A dialogue box will appear, select xls for excel 2003 or xsls for excel 2007 from the drop down menu.

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface with the same query and results as the previous image. A right-click context menu is open over the 'Query Result' table, showing options like 'Save Grid as Report...', 'Single Record View...', 'Count Rows...', 'Find/Highlight...', 'Publish to APEX...', and 'Export...'. The 'Export...' option is highlighted.

CUS_SITE	TYP	APR_ID	RITC_CD	TYP1	CUS_SITE1	ASSESS_VAL	SVB_DT	SAC_ID	SUP_ID
204 INDEL4	W	VIPIN111	29051100	W	INBOM1	31716970.03 (null)	(null)	(null)	AJITG1
205 INDEL4	W	VIPIN111	84144090	H	INNSA1	32584312.96 (null)	(null)	(null)	CHAUDHAN2
206 INDEL4	W	VIPIN111	73041110	H	INBOM1	56605405.8 (null)	(null)	(null)	AJITG1
207 INDEL4	W	VIPIN111	48025760	H	INNSA1	62686934.68 (null)	(null)	(null)	AJITG1
208 INDEL4	W	VIPIN111	28012000	H	INNSA1	27231167.52 (null)	(null)	(null)	CHAUDHAN2
209 INDEL4	W	VIPIN111	84263000	H	INBOM1	123735605 (null)	(null)	(null)	CHAUDHAN2
210 INDEL4	W	VIPIN111	17019990	H	INNSA1	108300036.72 (null)	(null)	(null)	AJITG1
211 INDEL4	W	VIPIN111	98010011	H	INBOM1	96726470.74 (null)	(null)	(null)	AJITG1
212 INDEL4	W	VIPIN111	71081200	W	INDEL4	28225429.22 (null)	(null)	(null)	10032095





अनुबंध 12
(संदर्भ पैरा 18.5.3)

फॉर्मेट जिसमें केडी को रखा जाना है
(एक दृष्टांत)

डॉटा स्रोत एवं विश्लेषण तंत्र

अभिलेख को ऑरकल एसक्यूएल डेवलपर 3.1-(3.1.07.42) का उपयोग करते हुए सार में रखा गया है। डाटा को ऑरकल डॉटाबेस 11जी (11.2.0.2.2.0) में स्टोर किया गया था। डीजी (प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन) द्वारा दी गई 1.4.2012 और 31.3.2013 के बीच पड़ने वाली प्रभार मुक्त तिथि के लिए आईसीएस 1.5 इम्पोर्ट डाटा को दो रूप रेखाओं आइएमपी 4(अप्रैल 12-जनवरी 13) और आइएमपी 5ए (फरवरी 13-मार्च13) में स्टोर किया गया है। आइटम टेबल दो टेबलों से डाटा को सम्मिलित करने के लिए बनाई गई हैं [बीई-आइटम-डीईटी के अभिलेख जोकि बीई-ए-आइटम-डीईटी से आशोधित (अर्थात शुन्य युनियन अभिलेख नहीं है, जो डॉटा के लिए संशोधित टेबल है जिन्हे पहली टेबल में आशोधित किया गया]

समस्या विवरण: अधिसूचना सं. 25/2005 (क्र. सं. 11) दिनांक 1 मार्च 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

डीवीडी के पार्टस सीटीएच 85229000 के अन्तर्गत वर्गीकरणयोग्य है और बीसीडी अधिसूचना सं. 25/2005 दिनांक 1 मार्च 2005 (क्र.सं. 11) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है और 10% बीसीडी के लिए प्रभार्य हैं।

क्वेरी: अभिलेखों को सार बनाना जहां “ डीवीडी पार्ट” को बीसीडी- अधिसूचना 25/2005 के अन्तर्गत छूट दी गई है।

एसक्यूएल क्वेरी:

सिलेक्ट कस-साईट,बीई-नो, बीई-डीटी, आइएनवी-एनओ, आइटम, एनओयू, यूक्यूसी, सीटीएच, आइटम-डीइएससी1, आइटम-डीइएससी2, बीसीडी एनओटीएन, बीसीडी-एनएसएनओ, ऐसेस- वीएएल, बीसीडी-आरटीए, बीसीडी एएमटी, सीवीडी,- आरटीए, सीवीडी एएमटी,शुल्क,शुल्क-एफजी, आइएमपी 4 से आरएसपी, आइटम वेयर (आइटम-डीइएससी 1\आइटीइएस-डीइएससी 2 लाईक % डीवीडी % पार्ट % या आइटम- डीइएससी1\ आइटम डीइएससी 2 लाईक % पार्ट % डीवीडी %)

और बीसीडी एनओटीएन ='025/2005' युनियन

ANNEXURE 12

(Ref. Para 18.5.3)

FORMAT IN WHICH KD IS TO BE KEPT

(An example)

Data source and analysis tool

*Record has been extracted using Oracle SQL developer 3.1 - (3.1.07.42). Data was stored in Oracle Database 11g (11.2.0.2.0). ICES 1.5 Import data for the out of charge date falling between 1.4.2012 and 31.3.2013 provided by DG (Sys & Data Management) are stored in two schemas imp4 (April'12-Jan'13) and imp5a (Feb'13-Mar'13). ITEM tables are created to amalgamate data from two tables [records from **BE_ITEM_DET** which are not MODIFIED (i.e. NULL) union records from **BE_A_ITEM_DET**, which is amended table for data that are modified in first table]*

Problem Description: *Short levy of duty due to incorrect grant of notification benefit under notification No. 25/2005 (Sl. No. 11) dated 1 March 2005*

Parts of DVD are classifiable under CTH 85229000 and are not eligible for exemption under BCD notification no. 25/2005 dated 1 March 2005 (serial no.11) and chargeable to BCD @10%.

Query: to extract records where “DVD PART” are given exemption under BCD_NOTN 25/2005.

SQL Query:

```
select cus_site, be_no, be_dt, Inv_no, item_no, itemc, nou, uqc, cth,
item_desc1, item_desc2,
bcd_notn, bcd_nsno, assess_val, bcd_rta, bcd_amt, cvd_rta, cvd_amt,
duty, duty_fg, rsp
from imp4.ITEM
where (item_desc1||item_desc2 like '%DVD%PART%'
or item_desc1||item_desc2 like '%PART%DVD%')
and bcd_notn = '025/2005'
union
```

सिलेक्ट कस-साईट,बीई-नो, बीई-डीटी, आइएनवी-एनओ, आइटम, एनओयू, यूक्यूसी, सीटीएच, आइटम-डीइएससी1, आइटम-डीइएससी2, बीसीडी एनओटीएन, बीसीडी-एनएसएनओ, ऐसेस- वीएएल, बीसीडी-आरटीए, बीसीडी एएमटी, सीवीडी,- आरटीए, सीवीडी एएमटी, शुल्क, शुल्क-एफजी, आरएसपी, आइटम

वेयर (आइटम-डीइएससी 1\आइटीइएस-डीइएससी 2 लाईक% डीवीडी % पार्ट % या आइटम- डीइएससी1\ आइटम डीइएससी 2 लाईक % पार्ट% डीवीडी %)

और बीसीडी एनओटीएन =' 025/2005'

परिणाम: 34 आयातों में गलत छूटों को गलत तरीके से छूट के लाभ दिए गए थे (चित्र देखें)।

आइसीइएस 1.5', एसएसओआईडीज/एमटीआर/एसटीएटी/ एमआईएस का उपयोग करने वाले सीआरए मॉड्यूल और यथावत लिंक के माध्यम से ; इसका बीइज एसबीज, स्कीम फाईलों की प्रत्यक्ष संवीक्षा द्वारा पालन किया जाना है।

```

select cus_site, be_no, be_dt, Inv_no, item_no, itemc, nou, uqc, cth,
item_desc1, item_desc2,
bcd_notn, bcd_nsno, assess_val, bcd_rta, bcd_amt, cvd_rta, cvd_amt,
duty, duty_fg, rsp
from imp5a.item
where (item_desc1||item_desc2 like '%DVD%PART%'
or item_desc1||item_desc2 like '%PART%DVD%')
and bcd_notn = '025/2005';

```

Result: In 34 imports incorrect exemption was allowed the benefit of the exemption wrongly (see image).

This is to be followed by physical scrutiny of BEs, SBs, Scheme files; through ICES 1.5's, CRA module using SSOIDs/MTR/STAT/MIS and duly linked.

अनुबंध 13
(संदर्भ पैरा 24.3)

महानिदेशक लेखापरीक्षा/ प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) के बीच सीमा शुल्क राजस्व लेखापरीक्षा कार्य का आबंटन

क्र. सं.	डीजीए/पीडीए (केंद्रीय) के नाम	लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र
1.	महानिदेशक लेखापरीक्षा केंद्रीय (प्राप्ति) /केंद्रीय (व्यय), दिल्ली	दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।
2.	महानिदेशक लेखापरीक्षा केंद्रीय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, दूसरे पूर्वोत्तर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार।
3.	महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) मुम्बई	महाराष्ट्र और गोवा।
4.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), अहमदाबाद	गुजरात, राजस्थान, और संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव ए और दादरा एवं नगर हवेली।
5.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), बैंगलूरु	कर्नाटक।
6.	महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चेन्नई	तमिलनाडु, केरल और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी।
7.	महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़।
8.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा।
9.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), लखनऊ	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड।

ANNEXURE 13

(Ref. Para 24.3)

Distribution of Customs Revenue Audit work amongst Director General of Audit/Principal Director of Audit (Central)

Sl. No	Name of DGA/PDA (Central)).	Audit Jurisdiction
1.	Director General of Audit Central (Receipts)/Central (Expenditure), Delhi.	Delhi, Madhya Pradesh and Chhattisgarh.
2.	Director General of Audit, Central, Kolkata	West Bengal, Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland, Sikkim, Other N.E. States and U.T. of Andaman & Nicobar.
3.	Director General of Audit, (Central), Mumbai	Maharashtra and Goa.
4.	Principal Director of Audit (Central), Ahmedabad.	Gujarat, Rajasthan and U.T. of Daman & Diu Dadra & Nagar Haveli.
5.	Principal Director of Audit (Central), Bengaluru.	Karnataka.
6.	Director General of Audit (Central), Chennai	Tamilnadu, Kerala & U. T. of Puducherry.
7.	Director General of Audit (Central), Chandigarh.	Punjab, Haryana, H.P., J&K, and U.T. Chandigarh
8.	Principal Director of Audit (Central), Hyderabad.	Andhra Pradesh and Odisha
9.	Principal Director of Audit (Central), Lucknow.	U.P., Uttarakhand, Bihar & Jharkhand.

अनुबंध 14
(संदर्भ पैरा 28.2.2.2)

**सीमा शुल्क प्राप्तियों और प्रतिदायों के राजस्व अभिलेखों की लेखापरीक्षा
निरीक्षण रिपोर्ट का मुखपृष्ठ**

भाग- I

- 1 निरीक्षण किए गए विभाग/कार्यालय का नाम
- 2 निरीक्षण किए गए लेखाओं की अवधि
- 3 विभिन्न उप शीर्षों और विस्तृत शीर्षों के अन्तर्गत
वार्षिक सीमा शुल्क राजस्व
- 4 निरीक्षण करने वाले सहायक लेखापरीक्षा
अधिकारियों और लेखापरीक्षकों के नाम
- 5 पर्यवेक्षण अधिकारी का नाम और पदनाम
- 6 यदि पिछली निरीक्षण रिपोर्टों के 'अगली
लेखापरीक्षा एवं बकाया आपत्तियों के लिए
चिन्हित सभी पहलुओं के यथास्थान निपटान के
लिए समीक्षा की गई है। यदि जांच के लिए
अधिग्रहण ग्रुप या दूसरे केंद्रीय लेखापरीक्षा ग्रुप से
प्राप्त बिन्दुओं पर चर्चा की गई थी और उनका
निपटान किया गया था।
- 7 इस रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों का कुल
निधि मूल्य
 - क) शुल्क का अवनिर्धारण या अधिक प्रतिदाय (पैराओं में) ₹.....
 - ख) राजस्व की हानि (पैराओं में) ₹.....
 - ग) शुल्क का अधिक निर्धारण या कम प्रतिदाय (पैराओं में) ₹.....
 - घ) विविध आपत्तियां (पैराओं में) ₹.....
 - ङ) राजस्व से दावों में छूट (पैराओं में) ₹.....
 - च) लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर की गई (पैराओं में) ₹.....
मांग
 - छ) लेखापरीक्षा के आधार पर उदग्रहण की गई (पैराओं में) ₹.....
राशि

ANNEXURE 14
(Ref.Para 28.2.2.2)

**TITLE SHEET TO THE INSPECTION REPORT OF THE AUDIT
OF REVENUE RECORDS OF CUSTOMS
RECEIPTS AND REFUNDS**

PART - I

- 1 Name of the Department/ Office inspected
- 2 Period of Accounts inspected
- 3 Annual Customs Revenue under various
sub-heads and detailed heads
- 4 Names of the Inspecting Asstt. Audit
Officers and the Auditors
- 5 Name & designation of the Supervising
Officer
- 6 Whether all the points marked for 'next
Audit & outstanding objections of the
previous Inspection Reports have been
reviewed for settlement on the spot.
Whether points received from requisition
group or other central audit group for
examination were discussed and settled.
- 7 Total money value of objections raised in
this report.
 - a) Under-assessment of duty or excess (in paras) Rs.
refund
 - b) Loss of revenue (in paras) Rs.
 - c) Over-Assessment of duty or short (in paras) Rs.
refund
 - d) Miscellaneous objections (in paras) Rs.
 - e) Abatement of claims to revenue (in paras) Rs.
 - f) Demands raised on the basis of audit (in paras) Rs.
objection
 - g) Amount realized at the instance of (in paras) Rs.
audit

- 8 क्या लेखापरीक्षा द्वारा किसी धोखाधड़ी/गबन का पता लगाया गया है, यदि ऐसा है, तो किस पैरा में।
- 9 क) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित करने के लिए आयुक्त सीबीईसी जीआई उपयुक्त पैरा
ख) आयुक्त सीबीईसी जी I के ध्यानाकर्षण के लिए उपयुक्त पैरा
- 10 लेखापरीक्षा:
i) शुरू होने की तारीख
ii) पूरा होने की तारीख
iii) प्राप्त हुई लेखापरीक्षा पूछताछ के उत्तर का अन्तिम बैच
- 11 मुख्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट की ड्राफ्ट प्रति प्रस्तुत करने की तारीख

- 8 Whether any fraud/embezzlement was detected by Audit, if so, in which para.
- 9 a) Paras fit for inclusion in the Audit Report
b) Paras fit for attention of Commissioner
CBEC
GI
- 10 Audit :
i) Date of Commencement
ii) Date of Completion
iii) Last batch of reply to audit query received on
- 11 Date of submission of the Draft copy of the Inspection Report to the Headquarters

भाग- II

12. प्रमाणित किया जाता है कि स्थानीय लेखापरीक्षा में संवीक्षा के लिए अनुभाग के आदेश में निर्धारित सभी रजिस्ट्रों और दूसरे दस्तावेजों को मंगाया गया था और उनकी जांच की गई थी। आपूरित न किए गए रजिस्ट्रों और दस्तावेजों को निरीक्षण रिपोर्ट के भाग-I में दर्शाया गया है। आपूरित न किए गए अधिनिर्णय फाइलों या लाईसेंस दस्तावेजों को एलएआर के लिए भाग I में दर्शाया गया है। दो सूचियां-एक रजिस्टर्स की एवं दूसरी जांचे गए दस्तावेजों की स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबंध क्रमशः I एवं II के रूप में संलग्न हैं। प्रतिशतता लेखापरीक्षा के लिए किए गए चयन और चयन के क्षेत्र में दस्तावेजों की सं. और चयनित दस्तावेजों के ब्यौरों को अनुबंध (III) में दर्शाया गया है।

टिप्पणी 1: सीमा शुल्क कमिशनरियों के विभिन्न विभागों में अनुरक्षित सभी रजिस्ट्रों के उद्देश्य और विभागीय आदेश में दर्शाए गए उद्देश्य एएओ/अधिग्रहण के पास उपलब्ध हैं।

कैम्प:

तारीख:

एएओ

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी की टिप्पणियां
.....

कैम्प

तारीख

व.प्र.अ./प्र.अ.

PART - II

12. Certified that all the Registers and other documents prescribed in the Sectional order for scrutiny in local audit were called for and examined. Registers and documents not supplied have been mentioned in Part – I of the Inspection Report. Adjudication files or licence documents not supplied have been highlighted in Part – I for the LAR. Two lists-one of Registers and the other for documents checked are enclosed as Annexure – I and II respectively to the LAR. The selection made for percentage audit and no. of documents in field of selection and details of documents selected are indicated in Annexure (III).

Note 1: Purpose of all the registers maintained in the various departments of the Customs Commissionerates and indicated in the Sectional order are available with the AAO/ Requisition.

Camp :

Date: AAO

Remarks of the Sr. Audit Officer/Audit Officer

Camp

Date Sr.AO/AO

भाग - III

13. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा(केंद्रीय)/निदेशक/उपनिदेशक द्वारा रिपोर्ट के अनुमोदन की तारीख

14. टंकण के लिए रिपोर्ट को भेजने की तारीख

15. निरीक्षण रिपोर्ट की सं. और तारीख

16. प्रोफार्मा

(i) विशिष्ट सामान्य अनियमितताएं जोकि विभाग/कार्यालय द्वारा किए गए उपायों के बावजूद अब भी विद्यमान हैं।

क्रम सं.	अनियमिताओं का स्वरूप	क्या रिपोर्टों में देखा गया है (एलएआर का पैरा सं. दें)	पिछली निरीक्षण यदि मौजूद हैं वर्तमान में (एलएआर का पैरा निर्धारण योग्य है सं. दें)	अब भी निधि मूल्य यदि वर्तमान में निर्धारण योग्य है सं. दें)
1	2	3	4	5

(ii) लेखापरीक्षा के लिए चयन के ब्यौरे (नमूना जांच के लिए दस्तावेजों की प्रत्येक श्रेणी के लिए)

क्रम सं.	रजिस्टर/ दूसरे दस्तावेज	दस्तावेजों की संख्या	लेखापरीक्षा की प्रतिशतता (पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा निर्धारित जहां सीएजी/डीए ने निर्धारित नहीं की है)
1	2	3	4

(iii)

(a) लेखापरीक्षित रजिस्ट्रों की ब्यौरे सहित सं. (अनुबंध I)

(b) लेखापरीक्षित दस्तावेजों की ब्यौरे सहित सं. (अनुबंध II)

टिप्पणी: प्रॉफोर्मा (ii) को **अनुबंध III** के रूप में संलग्न किया जाए, प्रॉफोर्मा (iii) (क) को **अनुबंध I** के रूप में और (iii) (ख) को **अनुबंध II** के रूप में।

PART - III

13. Date of approval of the Report by
Pr. Director of Audit (Central)/Director /Deputy Director
.....

14. Date of sending the report for typing

15. No. & date of the Inspection Report

16. **Proforma**

(i) Typical common irregularities which still persist in spite
of steps reported to have been taken by the Deptt./Office.

Sl. No.	Nature of irregularities	Whether noticed in previous Inspection (give para No. of the LAR)	If still persisting (give para No. of the LAR)	Money value if, assessable in the present
1	2	3	4	5

(ii) Details of selection for audit (for each category of documents
Subject to test check)

Sl. No.	Registers/ other documents	No. of documents	Per cent of audit (prescribed by Supervisory Officer where CAG/DA has not prescribed)
1	2	3	4

(iii)

(a) No. of Registers audited with details (**Annexure I**).

(b) No. of Documents audited with details (**Annexure II**).

Note: Proforma (ii) should be enclosed as **Annexure III**, Proforma (iii) (a) as **Annexure I** and (iii) (b) as **Annexure II**.

अनुबंध 15
(संदर्भ पैरा 28.2.2.4)
नियंत्रण रजिस्टर

क्रम सं.	युनिट का नाम	अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षा की तारीख और कार्यक्रम रजिस्टर की संदर्भ सं.	पार्टी से एलएआर प्राप्ति की तारीख	विवीक्षा के लिए प्रस्तुति की तारीख ले.परी./ एएओ/वएओ/एओ	समूह अधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख	एलएआर जारी करने की तारीख	एलएआर भाग IIए भाग IIबी, टीएन में पैरा के ब्यौरे (संक्षेप में)
1	2	3	4	5	6	7	8

ANNEXURE 15

(Ref. ara 28.2.2.4)

CONTROL REGISTER

Sl. No.	Name of unit	Dates of Audit as per approved programme and Reference No. to programme register	Date of receipt of LAR from Party	Date of submission for vetting	Date of approval by Group Officer	Date of issue of LAR	Details of para in LAR Part IIA, Part IIB, TAN (in brief)
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुबंध 16

(संदर्भ पैरा 28.3)

आपत्ति पुस्तिका (भाग -I)

सीमा शुल्क सदन माह के लिए आपत्ति पुस्तिका

क्रम सं.	माह जिसमें लेखापरीक्षा की गई थी	सीआरए मेमो/ टीएमेमो /स्थानीय मेमो एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ	मेमो एवं आयातक का पता	एसी (लेखापरीक्षा) (डीसी) (लेखापरीक्षा) आगे उत्तर के लिए जवाबदेह	संक्षेप में आपत्ति की प्रकृति	राशि
1	2	3	4	5	6	7

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण	जारी संदर्भों/प्राप्त उत्तरों की सं. और तारीख	पुष्ट मांग उठाने की तारीख	टिप्पणियां
8	9	10	11

टिप्पणी:

- आपत्ति पुस्तिका वर्षवार अनुरक्षित की जानी चाहिए। (बकाया आपत्तियों को वर्तमान आपत्ति पुस्तिका में ले जाया जाना चाहिए)।
- जब आपत्ति को बन्द किया या निपटाया जाता है तो उसके पश्चात तथ्य को रजिस्टर में कॉलम क्रम संख्या 11 में और प्रति संदर्भ का उल्लेख समायोजन रजिस्टर में किया जाना चाहिए।
- आपत्ति पुस्तक तीन भागों में है।
- आपत्ति पुस्तिका के भाग-I को प्रत्येक माह निम्नानुसार बंद किया जाना चाहिए:-

1. पिछला प्रारम्भिक शेष

मद राशि

छ: माह से अधिक के लिए बकाया आपत्ति की स्थिति

ANNEXURE 16

(Ref. Para 28.3)

OBJECTION BOOK (PART-I)

Objection Book for the month of ----- Custom House

Sl. No.	Month in Which audit was done.	Reference to CRA Memo/TA Memo/Local Audit report	Memo & Address of the importer	<u>A.C.(Audit)</u> D.C.(Audit) Responsible further reply.	Nature of objection in brief.	Amount
1	2	3	4	5	6	7

Classification for purpose of Audit Report.	No. & date of references issued/ replies received.	Date of raising of confirmed Demand.	Remarks
8	9	10	11

Notes:

1. The objection book should be maintained year-wise. (Outstanding objections should be carried over in the current objection book).
2. When the objection is dropped or settled, the fact there of should be noted in Col. 11 and cross reference to serial number in the adjustment register.
3. The objection book is in three parts.
4. Part – I of the objection book should be closed every month as under:-

1. Opening balance from previous

Item Amount

Position of objection outstanding for more than six months.

2. माह के दौरान (जोड़ी गई) आपत्तियां

मद की संख्या राशि

3. कुल

4. घटाएं: समायोजन रजिस्टर के
अनुसार माह के दौरान समायोजित राशि
(आपत्ति पुस्तिका-भाग II)

अथ शेष

जमा

कुल

5. अन्तिम शेष

प्रमाणित किया जाता है कि

माह के दौरान जारी एलएआर/टीए मेमो से
सभी आपत्तियों को आपत्ति पुस्तिका में
दर्ज किया गया है।

निकासी

अन्त शेष

वर्ष वार विवरण

अन्त शेष

2.	(Add) objections during the month.	No. of item	Amount
3.	Total		
4.	Less: Amount adjusted during the Opening Balance	_____	_____
	month as per adjustment register Addition	_____	_____
	(Objection Book – Part II) Total	_____	_____
5.	Closing balance Clearance	_____	_____
	Certified that all objections from Closing balance	_____	_____
	LAR/TA memos issued during the Year wise break		
	Months have been entered in the closing balance.	_____	_____
	Objection book.		

अनुबंध 17
(संदर्भ पैरा 28.3)

आपत्ति पुस्तिका (भाग II)

.....सीमा शुल्क सदन के..... माह के लिए समायोजन रजिस्टर

क्रम सं.	आपत्ति पुस्तिका के माह और वर्ष तथा आपत्ति मद की पत्र सं. और संख्या	आपत्ति को स्वीकार करने वाले विभागों की पत्र सं. और तारीख या आपत्ति को छोड़ने के लिए निदेशक/उप निदेशक के आदेशों की तारीख	छोड़ी गई आपत्तियों की राशि	निपटाई गई आपत्तियों की राशि	समायोजित कुल राशि (कॉलम 4+5)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

मासिक योग ----- (क)

(क) का वर्षवार ब्रेक-अप

20 -- 20
20 -- 20
20 -- 20
20 -- 20

कुल:

एएओ/एओ

ANNEXURE 17
(Ref. Para 28.3)

OBJECTION BOOK (Part II)

Adjustment register for the month of _____ of _____ Custom House

Sl. No.	Month and year of objection book and objection item No.	Letter No. and date of department accepting objection or Date of orders of AO/Director/ Deputy Director for dropping objection.	Amount of objection dropped.	Amount of objection settled.	Total amount adjusted (Col.4+5)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Monthly Total ----- (A)

Year wise break up of (A)

20 -- 20
20 -- 20
20 -- 20
20 -- 20

Total :

AAO /AO

अनुबंध 18
(संदर्भ पैरा 28.3)

आपत्ति पुस्तिका (भाग – III)

बकाया और समायोजित की गई आपत्तियों का सार जो वर्ष 20.....के लिए आयुक्तालय..... से संबंधित हैं

से संबंधित आपत्तियाँ	वर्ष के प्रारंभ में बकाया आपत्तियों की राशि	अप्रैल में समायोजित	मई में समायोजित	जून में समायोजित	जुलाई में समायोजित	अगस्त में समायोजित	सितम्बर में समायोजित

20...20... का अधिशेष
(और पिछला वर्ष)

20...20... का अंतशेष

20...20... का अंतशेष

20...20... का अंतशेष

अप्रैल 20.....

मई 20.....

जून 20.....

जुलाई 20.....

अगस्त 20.....

से संबंधित आपत्तियाँ	वर्ष के प्रारंभ में बकाया आपत्तियों की राशि	अक्टूबर में समायोजित	नवम्बर में समायोजित	दिसम्बर में समायोजित	जनवरी में समायोजित	फरवरी में समायोजित	मार्च में समायोजित	कुल समायोजित

20...20... का अधिशेष

(और पिछला वर्ष)

20...20... का अंतशेष

ANNEXURE 18
(Ref. Para 28.3)

OBJECTION BOOK (Part – III)

Yearly abstract of objections outstanding and adjusted which relate to -----
Commissionerate
For the year 20__

Objections relating to	Amount of objections outstanding at the beginning of the year.	Adjusted in April	Adjusted in May	Adjusted in June	Adjusted in July	Adjusted in August	Adjusted in September

Balance of
20__ 20__
(and previous
Years).

Balance of
20__ 20__

Balance of
20__ 20__

Balance of
20__ 20__

April 20__

May 20__

June 20__

July 20__

August 20__

Objections relating to	Amount of objections outstanding at the beginning of the year.	Adjusted in October	Adjusted in November	Adjusted in December	Adjusted in January	Adjusted in February	Adjusted in March	Total Adjusted

Balance of
20__ 20__
(and previous
Years).

Balance of

20...20... का

अंतशेष

20...20... का

अंतशेष

अप्रैल 20.....

मई 20.....

जून 20.....

जुलाई 20.....

अगस्त 20.....

कुल अधिशेष

टिप्पणी:- एएओ/एओ के हस्ताक्षर से प्रति माह बंद किया जाय।

20__ 20__

Balance of

20__ 20__

Balance of

20__ 20__

April 20__

May 20__

June 20__

July 20__

August 20__

Total

balance

Note:- To be closed every month under signatures of AAO/AO

अनुबंध 19
(संदर्भ पैरा 28.4)

संभावित ड्राफ्ट पैराग्राफों (पीडीपीज़) का रजिस्टर -

क्रमांक	टीएम/एलएआर रजिस्टर की पैरा संख्या, आयातक का नाम कस्टम हाऊस का नाम	विस्तृत सूची	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित राजस्व वर्गीकरण अर्थात्, गैर- उद्ग्रहण, कम मूल्यांकन, गलत वर्गीकरण आदि	पत्र सं. और तारीख में ताख हेतु जिससे सहित आयुक्त को भेजा गया था	डीपी सं. और एआर वर्ष जिसके अधीन सीएजी को भेजा गया था	सं. आपत्ति से संबंधित अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी:- पीडीपी का वर्ष वही होना चाहिए जिससे एलएआर/टीएम मेमो संबंधित हैं।

ANNEXURE 19**(Ref. Para 28.4)****REGISTER OF POTENTIAL DRAFT PARAGRAPHS (PDPs) -**

Sl. No.	Para No. in Memo Register,	LAR Details	Revenue involved	Letter No. and date with which sent to Commissioner	DP No. and AR years under which sent to CAG	Remarks relevant to objection	
1	2		3 classification for Audit Report e.g. non-levy, under valuation, mis-classification etc.	4	5	6	7

Note:- Year of PDP should be the same as the year to which LAR/TA Memo belong.

अनुबंध 20
(संदर्भ पैरा 28.5)

तथ्यों के विवरण का रजिस्टर

वित्तीय वर्ष	ज्ञापन संख्या और तिथि	एलएआर का पैरा संख्या	एलएआर संख्या और तिथि	आयुक्तालय	आयातक/निर्यातक का नाम	आपत्ति की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7

वस्तु	मुद्रा मूल्य	एसएफ संख्या	एसएफ जारी करने की तिथि	मान ली गई अथवा नहीं	उत्तर देने की तिथि	पी.डी.पी संख्या	पी.डी.पी वर्ष
8	9	10	11	12	13	14	15

डी.पी. संख्या	डी.पी. वर्ष	डी.ए.पी. संख्या और वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का पैरा संख्या
16	17	18	19

ANNEXURE 20
(Ref. Para 28.5)

Statement of Facts Register

Financial year	Memo No. and date	Para No. of LAR	LAR No. and date	Commissionerate	Name of the Importer/Exporter	Nature of objection
1	2	3	4	5	6	7

Commodity	Money value	S.F. No.	S.F. issue date	Whether admitted or not	Date of reply	P.D.P. No.	P.D.P. year
8	9	10	11	12	13	14	15

D.P. No.	D.P. year	D.A.P. No. & year	Para No. of Audit Report
16	17	18	19

अनुबंध 21
(संदर्भ पैरा 28.6)

ड्राफ्ट पैरा तैयार करने हेतु निर्देश

राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैरा निम्नलिखित के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। 3 (तीन) वर्षों से अधिक पुराना ड्राफ्ट पैराओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

- (1) एक ड्राफ्ट पैरा में लेखापरीक्षा आपत्ति करने से पहले मामले के तथ्यों के विवरण में शामिल करने वाले तथ्यों का विवरण संबंधित आयुक्तों को जारी किया जाना चाहिए तथा तथ्यों के विवरण का उत्तर देने के लिए उनको छः सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। तथ्यों के विवरण को आयुक्तालयों को प्रेषित करने से पहले उन्हें क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। यह सीबीईसी को आयुक्तों द्वारा तथ्यों के विवरण के समय पर उत्तर देने की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

छः सप्ताह की उक्त तिथि की समाप्ति के पश्चात् आपत्ति को ड्राफ्ट पैराग्राफ में शामिल करके सीएजी कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

यदि उत्तर प्राप्त हो जाता है और जाँच करने पर यह पाया जाता है कि आपत्ति स्वीकार्य नहीं है तो, मामले को बन्द कर दिया जाना चाहिए तथा मद को पीडीपी रजिस्टर और एसओएफ रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए। यदि ड्राफ्ट पैरा सीएजी कार्यालय को पहले ही भेज दिया गया हो तो मामले के बन्द होने संबंधी एक सूचना तत्काल सीएजी कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

किसी मामले में यदि लेखापरीक्षा विभाग का उत्तर स्वीकार्य न हो तो इसका एक सार ड्राफ्ट ऑडिट पैरा में शामिल किया जाना चाहिए और सीएजी कार्यालय को ड्राफ्ट पैरा भेजते समय एक उपयुक्त खण्डन दिया जाना चाहिए।

- (2) पैराओं का मुद्रा मूल्य निर्धारित करते समय सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए ताकि आँकड़ों में किसी भी अतिशयोक्ति आरोपित करने से बचा जा सके।

सामान्य नियम के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पाँच वर्षों से अधिक के लेन-देन पर आधारित लेखापरीक्षा आपत्ति शामिल नहीं की जानी चाहिए जब तक कि मुद्दे लगातार प्रासंगिक न हों। अपवाद केवल उन मामलों के संबंध में किए जाएं जो पूर्व में लेखापरीक्षा के संज्ञान में न आ सके हों और जहाँ सिद्धांत का प्रश्न निहित हो। ऐसे मामलों में जहाँ पुराना पैरा शामिल किया गया हो, ऐसा करने का कारण मुख्यालय को प्रस्तुतिकरण ज्ञापन में दर्शाया जाना चाहिए। पुरानी नियंत्रण प्रणालियों में कमियों में

ANNEXURE 21
(Ref. Para 28.6)

INSTRUCTIONS FOR PREPARING DRAFT PARAS

Draft Para proposed for incorporation in the Audit Report on Revenue Receipts should be prepared on the lines set out below. Draft Paras older than 3 (three) years should not be proposed for inclusion in Audit report.

- (1) Before processing an audit objection into a draft Para, a statement of facts incorporating in detail the facts of the case should be issued to the concerned Commissioner, and six week's time should be allowed to him for giving reply to the statement of facts. The statement of facts should be serially numbered, before their dispatch to the Commissioners. This enables the CBEC to monitor the timely reply of statement of facts by the Commissioners.

After the expiry of the said period of six weeks, the objection should be processed into a draft paragraph and sent to the CAG's office.

If a reply is received, and if on examination, it is found that the objection is not sustainable, the case should be closed and the item removed from the PDP Register and the SOF Register. In case the draft Para has already been sent to the CAG office, an intimation regarding closure of the case should be immediately sent to the CAG office.

In case the reply of the department is not acceptable to Audit, a gist thereof should be incorporated in the draft audit para, and a suitable rebuttal should be given at the time of sending the DP to the CAG's office.

- (2) A careful scrutiny should be exercised while attributing money value to paras so as to avoid any exaggeration in the figures attributed.

As a general rule audit observations based on transactions over five years old should not be included in Audit Report unless the issue has a continuing relevance. Exceptions may be made only in respect of cases that could not have come to the notice of Audit earlier and where questions of principle are involved. In such cases where an old Para is included, the reasons for doing so should be brought out in the submission memo to Headquarters. Cases of lack of response to constructive suggestions of Audit aimed at remedying

सुधार के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के सृजनात्मक सुझावों की प्रतिक्रिया की कमी वाले मामलों पर टिप्पणी की जानी चाहिए यदि धोखाधड़ी या सरकार को हानि के जोखिम के साथ लगातार असंतोषजनक क्रिया-कलाप किए जाएं। जहाँ विभाग ने धनराशि वसूल करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाया हो अथवा पूरी धनराशि वसूल की हो, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया हो, ऐसे मामले केवल तभी ड्राफ्ट पैराओं में शामिल किए जाने चाहिए जब वे प्रणालियों या प्रक्रिया में कोई कमी दर्शाते हों।

- (3) ऑडिट पैरा ड्राफ्ट तैयार करते समय इस बात का अत्यधिक ध्यान रखा जाना चाहिए कि तथ्य बिल्कुल सटीक प्रस्तुत किए गए हैं, कानून और टैरिफ के बिन्दुओं की ठीक से व्याख्या की गई है और वे सुसंगत व उद्देश्यपरक तरीके से हैं।
- (4) अधिसूचना संदर्भ, आदेश इत्यादि पैरा में समान रूप से प्रदान किए जाने चाहिए। तिथि का उल्लेख करते समय महीने और वर्ष का भी पूर्ण रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए यथा 15-05.1989 को 15 मई 1989 लिखा जाना चाहिए। धनराशियों का उल्लेख भी गुणको को लगभग पूरा करके पूरे रुपये में किया जाना चाहिए, केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ शुल्क की दर का उल्लेख किया जाना हो।
- (5) प्रत्येक पैरे के साथ बताए गए मामले या मामलों का विस्तृत विवरण देते हुए एक सारांश अवश्य होना चाहिए। सारांश में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा आपत्ति की पृष्ठभूमि, विशेष मामले में उल्लेखन किए गए नियम या अधिनियम (प्रति संलग्न की जाए) में संबंधित धारा होनी चाहिए। मामले की विशेष बातें, महत्वपूर्ण बिन्दु जिन्हें लोक लेखा समिति को बताई जानी हैं, अन्य संबंधित और संभावित मुद्दों को पूरी तरह से सार में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विवरण दिया जाना चाहिए:-
 - (क) दस्तावेज का संदर्भ (सुपाठ्य प्रति संलग्न की जाए) जिस पर लेखापरीक्षा आपत्ति की गई थी जैसे – बिल ऑफ एंट्री की संख्या और तिथि, शिपिंग बिल, नकद वाउचर इत्यादि।
 - (ख) आयातक/निर्यातक का नाम।
 - (ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णतः हस्ताक्षरित आपत्ति किए गए मुद्रा मूल्य की विस्तृत गणना शीट।
 - (घ) माँग का संदर्भ यदि कोई हो तो, इसके जारी करने की तिथि के साथ तथा राशि जिसके लिए इसे जारी गया है। किसी मामले में जब माँगी गई धनराशि आपत्ति वाली राशि से भिन्न हो तो इस भिन्नता का औचित्य भी संलग्न किया जाए।

deficiencies in control systems though old should be commented upon, if the continuance of the unsatisfactory features is attendant with risk of fraud or loss to Government. Wherever the Department has taken remedial measure to recover the amount or had collected the entire amount, as pointed by audit, such cases should be included as draft paras only if they highlight any defects in the systems and procedure.

- (3) While drafting the audit Para, utmost care should be taken to see that facts are presented accurately, points of law and tariff are explained lucidly, and in a coherent and objective manner.
- (4) Reference to notification, order etc. should, invariably, be provided in the body of the para. While mentioning dates, the month should be mentioned in full as also the year for example 15-5-1989 should be mentioned as 15 May 1989. Amounts wherever mentioned should be in whole rupees, after rounding/ omitting fractions of a rupee except in cases where the rate of duty has to be mentioned.
- (5) Every Para must also be accompanied by a brief giving detailed particulars of the case or cases reported. The brief should inter alia trace the background of audit objection, the relevant Section in the Act or the rule offended (copy to be appended) in a particular case. The salient features of the case, the important points that are to be highlighted to the Public Accounts Committee, other connected and ancillary issues should be fully brought out in the brief. In addition, the following details are required to be furnished:-
 - (a) Reference to the document (legible copy be appended) on which the audit objection was taken viz. No. and Date of Bill of Entry, Shipping Bill, cash voucher etc.
 - (b) Name of the importer/exporter.
 - (c) Exhaustive Calculation Sheet for money value objected duly signed by the competent authority.
 - (d) Reference to demands issued if any, with the date of issue and the amount for which it is issued. In case the demanded amount is different from the amount in the objection, a justification for the difference should also be appended.

- (ड) यह जानकारी कि क्या शुरूआत में मामला सीआरए लेखापरीक्षा या आंतरिक लेखापरीक्षा अथवा सीमाशुल्क भवन के ही किसी अन्य विंग द्वारा देखा गया।
- (च) यह जानकारी कि क्या आपत्ति को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया अथवा पार्टी ने अपील या संशोधन के लिए कार्यवाही की है।

सीआरए लेखापरीक्षा और सीमाशुल्क भवन के बीच किए गए पत्राचार की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। आदेश के संदर्भों को उद्धृत करते समय, यह देखा जाना चाहिए कि ऐसे आदेशों की प्रतियाँ समान रूप से संलग्न की जा रही हैं।

प्रत्येक पैरा के लिए निम्नलिखित विवरणों के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए, जैसे-

- (क) सीमाशुल्क भवन/आयुक्तालय का नाम
- (ख) निहित धनराशि।
- (ग) सीआरए ज्ञापन की संख्या और तिथि।
- (घ) लेखापरीक्षा आपत्ति की संख्या और तिथि।
- (ड) सीमाशुल्क भवन के उत्तर की संख्या और तिथि, यदि प्राप्त हुआ हो।
- (च) किसके द्वारा किया गया।

- (e) Information as to whether the case was initially detected by CRA audit or internal audit or by any other wing of the Custom House itself.
- (f) Information as to whether the objection was accepted by the department and whether the party has gone in appeal or revision.

Copies of the correspondence exchanged between CRA audit and the Custom House should be attached. When quoting references to order, it should be seen that copies of such orders are invariably be attached.

A key should be given for each Para with the following particulars, viz.

- (a) Name of the Custom House/Commissionerate
- (b) Amount involved.
- (c) Number and date of CRA Memo.
- (d) Number and date of audit objection.
- (e) Number and date of Custom House reply, if received.
- (f) Contributed by.

अनुबंध 22
(संदर्भ पैरा 28.6)

ड्राफ्ट पैरा रजिस्टर

वर्ष	डी.पी. संख्या	आई.आर. की संख्या/आपत्ति ज्ञापन संख्या और तिथि	पीडीपी संख्या	एस एफ. संख्या	आयुक्तालय	आयातक/निर्यातक की संख्या और नाम	वस्तु
1	2	3	4	5	6	7	8

परेषणों की संख्या	बोर्ड की अधिसूचना /परिपत्र संख्या	संक्षिप्त विषय	निहित धनराशि	डीडी का नाम और मंजूरी की तिथि	प्र.नि.ले.प. (के.) का नाम और अनुमोदन की तिथि	क्या स्वीकार की गई	विभाग के पत्र का संदर्भ
9	10	11	12	13	14	15	16

वसूली गई राशि	विभाग के साथ पत्राचार	पत्र संख्या जिसके अंतर्गत मुख्यालय को डीपी भेजा गया	मुख्यालय के साथ अनुवर्ती पत्राचार की तिथि	योगदानकर्ताओं का नाम	डी.ए.पी. संख्या	ए.आर. का वर्ष और पैरा संख्या	अभ्युक्तियाँ
17	18	19	20	21	22	23	24

ANNEXURE 22**(Ref. Para 28.6)****Draft Para Register**

Year	D.P. No.	No. of I.R. / Objection Memo No. & date	P.D.P . No.	S.F . No.	Commissionerate	No. & Name of Importer/Exporter	Commodity
1	2	3	4	5	6	7	8

No. of consignme- nts	Board's Notification's/ Circular Nos.	Brief subject	Amount involved	Name of the DD & date of approval	Name of the Pr.DA(C) & date of approval	Whether admitted	Reference to the Deptt.'s letter
9	10	11	12	13	14	15	16

Amount recovered	Correspon- dence with the Deptt.	Letter no. under which DP forwarded to the Hqrs. office	Date of subsequent correspond- ence with H.Q.	Name of the Contribu- tors	D.A.P. No.	A.R. year and Para No.	Remarks
17	18	19	20	21	22	23	24

अनुबंध 23
(संदर्भ पैरा 28.10)

प्राप्ति लेखापरीक्षा-अप्रत्यक्ष कर (सीमाशुल्क)

परिपत्र सं. 01/2014

सं.16/आरए-अप्रत्यक्ष कर/(सी.शु.)/III/24-2014

दिनांक: 18 फरवरी, 2014

सेवा में,

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्तिर्याँ),
नई दिल्ली।
2. महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय),
मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़।
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय),
अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ।

विषय:-बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों/सीमाशुल्क विंग से संबंधित एटीएनज़ का निपटान।

उपरोक्त विषय पर मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित आदेश जारी किए गए थे:-

- (i) दिनांक 7.2.1984 के पत्र सं. 107/रिवेन्यू एआई/40-83/आइएनडीटी/सीई/IV द्वारा जारी मुख्यालय का परिपत्र संख्या 6/84
- (ii) दिनांक 17.2.2003 के पत्र सं.37/आरए-आइएनडीटी/सी.शु./126-2002 द्वारा जारी मुख्यालय का परिपत्र संख्या 2/2003
- (iii) दिनांक 23.9.2011 के पत्र संख्या 904-आरए-आइएनडीटी/सीई/536-2004/पीएसी द्वारा जारी मुख्यालय का परिपत्र संख्या 7/2011-सीएक्स
- (iv) दिनांक 20.6.2012 के पत्र संख्या 137/आरए-आइएनडीटी/सी.शु./III/40-2012 द्वारा जारी मुख्यालय का परिपत्र संख्या 5/2012
- (v) मुख्यालय का पत्र सं. 75/आरए-आइएनडीटी/74-2013 दिनांक 7 फरवरी 2014

ANNEXURE 23
(Ref. Para 28.10)

RA-INDT (CUSTOMS)

Circular No.01/2014

No.61/RA-INDT/(Cus)/III/24-2014

Dated: 18 February, 2014

To

- 1. The Director General of Audit (Central Receipts),
New Delhi.**
- 2. The Director General of Audit (Central),
Mumbai, Kolkata, Chennai and Chandigarh.**
- 3. Principal Director of Audit (Central),
Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad and Lucknow.**

**Subject: - Settlement of outstanding audit observations/ATNs relating
to Customs Wing.**

On the above subject following orders were issued by Hqrs. from time to time:-

- (i) Hqrs. circular No. 6/84 issued vide No. 107/Rev.A.I/40-83/IDT/CE VI dated 7.2.1984.
- (ii) Hqrs. circular No. 2/2003 issued vide No. 37/RA-INDT/Cus/126-2002 dated 17.2.2003.
- (iii) Hqrs. letter No.7/2011-CX No.904-RA-INDT/CE/536-2004/PAC dated 23.9.2011.
- (iv) Hqrs. circular No. 5/2012, issued No. 137/RA-INDT/Cus/III/40-2012 dated 20.6.2012.
- (v) Hqrs. letter no. 75/RA-INDT/74-2013 dated 7 February 2014.

उपरोक्त अनुदेशों/परिपत्रों के अनुरूप विस्तृत प्रावधान क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु दुबारा से प्रस्तुत किए गए हैं जैसा कि नीचे दिया गया है:-

(क) दिनांक 07.2.1984 के पत्र सं. 107/रेवेन्यू एआई/40-83/आईडीटी/सीई/VI द्वारा जारी मुख्यालय के परिपत्र संख्या 6/84 के अनुसार

ड्राफ्ट पैराग्राफों में आपत्तियाँ जो मुख्यालय को भेजे गए हैं

(i) आपत्तियाँ जो मंत्रालय को नहीं भेजी गई हैं और कुल अवनिर्धारण (टीयूए) में शामिल की गई हैं:-

जहाँ मुख्यालय में प्राप्त ड्राफ्ट पैरे मंत्रालय को नहीं भेजे गए हैं, वे लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मूल्यांकन आंकड़ों के अंतर्गत समेकित रूप में निहित आपत्तियों को स्वीकार कर लेते हैं और संबंधित महालेखाकार/निदेशक, लेखापरीक्षा को उनके कुल अवनिर्धारण में समावेश को तुरंत बताया जाता है। मानी गई या मंत्रालय को न भेजी जाने वाली आपत्तियों पर महालेखाकार/निदेशक, लेखापरीक्षा के पास संग्राहक/सहायक संग्राहक के साथ स्वीकार की गई आपत्तियों के निपटान की पूरी शक्ति है। मुख्यालय द्वारा टीयूए में शामिल की जाने वाली स्वीकार की गई आपत्तियों के संबंध में मुख्यालय से सम्प्रेषण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्वीकार की गई आपत्ति जिसे मंत्रालय को नहीं भेजा जाना है, उसके बाद अस्वीकृत हो जाती है, उसे मंत्रालय को न भेजी गई स्वीकृत आपत्ति के रूप में मानी जानी चाहिए।

(ii) आपत्तियाँ जिन्हें मंत्रालय को नहीं भेजा जाता है और जिन्हें कुल अवनिर्धारण में भी शामिल नहीं किया जाता है:-

आपत्तियाँ जिनमें मुख्यालय में सुधार नहीं किया जाना है और जिन्हें हटा देने के लिए कहा गया है, इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। इस श्रेणी में शायद ही कभी कोई स्वीकृत आपत्ति होगी। लेकिन जहाँ एक ड्राफ्ट पैराग्राफ को स्थगित होने (मुख्यालय में इसकी विलम्ब से प्राप्ति होने के कारण) के कारण अथवा किसी विशेष कारण से मुख्यालय द्वारा मंत्रालय को नहीं भेजा जाता, महानिदेशक/प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक ऐसे पैराग्राफ के संबंध में कारणों की जानकारी दी जायेगी। ऐसी आपत्तियों के मामले में जिन्हें कार नहीं किया गया हो, न ही मुख्यालय द्वारा इसे हटा देने के लिए कहा गया हो, यदि मुख्यालय कार्यालय से कुछ न बताया गया हो तो इस तरह की आपत्तियों को लगातार उठाया जाना चाहिए तथा ऐसे ड्राफ्ट पैराग्राफों को आगामी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए भी भेजा जाए।

(iii) आपत्तियाँ जो मंत्रालय को भेजी गई हैं और मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

मंत्रालय द्वारा ड्राफ्ट पैराग्राफ में आपत्ति की स्वीकार्यता का तथ्य, स्वीकार्यता प्राप्त करते ही संबंधित महानिदेशक/प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा को बताया जाएगा। (संग्राहक,

In line with the above instructions / Circulars comprehensive provisions are re-produced as under for necessary action at the level of field offices: -

(A) As per Hqrs. Circular No. 6/84 issued vide no. 107/Rev.A.I/40-83/IDT/CE VI dated 07.2.1984

Objections in draft paragraphs which are sent to headquarters office

(i) Objections which are not sent to Ministry and are included in Total Under Assessment (TUA): -

Where draft paragraphs received in headquarters office are not sent to the Ministry, they are mostly accepted objections included in Total Under Assessment figures mentioned in the Audit Report & the concerned Accountant General/Director of audit is informed promptly of their inclusion in Total Under Assessment. On accepted objections whether or not sent to Ministry, Accountant General/Director of audit has full powers to settle the accepted objections directly with Collector/Assistant Collector. No communication need be awaited from headquarters office in respect of accepted objections which are included in TUA by headquarters office. If an accepted objection which is not sent to Ministry, subsequently becomes non-accepted, it should be treated as non accepted objection, not sent to Ministry.

(ii) Objections which are not sent to Ministry and which are also not included in Total Under Assessment: -

The objections which in headquarters office are not held to be correct and which are asked to be dropped will come under this category. In this category, there will seldom be any accepted objection. But where a draft paragraph is not sent to the Ministry by headquarters office because it is deferred (for reason of its late receipt in Headquarters) or for any special reason, *Director General/Principal Director* of audit will be informed of the reasons in respect of each such paragraph individually. In respect of such objections as have not been accepted, nor asked to be dropped by headquarters office if nothing is heard from the headquarters office, similar objections may continue to be raised and similar draft audit paragraphs may also be sent for future audit reports.

(iii) Objections which are sent to Ministry and are accepted by the Ministry.

The fact of acceptance of the objection in the draft paragraph by the Ministry will be intimated to the concerned *Director General/Principal Director* of audit as soon as the acceptance is received. (The earlier acceptance by Collector, Central

केन्द्रीय उत्पाद द्वारा पहले की स्वीकार्यता अंतिम नहीं है यदि ड्राफ्ट पैराग्राफों को मंत्रालय को भेज दिया गया जिसे वह स्वीकार न करें लेकिन जब तक मंत्रालय स्वीकृत आपत्तियों को मना न कर दे, पूर्वाग्रह यह है कि यह सभी के लिए एक स्वीकार्य आपत्ति है।)। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ऐसी आपत्तियाँ, किसी अन्य स्वीकार्य आपत्तियों जिन पर ड्राफ्ट पैराग्राफ नहीं बनाया गया है अथवा ड्राफ्ट पैराग्राफ मंत्रालय को नहीं भेजा गया है, के अनुसार निपटान किया जाना चाहिए। निपटान से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित पैराग्राफ का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं होगा। वास्तव में, ऐसे मामलों में माँग का संग्रहण और त्रुटि का औचित्य लेखापरीक्षा के प्रस्तुतीकरण को और मजबूत बनाता है, जब पीएसी पैरा को देखती है। यहाँ तक कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पहले से निपटाई गई आपत्ति को बताने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। पीएसी बड़े कर प्रभाव अथवा प्रक्रियागत या प्रणालीगत कमियों को दर्शाने वाली आपत्ति में रुचि दिखायेगी। मुख्यालय में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पैरा बन्द करना क्षेत्रीय कार्यालय में आपत्ति के निपटान से अलग और विशिष्ट होता है। मुख्यालय में कार्रवाई पीएसी की रिपोर्ट से जुड़ी है न कि लेखापरीक्षा आपत्ति के निपटान से।

(iv) आपत्तियाँ जो मंत्रालय को भेजी गई हैं लेकिन मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं:-

ऐसे मामलों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ड्राफ्ट पैराग्राफों को बनाने पर निर्णय लेने के विचार से मुख्यालय द्वारा डीजी/पीडी से पत्र अथवा फैक्स द्वारा आवश्यक सूचना या वर्गीकरण और टिप्पणियाँ मँगायी जाएं। ऐसे मामलों में उत्तर मुख्यालय द्वारा अनुमत समय सीमा के भीतर भेजा जाना चाहिए। यदि उत्तर नहीं प्राप्त होता है, तो मंत्रालय की गैर-स्वीकारोक्ति आरोपित करनी पड़ती है जब तक कि रिपोर्ट में ड्राफ्ट पैरा में पूरी तरह से स्पष्ट न हो। यदि अंतिम रूप से किसी कारणवश लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पैरा शामिल न किया गया हो मुख्यालय द्वारा डीजी/पीडी से इसे जारी रखने या हटा देने के लिए आगे की कार्रवाई का अनुरोध किया जाएगा। किसी मामले में, मुख्यालय द्वारा विशेष दिशा-निर्देश दिया जाएगा। जहाँ गैर-स्वीकृत आपत्ति को जारी रखना हो (और पैरा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नहीं रखा गया हो) और मुख्यालय से कुछ नहीं कहा गया हो इस तरह की आपत्तियाँ उठाते रहना चाहिए तथा इस प्रकार के ड्राफ्ट पैराग्राफ आगामी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए भी भेजी जाए।

2. अवस्था, जिस पर आपत्ति का निपटान माना जाना चाहिए:-

(i) विभाग द्वारा आपत्ति स्वीकार कर लेने और इसके लिए सुधारत्मक उपाय बताने के पश्चात् इसका निपटान माना जाना चाहिए। सुधार का अभिप्राय है अधिनिर्णयन के पश्चात् माँग की पुष्टि। पुष्ट माँग के प्रति निर्धारिती द्वारा अपील पर लंबित संग्रहण या लंबित निर्णय के कारण निपटान में विलंब नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) इस तथ्य पर जोर देना प्रासंगिक है कि लेखापरीक्षा आपत्तियाँ केवल कार्यकारी के प्रति हैं न कि विधिक अथवा अर्द्ध-विधिक प्राधिकारियों के प्रति जो निर्धारिती एवं विभाग का पक्ष सुनने के पश्चात् न्यायिक कार्रवाई करते हैं। लेखापरीक्षा आपत्ति कार्यकारी द्वारा चूक अथवा

Excise is not final in case of draft paragraphs sent to the Ministry which it may not accept, but unless Ministry rejects the accepted objection, the presumption is that it is an accepted objection for all purposes). Such objections may also be pursued by the field office for settlement as any other accepted objection on which draft paragraphs has not been prepared or draft paragraph has not been sent to Ministry. Settlement will in no way reduce the importance of the draft paragraph featured in the Audit Report. In fact, the rectification of mistake and the collection of demand in such cases will only strengthen Audit's presentation, when PAC looks into the para. There is no bar in even reporting an already settled objection in the Audit Report. The PAC will be interested in settled objections involving large tax affect or those highlighting procedural or system defects. The closing in headquarters office of the para in the audit report is distinct and separate from the settlement of objection in field office. The action in headquarters office is linked to PAC's report and not to the settlement of audit objection.

(iv) Objections which are sent to Ministry but are not accepted by the Ministry: -

In such cases necessary information or clarification and comments may be called for by letter or telex by headquarters office from the *DG/PD* with a view to taking a decision on featuring the draft paragraphs in the Audit Report. Replies in such cases should be sent within the time allowed by headquarters office. If replies are not received, the Ministry's non-acceptance may have to prevail, unless it is patently rebut table in which case the draft para may feature in the report. If ultimately the para is not included in the Audit Report for any reason *DG/PD* will be requested by headquarters office to take further action for its pursuance or for dropping. In any case, specific direction will be given by headquarters office. Where the non-accepted objection has to be pursued (and the para has not featured in audit report) and nothing is heard from headquarters office similar objections may continue to be raised and similar draft paragraph also sent for future audit reports.

2. Stage at which objection should be termed settled: -

(i) Objection should be termed settled after acceptance of objection by department and its rectification. Rectification means confirmation of demand after adjudication.

Settlement need not be delayed pending collection or pending decision on appeal preferred by assessee against confirmed demand.

(ii) It is relevant to stress the fact that audit objections are directed only against the executive and not against judicial or quasi-judicial authorities who act judicially

आचरण के प्रति निर्देशित होती है। लेखापरीक्षा आपत्ति में किसी न्यायिक प्राधिकारी के प्रति आलोचना निहित नहीं होनी चाहिए है। लेखापरीक्षा को केवल अपील के फैसले के विरुद्ध अपील दाखिल न करने के लिए विभाग के विवेक पर प्रश्न उठाना चाहिए। अपीलीय प्राधिकारियों की न्यायायिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए।

(iii) जहाँ आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है और निपटान की माँग की गई हो इसके निपटान को इसलिए रोका न जाय कि अपील दाखिल की जा चुकी है। विभाग द्वारा आपत्ति स्वीकार कर लिए जाने पर सभी उद्देश्यों के लिए इसका निपटान माना जाना चाहिए। अनुपूरक प्रश्न कि, कार्यकारी द्वारा अपीलीय निर्णय की स्वीकार्यता सही थी या नहीं, अनुवर्ती लेखापरीक्षा में नए मुद्दे के रूप में इसकी जाँच की जाए। इस उद्देश्य हेतु, आपके कार्यालय में एक उपयुक्त प्रक्रिया बनाई जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप उठाई गई माँग पर अपीलों के रिकार्ड उचित तरीके से रखे गए हैं। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों को स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे मामलों को देखने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालय में व.ले.प.अ/ले.प.अ (मुख्यालय) यह देखें कि लेखापरीक्षा दल के पास ऐसी निपटाई गई आपत्तियों की सूची है। यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि निर्णय अपीलीय आदेशों का विरोध न करना, विभाग के निर्देशों या विभाग द्वारा माने गए विषय पर मामला चलाने का निर्णय अथवा विभाग द्वारा माने गए लेखापरीक्षा के मत के विपरीत था तो, उस आशय की नई आपत्ति उठाई जानी चाहिए। लेकिन नई आपत्ति के लिए लेखापरीक्षा दल का निष्कर्ष आधार होगा। ऐसे मामलों पर ड्राफ्ट पैराओं को भी शामिल किया जा सकता है यदि कम निर्धारण की राशि इस ओर इंगित करे।

3. स्वीकार न की गई आपत्तियाँ और सुझाव माँगना

यदि एक आपत्ति में डीजी/पीडी द्वारा एक विशेष मत दिया जाता है और मत (सुझाव मामले के रूप में) की पुष्टि के लिए इस कार्यालय को संदर्भ किया गया हो, इसके बाद यदि मुख्यालय से कोई जवाब प्राप्त नहीं हो रहा, ड्राफ्ट पैराग्राफ को मुख्यालय को ड्राफ्ट पैराग्राफ भेजने की आगामी अन्तिम तिथि से पूर्व अवश्य भेज देना चाहिए। जहाँ कम निर्धारण की राशि ऐसा करने हेतु इंगित करे, ड्राफ्ट पैराग्राफ विशेष रूप से भेज दिया जाना चाहिए, जिसमें पहले आपत्ति उठाई गई हो और विभाग को बता दिया गया हो। इससे विभाग को कोई सहायता नहीं मिलेगी यदि लेखापरीक्षा, विभाग को आपत्ति बताने के पश्चात संदेह पर विचार करे। यदि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति छोड़ी नहीं जाती और सुझाव हेतु मुख्यालय को केवल संदर्भ भेजा जाता है, यह न तो विभाग के हित में होगा न ही लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल होगी। ड्राफ्ट पैराग्राफ मुख्यालय को अवश्य भेज देना चाहिए भले ही मुख्यालय को सुझाव भेजा गया हो अथवा नहीं।

after hearing the assessee and the department. Audit objection is directed only against acts of omission or commission by Executive. There should be no breath of criticism, even implied, against any judicial authority in the audit objection. Audit should only question wisdom of department in not filing appeals against appellate's decision. The judicial independence of appellate authorities must be respected.

(iii) Where an objection stand accepted and demand has been raised its settlement need not be held up because appeals have been filed. The objection having been accepted by department it should be treated as settled for all purposes. The supplementary question as to whether the acceptance of the appellate decision by the executive was in order or not may be examined as a fresh issue in subsequent audit. For this purpose, a suitable procedure may be devised in your office to ensure that proper records of appeals on demand raised consequent to acceptance of audit objections are kept. Suitable instructions should be issued to the field audit parties for looking into such cases during local audit. The *Sr.AO/AO* (Headquarters) in field office should see to it that the audit parties get list of such settled objections. In case it is found that the decision not to resist the appellate orders was contrary to the departmental instructions or decided case-laws on the subject accepted by department or the view of Audit accepted by department, fresh objection to that effect may be raised. But what the audit party finds will be the basis for a fresh objection. Draft paras on such fresh cases may also be floated if the amount of underassessment warrants it.

3. Non-accepted objections and seeking of advice

Where a particular view has been advanced by *DG/PD* in an objection and a reference has been made to this office for confirmation of the view (as an advice case), then, if no reply has been received from headquarters office, draft paragraph must be sent before the immediately following last date for sending draft paragraphs to headquarters office. Where the amount of underassessment warrants it, draft paragraph must be sent especially, wherever an objection has already been taken and communicated to department. It is no help to the department if Audit entertains doubts after communicating an objection to the department. If objection is not dropped by Audit and only a reference is sent to headquarters office for advice, it is no help to the department nor to the cause of the Audit Report. Draft paragraph must be sent to headquarters office whether or not advice reference has been made to headquarters office.

4. न मानी गई पुरानी आपत्तियाँ

जहाँ न मानी गई आपत्ति पुराने लेखापरीक्षा चरण से संबंधित हो, आपत्तियाँ हाल के लेखापरीक्षा चरणों में अन्य की गई आपत्ति के माध्यम से जारी रखनी चाहिए। पुरानी आपत्ति को “जारी न रखी जाए” के रूप में दिखाकर और प्रति संदर्भ के रूप में हाल के लेखापरीक्षा चरण में बड़ी मूल्य आपत्ति के साथ समाप्त किया जा सकता है। मौजूदा लेखापरीक्षा आपत्ति पर ड्रॉफ्ट पैराग्राफ में संक्षेप में पिछली आपत्तियों का संदर्भ दिया जा सकता है। विभाग को भी यह बताया जा सकता है कि पुरानी आपत्ति का निपटान न माना जाए, इसे अलग से जारी नहीं रखा जा रहा। विभाग और लेखापरीक्षा के मत में भिन्नता है। पहला लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत आने वाले सिद्धांतों से संबंधित है। विभाग पूरी तरह से दबाव दे सकता है कि इसके द्वारा जारी किए कारण बताओ नोटिस को बंद करने के लिए विभाग के विरुद्ध आपत्ति समाप्त कर दी जाए। लेखापरीक्षा को आपत्ति का निपटान नहीं करना चाहिए लेकिन इसे जारी भी नहीं रखना चाहिए। लेखापरीक्षा हालाँकि आपत्ति को गैर-निस्तारित के रूप में समाप्त कर सकता है। यह विभाग के ऊपर है कि वह आपत्ति को न स्वीकार करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने की विरोधाभासी कार्रवाई की जिम्मेदारी ले। विभाग द्वारा जब तक आपत्ति लेखापरीक्षा के लिए आपत्ति के मूल सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया जाता, लेखापरीक्षा के लिए आपत्ति का निपटान करना या छोड़ देना सम्भव नहीं है। लेकिन लेखापरीक्षा को (अपने सीमित कर्मचारियों के साथ) बहुत पुरानी आपत्तियों को जारी नहीं रखना चाहिए। हाल के लेखापरीक्षा चरणों में आपत्तियों के माध्यम से केवल मूल को जारी रखा जा सकता है। ऐसे मूल पर ड्राफ्ट पैराग्राफों में मंत्रालय द्वारा मूल को मान लिए जाने तक इसे भेजने के वर्ष दर वर्ष इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

5. आपत्ति को छोड़ देने या निपटान करने की शक्ति

- (i) उपरोक्त पैराग्राफों के अनुसार डीजी/पीडी, के पास बिना किसी मौद्रिक या अन्य सीमा के आपत्तियों को उठाने, जारी रखने, निपटाने और हटा देने की पूरी शक्ति निहित होती है।
- (ii) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न करने से मुख्यालय के साथ परिहार्य पत्राचार को बढ़ावा मिलता है। पुरानी लंबित आपत्तियों की बड़ी संख्या लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध श्रमबल संसाधनों के अनुत्पादक उपयोग का एक लक्षण है। मुख्यालय को भेजे गए ड्रॉफ्ट पैराग्राफों की संख्या (और मुद्रित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से प्राप्त की गई प्रतिशतता) लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध श्रमबल संसाधनों के उत्पादक उपयोग का द्योतक है। जब तक किसी वर्ष में पुरानी आपत्तियों का नई आपत्तियों की तुलना में अधिक निपटान नहीं किया जाता, ऐसी लेखापरीक्षा पर ड्रॉफ्ट पैरा देने वाले संबंध लेखापरीक्षा कर्मचारियों की प्रतिशतता में वर्ष दर वर्ष गिरावट आएगी। इसके विपरीत अनुत्पादक पुरानी आपत्तियों की बढ़ती हुई संख्या के प्रबंधन हेतु अधिक से अधिक लेखापरीक्षा कर्मचारियों की माँग की जाएगी।

4. Old non-accepted objections

Where a non-accepted objection related to an old audit cycle, the objection needs to be pursued through other identical objection taken in recent audit cycles. The old objection may be closed as “not to be pursued” and cross referenced with a large value objection in recent audit cycles. Reference to past objections may be given in brief to draft paragraph on the recent audit objection. The department could also be informed that while the old objection is not to be treated as settled, it is not being pursued separately. There is a difference in view point between department and Audit. The former is concerned with the principle underlying the audit objection. The department may well insist that the objection be dropped to enable department to close the show cause notice issued by it. Audit should not settle the objection but need not pursue it either. Audit may even close the objection unsettled. It is for department to take responsibility for its contradictory actions in issuing show cause notice as well as not accepting the objection. So long as the principle underlying the audit objection is not accepted by the department, it is not possible for Audit to drop or settle the objections. But Audit (with its limited staff resources) need not pursue the very old objections. Only the principle may be pursued through objections in recent audit cycles. Such principles must get reflected in draft paragraphs on it sent year after year till the principle is accepted by department.

5. Power to settle or drop objection

- (i) Subject to above paragraphs, *DGs/PDs* have full powers to raise, pursue, settle and drop objections without any monetary or other limit.
- (ii) Non exercise of delegated powers leads to avoidable correspondence with headquarters office. The large number of old pending objections is a symptom of unproductive utilization of available man power resources for audit. The number of draft paragraphs sent to headquarters office (and the percentage which get featured in the printed audit report) is the indicator of productive utilization of available man power resources for audit. Unless more old objections are cleared than new objections are taken in any year, the percentage of audit staff engaged on such audit as will give rise to draft paragraphs will keep decreasing year by year. Instead more and more audit staff would be demanded for managing increasing number of unproductive old objections.

(iii) 1980-81 और उससे पहले की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पीएसी द्वारा अंतिम विचार-विमर्श के बाद पहले ही बन्द की जा चुकी हैं जिसकी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। इन ऑडिट रिपोर्टों से संबंधित किसी ड्रॉफ्ट पैराग्राफ पर आपको प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत यदि आपने सभी कार्रवाई नहीं की है तो, आप तुरन्त ऐसी कार्रवाई करें। यदि किसी मामले में आप इस कार्यालय से किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया समीक्षा करें कि क्या निर्णय की प्रतीक्षा करना आवश्यक है अगर ऐसा है तो मामले को अर्द्ध-शासकीय रूप में प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क) को भेजा जाए।

(क) यह वास्तविकता है कि स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने तक निदेशक/ उपनिदेशक को एलएआर में किसी आपत्ति को जोड़ने या हटाने का पूरा अधिकार है। इसके बाद किसी भी स्तर पर (यहाँ तक कि ग्रुप अधिकारी से नीचे स्तर तक) किसी मान ली गई आपत्ति के निपटान की शक्ति का प्रयोग डीजी/पीडी अथवा ग्रुप अधिकारी द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जाए आंतरिक व्यवस्था के अनुसार किया जा सकता है। इस संबंध में डीजी/पीडी के साथ ग्रुप अधिकारी के पास भी पूरी शक्ति होती है। तथापि ₹ 1 लाख से अधिक के कम निर्धारण वाले मामलों का निपटान जिन्हें किसी कारणवश ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया हो, के निपटान से पहले अथवा बाद में किसी समय डीजी/पीडी को सूचनार्थ दिखाया जाना आवश्यक है।

(ख) एक बार के उपाय के रूप में आपत्तियों को हटाने के संबंध में (केवल मान्य न की गई आपत्तियों को हटाया जा सकता है। मान ली गई आपत्तियों का केवल निपटान किया जा सकता है; उन्हें हटाया नहीं जा सकता है), और 1979-80 और इसके पहले के लेखापरीक्षा चरणों में डीजी/पीडी आपत्तियों के अनुमोदन के विषयगत कम निर्धारण मूल्य के तत्संबंधी ग्रुप अधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है यदि ड्रॉफ्ट पैराग्राफ बनाते समय उसको लगे कि आपत्ति टिक नहीं पाएगी न ही वह इस पर जोर दे। 1980-81 या बाद के लेखापरीक्षा चरणों में एक लाख (सीमाशुल्क के मामले में ₹ 25,000) से अधिक मूल्य की आपत्तियों को केवल डीजी/पीडी के अनुमोदन से हटाया जा सकता है। ग्रुप अधिकारी डीजी/पीडी के अनुमोदन से ₹ 1 लाख (सीमाशुल्क के मामले में ₹ 25,000) तक आपत्तियों को हटाने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। एओज़ की आपत्ति हटाने की ₹ 1,000 की सीमा के भीतर जारी रखी जा सकती है। ग्रुप अधिकारी डीजी/पीडी के अनुमोदन से ₹ 25,000 (सीमाशुल्क के मामले में ₹ 10,000) तक मुख्यालय में (नाम से) विनिर्दिष्ट एओज़ को आपत्ति हटाने की अपनी शक्तियों को ऐसे प्रतिनिधि मंडल को (नाम से) सौंप सकते हैं। ऐसे एओज़ के नाम ऐसे प्रतिनिधि मंडल की अवधि को दर्शाते हुए मुख्यालय को सूचनार्थ भेजें।

(iii) Audit Reports for 1980-81 and earlier years have been already closed after final deliberations by the PAC whose reports have also issued. If on any draft paragraph relating to these Audit Reports, you have not taken all action under the powers delegated to you, you may do so immediately. If you are awaiting any decisions from this office in any case, kindly review whether it is necessary to wait for a decision and if so the matter may be referred demi-officially to *PD (Customs)*.

(a) It is a fact that upto the time of issue of Local Audit Report full powers exist with *Director/Deputy Director* to exclude or include any objection in the LAR. Thereafter the power to settle accepted objections can be exercised at any level (even below that of group officer) as may be decided by *DG/PD* or Group Officer as a purely internal arrangement. Full powers exist with *DG/PD* as also group officer in this regard. Settlement of cases involving underassessment of more than Rs. one lakh which for some reason have not featured in the printed audit report must however be shown to *DG/PD* for information at any time, before or after settlement.

(b) As regards dropping of objections (only non accepted objections can be dropped. Accepted objections can only be settled; they cannot be dropped) as a one time measure, and subject to approval of *DG/PD* objections taken in audit cycle of 1979-80 and earlier cycles may be dropped by group officer irrespective of value of underassessment, if in his view the objection cannot be sustained nor pressed by preparing of draft paragraph. But objections of value more than Rs. one lakh (Rs.25,000 in case of Customs) taken in 1980-81 or late audit cycles should be dropped only with the approval of *DG/PD*. Group officers may with the approval of *DG/PD* exercise powers to drop objection up to Rs. one lakh (Rs. 25,000 in case of Customs). The existing power of AOs to drop objection may continue within the limit of Rs.1,000. Group Officers may delegate their powers to drop objection to specified AOs in Headquarters (by name) upto a limit of Rs. 25,000 (Rs.10,000 in case of customs) with the approval of *DG/PD* to such a delegation (by name). The names of such AOs may be intimated to Headquarters office for information indicating period of such delegation.

(ख) दिनांक 17.02.2003 के संख्या 37/आरए-आइएनडीटी/सीयूएस/126-2002 द्वारा जारी मुख्यालय के परिपत्र सं. 2/2003 के अनुसार

ड्राफ्ट पैरा का मौद्रिक मूल्य ₹ एक लाख तक बढ़ाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 07.02.1984 के परिपत्र पैरा 7 में निहित निर्देशों को निम्नलिखित के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया:-

क्रमांक	अधिकारी	मौजूदा शक्तियाँ	संशोधित शक्तियाँ
1.	व.ले.प.अ./ले.प.अ.	₹ 1,000/- तक	₹ 50,000 मूल्य तक की आपत्तियाँ
2.	गुप अधिकारी	₹ 10,000/- तक	₹ 50,000 मूल्य तक की आपत्तियाँ
3.	डीजी/पीडीए	₹ 25,000/- तक	पूरी शक्तियाँ

(ग) दिनांक 23.09.2011 के आदेश सं. 904- आरए-आइएनडीटी/सीई/536-2004/पीएसी द्वारा जारी मुख्यालय के परिपत्र संख्या 7/2011 सीएक्स

- यह स्पष्ट किया गया था कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ऑडिट पैराओं को मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएनज़) के तंत्र के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। लेखापरीक्षा द्वारा पूरी तरह से पुनरीक्षित एटीएनज़ प्राप्त करने के बाद मंत्रालय उनको लोक लेखा समिति (पीएसी) को सौंपता है जो प्रत्येक पैरे पर अंतिम निर्णय लेती है। इसी प्रकार, ऑडिट रिपोर्ट में एक ऑडिट पैरा केवल पीएसी द्वारा ही “निपटाया” जा सकता है। मुख्यालय में हमारी भूमिका प्रत्येक एटीएन को जारी रखना है जब तक कि मंत्रालय और हम किसी कथित स्थिति पर सहमत न हो जाएं। यदि एक बार हम इस कथित स्थिति पर सहमत हो जाते हैं, जो मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को मान लेने के साथ सुधारात्मक कार्रवाई की पहल के कारण हो अथवा हमारे द्वारा मंत्रालय से गैर-सहमति के कारण हो, हम “बिना किसी अन्य टिप्पणी के पूरी तरह से पुनरीक्षित” टिप्पणियाँ जारी करते हैं। इसका तात्पर्य है कि लेखापरीक्षा द्वारा एटीएन अब आगे जारी नहीं रखा जाएगा। तथापि, पैरा निपटाने का अन्तिम निर्णय या अन्य कोई निर्णय पीएसी का होता है।
- यह भी स्पष्ट किया गया था कि क्षेत्रीय कार्यालयों को एक बार अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पैरा शामिल कर लिए जाने के पश्चात् इन पैराओं को अपनी आपत्ति पुस्तिका (ओबी) में ऑडिट रिपोर्ट पैरा सं. लिखकर बन्द कर देना चाहिए। उन्हें संबंधित आयुक्त को यह सूचना भी देनी चाहिए कि पैरा को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई मंत्रालय और सीएजी कार्यालय के बीच होगी। यदि किसी मामले में आयुक्तालय से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कोई पत्राचार या कोई ऐसा पैरा प्राप्त होता है, तो उन्हें मंत्रालय, आयुक्त, पीएसी को सूचना भेजने का

(B) As per Hqrs. Circular No. 2/2003 issued vide no. 37/RA-INDT/Cus/126-2002 dated 17.02.2003

Consequent upon raising of monetary limit of draft paras to Rs. one lakh, it was decided to modify the instructions contained in para 7 of circular dated 07.02.1984 to the extent given below: -

Sl. No.	Officers	Existing powers	Revised powers
1.	Sr.AO/AO	Upto Rs. 1000/-	Objection valued upto Rs. 10,000/-
2.	Group Officers	Upto Rs.10,000/-	Objection valued upto 50,000/-
3.	DG/PDA	Upto Rs. 25000/-	Full powers

(C) As per Hqrs. Circular No. 7/2011-CX issued vide no. 904-RA-INDT/CE/536-2004/PAC dated 23.9.2011

- It was clarified that after placement of an Audit Report in the Parliament, audit paras are pursued through the mechanism of Action Taken Notes (ATNs) of the Ministry. The Ministry, after getting the ATNs duly vetted by the Audit submits them to the Public Accounts Committee (PAC), which takes final decision on each para. Therefore, an audit para in the Audit Report can be "settled" only by the PAC. Our role at Headquarters office is to pursue each ATN until both the Ministry and we agree on a stated position. Once we are satisfied with this stated position, which could be due to acceptance of audit observations by Ministry followed by initiation of corrective action or due to non acceptance of the contention of the Ministry by us, we issue the comments "**finally vetted with no further comments**". This means that the ATN would not be pursued any more by Audit. However, the final decision to settle the para or otherwise rests with the PAC.
- It was also clarified that field offices should close the paras in their Objection Book (OB), once the paras are included in the **Compliance Audit Report** by noting the Audit Report para No. They should also inform the Commissioners concerned that the para has been included in the Audit Report and the follow up will be between the Ministry and CAG office. In case any correspondence on any such para is received by the FOs from the Commissioners, they may be requested to forward the information to the

अनुरोध किया जाए, जो ऑडिट पैराओं को देखते हैं और जो सीएजी कार्यालय को सूचित करेंगे।

- इस पर भी ध्यान दिया जाए कि अनुपालन रिपोर्टों में शामिल करने के लिए अनुमोदित पैरे अब दो तरीके से भेजे जाते हैं, विस्तृत व्याख्यात्मक पैरा, जहाँ विभाग में कार्रवाई लंबित हो और जहाँ विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली थी और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की, उन सभी मामलों सहित रिपोर्ट के प्रथम अध्याय में एक समेकित पैरा के रूप में। दोनों श्रेणियों को पिछले पैरा में दर्शाए गए तरीके से ही निपटाया जाएगा।
- समेकित पैरा में निहित मामलों के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय एलडीपी फाइलों को एक बार ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद बंद कर सकते हैं। पूरी व्याख्या सहित सम्मिलित मामले हेतु एफओ पैरा से संबंधित एलडीपी फाइल केवल तभी बंद कर सकता है जब मुख्यालय से सूचना प्राप्त हो जाए कि पैरा की अन्तिम रूप से पुनरीक्षा कर ली गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट. बहुत अधिक संख्या में अनुपालन पैराओं को शामिल करने के कारण लंबित निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टों हेतु मुख्यालय के लिए एक-एक पैराओं का पुनरीक्षण करना कठिन होगा। इसलिए, एटीएनज़ को जाँच हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाएगा। एक-एक पैराओं पर एटीएनज़ की पुनरीक्षा एफओज़ द्वारा संशोधित निपटान मानकों के आधार पर की जाएगी (अर्थात् एटीएन की पूरी तरह पुनरीक्षा की जा सकती है यदि लेखापरीक्षा आपत्तियाँ मान ली जाती हैं और एससीएन जारी किया जाता है)। तत्पश्चात्, एफओज़ अंतिम पुनरीक्षण हेतु अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। मुख्यालय इन प्रस्तावों की संवीक्षा करेगा और मंत्रालय को पुनरीक्षा टिप्पणियाँ भेजेगा। इन टिप्पणियों में अन्तिम रूप से पुनरीक्षित सभी पैराओं को आपत्ति पुस्तिकाओं से हटाया जा सकता है।

(घ) दि 21. 06.2012 के आदेश संख्या 137/RA-INDT/Cus/III/40-2012 द्वारा मुख्यालय के परिपत्र संख्या 5/2012 के अनुसार

मुख्यालय को भेजे जाने वाले ड्राफ्ट पैरा का मौद्रिक मूल्य मार्च 2009 में ₹ 7.50 लाख कर दिया गया था। सीमाशुल्क राजस्व प्राप्तियों में 2008-09 में ₹ 99,879 करोड़ से 2010-11 में ₹1,35,813 करोड़ की वृद्धि और 15 मई 2012 को वीडियो कांफ्रेंस में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ चर्चा के मद्देनजर आपत्तियों के निपटान के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ा दी गई जो निम्न प्रकार है:-

(i) आपत्तियाँ उठाई गईं लेकिन ड्राफ्ट पैरा नहीं बन सकी:

क्र. सं	अधिकारी/कर्मचारी	मौजूदा शक्तियाँ	संशोधित शक्तियाँ
1.	ए. ओ. मुख्यालय	₹ 10,000/- तक	₹ 25,000/- तक

Ministry, Commissioner, PAC, who handles audit paras who would in turn, intimate the CAG office.

- It may also be noted that audit paras approved for inclusion in the Compliance Reports are now being reported in two ways; The detailed narrative paras, where action is pending in the department and as a consolidated para in the first chapter of the Report, including all cases where the department had accepted the audit observations and initiated corrective action. Both categories would have to be dealt with in the manner indicated in the previous para.
- For the cases included in the consolidated para, the FOs may close the LDP files once the Audit Report is tabled. For the case included with full narration, the FO may close the LDP file relating to the para only after receiving intimation from Hqrs. that para has been finally vetted.

Performance Audit Reports. For pending Performance Audit Reports, due to inclusion of very large number of compliance paras, it would be difficult for HQrs to vet individual paras. Therefore, the ATNs would be sent to the Field Offices for examination. The ATNs on individual paras would be vetted by the FOs based on revised settlement norms (i.e. ATN can be finally vetted if audit objection is accepted and SCN issued). Thereafter, the FOs may send their proposals for final vetting. The Hqrs. would scrutinize these proposals and convey vetting comments to the Ministry. All paras finally vetted in these comments could be closed in the objection books.

(D) As per Hqrs Circular No. 5/2012 issued vide No. 137/RA-INDT/Cus/III/40-2012 dated 21-06-2012

Monetary limit for Draft Para for sending to Hqrs. was raised to Rs. 7.50 lakh in March 2009. In view of the increase in Customs revenue receipts from Rs.99,879 Crores in 2008-09 to Rs. 1,35,813 Crores in 2010-11 and the discussion with the Field Offices in the Video Conference on 15th May 2012, monetary limit for settlement of objections was revised as below: -

(i) Objections raised but not converted into Draft Paras:-

Sl. No.	Officers/Officials	Existing powers	Revised powers
1.	A.O. Hqrs.	UptoRs. 10,000/-	UptoRs. 25,000/-

2.	ग्रुप अधिकारी	₹ Rs.50,000/- तक	₹1.00 लाख
3.	डीजीए/पीडीए	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ

डीजीए/पीडीए यदि आवश्यक समझें तो प्रशासनिक सुविधानुसार ग्रुप अधिकारियों को ₹ 5.00 लाख तक की शक्तियाँ दे सकते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा, प्रोफार्मा के अनुसार, हटाई गई आपत्तियों का एक रजिस्टर अवश्य बनाया जाए। इस रजिस्टर को प्रत्येक माह समूह अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। ग्रुप अधिकारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा छोड़ दिए गए कम से कम 5 प्रतिशत मामलों के यादृच्छिक की नमूना, जाँच करेंगे। रजिस्टर प्रत्येक तिमाही महानिदेशक लेखापरीक्षा/प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा को भी दिखाया जाएगा। इस आशय का एक नोट कैलेंडर ऑफ रिटर्न्स में रखा जाना चाहिए।

ड्राफ्ट पैरा में रूपान्तरित और मुख्यालय को भेजी गई आपत्तियों का निपटान।

(क) ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करने हेतु उपयुक्त न पाए जाने वाले डीपीज़ को डीजीए/पीडीए द्वारा निपटाया जा सकता है।

(ख) ऑडिट रिपोर्ट में शामिल डीपीज़ को दो श्रेणियों में बाँटा गया है:

श्रेणी 'क':- विभाग द्वारा उत्तर नहीं दिए गए/विभाग द्वारा स्वीकार न किए गए मामले।

श्रेणी 'ख':- विभाग द्वारा स्वीकार किए गए /एससीएन जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई/डिमांड नोटिस इत्यादि/विभाग द्वारा की गई वसूलियों के मामले।

श्रेणी 'क' मामलों के संबंध में, मुख्यालय द्वारा मंत्रालय से एटीएनज़ प्रप्ति के आधार पर निपटान किया जाएगा।

श्रेणी 'ख' मामलों के संबंध में ऐसे मामलों के निपटान का निर्णय क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लिया जाएगा। क्षेत्रीय 'ख' के मामलों के संबंध में, इन मामलों के निपटान का निर्णय क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उन मामलों में लिया जायेगा जहाँ एससीएन। डिमांड नोटिस। वसूली कर ली गई है तथा जारी किए गए आरोप-पत्र। बताई गई आंशिक वसूली की इनके अन्तिम निपटान तक आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

श्रेणी 'ख' पैराओं के निपटान हेतु उपरोक्त मानदण्ड 2010-11 की रिपोर्ट सं. 24 (अनुपालन लेखापरीक्षा) से आगे प्रभावी होंगे।

भवदीय,

हस्ता./-

(नीलोत्पल गोस्वामी)
प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)

2.	Group Officers	Upto Rs.50,000/-	Upto Rs.1.00 lakh
3.	DGA/PDA	Full powers	Full powers

DGA/PDA may delegate the powers to Group officers, if considered necessary, according to administrative convenience upto Rs. 5.00 lakh.

A register of dropped objections, as per the proforma, must be maintained by the Field Offices. This register will be put up to the Group Officer every month. The Group Officer shall, at random, test check at least 5 per cent of the cases dropped by Sr. Audit Officer/ Audit Officer. The register will also be shown to Director General of Audit/Pr. Director of Audit after every quarter. A note to this effect should be kept in Calendar of Returns.

Settlement of objections converted into Draft Paras and forwarded to Hqrs.

(a) DPs not found fit for inclusion in Audit Report that can be settled by DGA/PDA.

(b) DPs included in Audit Report are categorized in two categories:-

Category 'A':- Cases not replied by the Department / not accepted by the Department.

Category 'B' :- Cases accepted by the Department / rectificatory action by way of issue of SCN / Demand Notice etc./ recovery made by the Department.

In respect of Category 'A' cases, settlement will be done by HQrs on the basis of ATNs received from the Ministry.

In respect of Category 'B' cases, the decision for settlement of such cases will be taken by field offices wherein SCN / Demand Notice / Recovery has been made accepting Charges memo issued / Partial recovery reported should be reviewed periodically to its finality.

The above criteria for settlement of Category 'B' Paras will be effective from the Compliance Audit Report No. 24 of 2010-11(Compliance Report) onwards.

Yours faithfully,

Sd/-

(Nilotpal Goswami)

Principal Director (Customs)

छोड़ी गई आपत्तियों का रजिस्टर (आयुक्तालयवार)

क्रमांक	आयुक्तालय का नाम	आपत्ति पुस्तिका की संख्या	संक्षेप में आपत्ति	शुल्क प्रभाव	आपत्ति छोड़ने का आधार	व. ले. प. अ./ले. अ. द्वारा छोड़ा गया	ग्रुप अधिकारी द्वारा छोड़ा गया	डीजी/पीडीए द्वारा छोड़ा गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Register of dropped objections (Commissionerate-wise)

Sl. No.	Name of Commissionerate	No. of objection book	Objection in brief	Duty effect	Ground for dropping the objection	Dropped by Sr.AO/ AO	Dropped by Group Officer	Dropped by AG/PDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुबंध 24
(संदर्भ पैरा 29.7)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली को प्रेषित की जाने वाली रिटर्न

प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ और उनकी देय तिथियाँ निम्नलिखित हैं:

क्रमांक	विवरणी का नाम	टिप्पणीयाँ	अवधि
1.	लेखापरीक्षा योजना	1 फरवरी को स्वीकृत पद और तैनात कार्मिकों को लेखापरीक्षा योजना में शामिल किया जाना चाहिए।	वार्षिक (प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक)
2.	आश्वासन ज्ञापन	यह प्रस्तुत किया जा सकता है।	वार्षिक
3.	एक्सेल टेम्पलेट्स में प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही निष्पादन रिपोर्ट (अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर, अक्टूबर से दिसम्बर और जनवरी से मार्च)	‘मानी गई आपत्तियों और जिन्हें ड्राफ्ट पैरा नहीं बनाया गया’ पर रिपोर्ट को अक्टूबर से दिसम्बर तक की तीसरी तिमाही रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। इसे “वार्षिक मद” के रूप में अलग से दर्शाया जाए।	तिमाही * (जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल की 10 तारीख) प्राधिकरण ई-मेल /फैक्स सं. 655/RADT/59-2013/Coordn. दिनांक 14.11.2013.
4.	लेखापरीक्षा में सांख्यिकी नमूनों का प्रयोग और एनएसओज की भूमिका (नोडल सांख्यिकी अधिकारी)	(i) विवरण – I में मुख्यालय को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट (ii) विवरण – II में सांख्यिकी सलाहकार को एन एसओज द्वारा अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट (मुख्यालय के दि. 2 जनवरी 2012 के पत्र सं. No.44CAG/SA/NSO/2-2012 के साथ संलग्न विवरण I एवं II)	प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल तक। प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल तक।
5.	आपत्तियों का विवरण जिसके लिए एलएआर जारी करने के छः महीने के भीतर पहला उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।	प्रोफार्मा-I में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	वार्षिक

ANNEXURE 24
(Ref. Para 29.7)

Return to be furnished to the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi

The returns to be furnished and their due dates of submission are as under:

Sl. No.	Name of the Returns	Comments	Periodicity
1.	Audit Plan	Sanctioned strength & Men-in position on 1 st February should be included in the Audit Plan.	Yearly (By 1 st week of December each Year).
2.	Assurance Memo	This may be submitted	Yearly
3.	Quarterly Performance report for each quarter in Excel Templates (April to June, July to September, October to December and January to March)	The report on “Objections accepted and not converted into draft paragraphs” should be included in the third quarterly performance report pertaining to October to December. It may be shown separately as “annual item”.	Quarterly * (10th of July, October, January and April) Authority E-mail/Fax No.655/RADT/59-2013/Coordn. Dated 14.11.2013.
4.	Application of Statistical Sampling in Audit and role of NSOs (Nodal Statistical Officers)	(i) Half Yearly Progress Report by all field offices to Hqrs in Statement-I (ii) Half Yearly Progress Report by NSOs to Statistical Advisor in Statement-II (Statement-I&II Enclosed with Hqrs letter No.44CAG/SA/NSO/2-2012 dated 2nd January 2012)	By 15th October and 15th April each Year. By 15th October and 15th April each Year.
5.	Statement of Objections for which first replies have not been received within six months of issue of LAR.	Report to be furnish in Proforma-I.	Yearly

अनुबंध 25
(संदर्भ पैरा 25.3)

(i) सं. 582/आरएडीटी/59-2013 दि. 25 सितम्बर 2013

जब आप 4 अक्टूबर 2013 को यहाँ हास और परिशोधन अनुमति पर पीए के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो मुख्यालय का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं पर चर्चा की जा सकती है। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मैं आपसे यहाँ मुद्दों पर हुई चर्चा पर विशेष ध्यान देने तथा एएपी 14-15 के लिए लेखापरीक्षा नीति और आपके उपयोगी राय देने का अनुरोध करता हूँ।

तैनात व्यक्तियों का समान वितरण

2. 1 अप्रैल 2012 से सभी केंद्रीय व्यय तथा प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नौ अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई। व्यय और प्राप्ति लेखापरीक्षा दोनों के स्वीकृत संख्या बलों को लेखापरीक्षा करने के लिए उनके मौजूदा कार्यालयों से स्थानांतरित कर दिया गया था। नौ क्षेत्रीय कार्यालयों में से मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली के तीन कार्यालय पुनर्गठन के प्रयास से पूर्व ही अस्तित्व में थे। यद्यपि एक से अधिक मंत्रालयों से संबंधित सभी गतिविधियों को एक अकेले कार्यालय के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से पुनर्गठन से प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग केवल वित्त मंत्रालय और डीजीएफटी (वाणिज्य विभाग) के अधीन राजस्व विभाग की प्राप्तियों की ही लेखापरीक्षा पूरी करता है। इसी प्रकार, संघ सरकार के कुल व्यय नौ क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यद्यपि नौ केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण डीएआई (जीए एण्ड सीआरए) के पास है, अकेले केन्द्रीय प्राप्तियों के लेखापरीक्षा की योजना, समन्वयन निर्देशन उन्हीं के द्वारा किया जाता है, जबकि डीएआई (आरसी एण्ड एलबी) केन्द्रीय व्यय से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं नौ कार्यालयों के व्यय लेखापरीक्षा कार्यों का निर्देशन करते हैं। इस प्रसंग में लेखापरीक्षा कार्य हेतु मानव संसाधनों की कमी विशेष महत्व रखती है। मुख्यालय की एक समिति द्वारा हाल ही में जाँच के तहत स्वीकृत संख्याबल में वृद्धि करना एक बड़ा मुद्दा है। इस तरह की व्यवस्था का समय आने तक हमें समुचित योजना और बेहतर समन्वय के माध्यम से इन बाधाओं के तहत कार्य करना होगा। कार्यालय उपलब्ध मानव संसाधनों को व्यय और प्राप्ति लेखापरीक्षा की योजना बनाते समय एक विशेष अनुपात में रखें। कार्यालय पहले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं का सत्यापन जैसी लेखापरीक्षा को ध्यान में रखें और उसके बाद पैन-इंडिया निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित सभी अन्य लेखापरीक्षाओं के लिए शेष संसाधनों का उपयोग करे। इसके अतिरिक्त, सीआरए लेखापरीक्षा के लिए तय अनुपात के भीतर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो के बीच विभाजन आवश्यक है। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष करों के भीतर सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद और सेवाकर लेखापरीक्षाओं के लिए भी अलग-अलग आबंटन किया जाना आवश्यक है। मानव संसाधनों के इस बँटवारे से

ANNEXURE 25
(Ref. Para 25.3)

(i) No.582 /RADT/59-2013 Dated 25 September 2013

While you are here on the 4th of October 2013 for the midterm appraisal on the PA on Allowance of depreciation and amortisation, some important issues that have been engaging the attention of headquarters can be taken up for discussion. Your views being important to us, I request you to consider the issues discussed here carefully and come prepared with your valuable feedback and an audit strategy for AAP 14-15.

Equitable distribution of Persons in position

2. From 1 April 2012 audit of all Central Expenditure and Receipts are with nine individual field offices. The sanctioned strength for both expenditure and receipt audit were transferred as such from the erstwhile offices handling the audits. Of the nine field offices, three at Mumbai, Kolkata and New Delhi were in existence even earlier to the reorganisation effort. Though reorganisation aimed at bringing under the fold of an individual office all activities relating to one or more ministries, the Receipt Audit wing caters to the audit of only those receipts vested with the Department of Revenue, under Ministry of Finance and DGFT (Dept. of Commerce). Similarly, certain expenditure of the Union government is under the audit jurisdiction of the nine field offices. Though the administrative control of the nine Central Audit offices is with the DAI (GA & CRA), the audit of central receipts alone is planned, co-ordinated and directed by him, while the DAI (RC & LB) is responsible for the central expenditure related audit work directs the expenditure audit work of these nine offices. In this context, shortage of human resources for audit work assumes significant importance. Augmenting sanctioned strength is an issue, currently under examination by a committee at headquarters. Until such time real resources fructify, we have to work within the given constraints through proper planning and better co-ordination. The office can apportion the available human resources in a particular ratio between the Expenditure and Receipt audit. While planning for the expenditure audits, the offices may consider taking into account the mandatory audits such as certification of accounts of the central autonomous bodies first and then use the remaining resources for all other audits, including the pan-India Performance Audits. Further, within the ratio identified for CRA audit, apportioning between the direct and indirect taxes audit is essential. Moreover, within the indirect taxes, audit resource

मात्रा और गुणवत्ता से समझौता किये बिना वर्ष के लिए कार्यालय को उचित रूप से अपनी लेखापरीक्षा योजना बनाने में मदद मिलेगी। करों के सिस्टम डाटा के उपयोग से श्रमबल की कमी यदि हो तो, पूरा करने हेतु तकनीकी का लाभ उठाया जा सकता है और लेखापरीक्षा योजना को सुदृढ़ किया जा सकता है।

सीआरए के बीच ऑडिट रिपोर्ट का वितरण

3. मुख्यालय का सीआरए विंग प्रतिवर्ष चार अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (प्रत्यक्ष कर की एक तथा सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद तथा सेवाकर की एक-एक रिपोर्ट) तैयार करता है। हम प्रतिवर्ष प्रत्येक कर के लिए दो पीएज् भी तैयार करते हैं। केंद्रीय उत्पाद और सेवाकर में विभाग केंद्रित लेखापरीक्षा शुरू होने से हमने रिपोर्ट के लिए डीएपीज् की संख्या और मूल्य के संबंध में लक्ष्य छोड़ दिया। इससे हम एक स्थिति में पहुँचे जहाँ सीएक्स और एसटी की सीए रिपोर्ट को एक ही रिपोर्ट में शामिल करना पड़ा। आईएडी की नीतिगत योजना डीपीज् पर कायम रहने के बजाय सीए रिपोर्ट में अधिक विषयगत अध्ययनों को शामिल करने की वकालत करती है। एफएओज् ने अपने नए उत्साह में सुझाव दिया कि वे कई विषय देंगे और 2014/15 की सीए रिपोर्ट में इसे शामिल करेंगे। हालांकि जुलाई 2013 में, उनमें से कई ने मुख्यालय को बताया कि एएपी 2014 तथा एएपी 15 में अनुमोदित कई विषयों के साथ नहीं चल सकेंगे और उन्होंने अधिकांश विषयगत अध्ययनों से अलग करने का अनुरोध किया। हालांकि एएपी मानव संसाधनों पर उनके इनपुट के बाद बनाई गई थी जो सभी विषयगत लेखापरीक्षाएं करने के लिए उपलब्ध थे, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है कि एफएओज् नियोजन के अनुसार विषयगत अध्ययन करने में क्यों समर्थ नहीं थे। इसलिए, हम सीआरए विंग को ऑडिट रिपोर्ट के लिए सभी नौ एफएओज् के लिए लागू एक व्यावहारिक दृष्टिकोण पर विचार करते हैं। प्रत्येक कर में तीन से चार विषय-आधारित लेखापरीक्षाएँ (टीबीए) और प्रतिवर्ष एक या दो पीएज् हो सकते हैं। अग्रिम में स्पष्ट रूप से ज्ञात एक लेखापरीक्षा चक्र के लिए हमारी रिपोर्टों के संबंध में न्यूनतम संदर्भ हमारे संसाधनों की योजना और प्राथमिकता में सहायता कर सकता है।

अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट के लिए डीसीए और लेखापरीक्षा योजना

4. विभाग केंद्रित लेखापरीक्षा की शुरुआत के साथ हमें सीएक्स और एसटी के प्रशासन में विभाग की कई चूकों से संबंधित कई निष्कर्ष भेजने की उम्मीद थी। बड़े अफसोस के साथ हमने देखा कि क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर से अलग विभाग की ऐसी चूकों को इंगित करने वाला शायद ही कोई तथ्य हो। हमारा ध्यान विभाग क्यों निर्धारितियों की चूकों का पता लगाने में असमर्थ था और कौन सी प्रणालीगत खामियाँ इसके लिए जिम्मेदार थीं, के बजाय अभी भी निर्धारितियों की चूकों को पकड़ने में आईएडी की सीबीईसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना प्रतीत होता है। संभवतः लक्ष्य को छोड़ने की वजह ने हमें इस स्थिति में पहुँचा दिया जहाँ जिम्मेदारी पीछे रह गयी। हम सुझाव देते हैं कि हम सीए रिपोर्टों के लिए डीएपीज् के संबंध में

allocation separately for Customs, Central Excise and Service tax audits may also be required to be done. This segregation of human resources would assist the office to plan its audits suitably for the year without compromising on the quality or quantity. Use of systems data of the taxes could leverage technology to obviate manpower crunch, if any, and bolster precise audit planning.

Audit Report distribution within CRA

3. The CRA wing at headquarters prepared four-compliance audit reports (one direct tax report and one each for Customs, CX and ST) every year. We also prepare two PAs every year for each tax. With introduction of Department Centric Audit in CX and ST, we abandoned targets in terms of number of DAPs and money value for the report. This led us to a situation where we had to merge the CA reports of CX and ST into one. The strategic plan of IAAD advocates inclusion of more thematic studies in the CA reports rather than standalone DPs. The FAOs in their newfound enthusiasm suggested that they would do many themes and include it in the CA report for 2014/2015. However, in July 2013, most of them informed headquarters that they will not be able to go on with the number of themes approved in the AAP 2014 and AAP15 and requested deferring of most of the thematic studies. Though the AAP was made only with their inputs on the human resources that was available for conducting all thematic audits, it remains unanswered why FAOs were unable to conduct the thematic studies as planned. Hence, we contemplate an optimalist approach applicable to all the nine FAOs for the Audit Reports for the CRA wing. Each tax may have three to four theme-based audits (TBA) and one or two PAs every year. The bare minimum in terms of our reports for an audit cycle known clearly in advance can help us plan and prioritise our resources.

DCA and Audit Planning for the Compliance Audit Reports

4. With the introduction of Department Centric Audit, we expected several findings referring to a variety of lapses of the department in the administration of the CX and ST. Sadly we observed that there were hardly any material from the field pointing out such lapses of the department unlike in Direct taxes. Our focus still appears to be in competing with the IAD of CBEC in pointing out the lapses of the assessee rather than in identifying why the department was unable to detect the lapses of the assessee and what systemic deficiencies were responsible for it. Probably the doing away of the targets has led us into a situation where

संख्यात्मक लक्ष्यों को वापस पा सकते हैं। और इसके पूर्व डीसीए स्तर (सीएक्स और एसटी प्रत्येक सीए रिपोर्ट के लिए 200 डीएपीज़) को बनाए रख सकते हैं। मुख्यालय को प्राप्त एलडीपीज़ का विश्लेषण भी दर्शाता है कि अधिकांश पैरे सीएक्स और एसटी प्रशासन दोनों पर 20 लाख से अधिक मूल्य के थे। अतः हमने यह भी सुझाव दिया कि सीए रिपोर्ट के लिए प्रस्तावित एलडीपी का न्यूनतम मुद्रा मूल्य 20 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। इस लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण से जिम्मेदारी में वृद्धि होगी और कार्यालयों के बीच एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ऐसा करने के लिए प्रत्येक कार्यालयों के विभिन्न कर लेखापरीक्षाओं के बीच मानव संसाधनों की एक समान बँटवारा किये जाने की आवश्यकता है। विभाग केंद्रित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण से पीछे हटने के कारण सीएक्स और एसटी प्रशासन पर वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा में शामिल कई इकाईयों में बहुत अधिक संशोधन किया गया है। सीएक्स और एसटी निर्धारित लेखापरीक्षित इकाईयों के भाग नहीं होते और केवल नमूना जाँच नहीं की जानी चाहिए। इसे हमारे लेखापरीक्षा संसाधनों के लिए रखा गया है जिसका समेकित प्रयासों के माध्यम से उत्पादक उपयोग किया जा सकता है।

5. इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 09 में सीमाशुल्क लेखापरीक्षा के लिए ₹ 7.50 लाख की मुद्रा मूल्य के साथ डीपी लक्ष्य 226 से घटाकर 160 कर दिया गया। वि. व. 12 में 532 सीमाशुल्क इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई और 12461 लेखापरीक्षा आपतियाँ जारी की गई थीं जिनका मूल्य ₹ 10824 करोड़ था। केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा ₹ 0.5 प्रतिशत मूसंकेत दर्शाने वाली ₹ 62.28 करोड़ की 121 पैराओं (31 श्रेणी 'क' एवं 90 श्रेणी 'ख') की सीए रिपोर्ट (2013 की संख्या 14) और 0.9 प्रतिशत आपतियाँ उठाई गई थी। कर आधार के साथ तुलना अविश्वनीय रूप से महत्वहीन हो जाएगा। सीए रिपोर्ट का धन मूल्य वि. व 09 से ₹ 7.5 लाख रखा गया है जबकि सीमाशुल्क प्राप्तियाँ बढ़ रही हैं, निर्यात बढ़ रहा है और सुविधा, निगरानी और लेन देन के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। लेनदेन कीमत में भारी गिरावट या संग्रहण की लागत के संदर्भ में लेखापरीक्षा इकाईयों की दक्षता में सुधार नहीं देखा गया है। सीए रिपोर्ट के मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसमें निहित संभावित जोखिम को देखते समय कम से कम आधार को प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए डीपी की न्यूनतम सीमा 160 डीपीज के लक्ष्य हेतु केवल यथार्थ महत्व के बिन्दुओं को देखने के लिए ₹ 7.50 लाख से ₹ 10 लाख का प्रस्ताव किया जाता है। हालांकि सैद्धांतिक प्रकृति के डीपीज़ को किसी मुद्रा मूल्य में नहीं बाँधा जा सकता जहाँ दो-तीन वर्षों से अधिक पुरानी डीपीज़ पर कार्यवाही नहीं की जा सकती, यद्यपि प्रणालीगत कमी और उसमें निहित राजस्व हानि प्रभाव को दर्शाने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम के अनुसार एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के बावजूद भी डीपीज़ जारी किया जाना चाहिए।

6. टीबीएज़ और पीएज़ को सीआरए की नीतिगत योजना और परिप्रेक्ष्य योजना में लाए जाने वाले बड़े मुद्दों को पहचानने जाने की आवश्यकता है। टीबीएज़ को केवल एक वर्ष की

accountability has taken a backseat. We suggest that we may bring back the numerical targets in terms of DAPs for the CA report and retain it at the pre DCA levels (200 DAPs each for CX and ST CA reports). An analysis of the LDPs received at headquarters also shows that most audit paras were of more than 20 lakhs in value on both CX and ST administration. Hence, we also suggest that the minimum money value of an individual LDP proposed for the CA report be raised to Rs. 20 lakhs. This target-oriented approach would enhance accountability and establish a fair competition among the offices. To this extent, human resources need to be equitably distributed amongst the various tax audits of every office. Rolling out of the department centric audit approach has drastically modified the number of units covered in audit during the year on CX and ST administration. The CX and ST assesseees do not form a part of the auditee units and need to be sample checked only. This has considerably spared our audit resources which can be put to use productively through synchronised efforts.

5. Similarly, DP target for Customs audit was reduced from 266 to 160 in FY09 with a money value of Rs.7.5 lakh. In FY12, 532 customs units were audited and 12461 audit observations were issued which were valued at Rs.10824 Crore. The CA report (No.14 of 2013) consisted of 121 paras (31 Cat A & 90 Cat B) of Rs.62.28 Crore value indicating 0.5% money value conversion and 0.9% audit observation conversion rates of the observations raised by the Central Audit offices. Comparison with the tax base would be incredibly insignificant. Money value of the CA report has been kept at Rs.7.5 lakh since FY09 though Customs receipt has been increasing, exports have been increasing and technology is being widely used for facilitation, surveillance and transactions. Efficiency of the audited entity has not seen improvement in terms of cost of collection or measurable decrease in the transaction cost. The money value of the CA report needs to be augmented for it to at least represent the tax base while addressing the risks inherent therein. The DP minimum threshold is, therefore, proposed to be raised from Rs. 7.5 lakh to Rs.10 lakh for a target of 160 DPs, to draw only points of material importance. However, DPs of systemic nature may not be bound by any money value, whereas DPs older than two-three years may not be processed, though DPs should be issued even if SCN is time barred after one year as per the Customs Act, to bring out the systemic deficiency and the revenue loss impacted therein.

6. The TBAs and PAs are required to address the larger issues brought out in the Strategic Plan and Perspective Plan of the CRA. The TBAs need to be

लेनदेन डाटा के प्रयोग के माध्यम से कार्यक्षेत्र में मानकीकृत करने और इसे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में फैलाने की आवश्यकता है। शेष लेखापरीक्षा प्रक्रिया पीए जैसी होगी।

हमारे आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना तथा जवाबदेही में वृद्धि करना

7. वर्ष के दौरान मुख्यालय में प्राप्त एलडीपीज़ का विश्लेषण विगत समय से संबंधित कुछ पैराग्राफ जिनमें 2006-07 के दौरान काफी कमियों को दर्शाता है। सेरा द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निर्धारिती की कमियों को अनुभाग को सूचित किये जाने पर, विभाग केवल तभी ऐसी कमी की तिथि से कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है जब अवधि सीएक्स के मामले में एक वर्ष के अंदर और एसटी के मामले में 18 महीनों के अंदर है। यदि मामला धोखाधड़ी या जानबूझकर छुपाने का है तो पाँच वर्षों के अंदर एक एससीएन जारी किया जा सकता है। कई एलडीपीज़ विभाग की समय बाधित राजस्व जिस के फलस्वरूप सरकार को हानि हुई जो इस कमी को नहीं इंगित नहीं करते कि है। कुछ मामलों में, वसूली रिपोर्ट हेतु एलडीपी के रूप में प्रसंस्कृत किये जाने के एक या दो वर्ष पहले भी पूरी की गई थी। ये पैराग्राफ पुराने ही नहीं थे, बल्कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग में एक महत्वपूर्ण तंत्र की निष्फलता का परिणाम भी हो सकते थे। लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रसंस्कृत किये जाने से एक या अधिक वर्षों से पूर्व पूरी की गई वसूली कार्यवाही के मामलों में, हम मुख्यालय में रहकर यह नहीं जान सकते कि क्या ये वसूलियां लेखापरीक्षा में दर्शाये गये कुल निर्धारण के भाग के मामलों के रूप में पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल की गई है और वर्ष के दौरान वसूली गई हैं ? यदि पूर्व रिपोर्ट में पैराग्राफ जोड़े गये हैं और अन्य वर्ष हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए दोबारा प्रस्तावित किये गये हैं, तो यह हमारे निगरानी तंत्र की महत्वपूर्ण कमी है। हमारे पास पहले ही तैयारी के अधीन वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट किया गया एक मामला है। एक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगामी रिपोर्ट के लिए पैराग्राफ को हटाने में सतर्क दृष्टिकोण के कारण, यह संभावना है कि कर वसूली रजिस्टर, पीडीपी रजिस्टर और डीपीज़ अनुमोदित रजिस्टर समकालिक नहीं है। लेखापरीक्षा किये जाने पर वसूली वर्ष के दौरान वसूली गई रिपोर्ट टीआरआर आंकड़े एक कुलयोग के रूप में उपलब्ध कराई गई हैं। संभावित मामलों को एसओएफज़/एलडीपीज़ में बदलने के लिए पीडीपी रजिस्टर से डीपी सेल की गुजर रही पद्धति, की गई वसूलियों के संबंध में एक निरीक्षण रिपोर्ट के मामले की निगरानी; लेखापरीक्षा समिति की बैठकें/संयुक्त बैठकों के कार्यवृत्तों की निगरानी, सभी वैयक्तिक प्रसंग हैं और उचित रूप से समकालिक नहीं है। खाली किये जाने के बावजूद पीडीपी रजिस्टर बंद न किये जानेकी घटनाएँ भी अविदित नहीं है। पीए रिपोर्टिंग में प्रस्तावित अन्य रिपोर्ट और नये परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को आधिक जिम्मेदार बनाने के लिए आश्वासन ज्ञापन संशोधित करने की हम इच्छा रखते हैं।

standardised in scope by way of using only one year of transactional data and spread over all field offices. The remaining audit process would be akin to PA.

Strengthening of our Internal Control Mechanism and Enhancing Accountability

7. Analysis of the LDPs received at headquarters during the year shows that some paras relate to old periods where the lapses have occurred as early as 2006-07. On CERA informing the department the lapses of an assessee for corrective action, the department can issue a show cause notice from the date of such a lapse only if the period is within a year in case of CX and 18 months in the case of ST. If the case has a fraud or wilful suppression angle to it, issue of a SCN can be within five years. Many LDPs do not point out to this lapse of the department that has made the revenue time-barred resulting in a loss to the government. In a few cases, recovery was also complete one or two years before being processed as LDPs for the report. These paras are not only old but could be the result of the failure of an important mechanism in our audit reporting. In cases where recovery action was complete one or more years before being processed for the audit report, we at Headquarters do not know if these recoveries have been included in the earlier audit reports as a part of Total Under Assessment cases pointed out in audit and recovered during the year. If the para has been included in earlier reports and is being proposed once again for the audit report of another year, it is a serious lapse of our monitoring mechanism. We already have a case reported for the current audit report under preparation. In a Field Audit office, because of its cautious approach of storing away paras for future reports to fulfil targets, there is a possibility that the Tax recovery registers, the PDP registers and the register of approved DPs are not synchronised. The recovery at the instance of audit is provided as a total of the TRR figures reported as recovered during the year. The practice of a DP cell going through the PDP register to convert potential cases into SOFs/LDPs; the monitoring of individual cases in an Inspection report with respect to the recoveries made; monitoring of the minutes of the Audit Committee meetings/joint sittings are all individual incidents and not properly synchronised. Instances of PDP registers not being closed even after being emptied, is also not unknown. We are contemplating to revise the Assurance memo making us more accountable in line with the other central reports and recent changes proposed in PA reporting.

मुख्यालय को संशोधित आवधिक प्रतिदाय

8. हाल ही में, हमने केएफए/केआरए रिपोर्टिंग पर 25 सितंबर 2013 को आदेश परिचालित किये थे। आपसे विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं को अपनाने और उचित प्रतिदायों के कैलेंडर को अद्यतित करने के लिए अनुरोध किया है। जून 2013 को समाप्त तिमाही के लिए प्रतिदाय तुरंत भेजे जा सकते हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रथम अध्याय

9. प्रत्येक स्कंध में अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के विगत तीन वर्षों के अध्याय प्रथम को जांचने के लिए मुख्यालय में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने इसकी आवश्यक विशेषताओं (प्रति संलग्न) को दर्शाते हुए अध्याय प्रथम के लिए एक व्यापक प्रारूप को अंतिम रूप दिया है। इसे और सुधारने के लिए आपके विचार आमंत्रित किये जाते हैं।

10. आप वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2014-15, के लिए टीबीएज्/पीएज् हेतु सुझाव दे सकते हैं यदि वह पहले से नहीं दिए गये हैं। हम आपसे 4 अक्टूबर 2013 को मिलने का विचार कर रहे हैं, जहाँ आप अपने रचनात्मक, सृजनात्मक और अपनाने योग्य सुझावों का परामर्श दे सकते हैं जो एक टीम के रूप में कार्य करने में सहायता करेंगे।

हस्ताक्षरित

(स्वरूप नंदकेल्योर)

महानिदेशाक (प्रत्यक्ष कर और
केन्द्रीय प्राप्ति लेखापरीक्षा समन्वय)

Revised periodical returns to Headquarters

8. Recently, we have circulated instructions on 23 September 2013 on the KFA/KRA reporting. You are requested to adhere to the timelines specified and update the Calendar of Returns suitably. The returns for the quarter ending June 2013 may be sent immediately.

Chapter One of the Compliance Audit Reports

9. A committee had been set up at Hqrs. to go into the last three years Chapter one of the Compliance Audit reports of each wing. The Committee has finalised a broad format for Chapter one giving its essential features (copy enclosed). Your inputs are invited to improve it further.

10. You may also like to suggest topics for the TBAs/PAs for the annual audit plan 2014-15, if not already done. We look forward to meet you on 4th October 2013, where you may put forth your constructive, creative and workable suggestions that would help us as a team to move forward.

Sd/-

(Swarup Nandkeolyar)

**Director General (Direct Taxes and
Central Receipt Audit Coordination)**

(ii) सं. 603/आरए (डीटी) 66-2012/ केडब्लू दिनांक 9 अक्टूबर 2013

विषय: मुख्यालय में 4 अक्टूबर 2013 को हुई कार्यशाला के कार्यवृत्त

“मूल्यहास और परिशोधन की स्वीकृति – प्रत्यक्ष कर” और सीआरए की आगामी लेखापरीक्षा योजना पर निष्पादन-लेखापरीक्षा पर मध्यावधि मूल्यांकन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली में 04 अक्टूबर 2013 को की गई चर्चा के कार्यवृत्त।

निम्नलिखित मामलों पर चर्चा की गई और निर्णय लिये गये:

(क) मूल्यांकन और परिशोधन पर समीक्षा

1. धनमूल्य और कवरेज के रूप में पीए क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए मुख्यालय को सीमाक्षा के प्रस्तुतीकरण की तिथि को 31 अक्टूबर 2013 के बजाय 15 नवंबर 2013 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों से अतिरिक्त बिन्दुओं जिनकी कार्यशाला में चर्चित मामलों के आधार पर पहले जांच नहीं की जा सकी, जांच सरल करने की अपेक्षा की जाती है।
2. लेखापरीक्षा उद्देश्य-“मूल्यहास की दरों का सांमजस्य” मशीनरी की खरीद पर आधारित परिसंपत्तियों के उपयोग के आधार को ध्यान में रखते हुए पुनः जाँच की जानी थी। समानुपातिक आधार पर मूल्यहास को प्रणाली मामलों के रूप में प्रकाश में लाया जाना था न कि राजस्व हानि के रूप में।
3. डीसीआईटी बनाम आइटैट द्वारा दिये गये निर्णय और सिद्धांत का प्रभाव संकलित डाटा के साथ क्षेत्रीय कार्यालय से ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रप्ति पर मुख्यालय में पुनः जांच की जानी थी।
4. व्यापारिक वाहनों के लिए मूल्यहास की उच्चतर दर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वाहनों के पंजीकरण के साथ लिंक की जानी थी।
5. जहाँ तक संभव हो ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व आईटीडी से उत्तर प्राप्त किए जाने हैं। उत्तरों को जहाँ तक संभव हो समुचित रूप से समाविष्ट किये जाने थे और जहाँ आवश्यक हो खंडित किये जाने हैं।
6. दिशा-निर्देशों में निर्धारित रिपोर्ट संरचना को अपनाया जाना अपेक्षित है। प्रणालीगत मामलों को अनुपालन मामलों से पूर्व दर्शाया जाना आवश्यक है।
7. सभी स्तरों पर पर्यवेक्षण सुधारने का अनुरोध किया गया ताकि लेखापरीक्षा परिणाम, की गुणवत्ता और मात्रा को सुधारा जा सके। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालयों को छुट-पुट मामलो; जहाँ उनका सहयोग दूसरी मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार शून्य या न

(ii) No.603/RA(DT) 66-2012/KW Dated 9 October 2013

Subject: Minutes of Workshop held on 04 October 2013 in Headquarters

Minutes of discussions held on 04 October 2013 in C&AG's office, New Delhi on Midterm Appraisal on Performance Audit on "Allowance of Depreciation and Amortization-Direct Taxes" and future Audit Plans of CRA

The following issues were discussed and decisions taken:

A Review on Depreciation and Amortization

1. To broaden the scope of PA in terms of money value and coverage, it was decided to extend the date of submission of review to HQ to **15 November 2013** as against **31 October 2013**. FAOs are expected to facilitate examination of additional points which had not been examined earlier based on issues discussed in the workshop.
2. The basis of the audit objective – "Harmonization of rates of Depreciation" was to be examined afresh in the light of usage of asset based on purchase of machinery. Depreciation on pro rata basis was to be highlighted as a systems issue and not as loss of revenue.
3. The impact of the judgment and principles laid therein in the case of DCIT vs. M/s Times Guaranty Ltd. by ITAT Mumbai was to be re-examined at Headquarters on receipt of Draft Report from the field offices together with data compiled.
4. Higher rate of depreciation for commercial vehicles was to be linked with registration of the motor vehicle for commercial purposes.
5. Replies from the ITD are to be obtained in all the cases before finalizing the draft report to the extent possible. Replies need to be appropriately incorporated and rebutted where necessary.
6. The report structure prescribed in the guidelines need to be adhered to. Systems issues need to be highlighted ahead of compliance issues.
7. It was requested to improve supervision at all levels so that the quality and quantity of audit output improve. Further, FAOs were requested to reorient

के बराबर है, को मजबूत करने के उनके प्रयासों को पुनः अनुकूल करने के लिए अनुरोध किया गया था।

- (क) परिसंपत्तियाँ जिन पर निर्धारिती का स्वामित्व नहीं है
 - (ख) छूट प्राप्त आय के प्रति मूल्यहास
 - (ग) वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास
 - (घ) कर छुटों के दौरान मूल्यहास का दावा न करना
 - (ङ) पूंजीगत व्यय की राजस्व व्यय के रूप में स्वीकृति
 - (च) बिजली उत्पादन इकाईयों के संबंध में डब्ल्यूडीवी प्रणाली को अपनाने के लिए विकल्प का उपयोग न करना
 - (छ) वास्तविक लागत के निर्धारण में त्रुटियाँ
 - (ज) डब्ल्यूडीवी लागत के निर्धारण में त्रुटियाँ
 - (झ) 1 जनवरी 2009 या उसके बाद अथवा 1 अक्टूबर 2009 से पूर्व खरीदे गए वाहनों को परन्तु 1 अक्टूबर 2009 से पहले व्यापार अथवा व्यवसाय हेतु प्रयोग किए जाने पर नए व्यापारिक वाहन मानकर मूल्यहास की उच्चतर दर लगाना।
8. क्षेत्रीय कार्यालयों को ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल किये गये पैराग्राफ के धन मूल्य का मामला पुनः जांचने के लिए अनुरोध किया गया था।
9. खाता लाभ के अनुपालन पर दिनांक 2 सितंबर 2013, इस कार्यालय की पत्राचार सं. 399/आरएडीटी/11-2013/डीएंडए द्वारा अनुबंध V ए को भरा जाना प्रस्तावित किया गया था, कॉलम 8,9, और 10 में उपयोग किया गया शब्द 'वृद्धि' शब्द 'कटौती' के साथ बदला जा सकता है।

मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट पर डीएआई (जीए और सीआरए) द्वारा निर्देश

डीएआई (जीए और सीआरए) ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और कहा कि मध्यावधि मूल्यांकन बैठक अनुभव और ज्ञान बांटने के लिए है ताकि लेखापरीक्षा परिणाम गुणवत्तात्मक और मात्रात्मक रूप से सुधारे जा सकें। उन्होंने जोर दिया कि पीए में मूल्यांकन और परिशोधन की स्वीकृति का प्रभावित करने वाले सामान्य मामलों पर ध्यान देना होता है। लेखापरीक्षा परिणाम गुणवत्तात्मक और मात्रात्मक रूप में सुधारे जा सकें। लेखापरीक्षा परिणामों को यथार्थ में मानदंडित किया जाना था। मूल्यहास की स्वीकृति प्रभावित करने वाले प्रणालीगत मामलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। एक उचित कार्ययोजना अतिरिक्त जांच की जा रही मांग के संबंध में डीटी विंग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदान की जाती है ताकि कार्य सही ढंग से

their efforts to strengthen stray cases where their contribution is either nil or nominal as per 2nd Midterm Appraisal Reports:

- (a) Assets not owned by the assessee
 - (b) Depreciation against exempt income
 - (c) Depreciation on assets used in scientific research
 - (d) Non claim of depreciation during tax holiday
 - (e) Allowance of capital expenditure as revenue expenditure
 - (f) Non exercise of option to adopt WDV method in respect of power generation units
 - (g) Mistakes in determination of actual cost
 - (h) Mistakes in determination of WDV
 - (i) Higher rate of depreciation to the vehicles treating them as new commercial vehicle acquired on or after 1 January 2009 but before 1 October 2009 and put to use before 1 October 2009 for the purpose of business or profession.
8. Field offices were requested to revisit the issue of money value of paragraphs included in the draft reports.
9. Annexure VA proposed to be filled in vide this office correspondence no. 399/RADT/11-2013/D&A dated 2nd September 2013 on the compilation of book profit, the word 'Addition' used in Column 8, 9 and 10 may be substituted with the word 'deduction'.

Directions by DAI (GA & CRA) on Mid-term appraisal report

DAI (GA & CRA) addressed the participants and stated that the mid-term appraisal meet is to share experience and knowledge so that audit outputs improve qualitatively and quantitatively. He emphasized that the PA is to focus upon generic issues impacting the allowance of depreciation and amortization. The audit results were to be benchmarked in perspective and had to be representative in nature. Systemic issues impacting the allowance of depreciation were to be concentrated upon. A proper work plan is to be assigned to field offices by DT Wing in respect of additional examination being sought for so that work can progress in a

प्रगति कर सके। उन्होंने परामर्श दिया कि क्षेत्रीय कार्यालय संकलन करने के लिए पीए हेतु प्रस्तावित अंतिम प्रारूप में अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजें।

ख लेखापरीक्षा योजना

डीएआई (जीए और सीआरए) ने जोर देकर कहा कि यह बैठक 12 जुलाई 2013 को की गई चर्चाओं से आगे बढ़नी चाहिए थी। डीएआई के भाषण से निम्नलिखित मामले उभर कर सामने आये:

1. जैसा कि पहले ही दिनांक 25 सितम्बर 2013 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है, सभी कार्यालयों को उपलब्ध श्रमबल और कार्य योग्य फ्रेम, कुशल लेखापरीक्षा योजनाओं के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा प्रयासों को अधिकतम करने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय कार्यालयों को लक्ष्यों को प्राप्त करने और लेखापरीक्षा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपने कार्य की योजना बनानी चाहिए। उद्देश्यों को उचित रूप में पुनर्गठित किया गया है ताकि कार्यालयों को सौंपे गये विभिन्न कार्यों के साथ-साथ अवांछित भार न बढ़ सके।
2. इस उद्देश्य हेतु, क्षे. का. द्वारा प्राप्ति और व्यय लेखापरीक्षा के नीचे अन्तर्गत उपलब्ध मानव संसाधनों को विशेष अनुपात में विभाजित करने के लिए तत्परता से कार्य किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, आईएनडीटी में लेखापरीक्षा संसाधन सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर लेखापरीक्षा के लिए अलग-अलग विभाजित किया जाना चाहिए। इससे राजस्व और व्यय दोनों के लिए श्रमबल के अधिकतम उपयोग की सुविधा उपलब्ध होगी और इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा योजना की वास्तविक फ्रेमिंग और लक्ष्यों तथा लेखापरीक्षा योजना की गहन निगरानी की जा सकेगी।
3. सीएजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में चर्चा के अनुसार, डीजी (एसएमयू) को मुख्यालय में कार्याकारी स्कंध से इनपुट्स के आधार पर संघ और राज्य दोनों के लिए विभाग की एक एकीकृत वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। तदुसार क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक स्कंध के संबंध में उनकी वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2014-15 को तैयार करना और दिसंबर 2013 के प्रथम सप्ताह में इसे कार्याकारी स्कंध को भेजा जाना आवश्यक है ताकि मुख्यालय में इसके प्रसंस्करण को अंतिम रूप दिया जा सके और फिर एसएमयू को प्रेषित की जा सके।
4. नये गठित कार्यालयों में आधारभूत ढांचे से संबंधित मामले मुख्यालय में संबंधित स्कंधों के साथ लिये गये हैं।
5. हाल में ही, नये कार्यालयों की संस्वीकृत पदों को सीआरए, व्यय और प्रशासनिक स्कंध के ब्रेकअप को स्पष्टतः दर्शाते हुए स्टाफ स्कंध द्वारा पुनः बनाया गया। कार्यालय आदेश संवर्ग नियंत्रण अधिकारी को सही संख्या बनाये रखने, उचित व्यावसायिक योग्यता प्राप्त

clear manner. He suggested that field offices send their draft report in the final structure proposed for the PA to facilitate compilation.

B Audit Planning

DAI (GA & CRA) emphasized that this meet was to go forward from discussions held on 12th July 2013. Following issues emerged out of the DAI's speech:

1. As already communicated vide letter dated 25th September 2013, all offices need to optimize audit efforts in terms of available manpower and frame workable, efficient audit plans. FAOs may plan their work to be able to achieve the targets and optimally utilize audit resources. Targets have been rationalized suitably so as to not cast undue burden on offices, given their multiple tasks.
2. Towards this end, FAOs need to take due diligence to apportion the available human resources in a particular ratio between Expenditure and Receipt Audit. Further, within INDT, audit resources need to be allocated separately for Customs, Central Excise and Service Tax audits. This will facilitate optimum utilization of manpower for both Revenue and Expenditure audits and result in realistic framing of audit plan and closer monitoring of targets and audit plan.
3. As discussed in a recent meeting with CAG and other Senior officers, DG(SMU) has been assigned the task of preparing an integrated Annual Audit Plan for the Department as a whole covering both Union and States based on inputs from functional wing in Headquarters. Accordingly, field offices need to prepare their Annual Audit Plan 2014-15 in respect of each wing and send to functional wings in the first week of December 2013 so as to finalize its processing in Headquarters and onwards transmission to SMU.
4. The infrastructure issues in newly created offices have been taken up with concerned wings in Headquarters.
5. Recently, sanctioned strength of new offices has been redrawn by Staff wing, clearly showing breakup of CRA, Expenditure and Administration wings. The office order exhorts cadre controlling officers to make good the numbers, ensure posting of suitably professionally qualified personnel and equitably

कार्मिक की पोस्टिंग सुनिश्चित करने और संवर्ग नियंत्रण कार्यालयों और एचओडी केंद्रीय कार्यालयों के बीच समान रूप से पदों को बांटने के लिए प्रोत्साहित करता है। संबंधित एचओडी को यह कार्य शीघ्रता से करना सुनिश्चित करने के लिए संवर्ग नियंत्रण कार्यालयों के साथ कार्य करना आवश्यक है। इस संबंध में, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनकी सभी स्कंधों में जैसे-डीटी, सीएक्स, एसटी, सीमाशुल्क, केंद्रीय व्यय और प्रशासन को भी दर्शाते हुए श्रम बल (एसएस और पीआईपी दोनों) को ध्यानपूर्वक संकलित करना अपेक्षित है और अगले सप्ताह में एक दिन के लिए इस डाटा और सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रशासन के साथ काम कर रहे समूह अधिकारी को भेजना है। (बैठक की तिथि 15 अक्टूबर 2013 निर्धारित की गई है, जिसे बाद में अलग से प्रेषित कर दिया जाएगा)।

डीएआई द्वारा उठाए गये बिन्दुओं की व्याख्या करते हुए डीजी ने निम्नलिखित मामलों को उजागर किया:

1. प्रत्येक स्कंध के अंतर्गत श्रमबल का परिनियोजन और लेखापरीक्षा परिणाम की गुणवत्ता के उद्देश्य हेतु आबंटित पार्टियों की तैनाती समान रूप से होनी चाहिए।
2. सितम्बर 2013 में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने एसएमयू स्कंध द्वारा लेखापरीक्षा योजनाओं और उपलब्धियों की केंद्रीयकृत निगरानी का निदेश दिया। अतः लक्ष्यों और नियोजन के बाद की गड़बड़ियों से बचने के लिए संसाधन उपलब्धता पर आधारित वास्तविक होने चाहिए।
3. जून 2013 हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट अभी भी लंबित है। जिसे कृपया शीघ्रता से भेजा जाये।
4. आयकर विभाग की डीसीए का मामला सीबीडीटी के साथ समीक्षा के अंतर्गत है। विभाग केंद्रस्थ लेखापरीक्षा हेतु प्रश्नावली की व्यवहार्यता को आयकर अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी के रूप में जांचने की आवश्यकता है।
5. कुछ एसटी निर्धारितियों जिन्होंने हमारे लेखापरीक्षा प्राधिकारी को न्यायालय में चुनौती दिये जाने के संबंध में, यह सूचित किया गया कि मामला राजस्व विभाग के बोर्ड द्वारा देखा जा रहा था। इसी बीच, क्षेत्र. का. को यह सलाह दी गई थी, कि निर्धारितियों के संदर्भ में ध्यानपूर्वक उनके परिसर में जाते समय यह स्पष्ट कह सकते हैं कि एसटी कमिशनर की लेखापरीक्षा में उनके परिसर से कुछ रिकॉर्डों की जांच करनी अपेक्षित है।

उठाये गये अन्य मुद्दे

प्रत्यक्ष कर

विगत वार्षिक लेखापरीक्षा परियोजनाओं के लेखापरीक्षा परिणामों की व्याख्या करते हुए पीडी (डीटी) द्वारा एक सामान्य व्याख्या की गई।

share vacancies between cadre controlling offices and HOD Central offices. Concerned HODs need to work with cadre control offices to ensure this is done expeditiously. In this regard, field offices are required to carefully compile the manpower status (both SS and PIP), also indicating their deployment in all wings, viz. DT, CX, ST, Customs, Central Expenditure and Administration, and send the Group officer dealing with Administration with this data, and all supporting papers, for one day in the week after next. (The date of meeting is fixed for 15 October 2013, which has been communicated separately).

Elaborating on the points taken by DAI, the DG highlighted the following issues:

1. Deployment of manpower and quality of audit output may be commensurate to the parties allocated for the purpose under each wing.
2. In September 2013, the C&AG has directed for a centralized monitoring of audit plans and achievements by SMU Wing. Hence targets and planning need to be realistically drawn up based on resource availability to avoid hiccups later.
3. The Quarterly Progress Reports for June 2013 are still awaited which may please be expedited.
4. The matter of DCA of Income Tax Department is presently under review with CBDT. The practicality of questionnaire for Department Centric Audit needs to be revisited in the light of roles and responsibilities of income tax officers.
5. In the context of certain ST assesseees having gone to Court challenging our audit authority, it was informed that the matter was being pursued after taking Department of Revenue on board. In the meantime, FAOs were advised to carefully word their reference to assesseees, while visiting their premises so that we clearly state that audit of the ST Commissioner requires us to verify certain records from their premises.

Other issues flagged

Direct Taxes

A general presentation was made by PD (DT), explaining the audit results of the previous annual audit plans.

1. सीबीडीटी और सीबीईसी के अंतर्गत जुड़े हुए कार्यालयों की लेखापरीक्षा पर निर्णय लेने और रूपात्मकता किया जाना आवश्यक है। जहां भी क्षेत्रीय कार्यालय समस्याएँ झेल रहे हैं वे इसे मुख्यालय के ध्यान में ला सकते हैं।
2. निपटान कमीशन की लेखापरीक्षा से संबंधित मामले निपटान कमीशन, नई दिल्ली के साथ लिया जाना आवश्यक है।

अप्रत्यक्ष कर

प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, प्रगतिशील रिपोर्ट और 2014-15 में नियोजित की जाने वाली रिपोर्टों के लिए लेखापरीक्षा प्रयास का परिणाम पीडी (सीमाशुल्क) और पीडी (सीएक्स और एसटी) द्वारा प्रस्तुतीकरण में क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध लेखापरीक्षा संसाधन, सीआरए का लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के लेखापरीक्षा आधार को चित्रित किया गया। प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का मूल्यांकन यह परामर्श देता है कि यूनिट, लेखापरीक्षा के विषय और धन मूल्य के चुनाव में सुधार किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए लक्ष्य इस प्रकार दर्शाये गये थे :

अप्रत्यक्ष कर	डीपीज़	शुरूआती धन मूल्य	टीबीएज़	पीएज़
सीमा शुल्क	160	₹ 10 लाख	3-4	1-2
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	200	₹ 20 लाख	3-4	1-2
सेवा कर	200	₹ 20 लाख	3-4	1-2

एफएओज़ ने बताया कि सीएक्स और एसटी के लिए ₹ 20 लाख की बढ़ी हुई राशि प्राप्त करना कठिन हो सकता है, अतः इसे ₹ 10 लाख के वर्तमान मूल्य तक रोका जा सकता है। तथापि, सीमाशुल्क रिपोर्ट हेतु ₹ 10 लाख की बढोत्तरी स्वीकृत कर ली गई थी।

पीएज़ और टीबीएज़ की संख्या के संबंध में, यह सलाह दी गई थी कि लक्ष्य एक पीए और तीन टीबीए प्रति कर (सीमाशुल्क सीएक्स, एसटी) प्रति लेखापरीक्षा चक्र पर रखा जा सकता है।

डीजीए(सी), चेन्नै द्वारा अयोजित 'एसक्यूएल प्रश्नों का उपयोग करते हुए डंप डाटा के विश्लेषण' पर हाल ही में भली भाँति प्रशिक्षण दिया गया। पीडी (सीमाशुल्क) ने बताया कि संपूर्ण देश में आरटीआईज/आईसीसा को किस प्रकार आगे लाना था और लेखापरीक्षा के उद्देश्यों हेतु डंप डाटा विश्लेषण, रिपोर्टिंग और केडी तैयारियाँ करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया शुरू की जानी है। उन्होंने आगे व्याख्या की कि हाल ही में प्रस्तुत किये गये सेज टीबीए में

1. Audit of attached offices under CBDT and CBEC needs to be decided upon and modalities to be laid out. Wherever field offices are facing problems they may bring it into the notice of HQs.
2. Issues relating to audit of Settlement Commission needs to be taken up with the Settlement Commission, New Delhi.

Indirect Taxes

The outcome of the audit effort for the reports tabled, reports in progress and reports to be planned (2014-15) was presented by PD (Customs) and PD (CX and ST). The presentation elaborated on the audit resource available with the FAOs, the audit universe of CRA and the Audit Base of Customs, Central Excise and Service Tax. Evaluation of the reports tabled suggested that improvement can be brought out in the choice of units, topic of audit and money value.

Targets for the Audit Reports were indicated as follows:

Indirect Tax	DPs	Money Value threshold	TBAs	PAs
Customs	160	Rs. 10 lakh	3-4	1-2
Central Excise	200	Rs. 20 lakh	3-4	1-2
Service Tax	200	Rs. 20 lakh	3-4	1-2

FAOs mentioned that for CX and ST the enhanced money value of Rs.20 lakh may be difficult to achieve, therefore it may be retained at the present value of Rs.10 lakh. However, for Customs report enhancement to Rs.10 lakh was accepted.

With regards to the number of PAs and TBAs, it was suggested that target may be kept at one PA and three TBA per tax (Cus, CX, ST) per audit cycle.

The recent training on “Analysis of dump data using SQL queries”, conducted by DGAC, Chennai was well received. PD (Customs) explained how it had to be carried forward through the RTIs/iCISA across the country and that a clear procedure has to be laid for dump data analysis, reporting and KD preparation for the purposes of Audit Report. He further explained that the SEZ TBA recently submitted has the potential of becoming a standalone PA, which needs to be replicated by all the field offices in a given timeframe.

एक स्वयंपूर्ण पीए बनने की सामर्थ्य है, जिसे दी गई समयावधि में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

पीडी (सीएक्स) ने बताया कि बोर्ड ने एसीईएस समीक्षा को करने में कुछ समस्याओं को दर्शाया है और मुख्यालय को करने में कुछ समस्याओं को दर्शाया है और मुख्यालय जल्द ही आगे का निर्देश देगा। उन्होंने आगे बताया कि एक लेखापरीक्षा इकाई के लिए सीएक्स और एसटी के लिए एक आईआर तैयार की जानी अपेक्षित है। व्यक्तिगत करों के लिए आईआरज़् निगरानी के लिए क्षे. का. द्वारा कई समस्याएँ बताई गई थी। यह निर्णय किया गया था कि मामले पर क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ परामर्श के बाद समेकित निर्देश जारी किया जाएगा।

हस्ताक्षरित
(सरिता कुमारी)
निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

PD (CX) explained that the Board has expressed certain difficulties in the conduct of ACES review and headquarters will come out with further instructions shortly. He further explained that for one audit unit a single IR is required to be prepared for CX and ST. Certain difficulties were expressed by FAOs on monitoring the IRs for individual taxes. It was decided that consolidated instructions would be issued on the issue in consultation with the field offices.

Sd/-
(Sarita Kumari)
Director (Direct Taxes)